SBI
हर भारतीय का बैंक

आज़ादी का अमृत महोत्सव

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA

बैंकिंग उत्कृष्टता के नए मानक

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

विषय सूची

03	सूचना
09	पुरस्कार एवं सम्मान
10	आपका एसबीआई
11	भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धिपूर्ण यात्रा
12	बैंकिंग उत्कृष्टता के नए मानक
14	भारतीय स्टेट बैंक समूह संरचना
16	पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन
17	रेटिंग
18	केंद्रीय निदेशक बोर्ड
20	बोर्ड की समितियां/केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य/स्थानीय बोर्डों के सदस्य/बैंक के लेखापरीक्षक
24	अध्यक्ष का संदेश
30	निदेशकों की रिपोर्ट
30	(I) आर्थिक पृष्ठभूमि एवं बैंकिंग परिवेश
32	(II) वित्तीय निष्पादन
33	(III) प्रमुख परिचालन
33	1. रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग समूह
33	क. वैयक्तिक बैंकिंग
36	ख. सर्वसमय चैनल
37	2. लघु एवं मध्यम उद्यम
39	3. ग्रामीण बैंकिंग
40	4. सरकारी व्यवसाय
41	5. डिजिटल एवं ट्रांजेक्शन बैंकिंग (डीएंडटीबी)-विपणन
42	6. कॉरपोरेट बैंकिंग
42	क. कॉरपोरेट लेखा समूह
43	ख. राजकोषीय परिचालन
44	ग. अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन
49	7. वाणिज्यिक ग्राहक समूह (सीसीजी)
50	8. तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन
52	(IV) सहायक एवं नियंत्रण परिचालन
52	1. मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण
56	2. सूचना प्रौद्योगिकी
62	3. जोखिम प्रबंधन
68	4. राजभाषा
70	5. विपणन एवं संप्रेषण
70	6. सतर्कता तंत्र
71	7. आस्ति एवं देयता प्रबंधन
71	8. सदाचार एवं व्यवसाय आचरण
72	9. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व
74	(V) अनुषंगियाँ
83	(VI) प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण (एमडीए)
83	(VII) उत्तरदायित्व रिपोर्ट
83	(VIII) आभार
84	कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट
112	सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट
115	निदेशकों के अयोग्य न होने का प्रमाण पत्र
116	कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाण पत्र
117	व्यवसाय उत्तरदायित्व रिपोर्ट
118	वित्तीय रिपोर्ट
118	31 मार्च 2022 के लिए तुलन पत्र (एकल)
127	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता (एकल)
198	31 मार्च 2022 के लिए तुलन पत्र (समेकित)
207	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता (समेकित)
256	स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित)
292	वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जी-एसआईबी) के लिए संकेतों पर प्रकटीकरण
293	हरित पहल

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

भारतीय स्टेट बैंक के शेयरधारकों की 67वीं वार्षिक महासभा **"स्टेट बैंक सभागार", स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400021 में बुधवार, 22 जून 2022 के दिन अपराह्न 3.00 बजे** आयोजित की जाएगी। यह बैठक निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज़ुवल माध्यम (ओएवीएम) के जरिए आयोजित की जाएगी :

"भारतीय स्टेट बैंक के 31 मार्च 2022 तक के तुलनपत्र तथा लाभ एवं हानि खाता, संबंधित लेखा अवधि के भारतीय स्टेट बैंक के कार्य व कार्यकलाप पर केंद्रीय बोर्ड की रिपोर्ट, तुलनपत्र एवं लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा करना तथा उसे स्वीकार करना।"

कॉरपोरेट केंद्र,
स्टेट बैंक भवन,
मैडम कामा रोड,
मुंबई- 400021
दिनांक: 13 मई, 2022

(दिनेश कुमार खारा)
अध्यक्ष

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विज़ुअल माध्यम (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से वार्षिक महासभा में पहुंचने और भाग लेने तथा दूरस्थ ई-वोटिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से मतदान करने के लिए सामान्य निर्देश

1. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020, जिसके बाद 05 मई, 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020 और 13 जनवरी, 2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 और 14 दिसंबर, 2021 के सामान्य परिपत्र संख्या: 21/2021 ("एमसीए परिपत्र") द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र संख्या: 21/2021 के अनुसरण में, वार्षिक महासभा (एजीएम) स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो विज़ुअल माध्यम (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक महासभा आयोजित की जा सकती है। बैंक के निदेशक मंडल ने बैंक की वार्षिक महासभा आयोजित करने के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी उपरोक्त दिशा-निर्देशों को अपनाने का निर्णय लिया है। इसलिए, शेयरधारक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आगामी वार्षिक महासभा में हिस्सा ले सकते हैं, जिसके लिए सदस्यों का एक साझा स्थल पर प्रत्यक्ष उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। बैठक अनुमत स्थान बैंक के कॉरपोरेट केंद्र का स्टेट बैंक ऑडिटोरियम होगा।

2. बैंक के शेयरधारकों को दी जा रही वीसी सुविधा के कारण भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 34 के अनुसार इस वार्षिक महासभा के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने और सदस्यों की ओर से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तथापि, शेयरधारक कॉरपोरेट निकाय होने के नाते, भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 32 एवं 33 में निर्धारित किए गए अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में उपस्थित होने और ई-वोटिंग के जरिए अपना मत देने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने हेतु पात्र होंगे।

3. इस सूचना में उल्लखित कार्यविधि का पालन करते हुए सदस्य वार्षिक महासभा शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओवीएम मोड से सभा में शामिल हो सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1000 सदस्यों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बड़े शेयरधारक (2% या उससे अधिक शेयरधारिता वाले शेयरधारक), प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति और हितधारकों की संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं होंगे, जिन्हें पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना वार्षिक महासभा में भाग लेने की अनुमति है।

4. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 24 के अंतर्गत कोरम के निर्धारण के प्रयोजन से वीसी/ओवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में उपस्थित होने वाले सदस्यों की उपस्थिति मान्य होगी।

5. कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के विनियम 44 (यथा संशोधित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार बैंक वार्षिक महासभा की कार्रवाही में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है। शेयरधारक को केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वार्षिक महासभा में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। वार्षिक महासभा के दिन अर्थात 22 जून 2022 को केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा सदस्यों को दूरस्थ ई-वोटिंग प्रणाली के इस्तेमाल कर वोट देने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

6. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र संख्या 17/2020 के अनुरूप, वार्षिक महासभा आयोजित करने की सूचना बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर अपलोड की गई है। इस सूचना को स्टॉक एक्सचेंजों यथा बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी देखा जा सकता है और वार्षिक महासभा बैठक की सूचना केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड (दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी) की वेबसाइट https://emeetings.kfintech.com पर भी उपलब्ध है।

7. 12 मई 2020 को एमसीए परिपत्र और सेबी परिपत्र के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा बुलाई गई है और स्थितियां अनुकूल होने एवं स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा महासभा के आयोजन की अनुमति दी जाने पर भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम और भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के संदर्भ में बैठक बुलाई जा सकती है।

8. भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 के विनियमन 7 के अनुसार, संयुक्त धारकों के मामले में वह सदस्य जिसका नाम बैंक के शेयरधारकों के रजिस्टर के अनुसार सबसे पहले होगा, वह वार्षिक महासभा में मतदान करने का हकदार होगा बशर्ते कि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले ही वोट न डाला गया हो।

9. वे सदस्य जो वीसी के माध्यम से उपस्थित होने का विकल्प चुनते हैं तथा जो दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डालते हैं, उन्हें वार्षिक महासभा में ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने की अनुमति दी जाएगी।

दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के लिए निर्देश नीचे दिए गए हैं:

दूरस्थ ई-वोटिंग की अवधि 16 जून 2022 को भारतीय समय के अनुसार प्रातः 10.00 बजे से शुरू होगी और 21 जून 2022 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड द्वारा दूरस्थ ई-वोटिंग मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। एक बार शेयरधारक द्वारा वोट डाले जाने के बाद, इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी।

उपर्युक्त अवधि के दौरान, बैंक के शेयरधारक, जो एसबीआई सामान्य विनियम, 1955 के विनियम 31 में निर्धारित तिथि पर भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर रखते हैं, दूरस्थ ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं।

मैं केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट कैसे करूँ?

(क) केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड (डीमैट और भौतिक शेयरधारकों के लिए) के पोर्टल के माध्यम से दूरस्थ ई- मतदान के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

i. कट-ऑफ तिथि को वोट करने के पात्र शेयरधारकों को ई-वोटिंग के लिए यूआरएल https://evoting.kfintech.com का उपयोग करना होगा। इसका उपयोग 16 जून, 2022 को सुबह 10.00 बजे से किया जा सकेगा।

ii. लॉगिन क्रेडेंशियल्स दर्ज करें (जैसा कि केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड द्वारा ईमेल से सूचित किया गया है)।

iii. सही विवरण दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।

iv. आप पासवर्ड परिवर्तन मेनू तक पहुंच जाएंगे जिसमें आपको अनिवार्य रूप से अपना पासवर्ड बदलना है। नए पासवर्ड में कम से कम एक ऊपरी केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक संख्यात्मक मान (0-9) और एक विशेष वर्ण (@,#,$,, आदि) के साथ न्यूनतम 8 वर्ण शामिल होंगे। सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने और पहले लॉगिन पर मोबाइल, ईमेल आदि जैसे किसी भी संपर्क विवरण को अपडेट करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आप अपने पासवर्ड को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद के गुप्त प्रश्न और उत्तर को भी दर्ज कर सकते हैं। यह बात पूरी गंभीरता से कही जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।

v. आपको नए क्रेडेंशियल्स के साथ फिर से लॉगिन करने की आवश्यकता है।

vi. सफल लॉगिन पर, सिस्टम आपको ईवीईएन यानी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चयन करने के लिए प्रेरित करेगा। मतदान पृष्ठ पर, कट-ऑफ तिथि (18 मार्च, 2022) को शेयरधारक द्वारा धारित शेयरों की संख्या दिखाई देगी। शेयरधारक (ओं) के पास ASSENT या DISSENT पर क्लिक करके रिजोल्यूशन के लिए वोट करने का विकल्प होगा। पुष्टि करने के लिए ठीक क्लिक करें, अन्यथा संशोधित करने के लिए रद्द करें। एक बार जब आप पुष्टि करते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान की अवधि के दौरान, शेयरधारक कितनी बार भी लॉगिन कर सकते हैं जब तक कि वे प्रस्तावों पर मतदान नहीं करते हैं।

vii. कई फोलियो/डीमैट खाते रखने वाले शेयरधारकों को प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करना होगा।

viii. पोर्टल पूर्वकथित अनुसार बंद हो जाएगा और बंद होने पर सुविधा तुरंत अक्षम कर दी जाएगी।

ix. बैंक ने मेसर्स पारिख एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों को जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ई-वोटिंग प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो।

x. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को संबंधित बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) के साथ मतदान करने के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता(ओं) के विधिवत सत्यापित नमूना हस्ताक्षर, जांचकर्ता को ईमेल cs@parikhassociates.com पर भेजना आवश्यक है।

xi. ई-वोटिंग के लिए कट-ऑफ तारीख और 67वीं वार्षिक महासभा/वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के नोटिस के प्रेषण की कट-ऑफ तारीख के बीच शेयर प्राप्त करने वाले शेयरधारकों तथा अपने डिपाजिटरी सहभागी (डीपी) के साथ अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत कर चुके हैं, उन्हें एजीएम में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट द्वारा संचार भेजा जाएगा। ऐसे शेयरधारक विवरण प्राप्त करने के लिए बैंक की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।

xii. किसी भी प्रश्न के लिए, आप शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और https://evoting.kfintech.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल देख सकते हैं या श्री एस वी राजू, केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड के डीजीएम, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबावली, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद - 500032 (ईमेल v-raju.sv@kfintech.com फोन नंबर 1-800-309-4001 (टोल फ्री)) से संपर्क कर सकते हैं।

ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि:

- **केवल डीमैट में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों के लिए लागू**

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर 9 दिसंबर, 2020 के सेबी परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत सदस्यों को डिपॉजिटरीज और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल को अपने डीमैट खातों में अपडेट करें।

वैयक्तिक सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले) डिपॉजिटरी के माध्यम से लॉगिन करें

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

एनएसडीएल	सीडीएसएल
1. पहले से ही IDeAS सुविधा के लिए पंजीकृत उपयोगकर्ता: I. URL: https://eservices.nsdl.com II. 'IDeAS' खंड के तहत "Beneficial Owner" आइकन पर क्लिक करें। III. नए पृष्ठ पर, उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड दर्ज करें। सफल प्रमाणीकरण के बाद, "Access to e-Voting" पर क्लिक करें। IV. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर फिर से निर्देशित किया जाएगा।	1. **मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/ Easiest के लिए चुना है** I. URL: https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या URL: www.cdslindia.com II. New System Myeasi पर क्लिक करें। III. उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। IV. आगे किसी प्रमाणीकरण के बिना ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने के लिए विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। V. अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें।
2. **उपयोगकर्ता जो IDeAS ई-सेवाओं के लिए पंजीकृत नहीं हैं** I. रजिस्टर करने के लिए लिंक: https://eservices.nsdl.com पर क्लिक करें II. "IDeAS के लिए ऑनलाइन रजिस्टर" चुनें III. आवश्यक फ़ील्ड को पूरा करने के साथ आगे बढ़ें। **अथवा** I. पंजीकरण करने के लिए लिंक: https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें II. आवश्यक फ़ील्ड को पूरा करने के साथ आगे बढ़ें।	2. **उपयोगकर्ता जो Easi/ Easiest के लिए पंजीकृत नहीं हैं** I. पंजीकरण करने के लिए विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है II. आवश्यक फ़ील्ड को पूरा करने के साथ आगे बढ़ें।
3. **एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर:** I. URL https://www.evoting.nsdl.com/ II. "लॉगिन" पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक / सदस्य' खंड के तहत उपलब्ध है। III. उपयोगकर्ता आईडी (यानी एनएसडीएल के साथ दर्ज 16 अंकों की डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड / ओटीपी और स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार सत्यापन कोड दर्ज करें। IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जिसमें आप ई-वोटिंग पेज देख सकते हैं। V. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।	3. **सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाकर:** I. URL www.cdslindia.com II. डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करें। III. सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी के लिए लिंक प्रदान किए जाएंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है।

वैयक्तिक सदस्य (डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले) जो अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से लॉगिन करते हैं। आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल / सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। एक बार लॉगिन करने के बाद, आप ई-वोटिंग विकल्प देख पाएंगे। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करें और आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल / सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा। कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और आपको दूरस्थ ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट:

जो सदस्य उपयोगकर्ता आईडी / पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य - एनएसडीएल	**किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य - सीडीएसएल**
लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य **evoting@nsdl.co.in** पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या 022- 23058738 या 22-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं।

- **गैर-वैयक्तिक सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए लागू**

  गैर-वैयक्तिक सदस्यों और भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

  दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और निर्देश निम्नानुसार हैं:

1) प्रारंभिक पासवर्ड ईमेल के मुख्य भाग में प्रदान किया जाता है।
2) इंटरनेट ब्राउज़र लॉन्च करें और एड्रेस बार में यूआरएल https://evoting.kfintech.com टाइप करें।
3) अपने ईमेल में बताए गए लॉगिन क्रेडेंशियल्स यानी यूजर आईडी और पासवर्ड डालें। आपका फोलियो नंबर /डीपी आईडी क्लाइंट आईडी आपकी उपयोगकर्ता आईडी होगी। हालाँकि, यदि आप ई-वोटिंग के लिए KFin के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं, तो अपने वोट डालने के लिए अपनी मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें।
4) उचित रूप से विवरण दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
5) आप पासवर्ड परिवर्तन मेनू तक पहुंच जाएंगे जिसमें आपको अनिवार्य रूप से अपना पासवर्ड बदलने की आवश्यकता होगी। नए पासवर्ड में कम से कम एक ऊपरी केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक संख्यात्मक मान (0-9) और एक विशेष वर्ण (@,#,$,आदि) के साथ न्यूनतम 8 वर्ण शामिल होंगे। यह दृढ़ता से सिफारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें।
6) आपको नए क्रेडेंशियल्स के साथ फिर से लॉगिन करने की आवश्यकता है।
7) सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, सिस्टम आपको भारतीय स्टेट बैंक का चयन करने के लिए प्रेरित करेगा
8) मतदान पृष्ठ पर, कट-ऑफ तिथि के रूप में आपके द्वारा धारित शेयरों की संख्या (जो वोटों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है) दिखाई देगी। यदि आप प्रस्ताव के लिए वोट सहमति / असहमति डालना चाहते हैं, तो सभी शेयर दर्ज करें और 'FOR' / 'AGAINST' पर क्लिक करें जैसा कि मामला हो। आप 'ABSTAIN' विकल्प भी चुन सकते हैं और इस स्थिति में धारित शेयरों को किसी भी शीर्ष के तहत नहीं गिना जाएगा।
9) कई फोलियो / डीमैट खातों वाले सदस्य प्रत्येक फोलियो / डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।
10) एक उपयुक्त विकल्प का चयन करके अपना वोट डालें और ‘Submit’ पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। पुष्टि करने के लिए 'ठीक' पर क्लिक करें, अन्यथा संशोधित करने के लिए 'रद्द करें'। एक बार जब आप पुष्टि करते हैं, तो आपको बाद में अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान अवधि के दौरान, आप कई बार लॉगिन कर सकते हैं जब तक कि आप पुष्टि नहीं कर लेते कि आपने प्रस्ताव पर मतदान किया है।

कॉरपोरेट / संस्थागत सदस्यों (यानी व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को आवश्यक बोर्ड संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ / जेपीजी प्रारूप) के साथ मतदान करने के लिए अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के विधिवत सत्यापित नमूना हस्ताक्षर संवीक्षक को ईमेल **cs@parikhassociates.com** पर भेजना आवश्यक है।

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है और इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग के लिए ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया:

1. यदि शेयरों को भौतिक मोड में रखा जाता है, तो कृपया फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) ईमेल द्वारा इस मेल आईडी पर प्रदान करें: **investor.complaints@sbi.co.in**
2. यदि शेयर डीमैट मोड में रखे जाते हैं, तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी-सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रतिलिपि, पैन (पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रतिलिपि), आधार (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति) इस मेल आईडी पर प्रदान करें: investor.complaints@sbi.co.in यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले एक वैयक्तिक शेयरधारक हैं, तो आपसे अनुरोध है कि ऊपर दी गई लॉगिन विधि को देखें, अर्थात् ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विधि - केवल डीमैट में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक सदस्यों के लिए लागू होता है।
3. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक / सदस्य उपरोक्त दस्तावेजों को प्रदान करके ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए एक अनुरोध भेज सकते हैं।
4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरीज और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है। शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए अपने डीमैट खाते में अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करना होगा।

वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।
2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक महासभा में उपस्थित होंगे और जिन्होंने दूरस्थ ई-वोटिंग

के माध्यम से रिजोल्यूशन पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे वार्षिक महासभा बैठक में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे वार्षिक महासभा बैठक में भाग लेने के पात्र होंगे। हालांकि, वे वार्षिक महासभा बैठक में मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

4. वार्षिक महासभा बैठक के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिए जिस व्यक्ति से संपर्क किया जा सकता है, उसका विवरण वही व्यक्ति होगा जिसका उल्लेख रिमोट ई-वोटिंग के लिए किया गया है।

शेयरधारकों के लिए वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक में भाग लेने के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. शेयरधारक को केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी / ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। सदस्य केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड ई-वोटिंग प्रणाली तक पहुंच के लिए ऊपर उल्लिखित चरणों का पालन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, आप कंपनी के नाम के समक्ष **"जनरल मीटिंग में शामिल हों"** मेनू के तहत रखे गए "वीसी /ओएवीएम लिंक" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप 'जनरल मीटिंग मेनू में शामिल हों' के तहत रखे गए वीसी/ ओएवीएम लिंक पर क्लिक करें। वीसी / ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक / सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का विवरण प्रदर्शित किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है या उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम मिनट की भीड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनःप्राप्त कर सकते हैं।

2. सदस्यों को बेहतर अनुभव के लिए लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने की सलाह दी जाती है।

3. इसके अलावा, सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए कैमरा की अनुमति देने और एक अच्छी गति के इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।

4. कृपया ध्यान दें कि जो प्रतिभागी मोबाइल उपकरणों या टैबलेट से या मोबाइल हॉटस्पॉट लैपटॉप के माध्यम से जुड़ रहे हैं, संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण उनका ऑडियो / वीडियो संपर्क बीच में टूट सकता है इसलिए किसी भी प्रकार की पूर्वोक्त समस्या को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।

5. शेयरधारक जो अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं / जिनके पास प्रश्न हैं, वे अपने नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए 18 जून, 2022 को दोपहर 01.00 बजे वार्षिक महासभा बैठक की शुरुआत से पहले ही अपने प्रश्न इस मेल आईडी पर भेज सकते हैं: **investor.complaints@sbi.co.in.** बैंक द्वारा इसका उचित उत्तर दिया जाएगा।

6. जिन शेयरधारकों ने खुद को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, केवल उन्हें अपने विचार व्यक्त करने / प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी।

मतदान अधिकारों का निर्धारण - भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 11 में निहित प्रावधानों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक शेयरधारक जो एक आम बैठक की तारीख से कम-से-कम तीन महीने की अवधि के पूर्व अर्थात् 18.03.2022 तक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, ऐसी बैठक में, उसके द्वारा आयोजित प्रत्येक पचास शेयरों के लिए एक वोट होगा।

केंद्र सरकार के अलावा प्रत्येक शेयरधारक को उपर्युक्त के रूप में मतदान करने का अधिकार है, जो एक कंपनी नहीं होने के नाते व्यक्तिगत रूप से या प्रॉक्सी द्वारा मौजूद है अथवा जो एक कंपनी होने के नाते एक विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी द्वारा मौजूद है, के पास हाथ के प्रदर्शन पर एक वोट होगा और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति के पास हाथ के प्रदर्शन पर एक वोट होगा और मतदान की स्थिति में, ऐसी बैठक की तारीख अर्थात 18.03.2022 से पहले तीन महीने से पूर्व की अवधि के लिए आयोजित प्रत्येक पचास शेयरों के लिए एक वोट होगा।

केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति के पास हाथ के प्रदर्शन पर एक वोट होगा और मतदान की स्थिति में, ऐसी बैठक की तारीख अर्थात 18.03.2022 से पहले तीन महीने से पूर्व की अवधि के लिए आयोजित प्रत्येक पचास शेयरों के लिए एक वोट होगा।

संवीक्षक, वार्षिक महासभा में मतदान के तुरंत बाद, सर्वप्रथम वार्षिक महासभा के दौरान डाले गए वोटों की गणना करेगा, उसके बाद ई-वोटिंग से डाले गए वोटों को अनब्लॉक करेगा और वार्षिक महासभा के समापन के अधिकतम दो कार्य दिवसों के भीतर, पक्ष अथवा विपक्ष में डाले गए कुल वोटों पर संवीक्षक की समेकित रिपोर्ट अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी, जो इस पर प्रति-हस्ताक्षर (काउंटर-साइन) करेंगे।

संवीक्षक रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम तुरंत बैंक की वेबसाइट **www.sbi.co.in** एवं केफिन टेक्नोलॉजीस लिमिटेड की वेबसाइट **https://evoting.kfintech.com** पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इसके साथ ही बैंक द्वारा परिणामों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं बीएसई लिमिटेड, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, को अग्रेषित किया जाएगा।

दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

कॉरपोरेट केंद्र,
स्टेट बैंक भवन,
मैडम कामा रोड,
मुंबई - 400021
दिनांक: 13.05.2022

पुरस्कार एवं सम्मान

एशियन बैंकर पत्रिका, सिंगापुर द्वारा आपके बैंक को ट्रांजेक्शन फाइनेंस अवार्ड 2021 के अंतर्गत **"भारत में सर्वश्रेष्ठ नकदी प्रबंधन एवं लेनदेनकर्ता बैंक"** का पुरस्कार

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित **'कीर्ति पुरस्कार'** से सम्मानित किया गया

ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा लगातार दसवें वर्ष **"बेस्ट ट्रेड फाइनेंस प्रोवाइडर (इंडिया)-2022"** का पुरस्कार

वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता हेतु **"भारतीय स्टेट बैंक की वार्षिक रिपोर्ट"** को आइसीएआई पुरस्कार **"सिल्वर शील्ड श्रेणी -I पीएसबी"**

'सतत ज्ञानार्जन एवं कौशल विकास की संस्कृति के निर्माण में उत्कृष्टता' श्रेणी में प्रतिष्ठित ईटी ह्यूमन कैपिटल अवार्ड का स्वर्ण पदक जीता

वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, वित्त वर्टिकल के तहत सभी विभागों को **आइएसओ 9001:2015 प्रमाणीकरण** की मान्यता

आपका एसबीआई

भारतीय स्टेट बैंक 200 वर्षों से अधिक की गौरवशाली परंपरा के साथ एक भारतीय बहुराष्ट्रीय, सार्वजनिक क्षेत्र का बैंकिंग और वित्तीय सेवा संगठन है। आम आदमी का हित भारतीय स्टेट बैंक के कारोबार का केंद्र बिंदु रहा है। बैंक के पास विशिष्ट उत्पादों और सेवाओं का एक मजबूत पोर्टफोलियो है और वह व्यक्तिगत और ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ उनके वितरण और प्रबंधन के लिए आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।

मुंबई स्थित मुख्यालय के साथ भारतीय स्टेट बैंक वैयक्तिक ग्राहकों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, बड़े कॉरपोरेटों, सार्वजनिक निकायों और संस्थागत ग्राहकों को बैंक की देश-विदेश में फैली हजारों शाखाओं एवं आउटलेटों, संयुक्त उद्यम और अनुषंगियों तथा सहयोगी कंपनियों के माध्यम से सेवा प्रदान करता है।

बैंक, परिवर्तनों को अंगीकार करने में सबसे आगे रहा है। इस प्रक्रिया में सेवा, पारदर्शिता, सदाचार, शिष्टता तथा निरंतरता के उसके मूल्यों ने सदैव इसका मार्ग प्रशस्त किया है।

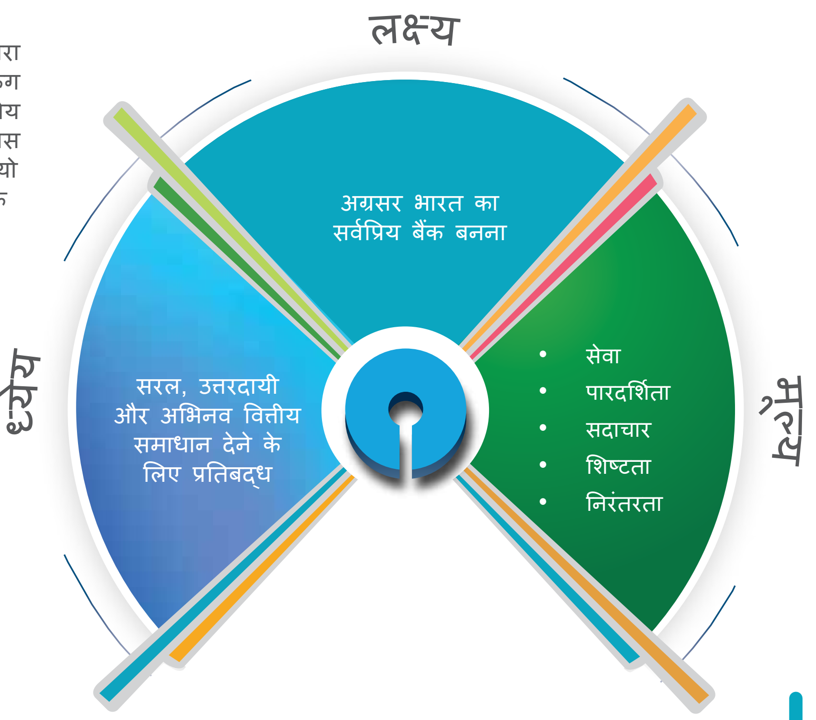

हमारी सेवाएँ

वैयक्तिक बैंकिंग

एसबीआई विभिन्न प्रकार के ऋण उत्पादों, वेतन पैकेजों, डिजिटल ऋणों, एनआरआई व्यवसाय और वेल्थ मैनेजमेंट सेवाओं के माध्यम से परिपूर्ण वैयक्तिक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करता है।

45.12 लाख/एसबीआई के आवास ऋण ग्राहक

ग्रामीण बैंकिंग

एसबीआई वित्तीय समावेशन सूक्ष्म ऋणों, कृषि व्यवसाय के उत्पादों के माध्यम से भारत के ग्रामीण नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

1.42 करोड़/ एसबीआई के कृषक ग्राहक

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह

एसबीआई भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग का अग्रणी है। आईबीजी व्यवसाय समूह अपनी विदेश स्थित बैंकिंग अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों सहयोगियों के माध्यम से उद्योग परिदृश्य को बदलने में निरंतर योगदान देता है।

227 कार्यालय/ सभी समय क्षेत्रों में उपस्थिति

एसएमई बैंकिंग

एसबीआई एसएमई वित्तपोषण में बाजार का नेतृत्व करता है। हम उच्च गुणवत्ता वाली ग्राहक सेवाएँ सुनिश्चित करते हुए अपने एसएमई ग्राहकों को सरल और अभिनव वित्तीय समाधान प्रदान करते हैं।

₹3.06 लाख करोड़/ कुल एसएमई ऋण राशि

कॉरपोरेट बैंकिंग

भारतीय स्टेट बैंक में, कॉरपोरेट लेखा समूह एवं वाणिज्यिक ऋण समूह की प्रत्येक शाखा में सभी सेवाएँ उपलब्ध हैं, जो विशेष रूप से देश के प्रमुख शीर्ष कॉरपोरेटों और नवरत्न पीएसयू को विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करती है।

₹8.71 लाख करोड़/ कुल कॉरपोरेट ऋण की राशि

सरकारी बैंकिंग

एसबीआई सरकारी व्यवसाय में बाजार में सबसे आगे है। यह भारत सरकार द्वारा की गई ई-गवर्नेंस पहलों में महत्वपूर्ण योगदान देता है और केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के लिए ई-समाधान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

₹55.18 लाख करोड़/ सरकारी व्यवसाय की कुल राशि

भारतीय स्टेट बैंक की उपलब्धिपूर्ण यात्रा

46.77 करोड़
ग्राहक

68,016
व्यवसाय प्रतिनिधि आउटलेट

19,500 स्वयं
(बार कोड आधारित पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क)

22,266
शाखाएँ

27.58%
डेबिट कार्ड खर्च में बाजार हिस्सा

15.15%
पीओएस की संख्या में बाजार हिस्सा

95.5%
वैकल्पिक चैनल लेन-देन में हिस्सा

65,030
एटीएम और एडीडब्ल्यूएम (स्वचालित जमा और आहरण मशीन)

14.20 करोड़
वित्तीय समावेशन खाते (व्यवसाय प्रतिनिधि चैनल)

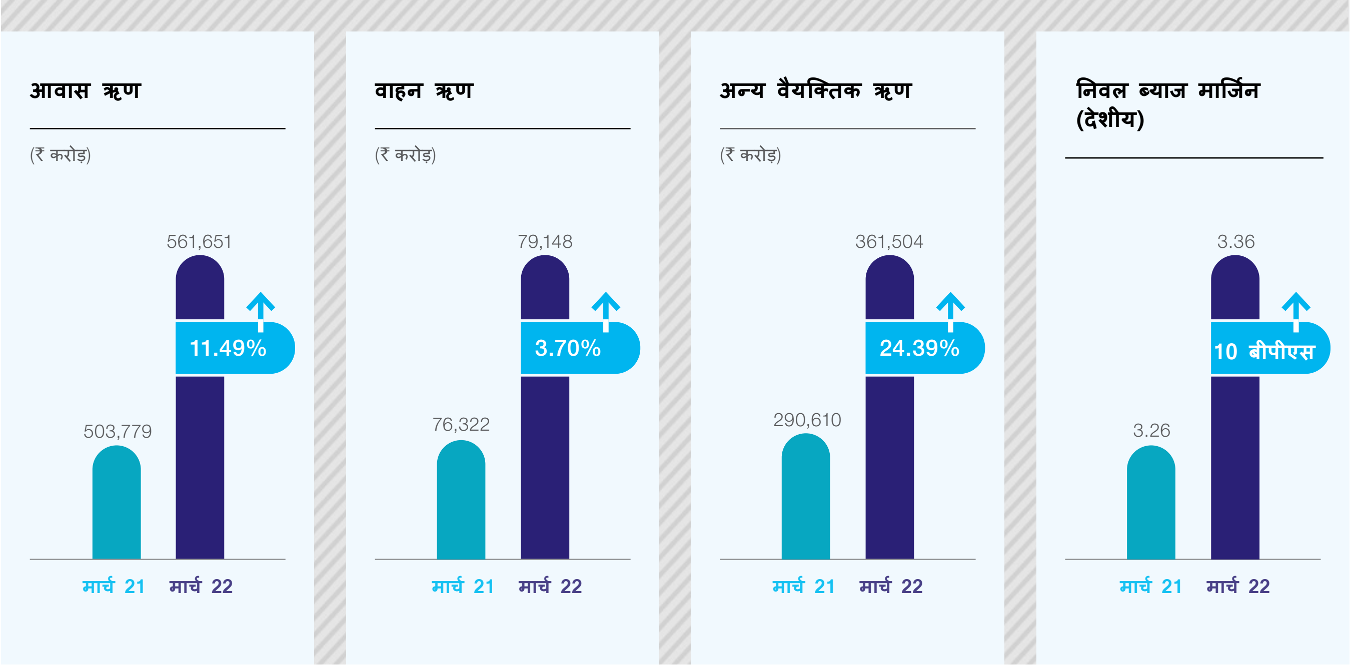

भारतीय स्टेट बैंक प्रौद्योगिकी बदलावों से अनजान नहीं है।

योनो एक बहुमाध्यम इंटरफ़ेस है जो बैंकिंग उद्योग के भीतर डिजिटल क्रांति ला रहा है।

भविष्य की तैयारी

अपने व्यवसाय को भविष्य के अनुरूप बनाने हेतु निर्णय लेने और दक्षता बढ़ाने में ऑटोमेशन के लिए हमने फिनटेक को एक अवसर के रूप में अपनाया।

अगर युवा पीढ़ी में लगातार बढ़ते ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग के उपयोग से कोई संकेत मिलता है तो वह है कि अब युवा पीढ़ी के लिए पारंपरिक बैंकिंग कम प्रासंगिक होगी। नकदीरहित अर्थव्यवस्था में अब पहले से कहीं अधिक तेजी से डिजिटल परिवर्तन हो रहे हैं और कहीं अधिक बैंकिंग संगठन डिजिटल बैंकिंग को अपना रहे हैं। एसबीआई में, हम इस प्रवृत्ति के बारे में अत्यधिक जागरूक हैं और हम उभरते डिजिटल भारत की सेवा के लिए डिजिटल परिवर्तन अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं।

बैंकिंग उद्योग में हमारे आकार, पैमाने और विकास को देखते हुए हमारा मानना है कि इस डिजिटल युग में बने रहने एवं उन्नति करने के लिए, हम सबसे बेहतर स्थिति में हैं।

आज डिजिटल टेक्नोलॉजी संस्थाओं को नवोन्मेष के माध्यम से नवीन कौशल के निर्माण में मदद कर रही है, जिससे वे कुशल, व्यवसाय का आकलन करने में सक्षम एवं भविष्योन्मुख बन रही हैं। डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभाव परिवर्तनकारी और व्यापक हैं और बैंकिंग का कोई भी हिस्सा इससे अछूता नहीं रहेगा। डिजिटल व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र बैंकिंग को बदल रहे हैं।

प्रौद्योगिकी का उपयोग कर हमने समझने, सोचने और कार्य करने की अपनी क्षमता को बढ़ाया है, तथा निर्णय प्रक्रिया को तेज किया है।

इसके अतिरिक्त, हम ग्राहक संपर्क के विभिन्न टच-पॉइंट के माध्यम से ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं।

यह एक बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए हमारे सिस्टम को एकीकृत कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे ग्राहक कम समय में अधिक लाभ उठा सकते हैं। योनो, हमारा फ़्लैगशिप सर्व-व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म, लाखों ग्राहकों को अत्याधुनिक डिजिटल सेवाएँ प्रदान कर रहा है, जो हमारी तकनीकी कौशल का प्रमाण है।

योनो एक एकीकृत मूल्यवर्धित उत्पाद है, जो नवोन्मेषी बैंकिंग ऑफरों जैसे योनो कैश, योनो बिजनेस, योनो क्विक पे, पूर्व-अनुमोदित ऋण तथा लाइफस्टाइल एवं 111 मर्चेंट-भागीदार से खरीददारी के माध्यम से ग्राहकों की बैंकिंग व उससे आगे की जरूरतों को पूरा कर रहा है।

ऑनलाइन बैंकिंग के लिए ग्राहक तेजी से हमें चुन रहे हैं और योनो हमें उनके साथ सहजता से जोड़ रहा है। 31 मार्च 2022 को योनो ने 111.74 मिलियन डाउनलोड, प्रतिदिन 26 हजार नए बचत खातों और 48.35 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के साथ एक कीर्तिमान स्थापित किया है।

ये आँकड़े भारतीय स्टेट बैंक के डिजिटल बैंकिंग की संभाव्यता/क्षमता को प्रदर्शित करते हैं।

“एसबीआई में, हम एनालिटिक्स की शक्ति का उपयोग बहुचैनल डिजिटल बैंकिंग को अपनाने में आने वाली बाधाओं को कम करने में कर रहे हैं।”

yono SBI

~111 मिलियन
डाउनलोड

48.35 मिलियन
पंजीकरण

₹21,118 करोड़
पूर्व-अनुमोदित वैयक्तिक ऋण (पीएपीएल) दिए गए, वित्तीय वर्ष 2022 में

16.62 मिलियन
लॉगिन एक दिन में

एसबीआई समूह संरचना

31 मार्च 2022 को

गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ/संयुक्त उद्यम

- 100% एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
  - एसबीआई कैप सिक्युरिटीज़ लिमिटेड
  - एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड
  - एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
  - एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड
- 100% एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- 100% एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
- 99.72% एसबीआई फाउंडेशन
- 92.52% एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
- 86.18% एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लिमिटेड
- 74% एसबीआई पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
- 72.17% एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
- 69.96% एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- 69.20% एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस लिमिटेड
- 65% एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज़ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
- 62.59% एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
  - एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनैशनल) प्राइवेट लिमिटेड
- 55.48% एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
- 50% ओमान इंडिया जॉइंट इनवेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- 50% ओमान इंडिया जॉइंट इनवेस्टमेंट फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
- 49% सी-एड्ज टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड
- 45% मैक्वेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लिमिटेड
  - मैक्वेरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड
- 45% एसबीआई मैक्वेरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
- 45% एसबीआई मैक्वेरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड
- 30% जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम/ सहयोगी

- 100% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
- 100% एसबीआई कनाडा बैंक
- 100% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड
- 100% बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड (07.09.2021 तक)
- 99.34% पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
- 96.60% एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड
- 60% कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को
- 55% नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड
  - नेपाल एसबीआई मर्चेंट बैंकिंग लिमिटेड
- 20% बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड

विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

- 99.99% एसबीआई सर्विकोस लिमिटाडा, ब्राजील

पिछले 10 वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
देयताएँ										
पूंजी (₹ करोड़ में)	684	747	747	776	797	892	892	892	892	892
आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष (₹ करोड़ में)	98,200	1,17,536	1,27,692	1,43,498	1,87,489	2,18,236	2,20,021	2,31,115	2,52,983	2,79,196
जमाराशियाँ (₹ करोड़ में)	12,02,740	13,94,409	15,76,793	17,30,722	20,44,751	27,06,344	29,11,386	32,41,621	36,81,277	40,51,534
उधार (₹ करोड़ में)	1,69,183	1,83,131	2,05,150	3,23,345	3,17,694	3,62,142	4,03,017	3,14,656	4,17,298	4,26,043
अन्य (₹ करोड़ में)	95,404	96,927	1,37,698	1,59,276	1,55,235	1,67,138	1,45,597	1,63,110	1,81,980	2,29,932
कुल (₹ करोड़ में)	**15,66,211**	**17,92,748**	**20,48,080**	**23,57,617**	**27,05,966**	**34,54,752**	**36,80,914**	**39,51,394**	**45,34,430**	**49,87,597**
आस्तियां										
निवेश (₹ करोड़ में)	3,50,878	3,98,800	4,81,759	5,75,652	7,65,990	10,60,987	9,67,022	10,46,954	13,51,705	14,81,445
अग्रिम (₹ करोड़ में)	10,45,617	12,09,829	13,00,026	14,63,700	15,71,078	19,34,880	21,85,877	23,25,290	24,49,498	27,33,967
अन्य आस्तियां (₹ करोड़ में)	1,69,716	1,84,119	2,66,295	3,18,265	3,68,898	4,58,885	5,28,015	5,79,150	7,33,227	7,72,185
कुल (₹ करोड़ में)	**15,66,211**	**17,92,748**	**20,48,080**	**23,57,617**	**27,05,966**	**34,54,752**	**36,80,914**	**39,51,394**	**45,34,430**	**49,87,597**
निवल ब्याज आय (₹ करोड़ में)	44,329	49,282	55,015	57,195	61,860	74,854	88,349	98,085	1,10,710	1,20,708
एनपीए के लिए प्रावधान (₹ करोड़)	11,368	14,224	17,908	26,984	32,247	70,680	54,529	42,776	27,244	14,087
परिचालन परिणाम (₹ करोड़ में)	31,082	32,109	39,537	43,258	50,848	59,511	55,436	68,133	71,554	75,292
कर-पूर्व निवल लाभ (₹ करोड़ में)	19,951	16,174	19,314	13,774	14,855	-15,528	1,607	25,063	27,541	43,422
निवल लाभ (₹ करोड़ में)	14,105	10,891	13,102	9,951	10,484	-6,547	862	14,488	20,410	31,676
औसत आस्तियों से आय (%)	0.97	0.65	0.68	0.46	0.41	-0.19	0.02	0.38	0.48	0.67
इक्विटी से आय (%)	15.94	10.49	11.17	7.74	7.25	-3.78	0.48	7.74	9.94	13.92
आय की तुलना में व्यय (%) (निवल आय की तुलना में परिचालन व्यय)	48.51	52.67	49.04	49.13	47.75	50.18	55.70	52.46	53.60	53.31
प्रति कर्मचारी लाभ (₹000)	645	485	602	470	511	-243	33	578.98	828.35	1,292.72
प्रति शेयर अर्जन (₹)*	210.06	156.76	17.55	12.98	13.43	-7.67	0.97	16.23	22.87	35.49
प्रति शेयर लाभांश (₹)*	41.5	30	3.5	2.60	2.60	Nil	Nil	Nil	4.00	7.10
एसबीआई शेयर (एनएसई में मूल्य) (₹)*	2,072.75	1,917.70	267.05	194.25	293.40	249.90	320.75	196.85	364.30	493.55
लाभांश भुगतान अनुपात % (₹)	20.12	20.56	20.21	20.28	20.11	NA	NA	NA	17.49	20.00
पूंजी पर्याप्तता अनुपात (%)										
बासेल-II कुल पूंजी (₹ करोड़ में) %	1,29,362	1,45,845	1,54,491	1,81,800	2,06,685	2,34,056	2,41,073	2,66,596	3,01,980	3,34,829
%	12.92	12.96	12.79	13.94	13.56	12.74	12.85	13.13	13.82	13.85
टियर । पूंजी (₹ करोड़ में)	94,947	1,12,333	1,22,025	1,35,757	1,56,506	1,84,146	1,94,655	2,17,477	2,44,421	2,69,708
%	9.49	9.98	10.1	10.41	10.27	10.02	10.38	10.71	11.19	11.16
टियर || पूंजी (₹ करोड़ में)	34,415	33,512	32,466	46,043	50,179	49,910	46,418	49,119	57,559	65,121
%	3.43	2.98	2.69	3.53	3.29	2.72	2.47	2.42	2.63	2.69
बासेल-III कुल पूंजी (₹ करोड़ में)	N.A	1,40,151	1,46,519	1,75,903	2,04,731	2,38,154	2,45,225	2,74,036	3,08,893	3,42,792
%		12.44	12	13.12	13.11	12.60	12.72	13.06	13.74	13.83
टियर । पूंजी (₹ करोड़ में)	N.A	1,09,547	1,17,157	1,33,035	1,61,644	1,95,820	2,05,238	2,30,769	2,57,177	2,83,070
%		9.72	9.6	9.92	10.35	10.36	10.65	11	11.44	11.42
टियर || पूंजी (₹ करोड़ में)	N.A	30,604	29,362	42,868	43,087	42,334	39,987	43,267	51,716	59,722
%		2.72	2.4	3.20	2.76	2.24	2.07	2.06	2.30	2.41
निवल अग्रिमों की तुलना में एनपीए (%)	2.1	2.57	2.12	3.81	3.71	5.73	3.01	2.23	1.50	1.02
देश में शाखाओं की संख्या	14,816	15,869	16,333	16,784	17,170	22,414	22,010	22,141	22,219	22,266
विदेश-स्थित शाखाओं/कार्यालयों की संख्या	186	190	191	198	195	206	208	233	229	227

* 22 नवंबर 2014 से बैंक के शेयर के अंकित मूल्य को 10 रूपए प्रति शेयर से 1 रूपए प्रति शेयर किया गया।
वर्ष 2014-15 से आंकड़े 1 रुपए प्रति शेयर और शेष पिछले वर्षों के लिए 10 रूपए प्रति शेयर के अनुसार हैं।

रेटिंग्स

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार

	रेटिंग	रेटिंग एजेंसी
बैंक रेटिंग	बीएए3/स्टेबल/पी-3 बीबीबी-/स्टेबल/ए-3 बीबीबी-/नेगेटिव/एफ़3	मूडीज़ एस एंड पी फिच रेटिंग
₹ मूल्यवर्गित लिखत		
नवोन्मेषी बेमीयादी बॉन्ड	एएए/स्टेबल	केयर
उच्च श्रेणी II अधीनस्थ बॉन्ड	एएए/स्टेबल एएए/स्टेबल	केयर क्रिसिल
निम्न श्रेणी II अधीनस्थ बॉन्ड	एएए/स्टेबल एएए/स्टेबल	क्रिसिल आईसीआरए
बासेल III टियर 2 ऋण	एएए/स्टेबल एएए/स्टेबल एएए/स्टेबल	केयर क्रिसिल इंडिया रेटिंग
बासेल III एटी 1 बेमीयादी ऋण	एए+/स्टेबल एए+/स्टेबल एए+/स्टेबल एए+/स्टेबल	केयर क्रिसिल आईसीआरए इंडिया रेटिंग

केयर : क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड
आईसीआरए : आईसीआरए लिमिटेड
क्रिसिल : क्रिसिल लिमिटेड
एसएंडपी : स्टैंडर्ड एंड पूअर

केंद्रीय निदेशक बोर्ड
31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार

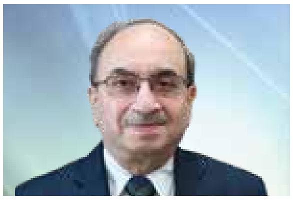

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक

श्री अश्वनी भाटिया
प्रबंध निदेशक

श्री स्वामीनाथन जे
प्रबंध निदेशक

श्री अश्विनी कुमार तिवारी
प्रबंध निदेशक

श्री बी वेणुगोपाल
शेयरधारक निदेशक

डॉ गणेश नटराजन
शेयरधारक निदेशक

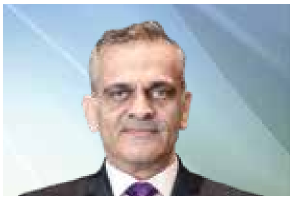

श्री केतन एस विकमसी
शेयरधारक निदेशक

श्री मृगांक एम परांजपे
शेयरधारक निदेशक

श्री संजीव माहेश्वरी
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़
भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री संजय मल्होत्रा
सचिव (वित्त सचिव), वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री अनिल कुमार शर्मा
कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

अध्यक्ष
श्री दिनेश कुमार खारा

प्रबंध निदेशक
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
श्री अश्वनी भाटिया
श्री स्वामीनाथन जे.
श्री अश्विनी कुमार तिवारी

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक
श्री बी. वेणुगोपाल
डॉ गणेश नटराजन
श्री केतन एस विकमसी
श्री मृगांक एम परांजपे

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (घ) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक
श्री संजीव माहेश्वरी
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ङ) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक
श्री संजय मल्होत्रा

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत निर्वाचित निदेशक
श्री अनिल कुमार शर्मा

बोर्ड की समितियां

(31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार)

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी)

श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष
समिति के अध्यक्ष
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी - प्रबंध निदेशक (आरएंडडीबी)- सदस्य
श्री अश्वनी भाटिया - प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग एवं विश्व बाजार)- सदस्य
श्री स्वामीनाथन जे - प्रबंध निदेशक (जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह) - सदस्य
श्री अश्विनी कुमार तिवारी - प्रबंध निदेशक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियां)- सदस्य

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक और **सभी अथवा अन्य कोई निदेशक** जो सामान्यतया भारत में हो रही बैठक-स्थल के निवासी अथवा बैठक के समय उस स्थान पर उपस्थित रहे।

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

श्री केतन एस विकमसी, स्वतंत्र निदेशक
समिति के अध्यक्ष
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
डॉ. गणेश नटराजन, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री मृगांक एम परांजपे, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री संजीव माहेश्वरी, गैर-कार्यपालक निदेशक- सदस्य

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी)

श्री मृगांक एम परांजपे, स्वतंत्र निदेशक
समिति के अध्यक्ष
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
डॉ. गणेश नटराजन, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री केतन एस विकमसी, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री संजीव माहेश्वरी, गैर-कार्यपालक निदेशक- सदस्य
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री अश्वनी भाटिया, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग एवं विश्व बाजार)- सदस्य (पदेन)
श्री स्वामीनाथन जे, प्रबंध निदेशक (जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह)-सदस्य (पदेन)

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति (आईटीएससी)

डॉ गणेश नटराजन, स्वतंत्र निदेशक
समिति के अध्यक्ष
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य,
श्री केतन एस विकमसी, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री मृगांक एम परांजपे, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री संजीव माहेश्वरी, गैर-कार्यपालक निदेशक-सदस्य
श्री स्वामीनाथन जे - प्रबंध निदेशक (जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह) -सदस्य (पदेन)
श्री अश्विनी कुमार तिवारी - प्रबंध निदेशक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियां)- सदस्य (पदेन)

बड़ी राशि की धोखाधड़ी की निगरानी करने के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ)

श्री संजीव माहेश्वरी, गैर-कार्यपालक निदेशक समिति के अध्यक्ष
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक - सदस्य,
श्री केतन एस विकमसी, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़, स्वतंत्र निदेशक- सदस्य
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी - प्रबंध निदेशक (आरएंडडीबी)- सदस्य (पदेन)
श्री स्वामीनाथन जे - प्रबंध निदेशक (जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह) -सदस्य (पदेन)

बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) सह ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक-समिति के अध्यक्ष
डॉ गणेश नटराजन, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री केतन एस विकमसी, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री संजीव माहेश्वरी, गैर-कार्यपालक निदेशक-सदस्य
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)-सदस्य (पदेन)
श्री स्वामीनाथन जे - प्रबंध निदेशक (जोखिम,अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह)-सदस्य (पदेन)

बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक-समिति के अध्यक्ष
डॉ गणेश नटराजन, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री केतन एस विकमसी, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री मृगांक एम परांजपे, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री संजीव माहेश्वरी, गैर-कार्यपालक निदेशक-सदस्य

बोर्ड की वसूली निगरानी समिति (बीसीएमआर)

श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष-समिति के अध्यक्ष
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री केतन एस विकमसी, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री मृगांक एम परांजपे, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री संजीव माहेश्वरी, गैर-कार्यपालक निदेशक-सदस्य
श्री संजय मल्होत्रा, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक-सदस्य
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)-सदस्य (पदेन)
श्री अश्वनी भाटिया, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग एवं विश्व बाजार)-सदस्य (पदेन)
श्री स्वामीनाथन जे - प्रबंध निदेशक (जोखिम,अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह)-सदस्य (पदेन)
श्री अश्विनी कुमार तिवारी - प्रबंध निदेशक (प्रबंध निदेशक-अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियाँ)-सदस्य

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी)

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)-समिति के अध्यक्ष (पदेन)
श्री अश्वनी भाटिया, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग एवं विश्व बाजार)-सदस्य (पदेन)
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
डॉ गणेश नटराजन, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री केतन एस विकमसी, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री मृगांक एम परांजपे, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

इरादतन चूककर्ता/असहयोगी ऋणियों के निर्धारण हेतु समीक्षा समिति

श्री स्वामीनाथन जे - प्रबंध निदेशक (जोखिम,अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह) -समिति के अध्यक्ष (पदेन)
श्री बी वेणुगोपाल, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री गणेश नटराजन, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री केतन एस विकमसी, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य
श्री संजीव माहेश्वरी, गैर-कार्यपालक निदेशक-सदस्य
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़, स्वतंत्र निदेशक-सदस्य

केंद्रीय प्रबंधन समिति के सदस्य

दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

श्री अश्वनी भाटिया
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग एवं विश्व बाजार)

श्री स्वामीनाथन जे
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, अनुपालन एवं तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह)

श्री अश्विनी कुमार तिवारी
प्रबंध निदेशक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियाँ)

श्री आलोक कुमार चौधरी
उप प्रबंध निदेशक (वित्त)

श्री नटराजन सुंदर
उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य ऋण अधिकारी

श्री शास्त्री एस वेंकटरमणा
उप प्रबंध निदेशक (विश्व बाजार)

श्री रविन्द्र पांडेय
उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य सूचना अधिकारी

श्री वी एस राधाकृष्णन
उप प्रबंध निदेशक (वाणिज्यिक ग्राहक समूह)

श्री एस सली
उप प्रबंध निदेशक (कृषि, एसएमई एवं वित्तीय समावेशन)

श्री राणा आशुतोष कुमार सिंह
उप प्रबंध निदेशक (कार्यनीति) एवं मुख्य डिजिटल अधिकारी

श्री प्रबोध पारिख
उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य परिचालन अधिकारी

श्री श्रीनिवास एस राव
उप प्रबंध निदेशक एवं मुख्य जोखिम अधिकारी

श्रीमती सलोनी नारायण
उप प्रबंध निदेशक
(फुटकर व्यवसाय)

श्री संजय डी नाइक
उप प्रबंध निदेशक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह)

श्री सुब्रत विश्वास
उप प्रबंध निदेशक
(तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह)

श्री आर विश्वनाथन
उप प्रबंध निदेशक एवं समूह अनुपालन अधिकारी

श्री ओम प्रकाश मिश्र
उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन)
एवं कॉरपोरेट विकास अधिकारी

श्री बी राघवेन्द्र राव
उप प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट लेखा समूह)

श्री नितिन चुघ
उप प्रबंध निदेशक एवं प्रमुख
(डिजिटल बैंकिंग एवं रूपांतरण)

स्थानीय बोर्डों के सदस्य

दिनांक 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 21(1)(क) के अंतर्गत अध्यक्ष द्वारा नामित स्थानीय बोर्डों के सदस्य, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग) से भिन्न-

अहमदाबाद
श्री शमशेर सिंह
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

अमरावती
श्री संजय सहाय
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

बेंगलुरु
श्री नंद किशोर
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

भोपाल
श्री बिनोद कुमार मिश्र
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

भुवनेश्वर
श्रीमती विद्या कृष्णन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

चंडीगढ़
श्री अनुकूल भटनागर
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

चेन्नई
श्री आर राधाकृष्णन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

गुवाहाटी
श्री आर एस रमेश
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

हैदराबाद
श्री अमित झिंगरन
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

जयपुर
श्री राजेश कुमार मिश्र
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

कोलकाता
श्रीमती रूमा डे
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

लखनऊ
श्री अजय कुमार खन्ना
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

महाराष्ट्र
श्री अजय कुमार सिंह
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

डॉ गणेश नटराजन
निदेशक*

मुंबई-मेट्रो
श्री प्रवीण राघवेंद्र
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

श्री बी वेणुगोपाल
निदेशक*

श्री केतन एस विकमसी
निदेशक*

श्री मृगांक एम परांजपे
निदेशक*

श्री संजीव माहेश्वरी
निदेशक*

श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़
निदेशक*

नई दिल्ली
श्री अमिताभ चटर्जी
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

पटना
श्री सुरेंदर राणा
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

तिरुवनंतपुरम
श्री श्रीकांत
मुख्य महाप्रबंधक (पदेन)

*भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 21(1)(ख) के अनुसार स्थानीय बोर्डों में नामित केंद्रीय बोर्ड के निदेशक।

बैंक के लेखापरीक्षक

मेसर्स ए एस ए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार

मेसर्स गुहा नंदी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

मेसर्स प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

मेसर्स उमामहेश्वर राव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

मेसर्स शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

मेसर्स खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

मेसर्स एस सी वी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

मेसर्स एम सी भंडारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

मेसर्स तलाती एंड तलाती एलएलपी
सनदी लेखाकार

मेसर्स वी सिंघी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

मेसर्स सूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

मेसर्स के सी मेहता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान आपके बैंक के प्रदर्शन की मुख्य बातें आपके सामने रखते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आपके बैंक द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों और पहलों का विवरण वित्त वर्ष 2022 की संलग्न वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

"आर्थिक कार्यकलापों में निरंतर सुधार के कारण, वित्त वर्ष 2022 में आपके बैंक के व्यवसाय में दो अंकीय वृद्धि दिख रही है।

– दिनेश कुमार खारा

आर्थिक परिदृश्य

वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रकोप से अर्थव्यवस्था में पर्याप्त गिरावट के बाद, 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था पुन: पटरी पर लौट आई है। तथापि, दूसरी तिमाही में वायरस के घातक वेरियंट के कारण गति कुछ धीमी हुई थी, लेकिन पूरे विश्व में गहन टीकाकरण अभियान के चलते उसका असर बहुत कम समय तक रहा। वित्त वर्ष 2022 की चौथी तिमाही के अंत तक, रूस-यूक्रेन के बीच लंबे युद्ध के कारण उपजे भू-राजनैतिक तनाव से वित्तीय अस्थिरता बढ़ गई। तेल एवं अन्य वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगीं, जिसके कारण विकसित एवं उभरती हुई/विकासशील अर्थव्यवस्थाओं दोनों में पहले से ही उच्च मुद्रास्फीति की दर और बदतर हो गई। रिकॉर्ड स्तर की मुद्रास्फीति के कारण यूएस फेड को अपनी मौद्रिक नीति सामान्यीकरण में तेज़ी लानी पड़ी। इसके परिणामस्वरूप, उभरते बाज़ारों से पूंजी निकाली जाने लगी एवं निवेशक सुरक्षित ठौर देखते हुए जोखिम लेने से कतराने लगे। इसलिए वर्ष 2022 में वैश्विक प्रगति 3.2% तक नरम रहने की उम्मीद है। यहाँ तक कि वर्ष 2022 के लिए वैश्विक व्यापार अनुमानों को 3.0% तक नीचे की ओर संशोधित किया गया है।

इस पदृिश्य में, सेवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान से भारतीय अर्थव्यवस्था के भी वित्त वर्ष 2022 में 8.7% की दर से बढ़ने का अनुमान है। बाहरी व्यापार की ओर देखें तो, वित्त वर्ष 2022 में हमारा व्यापार निर्यात निष्पादन बेहतर रहते हुए 14.53% की दर से बढ़ते हुए 400 बिलियन डॉलर मार्क को पार कर गया। तथापि, वर्ष के दौरान 55% की दर से मज़बूत आयात वृद्धि रही।

इस दौरान, हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक ने वृद्धि का समर्थन करते हुए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट में 40 बीपीएस की वृद्धि की है। तथापि, लंबे भू-राजनैतिक तनावों के चलते वैश्विक तेल एवं वस्तुओं की कीमतों में उछाल तथा चीन में लंबे लॉकडाउन के चलते आपूर्ति श्रृंखला समस्याओं के कारण मुद्रास्फीति दबाव ऊपर की ओर ही रहेगा। जबकि वित्त वर्ष 2023 में भारत की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान है, लेकिन भू-राजनैतिक तनावों एवं कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण चालू खाता घाटा जीडीपी की 2.5% की दर को भी पार कर सकता है।

आपके बैंक का प्रदर्शन

आर्थिक कार्यकलापों में निरंतर सुधार के कारण, वित्त वर्ष 2022 में आपके बैंक के व्यवसाय में निरंतर दो अंकीय वृद्धि दिख रही है।

जमाराशियाँ

वित्त वर्ष 2022 के दौरान, आपके बैंक ने कुल जमाराशियों में 10.06% की वृद्धि के साथ 40 लाख करोड़ का लक्ष्य पार कर लिया हैं। जिसमें घरेलू जमाराशियॉ 9.80% की वृद्धि के साथ 39.20 लाख करोड़ हुई हैं। कासा जमाराशियों में 17.75 लाख करोड़ रुपए के साथ 7.78% की वृद्धि हुई है तथा इसमें मुख्य रूप से बचत बैंक जमाराशियों में 10.45% की सतत वृद्धि का योगदान रहा है। कम ब्याज दर के परिदृश्य के बीच, वित्त वर्ष 2022 में आपके बैंक का कासा अनुपात 45.28% रहा। वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने 98.75 लाख नए बचत बैंक खाते खोले, जिसमें से 63% योनो पार्टल/एप द्वारा खोले गए।

ऋण

वित्त वर्ष 2022 के दौरान, आपके बैंक का अग्रिम पोर्टफोलियो 11% की वृद्धि के साथ 28.18 लाख करोड़ रहा, जिसमें पिछले वित्त वर्ष 2021 की तुलना में 4.8% की बढ़ोतरी हुई। जबकि घरेलू अग्रिम में 10.27% की वृद्धि रही वहीं विदेश स्थित कार्यालयों के अग्रिमों में 15.42% की वृद्धि दर्ज की गई। घरेलू ऋण वृद्धि में 15.11% की जबरदस्त खुदरा वैयक्तिक ऋण वृद्धि रही जो कि कुल घरेलू अग्रिम का 41.6% है। वर्ष के दौरान कृषि एवं एसएमई ऋण में भी 6.57% एवं 9.52% की बढ़ोतरी हुई जो कि क्रमश: 2.28 लाख करोड़ रुपए एवं 3.06 लाख करोड़ रुपए रही।

रिटेल वैयक्तिक ऋण पोर्टफोलियो 10 लाख करोड़ रुपए के मार्क को भी पार कर गया है जिसमें आवास ऋण एवं प्रतिभूति-रहित वैयक्तिक ऋण का मुख्य योगदान रहा। वित्त वर्ष 2022 में इसमें क्रमश: 11.49% एवं 28.50% की बढ़ोतरी हुई।

निवेश

वित्त वर्ष 2022 में आपके बैंक का निवेश पोर्टफोलियो 9.6% की वृद्धि के साथ 14.93 लाख करोड़ रुपए रहा, जिसमें से 96% घरेलू निवेश है। घरेलू निवेश पोर्टफोलियो के अंतर्गत, 60.77% एचटीएम श्रेणी में है जबकि बाकी एएफएस श्रेणी में है। निवेश से हुई आय ब्याज दर परिदृश्य के अनुरूप है जो कि वित्त वर्ष 2021 की तुलना में 6.32% से घटकर 6.07% पर आ गई है।

लाभप्रदता

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था कोविड-19 के प्रभावों से उबर चुकी थी तथा आपके बैंक ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। वित्त वर्ष 2022 में आपके बैंक को पिछले वर्ष की तुलना में 55% की वृद्धि के साथ 31,676 करोड़ रुपए का एकल (स्टैंडअलोन) शुद्ध लाभ हुआ। आपके बैंक ने आस्ति गुणवत्ता, प्रावधान कवरेज एवं एनआईएम क्षेत्र में बेहतरीन सुधार किया है।

पिछले वर्ष की तुलना में बैंक की शुद्ध ब्याज आय में 9.03% की अच्छी वृद्धि दर्ज की गई जो कि 1,20,708 करोड़ रुपए रही। ऋण बही में वृद्धि एवं स्लिपेज पर नियंत्रण के कारण उच्च ब्याज आय हुई। वित्त वर्ष 2021-22 में ऋण लागत भी 57 बीपीएस की कमी के साथ

0.55% रही। वित्त वर्ष 2021-22 में बैंक का परिचालन लाभ 75,292 करोड़ रुपए रहा जिसमें कि पिछले वर्ष की तुलना में 5.22% का सुधार हुआ है। आय व्यय अनुपात में भी थोड़ी कमी आई है जो पिछले वर्ष 2020-21 के 53.60% की तुलना में वित्त वर्ष 2021-22 में 53.31% रही।

आस्तियों पर प्रतिलाभ भी वित्त वर्ष 2020-21 के 0.48% की तुलना में 19 आधार अंकों की वृद्धि के साथ वित्त वर्ष 2021-22 में 0.67% रहा। आस्तियों पर प्रतिलाभ में भी सकारात्मक सुधार हुआ जो कि पिछले वर्ष 2020-21 के 9.94% से 398 बीपीएस बढ़कर वित्त वर्ष 2021-22 में 13.92% रहा।

> आपके बैंक के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 7.10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर (अर्थात 710%) का लाभांश घोषित किया है।

आस्ति गुणवत्ता

दबावग्रस्त आस्तियों पर फोकस रखते हुए उनके प्रबंधन का कार्य वित्त वर्ष 2022 में भी जारी रहा तथा प्रत्येक सेग्मेंट में सर्वांगीण सुधार हुआ।

आपका बैंक, वित्त वर्ष 2022 में दबावग्रस्त आस्तियों के प्रबंधन की रणनीति को वातावरण से समायोजित करते हुए स्लिपेज अनुपात को 1% के अंदर ही सीमित रखने में सफल रहा।

वित्तवर्ष 2022 के दौरान, आपके बैंक का सकल एनपीए भी 14,366 करोड़ रुपए घटकर 1,12,023 करोड़ रुपए रह गया। वर्ष के दौरान वसूली एवं उन्नयन में भी 21.58% की बढ़ोतरी हुई जो 21,437 करोड़ रुपए रहा। परिणामस्वरूप, बैंक के सकल एनपीए अनुपात में मार्च 2021 के 4.98% की तुलना में 101 बीपीएस का सुधार हुआ। मार्च 2022 में बैंक के शुद्ध एनपीए में 1.02% का सुधार हुआ।

बैंक के प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) में भी पिछले वर्ष के 70.88% की तुलना में मार्च 2022 में 75.04% का सुधार हुआ। मार्च 2022 में एयूसीए सहित पीसीआर 90.20% रहा।

पूँजी

बेहतरीन नियोजन, आंतरिक उपचय एवं बैंकिंग बही के प्रभावी जोखिम प्रबंधन के कारण पिछले वित्त वर्ष में बैंक के पूंजी अनुपात में भी सुधार हुआ। मार्च 2022 के अंत तक पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) मार्च 2021 की तुलना में 9 बीपीएस के सुधार के साथ 13.83% रहा।

टियर II केपिटल बेस में भी पिछले वर्ष के 2.30% की तुलना में मार्च 2022 में 2.41% का सुधार हुआ।

लाभांश

मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके बैंक के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 7.10 रुपए प्रति इक्विटी शेयर (अर्थात 710%) का लाभांश घोषित किया है।

ग्राहक सुविधा

हमारा मानना है कि ग्राहकों की बढ़ती उम्मीदें और ग्राहकों की बदलती भावनाओं हेतु एक त्वरित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो उनकी उम्मीदों के अनुकूल हो। आज, आपका बैंक नए तरीकों से डिजिटल परिवर्तन और ग्राहक जुड़ाव का लाभ उठाकर फिनटेक चार्ज में अग्रणी बनने पर केंद्रित है। बदलते भारत के साथ गति बनाए रखने के लिए, आपके बैंक ने शाखाओं और अन्य आउटलेट्स पर सबसे अधिक टचप्वाइंट बनाए हैं।

मार्च 2022 तक आपके बैंक की 22,266 शाखाएं हैं, 68,000 कारोबार प्रतिनिधि एवं 12,872 स्वचालित जमा एवं आहरण मशीनें (एडीडब्लूएम) सहित 65,000 एटीएम रहे। इन एटीएम/एडीडब्लूएम के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 1.32 करोड़ लेनदेन किए जाते हैं।

ग्राहक सुविधा एवं ग्राहक आनंद को बढ़ाने के लिए, वित्त वर्ष 2022 में निम्नलिखित नई सुविधाएं आरंभ की गई : (क) नए चेकबुक हेतु अनुरोध एवं चेक रोकने संबंधी अनुरोध की सुविधा सीएसपी आउटलेट पर सक्रिय कर दी गई है। (ख) डेबिट कार्ड ब्लॉक करने की सुविधा को सीएसपी आउटलेट पर उपलब्ध करा दिया गया है।

30 देशों में 227 स्थानों पर सभी समय क्षेत्रों के माध्यम से अपनी उपस्थिति के साथ आपका बैंक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सभी भारतीय बैंकों में अग्रणी है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान, आपका बैंक अपने ओवरसीज़ सहयोगी - एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड को बंद करके एवं एसबीआई यूके लिमिटेड की इलफोर्ड शाखा का ईस्ट हैम शाखा में विलय करने के साथ अपने ओवरसीज़ परिचालन को तर्कसंगत बनाने की ओर अग्रसर है।

प्रौद्योगिकी एवं नवाचार

बैंकिंग का भविष्य अब प्रौद्योगिकी आधारित रहेगा। कोविड-19 महामारी के बाद प्रौद्योगिकी अपनाने की दौड़ में आपके बैंक ने प्रयोक्ता अनुभव बढ़ाने एवं संभावित जोखिमों से बचाने में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई प्रकार की पहल की है।

आपका बैंक ऑफसाइट एटीएम में 4जी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के साथ एटीएम कनेक्टिविटी को अपग्रेड करने की दिशा में अग्रसर है। आपका बैंक निरंतर नेटवर्क अनुभव में सुधार एवं आउटेज में कमी लाने पर काम कर रहा है। शाखाओं एवं कार्यालयों में डाउनटाइम में कमी लाने एवं दूर करने के लिए वैकल्पिक सेकेंडरी लिंक की व्यवस्था की गई है।

आपके बैंक ने आरबीआई साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क का पालन करने हेतु हनीपॉट सॉल्यूशन की व्यवस्था करते हुए साइबर सुरक्षा चुनौतियों से संबंधित पूर्व चेतावनी एवं इनसाइट मेकेनिज़्म बनाया है।

उत्पादों की बात करें तो, आपके बैंक ने पिछले कुछ वर्षों में उत्पादों एवं सेवाओं तथा उन्नत प्रौद्योगिकी का एक मजबूत पोर्टफोलियो विकसित किया है जिससे उसे ग्राहक केंद्रित तरीके एवं व्यक्तिगत तरीके से प्रबंधित किया जा सके। आपका बैंक डाटा एनालिटिक्स का लाभ उठाते हुए ग्राहक का एक 360 डिग्री प्रोफाइल बना रहा है जिससे उसे आवश्यकता आधारित उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान की जा सकें। साथ ही आपका बैंक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विभिन्न टचप्वाइंट पर ग्राहकों की समस्याओं को दूर करने हेतु भी प्रयासरत है।

आपके बैंक का फ्लैगशिप डिजिटल प्लेटफॉर्म, योनो - लाखों रिटेल ग्राहकों, किसानों, कॉरपोरेट क्लाइंट्स एवं चुनिंदा ओवरसीज़ कार्यालयों के ग्राहकों को अग्रणी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। ग्राहकों के बीच अपनी पैठ बनाने एवं प्रौद्योगिकी अपनाने हेतु बढ़ावा देने के लिए अब योनो लाइट एप्प 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है जबकि योनो कृषि एप्प 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

प्रौद्योगिकी क्षमता का लाभ उठाते हुए आपके बैंक ने डिजिटल माइक्रोपेमेंट हेतु विभिन्न मेट्रो रेलवे ट्रांज़िट परियोजनाओं में सहभाग किया हुआ है। आपके बैंक को रुपे प्लेटफॉर्म पर एसपीएआरसी प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन हेतु नागपुर मेट्रो, नोएडा मेट्रो एवं एमएमआरडीए लाइंस 2ए एवं 7 मेट्रो प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं।

ग्राहक आनंद उपलब्ध कराने हेतु ऋण प्रक्रिया में रिटेल लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशन (आरएलएमएस) एवं वेंडर वेरिफिकेशन मॉड्यूल (वीवीएम) आरंभ किया गया जिससे एकसमान हामीदारी मानक, बेहतरीन डिलीवरी एवं संपूर्ण डिजिटलीकरण सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ ही पूरी आवास ऋण प्रणाली का डिजिटलीकरण अंतिम चरण में है। आंतरिक रूप से विकसित संपर्क रहित डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे योनो एवं ओसीएएस/आरएएएस को रिसोर्स टूल के रूप में प्रोत्साहित किया जा रहा है जिससे आवास ऋण व्यवसाय को बढ़ाया जा सके एवं बाज़ार शेयर में वृद्धि की जा सके।

आपके बैंक ने व्यापार विनियामक रिपोर्टिंग एवं अनुपालन समाधान (टीआरआरएसीएस) एप्लिकेशन का उपयोग आरंभ किया है जिससे पिछले कुछ समय से लंबित ईडीपीएमएस/आईआरएम/निर्यात अग्रिम प्रविष्टियों में कमी आई है।

निर्बाध सीमापार लेनदेन हेतु आपके बैंक ने सिंगापुर की रियल-टाइम भुगतान प्रणाली जी3-फास्ट के साथ समन्वय किया है। इससे भुगतान प्रक्रिया रियल-टाइम आधार पर पूरी होगी जिससे नवीन एवं वाणिज्यिक रूप से आकर्षक उत्पादों को प्रदान किया जा सकेगा एवं अदायगी (सेटलमेंट) जोखिम कम होगा।

आपका बैंक अपने ओवरसीज़ परिचालन हेतु ई-बैंकिंग वेब प्लेटफॉर्म में पूरा परिवर्तन करने जा रहा है। पैसे की बचत के साथ ही बढ़ी हुई दक्षता के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, दो और भौगोलिक क्षेत्रों, यानी कनाडा और सिंगापुर (यूके और बहरीन के अलावा) से नौकरियों के स्थानांतरण के कारण बैक-ऑफिस प्रक्रियाओं के केंद्रीकरण और ऑफ-शेयरिंग में गति आई है।

कई कार्य विशिष्ट प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के बंद होने के साथ ही परिचालन में प्रौद्योगिकी का उपयोग भी समाप्त हो गया है। दबावग्रस्त खातों में कानूनी मामलों की बेहतर निगरानी के लिए एसएआरजी वर्टिकल में विभिन्न नई आईटी पहल शुरू की गई हैं। यह वसूली प्रक्रिया की पारदर्शिता और दक्षता को और मजबूत करेगा।

कार्यनीतिक/नई पहल

वित्त वर्ष 2022 के दौरान, आपके बैंक द्वारा निर्धारित दीर्घावधि उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कुछ कार्यनीतिक पहल भी की गई। कुछ महत्वपूर्ण पहल निम्नानुसार हैं:

- आपके बैंक ने 35 वर्ष या उससे कम आयु वर्ग के सभी कर्मचारियों के लिए एक जुड़ाव कार्यक्रम 'सामर्थ्य' आरंभ किया है। उक्त कार्यक्रम का आयोजन एक विशिष्ट 'स्मार्ट क्लासरूम' के माध्यम से किया गया। अधिकारी एवं लिपिकीय स्टाफ दोनों ने कार्यक्रम में सहभागिता की तथा इससे संभावनाओं एवं विचारों का आपसी आदान-प्रदान हुआ। इस कार्यक्रम के तहत 67000 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना है तथा वित्त वर्ष 2022 में लगभग 72% स्टाफ को शामिल किया जा चुका है।

- हमारे सहयोगी एसबीआई पीएसपीएल (एसबीआई पेमेंट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड) के पीओएस ग्राहकों के लिए दो संपूर्ण डिजिटल ऋण प्रक्रिया आरंभ की गई हैं अर्थात पूर्व-अनुमोदित दो-पहिया ऋण (एसबीआई ईज़ी राइड) एवं पूर्व-अनुमोदित व्यवसाय ऋण (पीएबीएल)। वित्त वर्ष 2022 में एनालिटिक्स-आधारित उत्पादों के माध्यम से लगभग 21,898 करोड़ रुपए के ऋण डिजिटली प्रदान किए गए।
- हमारे फ्रंटलाइन स्टाफ के ज्ञान स्तर को बढ़ाने एवं ग्राहक अनुभव में वृद्धि हेतु, आपके बैंक ने एक बृहद ज्ञान वृद्धि कार्यक्रम 'प्रोजेक्ट उत्कर्ष' आरंभ किया है, साथ ही बैंक द्वारा ग्राहक सेवा की गुणवत्ता के आधार पर शाखाओं के वर्गीकरण हेतु 'ग्राहक सेवा सूचकांक' का भी शुभारंभ किया है।
- अधिकतर ग्राहक वर्ग (वैयक्तिक एवं गैर-व्यक्तिगत) में तत्काल एवं प्रभावी तरीके से नए खाते खालने हेतु, वर्ष 2021-22 में इमेज-आधारित प्रोसेसिंग शुरू

की गई है। ग्राहकों की सुविधा के लिए 22.04.2021 को वीडियो केवाईसी के माध्यम से खाता खोलने की सुविधा आरंभ की गई है। मार्च 2022 तक इस सुविधा के माध्यम से लगभग 6.40 लाख खाते खोले जा चुके थे।

- ग्राहकों को अपनी पसंद की भाषा में एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने हेतु रजिस्टर करने के लिए 13 भाषाओं में एसएमएस अलर्ट सुविधा आरंभ की गई है। एसएमएस मिलने में देरी को कम करने के लिए सीबीएस से डिलिवरी प्लेटफॉर्म में एसएमएस प्रवाह की मल्टी-स्ट्रीमिंग, एसएमएस की अधिक मात्रा को संभालने हेतु इंफ्रा अपग्रेडेशन एवं एसएमएस की उच्च मात्रा को संभालने हेतु सीबीएस में एसएमएस जनरेशन एवं ट्रांसमिशन प्रक्रिया में सुधार जैसी कई पहल की गई है।
- पेंशनरों को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की सहूलियत हेतु नवंबर 2021 में वीडियो जीवन प्रमाण-पत्र सुविधा आरंभ की गई।
- चूककर्ता खाताधारकों के फॉलो-अप कॉल को रिकॉर्ड करने हेतु अप्रैल 2021 में ऋण वसूली हेतु एक नया एप्लिकेशन आरंभ किया गया। वर्तमान वर्ष में, इस एप्लिकेशन का उपयोग करते हुए 2.55 करोड़ कॉल किए गए।
- संगठन में नव-नियुक्त महिला कर्मचारियों का कार्यारंभ सहज बनाने हेतु एक परामर्श कार्यक्रम भी इस वर्ष आयोजित किया गया।

आपका बैंक सीसीआईएल (भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड) द्वारा बनाए गए एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को सक्रियता से ऑनबोर्ड कर रहा है, इससे ग्राहक को पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धात्मक दर का लाभ हो रहा है। आपके बैंक ने ग्राहकों को एफएक्स-ऑल एवं ई-फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सुविधा उपलब्ध कराई है।

अनुषंगियां

अपनी अनुषंगियों के मध्यम से भारतीय स्टेट बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार के वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करता है।

एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ने अकेले ही वित्त वर्ष 2022 में 339.70 करोड़ रुपए का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2021 में यह 273.25 करोड़ रुपए था। समेकित आधार पर पिछले वर्ष के 527 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 620 करोड़ रुपए का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया। एसबीआई समूह की ब्रोकिंग कंपनी एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड को वित्त वर्ष 2022 के दौरान 233.01 करोड़ रुपए का निवल लाभ हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2021 में यह 207.12 करोड़ रुपए था।

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने देश भर में 137 शाखाओं के माध्यम से विस्तार किया है। आज की तारीख में कंपनी लगभग 8.7 करोड़ ग्राहकों को सेवाएं प्रदान कर रही है। वित्त वर्ष 2022 में कंपनी की वृद्धि दर 11% तथा बाज़ार शेयर 4.15% रहा। निजी बीमाकर्ताओं में कंपनी 7वें स्थान तथा पूरे उद्योग में 12वें स्थान पर रही। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 में 131 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने व्यक्तिगत न्यू बिज़नेस प्रीमियम, व्यक्तिगत रेटेड प्रीमियम, टोटल रेटेड प्रीमियम एवं टोटल न्यू बिज़नेस प्रीमियम वर्गों में निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच अपना अग्रणी स्थान बरकरार रखा है। कंपनी ने टोटल न्यू बिज़नेस प्रीमियम (एनबीपी) क्षेत्र में 23.4% की वृद्धि दर्ज की जबकि इस दौरान बीमा उद्योग की वृद्धि दर 12.9% रही । कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 में 1506 करोड़ रुपए का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 2021 में यह 1456 करोड़ रुपए था।

एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2022 में 1616 करोड़ रुपए का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया जो कि वित्त वर्ष 2021 की तुलना में 64% अधिक है।

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड देश में तेज़ी से बढ़ती हुई एएमसी है तथा वित्त वर्ष 2022 में इसमें 28.3% की वृद्धि हुई जबकि इस दौरान औद्योगिक औसत 19.5% रहा। इसके पास एक विशाल ग्राहक आधार है जिसमें 107 लाख सक्रिय निवेशक फोलियो है जिसमें वित्त वर्ष 2022 में जुड़े 31.50 लाख नए फोलियो शामिल हैं। कंपनी ने वित्त वर्ष 2022 में 1070 करोड़ रुपए का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया, जबकि पिछले वर्ष यह 860.40 करोड़ रुपए था।

एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड, घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय ट्रेड हेतु फैक्टरिंग सेवाएं उपलब्ध कराने वाली कंपनी है तथा इसने वित्त वर्ष 2022 में 4773 करोड़ रुपए का रजिस्टर्ड टर्नओवर दर्ज किया जबकि पिछले वित्त वर्ष 2021 में यह 4352 करोड़ रुपए था।

एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड, निजी क्षेत्र के अंतर्गत पेंशन फंड प्रबंधन हेतु नियुक्त 07 पेंशन फंड मैनेजर्स (पीएफएम) में से एक है। कंपनी का कुल असेट अंडर मैनेजमेंट (एयूएम) कारोबार 31 मार्च 2022 को 2,82,476 करोड़ रुपए (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 26.89%) रहा। सभी पेंशन फंड मैनेजर्स में 38.35% के मार्केट शेयर के साथ कंपनी अग्रणी स्थान पर है।

सम्मान एवं पुरस्कार

आपके बैंक द्वारा बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों के लिए वर्ष के दौरान बैंक को कई पुरस्कार मिले। एशियन बैंकर पत्रिका, सिंगापुर द्वारा आपके बैंक को ट्रांजेक्शन फाइनेंस अवार्ड 2021 के अंतर्गत “भारत में सर्वश्रेष्ठ नकदी प्रबंधन एवं लेनदेनकर्ता बैंक” के रूप में सम्मानित किया गया। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा आपके बैंक को लगातार दसवीं बार “दि बेस्ट ट्रेड फाइनेंस प्रोवाइडर (इंडिया)-2022” पुरस्कार प्रदान किया गया। आपके बैंक ने ‘सतत ज्ञानार्जन एवं कौशल विकास में उत्कृष्टता’ श्रेणी में प्रतिष्ठित ईटी ह्यूमन कैपिटल अवार्ड का स्वर्ण पदक जीता है।

बैंक के इतिहास में पहली बार आपके बैंक को उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार का ‘कीर्ति पुरस्कार’ प्रदान किया गया।

पर्यावरण, सामाजिक एवं अभिशासन (इएसजी) आचरण

आपके बैंक में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) का उद्देश्य ''उन कार्यकलापों में सहभागिता करना है जो समाज के विकास, सामाजिक जिम्मेदारी एवं पर्यावरणीय संवहनीयता हेतु लाभप्रद हैं एवं साथ ही समाज के वंचित एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों तक पहुंच बनाना है''। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सीएसआर कार्यों पर लगभग 204.10 करोड़ रुपए व्यय किए गए (जो कि वित्त वर्ष 2020-21 के शुद्ध लाभ 20,410 करोड़ रुपए का 1% है) तथा 102.56 करोड़ रुपए एसबीआई फाउंडेशन को आबंटित किए गए। वित्त वर्ष 2021-22 के बैंक सीएसआर कार्यकलापों का प्रमुख फोकस ग्रामीण एवं बस्तियों का विकास, स्वास्थ्य देखभाल एवं स्वच्छता, शिक्षा, पर्यावरण संवहनीयता, जनजातीय कल्याण, महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों का सशक्तीकरण एवं खेल एवं खिलाड़ियों की सहायता करना आदि पर रहा।

आपके बैंक ने सीएसआर व्यय का 35% अर्थात 71 करोड़ रुपए कोविड-19 का मुकाबला करने पर व्यय किए।

आपका बैंक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा ''व्यवसाय दायित्व एवं संवहनीयता रिपोर्ट (बीआरएसआर)'' फ्रेमवर्क के अनुरूप इस संबंध में जारी किए गए निदेशों को अपनाने हेतु प्रतिबद्ध है।

अक्षय ऊर्जा (आरई) को प्रोत्साहित करने की वैश्विक आवश्यकता एवं देश के ध्येय (विज़न) के अनुरूप आपका बैंक बृहद स्तर पर आरई वित्तपोषण अंडरराइटिंग कर रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में 650 मिलियन यूएस डॉलर कीमत के एसबीआई ग्रीन बॉण्ड्स की भारतीय अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज एवं लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुई। आपके बैंक ने पर्यावरणीय संवहनीयता प्रयासों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप विभिन्न समुदायों, एनजीओ के साथ जुड़ने की अपनी गहन प्रतिबद्धता दर्शाई है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आपके बैंक ने देशभर में छह लाख से अधिक पौधे लगाए।

भावी योजना

वित्त वर्ष 2021 की तुलना में वित्त वर्ष 2022 काफी बेहतर रहा। आर्थिक कार्यकलापों ने रफ़्तार पकड़ी एवं यही गति जारी रहने की संभावना है।

यद्यपि, वित्त वर्ष 2022 भी हैरतअंगेज़ घटनाओं से अछूता नहीं रहा। वित्त वर्ष 2022 के अंत तक यूक्रेन एवं रूस के बीच आरंभ हुए युद्ध ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को बहुत प्रभावित किया है।

पिछले कुछ वर्षों के बैंक के वित्तीय निष्पादन पर विहंगम दृष्टि डालें तो इसमें सभी मानदंडों में बेहतरीन सुधार साफ दिखाई देगा। इसलिए, परिचालन परिवेश में कई चुनौतियों के बावजूद, आपके बैंक में हानि सहने की अच्छी क्षमता है। बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों ने स्लिपेज रोकने में अच्छे परिणाम दिए हैं।

> "मुझे पूर्ण विश्वास है कि वित्त वर्ष 2022 में हमने जो निष्पादन हासिल किया है, वित्त वर्ष 2023 में उसमें और सुधार होगा।

अत:, इस समय, विशेषकर भारत में बैंकिंग की उभरती प्रवृत्तियों को देखते हुए बैंक में आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन करने का सही अवसर है। आपका बैंक फ्रंट एवं बैक ऑफिस दोनों में डिजिटल एजेंडा को आगे बढ़ाना जारी रखेगा। एसबीआई योनो के दायरा एवं पहुंच को और बेहतर प्रयोक्ता अनुभव के साथ विस्तार दिया जाएगा। आपका बैंक, व्यवसाय परिचालन में, आंतरिक डाटा के गहन विश्लेषण एवं बेहतरीन उपयोग हेतु उन्नत एनालिटिक्स का फायदा उठाएगा। बैंक के दायरे और पहुंच को बढ़ाने हेतु फिनटेक एवं एनबीएफसी के साथ पारस्परिक लाभदायी भागीदारी पर और काम किया जाएगा।

वर्तमान वर्ष में आपका बैंक पूंजी संवृद्धि के मामले में अच्छी स्थिति में है। पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए पीएलआई योजना अक्षय ऊर्जा के साथ-साथ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे आशाजनक क्षेत्रों में ऋण देने के अवसरों का पता लगाया जाएगा।

अंत में, विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद, आपके बैंक ने परिचालन क्षेत्र में आई चुनौतियों का अच्छे से सामना किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वित्त वर्ष 2022 में हमने जो निष्पादन हासिल किया है, वित्त वर्ष 2023 में उसमें और सुधार होगा।

आपका शुभचिंतक,

दिनेश खारा

निदेशकों की रिपोर्ट

I. आर्थिक पृष्ठभूमि और बैंकिंग परिवेश

1. वैश्विक आर्थिक परिदृश्य

ओमिक्रॉन वेरिएंट के विस्फोट के कारण कई देशों को लॉकडाउन, यात्रा प्रतिबंधों और अन्य रोकथाम संबंधी उपायों को फिर से लागू करने के लिए विवश होना पड़ा। जिससे आर्थिक गतिविधियाँ तथा आपूर्ति श्रृंखलाएँ बाधित हुईं और उससे 2021 की चौथी तिमाही में वैश्विक अर्थव्यवस्था को क्षति हुई। भू-राजनीतिक घटनाओं से घरेलू आर्थिक परिदृश्य भी प्रभावित हुआ। आरबीआई ने वित्त वर्ष 23 के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया है। स्थिर घरेलू मांग, कैपेक्स पर सरकार का जोर, सामान्य मानसून और मजबूत कॉरपोरेट बैलेंस शीट से अर्थव्यवस्था को तेजी मिलने की संभावना है वहीं बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव सकल घरेलू उत्पाद के विकास के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

वित्त वर्ष 2022 के अंत में, रूस-यूक्रेन संघर्ष ने वित्तीय अस्थिरता को बढ़ा दिया है। कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतें कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। अव्यवस्थित वित्तीय बाजार में, सुरक्षित निवेश स्थलों की मांग में वृद्धि हुई, जिससे सोने की कीमतों में वृद्धि हुई, जबकि केंद्रीय बैंकों द्वारा आरक्षित निधि के विविधीकरण ने अन्य आस्तियों और मुद्राओं को भी स्थिरता प्रदान की। इस बीच, उभरते बाजारों में पूंजी का बाह्य प्रवाह जारी है, क्योंकि यूएस फेड ने आस्ति की खरीद की दर को धीमा (टैपरिंग) कर दिया है। हाल ही में फेड फंड दर को दो बार बढ़ाया गया है, और आक्रामक दर में वृद्धि के संकेत दिए गए हैं। इस पृष्ठभूमि में, वैश्विक विकास दर 2022 में 3.2% तक कम होने की संभावना है।

इस बीच, अगले कुछ समय तक मुद्रास्फीति बढ़ने की संभावना है और वर्ष के दूसरे भाग में मुद्रास्फीति के नरम होने की संभावना है। चीन में हाल ही में लगे लॉकडाउन से कम वसूली और वायरस के निर्बाध प्रसार को रोकने के लिए उचित उपायों के पालन करने की आवश्यकता के संकेत मिलते हैं।

रूस-यूक्रेन संघर्ष और चीन में महामारी के कठोरतापूर्वक दमन की नीति से लगे लॉकडाउन वैश्विक व्यापार में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसने डब्ल्यूटीओ को 4.7% के अपने पिछले पूर्वानुमान से 2022 में वैश्विक माल व्यापार वृद्धि के पूर्वानुमान को 3% तक कम करने के लिए बाध्य किया है।

यूक्रेन में लंबे समय तक खिंचते युद्ध के साथ ही अनियंत्रित मुद्रास्फीति की संभावना और आपूर्ति व्यवधानों के कारण वैश्विक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का जोखिम है। जोखिम और अनिश्चितता के वातावरण में, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए, अपने डिजिटल और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे को निरंतर मजबूत करना आवश्यक है। सभी देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और आर्थिक गतिविधियों को व्यापक बनाने वाले समावेशी विकास और सुधारों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

2. भारत का आर्थिक परिदृश्य

दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद विकास में हुए सुधार की गति वित्त वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में ओमीक्रॉन वेरियंट के आने के कारण कुछ मंद पड़ गई, हालांकि सौभाग्य से यह अल्पकालिक था। हालांकि, एनएसओ के अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में सकल घरेलू उत्पाद में 8.9% की वृद्धि होने की उम्मीद है।

बेहतर मानसून, जलाशयों में पानी के पर्याप्त स्तर और उचित मृदा नमी की सहायता से कृषि और संबद्ध गतिविधियों के सकल मूल्य वर्धन में वित्त वर्ष 2022 में 3.3% की वृद्धि हुई, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में रबी के क्षेत्रफल में 1.5% की वृद्धि हुई। खाद्यान्न उत्पादन ने वित्त वर्ष 2022 में एक नया रिकॉर्ड बनाया, खरीफ और रबी दोनों में उत्पादन वर्ष के अंतिम अनुमानों से अधिक रहे।

वित्त वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में औद्योगिक गतिविधियों में कुछ मंदी आई। यह विनिर्माण आपूर्ति-पक्ष की कमी और निविष्टि लागत के दबाव से प्रभावित हुआ था। खनन गतिविधियों को कोयला और प्राकृतिक गैस का सहारा प्राप्त था, जिससे कच्चे तेल के उत्पादन में आई कमी को पूरा किया गया था। इसलिए, औद्योगिक जीवीए पहली छमाही में 23.1% की तुलना में दूसरी छमाही में 0.9% तक तेजी से कम हुआ।

सेवा क्षेत्र की गतिविधि में दूसरी छमाही में 7.1% की वृद्धि हुई और यह महामारी से पहले के स्तर को पार कर गया। गहन-संपर्क सेवाएं, जैसे कि व्यापार, होटल, परिवहन और संचार धीरे-धीरे सामान्य होने लगे, हालांकि उनकी वृद्धि ओमीक्रॉन वेरियंट के कारण बाधित हुई।

वित्त वर्ष 2022 में माल निर्यात और आयात में तेजी रही। मार्च 2022 में 42.2 अरब डॉलर के निर्यात ने एक नया रिकॉर्ड बनाया और लगातार 13वें महीने 30 अरब डॉलर से ऊपर रहा । वित्त वर्ष 2022 के दौरान, 419.6 अरब डॉलर के माल निर्यात ने $400 बिलियन के लक्ष्य को पार कर लिया। निर्यात में $300 बिलियन का लक्ष्य वित्त वर्ष 2012 में हासिल हुआ था तथा निर्यात में $100 बिलियन की वृद्धि जोड़ने में लगभग एक दशक लगे।

मार्च 2022 में माल आयात 60.7 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया और लगातार सातवें महीने 50 अरब डॉलर से ऊपर रहा। कुल मिलाकर, वित्त वर्ष 2022 में भारत के माल निर्यात में 43.8% की वृद्धि हुई, जबकि वित्त वर्ष 2021 में 6.9% की गिरावट आई, तथा वित्त वर्ष 2021 में 16.9% की कमी की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में आयात में 55.1% की भारी वृद्धि दर्ज हुई। भारत ने अप्रैल-दिसंबर 2020 में 1.7% के अधिशेष की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2021 में सकल घरेलू उत्पाद का 1.2% का चालू खाता घाटा दर्ज किया था।

हालांकि आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में सीपीआई मुद्रास्फीति के औसतन 6.0% से नीचे रहने का अनुमान है, लेकिन इस पूर्वानुमान के जोखिम हैं। भू-राजनीतिक तनाव, आपूर्ति श्रृंखला में लंबे समय तक व्यवधान, निविष्टि लागत पर दबाव बने रहने और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मौद्रिक नीति के सकारात्मक सामान्यीकरण से प्रेरित वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के कारण वैश्विक कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों के और सख्त होने से जोखिम उत्पन्न हो सकता है। आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधानों का शीघ्र अंत, उत्पादन कीमतों में कमी, वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में सुधार और भू-राजनीतिक तनावों के कम होने से मुद्रास्फीति को अनुमानित स्तरों के भीतर नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी।

आरबीआई के अनुमानों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 7.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। घरेलू मांग में निरंतर वृद्धि, निजी निवेश गतिविधि में वृद्धि, पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर देने, सामान्य मानसून और स्वस्थ कॉरपोरेट बैलेंस शीट से विकास की गति तेज हो सकती है।

3. बैंकिंग परिवेश

कोविड-19 महामारी 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद वैश्विक वित्तीय प्रणाली का पहला महत्वपूर्ण परीक्षण था। वैश्विक स्तर पर और भारत में, बैंकिंग और गैर-बैंकिंग क्षेत्रों ने कोविड-19 व्यवधानों को काफी अच्छी तरह से झेला है, जो ठोस नीतिगत उपायों द्वारा समर्थित है, जिसने बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता को बनाए रखने में मदद की है। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों द्वारा समय पर किए गए नीतिगत हस्तक्षेपों से, जिससे आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सके, व्यक्तियों, एमएसएमई, कॉरपोरेटों और उधारदाताओं द्वारा अनुभव किए गए तनाव को कम करने में मदद मिली।

धीरे-धीरे सामान्य स्थिति लौटने के साथ ही त्योहारी मौसम के दौरान वित्त वर्ष 2022 की पहली छमाही में सुधार के संकेत दिखने लगे। वित्त वर्ष 2022 में एएससीबी क्रेडिट में 9.6% की वृद्धि हुई, जबकि वित्त वर्ष 2021 में 5.6% की वृद्धि हुई थी। खुदरा ऋण वित्त वर्ष 22 में बैंक क्रेडिट के प्राथमिक संचालक के रूप में उभरे हैं और अब एएससीबी के बकाया क्रेडिट में सबसे बड़ा हिस्सा (28.4%) है, जो औद्योगिक ऋण (26.7%) को प्रतिस्थापित करता है।

हालांकि, उच्च प्रतिलाभ की उम्मीद में आधार प्रभाव, कम ब्याज दर और पूंजी बाजार/डिजिटल आस्ति श्रेणियों में सुधार के कारण एएससीबी की कुल जमा वृद्धि वित्त वर्ष 2021 में 11.40% की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में 8.9% तक धीमी हो गई। क्रेडिट ऑफटेक में सुधार के बीच, जी-सेक की बैंकों की होल्डिंग्स में वृद्धि में कमी आई, जिससे उनके अतिरिक्त एसएलआर निवेश को 25 मार्च, 2022 तक निवल मांग और सावधि देनदारियों (एनडीटीएल) के 9.6% तक कम हो गया, जो मार्च 2021 के अंत तक 11% था।

वित्त वर्ष 2022 के दौरान एएससीबी की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ, जिसमें गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) का अनुपात दिसंबर 2021 में घटकर 6.5% हो गया, जो एक साल पहले 6.8% था।

डिजिटल लेनदेन में वित्त वर्ष 2022 में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। खुदरा भुगतान के भुगतान के स्वरूप में विस्तार हुआ। यूपीआई के लेनदेन की मात्रा और मूल्य में लगभग 100% की वृद्धि देखी गई। आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस और एनएसीएच ने भी उल्लेखनीय विकास का प्रदर्शन किया। भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) के अंतर्गत लेनदेन की मात्रा में तीन अंकों की वृद्धि हुई।

4. दृष्टिकोण

वित्त वर्ष 2022 के अंत में, यूक्रेन और रूस के बीच बढ़े तनाव और उसके बाद के प्रतिबंधों ने आपूर्ति श्रृंखला के जोखिमों को और अधिक बढा दिया है। कृषि जिंसों, ऊर्जा उत्पादों, धातुओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का वैश्विक अर्थव्यवस्था और परिणामस्वरूप बैंकिंग क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। मुद्रास्फीति के बढ़ने से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में दरों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, अप्रैल 2022 में आरबीआई द्वारा घोषित मौद्रिक नीति ने कई जोखिमों पर प्रकाश डाला, जिसमें दरों को अपरिवर्तित रखते हुए निरंतर निगरानी और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता होती है। हालांकि, मई 2022 की शुरुआत में आरबीआई द्वारा ऑफ-साइकिल नीतिगत दर और सीआरआर वृद्धि के बाद यह वृद्धि की गई थी।

स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) की शुरुआत और उसके बाद मई 2022 में दरों में वृद्धि के माध्यम से एलएएफ गलियारे का सामान्यीकरण स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि ब्याज दर चक्र बदल रहा है। सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार में मई 2022 में दर वृद्धि की घोषणा के बाद से प्रतिफल में वृद्धि हुई है।

वित्त वर्ष 2023 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। बहरहाल, इस वित्त वर्ष के दौरान मांग में तेजी कैसे आएगी, इस पर अनिश्चितता बनी हुई है। निजी अंतिम उपभोग अभी भी महामारी पूर्व वर्ष से नीचे है और उच्च मुद्रास्फीति के कारण चालू वर्ष में कुछ कमी देखी जा सकती है। हालांकि, निवेश की मांग में धीरे-धीरे तेजी आई है और वित्त वर्ष 2022 में 19 ट्रिलियन रुपए की नई निवेश घोषणाओं में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके अलावा उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में भी वित्त वर्ष 2023 में कैपेक्स में वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके आगे, रबी उत्पादन की अच्छी संभावनाएं ग्रामीण मांग के लिए अच्छा संकेत देती हैं। आबादी के सभी वर्गों के लिए एहतियाती टीके की खुराक का हाल ही में शुरु होना भी एक सकारात्मक विकास है।

इस पृष्ठभूमि में, बैंक के व्यवसाय का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आपके बैंक ने अपनी व्यावसायिक रणनीति को बढ़ती जरूरतों के साथ मिलाकर तैयार किया है, महामारी के प्रकोप के बाद से निर्बाध सेवाओं के वितरण पर समझौता किए बिना, सैकड़ों लाखों ग्राहकों और हमारे लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लगातार सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाया गया है। फिर भी कोविड-19 संक्रमणों के आवर्ती मुकाबलों के साथ-साथ भू-राजनीतिक जोखिमों के उद्भव ने फिर से सतर्क रहने और अप्रत्याशित नुकसान को कवर करने के लिए आकस्मिक बफर की पर्याप्तता का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

यूक्रेन में संघर्ष ने भारत के लिए विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में अवसर उत्पन्न किया है। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुक्त व्यापार समझौतों से भी विकास के कई अवसर पैदा होने की उम्मीद है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन भी भारत के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है, एक ऐसा अवसर जिसमें जबरदस्त क्षमता है।

संक्षेप में, अर्थव्यवस्था और बैंकिंग व्यवसाय का भावी परिदृश्य विकसित होती भू-राजनीतिक स्थितियों तथा वैश्विक माल की कीमतों और संचालन पर इसके प्रभाव पर निर्भर करेगा। अर्थव्यवस्था के खुलने से नए प्रोत्साहन पैकेज की आवश्यकता कम हो गई है और वर्तमान गति टिकाऊ प्रतीत होती है। इस प्रकार, बैंक के लिए यह आवश्यक है कि व्यवसाय नए परिचालन परिवेश के अनुकूल रहे।

II. वित्तीय प्रदर्शन

निवल लाभ और परिचालन लाभ

वित्त वर्ष 2022 में निवल लाभ 55.19% बढ़कर 31,675.98 करोड़ रुपए हो गया, जबकि वित्त वर्ष 2021 में यह 20,410.47 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2022 के लिए आपके बैंक का परिचालन लाभ 5.22% बढ़कर 75,292.37 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2021 में 71,554.15 करोड़ रुपए था (वित्त वर्ष 2021 में एसबीआई लाइफ से हिस्सेदारी बिक्री से 1,539.73 करोड़ रुपए की असाधारण मद सहित)।

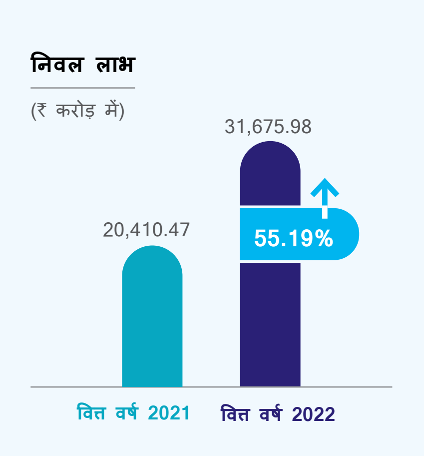

निवल ब्याज आय

वित्त वर्ष 2022 में निवल ब्याज आय 9.03% बढ़कर 1,20,707.59 करोड़ रुपए हो गई जबकि वित्त वर्ष 2021 में यह 1,10,710.00 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2022 में कुल आय में 3.89% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो वर्ष 2021 में 2,65,150.63 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 2,75,457.29 करोड़ रुपए हो गई। वित्त वर्ष 2021 के कुल ब्याज खर्च 1,54,440.63 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 1,54,749.70 रुपए हो गए। वित्त वर्ष 2022 के दौरान जमा पर ब्याज खर्च में पिछले वर्ष की तुलना में 0.83% की गिरावट दर्ज की गई।

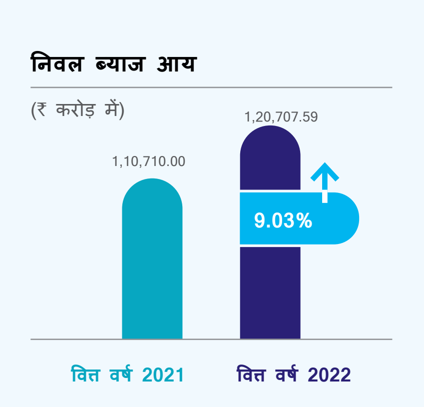

अन्य आय

वित्त वर्ष 2022 में अन्य आय (असाधारण मद को छोड़कर) 3.32% घटकर 40,563.91 करोड़ रुपए हो गई, जो वित्त वर्ष 2021 में 41,956.64 करोड़ रुपए थी।

परिचालन व्यय

वित्त वर्ष 2022 में बैंक का परिचालन खर्च (असाधारण मद को छोड़कर) 4.03% बढ़कर 85,979.13 करोड़ रुपए हो गया, जो वित्त वर्ष 2021 में 82,652.22 करोड़ रुपए था।

प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

कुल प्रावधान एवं आकस्मिकता वित्त वर्ष 2021 के 51,143,68 करोड़ रुपए से 29.22% घटकर वित्त वर्ष 2022 में 36,198.00 करोड़ रुपए हो गई। वित्त वर्ष 2022 में किए गए प्रमुख प्रावधान: अनर्जक आस्तियों के लिए 14,086.85 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2021 में 27,244.35 करोड़ रुपए) और निवेश अवमूल्यन 3,440.10 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2021 में 3,014.50 करोड़ रुपए) का प्रावधान वर्ष के दौरान किया गया था। 31 मार्च 2022 को बैंक के सकल अनर्जक आस्ति अनुपात (एयूसीए सहित) का प्रावधान 90.20% (पिछले वर्ष 87.75%) है। 31 मार्च 2022 को पीसीआर (एयूसीए को छोड़कर) 75.04% (मार्च 2021 को 70.88%) है।

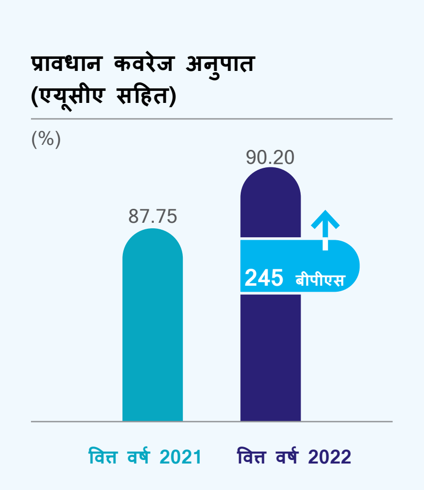

आस्ति एवं देयताएँ

मार्च 2022 के अंत में आपके बैंक की कुल संपत्ति 9.99% बढ़कर 49,87,597.41 करोड़ रुपए हो गई, जो मार्च 2021 के अंत में 45,34,429.63 करोड़ रुपए थी। इस अवधि के दौरान, ऋण पोर्टफोलियो में 11.61% की वृद्धि हुई, और वह 24,49,497.79 करोड़ रुपए से बढ़कर 27,33,966.59 करोड़ रुपए हो गया। निवेश 9.60% बढ़कर 13,51,705.21 रुपए से बढ़कर 14,81,445.47 करोड़ रुपए हो गया। घरेलू बाजार में निवेश का एक बड़ा हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों में था।

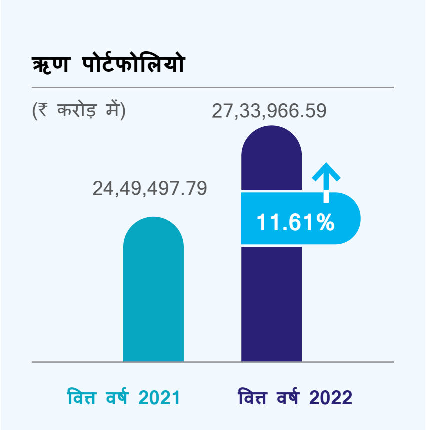

आपके बैंक की कुल देनदारियां (पूंजी व आरक्षिती को छोड़कर) 9.97% बढ़कर 31 मार्च 2022 को 47,07,509.35 करोड़ रुपए हो गईं, जो 31 मार्च 2021 को 42,80,554.44 करोड़ रुपए थीं। जमा राशि 10.06% की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2022 को 40,51,534.12 करोड़ रुपए हो गई, जो 31 मार्च 2021 को 36,81,277.08 करोड़ रुपए थी। मार्च 2021 के अंत में 4,17,297.70 करोड़ रुपए की तुलना में उधार में 2.10% की वृद्धि हुई, जो मार्च 2022 के अंत में 4,26,043.38 करोड़ रुपए रहा।

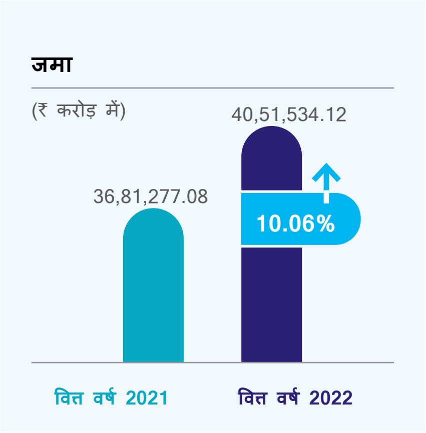

आरक्षित एवं अधिशेष

9,502.79 करोड़ रुपए की राशि (वित्त वर्ष 2021 में 6,123.14 करोड़ रुपए की तुलना में) सांविधिक आरक्षित निधियों में अंतरित की गई। 538.16 करोड़ रुपए (वित्त वर्ष 2021 में 1,465.12 करोड़ रुपए) की राशि पूंजी आरक्षित निधियों में अंतरित की गई। वित्त वर्ष 2022 में 4,647.87 करोड़ रुपए की राशि (वित्त वर्ष 2021 में 1,928.20 करोड़ रुपए की तुलना में) निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि में अंतरित की गई थी।

लाभांश

आपके बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए @ 710% की दर से 7.10 रुपए प्रति शेयर का लाभांश घोषित किया है।

भारतीय लेखा मानकों इंड एएस (IND AS) के कार्यान्वयन में प्रगति

प्रबंध निदेशक (दबावग्रस्त आस्ति, जोखिम एवं अनुपालन) की अध्यक्षता वाली संचालन समिति बैंक में भारतीय लेखामानकों के कार्यान्वयन की निगरानी कर रही है। आपका बैंक पहले से ही भारतीय लेखामानकों के कार्यान्वयन के लिए तैयार है। हालाँकि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों में भारतीय लेखामानकों के कार्यान्वयन को अगली सूचना तक के लिए टाल दिया गया है।

III. कोर परिचालन

1. खुदरा और डिजिटल बैंकिंग समूह

रिटेल और डिजिटल बैंकिंग, बैंक का सबसे बड़ा बिजनेस वर्टिकल है, जिसमें बैंक की कुल 99.45% शाखाएँ और मानव संसाधन का 98.15% अंश शामिल है। इस समूह में आठ रणनीतिक व्यापार इकाइयां शामिल हैं। आपका बैंक अपनी सभी शाखाओं में ग्राहकों की संतुष्टि के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित हो रहीं ग्राहक प्राथमिकताएं, विशेष रूप से युवा आबादी की प्राथमिकताएं, वर्धित ग्राहक सुविधा पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ, रिटेल बैंकिंग परिदृश्य को बदल रही हैं।

देश भर में आपके बैंक के ग्राहकों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है, जिसके चलते रिटेल बैंकिंग,जमा राशि जुटाने और अनुकूलित ऋण का विस्तार दोनों क्षेत्रों में ही आपके बैंक का सबसे लाभदायक खंड बन गया है। आपका बैंक देश में सबसे बड़ा गृह ऋण प्रदाता और शिक्षा ऋणों का सबसे बड़ा वितरक बना हुआ है, जो बड़े पैमाने पर समाज की सेवा करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आपका बैंक प्रौद्योगिकी चालित नवोन्मेष की एक सतत धारा के साथ डिजिटल बैंकिंग डोमेन में अग्रणी बना हुआ है। इसमें एक मल्टी-चैनल डिलीवरी मॉडल है, जो अपने ग्राहकों को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर इन लेनदेनों को पूरा करने के लिए एक व्यापक विकल्प प्रदान करता है। आपके बैंक ने विभिन्न माध्यमों - डिजिटल, मोबाइल, एटीएम, इंटरनेट, सोशल मीडिया और शाखाओं में अपने सेवा उत्पादों में वृद्धि की है।

क. वैयक्तिक बैंकिंग

1. आवास ऋण

आपका बैंक देश में सबसे बड़ा गृह ऋण प्रदाता बना हुआ है। भले ही महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप ने रियल एस्टेट उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया हो, लेकिन पूरे भारत में लॉकडाउन में ढील के साथ गतिविधियों को फिर से शुरू करने से गति प्राप्त करने में मदद मिली है। बैंकिंग प्रणाली द्वारा दिए गए जोर ने गृह ऋण/आवासीय अचल संपत्ति में वृद्धि को बढ़ावा देने में मदद की है।

राष्ट्रपति इस्टेट शाखा, नई दिल्ली का उद्घाटन

आपके बैंक का गृह ऋण पोर्टफोलियो 2011 में लगभग ₹1 लाख करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2022 तक ₹5.62 लाख करोड़ हो गया है।

संपूर्ण बैंक अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में गृह ऋण पोर्टफोलियो का हिस्सा 23.87% था। आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में लगभग ₹1.46 लाख करोड़ के गृह ऋण वितरित किए हैं।

समय के साथ यात्रा (गृह ऋण स्तर):

₹ लाख करोड़ में स्तर

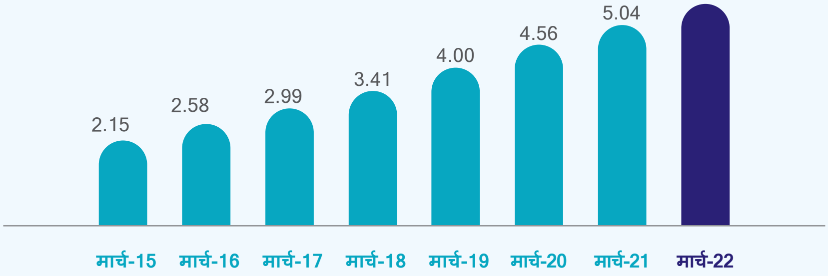

बाजार हिस्सेदारी: आपका बैंक लगातार विकास वक्र से आगे निकल रहा है और एएससीबी के बीच लगभग 35.3% की बाजार हिस्सेदारी हासिल की है।

किफायती और पीएसएल: आपके बैंक का किफायती आवास पोर्टफोलियो उसके कुल गृह ऋण पोर्टफोलियो का 58.19% है, जबकि पीएसएल 34.15% है।

पीएमएवाई सब्सिडी के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी : आपके बैंक को आवास और शहरी प्राधिकरण मंत्रालय (MOHUA) द्वारा केंद्रीय नोडल एजेंसी (CNA) के रूप में नामित किया गया है, जो देश का एकमात्र वाणिज्यिक बैंक है (अन्य सीएनए, हडको और एनएचबी हैं)। पीएमएवाई-सीएलएसएस के लिए सीएनए योजना के रूप में, आपके बैंक ने 1,500 करोड़ रुपए के कुल मिलाकर 64,272 से अधिक सब्सिडी दावों को संसाधित किया है और वित्त वर्ष 2022 के दौरान 17.10 करोड़ रुपए की आय अर्जित की।

आस्ति गुणवत्ता: अर्थव्यवस्था की कोविड -19 महामारी के बीच स्वस्थ आस्ति गुणवत्ता को बनाए रखना एक चुनौती थी। आपके बैंक की निरंतर सक्रिय निगरानी और अनुवर्ती, ग्राहकों तक लगातार पहुंच के परिणामस्वरूप आवास ऋण में एनपीए मार्च 2022 के अंत तक मार्च 21 के स्तर से नीचे 0.50% तक गिर गया।

रिजर्व बैंक के कोविड राहत स्थगन और खुदरा ऋणों के पुनर्गठन की व्यवस्था के आधार पर, आपके बैंक ने दूसरे चरण में 74,003 गृह ऋण खातों के पुनर्गठन के माध्यम से राहत प्रदान की।

पहल: आपका बैंक हमेशा टिकाऊ, रचनात्मक समाधानों को अनुकूलित और विकसित करने में सहायक रहा है और एसबीआई को गृह ऋण में ग्राहकों की 'नंबर1' पसंद बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। सतत विकास लक्ष्यों के लिए, परियोजना लागत के हिस्से के रूप में रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली की लागत का वित्तपोषण गृह ऋण में शामिल है। ग्राहकों के बीच उत्पाद को लोकप्रिय बनाने के लिए इसका उचित प्रचार किया जा रहा है।

ऋण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण: ग्राहक को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए उत्पाद के एक समान हामीदारी मानकों, निर्बाध वितरण, और उत्पाद के संपूर्ण डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करने के लिए खुदरा ऋण प्रबंधन समाधान (आरएलएमएस) और विक्रेता सत्यापन मॉड्यूल (वीवीएम) को ऋण प्रसंस्करण में प्रस्तुत किया गया था।

योनो और ओसीएएस/ आरएएएस जैसे इन-हाउस विकसित कॉन्टैक्टलेस डिजिटल प्लेटफॉर्म को गृह ऋण बिजनेस को अधिकतम करने और हमारे मार्केट शेयर को और बढ़ाने के लिए संसाधन टूल के रूप में बड़े पैमाने पर प्रचारित किया जा रहा है।

दस्तावेज प्रबंधन समाधान (डीएमएस): गृह ऋण दस्तावेजों को डिजिटाइज़ करने तथा उसके केंद्रीकृत रखरखाव के लिए सभी सीपीसी में डीएमएस आरंभ किया गया जिससे ग्राहकों की सुविधा बढ़े।

बिल्डरों के साथ टाई-अप: बिल्डर टाई अप (बीटीयू) के तहत अधिकतम परियोजनाओं को ऑनबोर्ड करना गृह ऋण पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम है और यह टीएटी में काफी सुधार के अलावा सोर्सिंग गुणवत्ता में भी सुधार करता है। आपके बैंक ने इन टाई-अप परियोजनाओं में 22.47% की हिस्सेदारी के साथ 8,578 आवासीय परियोजनाओं (रेरा स्वीकृत) को मंजूरी दी है।

2. वाहन ऋण

आपके बैंक ने ग्राहकों की खुशी और सुविधा पर ध्यान देते हुए, वाहन ऋण की कुल मात्रा बढ़ाने और बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए कई पहल किए हैं। आपके बैंक ने भारत के दो सबसे बड़े ओईएम (एमएसआईएल और एचएमआईएल) के साथ ऑनलाइन एकीकरण किया है, जिसके द्वारा एक पात्र ग्राहक कार बुक करते समय ओईएम प्लेटफॉर्म पर तत्काल सैद्धांतिक मंजूरी पत्र प्राप्त कर सकता है। आपका बैंक सभी फाइनेंसरों के बीच दोनों प्लेटफार्मों पर प्रथम स्थान पर था। योनो पर एक नई कार लोन यात्रा उन ग्राहकों के लिए शुरू की गई, जिनका एसबीआई में खाता नहीं है। कुल संवितरण का 13% पूर्व-अनुमोदित सुइट से है। सतत विकास के मद्देनजर एवं पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आपका बैंक इलेक्ट्रिक पीवी के लिए रियायती ब्याज दर पर और विस्तारित ऋण अवधि के साथ ऋण प्रदान कर रहा है। ग्राहक केंद्रिकता हमारी सभी पहलों का मूल मंत्र रहा है। दो-पहिया वित्तपोषण में, आपका बैंक एक e2e डिजिटल उत्पाद “एसबीआई-ईजीराइड” लेकर आया है जहाँ ग्राहक को ऋण स्वीकृति और संवितरण के लिए शाखा जाने की आवश्यकता नहीं है।

3. शिक्षा ऋण

आपका बैंक देश में सबसे बड़ा शिक्षा ऋण प्रदाता होने पर गर्व महसूस करता है। आपके बैंक ने वर्ष के दौरान 10,291 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करके 76,301 योग्य छात्रों को अपने सपनों को साकार करने में मददकी है। 40% ऋण छात्राओं को दिए गए थे (मार्च 2021 में 37% से ऊपर)। शिक्षा ऋण, गुणवत्तापूर्ण व्यवसाय के दायरे को व्यापक बनाने और ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए, आपके बैंक ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- स्कॉलर लोन योजना के तहत छूट वाले मानदंडों और रियायती ब्याज दरों पर शिक्षा ऋण देने के लिए शॉर्टलिस्टेड, बड़ी संख्या में टॉप-रेटेड प्रीमियर और प्रतिष्ठित संस्थानों की कुल संख्या को 235 तक बढ़ाई जा रही है ।
- चुनिंदा शहरों में डोर-स्टेप सेवाओं के विस्तार के माध्यम से विदेशों में अध्ययन के लिए हमारे प्रमुख उत्पाद “ग्लोबल एड-वांटेज एजुकेशन लोन” के माध्यम से ऋण विस्तार में सुधार किया गया था।
- ऋण आवेदनों की बेहतर ट्रैकिंग और ऋणों की तेजी से स्वीकृति सुनिश्चित करने के लिए, आपके बैंक की लोन ओरिजिनेशन सिस्टम (एलओएस) को भारत सरकार के विद्या लक्ष्मी पोर्टल (वीएलपी) के साथ एकीकृत किया गया था।

4. वैयक्तिक ऋण

व्यक्तिगत ऋण आपके बैंक में सबसे लोकप्रिय उत्पादों में से एक हैं, और आपका बैंक इस बाजार खंड में अग्रणी है। आपका बैंक आक्रामक रूप से वेतनभोगी वर्ग (दोनों सरकारी और निजी), पेंशनभोगियों और स्व-नियोजित / अन्य ग्राहकों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। आपका बैंक एसबीआई क्विक पर्सनल लोन के माध्यम से अन्य बैंकों के वेतनभोगी ग्राहकों को भी ऋण प्रदान कर रहा है। 31.03.2022 तक, व्यक्तिगत ऋण पोर्टफोलियो (एक्सप्रेस क्रेडिट और पेंशन ऋण) 28.06% (62,119 करोड़ रुपए) था जो इस वर्ष बढ़कर 2,85,448 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है । विकास में मुख्य रूप से फ्लैगशिप उत्पाद एक्सप्रेस क्रेडिट (54,934 करोड़ रुपए) का योगदान है, जिसमें इस वर्ष 28.49% की वृद्धि हुई।

आपके बैंक ने कोविड उपचार के लिए धन की आवश्यकता वाले ग्राहकों के लिए जून 2021 में एक नया अप्रतिभूतिकृत व्यक्तिगत ऋण उत्पाद, "एसबीआई कवच ऋण", लॉन्च किया, जिसमें हमने रियायती ब्याज दर पर 5 लाख रुपए तक के ऋण की पेशकश की। हमने इन उत्पादों के तहत 3,686 करोड़ रुपए के 1,80,056 ऋण दिए।

5. ई-कॉमर्स खरीद के लिए उपभोक्ता वस्तु ऋण:

आपका बैंक पीओएस ईएमआई ऋण और ऑनलाइन ईएमआई ऋण नाम से दो e2e उत्पाद प्रदान करता है । जहां विभिन्न दुकानों/ मॉल/स्टोर/शो रूम में पाइन लैब्स पीओएस मशीनों के माध्यम से पीओएस ईएमआई ऋण की पेशकश की जा रही है, वहीं बैंक ने चुनिंदा ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टलों पर ऑनलाइन ईएमआई ऋण प्रदान करने के लिए बिल डेस्क और पेयू के साथ समझौता किया है।

वर्तमान में ये उत्पाद 1.11 करोड़ पूर्व-अनुमोदित ग्राहकों को उनके खाते के व्यवहार और एआई / एमएल तकनीक का उपयोग करने वाले कुछ अन्य मापदंडों के आधार पर उपलब्ध हैं ।

6. देयता और निवेश उत्पाद

वित्त वर्ष 2022 के दौरान आपके बैंक में कुल जमा राशि में 10.06% की वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 2022 के दौरान कुल सावधि जमाओं में 2,21,926 करोड़ रुपए (11.53%) की वृद्धि हुई।

कुल बचत बैंक जमा में वित्त वर्ष 2022 के दौरान 1,43,123 करोड़ रुपए (10.45%) की वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 2022 के दौरान आपके बैंक की कासा जमा राशि में 7.78% की वृद्धि हुई। आपके बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान 98.75 लाख नए नियमित बचत बैंक खाते खोले गए।

7. डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं

ग्राहकों की सुविधा और बैंकिंग को आसान बनाने की दिशा में, आपका बैंक शीर्ष 100 बैंकिंग केंद्रों के सभी ग्राहकों को एजेंटों के माध्यम से 5 प्रमुख डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है: नकद जमा और निकासी, चेक लेना, खाते का विवरण, टीडी सलाह। ग्राहकों को दी जा रही सेवाओं में मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान दो नई सेवाएं नामांकन फॉर्म और फंड ट्रांसफर जोड़ी गईं।

तथापि, सभी बैंकिंग केन्द्रों पर 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और विकलांग व्यक्तियों को डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के लिए पंजीकरण भी योनो लाइट ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

8. वीडियो ग्राहक पहचान प्रक्रिया (वी-सीआईपी)

बैंकिंग सुविधा को ग्राहकों के करीब लाने के लिए आपका बैंक वी-सीआईपी प्रक्रिया के माध्यम से बचत बैंक खाते को डिजिटल रूप से घर, कार्यालय और अपनी सुविधा से खोलने की पेशकश करता है, जिससे ग्राहकों को शाखाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है | वी सीआईपी के माध्यम से मार्च '22 तक 6 लाख ग्राहक हमसे जुड़ गए हैं।

9. वेतन पैकेज के लिए कॉरपोरेट और संस्थागत गठबंधन

इस वर्ष, आपके बैंक ने कॉरपोरेट वेतन संबंध प्रबंधकों के माध्यम से कॉरपोरेट, रक्षा, रेलवे और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन पैकेज खाते खोलने पर ध्यान केंद्रित किया। मार्च'22 में कुल वेतन खाता ग्राहक आधार 179 लाख से अधिक तक पहुंच गया। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 4.77 लाख नए वेतन पैकेज खाते खोले गए। चालू वित्त वर्ष के दौरान 1,291 नए कॉरपोरेट गठजोड़ किए गए थे। सीएसपी के तहत उन्हें प्राप्त लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए 292 समर्पित और अनुकूलित वेतन पैकेज माइक्रोसाइट्स बनाई गई हैं।

10. डिजिटल वैयक्तिक ऋण उत्पाद

उच्च लाभ मार्जिन के साथ पोर्टफोलियो वृद्धि के लिए कई प्लेटफार्मों पर उत्पादों की पेशकश करते समय, आपके बैंक ने बैंकिंग में आसानी के साथ ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखा है और योनो के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार की सेवाओं की पेशकश की है। ग्राहक बिना किसी भौतिक प्रलेख और शाखा में आए बिना 24X7 इनका लाभ उठा सकते हैं।

i) पीएपीएल (प्री-अप्रूव्ड व्यक्तिगत ऋण)

ii) पीएएक्ससी (प्री-अप्रूव्ड एक्सप्रेस क्रेडिट)

iii) पीएपीएनएल (पूर्व-स्वीकृत पेंशन ऋण)

iv) एक्सप्रेस क्रेडिट के लिए इंस्टा टॉप-अप

v) इंस्टा पेंशन लोन

बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के दौरान 11.40 लाख डिजिटल ऋण मंजूर किए हैं, जिसमें 21,118 करोड़ रुपए शामिल हैं, जबकि वित्त वर्ष 2021 के दौरान 11.60 लाख डिजिटल ऋण शामिल थे ।

11. एनआरआई व्यवसाय

31 मार्च 2022 तक, आपके बैंक में लगभग 36 लाख एनआरआई ग्राहक हैं, जिनकी आवश्यकताओं को भारत में 450 समर्पित विशिष्ट एनआरआई शाखाओं/एनआरआई गहन शाखाओं, 30 देशों में हमारे विदेशी कार्यालयों, 227 वैश्विक बैंकों के संपर्ककर्ता बैंकों के रूप में और 45 एक्सचेंज हाउस के साथ टाई-अप, धनप्रेषण की सुविधा के लिए पांच बैंक (मध्य-पूर्व में) इत्यादि के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। एनआरआई ग्राहकों को वन स्टॉप सेवा प्रदान करने के लिए बैंक की सभी गैर-वित्तीय सेवाओं के लिए एर्नाकुलम में 'वैश्विक एनआरआई केंद्र (जीएनसी)' स्थापित किया गया है।

आपका बैंक 22.38% (जनवरी 2022 तक) की बाज़ार हिस्सेदारी के साथ भारत में एनआरआई बैंकिंग क्षेत्र में अग्रणी है।

आपके बैंक ने एनआरआई ग्राहकों के लाभ के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित सेवाएं शुरू की हैं:

- एनआरई खाते से एफएक्स-आउट (आईएनबी चैनल) के माध्यम से विदेशी मुद्रा जावक प्रेषण के लिए दैनिक सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 18 लाख रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है।
- इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग में तत्काल वित्तीय लेन-देन के लिए एनआरआई ग्राहकों के लिए आईएमपीएस सुविधा का विस्तार।
- पिछले दो वर्षों (वित्तीय और कैलेंडर दोनों वर्षों) के लिए इंटरनेट बैंकिंग पर एनआरआई ग्राहकों के लिए उपलब्ध ब्याज प्रमाण पत्र।

12. बहुमूल्य धातु

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी): सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निवेशकों के लिए भौतिक सोने के बजाय डिजिटल गोल्ड को बढ़ावा देने के इरादे से शुरू की गई थी। आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान इस योजना के तहत 3052 किलोग्राम सोना (1452 करोड़ रुपए) जुटाया ।

स्वर्ण मुद्रीकरण योजना (जीएमएस): भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान घरों और संस्थानों के पास पड़े सोने को जुटाने के उद्देश्य से स्वर्ण मुद्रीकरण योजना शुरू की। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आपके बैंक ने 2901 किलोग्राम सोना जुटाया है।

अन्य स्वर्ण व्यवसाय:

मेटल गोल्ड लोन (एमजीएल): जीएमएस के तहत सोना जुटाने के अलावा बैंक द्वारा घरेलू और निर्यात उद्देश्यों के लिए सोने के आभूषणों के निर्माण में लगे ज्वैलर्स को मेटल गोल्ड लोन प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, आपके बैंक ने 7,461 करोड़ रुपए की राशि के 15.94 मीट्रिक टन के धातु स्वर्ण ऋण का विस्तार किया।

सोने की बिक्री (एसओजी): बैंक जौहरियों/ व्यापारियों को सोने की बिक्री (एसओजी) योजना भी प्रदान कर रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आपके बैंक ने इस योजना के तहत 2.7 मीट्रिक टन सोना बेचा है।

13. धन संपदा प्रबंधन व्यवसाय

बैंक की धन प्रबंधन सेवाएं देश भर के 74 प्रमुख केंद्रों में 172 वेल्थ हब और 5 ई-वेल्थ केंद्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

एसबीआई वेल्थ ने वित्त वर्ष 21-22 के दौरान निवेश एयूएम और ग्राहकों के मामले में अनुकरणीय वृद्धि दर्ज किया है। निवेश एयूएम ₹ 8,592 करोड़ से बढ़कर ₹14,317 करोड़ हो गया है और ग्राहकों की संख्या 2,55,196 से बढ़कर 2,97,246 हो गई है। इस अवधि के दौरान ग्राहकों का एयूएम भी ₹2,07,167 करोड़ से बढ़कर ₹2,52,061 करोड़ हो गया।

एसबीआई वेल्थ को द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा 2021 के सर्वश्रेष्ठ ब्रांडों में से एक के रूप में चुना गया है।

ख. सर्व समय माध्यम

1. एटीएम/एडीडब्ल्यूएम

आपके बैंक के पास देश के सबसे बड़े एटीएम नेटवर्क में से एक है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक 65,030 एटीएम हैं, जिसमें स्वचालित जमा और निकासी मशीन (एडीडब्ल्यूएम) शामिल हैं। आपके बैंक की एटीएम पूरे देश में मौजूद हैं, भले ही वह डल झील, श्रीनगर में तैरता एटीएम हो या केरल में एर्नाकुलम और वायपीन के घाट, असम के चाय बागान हों या अंडमान और निकोबार के द्वीप, लक्षद्वीप आदि। एसबीआई ने वाहनों में एटीएम भी स्थापित किए हैं (मोबाइल एटीएम) जो बाढ़, चक्रवात, लॉकडाउन आदि जैसी आपात स्थितियों / आपदाओं के दौरान ग्राहकों को सेवा देने में मदद करते हैं। इन मोबाइल एटीएम को नियमित रूप से ग्राहकों को दरवाजे पर सेवा प्रदान करने के लिए आर्मी बेस, हाउसिंग सोसाइटी, सरकारी कार्यालयों के विभिन्न साइटों कार्यालय स्थान, आईटी-टेक पार्क आदि पर भी भेजा जाता है।

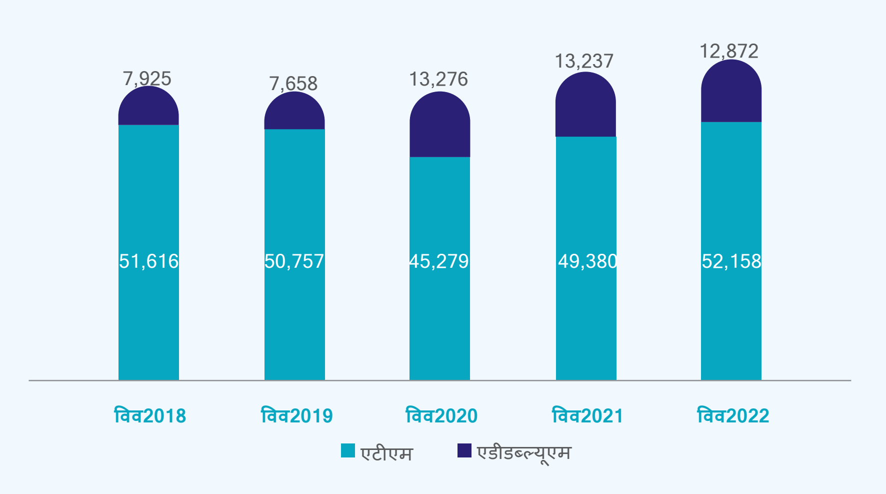

एटीएम/एडीडब्ल्यूएम की संख्या में हमारी बाजार हिस्सेदारी 29.8% के उच्चतम स्तर पर है, जो घरेलू बाजार में स्थापित एटीएम के माध्यम से नकद वितरण (34%) के उच्चतम हिस्से को संभालती है। आपके बैंक के एटीएम/एडीडब्ल्यूएम में प्रतिदिन औसतन ~1.32+ करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए।

सुरक्षित और संरक्षित बैंकिंग के लिए बैंक अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाता है, अपग्रेड करता है और नियमित रूप से मशीनों को बदलता है।

धोखेबाजों द्वारा स्किमिंग, क्लोनिंग, कार्ड की चोरी आदि के खिलाफ एटीएम नकद निकासी की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, आपके बैंक ने अधिक सुरक्षित कार्ड की ईएमवी चिप के माध्यम से प्रत्येक लेनदेन को संसाधित करने के अलावा, ₹ 10,000 और उससे अधिक के सभी नकद निकासी लेनदेन के लिए 24x7 ओटीपी लागू किया है।

स्वयं बारकोड पर आधारित पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क: आपके बैंक ने 19,500 स्वयं (बारकोड आधारित सेल्फ पासबुक प्रिंटिंग कियोस्क) स्थापित किए हैं।

ग्रीन चैनल काउंटर (जीसीसी): आपके बैंक ने ग्रीन बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए डेबिट कार्ड के माध्यम से लेनदेन के लिए खुदरा शाखाओं में जीसीसी टर्मिनल लगाए गए हैं। इनमें नकद निकासी, नकद जमा, एसबीआई खातों में धन हस्तांतरण, बैलेंस पूछताछ, ग्रीन पिन जारी करने और पिन परिवर्तन और मिनी स्टेटमेंट प्राप्त करने की सुविधा है।

ग्रीन रेमिट कार्ड (जीआरसी): जीआरसी एक नकद जमा कार्ड है जिसके माध्यम से जीसीसी/सीडीएम/एडीडब्ल्यूएम में जीआरसी का उपयोग करके आपके बैंक के पूर्व-निर्धारित खाते में धनराशि जमा की जा सकती है। जीआरसी के माध्यम से नकद जमा सुविधा 24*7 सीडीएम/एडीडब्ल्यूएम पर उपलब्ध है और विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के लिए उपयोगी है। जीआरसी के लिए लेनदेन की सीमा रु. 25,000/- प्रति लेनदेन है, जिसकी मासिक सीमा रु.1,00,000/- है।

चेक डिपॉजिट कियोस्क (सीडीके)/स्मार्ट सीडीके: सीटीएस सक्षम स्व-सेवा चेक जमा कियोस्क (सीडीके) ग्राहकों को अपने सीटीएस चेक को परेशानी मुक्त तरीके से जमा करने की सुविधा प्रदान करता है। कियोस्क को 2,500 शाखाओं में स्थापित किया गया है जहां जावक समाशोधन चेक प्रतिदिन 50 से अधिक हैं। जमाकर्ता के लिए चेक की स्कैन कॉपी के साथ चेक नंबर, आदाता खाता संख्या जैसे विवरण के साथ एक रसीद तैयार की जाती है। योनो एप्लीकेशंस में स्मार्ट सीडीके कार्यक्षमता ग्राहकों को उनके स्थान की सुविधा से थोक में (एक बार में 10 चेक) जमा करने और संदर्भ संख्या के माध्यम से सीडीके में चेक जमा करने के लिए सुविधा देती है।

2. सकारात्मक भुगतान प्रणाली (पीपीएस):

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, बैंक ने 01.01.2021 से सभी प्रकार के चेक भुगतान (नकद / हस्तांतरण/ समाशोधन) के सभी तरीकों के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली (पीपीएस) लागू की है। यह चेक से छेड़छाड़/परिवर्तन के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए एक उपाय है। सकारात्मक भुगतान प्रणाली में चेक के मुख्य विवरणों की बैंक को पुन: पुष्टि करना शामिल है, जिसे भुगतान प्रसंस्करण के समय प्रस्तुत चेक के साथ क्रॉस-चेक किया जाएगा। पीपीएस का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण हमारी किसी भी शाखा के माध्यम से या वैकल्पिक चैनलों जैसे इंटरनेट बैंकिंग, सीआईएनबी, मोबाइल बैंकिंग (योनोलाइट), योनो (मोबाइल ऐप) के माध्यम से किया जा सकता है और चेक जारी करने पर चेक का विवरण इन्ही माध्यमों के द्वारा तथा इसके अतिरिक्त एसबीआई क्विक (एसएमएस) के माध्यम से किया जा सकता है। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, हमारे 49 लाख ग्राहकों ने हमारी सकारात्मक भुगतान प्रणाली का विकल्प चुना है।

3. साइबर सेल की स्थापना

साइबर अपराधों से निपटने के लिए, गृह मंत्रालय ने समर्पित ईमेल के साथ साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और पीड़ितों द्वारा साइबर अपराध की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 1930 शुरू किया है। भारत सरकार की इस नई पहल का सहयोग करने के लिए, सभी 17 मंडलों में साइबर अपराध प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं, जो साइबर धोखाधड़ी के संबंध में ग्राहकों की शिकायतों को देखते हुए शिफ्ट में / भिन्न-भिन्न समयावधि में काम कर रहे हैं। 31.03.2022 तक, कुल 89871 शिकायतों पर कार्रवाई की गई है और 9.40 करोड़ रुपए की राशि पर रोक लगाया गया है।

4. ग्राहक मूल्य संवर्धन

आपका बैंक, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कॉरपोरेट एजेंट है। अपने उत्पादों को वितरित करने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड और एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ इसका एक वितरण करार है। यूटीआई म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पलटन म्यूचुअल फंड, एल एंड टी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के म्यूचुअल फंड उत्पादों को भी आपका बैंक वितरित करता है। इसके अलावा, सभी शाखाएं, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एनपीएस खाते खोलने के लिए प्राधिकृत हैं।

वित्त वर्ष 2022 के लिए पहल और सफलताओं का उल्लेख नीचे किया गया है:

एसबीआई जनरल

वर्तमान वर्ष में डिजिटल चैनल पर लेन-देन में काफी वृद्धि देखी गई है। वर्ष के दौरान योनो के माध्यम से लगभग 51 लाख पीएआई पॉलिसी जुटाई गई थीं। स्वास्थ्य बीमा जुटाए गए कुल प्रीमियम का 20% योगदान देता है।

एसबीआई कार्डस एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड

आपका बैंक ग्राहक वर्गीकरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2022 में एसबीआई शाखाओं के माध्यम से लगभग 16.54 लाख कार्ड प्राप्त हुए हैं। डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से कार्ड जारी करना ग्राहकों द्वारा बहुत सराहा गया है और इसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है।

एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड

आपके बैंक ने इंस्टेंट एनपीएस खाता खोलने के लिए संपूर्ण डिजिटलीकरण प्रदान करने के लिए अपने सिस्टम को अपग्रेड किया है। आपके बैंक ने वित्त वर्ष 22 के दौरान 22% की बाजार हिस्सेदारी के साथ 1.75 लाख से अधिक एनपीएस खातों को जुटाया।

एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड

बैंक ने 7 लाख से अधिक डीमैट और ट्रेडिंग खाते खोले हैं, जो एसएसएल के 85% से अधिक व्यापार जुटाने में योगदान देता है। एक e2e डीमैट और ट्रेडिंग खाता प्रक्रिया योनो पर शुरू की गई है।

5. इंटरनेट बैंकिंग और ई-कॉमर्स

योनो हमारी प्रमुख मोबाइल बैंकिंग और जीवन शैली ऐप है जो न केवल वित्तीय सेवाएं, बल्कि निवेश, बीमा तथा खरीदारी समाधान भी उपलब्ध करवाने वाली एक सर्वसुविधायुक्त ऐप है। डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ, यह देश भर में हमारे सभी ग्राहकों को अभिनव डिजिटल बैंकिंग समाधान प्रदान करने के हमारे निरंतर प्रयास का हिस्सा है।

इसके अलावा, यह मंच योनो कृषि भी प्रदान करता है, जो कृषि खंड के ग्राहकों के लिए एक व्यापक, बहुभाषी मंच है जो सरलीकृत वित्त (केसीसी समीक्षा /कृषि स्वर्ण ऋण), परामर्श/ बाजार विशेषज्ञता से संबंधित सेवाओं (मित्रा) के साथ-साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस (मंडी) के माध्यम से बाजार लिंकेज की पेशकश करता है।

योनो ने 31.03.2022 तक 111.74+ मिलियन डाउनलोड और लगभग 48.35+ मिलियन पंजीकरण के साथ कई मील के पत्थर पार किए हैं, जिसमें तेजी से व्यापार वृद्धि के साथ-साथ समायोजित करने और उत्तरोत्तर अधिक उपयोगकर्ता जोड़ने में वृद्धि हुई है।

वित्त वर्ष 2022 में योनो निष्पादन की मुख्य विशेषताएँ:

सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 22.08.2021 को योनो ऐप पर अ लागू किया गया था। यह सुविधा यह सुनिश्चित करेगी कि ऐप केवल उस डिवाइस पर काम करेगा जहां बैंक के पंजीकृत मोबाइल नंबर का सिम मौजूद है।

ग्राहक ऑनबोर्डिंग:नए ग्राहक ऑनबोर्डिंग में महत्वपूर्ण गति देखी गई, जिसमें योनो प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से 96% योग्य बचत खाते खोले गए।

योनो मोबाइल ऐप के माध्यम से एनपीएस खाता खोलने की शुरुआत 27 सितंबर 2021 को की गई है। यह एक पूर्ण एंड-टू-एंड प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक को सीआरए (सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी) को भौतिक फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। वर्ष के दौरान 49,051 खाते खोले गए हैं, जो पूरे बैंक स्तर पर खोले गए खातों का 29.60% है।

योनो कृषि: योनो कृषि, कृषि खंड के ग्राहकों के लिए एक व्यापक बहुभाषी मंच, 2019 में लॉन्च किया गया था, बैंक द्वारा हमारे किसान ग्राहकों को उनकी कृषि आवश्यकताओं से संबंधित निरंतर डिजिटल नवाचारों की पेशकश करके भविष्य के लिए तैयार करने के लिए एक पहल है। वित्त वर्ष 2022 के अंत तक, 24 लाख से अधिक योनो एग्री गोल्ड लोन योनो कृषि के माध्यम से स्वीकृत किए गए जिसमें 37,500 करोड़ रुपए की राशि शामिल थी।

सरलीकृत केसीसी समीक्षा अगस्त 2020 में शुरू की गई थी, जिसमें ग्राहक अपने केसीसी खाते की ऑनलाइन समीक्षा बगैर शाखा में उपस्थित हुए कागज़ रहित तरीके से करवा सकते हैं।

सफल (सरल और तेज़ कृषि ऋण) - एक पूर्व-अनुमोदित ऋण, कृषि खंड में अपनी तरह का पहला, सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। उत्पाद डेयरी गतिविधि में लगे किसानों के लिए उपलब्ध है और बैंक के साथ एक व्यवस्था के माध्यम से टाई अप के तहत कॉरपोरेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। किसान न्यूनतम प्रलेखन के साथ इस सरलीकृत, डिजीटल प्रक्रिया के माध्यम से संपार्श्विक सुरक्षा के बिना 3.00 लाख रुपए तक के ऋण का लाभ उठा सकते हैं। वित्त वर्ष 2022 के अंत तक 1.69 करोड़ रुपए के 316 SAFAL ऋण खातों और 34 कॉरपोरेट्स को ऑनबोर्ड किया गया है।

ऑनलाइन मार्केटप्लेस: वित्त वर्ष 2022 में, 111 व्यापारी भागीदार बी 2 सी मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म (मित्रा और मंडी सहित) पर लाइव थे, जिसमें वित्त वर्ष 2022 के दौरान ~`1,255 करोड़ रुपए + सकल माल मूल्य के 6 लाख+ लेनदेन हुए। इस प्लेटफ़ॉर्म ने आपके बैंक के लिए 20,000 से अधिक ऑटो लोन लीड उत्पन्न किए।

2. लघु एवं मध्यम उद्यम

आपका बैंक भारत भर में 829 एसएमई गहन और समर्पित शाखाओं के साथ एसएमई वित्तपोषण में बाजार अग्रणी है। 18 लाख से अधिक ग्राहकों के साथ, 31 मार्च 2022 तक 3,05,517 करोड़ रुपए का एसएमई पोर्टफोलियो आपके बैंक के कुल अग्रिमों का लगभग 10.83% है। भारतीय स्टेट बैंक ने विनिर्माण उत्पादन, निर्यात और रोजगार सृजन में उनके योगदान के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका को ध्यान में रखते हुए हमेशा एसएमई को एक महत्वपूर्ण खंड माना है। अभिनव और सरल वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होने के नाते, एसएमई विकास को जारी रखने के लिए आपके बैंक का दृष्टिकोण निम्नलिखित तीन स्तंभों पर आधारित है: क) ग्राहक सुविधा, ख) जोखिम शमन, ग) प्रौद्योगिकी-आधारित डिजिटल प्रस्ताव और प्रक्रिया में सुधार।

1. ग्राहक सुविधा

बदलते भारत के लिए गतिशीलता का निर्माण और उसे निरंतर बनाए रखने के लिए, आपके बैंक ने शाखाओं और अन्य चैनलों के मामले में सबसे अधिक संख्या में टचपॉइंट बनाए हैं। लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यवसाय को सरल बनाने के लिए, आपके बैंक ने लघु और मध्यम उद्यम केंद्र (एसएमईसी) के अपने मौजूदा वितरण मॉडल को संशोधित किया है और 50 लाख रुपए तक के ऋण के लिए ग्राहकों के साथ एंड-टू-एंड संबंधों को बनाए रखने के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन टीमों (एएमटी) का गठन किया है। मानव संसाधन के संदर्भ में एसएमई व्यवसाय इकाई को भी मजबूत किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप समग्र सेवा स्तरों में सुधार हुआ है। ग्राहकों के साथ बेहतर तरीके से जुड़ने के लिए 50.00 लाख रुपए से ऊपर के ऋणों को रिलेशनशिप मैनेजर, एसएमई द्वारा संभाला जाता है। 31 मार्च, 2022 तक, पूरे भारत में 1,810 आरएम (एसएमई) सक्रिय थे।

ग्राहकों के साथ हमारे संबंध में सुधार करने और हमारे एसएमई व्यवसाय को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, हमने आपके बैंक

में एसएमई संरचना पर फिर से विचार किया है, जिसमें सभी आंचलिक कार्यालयों में 104 सहायक महाप्रबंधक (एसएमई) तैनात किए गए हैं।

2. डिजिटल उत्पाद

आपका बैंक व्यवसाय के हर पहलू में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा रहा है। उत्पादों को डिजाइन करने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, निगरानी और वितरण में सुधार के लिए तकनीक की सहायता ली जा रही है। इसके अलावा, इसने एसएमई पोर्टफोलियो बनाने के लिए कई पहल किए हैं जो जोखिम को कम करता है। इसने (i) उत्पाद सूट, (ii) प्रक्रिया (iii) बैंकिंग की सरलता सुनिश्चित करने के लिए वितरण में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं।

ऋण जीवन-चक्र प्रबंधन, ऑनलाइन ऋण आवेदन और ऑनलाइन लीड स्थिति:

आपका बैंक कॉरपोरेट वेबसाइट पर एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए एक ऑनलाइन ऋण आवेदन और ट्रैकिंग सुविधा प्रदान करता है। लोन ओरिजिनेशन सॉफ्टवेयर (एलओएस-एसएमई) और ऋण जीवन चक्र प्रबंधन प्रणाली (एलएलएमएस) गुणवत्ता सुनिश्चित करने और कॉरपोरेट स्मृति को संरक्षित करने के लिए समान क्रेडिट वितरण मानकों को अपनाते हैं।

ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम):

आपके बैंक ने ग्राहकों के साथ उनके जीवनचक्र में जुड़ने, ग्राहकों की आवश्यकताओं की समझ बढ़ाने और बैंक के ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए एक एकीकृत मंच के रूप में एक सीआरएम प्रणाली उपलब्ध कराया है। सीआरएम पोर्टल को विभिन्न चैनलों के माध्यम से सीआरएम अनुप्रयोग में लीड उत्पन्न करने, कई चरणों में लीड की बेहतर निगरानी तंत्र और ग्राहक कनेक्ट के माध्यम से कम टीएटी के साथ बढ़े हुए व्यवसाय की बुकिंग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सीआरएम में लीड निगरानी के अलावा ग्राहक 360 डिग्री व्यू भी उपलब्ध है।

संपर्क रहित ऋण प्लेटफ़ॉर्म (सीएलपी):

भारतीय स्टेट बैंक सिडबी के नेतृत्व वाले पीएसबी कंसोर्टियम के हितधारकों में से एक है और आपके बैंक की पथप्रदर्शक पहल (psbloansin59minutes.com) जीएसटी प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत एसएमई को ऋण और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आसान सुविधा उपलब्ध कराती है। प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करके, आपका बैंक ₹ 1.00 लाख से ₹ 500.00 लाख तक ऋण आवश्यकताओं के लिए लीड सोर्सिंग कर रहा है। वित्त वर्ष 2022 में, 7,661 एमएसएमई ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनकी राशि ₹2,526.90 करोड़ है।

प्रोजेक्ट विवेक

प्रोजेक्ट विवेक ने आपके बैंक की मूल्यांकन प्रणाली में पारंपरिक बैलेंस शीट आधारित वित्तपोषण से नकदी प्रवाह और अन्य सूचना स्रोतों का लाभ उठाने की अधिक उद्देश्यपरक मूल्यांकन प्रणाली में एक आमूलचूल बदलाव की शुरुआत की। यह एसएमई खंड के लिए नए क्रेडिट अंडरराइटिंग इंजन (सीयूई) को लागू करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शुरू की गई एक आशाजनक पहल है, जिससे बेहतर जोखिम मूल्यांकन में निष्पक्षता लाई जा सके। इसके अलावा, यह टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) को कम करता है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर ग्राहक अनुभव होता है। वित्त वर्ष 2022 में, परियोजना विवेक के तहत 35,589 प्रस्तावों पर कार्रवाई की गई थी। इसके अतिरिक्त, हामीदारी प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए वर्ष के दौरान इस परियोजना में तकनीकी संवर्द्धन किया गया था। निधि आधारित कार्य सीमा के नवीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए परियोजना विवेक के अंतर्गत सरलीकृत स्वचालित त्वरित नवीकरण प्रक्रिया को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

एसएमई गोल्ड लोन

आपके बैंक ने सरलीकृत मूल्यांकन और आसान मंजूरी के साथ स्वर्ण आभूषणों/आभूषणों की सुरक्षा के प्रति एमएसएमई इकाइयों को अल्पकालिक ऋण सहायता प्रदान करने के लिए एक सरलीकृत उत्पाद अर्थात् एसएमई गोल्ड लोन शुरू किया है। इसने एमएसएमई इकाइयों को वित्त का लाभ उठाने और अपने व्यवसायों के विकास में सहायता करने में आसानी से अपने तरलता अंतराल को कम करने में मदद की है।

पूर्व-अनुमोदित व्यापार ऋण (पीएबीएल)

आपके बैंक ने एक सरलीकृत पीएबीएल उत्पाद जारी किया है- चालू खाता ग्राहकों के लिए ₹ 10 लाख तक के ऋण को मंजूरी देने के लिए एक विश्लेषिकी उत्पाद लॉन्च किया गया है। आपके बैंक ने डिजिटल रिटेलर फाइनेंस प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। कुल 1,800 खुदरा व्यापारियों ने पायलट रन का लाभ उठाया।

सीएलपी के अंतर्गत सीए के लिए एसएमई वित्त

यह एक सरलीकृत, स्कोरिंग आधारित उत्पाद है जो कॉन्टैक्टलेस लेंडिंग प्लेटफॉर्म (सीएलपी) पर उपलब्ध है। यह सीजीटीएमएसई के तहत कवर किया गया एक संपार्श्विक-मुक्त ऋण है। मूल्य निर्धारण इबीएलआर से जुड़ा हुआ है।

कोविड -19 सहायता

भारतीय रिजर्व बैंक के विनियामक पैकेज के अनुरूप, जीईसीएल के अंतर्गत निधियों का शीघ्र निपटान और रिलीज सुनिश्चित करने के लिए मंज़ूरी दी जाती है। जीईसीएल योजना 31 मार्च, 2023 तक जारी रहेगी।

आपका बैंक मौजूदा अस्पतालों, नर्सिंग होम, क्लीनिकों और मेडिकल कॉलेजों के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए एसएमई ऋण के लिए संजीवनी योजना में भी भाग ले रहा है।

आपका बैंक आरोग्यम हेल्थकेयर बिजनेस लोन वितरित करने में भी भाग लेता है, जो उत्पाद के तहत पूरे स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिकी तंत्र को कवर करता है। इसमें शामिल हितधारकों में अस्पताल, नर्सिंग होम, नैदानिक केंद्र, पैथोलॉजी प्रयोगशालाएं, निर्माता, आपूर्तिकर्ता, आयातक और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति में लगे लॉजिस्टिक फर्म शामिल हैं।

ब्याज की प्रतिस्पर्धी दरें

आपके बैंक ने 1 अक्टूबर, 2019 से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सभी फ्लोटिंग रेट ऋणों को बाहरी बेंचमार्क से जोड़ा है।

व्यापार प्राप्य राशि डिस्काउंट प्रणाली (TReDS)

भारतीय स्टेट बैंक एमएसएमई को वित्त प्रदान करने के लिए स्थापित TReDS मंच पर एक फाइनेंसर के रूप में पंजीकरण करवाने वाला समस्त पीएसयू बैंको में से पहला बैंक है। देश के सभी तीन TReDS प्लेटफार्मों, अर्थात् RXIL, M1 एक्सचेंज और Invoicemart पर हमारी उपस्थिति है। आपका बैंक प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन बोली में सक्रिय रूप से भाग ले रहा था और एमएसएमई के लाभ के लिए बहुत प्रतिस्पर्धी दरों की पेशकश कर रहा है। वित्त वर्ष 2022 में, कुल ₹2,668 करोड़ के 14,208 बिलों पर छूट दी गई थी।

आपूर्ति श्रृंखला वित्त

हमारी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और हमारे विशाल शाखा नेटवर्क का लाभ उठाते हुए, आपका बैंक विभिन्न क्षेत्रों में कॉरपोरेट दुनिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके आपूर्ति श्रृंखला वित्त में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना हुआ है। आपके बैंक ने 31,000 से अधिक डीलरों और 12,260 से अधिक विक्रेताओं को आपूर्ति श्रृंखला वित्त का विस्तार किया है, जिनकी कुल स्वीकृत सीमा 38,680 करोड़ रुपए (ई-डीएफएस) और 5,825 करोड़ रुपए (ई-वीएफएस) से अधिक है। वित्त वर्ष के दौरान 37 नए टाई-अप स्थापित किए गए, जिनमें सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड, स्कोडा, होंडा इंडिया पावर लिमिटेड, बजाज ऑटो लिमिटेड, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और ट्राइडेंट लिमिटेड और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड शामिल हैं। इस वित्तीय वर्ष में 31 मार्च, 2022 तक 5643 करोड़ रुपए की नई ई-डीएफएस सीमाएं स्वीकृत की गई थीं। आपूर्ति श्रृंखला पोर्टफोलियो को स्थिर रखने के लिए आपके बैंक ने आपूर्ति श्रृंखला पोर्टफोलियो के लिए उपयुक्त जोखिम शमन उपायों और जोखिम-आधारित मूल्य निर्धारण लागू किया है। देश का सबसे बड़ा ऋणदाता होने के नाते, आपके बैंक ने कोविड महामारी से संबंधित व्यावसायिक मंदी के दौरान ई-डीएफएस सुविधा का लाभ उठाने वाले डीलरों की सहायता करने के लिए

उपायों को लगातार लागू करने में भी नेतृत्व की भूमिका निभाई है। आपके बैंक ने ई-वीएफएस प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और बेहतर ग्राहक अनुभव के लिए एक विक्रेता के लिए एक फ्रंट-एंड डिजिटल इंटरफ़ेस तैयार किया है।

3. व्यापार साझेदारी और टाई-अप

गोदाम रसीद वित्त: आपके बैंक ने व्यापारियों/माल/विनिर्माताओं के मालिकों को प्रसंस्करण के लिए वित्त प्रदान करने हेतु एक गोदाम रसीद वित्तपोषण योजना (डब्ल्यूएचआर) शुरू की है, जो भारतीय स्टेट बैंक के साथ टाई-अप रखने वाले संपार्श्विक प्रबंधकों द्वारा जारी वेयरहाउस रसीदों के एवज में प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भण्डारण निगम (सीडब्ल्यूसी) और राज्य भण्डारण निगम (एसडब्ल्यूसी) द्वारा जारी डब्ल्यूएचआर भी डब्ल्यूएचआर वित्त के लिए पात्र होंगे। एसबीआई ने ई-एनडब्ल्यूआर के खिलाफ वित्तपोषण के लिए भंडार एनईआरएल और सीसीआरएल और डब्ल्यूएचआर फाइनेंस्ड के तहत एनपीए/तनावग्रस्त खातों की ई-नीलामी के लिए एनईएमएल (एनसीडीईएक्स की एक सहायक कंपनी) के साथ भी करार किया है।

3. ग्रामीण बैंकिंग-कृषि व्यवसाय

इस वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि और संबद्ध गतिविधियों के तहत आपके बैंक का ऋण रुपए 2,27,000 करोड़ के प्रमुख मील के पत्थर को पार कर गया है, और जो 1.41 करोड़ से अधिक किसानों की आवश्यकता को पूरा करता है। वर्ष के दौरान कृषि स्वर्ण ऋण संविभाग 31.03.2021 को रुपए 66,878 करोड़ से बढ़कर 31.03.2022 तक रुपए 73,601 करोड़ हो गया है।

कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर निधि(एआईएफ),पशुपालन इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (एएचआईडीएफ) और प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिकीकरण (पीएम एफएमई) जैसी आत्मनिर्भर भारत योजनाओं के तहत आपके बैंक ने आरंभ से 1,400 उधारकर्ताओं को रुपए 806 करोड़ की राशि का ऋण वितरित किया है।

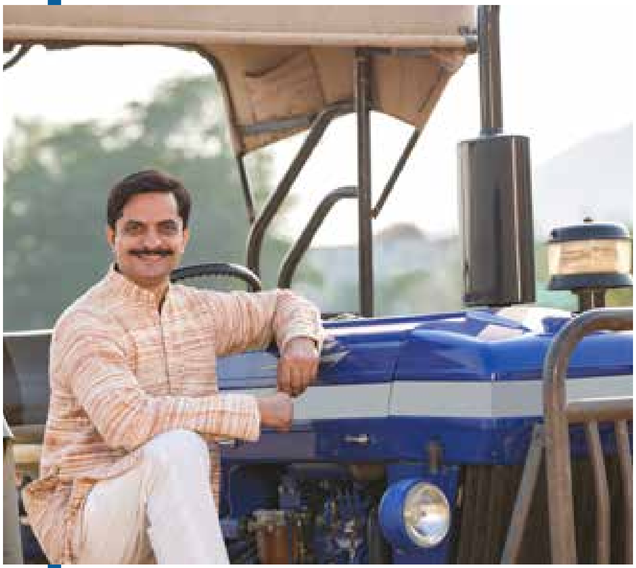

आत्मनिर्भर भारत योजनाएं यथा; कृषि आधारभूत संरचना फंड, पशुपालन बुनियादी संरचना विकास फंड एवं पीएम फॉर्मलाईजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज ने कृषि व्यवसाय में व्यापक परिवर्तन किए हैं।

विगत वर्षों में किसानों को ऋण वितरण:

कृषि ऋण प्रवाह

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	लक्ष्य	वितरण	उपलब्धि%
वि व 2019	1,16,315	1,56,385	134
वि व 2020	1,27,947	1,77,473	139
वि व 2021	1,74,468	1,98,268	114
वि व 2022	**1,92,500**	**2,19,396**	**114**

1. सूक्ष्म ऋण:

आपके बैंक ने ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा स्थापित वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए लगातार सर्वाधिक स्वयं सेवा समूह बैंक लिंकेज के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है।

आपके बैंक की 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 85 लाख से अधिक महिला सदस्यों को शामिल करते हुए 8.71 लाख स्वयं सेवा समूहों को रुपए 24,023 करोड़ के बकाया ऋण के साथ सभी बैंकों के बीच स्वयं सेवा समूह ऋणों में दूसरी सबसे अधिक बाजार हिस्सेदारी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ऋणों की एसबीआई की बाजार हिस्सेदारी पीएसबी में दूसरी सबसे अधिक है जो 31.03.2022 को 25.80% है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई-एनआरएलएम) के आरंभ से आपके बैंक ने बैंक-स्वयं सेवा समूह सहबद्धता के तहत 29,35,453 स्वयं सहायता समूहों को वित्तपोषण किया है और 31.03.2022 तक रुपए 66,821 करोड़ वितरित किए हैं।

आपके बैंक ने आरंभ से रुपए 50,000 की सीमा तक सूक्ष्म उद्यमों के वित्तपोषण के लिए ई-मुद्रा योजना के तहत रुपए 882 करोड़ वितरित किए हैं। चालू वित्त वर्ष में 31.03.2022 तक 1,24,763 ऋण स्वीकृत किए गए हैं और रुपए 562 करोड़ वितरित किए गए हैं।

आपके बैंक ने कोविड-19 महामारी के दौरान स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका में सहायता प्रदान करने के लिए 02.07.2020 से "प्रधान मंत्री स्वनिधि ऋण" प्रारम्भ किया है। वित्त वर्ष 2021-22 में हमने 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार दोनों किश्तों I और II के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को रुपए 406 करोड़ की राशि के 3,48,041 ऋण वितरित किए हैं।

2. डिजिटल कदम, सहयोग:

वर्तमान में आपके बैंक के योनो कृषि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कृषि गोल्ड लोन और केसीसी रिव्यू की सुविधा है । वर्ष के दौरान आपके बैंक ने योनो कृषि सफल डेयरी आरंभ किया है जो डेयरी किसानों के वित्तपोषण के लिए संपूर्ण डिजिटल उत्पाद है। आपके बैंक ने कृषि में सभी कार्यों को डिजिटल करने की शुरुआत की है।

डिजिटल सर्वश्रेष्ठ कार्यनीति के साथ कृषि व्यवसाय में उच्च मात्रा और कम मूल्य वाले टिकट ऋणों के लिए आपका बैंक एग्रीटेक-बीसी को ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया में है जिनका विभेदित बिजनेस मॉडल है। ये एग्रीटेक कृषि और सूक्ष्म ऋण उत्पादों को प्राप्त करने, सेवा देने और संग्रह करने में मदद करेंगे।

सेवारहित और अल्पसेवा प्राप्त करने वाली आबादी तक हमारी पहुंच बढ़ाने के लिए हमने सह-उधार मॉडल के तहत सात एनबीएफसी एमएफआई के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

आपके बैंक ने मानक अतिदेय खातों में पुनर्भुगतान के संग्रह के लिए 19 राष्ट्रीय कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) और 42 राज्य स्तरीय बीसी के साथ समझौतों को निष्पादित किया है। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार वसूली के लिए 14,657 शाखाओं के साथ 57,145 ग्राहक सेवा बिंदुओं (सीएसपी) को जोड़ा गया है।

3. वित्तीय समावेशन (एफआई)

आपके बैंक ने अपने व्यवसाय लक्ष्य को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के समानान्तर रखते हुए वित्तीय समावेशन की गतिविधियों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स (बीसी) और ग्राहक सेवा बिंदुओं (सीएसपी) के विशाल नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रभावशाली कदम उठाए हैं। 31 मार्च 2022 तक, आपके बैंक के पास 68,016 सीएसपी हैं, जिन्होंने शाखाओं में ग्राहकों के भार को कम करते हुए बिना बैंक वाले क्षेत्रों में लगभग 26 बैंकिंग उत्पाद और सेवाओं को सुलभ करवाया हैं। बीसी/सीएसपी चैनल ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान ₹2,87,857 करोड़ की राशि के लगभग 54.44 करोड़ लेनदेन किए हैं।

बीसी/सीएसपी चैनल तेजी से बैंक के वित्तीय समावेशन पहल के सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक बन रहा है। इस चैनल ने ₹42,450 करोड़कीजमा के साथ 14.20 करोड़ बीएसबीडी खाते खोले हैं और समाज के गैर-बैंकिंग/वंचित वर्ग को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली के दायरे में लाया है। सामाजिक सुरक्षा उपायों की जरूरतों को पूरा करने के लिए, कम लागत वाले सूक्ष्म बीमा उत्पाद (पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई) और पेंशन योजनाएं (एपीवाई)असंगठित क्षेत्र में लगभग 10 करोड़ ग्राहकों को कवर करते हुए कारगर तरीके से प्रदान की जाती हैं।

4. वित्तीय साक्षरता प्रदान करना (एफएलसी)

निःशुल्क वित्तीय साक्षरता, ऋण परामर्श तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का प्रचार करने के लिए, आपके बैंक ने देश भर में 341 एफ़एलसी स्थापित किए हैं। इसके अलावा, ग्रामीण जनता के बीच वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आरबीआई की पहल के अनुरूप आपके बैंक ने ब्लॉक स्तर पर वित्तीय साक्षरता के लिए 189 केंद्र (सीएफएल) भी स्थापित किए हैं, जिसे निकट भविष्य में 235 तक बढ़ाया जाएगा।

5. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

आपके बैंक ने 26 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 152 आरएसईटीआई स्थापित किए हैं। आरएसईटीआई सामाजिक परिवर्तन कारकों के रूप में कार्य करते हैं, ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से सतत आजीविका के लिए सशक्त बनाते हैं, जिससे उन्हें अपने सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने में मदद मिलती है, फलस्वरूप ग्रामीण रोजगार और धन सृजन होता है। वर्तमान महामारी के दौरान, देश भर में बैंक के ग्राहक सेवा केंद्रों ने जरूरतमंद लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों / परिस्थितियों में कार्य किया।

4. सरकारी व्यवसाय

आपका बैंक सरकारी व्यवसाय के संचालन में सबसे आगे है तथा केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों एवं विभागों के लिए मान्यता प्राप्त बैंकर है। केंद्र सरकार के कुल कारोबार में 63% से अधिक की बाजार हिस्सेदारी के साथ, भारतीय स्टेट बैंक सरकारी व्यवसाय में अग्रणी है।

विवरण (करोड़ रुपए में)	वित्त वर्ष 2021	वित्त वर्ष 2022
सरकारी कारोबार	50,77,446	55,18,281
कमीशन	3,618	3,713

यह गर्व की बात है कि भारतीय स्टेट बैंक भारत सरकार के महत्वपूर्ण बैंकरों में से एक है। आपका बैंक नियमित रूप से अनुकूलित प्रौद्योगिकी समाधान विकसित करने में लगा हुआ है, जिससे ऑनलाइन मोड में लेन-देन को सुगम बनाने वाली सरकार की डिजिटल पहलों के साथ तालमेल बनाए रखा जा सके, अधिक दक्षता और पारदर्शिता प्रदान की जा सके, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार करने में आसानी हो और नागरिकों के लिए जीवन यापन सहज हो। भारतीय स्टेट बैंक भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, एवं पीएमजेडीवाई महिला लाभार्थियों के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना के कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से लगा हुआ है। वित्त वर्ष 2022 की प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

पीएम किसान सम्मान निधि योजना: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मान्यता प्राप्त बैंक के रूप में, आपके बैंक ने इस योजना के तहत 62,439 करोड़ रुपए के वितरण की सुविधा प्रदान की है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): भारत सरकार और राज्य सरकारों की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) की सभी प्रमुख योजनाएं आपके बैंक के माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित की जा रही हैं। भारतीय स्टेट बैंक एलपीजी सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटीएल) के प्रसंस्करण के लिए एकमात्र बैंकर है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय: आपके बैंक ने एनआरआईडीए (राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी) द्वारा ई-निविदा समाधान पर बयाना जमा राशि (ईएमडी) संग्रहण के लिए हरियाणा, असम और राजस्थान राज्य सरकारों को सफलतापूर्वक शामिल किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाधीन है। शेष सभी राज्य सरकारों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाना है।

रक्षा मंत्रालय (एमओडी): रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशनरों की पेंशन के केंद्रीकृत प्रसंस्करण के लिए स्पर्श पोर्टल लॉन्च किया है। आपके बैंक ने अपनी 446 शाखाओं (रक्षा पेंशनर गहन) के माध्यम से स्पर्श पोर्टल पर रक्षा पेंशनरों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है।

सशस्त्र सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष (माँ भारती के सपूत): रक्षा मंत्रालय ने रक्षा कर्मियों के लिए धन जुटाने हेतु 'मां भारती के सपूत' लॉन्च करने की योजना बनाई है। आपके बैंक ने एसबीआई पेमेंट गेटवे के माध्यम से नागरिकों से ऑनलाइन दान प्राप्त करने के लिए "आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअल्टीज़ वेलफ़ेयर फंड" के नाम से एक खाता खोला है।

रेल मंत्रालय: रेल मंत्रालय ने ई-ढुलाई के लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने एसबी एमओपीएस को उनके पोर्टल के साथ एकीकृत किया है। आवक प्राप्तियों

के लिए, रेल मंत्रालय ने एक ई-रसीद प्रणाली (एमईआरएस) विकसित की है। भारतीय स्टेट बैंक ने एसबी एमओपीएस को एमईआरएस के साथ एकीकृत कर धन की प्राप्ति और निधियों के निपटान के लिए एक निर्बाध प्रणाली प्रदान की है।

डाक विभाग: पूरे डाक भुगतान की देखभाल के लिए केंद्रीकृत एकीकृत भुगतान प्रणाली (सीआईपीएस) के लिए सहमति ज्ञापन निष्पादित किया गया है।

एकल नोडल खाता तंत्र के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाएं (सीएसएस): भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत जारी धन के उपयोग की निगरानी के लिए एकल नोडल खाता (एसएनए) तंत्र (आवंटित सीमा के साथ कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के सहायक खाते) को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। आपके बैंक ने भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार एसएनए तंत्र के तहत सीएसएस के लिए एक नया एप्लिकेशन विकसित करने के लिए टीसीएस को शामिल किया है।

पेंशन भुगतान: आपका बैंक 52.96 लाख पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान का प्रबंध कर रहा है। वित्त वर्ष 2022 में 3.40 लाख पेंशनभोगियों के नए पेंशन खाते जोड़े गए हैं। आपके बैंक ने पेंशनभोगियों के लिए एक वीडियो जीवन प्रमाणपत्र सुविधा शुरू की है जो पेंशनभोगियों को वीडियो के माध्यम से अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति देता है।

लघु बचत योजनाएं: आपका बैंक 85.04 लाख से अधिक पीपीएफ खातों, 22.74 लाख सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसए) खातों और 11.69 लाख वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) खातों को सेवा प्रदान करता है, जो सभी प्राधिकृत बैंकों में सर्वाधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4.62 लाख पीपीएफ खाते, 2.43 लाख एसएसए खाते और 1.40 लाख एससीएसएस जोड़े गए हैं।

पीपीएफ खातों का ऑनलाइन एक्सटेंशन: ग्राहकों के लिए अपने पीपीएफ खातों को ऑनलाइन नवीनीकृत करने के लिए यह सुविधा प्रारंभ की गई है। पीपीएफ ग्राहकों को एसएमएस अलर्ट के माध्यम से खाते के नवीनीकरण, यदि वे एक्सटेंशन चाहते हैं तो, की याद दिलाने के लिए यह सुविधा प्रारंभ की गई है।

5. डिज़िटल और लेनदेन बैंकिंग (डीएंडटीबी) विपणन

डी एंड टीबी मार्केटिंग, जिसे पहले संव्यवहार बैंकिंग यूनिट (टीबीयू) के रूप में जाना जाता था, ग्राहकों को व्यापक लेनदेन से संबंधित नवीनतम तकनीक के माध्यम से उत्पाद एवं समाधान उपलब्ध कराता है। आपके बैंक में टीबी व्यवसाय का उद्देश्य ग्राहकों की थोक लेनदेन आवश्यकताओं और अनुकूलित एमआईएस, ईआरपी के साथ एकीकरण, और एक समर्पित एकल बिंदु क्लाइंट सपोर्ट सेल जैसे अन्य मूल्य संसर्धन को पूरा करने के लिए नई प्रौद्योगिकी पहलों को अपनाना है। लेन-देन पैटर्न का अध्ययन और विश्लेषण आपके बैंक को ग्राहकों के लिए क्रेडिट, फंड प्रबंधन, क्रॉस-सेलिंग और अन्य सेवाओं जैसी अन्य बैंकिंग आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए गैर-पारंपरिक तकनीकों को विकसित करने में सक्षम बनाता है।

बैक-एंड प्रक्रियाओं और मजबूत ग्राहक सेवा वितरण चैनलों की दिशा में प्रौद्योगिकी प्रगति को लगातार कार्यान्वित किया जाता है। ग्राहक संतुष्टि की कुंजी वितरण है, और हमारे ग्राहकों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के लिए, आपके बैंक ने वैन आधारित नकद और चेक संग्रह, डिजी वाउचर और NACH ऑफ-यूएस जैसे नए समाधान जोड़े हैं।

आपके बैंक में एक मल्टी-चैनल डिलीवरी मॉडल है, जो इसे अपने ग्राहकों को किसी भी समय और किसी भी स्थान पर किसी भी चैनल के माध्यम से लेनदेन करने का विकल्प प्रदान करने की सुविधा देता है। आपका बैंक कॉरपोरेट्स, मिड-कॉरपोरेट्स, सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों, एनबीएफसी, बीमा कंपनियों, बैंकों, म्यूचुअल फंड और एसएमई ग्राहकों को उनकी फंड प्रबंधन आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के लिए टीबी उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

कॉरपोरेट ग्राहकों को एक समर्पित टीम द्वारा सेवा प्रदान की जाती है जिसमें कई उप-टीमें शामिल होती हैं जो ग्राहकों को विशिष्ट और उनके अनुरूप उत्पाद की सुविधा के लिए विशिष्ट क्षेत्रों पर केंद्रित होती हैं। आपके बैंक को लेनदेन वित्त पुरस्कार 2021 के तहत एशियाई बैंकर पत्रिका, सिंगापुर द्वारा "भारत में सर्वश्रेष्ठ नकद प्रबंधन और लेनदेन बैंक" के रूप में मान्यता दी गई थी।

चालू खाता (सीए) शेष राशि जमा की लागत (सीओडी) को कम करके और शुद्ध ब्याज मार्जिन(एनआईएम) में सुधार करके सीधे आपके बैंक की लाभप्रदता में योगदान देती है। चालू खाता कासा जमा का एक महत्वपूर्ण घटक बना हुआ है। एसबीआई के पास सीए उत्पादों का गुलदस्ता है जो बाजार में प्रतिस्पर्धी हैं और विभिन्न ग्राहक खंडों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आपके बैंक ने सीए व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं, और उनमें शामिल हैं:

लोग:

- आरएमसीए (संबंध प्रबंधक) वर्तमान खाता के लिए योनो उत्पाद, सीकेवायसी और ऑनलाईन चालू खाता खोलने का प्रशिक्षण।
- उच्चमान वाले चालू खाते को आरएमसीए से मैच किया गया।
- एसएसएल अधिकारियों को फीट ऑन स्ट्रीट (एफओएस) सहयोग प्रदान किया जा रहा है।
- संशोधित भूमिका के अनुरूप केआरए का अपडेशन।
- आरएमसीए के लिए एसबीआईसीबी हैदराबाद में सॉफ्ट / हार्ड स्किल्स के लिए दो दिन का प्रशिक्षण, जिसमें नवरत्न केंद्र आरएमसीए के लिए 4-दिवसीय प्रशिक्षण शामिल है।

प्रक्रिया:

- संशोधित एओएफ, जो उपयोगकर्ता के लिए अधिक अनुकूल हैं।
- ऑनलाइन चालू खाता खोलने की सुविधा.
- एओएफ और केवाईसी दस्तावेजों के डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए सीकेवाईसी। यह सीए खोलने में टीएटी को बेहतर बनाने में मदद करेगा। एसओपी, प्रशिक्षण, एसएमएस, ईमेल आदि।
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए सीसीओडी में सीए के बैक-एंड रूपांतरण के लिए कार्यक्षमता।
- सीआईसी रिपोर्ट (भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए) प्रचालन स्टाफ के लिए उपलब्ध कराई गई है।

उत्पाद:

- चालू खाता खोलने के लिए एमसीए एसपीआईसी फॉर्म का एकीकरण (विकासाधीन के तहत)।
- स्टार्ट-अप संस्थाओं के लिए शुभारम्भ स्टार्ट-अप चालू खाता।

प्रौद्योगिकी:

- एसबीआई कॉरपोरेट वेबसाइट पर बढ़ी हुई चालू खाता दृश्यता.
- विपणन अधिकारियों के मानचित्रण के लिए मोबिलाइज़र कोड।
- चालू खाता खोलने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए योनो व्यवसाय के माध्यम से चालू खाता खोलने की नवीन प्रक्रिया।

मार्च 2022 तक, चालू खातों में दैनिक औसत शेष राशि में 23,938 करोड़ रुपए (12.96%) की सकारात्मक वर्षानुवर्ष वृद्धि हुई है। 1,84,669 करोड़ रुपए (मार्च 2021) से 2,08,607 करोड़ रुपए (मार्च 2022) हो गए।

एसबीआईईपे: एसबीआई भारत का एकमात्र बैंक है जिसका अपना 'पेमेंट एग्रीगेटर सर्विसेज' (एसबीआईईपे) है, जिसे मार्च 2014 में लॉन्च किया गया था। अन्य बैंकों के विपरीत, जो निजी एग्रीगेटर की सेवाओं पर निर्भर करते हैं, एसबीआई के पास एक इन-हाउस एग्रीगेटर है, जो एसबीआई की अपनी पीजी सेवाओं के साथ मिलकर, एसबीआई को अन्य एग्रीगेटर्स और बैंकों की तुलना में अधिक सुरक्षा और अतिरिक्त लागत लाभ देता है। इसके अतिरिक्त, सरकारी व्यापारी निजी एग्रीगेटरों के मुकाबले एसबीआईईपे द्वारा अपने डेटा को संभालना पसंद करते हैं।

आपके बैंक ने केंद्र / राज्य सरकार के विभागों, विश्वविद्यालयों, धर्मार्थ ट्रस्टों, निजी व्यापारियों / संस्थानों सहित 1391 से अधिक व्यापारियों को ऑन-बोर्ड किया है। आपका बैंक आईएनबी लेनदेन के लिए 40 महत्वपूर्ण बैंकों के साथ एकीकृत है। यह वीज़ा, मास्टर और रूपे के डेबिट और क्रेडिट कार्ड के लिए एसबीआई पीजी का उपयोग करता है, और प्रीपेड कार्ड, सीधे एमेक्स और पे-पाल के साथ एकीकृत होता है। इसमें नकद और चेक (शाखा भुगतान), एनईएफटी तथा यूपीआई एवं यूपीआई तथा यूपीआई क्यूआर कोड भी भुगतान मोड के रूप में हैं। लिंक-आधारित भुगतान विकल्प को व्यापारियों के लिए वेबसाइट की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने के लिए रोल आउट किया गया है।

एसबीआईईपे पर मर्चेंट ऑन-बोर्डिंग ने वित्त वर्ष 2021 में 199 व्यापारियों की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में 346 व्यापारियों को ऑन-बोर्डिंग करके 73.87% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज की। शुल्क आय में वर्षानुवर्ष वृद्धि वित्त वर्ष 2021 में 26.1 करोड़ रुपए से 70.71% बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 44.45 करोड़ रुपए हो गई। लेनदेन मूल्य में टर्नओवर में 55.30% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें वित्त वर्ष 2022 में 84,934 करोड़ रुपए के लेनदेन की राशि थी जो वित्त वर्ष 2021 में 54,690 करोड़ रुपए थी।

एसबीआई ई-पे योजनाएं: भुगतान वॉलेट, चैनलों के साथ एकीकृत करके भुगतान विकल्पों को बढ़ाना।

- बड़े कॉरपोरेट्स, निजी व्यापारियों और विश्वविद्यालयों को बड़े लेनदेन की मात्रा के साथ ऑन-बोर्डिंग।
- एकल एकीकरण के माध्यम से निरंतर व्यापार के लिए विशिष्ट पोर्टल / प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं के साथ एकीकृत करना।
- मर्चेंट केवाईसी और ऑन-बोर्डिंग एग्रीमेंट के ऑनलाइन अपलोड के साथ एक व्यापारी की डिजिटल ऑन-बोर्डिंग।
- व्यापारियों को डिजिटल रूप से ऑन-बोर्ड करते समय जीएसटीआईएन और पैन का सत्यापन

योनो बिजनेस

योनो बिजनेस एक एकीकृत प्लेटफॉर्म है (मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप दोनों पर उपलब्ध) जो बैंकिंग जरूरतों की एक पूरी श्रृंखला को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है- व्यापार वित्त, विदेशी मुद्रा, नकद प्रबंधन, इंटरनेट बैंकिंग और आपूर्ति-श्रृंखला वित्त जो सभी श्रेणियों में कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए सबसे बड़े उभरते स्टार्ट-अप समूह के लिए है।

- **योनो बी प्लेटफॉर्म को अपनाना:** 17.53 लाख कॉरपोरेट उपयोगकर्ताओं ने 31 मार्च 2022 तक योनो बिजनेस का उपयोग किया है और यह संख्या हर दिन बढ़ रही है।
- **ग्राहक ऑनबोर्डिंग:** 1,39,413 नए डिजिटल ग्राहक योनो बिजनेस पोर्टल के माध्यम से 31 मार्च 2022 तक ऑनबोर्डिंग कर रहे थे।
- **आयात एलसी:** 1,39,413 नए डिजिटल ग्राहक योनो बिजनेस पोर्टल के माध्यम से 31 मार्च 2022 तक ऑनबोर्डिंग कर रहे थे।
- **विदेशी मुद्रा दर बुकिंग:** 31 मार्च 2022 तक 23,618 लेनदेन के साथ 23,602 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा बुकिंग की सुविधा प्रदान की गई।
- **पीएबीएल/पीएबीएल-पीओएस:** 31 मार्च 2022 तक, पूर्व-स्वीकृत व्यापार ऋण (पीएबीएल) में से 551.92 करोड़ रुपए के 13,372 पीएबीएल/पीएबीएल-पीओएस खोले गए।
- **योनो बी मोबाइल ऐप अपनाना:** 31 मार्च 2022 तक योनो बी मोबाइल ऐप का पंजीकृत उपयोगकर्ता आधार 6.19 लाख है। 1 जुलाई 2020 (लॉन्च की तारीख) से कुल डाउनलोड 20.01 लाख हैं।
- **चालू खाता खोलना:** 31 मार्च 2022 तक ऑनलाइन अनुरोध की सुविधा के साथ 1,01,248 चालू खाते खोले गए।
- **एपीआई बैंकिंग:** एपीआई सैंडबॉक्स परिवेश तैयार किया गया है जहां ग्राहक सैंडबॉक्स में खोज कर सकते हैं और यूएटी और उत्पादन के लिए सदस्यता ले सकते हैं। एपीआई ग्राहक को ईआरपी से बैंक के सीबीएस में भुगतान योनो बिजनेस के माध्यम से पोस्टिंग करने में सक्षम बनाता है। दो प्रकार के एपीआई भुगतान उपलब्ध हैं: एसटीपी (प्रत्यक्ष पोस्टिंग) और गैर-एसटीपी (ग्राहक के ईआरपी से शुरू किया गया अनुरोध और योनो बिजनेस में कॉरपोरेट के चेकर द्वारा अनुमोदित)।

6. कॉरपोरेट बैंकिंग

क. कॉरपोरेट लेखा समूह (कैग)

कॉरपोरेट लेखा समूह (कैग) आपके बैंक की एक समर्पित व्यवसाय इकाई है। यह एसबीआई के 'उच्च मूल्य वाले क्रेडिट' पोर्टफोलियो को एक विशेषिकृत और कुशल वितरण प्लेटफॉर्म के रूप में संभालता है। सीएजी बीयू की भारत के शीर्ष तीन वाणिज्यिक केंद्रों अर्थात् मुंबई (2), दिल्ली (1) और चेन्नई (1) में स्थित महाप्रबंधकों की अध्यक्षता में चार विशेष शाखाएं हैं।

एसबीआई में, कैग बीयू एक एकीकृत सेवा प्रदाता है जो विशेष रूप से शीर्ष अंकीय कॉरपोरेट्स को वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें उनके विदेशी सहयोगी और सहायक कंपनियां शामिल हैं। सीएजी बीयू का व्यवसाय मॉडल संबंध प्रबंधन अवधारणा पर आधारित है, और प्रत्येक ग्राहक / व्यवसाय समूह को एक संबंध प्रबंधक के लिए मैप किया जाता है जो अत्यधिक कुशल क्रेडिट और संचालन कार्यकर्ताओं से मिलकर एक बहुविध सेवा टीम का नेतृत्व करता है।

संबंध रणनीति ग्राहकों को एकीकृत और व्यापक समाधान प्रदान करने के लिए रखा जाता है, जिसमें एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूर्व-निर्धारित उत्पाद प्रदान करना शामिल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य एसबीआई को शीर्ष कॉरपोरेट्स की पहली पसंद बनाना है। वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा प्रत्येक कॉरपोरेट संबंध प्रबंधकों की नियमित समीक्षा सीएजी बीयू में संबंध प्रबंधन के लिए बेंचमार्क निर्धारित करती है।

विभिन्न मुख्य क्रेडिट उत्पादों के अलावा, सीएजी बीयू अन्य एसबीयू और एसबीआई की सहायक कंपनियों जैसे एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड और एसबीआई गिल्ट्स लिमिटेड के सहयोग से ग्राहक-विशिष्ट उत्पादों जैसे नकद प्रबंधन उत्पाद, ट्रेजरी और विदेशी मुद्रा उत्पादों और मर्चेंट बैंकिंग उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करती है।

सीएजी शाखाओं में ग्राहक सेवा दल नीचे सूचीबद्ध एसबीआई के सहयोगियों और सहायक कंपनियों द्वारा पेश किए गए विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं के चयन और वितरण में ग्राहकों की सहायता भी करते हैं:

- पूंजी बाजार आवश्यकताओं के लिए - एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एसबीआईकैप)
- ट्रेजरी और निवेश के लिए- एसबीआई गिल्ट्स लि और एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लि
- निवेश के लिए - एसबीआई म्यूचुअल फंड लि

- सामान्य और जीवन बीमा के लिए - एसबीआई जेनरल इंश्योरंस कंपनी लि. और एसबीआई लाइफ इंश्योरंस कं लि

- प्राप्य फैक्टरिंग के लिए - एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.

- कस्टोडियल सर्विसेज बैंकिंग- विदेशी (एफआईआई, एफपीआई, एफवीसीआई) और घरेलू संस्थागत ग्राहकों के लिए - एसबीआई सोसाइटी जनरल ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

बदलते बैंकिंग परिदृश्य के साथ समायोजित करने के लिए, आपके बैंक ने कैग बीयू के भीतर दो विशेष इकाइयों का निर्माण किया है:

कॉरपोरेट समाधान समूह (सीएसजी) - महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अर्थात् एफएमसीजी, ऑटो, एग्री, फार्मा और आईटी में कॉरपोरेट ग्राहकों की 360 डिग्री बैंकिंग आवश्यकताओं को देखते हुए, अपने पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को कवर करने के लिए और मौजूदा और साथ ही नए बैंक ग्राहकों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए।

वित्तीय संस्थान समूह (एफआईजी)- बीमा कंपनियों, ब्रोकरेज फर्मों, बैंकों (निजी और विदेशी), म्यूचुअल फंड, एफडीआई और एफपीआई संस्थाओं जैसे वित्तीय संस्थानों की क्रेडिट, लेनदेन, सामान्य बैंकिंग और गैर-बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।

31 मार्च, 2021 को 5.42 लाख करोड़ रुपए (फंड आधारित - 3.61 लाख करोड़ रुपए और गैर-फंड आधारित - 1.81 लाख करोड़ रुपए) के कुल ऋण पोर्टफोलियो की तुलना में 31 मार्च, 2022 तक सीएजी बीयू का कुल ऋण पोर्टफोलियो 6.18 लाख करोड़ रुपए (फंड आधारित - 4.02 लाख करोड़ रुपए और गैर-फंड आधारित - 2.16 लाख करोड़ रुपए) था। वित्त वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में ऋण की मांग में तेजी आई है, जिसके परिणामस्वरूप CAG BU में 0.76 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध ऋण वृद्धि हुई है। देश के प्रमुख शीर्ष कॉरपोरेट्स और नवरत्न पीएसयू कैग बीयू के सम्मानित ग्राहक हैं।

ख. राजकोषीय परिचालन

वैश्विक बाजार आपके बैंक के घरेलू राजकोषीय परिचालन संपन्न करता है और वह अपेक्षित जोखिम-समायोजित प्रतिलाभ प्राप्त करने के लिए अधिशेष निधियों का नियोजन बाजार में करने के लिए जिम्मेदार है। वैश्विक बाजार के संविभाग में एसएलआर (सांविधिक तरलता अनुपात) और गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में निवेश, सार्वजनिक रूप से बेचे जाने वाली ईक्विटियाँ, उद्यम पूंजी निधियाँ, निजी ईक्विटी एवं कार्यनीतिक निवेश शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, वह ऐसे बहुविध उत्पाद और सेवाएँ देता है जिससे ग्राहकों की विदेशी मुद्रा की जरूरतों की पूर्ति होती है। ।

ब्याज दर उतार-चढ़ाव और एसएलआर और गैर-एसएलआर पोर्टफोलियो

वैश्विक बाजार आपके बैंक के घरेलू निवेश संविभाग का प्रबंधन करता है और सीआरआर (नकद आरक्षित अनुपात) और एसएलआर (सांविधिक तरलता अनुपात) की विनियामक अपेक्षाओं की पूर्ति करता है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं और वित्तीय बाजारों पर कोविड -19 महामारी का बड़े पैमाने पर प्रभाव जारी रहा और भू-राजनीतिक तनावों ने बाजार की धारणा को और बिगाड़ दिया है।

मुख्य रूप से वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतों और आपूर्ति श्रृंखला / रसद व्यवधानों के कारण वैश्विक मुद्रास्फीति में वृद्धि वित्त वर्ष 2021-22 की मुख्य विशेषताओं में से एक रही है। भारत में, सीपीआई पूरे वर्ष आरबीआई के 4% के लक्ष्य से ऊपर बना रहा और पिछले कुछ महीनों में लगातार 6% से ऊपर बढ़ता रहा है, जिसका मुख्य कारण कच्चे तेल, खाद्य तेल की कीमतों और अन्य वस्तुओं की कीमतों पर ऊपर की ओर वृद्धि का दबाव रहा है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, आरबीआई ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न मौद्रिक उपाय करना जारी रखा। वर्ष की पहली छमाही के दौरान सरकार के बड़े उधार कार्यक्रम को सुगम बनाने के लिए, आरबीआई ने जी-सेक एक्विजिशन प्रोग्राम (जी-एसएपी) की शुरुआत की। आरबीआई ने अपरंपरागत उपायों जैसे कि लघु वित्त बैंकों के लिए लक्षित दीर्घकालिक रेपो संचालन (टीएलटीआरओ), अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के लिए तरलता सुविधा, असंयमित खुले बाजार संचालन (ओएमओ), प्रतिभूतियों की एक साथ बिक्री और खरीद आदि को भी जारी रखा। बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता के साथ मार्च 2021 से सीआरआर आवश्यकताओं में पहले की छूट को धीरे-धीरे वापस ले लिया गया। 31 दिसंबर 2021 तक सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत निवल मांग और सावधि देयताओं (एनडीटीएल) के अतिरिक्त एक प्रतिशत तक सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) में कमी करके, यानी एनडीटीएल के 3 प्रतिशत तक की छूट भी उपलब्ध कराई गई थी। आरबीआई ने स्थायी और तात्कालिक तरलता का प्रबंधन करने के लिए संशोधित चलनिधि प्रबंधन संरचना के तहत विभिन्न अवधि के परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो भी लागू किए।

वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.40% रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में यह 6.90% (संशोधित अनुमान) था। केंद्र ने 12.50 लाख करोड़ के रुपए की बाजार अपेक्षा के सामने रुपए 14.31 लाख करोड़ रुपए की बाजार सकल ऋण की घोषणा की जिसके परिणामस्वरूप बॉन्ड यील्ड में तेजी से वृद्धि हुई। प्रमुख केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक और तरलता नीति को सख्त करने के बाद, मुद्रास्फीति में वृद्धि के साथ, भारतीय 10-वर्षीय बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड 31 मार्च 2022 को 6.84% पर बंद हुआ।

आपके बैंक ने बड़ी सूझबूझ के साथ अतिरिक्त चलनिधि स्थिति का प्रबंधन किया है और चलनिधि में अपेक्षित मितव्ययिता को संभालने की अच्छी स्थिति में है। आपके बैंक ने प्रतिफल में वृद्धि के लिए कम ब्याज दर को नियंत्रण में रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाले कॉरपोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों के मिश्रण में निवेश किया है।

ईक्विटी बाजार

वैश्विक और घरेलू केंद्रीय बैंक की तरलता और कोविड -19 की दूसरी लहर से तेज आर्थिक सुधार ने हमारे ईक्विटी बाजार को वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में वैश्विक सूचकांकों से बेहतर निष्पादन करने में मदद की। हालांकि, वर्ष की दूसरी छमाही में ईक्विटी में सुधार हुआ क्योंकि बाजार सहभागियों ने मुद्रास्फीति के दबाव, वस्तुओं की कीमतों, विकास में मंदी, एफईडी के दर वृद्धि और भू-राजनीतिक तनावों का अनुमान लगा लिया था। भारतीय इक्विटियों ने चालू वित्त वर्ष में अच्छा प्रतिफल दिया, निफ्टी 50 इंडेक्स ने वर्ष-दर-वर्ष 18.88% लाभ दर्ज किया और सात वर्षों में दूसरे सबसे अच्छे प्रतिफल के साथ वर्ष समाप्त हुआ था। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान घरेलू बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स निफ्टी 50 ने 18,604 के उच्च और 14,151 के निचले स्तर के बीच कारोबार किया।

आपके बैंक ने बाजार की गति के अनुसार निवेश बुक पर विचार करते हुए, ईक्विटी बाजार की तेजी में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस वर्ष भी नए युग की टेक कंपनियों सहित आईपीओ की झड़ी लग गई, जिसमें मजबूत लिस्टिंग का लाभ मिला। InvITs और REITs सहित प्राथमिक बाजारों में आपके बैंक की सक्रिय भागीदारी बहुत उपयोगी साबित हुई है, जिससे उच्च प्रतिलाभ प्राप्त हुआ है। आपके बैंक ने घरेलू और वैश्विक परिघटनाओं पर नजर रखते हुए मजबूत जोखिम समायोजित प्रतिलाभ प्राप्त करने की दिशा में बाजार की गतिविधियों के अनुसार बही को पुन: व्यवस्थित करके इक्विटी पोर्टफोलियो का प्रबंधन जारी रखा हुआ है।

निजी ईक्विटी/ जोखिम पूंजी निधि

आपका बैंक वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान वैकल्पिक निवेश क्षेत्र में सक्रिय भागीदार रहा है और प्रत्यक्ष ईक्विटी भागीदारी के माध्यम से भी स्टार्ट-अप्स की सहायता की है। वर्ष के

दौरान, आपके बैंक ने निजी इक्विटी/वैकल्पिक निवेश कोष में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को मंजूरी दी।

विदेशी मुद्रा बाजार

वैश्विक बाजार आपके बैंक के विदेशी मुद्रा कारोबार को संभालता हैं, ग्राहकों को उनके मुद्रा प्रवाह के प्रबंधन हेतु समाधान प्रदान करता है और बाजार को तरलता प्रदान करने के अतिरिक्त, विकल्प, स्वैप और फॉरवर्ड के माध्यम से जोखिमों से बचाव करता हैं। आपका बैंक यूएसडी-रुपया स्पॉट और यूएसडी-रुपया फॉरवर्ड बाजारों में अग्रणी प्रतिभागी है और व्यापारी विदेशी मुद्रा प्रवाह में उच्च बाजार हिस्सेदारी रखता है। आपका बैंक सीसीआईएल एफएक्स क्लियर प्लेटफॉर्म में तरलता प्रदान करने में सबसे आगे है। करेंसी फ्यूचर्स में ट्रेड किया गया वॉल्यूम आपके बैंक को एक्सचेंज हाउस के प्रमुख क्लाइंट बैंकों की श्रेणी में रखता है। आपका बैंक सीसीआईएल द्वारा शुरू किए गए एफएक्स-रिटेल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय रूप से ग्राहकों को शामिल कर रहा है, जिसके माध्यम से ग्राहक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण से लाभान्वित होंगे। आपके बैंक ने ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एफएक्स-ऑल और ई-फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं।

पिछले वर्ष, आरबीआई ने भारतीय बैंकों को अपतटीय यूएसडी-रुपया बाजारों में भाग लेने की अनुमति दी थी, जिसे एनडीएफ बाजार या नॉन-डिलिवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स (एनडीसीसी) के रूप में भी जाना जाता है। तदनुसार, आपके बैंक ने अपतटीय यूएसडी-रुपया बाजार में भाग लेना प्रारंभ कर दिया है और उस बाजार का एक प्रमुख प्रतिभागी है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के व्यापारिक लेनदेन की मात्रा में वर्ष-दर-वर्ष 49.80% की मजबूत वृद्धि देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप आपके बैंक के लिए मर्चेंट वॉल्यूम में भी सुधार हुआ है।

वायदा कारोबार (डेरिवेटिव्स

आपका बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरिवेटिव्स के साथ-साथ एक्सचेंज-ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स और ब्याज दर फ्यूचर्स में डील करता है। आपके बैंक द्वारा कारोबार किए जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव में रुपया ब्याज दर स्वैप (ओआइएस), रुपया ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ), विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप (आइआरएस), विदेशी मुद्रा से रुपया ब्याज दर स्वैप (एमआइएफओआर), फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट (एफआरए), कैप्स, फ्लोर और कॉलर हैं। आपके बैंक द्वारा निपटाए गए मुद्रा डेरिवेटिव्स क्रॉस करेंसी स्वैप (सीसीएस), यूएसडी/आईएनआर विकल्प और क्रॉस करेंसी विकल्प हैं। आपके बैंक के ग्राहकों को ये उत्पाद और उनके अनुकूलित संस्करण ब्याज दर और विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को हेज करने के लिए पेश किए जाते हैं। आपके बैंक द्वारा डेरिवेटिव का उपयोग व्यापार के साथ-साथ बैलेंस शीट हेजिंग उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है।

आपके बैंक ने सभी लिबोर सेटिंग्स के लिए लिबोर से वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) में परिवर्तन को सुचारू रूप से पूरा कर लिया है, जिन्हें 31 दिसंबर 2021 से चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया गया है। पिछले कुछ महीनों से, आपका बैंक हमारे ग्राहकों को संक्रमण के बारे में लगातार जागरूक कर रहा है और 1 जनवरी 2022 से एआरआर आधारित उत्पाद जैसे एफसीएनआर (बी) ऋण, पीसीएफसी/ईबीआर ऋण और डेरिवेटिव उत्पाद शुरू किए हैं।

डेरिवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम होता है, अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के परिणामस्वरूप आपके बैंक को संभावित नुकसान हो सकता है। इसमें ऋण जोखिम भी होता है, यानी सामने वाला पक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं तो आपके बैंक को संभावित नुकसान हो सकता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित आपके बैंक की "डेरिवेटिव्स नीति" डेरिवेटिव्स लेनदेन करने के लिए बाजार जोखिम मानदंड (अन्य के साथ-साथ ग्रीक लिमिट, लॉस लिमिट, कट-लॉस ट्रिगर, खुली स्थिति सीमा, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01) और ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण रेटिंग, संस्वीकृति सीमाएं एवं ग्राहक उपयुक्तता नीति के अनुसार सीएएस रेटिंग) निर्धारित करती है। अंतर बैंक प्रतिपक्षों के जोखिम की निगरानी इस प्रयोजन के लिए निर्धारित सीमाओं के माध्यम से की जाती है। इन प्रतिपक्षों ने हमारे साथ आइएसडीए भी निष्पादित किया है।

विभिन्न प्रकार के जोखिमों की निगरानी के लिए आपके बैंक में विभिन्न समितियां और विभाग हैं। आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) कुशल चलनिधि प्रबंधन की निगरानी करती है। बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरिवेटिव्स लेनदेन से जुड़े बाजार जोखिमों की पहचान, उपाय और निगरानी करता है। यह विभाग इन जोखिमों के नियंत्रण और प्रबंधन में भी आस्ति देयता और प्रबंधन समिति की सहायता करता है और नियमित अंतराल पर बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को निर्धारित नीति के अनुपालन की रिपोर्ट करता है।

डेरिवेटिव के लेखांकन की नीति आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है।

ग. अंतरराष्ट्रीय परिचालन

सही मायने में अंतरराष्ट्रीय बैंक बनने के अपने प्रयास में, आपके बैंक का ध्यान विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैले भारतीय प्रवासियों और वैश्विक भारतीय कंपनियों का समर्थन करने के लिए भारत आधारित व्यवसाय के साथ विदेशी स्थानीय बाजारों में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए फिर से संगठित किया गया है। आपके बैंक के विदेशी परिचालनों का प्रबन्धन एक अलग व्यापार इकाई द्वारा किया जाता है - अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह (आईबीजी) जिसकी अध्यक्षता उप प्रबंध निदेशक (आईबीजी) द्वारा की जाती है और इसकी देखरेख एमडी (आईबी, टीएंडएस) द्वारा की जाती है।

विदेश स्थित बैंकिंग अनुषंगियां/ संयुक्त उद्यम	शेयरधारिता (%)
अनुषंगियां	
भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया)	100.00
एसबीआई कनाडा बैंक	100.00
भारतीय स्टेट बैंक (यूके) लिमिटेड	100.00
कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी	60.00
एसबीआई(मॉरिशस) लिमिटेड	96.60
बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	99.34
नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	55.00
विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियां	
एसबीआई सर्विकोस लिमिटाडा, ब्राजील	99.99
संयुक्त उद्यम	
बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड	20.00

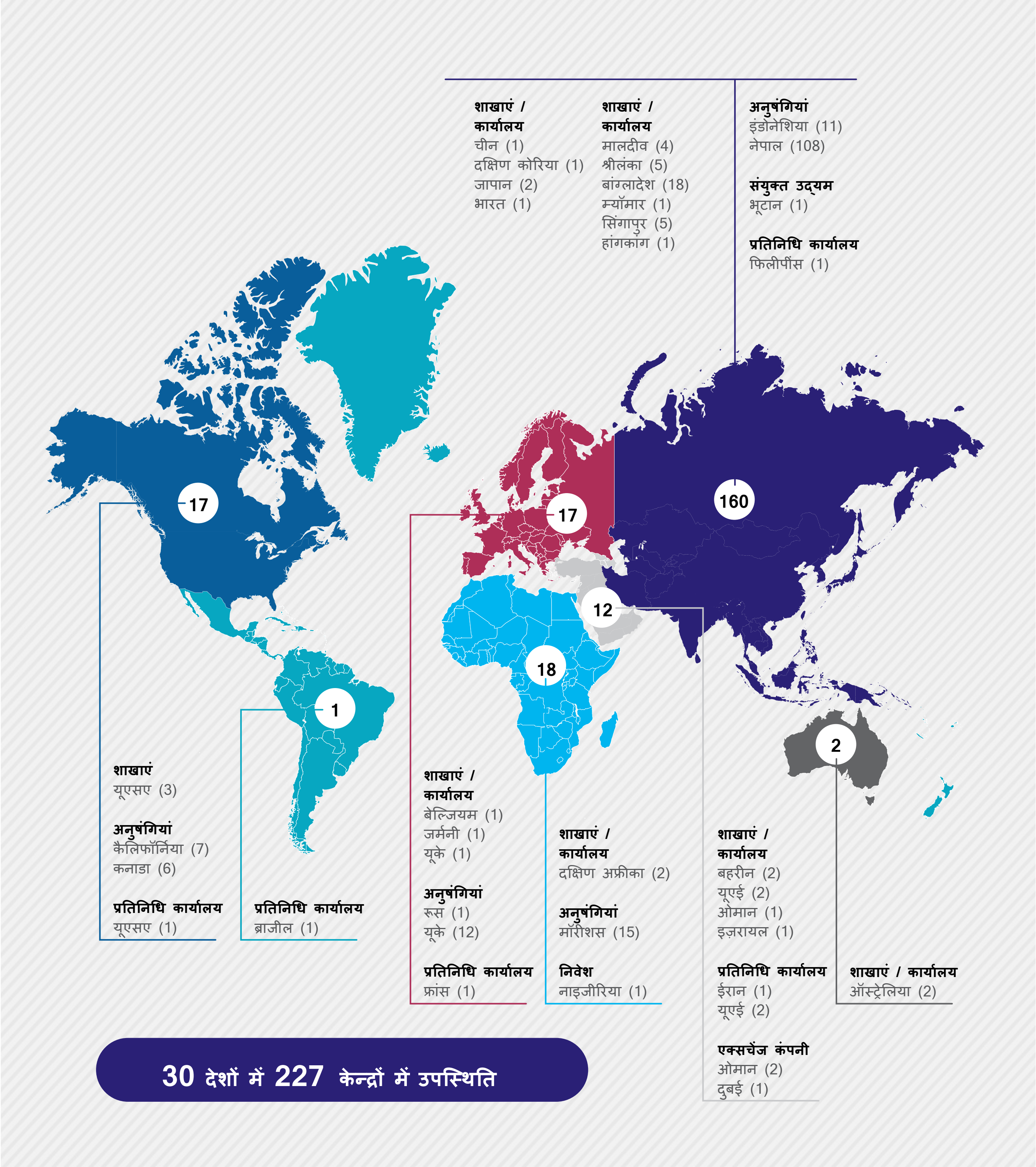

वैश्विक उपस्थिति: बैंक की पहली वैश्विक उपस्थिति जुलाई 1864 में कोलंबो, श्री लंका में बैंक ऑफ मद्रास की शाखा (भारतीय बैंकों में प्रथम) के साथ दर्ज हुई। 30 देशों में 227 कार्यालयों के माध्यम से सभी समय क्षेत्रों में उपस्थिति के साथ, भारतीय स्टेट बैंक धीरे-धीरे दुनिया भर में अपने पंख फैला चुका है और भारतीय पीएसबी के बीच अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग में अग्रणी बन गया है। एसबीआई के विदेशी कार्यालयों का प्रबंधन आईबीजी द्वारा किया जा रहा है ।

वित्त वर्ष 22 के दौरान, आपके बैंक ने अभीष्ट प्रदर्शन न करने वाले कार्यालयों को तर्कसंगत बनाकर अपने विदेशी संचालन को मजबूत करना जारी रखा जिससे लागत क्षमता में सुधार हो सके। बैंक ने एक विदेशी अनुषंगी-बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड को बंद कर दिया है और इसकी सहायक-एसबीआई यूके लिमिटेड की इलफोर्ड शाखा का ईस्ट हैम शाखा में विलय कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान, आपके बैंक ने कोविड 19 महामारी के कारण समेकन और मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर ध्यान केंद्रित करने के कारण नई शाखाएं / कार्यालय नहीं खोले हैं। कुल मिलाकर आईबीजी में वित्त वर्ष 2022 के अंत में 55 शाखाओं / कार्यालयों के साथ 227 कार्यालय थे, 161 शाखाओं / कार्यालयों के साथ 8 सहायक कंपनियां थीं, साथ ही 6 प्रतिनिधि कार्यालय और 5 प्रबंधित एक्सचेंज जेवी/ एसोसिएट्स थे।

महामारी के दौरान बैंक की प्रतिबद्धता : आपके बैंक ने कोविड महामारी के नए रूपों के कारण आने वाली विषम चुनौतियों के बावजूद अपने व्यापार की मात्रा को बढ़ा करके विदेशी भौगोलिक क्षेत्रों में अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना जारी रखा है।

आईबीजी ने अपने दायित्व आधार में विविधता लाकर विभिन्न कम लागत वाले विकल्पों के साथ अपने उच्च लागत वाले संसाधनों को प्रतिस्थापित करके बाजार में तरलता की कमी को देखते हुए संसाधनों की अपनी लागत को अनुकूलित करने के लिए अच्छी तरह से समायोजित किया है। इसने खुदरा जमा में वृद्धि के लिए अपने डिजिटल मूल्य वर्धित उत्पाद एसबीआई योनो को नए भौगोलिक प्रदेशों में लांच किया है जिससे संपर्क रहित उत्पाद से इसका प्रसार बढ़ सके।

विभिन्न महामारी संबंधी चुनौतियों के बावजूद, आईबीजी ने संपत्ति की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए, वर्ष के दौरान अपने विदेशी क्रेडिट पोर्टफोलियो (15% से अधिक) में अच्छी वृद्धि दर्ज करके व्यवसाय पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। सावधानीपूर्वक क्रेडिट निगरानी के अलावा, आईबीजी परिसंपत्ति गुणवत्ता में और गिरावट के कारण नुकसान की संभावना को कम करने के लिए तनाव के संकेत दर्शाने वाली परिसंपत्तियों के प्रबंधन में सतर्क रहा है। इसके अलावा, इसने मौजूदा संबंधों को सुदृढ़ करने और नए संबंध बनाने के लिए निर्यातकों, बैंकों आदि के साथ विभिन्न लोकसंपर्क पहलों के माध्यम से ग्राहकों के साथ अपना जुड़ाव बनाए रखा है।

आईबीजी ने क्रय-विक्रय अनुपात (स्प्रेड) कम होने और ऋण वृद्धि की चुनौतियों के बावजूद अपनी लाभप्रदता बनाए रखी है। इसने साल-दर-साल आधार पर निवल ब्याज आय, गैर-ब्याज आय, परिचालन लाभ आदि जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों में उल्लेखनीय सुधार प्रदर्शित किया है। यह अपनी लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए मर्चेंट बैंकिंग, प्राप्य वित्त आदि जैसी नई आय धाराओं का लाभ उठाना जारी रखे हुए है।

आईबीजी के विशिष्ट विभागों ने विभिन्न मोर्चों पर योगदान देकर गति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है:

क्रेडिट योगदान एवं बिजनेस ड्राइवर: जबकि आपका बैंक अन्य भारतीय और विदेशी बैंकों के संयोजन के साथ सिंडिकेटेड सौदों के माध्यम से और द्विपक्षीय व्यवस्था के माध्यम से ईसीबी के द्वारा विदेशी मुद्रा में ऋण की व्यवस्था करके, अपनी वैश्विक विकास रणनीति में भारतीय कॉरपोरेट्स का एक सक्रिय भागीदार है, यह स्थानीय/वैश्विक बैंकों के साथ भागीदारी करके स्थानीय ऋण में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। आपके बैंक ने 31.03.2022 तक भारतीय कॉरपोरेट्स को 7.69 बिलियन अमरीकी डॉलर और विदेशी संस्थाओं को 16.72 बिलियन अमरीकी डॉलर का विदेशी मुद्रा ऋण स्वीकृत किया।

संवहनीयताः हमारे विदेशी कार्यालयों ने 1 बिलियन अमरीकी डालर की सीमा तक संवहनीयता से जुड़ी मूल्य निर्धारण वाली क्रेडिट सुविधाओं में भाग लिया है।

व्यापार वित्त: आपका बैंक भारत और विदेशों में सभी समय क्षेत्रों में संचालित व्यापक, सुसज्जित शाखा नेटवर्क के माध्यम से निर्यातकों और आयातकों को व्यापार वित्त उत्पादों और सेवाओं की श्रृंखला उपलब्ध कराता है। आईबीजी के वैश्विक व्यापार विभाग (जीटीडी) का उद्देश्य व्यापार वित्त पोर्टफोलियो के व्यवस्थित विकास के लिए हमारे विदेशी कार्यालयों (एफओ) का सहयोग करना है, बाजार की मांग और बदलते नियामक मानदंडों के अनुसार एफओ के लिए नीतियां और नए उत्पाद तैयार करना है।

जीटीडी भारतीय कॉरपोरेट्स को बोली प्रक्रिया के केंद्रीकृत हैंडलिंग द्वारा उनके आयात के लिए व्यापार क्रेडिट की सुविधा प्रदान करता है और अधिकतम लाभ के लिए घरेलू और विदेशी कार्यालयों के बीच व्यापार प्रवाह के तालमेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह व्यापार निकायों जैसे बीएएफटी (बैंकर्स एसोसिएशन फॉर फाइनेंस एंड ट्रेड), जीटीआर (ग्लोबल ट्रेड रिव्यू) आदि के साथ साझेदारी करके व्यापार संबंधी कार्यशालाओं/सम्मेलनों का भी आयोजन करता है। निर्यातकों/नियामकों/उद्योग की बड़ी कंपनियों के साथ नेटवर्किंग के लिए मंच प्रदान करने के लिए आईसीसी, एफआईईओ आदि के साथ साझेदारी करके कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

व्यापार वित्त व्यापार पोर्टफोलियो आईबीजी अग्रिम पोर्टफोलियो का ~ 31% हिस्सा है। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को लगातार दसवें वर्ष "बेस्ट ट्रेड फाइनेंस प्रोवाइडर(इंडिया)-2022" से सम्मानित किया गया है।

विदेशी ट्रेजरी प्रबंधन: अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह में ट्रेजरी मैनेजमेंट ग्रुप(टीएमजी) विदेशी कार्यालयों के लिए निम्नलिखित कार्य करता है:

- तरलता प्रबंधन
- डीलिंग रूम परिचालन
- निवेश

टीएमजी-आईबीजी आईबीजी के समग्र तरलता पोर्टफोलियो का प्रबंधन करता है और एएलएम अनुपात पर भी नजर रखता है। टीएमजी बॉन्ड जारी करने (एमटीएन/स्टैंडअलोन 144ए), सिंडिकेटेड लोन आदि के माध्यम से दीर्घकालिक और मध्यम अवधि के फंड जुटाने के लिए नोडल विभाग है। इसके अलावा, टीएमजी संसाधनों की लागत को नियंत्रण में रखने के लिए उधार के विभिन्न साधनों का भी उपयोग करता है। वित्त वर्ष के दौरान, संसाधनों की लागत को अनुकूलित करने के लिए, टीएमजी ने कुछ उच्च लागत वाली उधार का पूर्व भुगतान किया है और उन्हें कम लागत वाले निधियों के साथ बदल दिया है। टीएमजी प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण पर विदेशी मुद्रा वित्/ पुनर्वित्त की व्यवस्था करने में बहुपक्षीय/ अधिराष्ट्रिक (सुप्रानेशनल) संस्थाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।

वितीय वर्ष 22 के दौरान, बैंक ने जनवरी 2022 में अब तक के सबसे ऊंचे मूल्य पर किसी भी भारतीय बैंक द्वारा जारी किए गए 5 साल के बांड के लिए 300 मियो के फॉर्मोसा बांड जारी किए हैं। यह भारत में किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी किया जाने वाला पहला फॉर्मोसा भी था।

टीएमजी बैंक के विदेशी परिचालनों के निवेश खाते का प्रबंधन भी करता है, जो वर्तमान में ~ 7.06 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ये निवेश आईबीजी के लिए स्थिर ब्याज आय प्रदान करते हैं और तरलता अनुपात को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। विभाग प्रमुख केंद्रों पर डीलिंग रूम की निगरानी और मार्गदर्शन भी करता है, और एफओ में मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न कार्यों की सुविधा प्रदान करता है।

वर्तमान में लंदन, न्यूयॉर्क, हांगकांग, बहरीन और आईएफएससी गिफ्ट सिटी में पांच प्रमुख डीलिंग रूम हैं, जो छोटे विदेशी कार्यालयों को उनके संचालन में मदद करने के लिए हब और स्पोक मॉडल पर काम करते हैं। आपका बैंक आईबीयू गिफ्ट सिटी को एक अन्य धन उगाहने वाले केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए भी काम कर रहा है। वित्त वर्ष 22 में, आपके बैंक ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान शुरू किए गए हांगकांग, सिंगापुर और आईएफएससी बीयू (गांधीनगर) के माध्यम से रुपया नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स (एनडीएफ) में व्यापार

का विस्तार किया है और इस गतिविधि को अन्य केंद्रों में भी विस्तारित करने की उम्मीद कर रहा है।

टीएमजी ने बैंक में लिबोर पारगमन गतिविधियों का समन्वय किया है। आपके बैंक ने यूएसडी लिबोर के अलावा एआरआर में पारगमन के लिए 31 दिसंबर 2021 की ट्रांजिशन टाइमलाइन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। सभी घरेलू शाखाएं और साथ ही विदेशी कार्यालय एआरआर से जुड़े उत्पादों को प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं तथा 01 जनवरी 2022 से एआरआर से जुड़े उत्पादों की पेशकश शुरू कर दी है।

वैश्विक भुगतान और सेवाएं वैश्विक भुगतान और सेवाएं अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह (आईबीजी) के तहत एक इकाई ग्लोबल पेमेंट्स एंड सर्विसेज (जीपी एंड एस) में तीन शाखाएं /कार्यालय शामिल हैं, जैसे ग्लोबल लिंक सर्विसेज (जीएलएस), अन्तर्राष्ट्रीय सेवा शाखा मुंबई (आईएसबीएम), और अन्तर्राष्ट्रीय सेवा शाखा एर्नाकुलम (आईएसबीई)। यह विदेशों से भारत के लिए ऑनलाइन आवक प्रेषण, विदेशी मुद्रा चेक संग्रह, वोस्ट्रो खाते खोलने और रखरखाव, एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) लेनदेन और विदेशी आर्थिक मामलों के बैंक (बीएफईए) सोवियत संघ के लेनदेन की सुविधा प्रदान करता है। वर्ष की मुख्य विशेषताएं हैं:

- विदेशों से भारत में आने वाले रुपए के प्रेषण को चैनलाइज़ करने के लिए 45 एक्सचेंज कंपनियों और पांच बैंकों के साथ टाई-अप।
- वित्त वर्ष 2022 के दौरान, घरेलू शाखाओं की ओर से जीपीएंडएस ने 55,467 निर्यात बिल (यूएसडी और यूरो में) और 16,500 विदेशी मुद्रा चेक संग्रह को मिलाकर कुल 14.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का कारोबार किया।
- इसी अवधि के दौरान, जीपीएंडएस ने विभिन्न वैश्विक केंद्रों से प्राप्त 6.693 बिलियन अमरीकी डालर की राशि के 9.666 मिलियन ऑनलाइन आवक प्रेषण लेनदेन को संसाधित किए।
- विभिन्न संपर्ककर्ता बैंकों/विनिमय कंपनियों/एसबीआई विदेशी कार्यालयों के लिए 164 वोस्ट्रो खाते बनाए गए हैं।
- एसबीआई के लिए एसीयू/बीएफईए लेनदेन को संभालने के लिए अखिल भारतीय नोडल कार्यालय है ।

खुदरा कार्यनीति: आपका बैंक अपने विशिष्ट खुदरा और प्रेषण उत्पादों के माध्यम से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले एनआरआई के लिए "भारत के लिए खिड़की" रहा है। इस वर्ष की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं:

योनो एसबीआई, बैंक की सबसे महत्वाकांक्षी और सुरक्षित डिजिटल उत्पादों में से एक है जो अब हमारे विदेशी कार्यालयों में ग्राहकों के लिए उपलब्ध करायी गई है। इसे यूके, कनाडा, मॉरीशस, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और बहरीन में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जिसमें यूके और कनाडा में बगैर उपस्थिति के खाता खोलने की सुविधा है। हम वित्त वर्ष 2023 के दौरान सिंगापुर और यूएसए में एसबीआई योनो को लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। योनो के माध्यम से 83,000 से अधिक विदेशी ग्राहकों को जोड़ा गया है।

योनो एसबीआई यूके का "नमस्ते यूके" उत्पाद लॉन्च किया गया है, जो संभावित भारतीय प्रवासियों को यूके में उतरने से पहले ही, भारत से ही एसबीआई यूके के साथ खाता खोलने में सक्षम बनाता है। कनाडा के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले भारतीय छात्रों के लिए छात्र जीआईसी खातों के लिए कनाडा में भी इसी तरह का उत्पाद लॉन्च किया गया है। हम आने वाले महीनों में सिंगापुर में भी इसी तरह का उत्पाद लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं।

योनो ग्लोबल की "वन व्यू" सुविधा हमारे विदेशी कार्यालयों के ग्राहकों को योनो ग्लोबल ऐप के माध्यम से अपने घरेलू एसबीआई खातों को देखने की अनुमति देती है, व्यावहारिक रूप से घरेलू योनो एसबीआई की सभी पूछताछ सुविधाओं को हमारे वैश्विक संस्करण के साथ मिलाती है। 3900 से अधिक एसबीआई विदेश कार्यालय के ग्राहक पहले से ही इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।

वित्तीय संस्थान समूह (एफआईजी) - संपर्की संबंध यह समूह अंतरराष्ट्रीय हितधारकों जैसे वित्तीय संस्थान (एफआई), विदेशी सरकार एजेंसियों और विकासात्मक वित्तीय संस्थान (डीएफआई), आदि के साथ बैंक के जुड़ाव की सुविधा प्रदान करता है और आईबीजी और अन्य व्यावसायिक कार्यक्षेत्र जैसे कॉरपोरेट खाता समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह, खुदरा बैंकिंग समूह और वैश्विक बाजारों के बीच तालमेल की सुविधा प्रदान करता है।

एफआईजी 56 देशों में 224 बैंकों के नेटवर्क के साथ संपर्की बैंकिंग संबंधों को बनाए रखने और समीक्षा करने में एक धुरी के रूप में कार्य करता है। यह घरेलू और विदेशी दोनों कार्यालयों द्वारा स्थापित आरएमए (रिलेशनशिप मैनेजमेंट एप्लीकेशन) को भी बनाए रखता है, बैंक के पास अब तक 116 देशों में 845 बैंकों के साथ 4255 आरएमए हैं।

एफआईजी अपने एफआई सीआरएम (वित्तीय संस्थान - ग्राहक संबंध प्रबंधन) एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जो हमारे सहयोगी बैंकों के साथ जुड़ाव का 360-डिग्री दृश्य प्रदान करता है।

एफआईजी 30 देशों में हमारे अपने नेटवर्क द्वारा पेश की जाने वाली व्यापक उपस्थिति और उत्पाद क्षमताओं का उपयोग करके सभी भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए एसबीआई को पसंदीदा वैश्विक बैंकर बनाने का प्रयास करता है।

एफआईजी सीमा पार व्यापार वित्त, सिंडीकेटेड ऋण, ट्रेजरी और विदेशी मुद्रा समाधान और अन्य लेनदेन बैंकिंग गतिविधियों के क्षेत्रों में व्यापार विकास के लिए घरेलू और विदेशी वित्तीय संस्थानों के साथ संबंधों का लाभ उठाता है।

आपसी संबंध मूल्य को बैंक की निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है जिसमें संसाधन जुटाना, नए नोस्ट्रो/वोस्ट्रो खाते खोलना और बैंकों के साथ रणनीतिक गठजोड़ व्यवस्था आदि शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग-घरेलू आपका बैंक घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित एक व्यापक शाखा नेटवर्क के माध्यम से निर्यातकों और आयातकों को उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है।

अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग-घरेलू (आईबीडी) व्यापार वित्त और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग से संबंधित क्षेत्रों में घरेलू कार्यालयों और विदेशी कार्यालयों के बीच संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है। आईबीडी का उद्देश्य घरेलू कार्यालयों और विदेशी कार्यालयों/संवाददाता बैंकों और व्यापारिक समुदाय के बीच एक मजबूत कड़ी के रूप में कार्य करके उनके बीच तालमेल और व्यापार प्रवाह में सुधार करना है।

आईबीडी शाखाओं, व्यापार निकायों और अन्य हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से शामिल होकर निर्यात ऋण के विकास की सुविधा प्रदान करता है। परिणामस्वरूप, बैंक के निर्यात ऋण पोर्टफोलियो (बकाया ऋण) में 31 मार्च (वर्ष-दर-वर्ष) की स्थिति के अनुसार 32.98% की वृद्धि देखी गई।

व्यापार समुदाय को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आईबीडी द्वारा हर साल विदेशी मुद्रा सेवा शुल्कों को तर्कसंगत और बाजार के साथ समायोजित किया जा रहा है। आईबीडी एक्जिम एंटरप्राइज/स्विफ्ट में सिस्टम से संबंधित संवर्धन और अपडेट की सुविधा भी प्रदान करता है।

प्रसंस्करण के लिए केंद्रीकृत समन्वय सेल विदेशी बैंक गारंटी (सीसीसी-एफबीजी) आवक और जावक विदेशी बैंक गारंटी के विशेष रूप से आईबी-घरेलू के तत्वावधान में स्थापित किया गया है ताकि संवाददाता बैंकों/विदेशी कार्यालयों/घरेलू बैंकों/ घरेलू कार्यालयों को उनके काउंटर गारंटियों के आधार पर घरेलू/विदेशी बैंक गारंटी की मांग करने के लिए एक ही स्थान पर समाधान प्रदान किया जा सके।

आईबीडी पूरे बैंक में फेमा अनुपालन में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभाग फेमा/आरबीआई दिशानिर्देशों में संशोधन के संबंध में निर्देश जारी करने के अलावा आरबीआई/फेमा से संबंधित रिटर्न समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करता है।

विदेशी कार्यालयों में प्रौद्योगिकी पहल: आपका बैंक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने, ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और जोखिम का प्रबंधन करने के लिए प्रौद्योगिकी समाधानों का लाभ उठा रहा है। आपका बैंक सभी भौगोलिक क्षेत्रों में हमारे ग्राहकों को ओमनी-चैनल अनुभव प्रदान करने के लिए लगातार डिजिटल चैनलों का लाभ उठा रहा है। योनो ग्लोबल ऐप खुदरा ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रमुख आधार के रूप में उभरा है। बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचने के लिए ऐप का उपयोग करने वाले लगभग 50% ग्राहक आधार के साथ यह प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन खाता खोलने, क्यूआर कोड के माध्यम से वास्तविक समय में भुगतान, बिल भुगतान आदि जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ विकसित हुआ है।

आपके बैंक ने नवीनतम सुविधाओं और उद्योग मानकों के अनुरूप अपने ई-बैंकिंग वेब प्लेटफॉर्म के पूर्ण सुधार की शुरुआत की है। यह वर्ष के दौरान 6 भौगोलिक क्षेत्रों में पूरा किया गया है। बढ़ी हुई दक्षता के साथ-साथ लागत बचत के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से, बैक-ऑफिस प्रक्रियाओं के समेकन ने अब 2 और भौगोलिक क्षेत्रों अर्थात कनाडा और सिंगापुर (यूके और बहरीन के अलावा) से नौकरियों के स्थानांतरण के साथ गति प्राप्त की है। आपके बैंक ने सुनिश्चित किया है कि उद्योग मानकों के अनुसार आंतरिक सेवा स्तर के समझौतों में प्रवेश करके इन सेवाओं के लिए डेटा गोपनीयता और उचित प्रशासन सहित सभी अनुपालन पहलुओं को सुनिश्चित करे।

अनुपालन को सर्वोच्च वरीयता देते हुए, आपके बैंक ने सभी भौगोलिक क्षेत्रों में निर्धारित समय सीमा के अनुसार नियामक निर्धारित आईटी विकास को आरंभ किया है। इनमें बहरीन में कार्ड टोकन और ऑनलाइन धनवापसी के कार्य शामिल है। अन्य विकासों में डेटा साझाकरण के लिए ऑनलाइन ग्राहक सहमति पंजीकरण तथा एएमएल-सीएफटी नियंत्रणों के लिए गो-एएमएल रिपोर्टिंग शामिल हैं।

यूएई एक्सपो 2020 के दौरान अध्यक्ष श्री दिनेश खारा का दुबई दौरा

श्री अश्विनी कुमार तिवारी (एमडी-आईबी, टीएंडएस) और श्री संजय डी नाइक (डीएमडी, आईबीजी) एसबीआई के सबसे पुराने विदेशी परिचालन कोलंबो शाखा में अपनी यात्रा के दौरान।

एसबीआई लंदन के शताब्दी समारोह की पूर्व संध्या के अवसर पर एलएसई मार्केट की ओपनिंग करते हुए अध्यक्ष श्री दिनेश खारा, साथ हैं श्री अश्विनी कुमार तिवारी (प्रबंध निदेशक- आईबी, टीएंडएस), श्री संजय डी नाइक (उप प्रबंध निदेशक- आईबीजी) तथा उच्चाधिकारी एल्डरमैन विन्सेंट केवेनी, लंदन शहर के लॉर्ड मेयर 2021-22 एवं लंदन स्टॉक एक्सचेंज पीएलसी की सीईओ जूलिया हॉगट।

आपके बैंक ने वर्ष के दौरान अपने विदेशी कार्यालयों/सहायक कंपनियों में एक अत्याधुनिक केंद्रीय प्रावधानित रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से नियामक रिपोर्टिंग का स्वचालन शुरू किया है और वित्तीय वर्ष 23 तक रोल-आउट पूरा करने की योजना है। आपके बैंक ने सिंगापुर में रीयल-टाइम तत्काल भुगतान प्रणाली, अर्थात् जी 3-फास्ट (FAST) के साथ ऑनलाइन एकीकरण पूरा कर लिया है। यह रीयल-टाइम के आधार पर (24x7x365) भुगतान प्रसंस्करण को सक्षम करेगा, निपटान जोखिम को कम करते हुए नवीन और व्यावसायिक रूप से आकर्षक उत्पादों को वितरित करने की क्षमता को अधिकतम करेगा।

7. वाणिज्यिक ग्राहक समूह (सीसीजी)

वाणिज्यिक ग्राहक

सीसीजी वर्टिकल मध्यम और बड़े कॉरपोरेट ग्राहकों की 50 करोड़ रुपए से अधिक के वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करता है। सीसीजी की देश भर में 51 शाखाएं फैली हुई हैं, जिनमें महाप्रबंधक की अध्यक्षता वाली 3 प्रत्यक्ष शाखाएं शामिल हैं। वर्टिकल में हीरा, सिरेमिक और पूंजी बाजार जैसे विशिष्ट उद्योगों को सेवा देने वाली विशेष शाखाएं भी शामिल हैं। इस वर्टिकल का मुख्य कार्य कॉरपोरेट ग्राहकों की संपूर्ण जरूरतों को पूरा करना, संबंधित जोखिमों का प्रबंधन करना और विकास की गति बनाए रखना है।

सीसीजी वर्टिकल का नेतृत्व उप प्रबंध निदेशक के द्वारा प्रबंध निदेशक (सीबी एवं जीबी) के संरक्षण में किया जाता है। इसके पोर्टफोलियो का प्रबंधन 5 मुख्य महाप्रबंधकों के द्वारा किया जाता है (1 मुख्य महाप्रबंधक परियोजना वित्त सहित) और 1 मुख्य महाप्रबंधक परिचालन का कार्यभार देखते हैं। सीसीजी में मुख्य महाप्रबंधक को कवरेज की गुणवत्ता में सुधार करने और पूरे समूह में जोखिम और आय के एक एकीकृत दृष्टिकोण से समन्वय के लिए समूह संबंध प्रबंधन का कार्यभार सौंपा गया है। सीसीजी का व्यवसाय मॉडल भी संबंध प्रबंधक के नेतृत्व में प्रत्येक रिलेशनशिप टीम के साथ संबंध प्रबंधन अवधारणा पर आधारित है और कुशल क्रेडिट विश्लेषकों और ऑपरेटिंग कार्यकर्ताओं द्वारा समर्थित है। इसलिए संबंध टीम ग्राहक की संपूर्णआवश्यकताओं को संभालने में सक्षम है और विभिन्न एसबीयू में उपलब्ध कुशल प्रबंधकों का इस कार्य में उपयोग करती है जिससे ग्राहक की आवश्यकताओं का संपूर्ण समाधान किया जा सके। सीसीजी ने 7 जून, 2019 के आरबीआई के दिशानिर्देशों के तहत और 200 करोड़ रुपए से अधिक के जोखिम वाले ग्राहकों के लिए अनुमोदित समाधान योजना की निगरानी तथा महामारी के कारण समाधान की आवश्यकता वाले ग्राहकों की विशेष आवश्यकताओं को संभालने के लिए केंद्रीकृत समाधान टीम का भी गठन किया है। समय पर और व्यापक हस्तक्षेप समाधान के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

वर्ष के दौरान निर्यात ऋण वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रमुख पहल इस प्रकार हैं:

टी-बिल दर का रूपया निर्यात ऋण में विस्तार: बाहरी बेंचमार्क (टी-बिल दर) से जुड़ी ब्याज दरों को डब्ल्यूसीएल और एलसी बिल डिस्काउंटिंग सुविधाओं तक बढ़ाया जाता है ताकि टॉप-रेटेड उधारकर्ताओं को उपयोग की सीमा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। वर्तमान प्रतिस्पर्धी बाजार को ध्यान में रखते हुए, ब्याज दरों से जुड़ी टी-बिल दर को भी रुपया निर्यात पैकिंग क्रेडिट सुविधाओं तक बढ़ा दिया गया है।

निर्यातकों की बैठकः एसबीआई द्वारा दी जाने वाली बैंकिंग सुविधाओं के बारे में निर्यातकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत भर में विभिन्न निर्यातकों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

ट्रैक्स (TRRACS) सॉफ्टवेयरः आपके बैंक ने ट्रेड रेगुलेटरी रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस सॉल्यूशन (टीआरआरएसीएस) सॉफ्टवेयर प्रस्तुत किया है, जिससे समय के साथ लंबित ईडीपीएमएस/आईआरएम/निर्यात अग्रिम की प्रविष्टियों में कमी आई है और हम इन प्रविष्टियों को हटाने में काफी हद तक सफल हुए हैं।

इन पहलों के अलावा डिजिटल इंटरफेस ऑन प्राइसिंग एंड नॉलेज (DIPAK), एक मूल्य निर्धारण उपकरण, हमारे कॉरपोरेट ऋणों के डेटा-संचालित मूल्य निर्धारण को मजबूत करने के लिए संचालन अधिकारियों और मंजूरी समिति यों को उपलब्ध कराया गया है। यह सीसीजी की सभी शाखाओं में सक्रिय रूप से उपयोग किया गया है।

परियोजना वित्त एवं एसबीयू को संरचित करना

आपके बैंक की विशेष व्यावसायिक इकाई जिसे परियोजना वित्त एवं संरचना कार्यनीति व्यवसाय इकाई (पीएफ एंड एस एसबीयू) के रूप में जाना जाता है, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों जैसे बिजली, सड़क, बंदरगाह, रेलवे, हवाई अड्डे, रिफाइनरी में बड़ी परियोजनाओं के लिए धन के मूल्यांकन और व्यवस्था से संबंधित है। इसमें अन्य गैर-बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे कि धातु, उर्वरक, सीमेंट, तेल और गैस, कांच आदि को भी न्यूनतम परियोजना लागत पर निश्चित सीमा के साथ शामिल किया गया है। पीएफ एंड एस एसबीयू अन्य वर्टिकल को उनके बड़े टिकट मीयादी ऋण प्रस्तावों की जांच में भी सहायता प्रदान करता है। बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए नीति और नियामक ढांचे को मजबूत करने

के लिए, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और आरबीआई को नई नीतियों, आदर्श रियायत समझौतों और बुनियादी ढांचे के वित्त में व्यापक मुद्दों पर ऋणदाताओं के विचारों के संबंध में जानकारी प्रदान की जाती है।

सरकार द्वारा विभिन्न पहलों, क्षेत्रीय सुधारों और प्रोत्साहनों जैसे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना (एनएमपी), निष्पादन से जुड़ी योजनाओं (पीएलआई), सार्वजनिक संस्थाओं के विनिवेश के साथ-साथ ऋण निरंतर ऋण प्रदान करना, गति शक्ति, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) आदि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश में कदम बढ़ाया गया है। इसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से शहरी गैस वितरण, मार्ग, नवीकरणीय ऊर्जा, मेट्रो रेल, ग्रीन हाइड्रोजन, गोदाम जैसे क्षेत्रों में नई परियोजनाएं शुरू हुई हैं।

आपका बैंक सरकार के मंत्रालयों, प्राधिकरणों और विशेष विपणन प्रयासों के साथ निरंतर संपर्क में है और उपरोक्त से उत्पन्न होने वाले अधिक व्यावसायिक अवसरों को प्राप्त करने और संरचना ऋण खंड में नेतृत्व करने की स्थिति बनाए रखने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। आपका बैंक कार्यान्वयन के तहत आने वाली सभी परियोजनाओं की बारीकी से निगरानी कर रहा है और अल्प से मध्यम अवधि में कोविड-19 महामारी के प्रभाव से मुक्त हो जाने की उम्मीद करता है।

आपके बैंक ने उधार, बांड, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और संरचित / मेजेनाइन फाइनेंस में महत्वपूर्ण प्रस्तावों के लिए सौदा संरचना का समर्थन करने के लिए 'स्ट्रक्चरिंग विशेषज्ञों' की एक अनुभवी टीम भी स्थापित की है।

8. तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन

आज, एसआरएजी आपके बैंक के सबसे महत्वपूर्ण वर्टिकलों में से एक है और आपके बैंक का जीएनपीए नीचे की ओर गतिशील है। एसआरएजी द्वारा तनावग्रस्त आस्तियों का समाधान आपके बैंक के लिए निम्नलिखित अप्रत्यक्ष आय उत्पन्न करने वाले अवसर प्रस्तुत करता है:

- एनपीए एवं एयूसीए में नकदी वसूली
- ऋण हानि के प्रावधानों में कमी
- अपने बैंक के अंतिम लाभ-हानि में योगदान
- ऋण विस्तार के लिए पूंजी को अनलॉक करना

ट्रिम्फ ऑफशोर प्रा. लिमिटेड

टोल ऑपरेट ट्रांसफर

रामागुंदम फर्टिलाईजर एंड केमिकल लिमिटेड

हिन्दुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड

नायरा एनर्जी प्रा. लिमिटेड

पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान बैंक में एनपीए का रुझान तथा बट्टे खाते में वसूली:

(रु करोड़ में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2018	वित्तीय वर्ष 2019	वित्तीय वर्ष 2020	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022
सकल एनपीए	2,23,427	1,72,750	1,49,092	1,26,389	1,12,023
सकल एनपीए %	10.91%	7.53%	6.15%	4.98%	3.97%
निवल एनपीए %	5.73%	3.01%	2.23%	1.50%	1.02%
नए स्लिपेज + बकाया में वृद्धि	1,00,287	39,740	54,510	29,332	26,776
नकदी वसूली / उन्नयन	14,530	31,512	25,781	17,632	21,437
बट्टा खाता	40,196	58,905	52,387	34,403	19,705
एयूसीए में वसूली	5,333	8,345	9,250	10,297	7,782
पीसीआर (एयूसीए सहित)	66.17%	78.73%	83.62%	87.75%	90.20%
पीसीआर (एयूसीए रहित)	50.38%	61.86%	65.21%	70.88%	75.04%

महामारी के बाद उत्पन्न चुनौतियों से बाहर आने के बाद आपका बैंक अपने उधारकर्ताओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सहायता प्रदान करके उन्हे अर्जनशील आस्तियों के रूप में बनाए रखने हेतु सभी प्रकार के पूर्व-निवारक उपाय कर रहा है। हालांकि, निम्नानुसार लगातार वसूली के प्रयासों के कारण पिछले कुछ वर्षों में एनपीए का वर्तमान स्तर काफी नीचे आ गया है।

- तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) 2016 ने बैंक को तनावग्रस्त आस्तियों से निपटने के लिए एक समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तंत्र प्रदान किया है। कोड के तहत एनसीएलटी को संदर्भित कुछ उच्च-मूल्य वाले एनपीए खातों में समाधान प्राप्त किए गए हैं। समाधान के लिए एनसीएलटी को भेजे गए मामलों की निगरानी एसएआरजी में एक विशेष एनसीएलटी सेल में की जाती है। 31 मार्च 2022 को एनसीएलटी को कुल 994 मामलों को (पूरे बैंक से) भेजा गया था, जिनमें से 773 मामलों को स्वीकार कर लिया गया है। इसके अलावा, 152 मामलों को हल किया गया है, जिसमें आरबीआई की पहली और दूसरी संदर्भ सूचियों से कुछ उच्च-मूल्य वाले खाते भी शामिल हैं।
- पात्र मामलों से समस्याग्रस्त ऋणों की वसूली के लिए ओटीएस/समझौता मार्ग का भी पता लगाया गया है। बैंक के बोर्ड ने विभिन्न उत्पादों के लिए गैर-विवेकाधीन एवं भेदभाव-रहित ओटीएस योजना का अनुमोदन किया है तथा अधिक से अधिक समाधान के लिए सभी योग्य उधारकर्ताओं को प्रस्ताव किया गया है।
- उच्च मूल्य की तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे पर आरबीआई के 7 जून 2019 के परिपत्र में इन खातों (एनसीएलटी प्रक्रिया से बाहर) के समयबद्ध समाधान के लिए एक नया अवसर प्रदान किया गया है। आपका बैंक सक्रिय रूप से इस मॉडल के तहत समाधान की खोज कर रहा है।
- गैर-एनसीएलटी मामलों में सरफेसी अधिनियम के तहत कार्रवाई, डीआरटी और अदालतों में वाद दायर करने के माध्यम से वसूली का प्रयास किया जाता है। आईबीए के तत्वावधान में एक समान ई-नीलामी मंच https:// ibapi.in ("ई-क्रय"- भारतीय बैंक बंधक संपत्ति नीलामी सूचना) के माध्यम से गिरवी रखी गई संपत्तियों की बिक्री का पता लगाया जाता है।

क्षेत्र विशिष्ट लक्षित दृष्टिकोण: तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह (एसएआरजी) ने क्षेत्र विशिष्ट दृष्टिकोण के साथ एनपीए के समाधान को प्राथमिकता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। वर्तमान में, वर्टिकल का नेतृत्व प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है, जिन्हें उप प्रबंध निदेशक और तीन मुख्य महाप्रबंधक क्षेत्रवार पोर्टफोलियो की देखरेख करते हुए सहयोग करते हैं और एक मुख्य महाप्रबंधक (परिचालन) खातों के क्रेडिट पोर्टफोलियो की निगरानी करते हैं, जो रु. 50 करोड़ तक के बकाया खातों और परिसमापन के अधीन खातों के क्रेडिट पोर्टफोलियो की निगरानी करते हैं। छह महाप्रबंधकों के मार्गदर्शन में खाता प्रबंधन टीमें कार्य करती हैं। मार्च 2021 तक, एसएआरजी की देश भर में 17 दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखाएं (एसएएमबी) और 47 दबावग्रस्त आस्ति वसूली शाखाएं (एसएआरबी) हैं, जिनमें आपके बैंक के एनपीए और एयूसीए का क्रमशः 56% और 88% हिस्सा शामिल है।

एनपीए पोर्टफोलियो का उद्योग-वार वितरण (31 मार्च, 2022 तक):

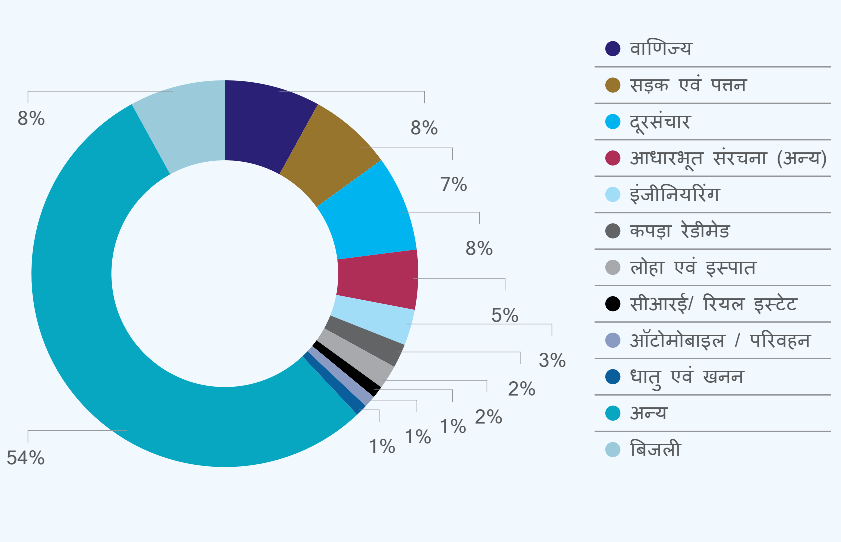

समझौता एवं एनसीएलटी: सामान्य वसूली के अलावा, एसएआरजी में वसूली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समझौता एवं एनसीएलटी से आता है। वर्टिकल समय-समय पर विशेष ओटीएस योजनाओं (गैर विवेकाधीन और भेदभाव रहित) को भी लागू करता रहता है। नकद एवं / अथवा सिक्युरिटी रसीदों (एसआर) के आधार पर आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को आस्तियों की बिक्री की देखभाल करने के लिए एक टीम का गठन किया गया है

विभिन्न माध्यमों से की गई वसूली (रु करोड़ में) एवं कुल वसूली में हिस्सेदारी प्रतिशत (31.03.2022)

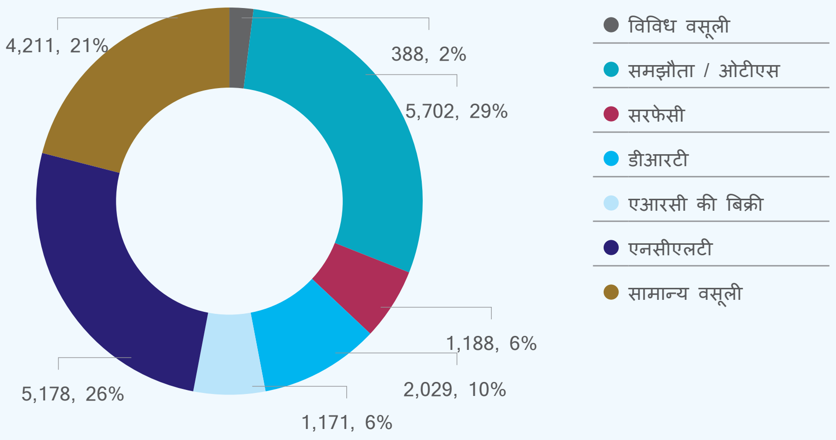

तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान में नवाचार: एसएआरजी ने विशिष्ट अभिनव तरीकों की शुरुआत की और आपके बैंक को अखिल भारतीय आधार पर बड़ी संख्या में संपत्तियों की मेगा ई-नीलामी की व्यवस्था करने जैसे क्षेत्रों में प्रथम-प्रवर्तक का लाभ मिला। इस उद्देश्य के लिए, बैंक पीएसबी के लिए उपलब्ध सामान्य लैंडिंग प्लेटफॉर्म का भी व्यापक उपयोग कर रहा है (https://ibapi.in 'ई-बी क्रय' - भारतीय बैंक बंधक संपत्ति नीलामी सूचना)।

आईबीसी के तहत समाधान एक बाजार उन्मुख तंत्र है जहां एक विशेष तनावग्रस्त कॉरपोरेट देनदार के लिए बोलीदाताओं की अधिक संख्या होने के परिणामस्वरूप उधारदाताओं के लिए बेहतर मूल्यांकन और वसूली का महत्तम मूल्यांकन होता है। इसलिए, एक व्यापक निवेशक आधार तक पहुंचने और आईबीसी समाधान से गुजरने वाली या आईबीसी से जाने वाली, दोनों प्रकार की आस्तियों से बने हमारे तनावग्रस्त आस्ति पोर्टफोलियो को प्रदर्शित करने के लिए एसएआरजी में एक विपणन टीम की स्थापना की गई है।

एनएआरसीएल को पात्र आस्तियों के अंतरण की निगरानी भी एसएआरजी में की जा रही है, जिसमें पहले से ही अपेक्षित समर्थकों को कार्यान्वित किया गया है ताकि पहचान की गई आस्तियों का निर्बाध अंतरण सुनिश्चित किया जा सके। लगभग 17,000 करोड़ रुपए के कुल एक्सपोजर वाले लगभग 22 खातों को चरण I और II में एनएआरसीएल को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है।

वसूली में तेजी लाने के लिए तनावग्रस्त खातों में किए गए कानूनी उपायों की बेहतर निगरानी करने के लिए एलआईटीएमएएस (मुकदमा प्रबंधन प्रणाली) सहित विभिन्न नई सूचना प्रौद्योगिकी पहलों को शुरू किया गया है। इससे प्रक्रिया की पारदर्शिता और दक्षता अधिक मजबूत होगी।

IV. सहायता और नियंत्रण परिचालन

1. मानव संसाधन और प्रशिक्षण

क. मानव संसाधन

आपके बैंक का यह मानना है कि उसके वर्तमान और भावी सभी संस्थागत लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसके कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एसबीआई ने कोविड महामारी के अशांत अवधि के दौरान भी बैंक के निष्पादन को और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कर्मचारियों के कठिन प्रयासों को माना है। आपके बैंक की मानव पूँजी ने प्रौद्योगिकी के मोर्चे पर नए युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए उच्च प्रेरणा और भावना का प्रदर्शन किया है।

मानव संसाधन (एचआर) नीतियां लंबे समय तक आपके बैंक को कर्मचारी उन्मुख, लाभकारी एवं वृद्धिशील व्यावसायिक संगठन बनाने में केंद्रित है।

दिनांक 31 मार्च, 2022 को संक्षिप्त मानव संसाधन प्रोफाइल निम्नानुसार है :-

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021	वित्तीय वर्ष 2022
अधिकारी	1,08,772	1,11,549
सहयोगी	1,00,796	99,259
अधीनस्थ स्टाफ और अन्य	36,084	33,442
कुल	**2,45,652**	**2,44,250**

उत्पादकता बढ़ाने हेतु पहल

आपका बैंक मानव संसाधन के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु जनशक्ति आयोजना के लिए शाखा-आधारित मॉडल अपनाता है। यह मॉडल शाखाओं में उत्पादकता मापदंडों जैसे परिचालन के लिए पहचान किए गए कार्य संचालकों, लेनदेन लोड कारक, अग्रिम खातों की संख्या, प्रचालन इकाइयों के फीडबैक तथा संगठनात्मक संरचना आदि पर आधारित है।

आपके बैंक ने अपनी पदोन्नति और स्थानांतरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है और ये अब वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में पूरी हो गई हैं। वर्ष के अधिकांश भाग के दौरान, यह शाखाओं और अन्य इकाइयों को व्यावसायिक गतिविधियों पर सक्रिय रूप से ध्यान केन्द्रित करने के लिए आवश्यक आश्वासन और स्थिरता प्रदान करता है। इस वर्ष कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद पदोन्नति प्रक्रिया को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया गया।

प्रोजेक्ट "सक्षम" के अंतर्गत आपके बैंक की कैरिअर विकास प्रणाली (सीडीएस) कर्मचारी के ऑकलन के लिए एक पारदर्शी, विश्वसनीय डेटा-समर्थित कार्य-निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है। यह प्रणाली पर्याप्त जवाबदेही, कार्य निष्पादन की दृश्यता और व्यक्तिगत तथा संस्थागत लक्ष्यों के बीच पर्याप्त सामंजस्य सुनिश्चित करती है।

विशाल फुटप्रिंट और विविध भूमिकाओं वाले बैंक की सफलता के लिए विशिष्ट कौशल

महत्वपूर्ण होते हैं। आपके बैंक ने कर्मचारियों के ज्ञान क्षेत्र को विस्तारित करने और उनमें निपुणता बढ़ाने के लिए सात जॉब फैमिली और कैरिअर पाथ यथा-क्रेडिट और जोखिम, विक्रय, विपणन और संचालन, मानव संसाधन, वित्त और लेखा, ट्रेजरी और विदेशी मुद्रा, आईटी और विश्लेषिकी के आधार पर स्केल-II से V तक के अपने अधिकारियों के लिए सुनिश्चित किया है।

कार्यपालक स्तर के पदों पर अबाध परिवर्तन (ट्रॉसिशन) सुनिश्चित करने के लिए आपके बैंक द्वारा सभी वरिष्ठ और महत्वपूर्ण स्तर के पदों के लिए ''उत्तराधिकारी योजना'' नीति लागू की गई है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान सभी डीएमडी, सीजीएम और जीएम के महत्वपूर्ण प्रोफाइल के लिए उत्तराधिकार योजना का कार्य पूरा कर लिया गया है।

आपके बैंक में ''एसबीआई जेम्स'' की एक ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है जो संस्थागत स्मृति विकसित करने को मान्यता देने, उसे बनाए रखने के लिए प्रेरित करने का कार्य करती है।

भर्ती

तेजी से बदलते व्यवसाय की जरूरतों की पूर्ति करने एवं विनियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपका बैंक संपदा प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना सुरक्षा, जोखिम,ऋण और लेखा परीक्षा आदि क्षेत्रों में लेटरल/ संविदा आधार पर विशिष्ट प्रतिभाओं की सक्रियता से भर्ती कर रहा है।

आपका बैंक भर्ती प्रकिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग कर रहा है, जिससे विभिन्न प्रकार की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को बैंक में लाया जा सके। फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर हमारी भर्ती अधिसूचना प्रकाशित करने के साथ ही Linkedin, naukari.com, lim.jobs, आदि पर भी प्रकाशित किए जाते हैं। हमारी भर्ती प्रक्रिया में सामाजिक और डिजिटल मीडिया के प्रयोग ने बैंक को तकनीकी दक्ष (टेक्नो-सेवी) और महत्वाकांक्षी उम्मीदवारों के एक बड़े समूह तक पहुंचने में सक्षम बनाया है। विशेषज्ञ पदों की भर्ती के लिए बैंक ने आईसीएआई जैसे पेशेवर निकायों के साथ भी करार किया है, जिससे योग्य उम्मीदवार मिल सकें।

आपके बैंक ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबंध और अल्पावधि आधार पर विपणन, तनावग्रस्त आस्तियों की वसूली, डिजिटल पहल, जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा और अनुपालन, एटीएम निगरानी और चैनल प्रबंधन एवं अन्य पदो पर भर्ती के लिए एक व्यापक नीति तैयार की है। यह कौशल अंतर को भरने की सुविधा प्रदान करेगा और बैंक को अपने व्यय को आय के अनुपात में कम करने में सहायता करेगा।

लैंगिक विविधता : लैंगिक संवेदनशीलता और समावेशिता हमेशा आपके बैंक की मानव संसाधन नीति की आधारशिला रही है। कुल कार्य-बल में से महिलाओं का प्रतिनिधित्व 26.55% है । महिला कर्मचारी पदानुक्रम के स्तरों के साथ-साथ भौगोलिक विस्तार में देश भर में फैली हुई हैं।

आरक्षण और समान अवसर: आपका बैंक अनु. जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व./इडब्ल्यूएस/दिव्यांगों के लिए आरक्षण नीति पर भारत सरकार के निर्देशों का दृढ़तापूर्वक पालन करता है। आपके बैंक के सभी संवर्गों में अनु.जा., अनु.ज.जा.,अ. पि.व. और दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व है। भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार आपके बैंक ने 1 फरवरी, 2019 से 'सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों'' के लिए आरक्षण को लागू किया है ।

31 मार्च 2022 तक का प्रतिनिधित्व

संवर्ग	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	डीएपी*
अधिकारी	1,11,549	20,366	9,419	25,764	246	2,415
लिपिक	99,259	15,750	7,686	25,987	693	2,475
अधीनस्थ स्टाफ	33,442	8,101	2,164	8,662	0	206
कुल	**2,44,250**	**44,217**	**19,269**	**60,413**	**939**	**5,096**

* नि:शक्तजन (दिव्यांग व्यक्ति)

औद्योगिक संबंध और कर्मचारी कल्याण: आपके बैंक का स्टाफ और अधिकारी संघों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध है। आपका बैंक एक स्वस्थ और खुशहाल कार्यबल को बढ़ावा देने के लिए कार्यस्थल पर एक स्वस्थ्य कार्य परिवेश, पारस्परिक सम्मान और सहानुभूति पर लगातार जोर देता आ रहा है। आपके बैंक ने वर्ष के दौरान कर्मचारी कल्याण में कई युगांतकारी पहल की हैं। ये पहल यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं कि आपका बैंक भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सबसे आगे बना रहे और हमारे कर्मचारी कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें।

कोविड-19 महामारी : वित्तीय वर्ष 2022 की शुरुआत में कोविड महामारी की दूसरी लहर ने देश पर जबरदस्त कहर बरसाया जिससे जन-जीवन को भारी क्षति हुई जिसमें एसबीआई के अनेक कर्मचारी भी शामिल हैं। हालांकि यह बैंक के प्रतिबद्ध फ्रंटलाइन कर्मचारियों की अटूट कार्य भावना को नहीं रोक सका, जिन्होंने महामारी संबंधी प्रतिबंधों तथा लॉकडाउन के कारण कर्मचारियो की कम संख्या के साथ अपने मौजूदा काम के मॉडल में बेहतर सुधार कर देश भर में निर्बाध रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित किया। आपके बैंक ने प्रतिष्ठत अस्पतालों, हेल्थ केयर प्रोवाइडरों और स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग से टीकाकरण शिविरों की व्यवस्था कर सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए पूरे भारत में एक गहन टीकाकरण अभियान चलाया है। इस टीकाकरण अभियान के दौरान लगभग 100% पात्र कर्मचारियों का आंशिक रूप से टीकाकरण किया गया और 90% से अधिक कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण किया गया। इन उपायों ने सबसे चुनौतीपूर्ण समय में निर्बाध रूप से बैंकिंग परिचालन सुनिश्चित किया है और सभी कर्मचारियों को संकट से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए प्रेरित किया है। राष्ट्र हित के लिए बैंक के 66वें स्थापना दिवस के अवसर पर लगभग 2.50 लाख कर्मचारियों ने स्वेच्छा से आगे बढ़कर पीएम केयर्स फंड में रू. 62.62 करोड़ की राशि दान में दी। यह आपके बैंक की कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में देश के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह लगातार दूसरा वर्ष था जब स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया है। गत वर्ष भी उन्होंने इसी कारण से रू.100 करोड़ का योगदान दिया था।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों की देखभाल और सहायता : भारत सरकार और आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन में, आपके बैंक ने बिना किसी सीमा के 30% की एक समान दर पर देय पारिवारिक पेंशन में संशोधन किया है । पेंशनभोगियों की मदद के लिए ''जीवन प्रमाण पोर्टल'' पर वीडियो जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की चरणबद्ध प्रकिया को प्रदर्शित करने वाला एक 'ऑडियो विजुअल गाइड'' शुरू किया गया है। आपके बैंक ने एसबीआई परिवार पेंशनभोगियों को "MY HRMS" ऐप के माध्यम से ''वीडियो आधारित जीवन प्रमाणपत्र'' जमा करने की सुविधा भी प्रदान की है।

ख. प्रशिक्षणः व्यापक परिपर्तन

आपके बैंक में प्रशिक्षण का उद्देश्य सदैव बेहतर व्यावसायिक प्रदर्शन और ग्राहक अभिमुखिकरण के लिए हमेशा कार्यबल के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को बढ़ाना रहा है। भविष्य के प्रति आशावादी दृष्टिकोण के साथ-साथ नई सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के लिए प्रशिक्षण प्रणाली का पुनर्विन्यास करने की आवश्यकता के साथ बैंक की कार्यनीतिक प्रशिक्षण इकाई (एसटीयू) ने कर्मचारियों के लिए स्मार्ट और अधिक प्रभावशाली रूप से सीखने का सफर तैयार करने के लिए प्रशिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। हमारे छह उच्च स्तरीय शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) और

50 स्टेट बैंक ज्ञानार्जन और विकास संस्थानों (एसबीआईएलडी) द्वारा वर्ष के दौरान की गई पहल सफल रही है और इसकी बहुत सराहना की गई है।

क. अधिक प्रभावी ज्ञानार्जन के लिए अद्‌वितीय कार्यक्रम बनाना

युवा कर्मचारियों के लिए "सामर्थ्य" सक्रियता कार्यक्रम: आपके बैंक ने दिसंबर 2021 में 35 या उससे कम आयु वर्ग के सभी युवा कर्मचारियों के लिए सामर्थ्य सक्रियता कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है । कार्यक्रम को एक अद्‌वितीय नए हाइब्रिड चैनल - "स्मार्ट क्लासरूम" के माध्यम से मिले जुले रूप से सीखने के लिए तैयार किया गया है । अधिकारी और लिपिक कर्मचारी दोनों एक समूह के रूप में कार्यक्रम में भाग लेते हैं जो दृष्टिकोण और विचारों के समृद्ध पारस्परिक संप्रेषण को बढ़ावा देता है । इस कार्यक्रम के तहत 67000+ कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना है और वित्त वर्ष 2021-22 में 72% को प्रशिक्षित किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य युवा कर्मचारियों को एक सकारात्मक सेवा अभिविन्यास के साथ उनसे अपेक्षित नैतिक और पेशेवर मानकों की एक स्पष्ट तस्वीर प्रदान करना है ताकि वे वास्तव में हमारे महान संगठन का प्रतीक बन सकें जो 200 से अधिक वर्षों से भारत की सेवा कर रहा है।

"नेतृत्व के पाठ": आपके बैंक ने नए पदोन्नत महाप्रबंधकों / उप महाप्रबंधकों के लिए शीर्ष प्रबंधन और प्रख्यात बाहरी दिग्गजों के द्वारा संवादात्मक, वर्चुअल ज्ञान वार्ता की श्रृंखला का आयोजन किया । इस कार्यक्रम का उद्देश्य शीर्ष प्रबंधन और प्रख्यात उद्योग/नेतृत्व विशेषज्ञों के अनुभवों और दृष्टिकोणों से सीखकर नए पदोन्नत अधिकारियों के नेतृत्व कौशल को संवारना और मजबूत करना था।

"विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम": आपके बैंक ने निम्नलिखित क्षेत्रों में भविष्य के नेताओं को तैयार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और वैश्विक बाजार, मानव संसाधन और डिजिटल बैंकिंग तथा आईटी के विशेषीकृत क्षेत्रों में कार्यरत 130 शीर्ष कार्यपालक वर्ग के अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया ।

निर्बाध कौशल के लिए अग्रणी ज्ञानार्जन चैनल

स्मार्ट कक्षाएं: देश भर में बैंक के प्रशासनिक, क्षेत्रीय और स्थानीय प्रधान कार्यालयों में नया स्मार्ट क्लासरूम अवसंरचना बनाई गई है। महामारी के अवरोधों में काम करते हुए भी इस व्यवस्था ने नई प्रशिक्षण क्षमताओं को उजागर किया है। एक दिन में 2000 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले 400 से अधिक स्मार्ट कक्षाएं हैं । स्मार्ट क्लासरूम एक ऐसी कक्षा है जहां वर्चुअल शिक्षाशास्त्र-आधारित प्रशिक्षण किसी भौगोलिक क्षेत्र में स्थित कर्मचारियों के एक छोटे समूह को प्रदान किया जाता है। एक फोकस्ड क्लासरूम जैसी स्थिति में अधिक सहभागिता एवं प्रशिक्षण प्रभावकारिता के लिए यह ऑनलाइन अधिगम एवं सहकर्मी की उपस्थिति / बातचीत जैसे तत्वों को शामिल करता है।

बैंक के शीर्ष प्रबंधन द्वारा सामर्थ्य का ई-लॉन्च

ऑडियो ज्ञानार्जन : सामान्य बैंकिंग पर 59 एपिसोड वाले "एसबीआईसीबी-ऑन-एयर" पॉडकास्ट जिसे 15000 से अधिक बार सुना गया, ऋण, जोखिम, एनपीए, आदि से संबंधित विषयों पर "गुरुकुल वाणी" जिसे 54000 से अधिक बार सुना गया, के माध्यम से पॉडकास्ट आधारित ज्ञानार्जन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

ई-पैनल चर्चा: सामाजिक दूरी के आगमन के साथ आपके बैंक ने प्रसिद्ध उद्योग विशेषज्ञों और शीर्ष प्रबंधन की भागीदारी के साथ कर्मचारियों की समकालीन ज्ञान संबंधी आवश्यकताओं के लिए 23 ई-पैनल चर्चाएं आयोजित की हैं।

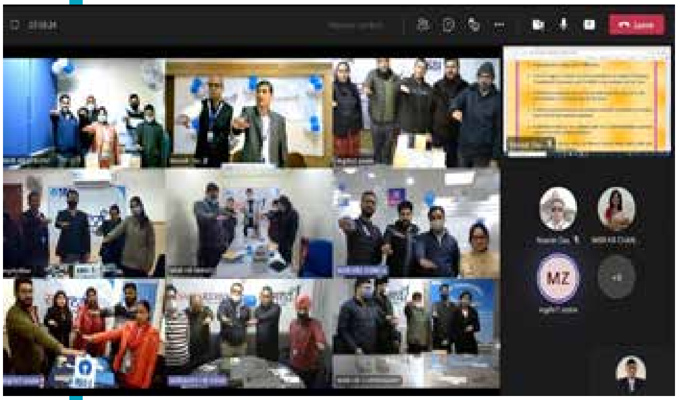

स्मार्ट क्लासरुम एक अद्‌वितीय नव हाईब्रिड लर्निंग चैनल में प्रतिभागी

थीम आधारित शुक्रवार: इस पहल के तहत प्रत्येक शुक्रवार विभिन्न डोमेन में विषयों पर डेढ़ घंटे की अवधि के थीम आधारित वेबिनार आयोजित किए जाते हैं। थीम को वर्तमान बैंकिंग परिवेश के संदर्भ में परिचालन कर्मचारियों की आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम रूप से तैयार किया गया है। 225 की औसत भागीदारी के साथ इस तरह के 27 वेबिनार आयोजित किए गए हैं।

वर्चुअल केस स्टडी डिस्कशन बोर्ड (सीएसडीबी) का मल्टी थीम पोर्टल: सीएसडीबी की बहु-विषयी कार्यक्षमता को इस वर्ष लॉन्च किया गया। पोर्टल पर हर पखवाड़े कई विषयों पर केस स्टडी का आयोजन किया जाता है, और कर्मचारी केस स्टडी पर आधारित प्रश्नोत्तरी को पूरा करने और सवालों के जवाब देने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। वर्चुअल "चर्चा बोर्ड" के माध्यम से पीयर लर्निंग को बढ़ावा दिया जाता है। मेजबान एटीआई भी संबंधित वर्टिकल, बाहरी वक्ताओं और संकाय के पैनलिस्टों के साथ ई-पैनल चर्चा की भी व्यवस्था करता है। 2020 में इसकी शुरुआत के बाद से, 97000 से अधिक कर्मचारियों ने इस पहल में भाग लिया है।

गहन ज्ञानार्जन के लिए गुणवत्ता पर ध्यान:

आरबीसी का पुनर्निर्माण: कहीं भी, कभी भी पहुंच के लिए 42 अनिवार्य आंतरिक भूमिका आधारित प्रमाणनों को तैयार कर शेयरपॉइंट और मोबाइल प्लेटफ़ॉर्म पर रखा गया। इन ई-रोल आधारित प्रमाणन के बाद अवधारणाओं की गहरी समझ और व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए पूरी तरह से केस स्टडी आधारित प्रमाणन परीक्षा आयोजित की गई है। वर्ष के दौरान पात्र अधिकारियों में से 98% और पात्र पुरस्कार कर्मचारियों में से 97% ने अपने ई-आरबीसी को पूरा किया है।

मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसी) के समान ई-पाठ: वित्तीय वर्ष 2021-22 में कर्मचारियों के लिए उपलब्ध वैकल्पिक ई-लर्निंग सामग्री के भंडार के अलावा, प्रासंगिक विषयों पर सहभागिता एवं उपयोगकर्ताओ की रुचि को बढ़ाने हेतु नए एमओओसी प्रारूप में चार नए अनिवार्य ई-पाठ विकसित किए गए। 95% पात्र कर्मचारियों ने इन ई-पाठों को पूरा कर लिया है।

अनुसंधान: एटीआई में अनुसंधान खंड ने वित्तीय और उद्योग के रुझानों पर अध्ययन के लिए बीयू के साथ भागीदारी की और व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए प्रशिक्षण के संरेखण को सुनिश्चित करने के लिए सीखनेवाले की रुचि और प्रशिक्षण प्रभावकारिता पर अध्ययन भी किया है। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 70 अध्ययन किए गए।

बाह्य अकादमिक संबंध: आपका बैंक प्रतिष्ठित संगठनों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करता है जो हमें बाहरी विकास के बारे में जानकारी रखने में मदद करते हैं, शिक्षकों के प्रशिक्षण कौशल को बेहतर बनाते हैं और विचारों के आदान-प्रदान को भी उत्प्रेरित करते हैं। यह भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण गुणवत्ता प्रदान करता है। हमारे ग्राहकों में नियामक निकायों तथा सरकारी विभागों से लेकर सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बैंकों, कॉरपोरेट्स-घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों तथा प्रतिष्ठित बी-स्कूलों तक हैं।

उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं के अनुरूप सामयिक सामग्री:

लैंगिग समानता: हमारे एटीआई द्वारा साम्य 2.0 हस्तक्षेपों का एक संग्रह है, जो कार्यस्थल पर लैंगिग समानता और संवेदनशीलता को सुदृढ़ करता है। वर्ष के दौरान इस पहल के मुख्य आकर्षण 10 केस-लेट आधारित क्विज़, कर्मचारियों के लिए 10 वेबिनार कार्यक्रम, स्थिति विश्लेषण पर एक ई-संग्रह और बैंक में महिला नेताओं के विचारों को सामने रखने वाली एक वार्षिक पत्रिका है।

समावेशिता: घर से काम करने वाले दृष्टिबाधित (वीआई) और श्रवणबाधित (एचआई) कर्मचारियों के लिए एसबीआई फाउंडेशन के सहयोग से एक सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिससे कार्यालय में आने से छूट के बावजूद भी उनकी सक्रियता सुनिश्चित की जा सके। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ऐसे 23 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

आकांक्षी पाठ्यक्रम: विभिन्न एटीआई द्वारा 10 आकांक्षी पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं, ताकि कर्मचारियों को उनके ज्ञान और कौशल भूमिका उद्देश्यों से परे अपने ज्ञान और कौशल को समृद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसका उद्देश्य भविष्य के कैरियर की प्रगति में कर्मचारियों को उन क्षेत्रों में ज्ञान और कौशल के साथ साथ उनके द्वारा स्वयं को अपडेट रखने में सहायक साधन देकर उनकी मदद करना है, जो उनकी वर्तमान भूमिका से संबंधित/असंबंधित हो सकते हैं।

कॉरपोरेट चिंताओं पर ध्यान देना: आपका बैंक उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने और सुरक्षित कार्यस्थल बनाने पर गंभीरता से ध्यान देता है। कस्टमाइज्ड कंटेंट डिजाइन के रूप में व्यापक प्रशिक्षण सहायता, प्रभावशाली वितरण और प्रभावी कार्यक्रम वितरण के लिए फैकल्टी/मेंटर्स को प्रशिक्षण, तथा प्रयोक्ता विभाग के प्रोजेक्ट जैसे जैसे ग्राहक सेवा पर परियोजना **"उत्कर्ष"** तथा परियोजना "मैत्रेयी" के तहत युवा महिला कर्मचारियों का मार्गदर्शन करने, उनकी समस्याओं को समझने और संघर्षों को हल करने में उनकी मदद करने के लिए चिन्हित वरिष्ठ महिला अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन के माध्यम से प्रभावी कार्यक्रम वितरण सुनिश्चित किया जाता है।

मूलभूत तत्वों में गुणवत्ता: "मूलभूत तत्वों में गुणवत्ता" का उद्देश्य 691 पहचानी गई एक स्थायी स्वतंत्र समस्या निवारण तंत्र बनाना था, जो बैंकिंग और संचालन से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए क्वालिटी सर्कल (क्यूसी) अवधारणा के सिद्धांतों का लाभ उठा सके। एसबीआईएलडी संकाय परियोजनाओं के कार्यान्वयन में उनका मार्गदर्शन करता है। वित्त वर्ष 2021-22 में इसमें शामिल सभी शाखाओं के द्वारा प्रति शाखा दो परियोजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया है।

ऑनलाइन मूल्यांकन केंद्र: बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों की दक्षताओं का आकलन करने के लिए, एक ऑनलाइन मूल्यांकन केंद्र/फ्रेमवर्क विकसित किया गया था, जिसके द्वारा संगठनात्मक दक्षता फ्रेमवर्क की तुलना में नेतृत्व की दक्षताओं के आकलन एवं मूल्यांकन के पश्चात व्यक्तिगत विकास योजनाओं (आईडीपी) और एक निर्देशित विकास यात्रा को साझा किया जा सके। वित्त वर्ष 2022 में, 2233 आकलन किए गए, अधिकारियों के साथ आईडीपी साझा किए आगे, और उनकी विकास यात्रा (डीजे) शुरू की गई।

सकारात्मकता को बढ़ावा देने के लिए पारिवारिक कार्यक्रम: एसबीआई विजार्ड्स, एक वार्षिक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता जिसमें कर्मचारियों के परिवार के सदस्य भी भाग लेते हैं, अपने दूसरे वर्ष में है। इस वार्षिक मेगा-इवेंट के लिए 16000 से अधिक परिवारों ने पंजीकरण कराया।

स्व-प्रेरित ज्ञानार्जन के लिए डिजिटल का लाभ उठाना: ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध आकर्षक सामग्री का उपयोग करके सतत सेल्फ-लर्निंग लागू किया गया; दैनिक क्विज़ पोर्टल, माई क्वेस्ट टुडे में हर महीने औसतन 10,000 कर्मचारी भाग लेते हैं। इसके अलावा, गेम लर्निंग एप-प्ले2लर्न में पंजीकृत कई उपयोगकर्ताओं ने 69,000 को पार किया और वित्त वर्ष 2022 में आपके बैंक की 92.74% शाखाओं द्वारा इन-हाउस सर्च इंजन आस्कएसबीआई का उपयोग किया गया।

विशिष्ट बाह्य पहचान बनाना:

एनएसई के साथ गठजोड़: एसबीआई के पास विभिन्न विषयों पर विशेष प्रशिक्षण देने के लिए एक मजबूत इन-हाउस प्रशिक्षण बुनियादी ढांचा, विश्वस्तरीय डिजिटल शिक्षण सामग्री और दक्षता है। इन-हाउस सामग्री/पाठ्यक्रमों के विपणन के लिए सहयोग के रास्ते तलाशने के लिए, आपके बैंक को एनएसई अकादमी द्वारा एसबीआई की ई-लर्निंग सामग्री को उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होस्ट करने के लिए आमंत्रित किया गया था। एसबीआई ने एनएसई

अकादमी के साथ जून 2021 में एनएसई नॉलेज हब पर पाठ्यक्रमों की मेजबानी के लिए एक समझौता किया है।

ईडीएक्स के साथ समझौता ज्ञापन: ईडीएक्स के साथ समझौते के एक भाग के रूप में, आपका बैंक ईडीएक्स प्लेटफ़ॉर्म पर अपने मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स (एमओओसीएस) की पेशकश कर रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में, ईडीएक्स प्लेटफॉर्म पर विभिन्न डोमेन में 25 पाठ्यक्रमों को होस्ट किया गया था, जिससे ईडीएक्स पर एसबीआई द्वारा होस्ट किए गए फैकल्टी-विकसित पाठ्यक्रमों की कुल संख्या 29000+ शिक्षार्थियों के साथ 37 हो गई है।

प्रशिक्षुता- राष्ट्र निर्माण में योगदान: आपके बैंक ने प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत 2455 से अधिक प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया है। अपने बुनियादी प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद वे अब देश भर में हमारी शाखाओं में एक साल का ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण (ओजेटी) कर रहे हैं।

निरंतर विकास करना: आपका बैंक दुनिया में सकारात्मक प्रभाव पैदा करने के लिए जिम्मेदार उपभोग में विश्वास करता है। हमारे एटीआई और एसबीआईएलडी सौर संयंत्रों का उपयोग करके स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन प्रणालियों को नियोजित करते हैं; कई संस्थानों के पास पुनर्चक्रण के साथ कैप्टिव सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) हैं और बायो-डिग्रेडेबल कचरे के पुनर्चक्रण के लिए वर्मी कंपोस्टिंग हैं। हम अपने सभी एटीआई और एसबीआईएलडी को "प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र" के रूप में भी बनाए रखते हैं जहां एकल-उपयोग प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाता है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा छह में से चार एटीआई को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित किया गया है, जिसमें तीन को प्लैटिनम और एक को स्वर्ण रेटिंग प्राप्त हैं।

उपलब्धियां एवं सम्मान

स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज (एसबीएससी), हैदराबाद ने अपनी हीरक जयंती मनाई: 2 दिसंबर, 1961 को हैदराबाद में स्थापित, एसबीएससी देश के सबसे शुरुआती प्रशिक्षण संस्थानों में से एक है। पिछले छह दशकों से, स्टाफ कॉलेज ने न केवल भारतीय स्टेट बैंक के भीतर, बल्कि भारत और विदेशों में अन्य बैंकों के अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया है। संस्थान शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी अधिकारियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। भारतीय स्टेट बैंक के अधिकांश शीर्ष प्रबंधन ने वर्षों से स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज में अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। स्टाफ कॉलेज ने हैदराबाद के बेगमपेट में अपने परिसर में आयोजित स्मारक समारोह में अपनी हीरक जयंती मनाई। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष ने भाग लिया और इसमें एसबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों, 17 मंडलों के मण्डल प्रबंधन, छह शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और देश भर में स्थित 50 प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय और कर्मचारियों ने भाग लिया। भारतीय स्टेट बैंक के अधिकांश शीर्ष प्रबंधन ने लंबे समय से स्टेट बैंक स्टाफ कॉलेज में अपना प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया है। स्टाफ कॉलेज ने हैदराबाद के बेगमपेट में अपने परिसर में आयोजित एक स्मारक समारोह में अपनी हीरक जयंती मनाई। कार्यक्रम में अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित रहे।

आपके बैंक ने प्रतिष्ठित ईटी ह्यूमन कैपिटल अवार्ड्स में 'एक्सीलेंस इन क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ कंटीन्यूअस लर्निंग एंड अपस्किलिंग' श्रेणी के तहत स्वर्ण जीता है।

2. सूचना प्रौद्योगिकी

क. नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार:

आपके बैंक द्वारा सुचारू संचालन और ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान कई पहल की गयी है। आपका बैंक ऑफ-साइट एटीएम के लिए 4 जी कनेक्टिविटी की व्यवस्था करने और एटीएम कनेक्टिविटी को अपग्रेड करने पर काम कर रहा है। आपका बैंक नेटवर्क से संबंधित अनुभव को बेहतर बनाने और शाखा स्तर पर नेटवर्क संबंधी बाधाओं को कम करने के लिए लगातार काम कर रहा है। आपके बैंक ने लिंक कनेक्टिविटी टूटने के कारण होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए शाखाओं और कार्यालयों के लिए वैकल्पिक माध्यमिक लिंक की व्यवस्था की है। कई बिना भरोसे और उच्च-विलंबता नेटवर्क लिंक को कम-विलंबता वायर्ड और स्थलीय वायरलेस लिंक के साथ बदल दिया गया है। आपके बैंक ने गंभीर सायबर सुरक्षा की तत्काल प्रारंभिक चेतावनी और जानकारी प्राप्त करने की व्यवाथा की है। साथ ही आरबीआई के नियामकीय सायबर सिक्यूरीटी फ्रेमवर्क की आवश्यकता के अनुरूप हनीपॉट सोल्यूशन की व्यवस्था भी की गई है। आपके बैंक ने अपने नेटवर्क संचालन को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के अपने प्रयास में, एक उन्नत एआई / एमएल और एनालिटिक्स आधारित नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर की स्थापना की है।

ख. योनो

नवंबर 2017 में लॉन्च की गई आपके बैंक की सबसे महत्वाकांक्षी, पथ-प्रदर्शक और सुरक्षित डिजिटल पेशकश योनो 111.74 मिलियन डाउनलोड को पार कर चुका है, इसके लगभग 16.62 मिलियन के औसत दैनिक लॉगिन हैं। उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस, आकर्षक ब्रांडिंग, चौबीसों घंटे उपलब्धता और नवोन्भेषी एप फीचर के साथ योनो ने बैंक को अपनी ब्रांड छवि को नई पीढ़ी के बैंक के रूप में पुनर्स्थापित करने में मदद की है। जिसके पास प्रतियोगियों के मुकाबले कई प्रकार के विशिष्ट और आधुनिक फीचर सहित प्रतिस्पर्धा लाभ वाले उत्पाद है। योनो ग्राहकों की विविध बैंकिग वितीय एवं जीवनशैली आवश्यकताओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। यह सुविधा ग्राहकों को बहुउत्पाद इंटरफेल मोबाइल एप (एंड्राय एवं आईओएस दोनों) के माध्यम से दी जाती है जिससे उन्हें शानदार डिजिटल अनुभव मिलता है।

ग्राहक बगैर शाखा में गए न्यूनतम कागज़ी कारवाई के साथ पूर्व अनुमोदित ऋण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वे बैंक की संयुक्त उद्यम कंपनियों से विभिन्न वित्तीय उत्पादों की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं जिनमें एसबीआई लाइफ, एसबीआई कैप्स, एसबीआई कार्ड्स, एसबीआई म्यूचुअल फंड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस शामिल हैं। योनो कैश की अद्‌वितीय सुविधा ग्राहकों को एसबीआई एटीएम और पीओएस से कार्डलेस निकासी की सुविधा देती है।

कृषि खंड के ग्राहकों के लिए योनो कृषि एक व्यापक बहुभाषी मंच है जो कृषि स्वर्ण ऋण के लिए सरलीकृत वित्त, केसीसी समीक्षा, सफल डेयरी (पूर्व-अनुमोदित कृषि ऋण), सलाहकार / बाजार आसूचना से संबंधित सेवा (मित्र), बाजार लिंकेज के माध्यम से कृषि उत्पादों के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस (मंडी), बचत (किसानों के निवेश और बीमा आवश्यकताओं के लिए वित्तीय सुपर स्टोर) की सुविधा प्रदान करता है।

योनो ग्राहकों को उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहा है। यह शाखा में व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता को दूर करता है और ग्राहकों को नए, सुरक्षित, सुविधाजनक, उत्तरदायी और अभिनव वित्तीय समाधान प्रदान करने का लगातार प्रयास करता है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान आपके बैंक ने योनो ऐप में व्यापक परिवर्तन किए हैं, इनमें इंस्टा प्लस वीडियो केवाईसी खाता खोलना, एसबीआई ईज़ी राइड पूर्व-अनुमोदित 2-व्हीलर लोन, एनपीएस खाता खोलना, सफल डेयरी पूर्व-अनुमोदित कृषि ऋण, ऑनलाइन डीमैट और ट्रेडिंग खाता खोलना, बैंक (एनटीबी) के लिए कार लोन नया, ऐप पंजीकरण के दौरान सिम बाइंडिंग, योनो के माध्यम से सरकारी योजनाएं, एसबीआई कवच व्यक्तिगत ऋण योजना आदि और 86 अन्य न्वोन्मेषी उत्पाद शामिल हैं।

ग. चैनल्स एवं परिचालन

1. भुगतान एग्रीगेटर एवं भुगतान गेटवे (ई-भुगतान एवं पीजी)

आपका बैंक भुगतान एग्रीगेटर और भुगतान गेटवे दोनों के रूप में काम करता है जो विभिन्न प्रकार के भुगतान मोड्स के लिए व्यापार, व्यापारियों, ग्राहकों और वित्तीय संस्थानों के बीच निर्बाध ई-कॉमर्स लेनदेनों को सुविधाजनक बनाने के लिए अद्‌वितीय पीसीआईडीएसएस प्रमाणित सुरक्षित प्लेटफॉर्म है। यह प्लेटफॉर्म हमारे भुगतान एग्रीगेटर (एसबीआई ई-पे) और

पेमेंट गेटवे (एसबीआईपीजी) एप्लीकेशनों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जो एक तरफ हजारों व्यापारियों के साथ एकीकृत और दूसरी तरफ बैंकों, वॉलेट और कार्ड जैसे बड़ी संख्या में भुगतान चैनलों के साथ एकीकृत होता है। एसबीआईपीजी भुगतान एग्रीगेटर, एसबी कलेक्ट, एसबीआई-एमओपी और योनो के सभी डेबिट/क्रेडिट कार्ड लेनदेनों को प्रोसेस करता है। एसबीआईईपे (बैंक का भुगतान एग्रीगेटर समाधान) पीसीआईडीएसएस तथा आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित है।

वित्त वर्ष के दौरान एसबीआई पे ने 343 नए मर्चेंट को अपने साथ जोड़ा है, जिनमें केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, कानपुर मेट्रो आदि जैसे प्रतिष्ठित मर्चेंट्स को शामिल किया गया है। 31-03-2022 तक, 1,502 व्यापारियों को एसबीआई पे के साथ एकीकृत किया गया था।

वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुविधाएं जोड़ी गई हैं:

- एक भुगतान चैनल के रूप में UPI QR कोड जोड़ा गया है।
- शिकायतों पर नज़र रखने और निगरानी के लिए एक टिकटिंग प्रणाली शुरू की।
- व्यापारियों के लिए TXN दीक्षा एपीआई सर्वर-टू-सर्वर कॉल के माध्यम से लेनदेन शुरू किया गया जिससे MITM हमले से बचाव होगा।

SBIPG, एक PCIDSS प्रमाणित एप्लीकेशन, भुगतान एग्रीगेटर्स, एसबी कलेक्ट, एबीआई-एमओपीएस और योनो के सभी कार्ड-आधारित लेनदेन को संसाधित करता है। SBIPG ने वित्त वर्ष के दौरान 10074 उप-मर्चेंट को जोड़ा है। 31-03-2022 तक, 68,714 उप-व्यापारियों को एसबीआईपीजी के साथ एकीकृत किया गया है।

वर्ष के दौरान एसबीआई पीजी जी ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए हैं:

- रूपे कार्ड के लिए एसआई और ईएमआई सुविधाओं के साथ बीईपीजी चरण 2
- एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपे पीडी के साथ एकीकरण

2. भुगतान प्रणाली (पीएस)

आपके बैंक का एनईएफटी धन-प्रेषण में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके बैंक ने 130.17 करोड़ लेनदेन प्रोसेस किए हैं और बाजार हिस्सेदारी 17.93% से अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक की भारत-नेपाल धन-प्रेषण योजना के अंतर्गत नेपाल को धन-प्रेषण की सीमा बढ़ाकर 200 लाख रुपए प्रति लेन-देन कर दी गई है।

आपका बैंक RTGS धन-प्रेषण में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदार है और इसने 5.36 करोड़ से अधिक लेनदेन को प्रोसेस किए हैं जिसकी कुल राशि 297.87 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।

आपका बैंक 14.92 करोड़ लेनदेन और 21.49% बाजार हिस्सेदारी के साथ सीटीएस समाशोधन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखता है। 26.14% की बाजार हिस्सेदारी के साथ मूल्य-वार समाशोधन लेनदेन 16.71 लाख करोड़ रुपए है।

आपका बैंक सीमा पार वित्तीय संदेश ट्रांसमिशन के लिए SWIFT मैसेजिंग सिस्टम का उपयोग करता है। आपके बैंक ने 32.88 लाख वित्तीय संदेशों को संसाधित किया है। आपके बैंक ने SWIFT द्वारा निर्धारित सभी 22 अनिवार्य नियंत्रणों और 9 सलाहकार नियंत्रणों का पूरी तरह से अनुपालन किया है।

आपका बैंक NACH के सभी संस्करणों के NACH प्रसंस्करण के केंद्रीकरण की प्रक्रिया में है।

3. भुगतान समाधान

डेबिट कार्ड: अक्टूबर 2021 में आवर्ती लेनदेन के लिए डेबिट कार्ड पर ई-मेन्डेट की सुविधा रोल आउट की गई है, जो ग्राहकों को मैन्डेट अवधि के दौरान अपने खाते में एक निर्धारित बारंबारता पर समान मूल्य लेनदेन करने के लिए आपके बैंक को अधिकृत करने की अनुमति देता है। कॉन्टैक्टलेस फीचर के साथ एक नया "जनधन" डेबिट कार्ड रोल आउट किया गया है।

रुपया प्रीपेड कार्ड: आपका बैंक विभिन्न ग्राहकों और व्यावसायिक क्षेत्रों के ग्राहकों को गिफ्ट कार्ड, ई-जेड पे कार्ड, इम्प्रेस्ट कार्ड, और अचीवर कार्ड जैसे रुपए के नामित प्रीपेड कार्ड प्रदान करता है।

एनएवी-ईकैश कार्ड: आपके बैंक ने ऑनलाइन और ऑफलाइन लेनदेन दोनों को सुविधाजनक बनाने के लिए डुअल-चिप इंटरफ़ेस (ईएमवी और ऑफलाइन चिप) के साथ एक अभिनव एनएवी-ईकैश प्रीपेड कार्ड तैयार किया है। डुअल चिप कार्ड उन संगठनों के लिए भी उपयुक्त हैं जिन्हें इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता के आधार पर ऑनलाइन और ऑफलाइन लेनदेन करने की आवश्यकता होती है।

स्टेट बैंक विदेश यात्रा कार्ड (SBFTC): एसबीएफटीसी विदेशी मुद्राओं में एक EMV चिप और पिन अनुरूप प्रीपेड कार्ड है जो देश से बाहर जा रहे यात्रियों (भारत, नेपाल और भूटान को छोड़कर दुनिया भर में वैध) को सुरक्षा और सुविधा प्रदान करता है। SBFTC एकल मुद्रा और बहु मुद्रा कार्ड के रूप में उपलब्ध है। यह नौ मुद्राओं में उपलब्ध है - अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, यूरो, कनाडाई डॉलर, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, जापानी येन, सऊदी अरब रियाल, सिंगापुर डॉलर और संयुक्त अरब अमीरात दिरहम।

एसबीआई फास्टैग: बैंक ने कॉरपोरेट और खुदरा ग्राहकों को 20 लाख से अधिक एसबीआई फास्टैग जारी किए हैं। एसबीआई फास्टैग के माध्यम से टोल लेनदेन 7.70 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है और कुल लेनदेन राशि वित्त वर्ष 2021-22 में 1,251 करोड़ रुपए के स्तर को पार कर गई है।

मेट्रो और ट्रांजिट परियोजनाएं: आपके बैंक ने माइक्रोपेमेंट को तेजी से डिजिटाइज करने के लिए विभिन्न मेट्रो और ट्रांजिट परियोजनाओं में भाग लिया है। आपके बैंक को रुपे प्लेटफॉर्म पर क्यूएसपीआरसी तकनीक को लागू करने के लिए नागपुर मेट्रो, नोएडा मेट्रो और एमएमआरडीए लाइन्स 2ए और सात मेट्रो परियोजनाओं से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। बैंक ने मेट्रो परियोजनाओं में 1,05,000 प्रीपेड कार्ड जारी किए हैं। इस वर्ष बैंक को कार्ड जारी करने, अधिग्रहण करने और एएफसी कार्यान्वयन/एकीकरण के लिए चेन्नई मेट्रो और कानपुर मेट्रो से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

मर्चेंट अधिग्रहण व्यवसाय (एमएबी): कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के प्रयासों के अनुरूप, आपके बैंक ने 24 लाख से अधिक मर्चेंट स्वीकार्य टच पॉइंट्स लगाकर लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे प्रगति के पथ पर अग्रसर क्षेत्रों सहित देश भर में अपनी डिजिटल उपस्थिति दर्ज कराई है। इसमें 9.24 लाख पीओएस टर्मिनल, 4.73 लाख भारत क्यूआर कोड और भीम-आधार-एसबीआई एप्लिकेशन डाउनलोड पर 10.50 लाख व्यवसायी शामिल हैं।

आपके बैंक में सॉफ्टपीओएस (योनो मर्चेंट ऐप) जैसे एसेट लाइट स्वीकृति मॉडल भी हैं, जो व्यापारियों को भुगतान स्वीकार करने के लिए ऐप पर स्व-ऑनबोर्ड करने की अनुमति देते हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए डीसीसी/ईएमआई, पूर्व-अनुमोदित व्यवसाय ऋण (पीएबीएल) जैसी विभिन्न मूल्यवर्धित सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है

आपके बैंक ने मौजूदा व्यवसाय को समेकित करने के अलावा तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज), रिटेल चेन, लाइफ स्टाइल स्टोर्स और हॉलिडे रिसॉर्ट्स जैसे प्रीमियम खंडों के व्यापारियों को ऑनबोर्ड करने के प्रयास जारी रखे। आपके बैंक ने अपने परिचालन को नकदी से डिजिटल मोड में परिवर्तित करने के लिए प्रमुख निगमों और सरकारी विभागों के साथ समझौता किया है।

4. शाखा परिचालन

शाखा और सीपीसी पुनर्संरचना विभाग शाखा में ग्राहक अनुभव में सुधार के लिए लगातार काम कर रहा है। साज-सज्जा और ग्राहक सेवा के दृष्टिगत शाखाओं की एकरूपता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है। ग्राहकों की प्रसन्नता के लिए उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के आरंभ से अंत तक डिजिटलीकरण करने के लिए कई परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

देयता सीपीसी में छवि-आधारित प्रोसेसिंग और वीडियो केवाईसी आधारित खाता खोलने की सुविधा: अधिकांश ग्राहक श्रेणियों (व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत) में अधिक तेज़ी से और कुशलता से नए खाते खोलने के लिए, वर्ष 2021-22 में छवि-आधारित प्रोसेसिंग शुरू की गई है। वीडियो केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) के माध्यम से ग्राहकों को अपने घर या कार्यालय से नया खाता खोलने की सुविधा 22.04.2021 से शुरू की गई है। मार्च 2022 तक करीब 6.40 लाख खाते खोले गए हैं।

5. विदेश स्थित कार्यालय

योनो ग्लोबल मोबाइल एप्लिकेशन: सभी भौगोलिक क्षेत्रों में अपनी डिजिटल उपस्थिति बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने एसबीआई के विदेशी कार्यालयों (एफओ) / सहायक कंपनियों में रिटेल ग्राहकों के लिए डिजिटल परिवर्तन और नए डिजिटल बैंकिंग ऑफर्स को ध्यान में रखते हुए योनो ग्लोबल लॉन्च किया है। आपके बैंक ने इस वित्त वर्ष में छह और विदेशी कार्यालयों में योनो ग्लोबल मोबाइल बैंकिंग शुरू की है। कनाडा, बहरीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल सहित इसकी संख्या 9 देशों में हो गई है।

योनो ग्लोबल वेब पोर्टल: आपके बैंक ने विदेशी कार्यालयों / सहायक कंपनियों के रिटेल ग्राहकों के लिए योनो वेब पोर्टल (इंटरनेट बैंकिंग) पेश किया है। नए पोर्टल को 6 विदेशी कार्यालयों अर्थात् यूके, मॉरीशस, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और अमेरिका के लिए लाइव किया गया है। कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए योनो यूएस वेब पोर्टल को एसबीआई न्यूयॉर्क और शिकागो शाखाओं के लिए रोल आउट किया गया है, जिसने स्थानीय रूप से होस्ट किए गए एसीआई वर्ल्डवाइड एप्लिकेशन को उन्नत ग्राहक अनुभव में परिवर्तित कर दिया है।

ट्रेजरी एप्लिकेशन उन्नयन: वर्ष के दौरान आपके बैंक ने ट्रेजरी एप्लिकेशन को अपने नवीनतम संस्करण में अपग्रेड किया है और कुछ नए मॉड्यूल जोड़े हैं। सभी विदेश स्थित कार्यालयों के लिए इस उन्नयन के प्रमुख लाभ निम्नानुसार हैं:

- यह मुद्रा विकल्प और फ्यूचर एवं इक्विटी ट्रेडिंग जैसे डेरिवेटिव उत्पादों का समर्थन करता है।
- **स्ट्रेस परीक्षण मॉड्यूल** जो संवेदनशीलता और परिदृश्य विश्लेषक मॉड्यूल को कवर करता है।
- **कॉलेट्रल प्रबंधन मॉड्यूल**
- **इंड-एएस और भारतीय जीएपी** के अनुसार रिपोर्टों की दो प्रतियों में जनरेशन और लेखांकन आदि के लिए भविष्य की इंड-एएस आवश्यकताओं का अनुपालन करने की क्षमता।
- कॉल/पुट विकल्प वाले पर्पेचुअल बांडों की **संशोधित अवधि की गणना**।
- **वास्तविक समय के आधार पर एनओओपी** रिपोर्ट का जनरेशन।

लिबोर से एआरआर/आरएफआर ट्रांसजिशन: लिबोर को प्रतिस्थापित करने के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARR) की शुरूआत के साथ वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के कारण, आपके बैंक ने अपने विदेशी कार्यालयों और सहायक कंपनियों में अपने कोर बैंकिंग, ट्रेजरी और व्यापार वित्त संचालन में ARR व्यवस्था (ओवर नाइट रेफरेंस रेट / टर्म रेट्स) को लागू करने की पहल की है।

आपके बैंक ने बैंक गारंटी / SBLC से संबंधित संदेशों के लिए SWIFT अपग्रेड के अनुरूप सभी विदेशी कार्यालयों और सहायक कंपनियों के लिए अपने व्यापार वित्त एप्लिकेशन को अपग्रेड किया है।

6. एटीएम

आपके बैंक का एटीएम विभाग PCIDSS अनुपालनकर्ता है, जो भुगतान कार्ड उद्योग के लिए एक बेंचमार्क सुरक्षा मानक है। 31 मार्च 2022 को 25.34 करोड़ सक्रिय डेबिट कार्ड उपयोगकर्ताओं की सेवा करना महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित नई सुविधाएं शुरू की गई हैं:

- एटीएम और नेटवर्क के बीच सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी एटीएम में टीएलएस 1.2 कार्यान्वयन रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया है। मैक (संदेश प्रमाणीकरण कोड) को अंतिम उपयोग स्थल (एटीएम) और स्विच के बीच सुरक्षा बढ़ाने के लिए सफलतापूर्वक पायलट किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार ग्राहकों को एटीएम या आईवीआर के माध्यम से सीमा निर्धारित करने की सुविधा।
- **आईएनएस-विक्रमादित्य** युद्धपोत पर भुगतान का डिजिटलीकरण (ऑफलाइन मोड)।
- प्रीपेड कार्ड (INR और FTC दोनों) के लिए ग्रीन पिन - किसी भी डिलीवरी चैनल, जैसे PCMS ग्राहक पोर्टल, SBI ATM और शाखाओं से सभी प्रीपेड कार्ड के पिन जनरेशन अनुरोध दर्ज किए जा सकते हैं।
- सीबीएस-एसएसओ के माध्यम से शाखा में डेबिट कार्ड पिन का जनरेशन- निरक्षर ग्राहक, जो अन्य चैनलों का उपयोग कर पिन जनरेट करने में असमर्थ हैं, के लिए शाखा के माध्यम से ग्रीन पिन जनरेट करने में सहायता करना।
- सिंगापुर के पीओएस उपकरणों पर इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के लिए घरेलू रूपे कार्ड की स्वीकृति। डेबिट कार्ड के प्रेषण की स्थिति बैंक के आईवीआर के माध्यम से देखी जा सकती है।
- घरेलू रूपे कार्ड को नेपाल एटीएम / पीओएस उपकरणों पर उपयोग किया जा सकता है।
- टोकनयुक्त डेबिट कार्ड के साथ Jio Phone पर टैप और पे लेन-देन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
- आईएनआर और एफटीसी दोनों प्रकार के प्रीपेड कार्ड पर ग्रीन पिन सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

7. इंटरनेट बैंकिंग

आपके बैंक की इंटरनेट बैंकिंग एक निर्बाध ऑनलाइन अनुभव प्रदान करती है, जो 977 लाख रिटेल उपयोगकर्ताओं और 32 लाख कॉरपोरेट उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और विविध बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है।

रिटेल ग्राहकों के लिए कई नई सेवाएं शुरू की गई हैं जैसे लॉगिन ओटीपी की शुरूआत, सकारात्मक वेतन प्रणाली - वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से पंजीकरण, एचएनआई ग्राहकों के लिए आईएनबी में संबंध प्रबंधकों का विवरण, आरआईएनबी के माध्यम से नेपाल में धन-प्रेषण, ऑनलाइन पीपीएफ खाता खोलना, ऑनलाइन पीपीएफ विस्तार, मौजूदा पीपीएफ खातों के लिए ऑनलाइन नामांकन, अंतरराष्ट्रीय फंड ट्रांसफर FXOut सीमा को अठारह लाख तक बढ़ाना, INB में NRI ग्राहकों के लिए IMPS लेन-देन को सक्षम करना, डिजिलॉकर एकीकरण और एनपीएस पंजीकरण के लिए फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना।

कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग और योनो बिजनेस में कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए कई नई सेवाएं शुरू की गई हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं - (i) सरल लेन-देन की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करना, (ii) सभी गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं के लिए ऑनलाइन चालू खाते खोलना, (iii) एसएमई गोल्ड लोन लीड जेनरेशन, (iv) पीएबीएल-पीओएस और एनटीपीसी के लिए डिजिटल लोकल शॉर्ट क्रेडिट सुविधा आदि।

8. एसबी एमओपीएस

स्टेट बैंक बहु-विकल्प भुगतान प्रणाली ई-कॉमर्स और अन्य व्यापारी संस्थाओं के साथ साइट से साइट एकीकरण का उपयोग करके विभिन्न तरीकों से संग्रह की सुविधा प्रदान करेगी। एमओपीएस के माध्यम से एकीकृत कुल सक्रिय प्रत्यक्ष व्यापारी 542 हैं।

लागू किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं - मर्चेंट यूआई रिफॉर्म (एमओपीएस पेज), प्रायोजक बैंक एपीआई ईमैंडेट; ईएमआई के पुनर्भुगतान और सरकारी संस्थाओं और ई-कॉमर्स व्यापारियों के साथ विभिन्न एकीकरण के लिए ई-आदेश।

एसबीआई यूनिपे (बीबीपीएस: सभी बिल भुगतानों के लिए एक-स्टॉप समाधान) - आपके बैंक ने एनपीसीआई द्वारा होस्ट की गई बीबीपीएस सेवाओं के माध्यम से बिल भुगतान के लिए एसबीआई यूनिपे एप्लिकेशन विकसित किया है, जो जुलाई 2021 में लाइव हो गया है। एसबीआई यूनिपे प्लेटफ़ॉर्म में आपका बैंक BBPS और Non-BBPS बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।

9. योनो बिजनेस

एमएसएमई, कॉरपोरेट और सरकारी ग्राहकों के लिए आपके बैंक की योनो बिजनेस पेशकश को डिजिटल परिवर्तन के तीन आधार पर ध्यान केंद्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है:

- एक बैंक एक फ्लैटफॉर्म को ध्यान में रखते हुए ओमनी चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसमें सीएमपी, कॉरपोरेट आईएनबी, ई-व्यापार, ई-विदेशी मुद्रा और एकल साइन-ऑन के तहत आपूर्ति श्रृंखला वित्त को एकीकृत करना।
- डिजिटल बैंक जो निर्बाध एंड-टू-एंड डिजीटलाइज्ड ग्राहक सुविधा प्रदान करता है।
- भविष्य की प्रौद्योगिकी जरूरतों के मद्देनजर एपीआई बैंकिंग जैसी नए दौर की बैंकिंग

यह डिजिटल रूप से सभी प्रकार की गैर-व्यक्तिगत संस्थाओं की विभिन्न बैंकिंग इंटरफेस आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसमें एक छोटे स्वामित्व / एमएसएमई , बड़े बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेट्स और केंद्र और राज्य सरकारें शामिल हैं।

गैर-व्यक्तिगत ग्राहकों के लिए अन्य सुविधाओं और विशेषताओं के साथ यह निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है:

- नए डिजिटल ग्राहकों के लिए सरलीकृत और सहज ऑनबोर्डिंग।
- मौजूदा लेगेसी प्रलेखन प्रक्रिया को एक नई बहुप्रयोजन प्रक्रिया से परिवर्तित किया गया है, जिससे शाखाओं में बार-बार आने की आवश्यकता नहीं रहती। योनो बिजनेस शाखा इंटरफ़ेस के माध्यम से वॉक-इन ग्राहक के लिए डिजिटल ऑनबोर्डिंग.
- मौजूदा ग्राहकों के लिए अतिरिक्त उत्पादों की पेशकश।
- सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कॉरपोरेट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कॉरपोरेट उपयोगकर्ता प्रबंधन जो एंड-टू-एंड डिजिटल सुविधा प्रदान करता है।
- कॉरपोरेट्स के लिए डैशबोर्ड की सुविधा जिसमें समेकित रियल टाइम ए एंड एल खातों की स्थिति, अलर्ट तथा एलसी की देय तिथि जैसी नोटिफिकेशन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।
- शाखा में जाने की आवश्यकता के बिना 15-20 मिनट से भी कम समय में आयात एलसी यात्रा और विदेशी मुद्रा दर बुकिंग की फिर से कल्पना की गई।

घ. मोबाइल बैंकिंग

आपके बैंक का मोबाइल बैंकिंग विभाग वॉल्यूम में सबसे बड़ा वैकल्पिक चैनल है। यह **यूपीआई, योनो लाइट एसबीआई, योनो बिजनेस,** एसबीआई क्विक और एसबीआई सिक्योर ओटीपी जैसी विभिन्न महत्वपूर्ण ग्राहकोन्मुख मोबाइल एप्लीकेशन / सेवाएं प्रदान करता है। उपरोक्त ऐप्स की ग्राहकों के बीच अच्छी प्रतिष्ठा है और यह उपयोग में आसान और उत्कृष्ट उपयोगकर्ता अनुभव के लिए जाने जाते हैं।

1. एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई):

एकल भुगतान इंटरफेस (UPI) आपके बैंक के प्रमुख एप्लीकेशनों में से एक है जो परस्पर उपयोग सुविधा के साथ एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में कई बैंक खातों को रखने की सुविधा देता है और जिसमें कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड अंतरण और एकल भुगतान प्लेटफ़ॉर्म (यानी यूपीआई) का लाभ उठाकर व्यापारी भुगतान की सुविधा एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 31 मार्च 2022 को आपके बैंक ने यूपीआई लेनदेन की एक ही दिन में लगभग 150 मिलियन की चरम मात्रा की सफल प्रोसेसिंग की है। इस वर्ष, भीम एसबीआईपे (यूपीआई) के माध्यम से ग्राहकों के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण सुविधाएं शुरू की गई हैं।

a. यूपीआई प्रीपेड वाउचर (पीपीवी) (ई ₹ यूपीआई),

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 02.08.2021 को कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए डीएफएस (भारत सरकार) की पहल लॉन्च की गई है।

- एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए एसबीआई भीम पे के माध्यम से एसबीआई क्रेडिट कार्ड आवेदन।
- BHIM SBI Pay मर्चेंट ऐप: एंड्राइड उपयोगकर्ताओं के लिए UPI प्लेटफ़ॉर्म पर व्यापारियों को ऑनबोर्ड करने के लिए अलग ऐप।
- एनपीसीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, विशिष्ट श्रेणी के व्यापारियों के लिए 2 लाख रुपए की सीमा के साथ प्रति लेनदेन सीमा में वृद्धि।
- ग्राहक शिकायतों में कमी और उन्नत उपयोगकर्ता अनुभव के लिए एकीकृत विवाद और समस्या समाधान (UDIR)।

ख. योनो लाइट:

31.03.2022 तक योनो लाइट के कुल उपयोगकर्ता 1.92 करोड़ हैं। वर्ष के दौरान योनो लाइट मोबाइल बैंकिंग ऐप में निम्नलिखित सुविधाएं जोड़ी गई हैं:

- डिजिलॉकर में स्टेटमेंट अपलोड करने की सुविधा।
- सिम आधारित पंजीकरण - ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने और एप्लिकेशन के दुरुपयोग को रोकने के लिए।
- यदि मोबाइल डिवाइस पर रिमोट एक्सेस एप्लिकेशन इंस्टाल किए गए हैं, तो योनो लाइट ऐप अस्वीकृत करने से धोखाधड़ी से बचाव होगा।
- बायोमेट्रिक सुविधा उपयोगकर्ता को फिंगरप्रिंट (एंड्रॉइड और आईओएस) और फेस आईडी (आईओएस) का उपयोग करके लॉग इन करने में सक्षम बनाती है।
- गूगल पे रिचार्ज कोड की खरीद - ग्राहक गूगल प्ले स्टोर से इन-ऐप खरीदारी के लिए इन कोड का उपयोग कर सकते हैं।
- ऑनलाइन शॉपिंग के लिए गिफ्ट वाउचर्स की खरीद।

c. एसबीआई क्विक:

मार्च 22 तक एसबीआई क्विक के कुल 2.99 करोड़ उपयोगकर्ता हैं। SBI क्विक मोबाइल बैंकिंग ऐप में निम्नलिखित विकास किए गए हैं।

- SBI क्विक के माध्यम से MOD बैलेंस।
- 2022 का बैंक हॉलिडे कैलेंडर।

ग. कार्यपालक सहायता प्रणाली

1. ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम)

आपके बैंक का सीआरएम समाधान मौजूदा और संभावित ग्राहकों के साथ मजबूत और अच्छे संबंध बनाने और बनाए रखने में मदद करता है।

आरएम समाधान ने सभी व्यावसायिक इकाइयों और अन्य महत्वपूर्ण विभागों के लिए लीड मॉड्यूल को अनुकूलित किया है, जो अन्य स्रोतों जैसे कि OCAS, YONO, LOS, LLMS, बैंक की वेबसाइट आदि के साथ एकीकृत है। इसमें एक परिष्कृत और उन्नत मॉड्यूल, अर्थात् सीआरएम-सीएमएस भी है, जिसमें ग्राहकों की पिछली शिकायतों

और अन्य विवरणों को एप्लीकेशन में कैप्चर किया जाता है, जिससे उपयोगकर्ताओं और ग्राहकों को शिकायत दर्ज करने, ट्रैकिंग और उनके समाधान के लिए आसानी होती है।

- यह प्लैटफॉर्म बैंक पंजीकृत मोबाइल डिवाइसों पर सुरक्षित रूप से उपलब्ध कराया गया है ताकि बैंक कर्मचारियों को कहीं भी कुछ सेवाएं देने में सक्षम बनाया जा सके। वर्ष के दौरान शुरू की गई कुछ ग्राहक-केंद्रित परियोजनाएं इस प्रकार हैं;
- रिटेल के साथ-साथ कॉरपोरेट ग्राहकों / उत्पाद सिफारिशों और विश्लेषिकी आधारित आउटपुट के माध्यम से सीआरएम लीड के एक दृश्य के लिए ग्राहक 360 का संवर्धन
- सीआरएम-सीएमएस में योनो इंटरबैंक और योनो नकद अनधिकृत लेन-देन की हैंडलिंग के लिए शिकायत प्रबंधन कार्यक्षमता का निर्माण
- सीआरएम-सीएमएस में आंतरिक लोकपाल को रूटिंग और ऑटो-एस्केलेशन के लिए शिकायत मॉड्यूल का नवीकरण
- संपर्क केंद्र / उनके विक्रेताओं के परामर्श से आईवीआर और एजेंट की कार्य पद्धति को फिर से डिजाइन करना
- निर्दिष्ट केंद्रों (मुंबई मेट्रो और बेंगलुरु सर्कल) पर OCAS आवास ऋण लीड्स की SSL को असाइनमेंट के लिए कार्यक्षमता
- एसएमएस / मिस्ड कॉल चैनल के माध्यम से एसएमई लीड जनरेशन (ईज़ 3.0)
- कुछ ऑटोमोबाइल निर्माताओं के पोर्टलों के माध्यम से सीआरएम ऑनलाइन में लीड्स की सोर्सिंग

2. डेटा वेयरहाउस

बैंक के विजन को ध्यान में रखते हुए एक अत्याधुनिक डेटा आर्किटेक्चर युक्त "नेक्स्ट-जेन डेटा वेयरहाउस" स्थापित किया जा रहा है जो व्यावसायिक डेटा की बढ़ती मांग और नियामकों को रिपोर्टिंग की सुविधा डेटा गुणवत्ता और डेटा अखंडता के साथ प्रदान करेगा। यह आर्किटेक्चर अभिशासन, सुरक्षा और अनुपालन के साथ उन्नत-डेटा विश्लेषिकी के माध्यम से बैंक के लिए मूल्य संवर्धन (ऊपरी रेखा और निचली रेखा दोनों) करेगा।

3. डेटा अभिशासन

डेटा-संचालित संगठन होने के नाते, आपके बैंक ने व्यवसाय और आईटी हितधारकों के बीच साझेदारी के साथ डेटा के कुशल प्रबंधन के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। पहले से ही स्थापित शीर्ष-संचालित डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का लाभ उठाया जा रहा है जिसे ऑपरेटिंग स्तर तक संस्थागत रूप दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक की डेटा ऐसेट भविष्य में नियामक दिशानिर्देशों का पालन करते हुए बैंक को अपने डिजिटल परिवर्तन में समर्थन देने के लिए तैयार है। "डेटा ट्रस्ट" के संदेश को आगे बढ़ाने और संगठन में डेटा साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आपका बैंक कई कार्यकलापों का संचालन कर रहा है, जिनमें प्रत्येक वर्ष 1 जून को "डेटा गवर्नेंस डे" मनाया जाना शामिल है।

4. विश्लेषिकी

आपके बैंक ने विश्लेषण, AI और ML में ठोस और अग्रणी योग्यता हासिल की है। यह ग्राहक सेवा, विपणन, जोखिम कम करने और कार्यनीति को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों के अनुसार तैयार करने में मदद करता है। इस क्षेत्र में वित्त वर्ष 22 की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

डिजिटल अग्रिम: दो नए एंड-टू-एंड डिजिटल ऋण प्रक्रियाएं आरंभ की गई हैं, जिसके तहत हमारी सहायक कंपनी एसबीआई पीएसपीएल के पीओएस ग्राहकों के लिए पूर्व-अनुमोदित दोपहिया ऋण (एसबीआई ईजीराइड) और पूर्व-अनुमोदित बिजनेस लोन (पीएबीएल)। वित्त वर्ष 2022 में विश्लेषिकी-आधारित उत्पादों के माध्यम से डिजिटल रूप से 21,935 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

जोखिम कम करना: निधियों के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए संबंधित पार्टी लेनदेन की पहचान करने के लिए एक टूल विकसित किया गया है। विसंगतियों की स्थिति में एकल अधिकारी शाखा निगरानी समाधान पायलट मोड में रोल आउट किया गया है।

परिचालन दक्षता: लागत-से-आय अनुपात टूल को उत्पाद मिश्रण और व्यय में शाखा-स्तर के परिवर्तनों को निर्धारित करने के लिए लॉन्च किया गया है ताकि लाभ को अधिकतम किया जा सके। प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) मॉडल को संपर्क केंद्र के साथ एकीकृत किया गया है ताकि ऋण खातों में दबाव को कम करने के लिए कॉल की सुविधा मिल सके।

उत्तरदायी एआई: आगामी कानूनों / विनियमों के लिए तैयारी सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप एक मजबूत डेटा और मॉडल गवर्नेंस फ्रेमवर्क को अपनाया गया है। निष्पक्षता, नैतिकता, जवाबदेही और पारदर्शिता (FEAT) दस्तावेज़ और समझाने योग्य AI अपनाया गया है ताकि नैतिक मॉडल तैयार किया जा सके।

प्रौद्योगिकी संबंधी: आपके बैंक ने अगली पीढ़ी की क्षमताओं को अपनाया है जैसे बोर्ड-अनुमोदित "एनालिटिक्स के रोडमैप" के अनुरूप डीप लर्निंग, क्लाउड-आधारित सेवाएं, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स और रियल-टाइम एनालिटिक्स। एकल, समग्र मॉडल में जोखिम, एक्टिवेशन और खर्च विश्लेषण के संयोजन के अग्रणी प्रोजेक्ट शिखर मॉडल को अपनाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इस कार्यक्रम के तहत आपके बैंक की सहायक कंपनी एसबीआई कार्ड्स द्वारा चार मिलियन कार्ड जारी किए गए हैं।

प्राप्त सम्मान:

- गार्टनर के वैश्विक "डेटा और विश्लेषिकी के लिए आईटी स्कोर" मूल्यांकन में एक "उच्च परिपक्वता" स्कोर हासिल किया।
- अपने क्रेडिट कार्ड क्रॉस-सेल मॉडल के लिए पीएमआई द्वारा "परियोजना प्रबंधन के लिए दक्षिण एशिया पुरस्कार" से सम्मानित किया गया।
- उद्योग इनोवेशन पुरस्कार: पूर्व-अनुमोदित व्यापार ऋण उत्पाद के लिए डेटा इंटेलिजेंस पुरस्कार।
- आईडीसी उद्योग इनोवेशन पुरस्कार: फुटफॉल युक्तिकरण मॉडल के लिए ग्रीन टेक / सस्टेनेबिलिटी अवार्ड।

च. कोर और विशेष परियोजनाएं

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान ग्राहक सेवा के क्षेत्र में चालू वित्त वर्ष में शुरू किए गए महत्वपूर्ण विकास निम्नानुसार हैं:

हिन्दी प्रिंटिंग: ग्राहकों की अपेक्षाओं के अनुसार हिंदी भाषा में पासबुक, खातों के विवरण आदि की प्रिंटिंग को सक्षम बनाने का रोल आउट किया गया है।

एसएमएस डिलीवरी में सुधार: 13 भाषाओं में एसएमएस अलर्ट के लिए एक सुविधा आरंभ की गई है। ग्राहक अब अपनी पसंदीदा भाषा, जैसे असमिया, अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मैथली, मराठी, मलयालम, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उड़िया में एसएमएस अलर्ट के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। एसएमएस डिलीवरी में विलंब को दूर करने के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं।

- सीबीएस से डिलीवरी प्लेटफॉर्म पर एसएमएस आउटफ्लो की मल्टी-स्ट्रीमिंग।
- एसएमएस की एक उच्च मात्रा को संभालने के लिए बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया गया।
- सीबीएस में एसएमएस जनरेशन और ट्रांसमिशन प्रक्रियाओं की उच्च मात्रा को संभालने के लिए संशोधित किया गया।

1. विशेष परियोजनाएं

आपके बैंक ने ग्राहकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कई विशेष परियोजनाएं शुरू की हैं। उनमें से कुछ निम्नानुसार हैं

गैर-व्यक्तिगत सीआईएफ के लिए सीकेवाईसी और एफआई-लीगेसी सीआईएफ के लिए सीकेवाईसी: सभी प्रकार के सीआईएफ, अर्थात् व्यक्तिगत, गैर-व्यक्तिगत और एफआई को सीकेवाईसी के तहत कवर किया गया है।

डिजिटाइजेशन की बढ़ी हुई मात्रा को देखते हुए एक और वैकल्पिक स्कैनिंग समाधान (Signzy के अतिरिक्त), CKYC दस्तावेज़ वर्गीकरण और अपलोड (CDCU), एक बेहतर AI-आधारित स्कैनिंग समाधान, 03.08.2021 को लॉन्च किया गया है।

पेंशन: 01.11.2021 को वीडियो जीवन प्रमाण पत्र की कार्यक्षमता लॉन्च की गई है जिससे पेंशनभोगियों को अपने घर से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने में सुविधा मिलेगी।

पेंशन आवेदन के माध्यम से पारिवारिक पेंशन से संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए कार्यक्षमता 10.12.2021 को उपलब्ध कराई गई है। अब पारिवारिक पेंशनभोगी दस्तावेज जमा करने के लिए किसी भी शाखा से संपर्क कर सकता है।

टीआरएस: आपका बैंक RINB और TRS (TaxCPC) पोर्टलों के माध्यम से फॉर्म16 प्रदान कर रहा है। दिसंबर 2021 में बैंक ने ऐप के माध्यम से फॉर्म 16 प्रदान करने के लिए भारत सरकार के डिजिलॉकर ऐप के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया है, जिसमें फॉर्म 16 को डिजि लॉकर के 'जारी किए गए दस्तावेज़' खंड में रखा जा सकता है।

जीबीएसएस - टीआईएन (कर सूचना नेटवर्क) 2.0- OLTAS: के लिए प्रतिस्थापन: प्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए GBSS एप्लीकेशन में नया मॉड्यूल रोल आउट किया गया है, जिसका निपटान और रिपोर्टिंग के लिए TIN2.0 और PFMS और RBI के साथ रीयल टाइम एकीकरण है।

जीबीएसएस - राज्य सरकार के लेनदेन कमीशन निपटान के लिए नया एफएसएलओ कमीशन मॉड्यूल: जीबीएसएस - एफएसएलओ मॉड्यूल शुरू किया गया है, जो जीबीएसएस एप्लिकेशन में कई राज्य सरकारों के मॉड्यूल के लिए कमीशन के दावे हेतु आरबीआई को शीर्ष वार रिटर्न जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा।

एसबीआई फास्टैग - फोनपे के माध्यम से रिचार्ज: फोन पे के माध्यम से रिचार्ज के लिए बिल डेस्क के साथ फास्टैग एप्लिकेशन का एकीकरण पूरा हो गया है। फोन पे ग्राहक अब फास्टैग रिचार्ज विकल्प में अपने वाहन नंबर दर्ज करके सीधे आवेदन से अपने एसबीआई फास्टैग को रिचार्ज कर सकते हैं।

इजीकोलेक्ट: एडविस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ इजीकोलेक्ट एप्लिकेशन एकीकरण रोल आउट किया गया है। Edelweiss Tokio पॉलिसीधारक अब इजी कोलेक्ट एप्लीकेशन का उपयोग करके एसबीआई की किसी भी शाखा के माध्यम से नवीकरण प्रीमियम भेज सकते हैं

जीसीसी - नए जीसीसी टर्मिनल के लिए एप्लिकेशन का विकास "मूव 2500":

- एप्लिकेशन को नए पेश किए गए GCC टर्मिनल डिवाइस "मूव 2500" और मौजूदा डिवाइस के बीच संगतता लाने के लिए संशोधित किया गया है।
- आईएडी के दो लेखा परीक्षा संस्करणों, अर्थात् होम कार्यालय लेखा परीक्षा और विदेशी कार्यालयों के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा प्रणाली को स्वचालित बनाया गया है।
- एचओए: आईएडी के एफओए विभाग ने 6 जुलाई 2021 को विदेशी कार्यालयों (बैंक) की लेखा परीक्षा आयोजित की है।
- CASFO: 28 जुलाई 2021 को "विदेशी कार्यालयों के लिए समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए वेब-आधारित समाधान" शुरू किया गया है।

2. आईटी- कॉरपोरेट और एसएमई ऋण

आपके बैंक ने ऋण जीवन चक्र प्रबंधन प्रणाली (एलएलएमएस) के माध्यम से कॉरपोरेट और एसएमई ऋण की पूरी प्रक्रिया को कैप्चर करने के लिए एक इन-हाउस एप्लिकेशन विकसित किया है। क्रेडिट प्रक्रिया का पूरा जीवन चक्र स्वचालित है, जिससे क्रेडिट प्रक्रिया का मानकीकरण, जोखिम प्रबंधन में वृद्धि और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और टीएटी होता है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान, एलएलएमएस के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण नई सुविधाएं आरंभ की गई हैं:

राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकरण: एलएलएमएस को राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, जहां क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं की लीड्स राष्ट्रीय पोर्टल से एलएलएमएस में स्थानांतरित होती है। राष्ट्रीय पोर्टल पर संबंधित बैंकों द्वारा निर्धारित योजना-विशिष्ट नियम इंजन पैरामीटरों के आधार पर जीओ का सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करता है। यह सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के टीएटी में सुधार करने के साथ पारदर्शिता को बढ़ाता है।

कॉनटेक्ट रहित अग्रिम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण: LLMS को कॉनटेक्ट रहित अग्रिम प्लेटफॉर्म (CLP) के साथ एकीकृत किया गया है, जहां एसएमई ग्राहक सीएलपी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करते हैं, और योग्य लीड को LLMS को अग्रेषित किया जाता है। यह समय बचाता है और ग्राहक संतुष्टि में सुधार करता है।

3. आईटी खुदरा ऋण (आरएल)

आईटी खुदरा ऋण सात एप्लीकेशनों अर्थात् एलओएस (पीबी), आरएलएमएस (खुदरा ऋण प्रबंधन प्रणाली), एलओएस (एग्री), आईसीएएस (ऑनलाइन ग्राहक अधिग्रहण प्रणाली), आरएएएस (खुदरा परिसंपत्ति अधिग्रहण प्रणाली), ओपीएएस (ऑनलाइन परियोजना अनुमोदन प्रणाली) और एलएएमएस (ऋण खाता प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से मंजूरी पूर्व और मंजूरी बाद की एंड-टू-एंड क्रेडिट प्रक्रियाओं को पूरा करता है।

वित्त वर्ष 2021-22 में प्रमुख रोलआउट:

- होम लोन यात्रा के लिए इमेज-आधारित प्रोसेसिंग, जो बीपीआर और गैर-बीपीआर शाखाओं के लिए एक समान है।
- कोविड रोगियों को इलाज के लिए एसबीआई कवच व्यक्तिगत ऋण।
- सुरक्षा मूल्य पर मौजूदा स्वर्ण ऋण उधारकर्ताओं के लिए टॉप अप गोल्ड लोन।
- योनो प्लेटफॉर्म के माध्यम से रियल-टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट के लिए ऑनलाइन ऋण अनुमोदन ।
- रियायती मूल्य पर कोविड योद्धाओं के लिए एक्सप्रेस क्रेडिट।
- ऑटो ऋण और शिक्षा ऋण के लिए राष्ट्रीय हंटर के साथ एकीकरण। यह हंटर के मौजूदा डेटाबेस से धोखाधड़ी की जांच करने में मदद करता है।
- गृह ऋण और शिक्षा ऋण की सब्सिडी प्रोसेसिंग के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के साथ एकीकरण।
- अचल प्रतिभूति के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए सीईआरएसएआई (CERSAI) के साथ एकीकरण।

ऋण खाता प्रबंधन प्रणाली (एलएएमएस): ऋण वसूली के लिए नया एप्लिकेशन अप्रैल 2021 में लॉन्च किया गया था, जहां टेली-कॉलर और बैंक अधिकारी चूककर्ता खाताधारकों को किए गए अनुवर्ती कॉल रिकॉर्ड करते हैं। चालू वर्ष के दौरान बैंक कर्मचारियों, संपर्क केंद्र और सीएसपी ने एप्लिकेशन में 2,54,89,155 फॉलोअप कॉल दर्ज किए हैं।

4. ग्राहक सेवा

आपके बैंक में एक मजबूत ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) है, जहां ग्राहक बैंक की वेबसाइट www.bank.sbi के माध्यम से अपनी शिकायतें, प्रतिक्रियाएं और सुझाव ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित संपर्क केंद्र 24*7*365/366 संचालित होते हैं, जो बैंक के ग्राहकों को हिंदी, अंग्रेजी और दस प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में सेवाएं प्रदान करते हैं।

ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करने की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, आपके बैंक ने सभी सर्किलों में सर्किल शिकायत समाधान केंद्र (सीसीआरसी) स्थापित किए हैं। आपके बैंक ने बेहतर ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करने के लिए बैंक के नियमित संपर्क केंद्रों के दायरे से इतर किसी भी मामले से निपटने के लिए अपने कर्मचारियों द्वारा संचालित सर्कल कॉल सेंटर भी स्थापित किए हैं। ग्राहकों की शिकायतों का उचित और समय पर समाधान आपके बैंक का उच्च फोकस क्षेत्र है। शिकायत के प्रमुख क्षेत्रों का मूल कारण विश्लेषित किए जा रहे हैं जिनके निष्कर्षों के आधार पर उत्पादों और प्रक्रियाओं में सुधार किया जा रहा है। हमने ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण और जमाकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण भी किया है और निष्कर्षों के आधार पर ग्राहक अनुभव बेहतर करने की दिशा में काम किया जा रहा है। ग्राहकों से जुड़ने के लिए 523 केंद्रों पर देशव्यापी ई-टाउन हॉल बैठकें आयोजित की गईं हैं और उत्पादों एवं प्रक्रियाओं पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया एकत्र की गई हैं।

फ्रंटलाइन कर्मचारियों के ज्ञान का स्तर बढ़ाने और ग्राहक अनुभव बेहतर करने के लिए आपके बैंक ने वर्ष के दौरान अपने कर्मचारियों के लिए बड़े पैमाने पर ज्ञान वृद्धि कार्यक्रम "प्रोजेक्ट उत्कर्ष" आरंभ किया है। ग्राहक सेवा के स्तर के आधार पर शाखाओं को वर्गीकृत करने के लिए "ग्राहक सेवा इंडेक्स" भी आरंभ किया गया है, जो शाखाओं के लिए एक प्रेरक के रूप में कार्य करता है।

आपका बैंक विश्लेषिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए CRM टूल का लाभ उठाने की प्रक्रिया में है। एसबीआई का मानना है कि ये डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में ग्राहक अनुभव को पूरी तरह से बदल सकती हैं। ग्राहकों की सुविधा के लिए आसानी से याद रखे जाने वाले 8 अंकों के संपर्क केंद्र टोल-फ्री नंबर (18001234 और 18002100) जारी किए गए हैं। हमने ग्राहक अनुभव में सुधार के लिए निर्बाध, सहज नेविगेशन के लिए एक सरलीकृत आईवीआर मेनू (5 * 5) भी आरंभ किया है। आपके बैंक ने संपर्क केंद्र (कुल 11 सेवाओं) से छह और पंजीकृत मोबाइल नंबर आधारित सेवाएं (दो दूरसंचार सर्किलों में पायलट आधार पर) आरंभ की हैं, जिन्होंने इन कठिन समय में ग्राहकों की मदद की है।

आपका बैंक पीएसबी डोरस्टेप बैंकिंग सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों को सुविधाजनक बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। वे डीएसबी सेवाओं के माध्यम से कई डोरस्टेप सेवाओं जैसे खाता विवरण, नकद निकासी सुविधा, और जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आदि का लाभ उठा सकते हैं।

छ. वित्तीय समावेशन और सरकारी योजनाएं (एफआई एंड जीएस)

कोविड-19 अवधि के दौरान जब बैंक शाखाओं में आवाजाही प्रतिबंधित थी, कियोस्क बैंकिंग चैनल ने सरकारी सब्सिडी के वितरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम किसान सम्मान निधि की 9वीं और 10वीं किस्त के तहत, एसबीआई ने क्रमश: 09/08/2021 तथा 01/01/2022 को एक ही दिन में डेस्टिनेशन बैंक के रूप में क्रमशः 2.45 करोड़ और 2.50 करोड़ लेनदेन संसाधित किए हैं।

ग्राहकों की सुविधा और संतुष्टि के लिए वित्त वर्ष 2021-2022 के दौरान निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं:

- सीएसपी आउटलेट पर चेक बुक और चेक स्टॉप अनुरोध: सीएसपी आउटलेट पर नई चेक बुक जारी करने और चेक रोकने का अनुरोध देने की सुविधा प्रदान की गई है।
- सीएसपी आउटलेट पर एटीएम कार्ड ब्लॉक सुविधा: सीएसपी आउटलेट पर एटीएम कार्ड ब्लॉकिंग की सुविधा को सक्षम किया गया है, जिससे ग्राहकों को एटीएम कार्ड ब्लॉक करने का एक और प्लेटफॉर्म मिल गया है।

भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं संबंधी पहल: भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत कवरेज बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहल शुरू की गई है:

- सीएसपी आउटलेट्स पर ग्राहकों और नामांकित व्यक्तियों संबंधी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए संशोधित नामांकन प्रपत्र।
- कियोस्क चैनल में एक फ्लोटर स्क्रीन तैयार की गई है जो PMJJBY और PMSBY कवर से वंचित ग्राहकों को कवर प्राप्त करने के लिए सूचित करती है जिससे कवरेज में वृद्धि हो सके।
- पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई/एपीवाई में नामांकित होने के लिए कवर न किए गए डीबीटी/डीबीटीएल लाभार्थियों को एसएमएस से सूचना।

सीएसपी आउटलेट्स पर लेनदेन करते समय हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु के अलावा कन्नड़, उड़िया, गुजराती, मराठी, बांग्ला और मलयालम में वॉयस प्रॉम्प्ट उपलब्ध कराया गया है। इसमें वह अपने खातों में किए जा रहे लेन-देन का विवरण सुन सकते हैं जिससे अनपढ़/कम साक्षर ग्राहकों का जोखिम कम करने में मदद मिलती है।

ज. व्यापार वित्त (टीएफ)

आपका बैंक हमारे ग्राहकों की e2e व्यापार वित्त आवश्यकताओं को पूरा करता है - अंतर्देशीय और क्रॉस बॉर्डर दोनों।

एग्जिम बिल एंटरप्राइज (ईई): ईई केंद्रीकृत प्रौद्योगिकी मंच है जो व्यापार वित्त लेनदेन को सुविधाजनक बनाता है, जिसमें औसत दैनिक लेनदेन 15,000 - 16,000 तक होता है।

ईडीपीएमएस आईडीपीएमएस वित्त वर्ष 2022 के अंत तक ईडीपीएमएस / आईडीपीएमएस समाधान प्रतिशत क्रमशः 96.88 और 95.41 है, जो अब तक का सबसे अच्छा है।

ग्राहक उद्यम (CE/ e-Trade): एसबीआई ई-ट्रेड, जिसे ग्राहक उद्यम (CE) के रूप में भी जाना जाता है, एक अद्वितीय डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। यह वन-स्टॉप, केंद्रीकृत एप्लिकेशन है, जो कॉरपोरेट ग्राहकों की घरेलू व्यापार वित्त और अंतरराष्ट्रीय व्यापार वित्त संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्जिम बिल एंटरप्राइज और कोर बैंकिंग सिस्टम के साथ एकीकृत है।

केंद्रीकृत स्विफ्ट इंटरफेस गेटवे (CSIG): केंद्रीकृत स्विफ्ट इंटरफेस गेटवे स्विफ्ट नेटवर्क पर सीमा पार लेनदेन के लिए एक केंद्रीकृत मैसेजिंग सिस्टम है। यह एक एकीकृत वेब-सक्षम मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है जो केंद्रीय रूप से चलता है। इसे इंटरफ़ेस चैनलों और शाखाओं द्वारा एक्सेस किया जाता है, जो वित्तीय और गैर-वित्तीय संदेशों के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है।

फिनट्रा टीएफएस (ट्रेड फाइनेंस सॉल्यूशन) परियोजना: व्यापार वित्त प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और रीडिजाइनिंग के हिस्से के रूप में आपका बैंक कोलकाता और हैदराबाद में स्थि दो जीटीएफसी (ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर) में ट्रेड फाइनेंस की प्रोसेसिंग को केंद्रीकृत कर रहा है। परियोजना का पायलट लॉन्च नवंबर 2021 में अंतर्देशीय एलसी मॉड्यूल के साथ किया गया है और वित्त वर्ष 2022-23 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है।

स्विफ्ट लेन-देन (TRUST) के लिए तीन-तरफ़ा समाधान सुविधा: यह एप्लिकेशन उचित नियंत्रण फ्रेमवर्क वाले जावक स्विफ्ट संदेश एग्रीगेटर और समाधान प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करता है कि भेजे गए सभी जावक SWIFT संदेशों के लिए अंतर्निहित लेखांकन खाता बहियों में मौजूद हैं। यह दैनिक स्वतंत्र समवर्ती ऑडिट की सुविधा भी प्रदान करता है ताकि जांच की जा सके कि सोर्स एप्लिकेशनों से उत्पन्न SWIFT संदेशों का सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय संदेशों के साथ 100% समाधान किया गया है।

3. जोखिम प्रबंधन

क. जोखिम प्रबंधन परिदृश्य

आपके बैंक में जोखिम प्रबंधन में जोखिम पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम मापन एवं जोखिम शमन शामिल हैं तथा इसका मुख्य उद्देश्य लाभप्रदता एवं पूंजी पर इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करना है।

आपका बैंक विभिन्न प्रकार के जोखिमों का सामना करता है, जो किसी भी बैंकिंग व्यवसाय का अंतर्निहित हिस्सा है। उनमें प्रमुख जोखिम हैं - ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, नकदी जोखिम एवं परिचालनगत जोखिम, जिसमें आईटी जोखिम भी शामिल है।

कर्तव्यों के पृथक्करण एवं जोखिम मापन, निगरानी तथा नियंत्रण कार्यों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के संदर्भ में अंतरराष्ट्रीय स्तर के श्रेष्ठ सिद्धांतों के अनुरूप एक स्वतंत्र जोखिम प्रशासन संरचना लागू की गई। आपके बैंक तथा एसबीआई समूह में विभिन्न जोखिमों की निगरानी और समीक्षा कार्यपालक स्तरीय समिति यों तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) के माध्यम से की जाती है एवं इन समिति यों की बैठकें नियमित रूप से होती हैं। परिचालन इकाई तथा व्यवसाय इकाई स्तर पर जोखिम प्रबंधन समितियां भी सक्रिय हैं।

1. ऋण जोखिम कम करने के उपाय :

आपके बैंक ने ऋण जोखिमों की पहचान करने, मापन करने, निगरानी करने और नियंत्रित करने के लिए मजबूत ऋण मूल्यांकन तथा जोखिम प्रबंधन संरचना लागू की है। एक समर्पित टीम द्वारा दृष्टिकोण तथा क्रेडिट रेटिंग मापदंड तय करने हेतु पहचाने गए 38 उद्योगों एवं क्षेत्रों (खुदरा और कृषि को छोड़कर) जो आपके बैंक के कुल अग्रिमों में 73% का योगदान देते हैं, में विकास की संभावना का निर्धारण करने के लिए उद्योग क्षेत्र में माहौल का विश्लेषण तथा अनुसंधान किया जाता है। इन उद्योगों के संबंध में सरकारी नीतियों अथवा विनियामक दिशानिर्देशों में परिवर्तन, बिजली की कमी अथवा आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित समस्या आदि घटनाओं की लगातार निगरानी की जाती है और उन पर पड़ने वाले प्रभावों पर विशेष अध्ययन किए जाते हैं, जिन्हें व्यावसायिक समूहों के साथ साझा किया जाता है, ताकि वे जागरूक ऋण निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। बढ़ते हुए जलवायु परिवर्तन के जोखिम को ध्यान में रखते हुए आपके बैंक की उधार देने की रणनीति को अल्प-कार्बन क्षेत्रों के अनुरूप बनाने के लिए बिजली, हाइड्रोकार्बन, लोहा एवं इस्पात, निर्माण, ऑटोमोबाइल एवं कोयला उद्योग जैसे गहन उत्सर्जन वाले उद्योग पर प्रभाव का विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा, विभिन्न स्तरों के परिचालन कर्मचारियों की सुविधा के लिए ज्ञान साझा करने के सत्र आयोजित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, शीर्ष के 15 उद्योगों को शामिल करते हुए व्यावसाय इकाइयों को मासिक एवं त्रैमासिक डैशबोर्ड प्रदान किए जाते हैं, जिनमें इन महत्वपूर्ण उद्योगों एवं क्षेत्रों में हो रहे विकास का विवरण दिया जाता है, ताकि उन्हें नवीनतम घटनाओं पर अद्यतन जानकारी मिल सके।

आपके बैंक में एक उद्योग संकेंद्रण सीमा से संबंधित ढांचा उपलब्ध है, जो संकेंद्रण जोखिम के खिलाफ काम करता है, जिसकी तिमाही आधार पर निगरानी की जाती है। इस फ्रेमवर्क को निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं और पर्यावरण, सामाजिक तथा अभिशासन (ईएसजी) जोखिमों सहित नकारात्मक विकास जैसी सरकारी पहलों से उत्पन्न व्यावसायिक अवसरों को प्राप्त करने के लिए अधिक मजबूत बनाया गया है।

उधारकर्ता-वार ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए आपका बैंक विभिन्न आंतरिक ऋण जोखिम मूल्यांकन मॉडल तथा स्कोर कार्ड का प्रयोग करता है। उधारकर्ताओं की आंतरिक ऋण रेटिंग के लिए मॉडल बैंक में ही विकसित किए गए हैं। व्यापक मान्यता तथा बाहरी मान्यता/समीक्षा सहित व्यापक मान्यता एवं बैक-टेस्टिंग संरचना के चक्र के माध्यम से उनकी समीक्षा की जाती है। ईएसजी जोखिम को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने एक पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) रेटिंग मॉडल को अपनाया है, जो विभिन्न उद्देश्यों के ईएसजी मानदंडों पर बड़े उधारकर्ताओं को श्रेणी प्रदान करता है।

आप के बैंक में 'आंतरिक रेटिंग की गतिशील समीक्षा' संरचना भी लागू है, जो दबाव की पूर्व पहचान करने तथा उचित शमन तंत्र सक्रिय करने की सुविधा देती है।

आपके बैंक में पूंजी पर जोखिम समायोजित प्रतिलाभ (आरएआरओसी) संरचना उपलब्ध है तथा ग्राहक स्तर पर आरएआरओसी की गणना का डिजिटलीकरण कर दिया गया है।

इसके अलावा, खुदरा उधारकर्ता के निष्पादन की निगरानी करने तथा स्कोरिंग के लिए व्यवहारगत मॉडल विकसित कर क्रेडिट रिस्क डाटा मार्ट पर होस्ट किए गए हैं।

आपका बैंक प्रत्येक छमाही में अपने क्रेडिट पोर्टफोलियो की दबावग्रस्तता का परीक्षण करता है। आरबीआई के दिशानिर्देशों, उद्योग की सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं तथा मैक्रो इकोनोमिक वेरिएबल के अनुरूप दबावग्रस्तता परिदृश्यों का नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

आरबीआई ने आपके बैंक को ऋण जोखिम के लिए प्रगत दृष्टिकोण के अंतर्गत फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग बेस्ड (एफ़आईआरबी) के लिए पैरेलल रन प्रक्रिया में प्रतिभागिता करने की अनुमति दी है। एफ़आईआरबी के लिए पैरेलल रन के अंतर्गत आंकड़े आरबीआई को प्रस्तुत किए गए हैं। चूक की संभावना (पीडी), चूक पर हानि (एलजीडी) तथा चूक पर जोखिम (ईएडी) की गणना के मॉडल को आईआरबी पूंजी की गणना के लिए क्रेडिट रिस्क डाटा मार्ट होस्ट किया गया है।

बैंक, एक्सपोजर से जुड़े जोखिम की तुलना में प्रतिलाभ की पर्याप्तता का आकलन करने के लिए आवधिक अंतरालों पर महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो का जोखिम-प्रतिलाभ विश्लेषण करता है। बैंक द्वारा कॉरपोरेट जोखिम से उत्पन्न जोखिम के उद्देश्यपूर्ण और निरंतर मूल्यांकन के लिए उपाय शुरू किए गए हैं। इस संबंध में, बैंक ने प्रारंभिक चेतावनी संकेत ट्रिगर्स के साथ आंतरिक रेटिंग की गतिशील समीक्षा को एकीकृत करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है तथा उक्त फ्रेमवर्क के लिए आईटी कार्यान्वयन को पूरा कर लिया है। इस समय वास्तविक-जीवन के परिदृश्यों के तहत इस फ्रेमवर्क का प्रयोग किया जा रहा है और वित्त वर्ष 2023 में इसे पूर्ण रूप से शुरू करने का बैंक का प्रस्ताव है।

2. बाजार जोखिम कम करने के उपाय:

आपके बैंक में बाजार जोखिम प्रबंधन के द्वारा जोखिमों, नियंत्रण उपायों, निगरानी और रिपोर्टिंग प्रणालियों की पहचान एवं मापन की जाती है। बाजार जोखिम को बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक सुपरिभाषित निवेश नीति, व्यापार नीति एवं बाजार जोखिम प्रबंधन नीति तथा बाजार जोखिम सीमा नीति के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, जो निवेश निधियों के प्रभावी और विवेकपूर्ण प्रबंधन के लिए व्यापार जोखिम सीमाओं/ट्रिगर्स के माध्यम से विभिन्न ट्रेडिंग डेस्क या विभिन्न प्रतिभूतियों में जोखिम को सीमित करती है। इन जोखिम उपायों में स्थिति सीमाएं, अंतर सीमाएं अवधि प्रतिबंध शामिल हैं तथा संवेदनशीलता सीमाओं, यथा - पीवी01, संशोधित अवधि, जोखिम पर मूल्य (वीएआर) सीमा, स्टॉप लॉस ट्रिगर स्तर, एनओओपी, फॉरेक्स डेलाइट सीमा, एलएमएटी, यूएमएटी एवं ऑप्शन्स ग्रीक्स की दैनिक आधार पर निगरानी की जाती है।

मूल्य पर जोखिम (वीएआर) बैंक के ट्रेडिंग पोर्टफोलियों में जोखिम की निगरानी के लिए उपयोग में आने वाला टूल है। आपके बैंक के एंटरप्राइज स्तरीय वीएआर की गणना तथा बैक टेस्टिंग दैनिक आधार पर होती है। बाजार जोखिम के लिए दबावग्रस्त वीएआर की गणना भी दैनिक आधार पर होती है। इसके पूरक के रूप में, बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक दबावग्रस्तता परीक्षण नीति और संरचना को लागू किया गया है, जो दबावग्रस्तता हानि को मापने और सुधारात्मक उपायों को शुरू करने के लिए विभिन्न बाजार जोखिम परिदृश्यों का अनुकरण करता है।

आपके बैंक के बाजार जोखिम पूंजीगत चार्ज की गणना मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) के प्रयोग से विनियामक कारकों को लागू करते हुए की जाती है।

आपका बैंक अपने घरेलू तथा विदेशी पोर्टफोलियों का जोखिम-समायोजित निष्पादन मूल्यांकन करता है। निर्णय लेने के लिए एक साधन के रूप में बैंक गैर - एसएलआर बॉण्ड के ऋण रेटिंग माइग्रेशन का विश्लेषण भी करता है।

बैंक ने एलआईबीओआर से वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) की ओर निर्बाध अंतरण सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय शुरू किए हैं। भविष्य में इससे बैंक के लिए प्रतिपक्षी एक्सपोजर राशि एवं प्रतिपक्षी ऋण जोखिम कम हो सकता है।

प्रासंगिक सूचना प्रौद्योगिकी परिवर्तनों, आरआईसीएस जैसे मॉडलों के मूल्यांकन के लिए उपकरण और नए शुरू की गई वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) के लिए मूल्य निर्धारण के लिए वक्रों को प्रणाली में शामिल किया गया है।

नए शुरू किए गए द्विपक्षीय नेटिंग दिशानिर्देशों को बैंक के प्रचालन दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हुए, यह काउंटरपार्टी एक्सपोजर राशि और बैंक के लिए काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता को कम कर सकता है।

आपके बैंक में एक मॉडल जोखिम प्रबंधन तंत्र उपलब्ध है, जो बैंक को मॉडल जोखिम का आकलन, मापन, निगरानी करने और शमन करने में सक्षम बनाता है।

3. उद्यम जोखिम कम करने के उपाय :

संपूर्ण बैंक स्तर पर जोखिम प्रबंधन करने एवं उसे कार्यनीति के अनुरूप बनाने के लिए व्यापक संरचना तैयार करना उद्यम जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है। जोखिम एपिटाइट फ्रेमवर्क, जोखिम संस्कृति मूल्यांकन फ्रेमवर्क, महत्वपूर्ण जोखिम मूल्यांकन तैयार करने जैसे वैश्विक सर्वश्रेष्ठ प्रथाएँ इसमें शामिल हैं।

जोखिम की भूमिका को कार्यनीतिक कार्य के रूप में परिवर्तित करने के आपके बैंक के विजन के के तहत बोर्ड द्वारा अनुमोदित उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) नीति लागू की गई है।

जोखिम एपिटाइट फ्रेमवर्क के अंतर्गत निगरानी मापदंडों के साथ प्रमुख जोखिमों के लिए सीमाएं तय की जाती है। आपके बैंक में मजबूत जोखिम संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जोखिम संस्कृति मूल्यांकन फ्रेमवर्क को चरणबद्ध तरीके से परिचालित किया जा रहा है। भौतिक जोखिम मूल्यांकन फ्रेमवर्क के अंतर्गत अन्य के साथ-साथ ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम तथा तरलता जोखिम के लिए जोखिम आधारित मापदंडों का आवधिक विश्लेषण उद्यम तथा समूह जोखिम प्रबंधन समिति (ईजीआरएमसी)/ केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारी समिति (ईसीसीबी) को प्रस्तुत किया जाता है।

एकल तथा सामूहिक स्तर पर सामान्य तथा दबावग्रस्त परिस्थितियों में पूंजी की पर्याप्तता के संबंध में आपका बैंक वार्षिक आधार पर व्यापक आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) का आयोजन करता है।

आईसीएएपी में स्तंभ 1 जोखिमों यथा ऋण जोखिम, बाजार जोखिम तथा परिचालन जोखिम के अलावा स्तंभ 2 जोखिम यथा तरलता जोखिम, बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी), संकेंद्रण जोखिम तथा अन्यों का मूल्यांकन किया जाता है और आवश्यक होने पर पूंजी उपलब्ध करवाई जाती है। आईसीएएपी में नए तथा उभरते हुए जोखिमों की पहचान कर उन पर चर्चा की जाती है।

आपका बैंक अपने परिचालनों में कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, बैंक ने जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन नीति विकसित की है, जो कम कार्बन और जलवायु के प्रति संवेदनशील भविष्य की दिशा में अपनी यात्रा का समर्थन करने में एक दिशा-सूचक के रूप में काम करेगी।

आपका बैंक जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों की पहचान तथा प्रबंधन करके जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जलवायु संबंधी जोखिम (एवं अवसर) के विचारों को दिन-प्रतिदिन के परिचालन, उधार देने के पोर्टफोलियो एवं समग्र निर्णय प्रक्रिया में एकीकृत करना इस नीति का लक्ष्य है।

बैंक में समग्र एकीकृत जोखिम अभिशासन संरचना :

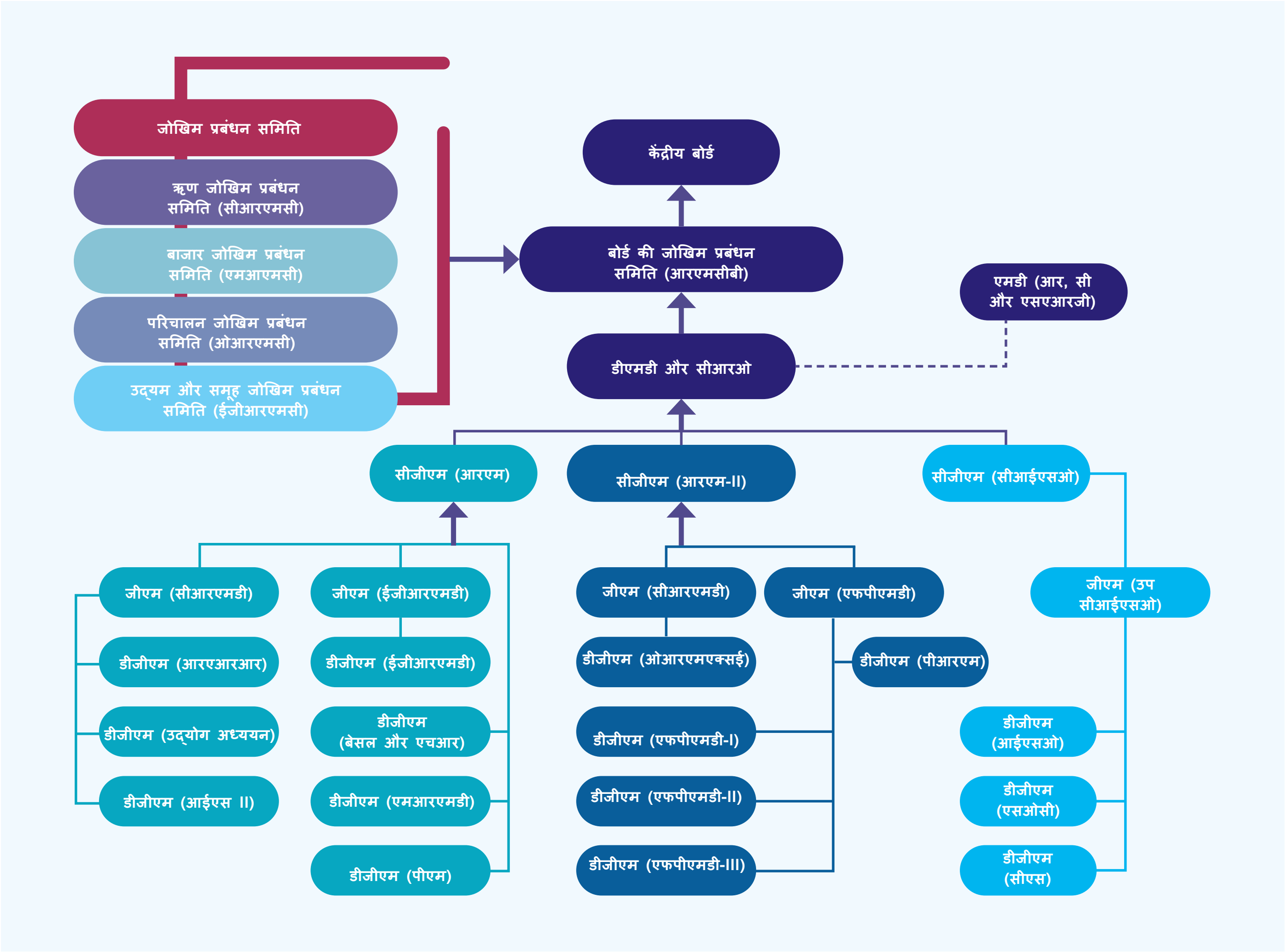

4. समूह जोखिम शमन उपाय :

समूह इकाइयों में मानकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं लागू करना समूह जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य है। समूह जोखिम प्रबंधन, समूह तरलता तथा आकस्मिक निधीयन योजना (सीएफपी), इंट्रा ग्रुप लेनदेन तथा जोखिमों से दूरी बनाए रखने संबंधी नीतियां उपलब्ध हैं। समेकित विवेकशील जोखिमों तथा समूह जोखिम तत्वों की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। गैर-बैंकिंग इकाइयों सहित सभी सामूहिक इकाइयां, जहां एसबीआई के पास 20% या उससे अधिक की हिस्सेदारी एवं प्रबंधन नियंत्रण हो, आईसीएएपी अभ्यास का आयोजन किया जाता है। समानता सुनिश्चित करने के लिए समूह आईसीएएपी नीति विद्यमान है।

5. बासेल कार्यान्वयन :

बासेल III पूंजी विनियमनों पर आरबीआई दिशानिर्देशों को कार्यान्वित किया गया है। आपका बैंक वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त रूप से पूंजीकृत है, जिसमें पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) के आवश्यक स्तर को बनाए रखना भी शामिल है। विनियामक द्वारा आपके बैंक को डी-एसआईबी के रूप में पहचाना गया है तथा तदनुसार बैंक को 1 अप्रैल 2019 से आरडब्ल्यूए के 0.60% का अतिरिक्त कॉमन ईक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) रखने की आवश्यकता है।

ख. आंतरिक नियंत्रण

आपके बैंक में आंतरिक लेखा परीक्षा (आईए) एक स्वतंत्र गतिविधि है और आपके बैंक के भीतर उसकी पर्याप्त प्रतिष्ठा और प्राधिकार है। उप प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के तहत काम करता है। आपके बैंक का आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य नियंत्रणों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने, नियंत्रणों के अनुपालन का आकलन करने और आंतरिक प्रक्रियाओं एवं कार्यविधियों के पालन हेतु जोखिम प्रबंधन और अनुपालन विभागों के साथ निकट समन्वय में किया जाता है। आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य जोखिम आधारित पर्यवेक्षण संबंधी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप आपके बैंक की परिचालन इकाइयों की एक व्यापक जोखिम-आधारित लेखा परीक्षा करता है।

आपके बैंक में तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण के साथ तालमेल रखते हुए, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य ने प्रणाली संचालित और एनलिटिक्स-आधारित लेखापरीक्षा के माध्यम से बढ़ी हुई दक्षता और प्रभावशीलता प्रदान करने के लिए तकनीकी का उपयोग करना प्रारंभ किया है।

कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं -

- सूक्ष्म स्तर पर नियंत्रणों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए वेब आधारित, ऑनलाइन जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरएफआईए)
- एनलिटिक्स-आधारित, विशाल डाटा के दूरस्थ मूल्यांकन के माध्यम से अनुपालन योग्य नियंत्रणों का निरंतर मूल्यांकन

- प्रणाली -चालित, एंलिटिक्स आधारित लेनदेन की ऑफ-साइट निगरानी
- अनुपालन की समसामयिक जांच सुनिश्चित करने के लिए व्यवसाय इकाइयों की समवर्ती लेखापरीक्षा
- ₹1 करोड़ और उससे अधिक के ऋणों की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए संस्वीकृतियों की शीघ्र समीक्षा
- शाखाओं द्वारा स्व-मूल्यांकन के लिए शाखाओं द्वारा ऑनलाइन स्व-लेखापरीक्षा और नियंत्रकों द्वारा पुनरीक्षण

आरएफआईए के अंतर्गत आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग विभिन्न लेखापरीक्षा अर्थात ऋण लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा, गृह कार्यालय लेखा परीक्षा (विदेशी कार्यालयों की लेखापरीक्षा), संगामी लेखापरीक्षा, फेमा लेखापरीक्षा, आपके बैंक की आउटसोर्स गतिविधियों की लेखापरीक्षा, व्यय लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा करता है।

अपनी समग्र जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं की लेखापरीक्षा को मजबूत करने के लिए आपके बैंक ने 01.04.2019 को आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग (आईएडी) में एक नया विभाग अर्थात "कॉरपोरेट केंद्र लेखापरीक्षा (सीसीए) विभाग" बनाया है। इसके अलावा, यह कॉरपोरेट केंद्र में आरबीआई के निर्देशों एवं विनियामक दिशानिर्देशों तथा विभिन्न व्यवसाय इकाइयों एवं विभागों से आने वाली अन्य आवश्यकताओं के अनुपालन में थीमैटिक ऑडिट, वैलिडेशन ऑडिट, सत्यता जांच जैसी विभिन्न लेखापरीक्षाएँ करता है। सीसीए विभाग आरबीआई - ट्रेंच- III-डीसीटी (आंकड़ा संग्रह ट्रेंच), जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (आरएआर) एवं जोखिम शमन योजना (आरएमपी) टिप्पणियों के सत्यापन में भी लगा हुआ है।

शाखा लेखापरीक्षा : आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग जोखिम आधारित पर्यवेक्षण से संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप आपके बैंक की परिचालन इकाइयों की एक व्यापक जोखिम-आधारित लेखा परीक्षा करता है। घरेलू शाखाओं को व्यापार प्रोफ़ाइल और अग्रिम एक्सपोजर के आधार पर मोटे तौर पर चार समूहों (समूह I विशेष, समूह I, समूह II और समूह III) में विभाजित किया जाता है। आपके बैंक ने लेखा परीक्षा के लिए शाखाओं की पहचान करने हेतु एक प्रणाली संचालित प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत विश्लेषणात्मक एल्गोरिदम का उपयोग पर्याप्त रूप से भिन्न व्यवहार स्वरूप प्रदर्शित करने वाली इकाइयों की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह आपके बैंक को इन बाहरी शाखाओं में कारकों की पहचान करने के लिए प्राथमिकता के साथ लेखापरीक्षा कर शुरू में ही अंतर्निहित समस्या की पहचान कर उचित उपाय करने हेतु सक्षम बनाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग ने 31.03.2022 तक घरेलू शाखाओं और केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्रों (सीपीसी) की 10,614 इकाइयों का आरएफआईए पूरा कर लिया है। इसके अलावा, ट्रिगर आधारित लेखापरीक्षा (टीबीए) के तहत चयनित 3,260 शाखाओं में साक्ष्य आधारित अनुपालन परीक्षण (ईबीसीटी) पूरा किया गया।

ऋण लेखापरीक्षा : ऋण लेखापरीक्षा 'जोखिम केंद्रित आंतरिक लेखा परीक्षा' प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। काउंटर पार्टी के व्यवसायों में निहित जोखिमों की पहचान करना और अंतर्निहित जोखिमों की निगरानी के लिए नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का आकलन करना इसका उद्देश्य है। यह उच्च मूल्य वाले ऋण पोर्टफोलियो के लिए ऋण जोखिम को नियंत्रित करने के लिए उपचारात्मक उपायों का भी सुझाव देता है। 'ऋण लेखापरीक्षा प्रभाग' (सीएडी) बैंक के ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता पर 'प्रबंधन' और 'बोर्ड' को आश्वासन देता है। यह सालाना ₹ 20 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले बड़े अग्रिमों को संभालने वाले कर्मचारियों के लिए ऋण की गुणवत्ता, ऋण संचालन और ऋण कौशल में सुधार के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की सिफारिश करता है।

संस्वीकृति की शीघ्र समीक्षा : ₹1 करोड़ से अधिक के कुल घरेलू ऋण जोखिम वाले सभी पात्र स्वीकृत प्रस्तावों की समीक्षा (आईबीजी के लिए यूएस $ 1 मिलियन और उससे अधिक का एक्सपोजर) 'संस्वीकृतियों की प्रारंभिक समीक्षा' (ईआरएस) के तहत की जाती है। ईआरएस प्रारंभिक चरण में ही संस्वीकृत प्रस्तावों में महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान कर लेता है और व्यवसाय इकाइयों को उनके शमन के लिए ऐसे महत्वपूर्ण जोखिमों से अवगत कराता है। ईआरएस सोर्सिंग, पूर्व-संस्वीकृति और मंज़ूरी प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करता है। ईआरएस गतिविधि केंद्रीकृत है और प्रस्तावों की समीक्षा आंतरिक अधिकारियों/चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की जाती है। संपूर्ण ईआरएस प्रक्रिया प्रणाली संचालित है और ऋण जीवन चक्र प्रबंधन समाधान (एलएलएमएस) के माध्यम से की जाती है।

फेमा लेखापरीक्षा : व्यापार वित्त केंद्रीकृत संसाधन कक्ष - टीएफसीपीसी सहित विदेशी मुद्रा का लेनदेन करने (अधिकृत डीलर) के लिए अधिकृत शाखाएं फेमा ऑडिट के अधीन हैं। सीएजी/सीसीजी/टीएफसीपीसी की सभी शाखाएं और "ए" और "बी" श्रेणी की शाखाएं जो टीएफसीपीसी से जुड़ी नहीं हैं, की वर्ष में एक बार लेखापरीक्षा की जाती है। टीएफसीपीसी से जुड़ी लगभग 20% शाखाओं की भी लिंक्ड टीएफसीपीसी के साथ-साथ उससे जुड़ी शाखाओं के विदेशी मुद्रा संचालन की जोखिम धारणा/मात्रा के आधार पर लेखापरीक्षा की जाती है। 31.03.2022 तक ऐसी 452 शाखाएं/इकाइयां फेमा लेखापरीक्षा के अधीन थीं।

सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा, साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा, सूचना प्रणाली समवर्ती लेखा परीक्षा और आईटी आउटसोर्स गतिविधियों की लेखा परीक्षा: शाखा (शाखाओं) के आरएफआईए (रफिया) के अंतर्गत आईटी से संबंधित जोखिमों का आकलन करने के लिए आपके बैंक की शाखाएं सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा ("आईएस ऑडिट") के अधीन हैं। केंद्रीकृत आईटी/कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं का आईएस लेखापरीक्षा भी योग्य अधिकारियों की एक टीम द्वारा की जाती है, जिसमें पार्श्विक भर्ती के माध्यम से नियुक्त आईएस लेखापरीक्षक शामिल हैं।

वितीय वर्ष 2021-22 के दौरान 31.03.2022 तक निम्नलिखित कार्य किए गए:

- 116 लेखापरीक्षित इकाइयों की सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा
- आपके बैंक की साइबर सुरक्षा नीति के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए चौथी तिमाही में साइबर सुरक्षा लेखापरीक्षा की गई है।
- मासिक आधार पर आपके बैंक के 23 जीआईटीसी विभागों की सूचना प्रणाली संगामी लेखा परीक्षा।
- 419 आईटी आउटसोर्स गतिविधियों की लेखापरीक्षा।

विदेश स्थित कार्यालयों की लेखापरीक्षा: आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की निगरानी में संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा फर्मों और स्थानीय अधिकारियों द्वारा संबंधित केंद्रों पर स्थानीय रूप से आयोजित आंतरिक लेखापरीक्षा के अतिरिक्त विदेशी कार्यालयों की लेखापरीक्षा गृह कार्यालय लेखापरीक्षा के अधीन की जाती है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 34 विदेशी कार्यालयों में गृह कार्यालय लेखापरीक्षा और 4 प्रतिनिधि कार्यालयों, 5 अनुषंगियों तथा 5 क्षेत्रीय/देश के प्रधान कार्यालयों में प्रबंधन लेखापरीक्षा बकाया थी, इसे कोविड -19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वित्त वर्ष 2022-23 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तथापि, इन कार्यालयों को अनुमोदित आवधिकता के अनुसार प्रतिष्ठित आंतरिक लेखापरीक्षा फर्मों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के अधीन किया गया था।

समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली (सीएएस): आपके बैंक में संगामी लेखापरीक्षा प्रणाली विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अग्रिम और अन्य जोखिम शामिल है। आरबीआई के अनुदेशों के अनुसार बैंक द्वारा विकसित जोखिम वर्गीकरण मॉडल के आधार पर शाखाओं को अत्यधिक उच्च जोखिम/अति उच्च जोखिम/उच्च जोखिम/ मध्यम जोखिम/कम जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी अत्यधिक उच्च जोखिम, अति उच्च जोखिम और उच्च जोखिम वाली

शाखाएं संगामी लेखापरीक्षा के अंतर्गत आती हैं। संगामी लेखापरीक्षकों को भी सभी केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्रों में रखा जाता है, ताकि लेनदेन की घटना के साथ उनकी निगरानी सुनिश्चित हो सके। संगामी लेखापरीक्षक करेंसी चेस्ट शाखाओं, ट्रेजरी संचालन और अन्य विशेष संगठनों को भी कवर करते हैं। आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 31.03.2022 को 1,814 चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों, 464 सेवानिवृत्त अनुभवी बैंक अधिकारियों और 28 नियमित अधिकारियों को तैनात करके 3,137 शाखाओं/लेखापरीक्षित इकाइयों की संगामी लेखापरीक्षा की है।

ऑफ-साइट लेनदेन निगरानी प्रणाली (ओटीएमएस): ऑफसाइट लेनदेन की निगरानी के उद्देश्य से, परिदृश्य-आधारित अलर्ट तैयार किए जाते हैं और सुधारात्मक कार्यों के लिए व्यवसाय इकाइयों को फ़्लैग किए जाते हैं। वर्तमान में, प्रणाली में 61 परिदृश्य अंतर्निहित हैं, जिनके प्रति लेनदेन को नियमित अंतराल पर स्क्रब किया जाता है, जिसमें संबंधित अनुपालन की पुष्टि के लिए प्रणाली द्वारा असंगत लेनदेन को चिह्नित किया जाता है। परिदृश्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और आवश्यकता एवं कुछ ट्रिगर्स के आधार पर विस्तार किया जाता है।

विधिक लेखापरीक्षा: आपके बैंक में विधिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत ₹ 5 करोड़ और उससे अधिक के ऋणों के ऋण और प्रतिभूति संबंधी प्रलेखों की जांच शामिल है। विधिक लेखापरीक्षा एक नियंत्रण कार्य है, जो अधिवक्ताओं के एक पैनल के माध्यम से किया जाता है और ऐसे 10% खातों की आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा नमूना आधार पर जांच की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपके बैंक के पक्ष में प्रलेख या प्रतिभूति के सृजन में कोई कमी नहीं है। 01.07.2021 से ऋण जीवन चक्र प्रबंधन प्रणाली (एलएलएमएस) में विधिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया को स्वचालित किया गया था। 31.03.2022 तक 14,907 खातों की विधिक लेखापरीक्षा की गई थी।

गैर-आइटी आउटसोर्स गतिविधियों की लेखापरीक्षा: आपका बैंक नियोजित सेवा प्रदाताओं की आवश्यकता को आपके बैंक की तरह ही कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप मान्यता देता है। इसलिए आउटसोर्स गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले कानूनी, वित्तीय और प्रतिष्ठा जोखिमों को कम करने के लिए पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं सुनिश्चित करने हेतु नियमित अंतराल पर आउटसोर्स गतिविधियों की लेखापरीक्षा की जाती है।

आपके बैंक में आउटसोर्स की गई गतिविधियों की लेखापरीक्षा में एटीएम सेवाएं प्रदान करने में लगे विक्रेताओं (गैर-आईटी) की लेखापरीक्षा, कॉरपोरेट व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी), वैयक्तिक व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) और ग्राहक सेवा बिंदु (सीएसपी), वसूली और समाधान एजेंट, नकदी प्रबंधन सेवाएं, चेक बुक प्रिंटिंग, संपार्श्विक प्रबंधन, ऋण प्रस्तावों का विपणन, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, प्रलेख अभिलेखीय केंद्र, और नकद दक्षता परियोजना शामिल हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, आपके बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 की लेखापरीक्षा योजना के अनुसार 36,196 सीएसपी की लेखापरीक्षा पूरी की है। अन्य आउटसोर्स गतिविधियों (सीएसपी के अलावा) के संबंध में 31.03.2022 तक 639 विक्रेताओं की लेखापरीक्षा पूरी कर ली गई है।

कॉरपोरेट केंद्र के विभागों की रफिया: कॉरपोरेट केंद्र लेखा परीक्षा विभाग समग्र जोखिम का आकलन करता है और मैक्रो स्तर के जोखिम की निगरानी करता है। जोखिम मूल्यांकन के अंतर्गत अंतर्निहित जोखिम, नियंत्रण जोखिम, अवशिष्ट जोखिम और अभिशासन एवं निरीक्षण की कमियाँ शामिल हैं। यह विनियामक और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन की स्थिति का भी आकलन करता है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट आपके बैंक में समग्र जोखिम की दिशा और प्रवृत्ति के बारे में शीर्ष प्रबंधन और बोर्ड को एक उचित और उपयुक्त आश्वासन देती है।

प्रबंधन लेखापरीक्षा: प्रबंधन लेखापरीक्षा का मुख्य कार्य समग्र कॉरपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने में शीर्ष स्तर पर नियंत्रण और अभिशासन प्रक्रिया की प्रभावशीलता का आकलन करना है। प्रबंधन लेखापरीक्षा में मंडल के स्थानीय प्रधान कार्यालय, आपके बैंक द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और चुनिंदा कॉरपोरेट केंद्र के विभाग शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रबंधन लेखापरीक्षा का प्रभाव बढ़ाने के अपने प्रयास के अंतर्गत आपके बैंक ने प्रबंधन लेखापरीक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली रेटिंग पद्धतियों, जोखिम भारों और मापदंडों को फिर से निर्धारित करके लेखापरीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा की है।

ग. अनुपालन जोखिम प्रबंधन

"विनियामक और सांविधिक अनुपालनों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आपके बैंक ने वर्षों से अनुपालन जोखिमों को ट्रैक करने और समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपकरण विकसित किया है। विनियामकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनुपालन नीति और समूह अनुपालन नीति की वार्षिक समीक्षा की जाती है।

अनुपालन जोखिम प्रबंधन समिति जिसमें व्यवसाय वर्टिकल और सहायता कार्यों के वरिष्ठ कार्यपालक शामिल हैं, अनुपालन से संबंधित सभी विषयों पर निगरानी बनाए रखती है। समिति नियमित रूप से बैठक करती है और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी आंतरिक हितधारकों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करती है। विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन कार्य द्वारा सभी उत्पादों और नीतियों की समीक्षा की जा रही है।

अनुपालन संस्कृति को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए, पूरे बैंक में नियमित कार्यशालाएं और वार्तालाप कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अनुपालन परीक्षण भी व्यापक आधार पर किया जा रहा है, जिसमें उनके मूल्यांकन और गैर-अनुपालन से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का समय पर समाधान करने के लिए पूरे भारत के क्षेत्रीय कार्यालयों को शामिल किया जाता है।

गैर-अनुपालन के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता प्रदर्शित करने के लिए, आपके बैंक ने अनुपालन न करने वाली शाखाओं की निगरानी और मार्गदर्शन करने तथा अनुपालन करने वाली शाखाओं को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से शाखाओं में अनुपालन स्तर की जांच करने के लिए मैट्रिक्स को आरंभ किया है। बैंक ने डाटा संरक्षण पर विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

घ. केवाईसी /एएमएल-सीएफटी उपाय

आपका बैंक पूरे बैंक में केवाईसी मानदंडों/दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए व्यापक कदम उठा रहा है। बैंक के पास अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानकों, धन शोधन निवारण (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी) उपायों पर केवाईसी पर आरबीआई के वर्तमान मास्टर निर्देश के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है।

नीति के अंतर्गत केवाईसी, एएमएल और सीएफटी मुद्दों पर बैंक का दृष्टिकोण शामिल है। नीति के अंतर्गत ग्राहक स्वीकृति, जोखिम प्रबंधन, ग्राहक पहचान और लेनदेन की निगरानी के लिए बैंकों की संरचना शामिल है। बैंक ने समय-समय पर संशोधित धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 और धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 के प्रावधानों को लागू करने के लिए कदम उठाए हैं।

ग्राहकों, देशों या भौगोलिक क्षेत्रों, उत्पादों, सेवाएं, लेनदेन या वितरण चैनल, आदि के लिए अपने धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण जोखिम को कम करने के लिए आपका बैंक समय-समय पर 'धन शोधन (एमएल) और आतंकवाद वित्तपोषण (टीएफ) जोखिम निर्धारण का कार्य कर रहा है।

बैंक ने केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित की है, जिसमें मैनुअल और सिस्टम द्वारा संचालित कार्यप्रणाली का संयोजन है। अनाम या काल्पनिक/बेनामी नाम से या जहां शाखा/व्यवसाय इकाई उचित ग्राहक सावधानी (सीडीडी) उपायों को लागू करने में असमर्थ है, वहां कोई खाता नहीं खोला जाता है। बैंक आभासी मुद्राओं के लेनदेन या निपटान के लिए खाता नहीं खोलता है। तथापि नीति को लागू करते समय, बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि इससे वित्तीय या सामाजिक रूप से वंचित लोगों को बैंकिंग सेवाओं से वंचित न किया जाए।

बैंक ने संपर्क रहित ग्राहक ऑनबोर्डिंग की सुविधा के लिए वीडियो केवाईसी सुविधा शुरू की है। इस प्रक्रिया का उपयोग करके, नए ग्राहक किसी भी शाखा में आए बिना पूरी तरह कार्यपरक खाते खोल सकते हैं।

बैंक का एएमएल सीएफटी विभाग लेनदेन की निगरानी के माध्यम से उचित सावधानी बरतता है। बैंक जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें मूल्यांकन और जोखिम धारणा के आधार पर ग्राहकों को निम्न, मध्यम और उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बैंक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (एफआईयू-आईएमडी) को अनिवार्य रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में भी ध्यान रखता है। उन खातों के मामलों में भी प्राथमिकता के आधार पर उपयुक्त रिपोर्ट दर्ज की जाती है, जिनमें आतंकवादी के जुड़े होने का संदेह होता है।

केवाईसी/एएमएल/सीएफटी मामलों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक केवाईसी पर विशेष लेखा परीक्षा आयोजित करता है।

कर्मचारियों में अधिक जागरूकता विकसित करने के लिए कई पहल की गई हैं। केवाईसी/एएमएल/सीएफटी क्षेत्रों में कर्मियों का प्रशिक्षण हमारे बैंक में एक सतत प्रक्रिया है। कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं, ताकि कर्मचारियों को केवाईसी/एएमएल/सीएफटी मामलों में पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जा सके।

एएमएल-सीएफटी दिवस प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को मनाया जाता है, जिस दौरान सभी शाखाओं/प्रसंस्करण केंद्रों और प्रशासनिक कार्यालयों में प्रतिज्ञा ली जाती है। इसी तरह, 1 अगस्त को केवाईसी अनुपालन और धोखाधड़ी निवारण दिवस के रूप में मनाया जाता है।

ङ. बीमा

बैंक की परिसंपत्तियों तथा अन्य जोखिमों के लिए आपका बैंक बीमा पॉलिसियाँ खरीद रहा है। बीमा कवरेज में अन्य बातों के साथ-साथ नकद राशियां और क़ीमती वस्तुएँ, बैंक की संपत्तियां, डेबिट कार्ड/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के तहत धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेन, साइबर जोखिम आदि शामिल हैं।

च. परिसर

एक जिम्मेदार कॉरपोरेट के रूप में, एसबीआई ने हमेशा अपने कार्यों में पर्यावरण प्रबंधन परम्पराओं को शामिल किया है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हरित दुनिया की मंशा और प्रतिबद्धता के साथ, बैंक ने विभिन्न पहल शुरू की हैं।

हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने इस वित्तीय वर्ष के दौरान अपने 9 प्रतिष्ठित भवनों के लिए आईजीबीसी की ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्राप्त कर एक नई ऊंचाई हासिल की है, जिससे इन भवनों की कुल संख्या 18 हो गई है।

हम अपने कॉरपोरेट कार्यालय, स्टेट बैंक भवन को 100% हरित ऊर्जा में रूपांतरित कर खुश हैं, जिसके माध्यम से हम प्रति वर्ष लगभग 52 टन कार्बन डाइऑक्साइड को ऑफसेट कर सकते हैं। यह वर्ष 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के हमारे भविष्य के लक्ष्य की दिशा की ओर एक कदम है।

4. राजभाषा

हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

भारतीय स्टेट बैंक बैंक द्वारा स्थापित बहुविध चैनलों के जरिए बैंक में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आपके बैंक

ने ग्राहकों तक पहुंचने के लिए राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु अभिनव कदम उठाए हैं और संगठन के लिए कई ख्याति अर्जित किए हैं।

आपका बैंक, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक के पास डिजिटल इंडिया की अपेक्षाओं के अनुरूप एक व्यापक और अच्छी तरह से विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। विभिन्न उत्पादों को हिंदी के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जा रहा है।

तकनीकी उन्नयन के चलते कोर बैंकिंग में हिंदी पासबुक और खाता विवरण के मुद्रण का एक नया और बेहतर संस्करण हिंदी में उपलब्ध कराया गया है और हिंदी में पासबुक एवं खाता विवरण आदि जारी करने की यह सुविधा पूरे भारत में लागू की गई है।

बैंक के ग्राहकों को सीबीएस में लेनदेन के एसएमएस अलर्ट 13 भारतीय भाषाओं यथा उड़िया, गुजराती, कन्नड़, तमिल, असमिया, पंजाबी, बंगाली, मैथिली, मराठी, मलयालम और तेलुगु में भेजे जा रहे हैं। इससे देश की लगभग 90% आबादी अपनी मातृभाषा में एसएमएस अलर्ट प्राप्त करेगी ।

मोबाइल बैंकिंग के लिए योनो लाइट ऐप को 12 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है और योनो कृषि ऐप अब हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम सहित 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। हमारी बैंकिंग वेबसाइट ऑनलाइन एसबीआई (onlinesbi)14 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। एसबीआई क्विक ऐप को 14 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है।

बैंक की कॉरपोरेट वेबसाइट bank.sbi हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है।

वर्तमान में, हमारे कॉल सेंटर, ग्राहकों को 13 भाषाओं में समाधान उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें 80 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों का उत्तर भारतीय भाषाओं में दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी पखवाड़ा तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व हिंदी दिवस का आयोजन

भारत में आपके बैंक के स्टाफ-सदस्यों के बीच हिंदी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर 14 से 30 सितंबर 2021 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। 10 जनवरी को विदेशी शाखाओं में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसमें बैंक में राजभाषा के उपयोग के प्रसार के लिए विभिन्न हिंदी कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राजभाषा नीति के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2020-21 प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 14 सितंबर 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिया गया। श्री ओम प्रकाश मिश्र, उप प्रबंध निदेशक (मा सं) और कॉरपोरेट विकास अधिकारी ने पुरस्कार ग्रहण किया।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच राजभाषा के सर्वोत्तम कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार का राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

बैंक के इतिहास में पहली बार, वर्ष 2020-21 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार के प्रतिष्ठित कीर्ति पुरस्कार से हमारे बैंक को सम्मानित किया गया है।

यह पुरस्कार माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रदान किया गया।

माननीय गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक द्वारा सर्वश्रेष्ठ तिमाही हिंदी गृह-पत्रिका की श्रेणी में बैंक की तिमाही हिंदी गृह-पत्रिका "प्रयास" को वर्ष 2019-20 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 14 सितंबर 2021 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्रदान किया गया। श्री ओम प्रकाश मिश्र, उप प्रबंध निदेशक (मा सं) और कॉरपोरेट विकास अधिकारी ने बैंक की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया।

"आशीर्वाद" प्रसिद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा राजभाषा रत्न और राजभाषा योद्धा पुरस्कार

राजभाषा हिंदी के प्रयोग के प्रचार-प्रसार हेतु आपके उप प्रबंध निदेशक (मा सं) और कॉरपोरेट विकास अधिकारी श्री ओम प्रकाश मिश्र को प्रसिद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठन "आशीर्वाद" द्वारा राजभाषा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा दिया गया। आपके बैंक के महाप्रबंधक (राजभाषा और कॉरपोरेट सेवाएँ) श्री दिनेश परुथी को राजभाषा योद्धा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

भारतीय स्टेट बैंक को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से पुरस्कार

भारतीय स्टेट बैंक की अध्यक्षता में गठित भुवनेश्वर, राजकोट और जबलपुर की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति यों को संबंधित शहरों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसी तरह, राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन प्रशासनिक कार्यालय, निजामाबाद को द्वितीय पुरस्कार एवं प्रशासनिक कार्यालय, सूरत को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

5. विपणन एवं संचार

विपणन और संचार (एम एंड सी) विभाग ब्रांडिंग, उत्पाद विपणन और कॉरपोरेट संचार की दिशा में बैंक की पहल के लिए जिम्मेदार है। विभाग डिजिटल पहलों को प्रोत्साहित करने और युवा भारत के साथ जुड़ने के लिए सामयिक विपणन दृष्टिकोण अपनाता है। यह भारतीय और विदेशी परिचालनों सहित बैंक के विभिन्न प्रभागों की व्यावसायिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए एकीकृत विपणन रणनीतियों को विकसित और कार्यान्वित करने का प्रयास करता है। इस विभाग में मीडिया, मार्केटिंग संचार, डिजिटल मार्केटिंग, विज्ञापन और जनसंपर्क जैसे विभिन्न संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े डोमेन के कुशल व्यवसायी और विशेषज्ञ शामिल हैं।

महामारी के दौरान, भले ही शाखाएं और एटीएम निर्बाध रूप से काम कर रहे थे, एम एंड सी विभाग का ध्यान ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु बैंक की डिजिटल पहल को बढ़ावा देने पर रहा। बैंक ने एसबीआई के योनो, एसबीआई भीम पे, योनो लाइट आदि जैसे डिजिटल बैंकिंग चैनलों के डाउनलोड और उनके लगातार उपयोग को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। वैकल्पिक चैनलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित तरीके से उनके उपयोग हेतु एम एंड सी विभाग बैंक के ग्राहकों के साथ जुड़ा हुआ है। बैंक ने हमारे उत्पादों और सेवाओं के बारे में ग्राहक जागरूकता पैदा करने के लिए "आई एम द आई इन एसबीआई", "हर त्यौहार शुभ शुरुआत", "ईज़ी-राइड" आदि जैसे विभिन्न ब्रांड/मार्केटिंग पहल की और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर #HumSabkaSBI, #BankerToEveryIndian,#SbiAapkeSaath आदि जैसे अभियान भी चलाए।

एम एंड सी टीम ने गृह ऋण, वैयक्तिक ऋण, चालू खाता, एनआरआई सेवाएं और डिजिटल उत्पाद आदि जैसे उत्पादों के लिए प्रमुख विपणन अभियान शुरू किए। विभाग ने ग्राहकों के लिए अपनी तरह का एक मीडिया-लोकसंपर्क कार्यक्रम भी शुरू किया और बैंक के उत्पादों एवं सेवाओं को देश के कोने-कोने में प्रचारित किया। अभियानों के लिए विभिन्न मीडिया चैनलों जैसे प्रिंट, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, एटीएम आदि का उपयोग किया गया। विभाग ने विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से बैंक की कई निरंतरता पहल और सीएसआर गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया।

अन्य विपणन पहलों के साथ-साथ अपने प्रमुख उत्पाद योनो के साथ अपनी विभिन्न डिजिटल पहलों को और बढ़ावा देने की बैंक की योजना है। एम एंड सी विभाग अपने सभी विपणन पहलों को पुनः परिभाषित करने एवं पुनः प्रस्तुत करने पर जोर देता है, ताकि संबद्ध बने रहे तथा सबसे जीवंत एवं भरोसेमंद ब्राण्डों में से एक होने के गौरव को बनाए रखने हेतु भारतीय स्टेट बैंक के लिए परिवर्तन उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया जा सके।

6. सतर्कता व्यवस्था

सतर्कता कार्य के तीन पहलू हैं-निवारक, दंडात्मक और सहभागी। पिछले अनुभवों/घटनाओं के आधार पर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर प्रणाली/प्रक्रिया में सुधार किए जा रहे हैं और निवारक सतर्कता उपाय के रूप में बैंक के दिशानिर्देशों को सुव्यवस्थित किया जा रहा है।

इस वर्ष के दौरान 'स्वतंत्र भारत@75 : सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता' विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह 25 अक्तूबर से 1 नवंबर 2021 तक मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत सभी स्टाफ-सदस्यों को "सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा" दिलाई गई। एसबीआई टाइम्स, एटीएम, सीडीएम, इन्टरनेट बैंकिंग, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एवं लिंक्डइन जैसे बैंक के सभी चैनलों का उपयोग सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) के विषय पर कर्मचारियों एवं जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए किया जाता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान हमने बैंक के शीर्ष प्रबंधन के साथ सीवीसी का एक सम्मेलन आयोजित किया। बैंक द्वारा किए गए व्यापक निवारक सतर्कता उपायों को आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मुख्य सतर्कता आयुक्त ने सतर्कता बुलेटिन 2021 जारी किया। आयोग ने बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों की सराहना की।

स्टाफ जवाबदेही संरचना एवं एबीबीएफएफ समिति के बारे में चर्चा करने के लिए हमने 1 अक्तूबर, 2021 को वित्तीय सेवाएँ विभाग, केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों की बैठक का आयोजन किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक एवं वित्तीय सेवाएँ विभाग के परामर्श से सभी सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में 3 करोड़ रुपए एवं उससे अधिक राशि के सभी धोखाधड़ी मामलों को शामिल करने एवं सभी स्तर के अधिकारियों/पूर्णकालिक निदेशकों (भूतपूर्व अधिकारी/भूतपूर्व पूर्णकालिक निदेशक सहित) की भूमिका की जांच करने के लिए आयोग ने एबीबीएफएफ के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया है, जिसकी अंतिम तिथि 6 जनवरी 2022 है। पूर्व में 50 करोड़ रुपए से अधिक राशि के धोखाधड़ी के मामले ही एबीबीएफएफ को भेजे जाते थे।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से वित्तीय सेवाएँ विभाग ने दिनांक 29 अक्तूबर 2021 के अपने पत्र के द्वारा 50 करोड़ रुपए तक के सभी मामलों में स्टाफ की जवाबदेही की जांच के लिए नई संरचना जारी की है। वित्तीय सेवाएँ विभाग ने सभी बैंकों को सूचित किया है कि 1 अप्रैल 2022 से इस संरचना के अंतर्गत स्टाफ जवाबदेही नीति तैयार करें।

सतर्कता विभाग ने 609 निवारक सतर्कता कार्यक्रम, 122 ईओ/पीओ/आईओ प्रशिक्षण एवं 42 जांच अधिकारी प्रशिक्षण का आयोजन किया, जिसमें 10,250 अधिकारी शामिल रहे। शिकायत प्रवण शाखाओं एवं उन शाखाओं जहां आरएफआईए लेखापरीक्षक ने गंभीर अनियमिताएँ पाई, में स्वतः जांच करने के अलावा, हमने निवारक सतर्कता

उपाय सुनिश्चित करने एवं सुधार करने के लिए एआई/एमएल इंजाइन द्वारा चयनित उच्च जोखिम एवं अत्यंत उच्च जोखिम वाली शाखाओं में स्वतः जांच शुरू किए।

पिछले वित्त वर्ष 2021 के 1029 मामलों की तुलना में वित्त वर्ष 2022 के दौरान 1338 मामलों को बंद किया गया, जो कि पिछले वर्ष बंद किए गए मामलों की तुलना में 23% वृद्धि के साथ आकर्षक निष्पादन है।

7. आस्ति एवं देयता प्रबंधन

आस्ति और देयताओं (एएलएम) का कुशल प्रबंधन बैंक के निरंतर और गुणात्मक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाजार की गतिशीलता की सक्रिय रूप से समीक्षा करते हुए, उससे उत्पन्न संकेतों को ग्रहण कर विनियामक अपेक्षाओं का पालन करते हुए तुलन पत्र को मजबूत करना बैंक के एएलएम का उद्देश्य है।

मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के अंतर्गत आपका बैंक 'जमाराशियाँ', 'आस्ति एवं देयता प्रबंधन', 'तरलता और ब्याज दर जोखिमों पर तनाव परीक्षण', 'आकस्मिक निधीयन योजना' संबंधी अपनी आंतरिक नीतियों की लगातार समीक्षा कर रहा है और बाजार की स्थितियों में परिवर्तन को किशलतापूर्वक अपनाया है। बैंक तनाव परीक्षण और विपरीत तनाव परीक्षण कर रहा है, ताकि संभावित जोखिम जिससे सबसे खराब स्थिति उत्पन्न हो सकती है, से बचा जा सके।

ग्राहकों के व्यवहार स्वरूप (ग्राहकों के लिए उपलब्ध एम्बेडेड विकल्प) का आकलन करने के लिए नियमित अंतराल पर अध्ययन किए जाते हैं, ताकि तरलता की स्थिति का मूल्यांकन करते समय गैर-संविदागत आस्तियों और देयताओं की मदों का ठीक तरह से प्रबंधन किया जा सके। तरलता और ब्याज दर संवेदनशीलता विवरणों में बहिर्वाह/अंतर्वाहों की सटीक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अर्ध-वार्षिक अंतराल पर व्यवहारपरक विश्लेषण किया जाता है, जो ऑफ बैलेंस शीट (ओबीएस) एक्सपोजर, संभावित ऋण हानियों के प्रभाव आदि के कारण उत्पन्न होता है। नवीनतम अध्ययनों के परिणामों के आधार पर गैर-संविदात्मक आस्तियों और देयता मदों से संबंधित प्रचलित मान्यताओं की समय-समय पर समीक्षा की जाती है, उनका परीक्षण किया जाता है और अद्यतन किया जाता है।

गतिशील बाजार परिवेश के तहत उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों (एचक्यूएलए) और नकदी बहिर्वाह के स्टॉक की दैनिक आधार पर प्रभावी निगरानी की जाती है, ताकि विनियामक के साथ-साथ बैंक के आंतरिक नीति मानदंडों द्वारा निर्धारित एलसीआर के रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सके। आपके बैंक ने तरलता के मामले में बैंक के दीर्घकालाइक लचीलेपन को मापने वाले आरबीआई के एनएसएफआर दिशानिर्देशों को प्रस्तुति (विनियामक) आदेश से बहुत पहले ही सक्रिय रूप से लागू किया है।

आपका बैंक अपने तुलन पत्र (ऑन/ऑफ) एक्सपोजरों पर अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों परिप्रेक्ष्यों से पर बदलती ब्याज दरों से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों की पहचान करता है। इसके लिए, जोखिम पर आय (ईएआर) और इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) के प्रभाव का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित सहन सीमाओं के साथ किया जाता है, जो प्रबंधन को एनआईआई/निवल मालियत में क्षरण के संभावित परिदृश्य में उचित निवारक कदम उठाने की सुविधा देता है।

स्थिर निधियों को जुटाने के लिए शाखाओं को प्रोत्साहित करने और निधियों की लागत के आधार पर उनकी लाभप्रदता का आकलन करने के लिए, आपके बैंक द्वारा समतुल्य परिपक्वता-आधारित निधि अंतरण कीमत निर्धारण को अपनाया गया। बैंक अपनी बेंचमार्क ऋण दरों के माध्यम से मौद्रिक नीति का पर्याप्त प्रचार सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करता है।

आपके बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तुलन पत्र में आस्ति-देयता मिश्रण में सुधार कर और समय-समय पर देनदारियों एवं आस्तिओं के मूल्य निर्धारण को पुन: कैलिब्रेट करके तरलता और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करती है। एएलसीओ, अन्य बातों के साथ-साथ, ब्याज दर परिदृश्यों, देयता उत्पादों के विकास के स्वरूप, ऋण वृद्धि, प्रतिस्पर्धी लाभों, उत्पन्न तरलता की स्थिति, विनियामक के निर्देशों के अनुपालन आदि की नियमित आधार पर समीक्षा करता है।

आस्ति एवं देयता प्रबंधन से संबंधित विनियामक रिपोर्टों/विवरणियों के स्वचालन के साथ आपका बैंक तरलता और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन की निगरानी एवं अनुपालन अच्छी तरह से करता है।

8. सदाचार एवं व्यवसाय आचरण

बैंक के सभी परिचालन क्षेत्रों में सदाचार एवं नैतिकता की पहलों को सशक्त एवं एकीकृत करने की ज़िम्मेदारी आपके बैंक के सदाचार एवं व्यवसाय आचरण विभाग की है। इस उद्देश्य के साथ विभाग ने विगत वित्तीय वर्ष में कई गतिविधियों का आयोजन किया है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 भी विगत वर्ष की भांति, कोविड की दूसरी व तीसरी लहर से उत्पन्न व्यवधानों से भरा रहा। तथापि, सभी परिचालनों में डिजिटल प्लेटफार्मों के निरंतर एकीकरण से यह सुनिश्चित किया गया कि विभाग की सभी गतिविधियाँ अप्रभावित रहीं और निर्बाध रूप से जारी रहीं। मौजूदा पहलों के अलावा, विशिष्ट व्यक्तित्वों द्वारा प्रदर्शित अनुकरणीय नैतिक मानकों के उपाख्यानों पर आधारित एक नई ई-मेल प्रसारण श्रृंखला शुरू की गई। आपके बैंक ने नैतिक जोखिमों को कम करने और उन मामलों में जहां व्यक्तिगत हित व्यवसाय-व्यवहार को अनुचित रूप से प्रभावित कर रहा हो, स्टाफ को सवेदनशील बनाने के लिए हितों के टकराव की नीति तैयार की है। व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं निरंतरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) जैसे आवश्यक संकेतकों के तहत सेबी को प्रकटीकरण प्रस्तुत करने के लिए आपके बैंक ने रिश्वत निरोध और भ्रष्टाचार निरोध नीति तैयार की है, जो रिश्वत और भ्रष्टाचार को रोकने के संबद्ध सिद्धांतों एवं नियमों तथा संगठन के विशाल हितों की सुरक्षा के बारे में है।

बैंक ने कर्मचारियों के बीच सदाचार नीति को और अधिक व्यापक बनाने तथा जोखिम व सदाचार संस्कृति संबंधी उनकी जागरूकता के स्तर को मापने के लिए एक सर्वेक्षण किया, जिसमें 90% से अधिक कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस सर्वेक्षण में पाया गया कि अधिकांश कर्मचारी बैंक के जोखिम व सदाचार संस्कृति के बारे में जानते हैं।

अपने महिला कर्मचारियों के लिए एक समावेशी, सुरक्षित और एक उच्च विश्वसनीय कार्यस्थल विकसित करने के प्रति आपका बैंक प्रतिबद्ध है। बैंक में समर्पित गरिमा (पीओएसएच) संरचना उपलब्ध है, जिसमें लैंगिक संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न संबंधी मामलों पर जागरूकता, विस्तार और सशक्तीकरण सहित संपूर्ण प्रक्रिया-चक्र शामिल है। विभाग गरिमा पीओएसएच के तहत की गई शिकायतों की निगरानी के लिए बैंक का नोडल केंद्र है, जहाँ पीड़ित पक्षों की अपीलों को समय पर निपटाया जाता है। वर्ष के दौरान नव नियुक्त महिला कर्मचारियों के लिए एक परामर्शन कार्यक्रम शुरू किया गया, ताकि नैतिकता और मूल्यों को आत्मसात करते हुए बैंक की संस्कृति में उनकी सहज यात्रा सुनिश्चित हो सके। स्टाफ के बीच गरिमा पोश संबंधी जागरूकता पैदा करने के लिए,कर्मचारियों के उनके त्वरित व सुलभ संदर्भ के लिए एक व्यापक हैंडबुक जारी की गई। कोविड व्यवधानों के बीच आपके बैंक ने जागरूकता के प्रसार और बैंक के मूल्यों का संवर्धन करने के लिए संबंधित लक्ष्य समूहों के लिए सदाचार और गरिमा पीओएसएच विषय पर नियमित रूप से वेबिनार आयोजित किए हैं।

अनुशासन प्रबंधन के क्षेत्र में, आपके बैंक ने

अपने और बैंक के हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए निर्धारित नियमों, विनियमों, मानदंडों और प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन से युक्त स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक कर्मचारी जवाबदेही नीति तैयार की है। कर्मचारियों को अपने वास्तविक कार्यों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उनके द्वारा किए गए किसी भी गलत काम या न किए गए काम के लिए उन्हें जवाबदेह बनाना कर्मचारी जवाबदेही नीति का उद्देश्य है। इसे वित्तीय सेवाएँ विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी कर्मचारी जवाबदेही संरचना के अनुरूप बनाने के लिए, बाद में इस नीति की समीक्षा भी की गई। आपके बैंक का सदाचार एवं व्यवसाय आचरण विभाग यहीं पर नहीं रुकता है। इस विभाग की यात्रा चिरस्थायी है और वह विभिन्न प्रयासों के जरिए उच्चतम स्तर का सदाचार दिखाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

9. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व

सीएसआर उन गतिविधियों में से एक है, जिसके माध्यम से आपका बैंक एक जिम्मेदार कॉरपोरेट नागरिक की भूमिका निभाता है। एसबीआई में सीएसआर का उद्देश्य सामाजिक विकास के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक उद्देश्यों को एकीकृत करना है। बैंक में सीएसआर नीति का उद्देश्य ऐसी गतिविधियों में भाग लेना है, जो सामुदायिक विकास, सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरणीय स्थिरता को लाभ पहुंचाती हैं, ताकि समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों तक पहुंच बनाई जा सके।

अधिकांश सीएसआर गतिविधियां ग्रामीण और शहरी मलिन बस्तियों में की जाती हैं, जहां दलित लोग रहते हैं और उन्हें चिकित्सा, शिक्षा, आहार, आश्रय आदि के रूप में सहायता की आवश्यकता होती है।

अंशदान जाति, पंथ, धर्म और क्षेत्र के आधार पर नहीं किए जाते हैं। समाज के उन वंचित वर्गों को दान दिया जाता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और उन्हें अपने भरण-पोषण के लिए दानदाताओं की सहायता की आवश्यकता होती है। बैंक के लाभार्थियों में समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद लोग शामिल होते हैं। आपका बैंक उन गैर-सरकारी संगठनों/ट्रस्टों की सहायता करता है, जो समाज के इन वर्गों के उत्थान के लिए काम करते हैं। इसका लक्ष्य समाज के विशेष रूप से कम भाग्यशाली और वंचित सदस्यों के सामाजिक-आर्थिक उन्नति में सुधार लाना है और उन्हें अपनी क्षमता तक जीने में सक्षम बनाता है।

2021-22 के दौरान सीएसआर व्यय

1	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कुल सीएसआर बजट	रु. 204.10 करोड़
2	एबीआई फाउंडेशन के लिए आबंटन	रु. 102.56 करोड़
3	मंडल /विभागों के माध्यम से किए गए सीएसआर व्यय	रु. 101.54 करोड़

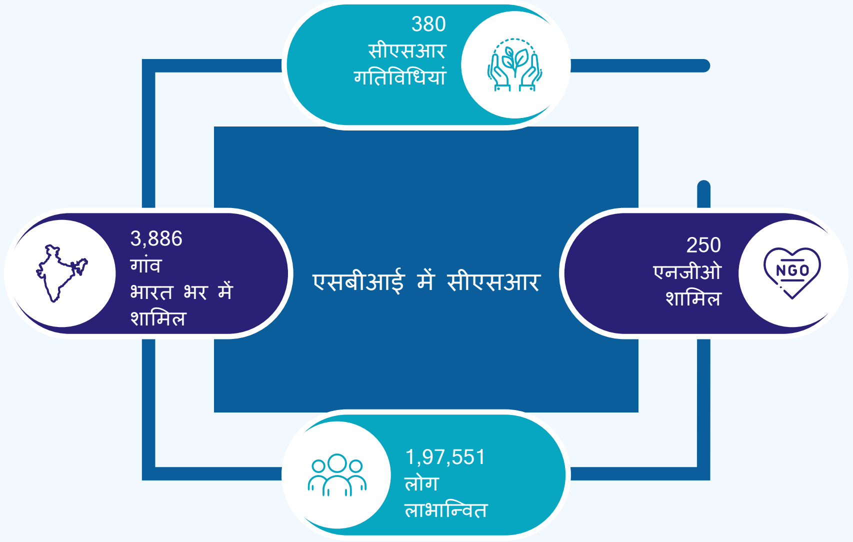

बैंक की क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय *

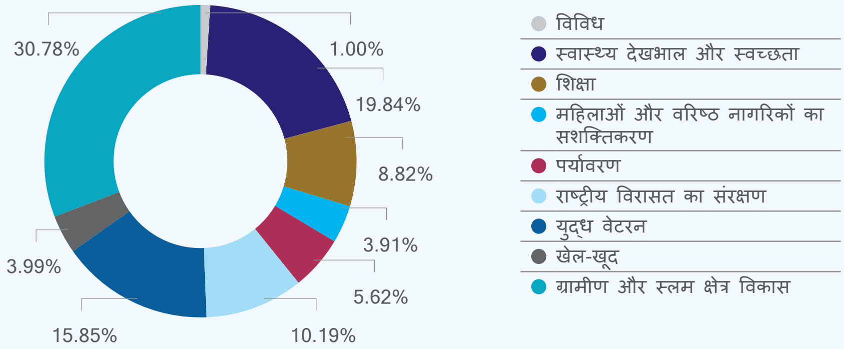

*एसबीआई फाउंडेशन को छोड़कर मंडलों/विभागों के माध्यम से किए गए सीएसआर व्यय

कोविड के विरुद्ध बैंक का संघर्ष

आपके बैंक ने एसबीआई फाउंडेशन के माध्यम से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में विभिन्न गतिविधियां शुरू की हैं। इसके लिए एसबीआई फाउंडेशन द्वारा 71 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई। इस पहल में शामिल हैं:

अल्पावधि सहायताः

- भोजन और राशन किट, स्वास्थ्य उपकरण जैसे पीपीई, मास्क, ऑक्सीमीटर आदि का वितरण
- जागरूकता बढ़ाना
- टीकाकरण अभियान
- कोविड केयर सेंटर बनाना

परिचालनगत मध्यावधि सहायताः

- ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना
- स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का उन्नयन
- मोबाइल और सामुदायिक परीक्षण आदि

नवोन्मेषी दीर्घावधि सहायताः

- जीनोम अनुक्रमण
- स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता का निर्माण
- स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए स्वास्थ्य देखभाल समाधान और प्रौद्योगिकी, आदि

महिला सशक्तिकरण गतिविधियों को सहायता :

- एक छत के नीचे निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं और बच्चों को एकीकृत सहायता और सहायता प्रदान करने के लिए करीमनगर, तेलंगाना में भरोसा केंद्र की स्थापना।
- स्वस्थ, स्वच्छ और प्रभावी तरीके से मासिक धर्म से निपटने के लिए दिल्ली के स्लम क्षेत्रों की मासिक धर्म वाली महिलाओं और लड़कियों को जागरूक बनाने के लिए सच्ची सहेली, नई दिल्ली की सहायता की गई।
- सिलाई मशीनों और अन्य सिलाई उपकरणों की खरीद के लिए समाज शक्ति सोसाइटी, त्रिपुरा की सहायता की गई।
- सिल्वर लाइनिंग सोसाइटी, नई दिल्ली को बुनियादी ढांचे की खरीद के लिए सहायता प्रदान की गई, जिससे उनके गैर-सरकारी संगठन में रहने और शिक्षित होने वाली दृष्टिहीन बालिका लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के धर्मशाला, रैत और नगरोटा प्रखंडों में गरीब महिलाओं और अधिकांश वंचित परिवारों के बच्चों को पोषण किट और चिकित्सा सामग्री प्रदान की।

स्वास्थ्य देखभाल के लिए सहायताः

- धन्वंतरी चैरिटेबल हॉस्पिटल-बेंगलुरु, शनुखप्रिया ट्रस्ट-मुंबई, शणमुखानंद ट्रस्ट-मुंबई, प्रशांति मेडिकल सर्विसेज और रिसर्च फाउंडेशन-अहमदाबाद जैसे विभिन्न ट्रस्टों को उनके द्वारा संचालित अस्पताल/ स्वास्थ्य केंद्रों के लिए आवश्यक विभिन्न चिकित्सा उपकरणों की खरीद में सहायता प्रदान की गई।
- चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए गोवेल ट्रस्ट, चेन्नई की सहायता। गोवेल ट्रस्ट अरविंद आई हॉस्पिटल का संचालन करता है, जो बड़े परिमाण में, उच्च गुणवत्तायुक्त और कम खर्च में आंखों की देखभाल की सुविधा प्रदान करता है।
- स्पर्श धर्मशाला, प्रशामक देखभाल केंद्र, हैदराबाद की सहायता। अंशदान का उपयोग उन कैंसर रोगियों के उपशामक देखभाल के लिए किया जाता है, जिनके इलाज के लिए उपचार अब प्रभावी नहीं है।
- आपके बैंक ने विभिन्न ट्रस्ट अस्पतालों को एंबुलेंस दान में देकर, ऑपरेशन थियेटर की स्थापना कर, आईसीयू कमरे, चिकित्सा उपकरण आदि दान करके सहायता की है।

शिक्षा में सहायताः

- टाटा स्टील फाउंडेशन - मुंबई को उडिशा और झारखंड के दूरस्थ एवं आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों के लिए डिजिटल आधारित कक्षाओं की स्थापना में सहायता प्रदान की।
- “विद्याकिरणम” योजना के तहत तिरुवनंतपुरम के जरूरतमंद छात्रों को दान दिया गया।
- मोबाइल विज्ञान और गणित- प्रयोगशाला के निर्माण में मातृभान सोसाइटी, भुवनेश्वर की सहायता की गई।
- उत्तर प्रदेश के विभिन्न कस्तूरबा स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए सहायता दी गई।
- उपर्युक्त के अलावा, आपके बैंक ने वाहन, कंप्यूटर, स्कूल के बुनियादी ढांचे आदि के लिए दान सहित कई अन्य गतिविधियां भी की हैं।

स्वच्छ भारत, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता

- खुर्दा जिला, उड़ीसा की 27 ग्राम पंचायतों में हाई मास्ट सोलर लाइटों की खरीद और स्थापना के लिए सहायता प्रदान की गई।
- नल्लामला के घने जंगल (नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व) में वन्यजीवों को पानी उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा आधारित डीप-वेल पंपिंग सिस्टम स्थापित करने हेतु वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ), हैदराबाद की सहायता की गई।
- उपरोक्त के अलावा, आपके बैंक ने कई अन्य गतिविधियाँ भी की हैं, जिनमें सौर ऊर्जा इकाइयों की स्थापना आदि शामिल हैं।

विकलांग व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियाँ

लक्ष्य साधना सोसाइटी, हैदराबाद, राजस्थान महिला कल्याण मंडल, अजमेर, आस्था-दिल्ली, हेल्पर्स ऑफ हैंडिकैप्ड-कोल्हापुर, असिस्टेड लिविंग फॉर ऑटिस्टिक एडल्ट्स (एएलएफएए)-बेंगलुरु आदि जैसे विभिन्न संगठनों के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के उत्थान के लिए विभिन्न पहल की गई हैं।

जनजाति कल्याण

आपके बैंक ने नेदान (NEDAN) फाउंडेशन, कोकराझार, बुद्धिस्ट कल्चर सोसायटी, ईटानगर आदि जैसी संस्थाओं के माध्यम से जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

पशु कल्याण

आपके बैंक ने विभिन्न प्राणी उद्यानों और पशु आश्रयों के माध्यम से एक वर्ष के लिए बाघों और अन्य लुप्तप्राय जानवरों को उनके कल्याण के लिए दत्तक लिया है।

खेलों और खिलाड़ियों की सहायताः

खेल और फिटनेस उपकरणों की खरीद के लिए इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, बेंगलुरु की सहायता की गई। विकलांग खिलाड़ियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए व्हीलचेयर खरीदने हेतु "प्रोजेक्ट मुंबई" को दान दिया गया, ताकि वे व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें।

कर्मचारी स्वयंसेवी - एसबीआई बाल कल्याण कोष:

"सेवा घर से ही आरंभ होता है" की अवधारणा के साथ आपके बैंक ने वर्ष 1983 में एसबीआई चिल्ड्रन वेलफेयर फंड नामक ट्रस्ट की स्थापना की, जो स्टाफ-सदस्यों की एक पहल है। इस ट्रस्ट को वंचित और अनाथ बच्चों की बेहतरी के लिए बैंक के कर्मचारियों के स्वैच्छिक योगदान से बनाया गया। इस निधि के कोष से अर्जित ब्याज का उपयोग वंचित बच्चों जैसे कि अनाथ, विकलांग, जरूरतमंद और वंचित आदि के कल्याण से जुड़े संस्थानों को अनुदान देने के लिए किया जाता है।

झ. एसबीआई में निरंतरता

"निरंतरता" को बैंक के प्रमुख मूल्यों में से एक के रूप में चिन्हित किया गया है। आपका बैंक बहुआयामीदृष्टिकोण के जरिए कार्यनीतिक निर्णय लेने में सामाजिक व पर्यावरणीय जोखिमों के प्रबंधन और नवोन्मेषी उत्पादों एवं सेवाओं के विकास के मामले में निरंतरता के मोर्चे पर कार्य कर रहा है। बैंक ने समग्र निरंतरता लक्ष्य की निगरानी करने का कार्य उप प्रबंध निदेशक (मानव संसाधन) एवं कॉरपोरेट विकास अधिकारी को सौंपा है।

औपचारिक तरीके से बैंक में निरंतरता की प्रथाओं को बढ़ाने के लिए, बोर्ड द्वारा अनुमोदित "निरंतरता एवं व्यसाय उत्तरदायित्व (बीआर) नीति" लागू की गई है। ग्लोबल रिपोर्टिंग इनीशिएटिव (जीआरआई) संरचना के अनुसार संवहनीयता रिपोर्ट हर वर्ष प्रकाशित की जा रही है। सूचीबद्ध संस्थाओं

द्वारा ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन) मापदंडों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, आपका बैंक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी किए गए नए निर्देशों के मद्देनजर "व्यवसाय उत्तरदायित्व और निरंतरता रिपोर्ट (बीआरएसआर)" ढांचे को अपनाने का भी प्रयास कर रहा है।

आपके बैंक की निरंतरता पहल

आपके बैंक का प्रयास बहु-वांछित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए निरंतरता पहलों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप करने का रहा है। अन्य बातों के साथ-साथ पहले ही शुरू की गई और विचाराधीन कुछ प्रमुख पहलों में ये भी शामिल हैं:

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में जलवायु परिवर्तन के विषयों को स्वीकार करते हुए, बैंक ने चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2030 तक कार्बन न्यूट्रल संगठन का दर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्बन तटस्थता कार्यनीति तैयार की है। बैंक के स्वामित्व वाले परिसर में सौर प्रणाली की स्थापना, बैंक के परिसर में ऊर्जा बचाने वाली प्रकाश व्यवस्था और वातानुकूलन प्रणाली की स्थापना निरंतर आधार पर की जा रही है। कैप्टिव उपयोग के लिए बैंक की अपनी पवन चक्कियां भी हैं, जिनकी कुल क्षमता 15 मेगावाट है।

नए उत्पादों से जलवायु संरक्षण के कार्य में सहायता मिलेगी और ई-रिक्शा ऋण, ग्रीन कार ऋण आदि जैसे विशेष ऋण उत्पाद पहले ही शुरू किए गए हैं। "सूर्य शक्ति-सौर वित्त", "जैव-ईंधन परियोजनाओं के लिए वित्त" जैसे नए ऋण उत्पाद उपलब्ध कराए गए हैं। आज दुनिया के समक्ष विद्यमान महत्वपूर्ण जोखिमों में से जलवायु परिवर्तन को एक महत्वपूर्ण जोखिम मानते हुए, बैंक ने जलवायु परिवर्तन से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपनी जलवायु परिवर्तन जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है।

अक्षय ऊर्जा (आरई) बिजली उत्पादन को बढ़ाने के देश के लक्ष्य के अनुरूप, आपका बैंक भी बड़े पैमाने पर आरई वित्तपोषण की सुविधा प्रदान कर रहा है। बैंक ने आरई पावर डेवलपर्स को आगे उधार देने के लिए बहुपक्षीय विश्व बैंक, केएफडब्ल्यू जर्मन डेवलपमेंट बैंक आदि जैसी एजेंसियों से ऋण व्यवस्था की है। वित्त वर्ष 2021-22 में इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज और लक्ज़मबर्ग स्टॉक एक्सचेंज दोनों में एसबीआई के 650 मिलियन अमरिकी डालर के ग्रीन बॉन्ड की लिस्टिंग हुई।

आपके बैंक के कार्यालय, शाखाएं और अन्य संस्थापनाएँ हरित पारिस्थितिकी तंत्र अपनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अभी तक, बैंक के अठारह (18) परिसरों को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी) द्वारा विभिन्न श्रेणियों (प्लैटिनम/गोल्ड/सिल्वर) के अंतर्गत प्रमाणित किया गया है। बैंक के लगभग 500 परिसरों में अब सौर ऊर्जा स्थापित है और 3000 से अधिक एटीएम सौर ऊर्जा से संचालित हैं। इसके अतिरिक्त, बैंक के विभिन्न परिसरों में कुल 326 वर्षा जल संचयन स्थल बनाए गए हैं। बैंक अपने बड़ी-बड़ी संस्थापनाओं की बिजली आवश्यकताओं को मौजूदा जीवाश्म ईंधन से हरित स्रोतों में बदलने का भी प्रयास कर रहा है। इस पहल के तहत, बैंक के दो प्रमुख कार्यालय यथा मुंबई के कॉरपोरेट कार्यालय भवन और मुंबई मेट्रो स्थानीय प्रधान कार्यालय को सफलतापूर्वक हरित ऊर्जा प्लेटफार्म पर रूपांतरित किया गया है। कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए बैंक में इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट (ई-अपशिष्ट) प्रबंधन नीति भी मौजूद है।

वित्त वर्ष 2022 के दौरान आपके बैंक द्वारा देश भर में छह लाख से अधिक वृक्ष लगाए गए।

आपके बैंक ने अपनी डिजिटल कार्यनीति को अपनी समग्र व्यवसाय कार्यनीति के साथ एकीकृत करके बड़े पैमाने पर डिजिटलीकरण किया है। उन्नत डिजिटलीकरण से न केवल व्यापार में अधिक सरलता आएगी, बल्कि इससे ग्रह, जनता और लाभ की ट्रिपल बॉटम लाइन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करके निरंतरता के कार्य भी मजबूत होगा। व्यापार संचालन को सुविधाजनक बनाने और ग्राहक-अनुभव को समृद्ध करने के अलावा, बैंक के प्रमुख डिजिटल एप योनो के कारण कागज का उपयोग बहुत कम हुआ है। यह अनुमान है कि योनो ऐप के माध्यम से खोले गए पूर्व-अनुमोदित वैयक्तिक ऋण (पीएपीएल) खातों के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 383 लाख शीट कागज की बचत हुई है। इसके अलावा, बैंक के डिजिटल चैनल ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए, बैंक ग्रीन रिवार्ड पॉइंट्स की पेशकश कर रहा है, जिसे एसबीआई ग्रीन फंड में क्रेडिट के लिए भुनाया जा सकता है और जिससे प्राप्त राशि का उपयोग वृक्षारोपण, जल संचयन इकाइयों की स्थापना, बायो- शौचालय, कोविड देखभाल गतिविधियाँ आदि जैसी निरंतरता गतिविधियों में किया जाएगा।

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विश्व पर्यावरण दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, विश्व मृदा दिवस एवं अर्थ आवर जैसे निरंतरता से संबद्ध विभिन्न दिवसों का आयोजन किया। इसके अलावा, पूरे बैंक में "जॉय ऑफ गिविंग वीक-दान उत्सव" मनाया गया, जिसके माध्यम से समाज के हाशिए के वर्गों के लिए दान गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसके अलावा, कर्मचारियों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने के इरादे से, ईएसजी और एसडीजी संबंधी मामलों पर उन्हें निरंतर जागरूक रखने के लिए एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी शुरू की गई। इसके अतिरिक्त, युवा कर्मचारियों के लिए उपयुक्त रूप से तैयार किए गए "सामर्थ्य" नामक अभिनव एंगेजमेंट कार्यक्रम भी प्रारंभ शुरू किया गया, जिसमें भूमिका और कर्तव्यों के सफल निर्वहन में नैतिक और पेशेवर मानकों के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

उपर्युक्त के अलावा, बैंक ने वित्तीय साक्षरता प्रदान कर, वित्तीय समावेशन को विस्तारित कर एवं मानव पूंजी के बेहतर प्रबंधन द्वारा सामुदायिक विकास की दिशा में अनेक पहल कर रहा है।

V. अनुषंगियाँ

एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एसबीआईकैप्स)

(रुपए करोड़ में)

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हित)	स्वामित्व %	मार्च 2022 के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	58.03	100%	620.10

आपके बैंक की 100% स्वामित्व की अनुषंगी एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड (एसबीआईकैप्स) भारत का अग्रणी देशीय निवेश बैंकर है, जो श्रेणी-1 के मर्चेंट बैंकर एवं रिसर्च एनलिस्ट के रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के साथ पंजीबद्ध है। वर्ष 1986 में स्थापित एसबीआईकैप्स अपने ग्राहकों को निवेश बैंकिंग एवं कॉरपोरेट परामर्शी सेवाओं से जुड़ी सभी प्रकार की सेवाएँ देता है। इन सेवाओं में परियोजना परामर्शन, ऋण सिंडिकेशन, संरचित ऋण नियोजन, विलय और अधिग्रहण, निजी ईक्विटी, पुनर्रचना परामर्शन, तनावग्रस्त आस्ति समाधान, आईपीओ, एफपीओ, अधिकार निर्गम, ऋण एवं हाइब्रिड पूंजी जुटाना शामिल हैं। एसबीआईकैप्स सरकार की परिसंपत्ति मुद्रीकरण योजना के अनुरूप रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) और इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (आईएनवीआईटी) जैसे नए उत्पादों के माध्यम से निधियाँ जुटाने में भी शामिल है। एसबीआईकैप्स जिसका मुख्यालय मुंबई में है, के देश भर में 5 क्षेत्रीय कार्यालय (अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता एवं नई दिल्ली) तथा 4 पूर्ण-स्वामित्व की अनुषंगियाँ यथा एसबीआईकैप सिक्युरिटीज लिमिटेड, एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड, एसबीआईकैप

ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एवं एसबीआईकैप (सिंगापुर) लिमिटेड हैं।

ब्लूमबर्ग लीग तालिका के अनुसार इसे भारत उधारकर्ता ऋण -अनिवार्य लीड व्यवस्था में 22.6% बाजार हिस्सेदारी के साथ पहला स्थान दिया गया है।

एकल आधार पर एसबीआईकैप्स ने वित्त वर्ष 2021 के 573.11 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2022 के दौरान 601.66 करोड़ रुपए का कर पूर्व लाभ दर्ज किया तथा वित्त वर्ष 2021 के 273.25 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2022 के दौरान 339.70 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ दर्ज किया। समेकित आधार पर इसने पिछले वर्ष के 527.10 करोड़ रुपए की तुलना में 620.10 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है।

वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने नुमालीगढ़ रिफायनरी के लिए ऋण सिंडिकेशन, दीवान हाउसिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए वित्तीय ऋण समाधान, वडोदरा नगरपालिका निगम के प्रथम बॉन्ड जारी करने, भारतीय जीवन बीमा निगम के प्री-आईपीओ परामर्शन एवं आईपीओ जैसे कई मार्की लेनदेन पूरे किए।

क. एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड (एसएसएल)

एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड (एसएसएल) जो दलाली उद्योग के अनिवार्य प्लेयरों में से एक है, ने खुदरा ग्राहकों को प्राथमिक एवं द्वितीयक पूँजी बाजार की सुविधा देने के लिए अपने परिचालन वर्ष 2006 में शुरू किए और यह भारतीय स्टेट बैंक समूह का ब्रोकिंग अंग बन गया।

एसएसएल के 4 मुख्य विभाग हैं यथा रिटेल ब्रोकिंग, रिटेल बिक्री, रिटेल परिसंपत्तियाँ एवं रिटेल संवितरण तथा इन सभी विभागों ने अपना बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दर्शाया है।

ब्रोकिंग के मामले में एसएसएल इस समय मोबाइल एप, वेबसाइट एवं डीलर टर्मिनल पर अत्याधुनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्मों के जरिए 26 लाख से अधिक ग्राहकों को सेवाएँ दे रहा है। एसएसएल अपने ग्राहकों को ईक्विटी, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड एवं मुद्रा जैसे कई प्रकार के उत्पाद एवं सेवाएँ देता है।

कंपनी बैंक चैनल एवं ओपेन मार्केट चैनल के माध्यम से डिजिटल खाता खोलने के जरिए नए डिमैट खाते प्राप्त कर रहा है। रिटेल परिसंपत्तियों के मामले में एसएसएल भारतीय स्टेट बैंक का प्रमुख सोर्सिंग अंग है और बैंक के समग्र आवास ऋण एवं ऑटो ऋण व्यवसाय में भी यह योगदान दे रहा है। मजबूत आईएफए नेटवर्क के जरिए म्यूचुअल फंडों, बॉन्डों, बीमा, राष्ट्रिक गोल्ड बॉन्डों, कॉरपोरेट जमाराशियों आदि के लिए यह वन स्टॉप तृतीय पक्ष संवितरण अंग है। ग्राहकों को इन उत्पादों के विक्रय/प्रति विक्रय में सभी अन्य व्यवसाय विभागों द्वारा रिटेल संवितरण विभाग की कुशलतापूर्वक सहायता की जा रही है।

सितंबर 2021 में हमने नए "एसबीआई सिक्युरिटीज" मोबाइल एवं वेब ट्रेडिंग एप शुरू किया और नवीनतम वेब एवं मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफार्मों को सहायता प्रदान करने के लिए हमने बैकएंड ट्रेडिंग प्रणालियों की पुनर्रचना की है।

कंपनी को वित्त वर्ष 2021 के 207.70 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2022 के दौरान 232.89 करोड़ रुपए का निवल लाभ हुआ।

ख. एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड (एसवीएल)

एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसबीआईकाईप वेंचर्स लिमिटेड (एसवीएल) इस समय नीव फंड I (नीव) एवं एसवीएल एसएमई फंड (नीव II) एवं स्पेशल विंडो फॉर एफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग (एसडब्ल्यूएएमआईएच) फंड I का प्रबंधन कर रही है। यह कंपनी सेल्फ रिलायंट इंडिया (एसआरआई) फंड एवं यूके इंडिया डेवलपमेंट को-ऑपरेशन फंड (यूकेआईडीसीएफ) इन दोनों निधियों के लिए निवेश प्रबंधक भी है।

कम आय वाले आठ राज्यों के आधारिक संरचना विकास में निवेश के अधिदेश के साथ नीव भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रेणी-I की वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) है। एसवीएल 63.64 करोड़ रुपए जो कि निधि का 12.61% है, के निवेश के साथ निधि का सामान्य भागीदार है।

एसवीएल एसएमई फंड भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रेणी-I की वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) है, जिसमें पहली बार निवेशकों ने जून 2021 में 480 करोड़ रुपए का निवेश किया था, जिसमें से 145 करोड़ रुपए आहरणीय कार्पस था। निधि में पहले वर्ष में 127 करोड़ रुपए के तीन निवेश किए गए।

स्पेशल विंडो फॉर एफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग (एसडब्ल्यूएएमआईएच) भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रेणी-II की वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) है, जिसमें पहली बार निवेशकों ने 6 दिसंबर 2019 में 10,037.50 करोड़ रुपए का निवेश किया, जिसके अंतर्गत भारत सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक एवं संस्थाएं निधि के निवेशक रहे। इसे बंद की गई आवासीय परियोजनाओं के मामले में लागू की जाने वाली शेष परियोजना एवं उससे जुड़े वास्तविक अतिरिक्त लागत की पहचान करने का भी अधिदेश है। भारत सरकार ने इस निधि में अतिरिक्त 5,000 करोड़ रुपए निवेश करने का आश्वासन दिया है।

10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा एसआरआई निधि की स्थापना अक्तूबर 2021 में की गई। मार्च 2022 तक डाटर फंडों में 3,465 करोड़ रुपए के 23 निवेशों के लिए अंतिम अनुमोदन भी दिया गया है।

एसवीएल ने वित्त वर्ष 2021 के 79.77 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2022 के दौरान 91.75 करोड़ रुपए की कुल आय अर्जित किया। एसवीएल ने वित्त वर्ष 2021 के 37.04 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में 32.28 करोड़ रुपए का निवल लाभ दर्ज किया।

ग. एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एसटीसीएल)

एसटीसीएल ने 1 अगस्त, 2008 से सिक्यूरिटी ट्रस्टी व्यवसाय शुरू किया। यह इन्फ्रा परियोजनाओं एवं बड़े एवं मध्यम कॉरपोरेटों के लिए उच्च मूल्य के ऋण हेतु सिक्यूरिटी ट्रस्टी सेवाएँ प्रदान करने में सक्रिय है और यह उद्योग में नंबर वन सिक्यूरिटी ट्रस्टी है। ये कॉरपोरेटों द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों/बॉन्डों के लिए डिबेंचर ट्रस्टी की भूमिका भी निभा रहे हैं। एसटीसीएल शेयर गिरवी ट्रस्टी, एस्क्रौ ट्रस्टी, वैकल्पिक निवेश निधि एवं आईएनवीआईटी जैसी अन्य संबद्ध सेवाएँ भी दे रहा है।

एसटीसीएल ने वित्त वर्ष 2021 के 12.98 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में 15.71 करोड़ रुपए का निवल लाभ दर्ज किया।

साथ ही एसटीसीएल ने "वर्चुअल डाटा रूम (वीडीआर)" नामक नया उत्पाद बनाया है, जो क्लाउड स्टोरेज एवं आसानी से रिट्रीव करने की सुविधा प्रदान करता है।

घ. एसबीआईकैप (सिंगापुर) लिमिटेड (एसएसजीएल)

एसएसजीएल एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इसने दिसंबर 2012 में कारोबार शुरू किया। एसएसजीएल परिचालन को स्वैच्छिक रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया में है। मॉनीटरी एथारिटी ऑफ सिंगापुर (एमएएस) को लाइसेंस वापस करने की प्रक्रिया पूरी की गई है।

एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (एसबीआईसीपीएसएल)

(रुपए करोड़ में)

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हित)	स्वामित्व %	मार्च 2022 के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)
एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड	652.63	69.20%	1,616

एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (एसबीआई कार्ड) एक गैर-बैंक वित्तीय कंपनी है, जो वैयक्तिक कार्डधारकों और कॉरपोरेट ग्राहकों को व्यापक क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो प्रदान करती है, जिसमें आय प्रोफाइल और जीवनशैली के अनुसार सभी प्रमुख कार्डधारकों के खंडों को शामिल करने वाले कॉरपोरेट कार्ड के साथ-साथ जीवनशैली, पुरस्कार, यात्रा और ईंधन एवं बैंकिंग साझेदारी कार्ड शामिल हैं। इसके पास संभावित ग्राहकों से जुड़ने के लिए विविधीकृत ग्राहक अभिग्रहण चैनल मौजूद हैं।

वित्तीय प्रदर्शन (वित्त वर्ष 2022):

- लाभप्रद परिचालन : 1,616 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ, 64% वर्षानुवर्ष वृद्धि, औसत परिसंपत्तियों पर 156 आधार अंकों से अधिक 5.4% का वर्षानुवर्ष प्रतिलाभ, नियोजित परिसंपत्तियों पर 621 आधार अंकों से अधिक 22.8% का वर्षानुवर्ष प्रतिलाभ।
- बाजार हिस्सेदारी : प्रचलित कार्ड 18.9%, व्यय 19.2%, लेनदेन 19.8% (फरवरी 2022 तक उपलब्ध भारतीय रिज़र्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार)।
- बढ़ता पोर्टफोलियो : प्रचलित 1.38 करोड़ कार्ड के साथ 16% वर्षानुवर्ष वृद्धि, 186,353 करोड़ रुपए के व्यय के साथ व्यय में 52% वर्षानुवर्ष वृद्धि, 31,281 करोड़ रुपए की प्राप्य राशियों के साथ 25% वर्षानुवर्ष वृद्धि।
- आस्ति गुणवत्ता : सकल अलाभकारी आस्तियां 2.22%, निवल अलाभकारी आस्तियां 0.78%, कुल प्रबंधन परिव्यय 51 करोड़ रुपए।
- सुदृढ़ सीएआर 23.8%, टी-1 21.0%

पुरस्कार एवं मान्यताएँ :

- क्रेडिट कार्ड श्रेणी में सुपर ब्रांड 2021 के रूप में मान्यता।
- क्रेडिट कार्ड श्रेणी के अंतर्गत वर्ष 2021 के लिए रीडर्स डाइजेस्ट का विश्वसनीय ब्रांड का पुरस्कार।
- आईएसओ 31000 अनुपालन एवं सीओपीसी प्रमाणीकरण प्राप्त।
- बैक ऑफिस ग्राहक सेवा के लिए स्टेवि का रजत पुरस्कार तथा ग्राहक सेवा निवेश श्रेणियों पर उत्कृष्ट प्रतिलाभ के लिए स्टेवि का कांस्य पुरस्कार।

एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड (एसबीआई डीएफएचआई)

(रुपए करोड़ में)

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हित)	स्वामित्व %	मार्च 2022 के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)
एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	131.52	72.17%	142.06

एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड अखिल भारतीय मौजूदगी के साथ सबसे बड़ा स्टैंड अलोन प्राइमरी डीलर (पीडी) है। प्राथमिक नीलामियों में बही निर्माण प्रक्रिया का समर्थन करने एवं सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाज़ारों को गहराई और तरलता प्रदान करने के लिए यह अधिदेशित है। सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा, यह मुद्रा बाजार लिखतों, गैर-सरकारी प्रतिभूति ऋण लिखतों का भी व्यवसाय करता है। प्राथमिक डीलर के रूप में इसकी व्यावसायिक गतिविधियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियंत्रित की जाती है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2021 के 251.67 करोड़ रुपए की तुलना में 31 मार्च, 2022 को 142.06 करोड़ रुपए का निवल लाभ दर्ज किया। कुल तुलन पत्र का आकार 31 मार्च, 2021 के 10,013.90 करोड़ रुपए की तुलना में 31 मार्च, 2022 को 13,079.28 करोड़ रुपए रहा।

एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआईजीआईसी)

(रुपए करोड़ में)

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हित)	स्वामित्व %	मार्च 2022 के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	151	69.96%	131

एसबीआई जनरल तेजी से बढ़ने वाली निजी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में से एक है, जो बदलते भारत का अत्यंत विश्वसनीय सामान्य बीमाकर्ता बनने के विजन के साथ-साथ विश्वास एवं सुरक्षा की विरासत आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2009 में पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में स्थापित एसबीआई जनरल मूल रूप से भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एवं इंश्योरेंस आस्ट्रेलिया ग्रुप लिमिटेड की अनुषंगी आईएजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम था। कंपनी की 74% हिस्सेदारी में से 4% हिस्सेदारी को वर्ष 2018 में वापस लिया गया। इसके अलावा आईएजी जो पूर्व के संयुक्त उद्यम का 26% भागीदार था, ने नेपियन ओपर्चुनिटीज़ एलएलपी से 16.01% एवं हनी व्हीट इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड से 9.99% हिस्सा वापस लेकर मार्च 2020 में पूर्ण रूप से बाहर आ गया।

अखिल भारतीय स्तर पर एसबीआई जनरल की वर्ष 2011 की 17 शाखाओं की उपस्थिति बढ़कर 137 से अधिक हो गई है। आज की तारीख तक कंपनी एक सुदृढ़ बहु-वितरण मॉडल जिसमें बैंकएश्युरेंस, एजेंसी, ब्रोकिंग एवं रिटेल डाइरेक्ट चैनल शामिल हैं, के जरिए लगभग 8.7 करोड़ ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान कर रही है। दीर्घावधि वहनयोग्य मूल्य सृजित करने के लिए कंपनी ने भारत के प्रमुख ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं एवं ब्रोकरों के साथ कार्यनीतिक गठजोड़ भी किए हैं।

एसबीआई जनरल तीन प्रमुख ग्राहक खंडों यथा खुदरा खंड, कॉरपोरेट खंड एवं एसएमई खंड को सेवाएँ देने पर ध्यान दे रहा है और यह किफ़ायती दरों पर नए जमाने की प्रक्रियाओं एवं सेवाओं के साथ भारतीयों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

एसबीआई जनरल ने वित्त वर्ष 2022 में 4.15% बाजार हिस्सेदारी के साथ 11% वृद्धि दर दर्ज किया और निजी बीमाकर्ताओं में इसका स्थान 7वां तथा समग्र उद्योग में 12वां रहा। एसबीआई जनरल ने वित्त वर्ष 2022 में 131 करोड़ रुपए का निवल लाभ अर्जित किया।

पुरस्कार एवं मान्यताएँ :

- ग्रामीण उपस्थिति के लिए इंश्योरेंस एलर्ट्स द्वारा वर्ष 2021 का एशिया की सर्वोत्कृष्ट सामान्य बीमा कंपनी पुरस्कार।
- युगव फाइनेंस पर्चेस रैंकिंग में सामान्य बीमा के तहत वर्ष 2021 के लिए पहला स्थान।
- फिक्की इंश्योरेंस उद्योग पुरस्कारों के अंतर्गत गैर-जीवन बीमा श्रेणी में वर्ष के बीमाकर्ता का पुरस्कार।
- एनडीटीवी 24*7 की भागीदारी में मार्क्समेन डेली द्वारा बीएफएसआई उद्योग में उत्कृष्टता दिखाने के लिए वर्ष 2021 के 50 अत्यंत विश्वसनीय ब्राण्डों में से एक का पुरस्कार।
- एसएबीईआरए 2021 में 'रिस्पॉसिबल बिजीनेस ऑफ द ईयर' का पुरस्कार।

एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड (एसबीआईजीएफएल)

(रुपए करोड़ में)

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हित)	स्वामित्व %	मार्च 2022 के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)
एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	137.79	86.18%	25.26

एसबीआईजीएफएल देशी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए फ़ैक्टरिंग सेवाओं का अग्रणी प्रदाता है। कंपनी की सेवाएँ बही ऋणों में बंद संसाधनों को मुक्त करने और आवश्यक चलनिधि प्रदान करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र के ग्राहकों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं।

कंपनी ने मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के 18.47 करोड़ रुपए की तुलना में मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 25.26 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ अर्जित किया। कंपनी का टर्नओवर मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के 4,352 करोड़ रुपए की तुलना में मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 4,773 करोड़ रुपए रहा।

मार्च 2021 को समाप्त पिछले वर्ष के 982 करोड़ रुपए की तुलना में मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए टीआरईडी में टर्नओवर 1,737 करोड़ रुपए रहा।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एसबीआई लाइफ)

(रुपए करोड़ में)

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हित)	स्वामित्व %	मार्च 2022 के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड.	555	55.48	1506

एसबीआई लाइफ के पास एक विस्तृत बैंकएश्योरेंस चैनल सहित एक बहु-चैनल वितरण नेटवर्क है, जिसमें भारत में सबसे बड़े बैंकएश्योरेंस भागीदार के रूप में भारतीय स्टेट बैंक, एक व्यापक एवं उत्पादक व्यक्तिगत एजेंट नेटवर्क, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक 146,057 एजेंटों के साथ ही अन्य वितरण चैनल, जिसमें प्रत्यक्ष बिक्री तथा कॉरपोरेट एजेंटों, दलालों, बीमा विपणन फर्मों और अन्य बिचौलियों के माध्यम से बिक्री शामिल है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि में निजी बीमा कर्ताओं के बीच व्यक्तिगत नए व्यवसाय' प्रीमियम, व्यक्तिगत रेटेड प्रीमियम, कुल रेटेड प्रीमियम और कुल नए व्यवसाय प्रीमियम में अग्र स्थान के साथ अपने बाजार नेतृत्व को साबित किया है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान, 19.2 लाख से अधिक व्यक्तिगत नई पॉलिसियाँ जारी की गईं। 952 कार्यालयों के अपने नेटवर्क के माध्यम से व्यापक पहुंच का लाभ उठाते हुए, एसबीआई लाइफ ने व्यवस्थित रूप से बड़े ग्रामीण क्षेत्रों को बीमा पहुंच के तहत लाया है।

कंपनी ने 12.9% की उद्योग वृद्धि की तुलना में कुल नए बिजनेस प्रीमियम (एनबीपी) में 23.4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है। 31 मार्च 2022 तक सभी निजी कंपनियों के बीच कुल नए बिजनेस प्रीमियम (एनबीपी) में एसबीआई लाइफ की बाजार हिस्सेदारी 22.0% है। 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का कुल नया बिजनेस प्रीमियम 25,457 करोड़ रुपए है। 31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए व्यक्तिगत नया बिजनेस 16,501 करोड़ है, और समूह नया बिजनेस प्रीमियम 8,958 करोड़ है।

एसबीआई लाइफ ने वित्त वर्ष 2021 में 1,456 करोड़ रुपए के कर पश्चात लाभ (पीएटी) की तुलना में वित्त वर्ष 2022 में 1,506 करोड़ रुपए का पीएटी दर्ज किया है। कंपनी की प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) ₹2.6 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर गई और 31 मार्च 2021 को 2,20,871 करोड़ की तुलना में 21% की वृद्धि के साथ 31 मार्च 2022 को यह 2,67,409 करोड़ रुपए दर्ज की गई।

वित्त वर्ष 2022 के लिए, भारतीय एंबेडेड वैल्यू (आईईवी) 39,625 करोड़ है, वित्त वर्ष 2022 के लिए नए बिजनेस का मूल्य (वीओएनबी) 3,704 करोड़ है। वीओएनबी मार्जिन 25.9% रहा।

पुरस्कार एवं सम्मान:

- 20वें आउटलुक मनी अवार्ड्स 2021 में 'लाइफ इंश्योरेंस में कस्टमर ओरिएंटेशन' के लिए एडिटर्स च्वाइस अवार्ड्स में 'स्वर्ण'
- एम-कनेक्ट लाइफ मोबाइल एप्लिकेशन के लिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सीलेंस इन टेक्नोलॉजी के लिए डीआईजीआईएक्सएक्स अवार्ड्स 2021 में 'गोल्ड' ऑनर'
- गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स द्वारा 'गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड' (जीपीएनटीए)
- एकीकृत स्वास्थ्य और कल्याण परिषद (आईएचडबल्यूसी) द्वारा 'ग्रामीण स्वास्थ्य पहल' श्रेणी के तहत "कांस्य" पुरस्कार
- फिक्की बीमा उद्योग पुरस्कार 2021 में "वर्ष का बीमाकर्ता - लाइफ श्रेणी"
- बैंकिंग फ्रंटियर्स द्वारा इंश्योरनेक्स्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ सीएसआर पहल"
- बैंकिंग फ्रंटियर्स द्वारा इंश्योरनेक्स्ट अवार्ड्स में "सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन पहल"
- बैंकिंग फ्रंटियर्स द्वारा इंश्योरनेक्स्ट अवार्ड्स में "सर्वश्रेष्ठ जोखिम प्रबंधन व्यवहार"

एसबीआई फंडस मैनेजमेंट लिमिटेस (एसबीआईएफ़एमएल)

(रुपए करोड़ में)

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हित)	स्वामित्व %	मार्च 2022 के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)
एसबीआई फंडस मैनेजमेंट लिमिटेस	31.50	62.59	1070.65

एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड (जिसे पहले एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) एसबीआई म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी (एएमसी) है। यह उद्योग में मार्केट लीडर है और देश में सबसे तेजी से बढ़ते एएमसी में से एक है।

वित्तीय वर्ष 2021- 22 में, म्यूचुअल फंड सेगमेंट के तहत, इसने औसत उद्योग वृद्धि 19.5% की तुलना में 28.3% की वृद्धि दर्ज की है। पिछले तीन वर्षों में एसबीआईएफ़एमएल ने उद्योग औसत 16.1% की तुलना में 31.6% का सीएजीआर हासिल किया है, जो इसकी निरंतरता को प्रदर्शित करता है। इसके पास एक बड़ा निवेशक आधार है, जिसमें 31.50 लाख नए फोलियो सहित 107 लाख से अधिक सक्रिय निवेशक फोलियो हैं। फंड हाउस में प्रत्यक्ष निवेशक श्रेणी के तहत 22.79 लाख सक्रिय फोलियो हैं और संस्थागत निवेशक श्रेणी के तहत 2.1 लाख से अधिक फोलियो हैं, जिसमें 1240 सेवानिवृत्ति फंड शामिल हैं। एसबीआईएफ़एमएल ने 51.6% की प्रमुख बाजार हिस्सेदारी के साथ निष्क्रिय फंड श्रेणी (ईटीएफ़) में अपनी शीर्ष नेतृत्व की स्थिति बनाए रखी है।

मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी की औसत प्रबंधनाधीन आस्तियां (एएयूएम) ₹6,47,067 करोड़ थीं, जिसकी बाजार हिस्सेदारी 16.86% थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह क्रमश: ₹5,04,455 करोड़ और 15.71% दर्ज की गई थी। एकल आधार पर, एसबीआईएफ़एमएल ने पिछले वर्ष अर्जित 862.76 करोड़ की तुलना में इस वर्ष के दौरान 1070.65 करोड़ का कर पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया है।

कंपनी की मॉरीशस में एक पूर्ण स्वामित्व वाली विदेशी सहायक कंपनी, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड है, जो अपतटीय फंड का प्रबंधन करती है। एसबीआईएफ़एमएल वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ़) का प्रबंधन भी करती है और अपने घरेलू व्यवसाय के हिस्से के रूप में संस्थानों और व्यक्तियों को पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ (पीएमएस) प्रदान करती है।

एसबीआई पेमेंट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआई पेमेंट्स)

(रुपए करोड़ में)

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हित)	स्वामित्व %	मार्च 2022 के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)
एसबीआई पेमेंट्स	4.50	74%	142.36

एसबीआई व्यापारी अधिग्रहण व्यवसाय के लिए एक विशेष संयुक्त उद्यम अर्थात एसबीआई पेमेंट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआई पेमेंट्स स्थापित करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और कंपनी में 74% हिस्सेदारी

रखता है। कंपनी का उद्देश्य देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में एक अत्याधुनिक स्वीकृति पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है तथा व्यापारियों को विभिन्न स्वरूप में डिजिटल रूप से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाना है।

एसबीआई पेमेंट्स देश के सबसे बड़े अधिग्रहणकर्ताओं में से एक है, जिसके पास 31 मार्च, 2022 के दिन विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों (टियर 1 से टियर 6) में 2.45 मिलियन से अधिक व्यापारी भुगतान स्वीकृति टच पॉइंट्स और 9.24 लाख से अधिक पीओएस मशीनें हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने योनो एसबीआई मर्चेंट एप्लिकेशन (एक सॉफ्ट पीओएस समाधान) के माध्यम से टीकाकरण और छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए स्वीकृति शुरू की है। मर्चेंट ऑनबोर्डिंग के लिए मौजूदा चैनलों के अलावा, कंपनी ने पूरे भारत में अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भुगतान सुविधाकर्ताओं के साथ साझेदारी करना शुरू किया है।

एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआईपीएफ़पीएल)

(रुपए करोड़ में)

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हित)	स्वामित्व %	मार्च 2022 के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)
एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड. *	18	92.52%	51.98

*कंपनी में एसबीआई कैपटल मार्केट्स लिमिटेड तथा एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड प्रत्येक की 20% इक्विटी हिस्सेदारी है।

एसबीआईपीएफपीएल केंद्र सरकार (सशस्त्र बलों को छोड़कर) और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन फंड के प्रबंधन के लिए पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त तीन पेंशन फंड प्रबंधकों में से एक है, और निजी क्षेत्र के तहत पेंशन फंड के प्रबंधन के लिए नियुक्त सात पेंशन फंड प्रबंधकों में से एक है। .

31 मार्च 2022 को कंपनी की कुल प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) 2,82,476 करोड़ (26.89% की वार्षिक वृद्धि) है। कंपनी 38.35% की बाजार हिस्सेदारी के साथ प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) के संदर्भ में पेंशन निधि प्रबंधकों (पीएफ़एम) के बीच सबसे आगे की स्थिति में है।

01.04.2021 से पीएफआरडीए द्वारा निवेश प्रबंधन शुल्क में वृद्धि के कारण कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 में अब तक का सबसे अधिक 51.98 करोड़ रुपए का कर पश्चात लाभ (पीएटी) अर्जित किया है।

एसबीआई एसजी ग्लोबल सेक्यूरिटीज़ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (एसबीआई-एसजी)

(रुपए करोड़ में)

अनुषंगी कंपनी का नाम	स्वामित्व (एसबीआई हित)	स्वामित्व %	मार्च 2022 के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि)
एसबीआई एसजी ग्लोबल सेक्यूरिटीज़ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड.	52	65%	100.19

एसबीआई-एसजी, भारतीय स्टेट बैंक तथा सोसाइटी जनरल के बीच का एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक की 65% हिस्सेदारी है। 2010 में वाणिज्यिक संचालन शुरू करने वाले एसबीआई-एसजी की स्थापना एसबीआई समूह द्वारा अपने प्रीमियम ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली प्रमुख वित्तीय सहायताओं के समूह को पूरा कर उच्च गुणवत्ता वाली अभिरक्षा और निधि प्रशासन सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है।

31.03.2022 को एसेट अंडर कस्टडी (एयूसी) के 12,70,299 करोड़ रुपए है, जबकि 31.03.2022 को प्रबंधनाधीन आस्ति (एयूएम) 8,99,880 करोड़ रुपए है। कंपनी का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2021 के 87.02 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2022 के लिए 100.19 करोड़ रुपए है।

एसबीआई-एसजी को क्रॉस बॉर्डर क्लाइंट केटेगरी- 2021 में "बेस्ट सब-कस्टोडियन" के रूप में आँका गया है, साथ ही डोमेस्टिक क्लाइंट केटेगरी में नंबर 2 आँका गया है। ग्लोबल कस्टोडियन पत्रिका के एजेंट बैंकों व इमर्जिंग मार्केट सर्वे-2021 के अनुसार एसबीआई-एसजी को भारत में सर्वश्रेष्ठ फंड एडमिनीस्ट्रेटर एवं ग्लोबल आउटपरफ़ॉर्मर का दर्जा दिया गया है।

एसबीआई फाउंडेशन

कंपनी अधिनियम (2013) की धारा VIII की कंपनी के तहत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वर्ष 2015 में एसबीआई फाउंडेशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य है एसबीआई एवं उनके अनुषंगियों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्वों से जुड़े कार्यों पर योजनाबद्ध तरीके से ध्यान केंद्रित करना।

एसबीआई फाउंडेशन के माध्यम से आपका बैंक एक समावेशी, टिकाऊ और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में एक आदर्श बदलाव कर रहा है, जिसके माध्यम से देश भर के हाशिए पर रहने वाले और वंचित समुदाय के लोग क्षेत्र, धर्म, जाति, पंथ या लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, वर्ष के दौरान 168.09 करोड़ रुपए के बजट की कुल 105 परियोजनाएं संस्वीकृत की गई।

कोविड-19 प्रतिक्रिया

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, एसबीआई फाउंडेशन ने कोविड देखभाल केंद्रों/आईसीयू सुविधाओं, जीनोम सीक्वेंसिंग, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के उन्नयन, गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में पहल और यूपीआई आधारित प्रीपेड टीकाकरण वाउचर, टीकाकरण के प्रति हिचकिचाहट हटाने आदि जैसी विभिन्न कोविड-19 राहत पहलों को बढ़ावा देने के लिए 99.37 करोड़ रुपए की 62 परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

आईसीयू बेड, ऑक्सीजनेटेड बेड, कोविड-19 देखभाल केंद्रों, आइसोलेशन केंद्रों की स्थापना के लिए कई पहल किए गए। 550 ऑक्सीज़न सिलेंडरों एवं 84 ऑक्सीज़न कान्सेंट्रेटरोंके साथ 6 ऑक्सीज़न जनरेशन संयंत्रों की स्थापना की गई। कोविड की संभावित तीसरी लहर का सामना करने के लिए क्षेत्र में स्वास्थ्य आधारिक संरचना में सुधार करने और उसे मजबूत करने के लिए 115 बेड के लिए ऑक्सीज़न आपूर्ति के साथ डॉ हेगड़ेवार चैरिटबल अस्पताल में ओस्क्जिन पाईपलाइन एक्सटेंशन (2000 एलपीएम) एवं ऑक्सीज़न निगरानी प्रणाली स्थापित की गई।

स्वास्थ्य देखभाल के प्रमुख कार्यक्रम

अंअंग दान, मोबाइल मेडिकल यूनिट, न्यूक्लिक एसिड प्रवर्धन परीक्षण, ब्लड बैंक में एस्फेरिस मशीन, भ्रूण हृदय असामान्यता के लिए ईसीजी जांच, फीटल सर्जरी और न्यूरो पुनर्वास केंद्र जैसी विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल पहल की गई।

प्रोजेक्ट गिफ्ट होप, गिफ्ट लाइफ : इस परियोजना के जरिए मोहन फाउंडेशन के साथ भागीदारी में मणिपुर, कर्नाटक, चंडीगढ़ (संघ शासित प्रदेश), आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग विफलता वाले रोगियों के लिए सहायता समूह को बढ़ावा देकर तथा नागरिकों में जागरूकता बढ़ाकर एवं प्रतिज्ञा ज्ञ लेकर अंग दान हेल्पलाइन, स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के प्रशिक्षण, अंग दान कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के जरिए मृत दाताओं से एसबीआई फाउंडेशन भारत में अंग दान की दर में सुधार करना चाहता है।

प्रोजेक्ट एनएटी : न्यूक्लिक एसिड एंप्लीफिकेशन टेस्टिंग (एनएटी) की स्थापना की गई है। लगभग 50,000 कैंसर रोगियों के लिए ब्लड ट्रांसफ़्यूशन सुरक्षा बढ़ाने हेतु 30 से 35,000 रक्त दाताओं के सैंपलों का परीक्षण करने लिए टाटा मेमोरियल केंद्र द्वारा संचालित मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में प्रगत ब्लड टेस्टिंग तकनीक शुरू करना इसका उद्देश्य है। इससे रोगियों के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूशन सुरक्षित होगा, ट्रांसफ्यूशन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन (टीटीआई) के

कारण रुग्णता अथवा मृत्यु कम होगी और वर्तमान एलिसा पद्धति की तुलना में एनएटी द्वारा परीक्षित ब्लड सैंपलों में टीटीआई की पहचान करने की दर बढ़ेगी।

हाशिए पर रहने वाले लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एसबीआई फाउंडेशन हमारे समुदायों को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न विषयगत क्षेत्रों की परियोजनाएं शुरू की है।

एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप

एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 13 महीने का फैलोशिप कार्यक्रम है, जो भारत के शहरी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली युवाओं को हमारे ग्रामीण समुदाय के लोगों के संघर्ष एवं उनकी अपेक्षाओं की पूर्ति में उनके साथ हाथ मिलाने का मंच प्रदान करता है। जमीनी स्तर के हमारे साझेदार गैर-सरकारी संगठन, ग्रामीण समस्याओं के समाधान हेतु भी अर्थपूर्ण परियोजनाओं के चयन में ग्रामीणों के साथ जुड़ने की इस यात्रा को सुगम बनाते है। वर्ष 2022-23 अर्थात 10वे बैच के फ़ेलो के लिए आवेदन की प्रक्रिया 4 मार्च 2022 को शुरू हो गई है। 9वी बैच (2021-22) के 74 फ़ेलो द्वारा देश के 15 राज्यों में कार्यान्वयन हेतु अपनी ग्रामीण परियोजना पूरी कर ली गई है।

एसबीआई ग्राम सेवा कार्यक्रम: अगस्त 2017 में शुरू किया गया "एसबीआई ग्राम सेवा" एसबीआई फाउंडेशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य दत्तक गांवों में डिजिटलीकरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जैसे समग्र एवं टिकाऊ ग्रामीण विकास करना है। वित्त वर्ष के दौरान एसबीआई फाउंडेशन ने पाँच राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा एवं राजस्थान के नीति आयोग के आकांक्षी जिलों में से 25 नए गांवों को गोद लेकर एसबीआई ग्राम सेवा कार्यक्रम के तीसरे चरण को शुरू कर ग्राम सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत 5 और परियोजनों के लिए मंजूरी दी है। इसके साथ एसबीआई फाउंडेशन ने एसबीआई ग्राम सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत 100 गांवों को गोद लेने संबंधी मील के पत्थर को पार किया है। इस कार्यक्रम ने अभी तक 16 राज्यों के 100 गांवों के 20322 परिवारों एवं 1,13,010 लाभार्थियों को प्रभावित किया है।

भारतीय स्टेट बैंक ग्राम सेवा कार्यक्रम ने पिछले पांच वर्षों में इन गोद लिए गए गांवों को धीरे-धीरे संबंधित स्थानों पर मॉडल विलेज क्लस्टर में बदल दिया है। ये कार्यक्रम वांछित व्यवहार परिवर्तन और सामुदायिक भागीदारी को भी सामने लाने में सक्षम रहा है। संक्षेप में, ग्राम सेवा कार्यक्रम के माध्यम से, एसबीआई फाउंडेशन महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के

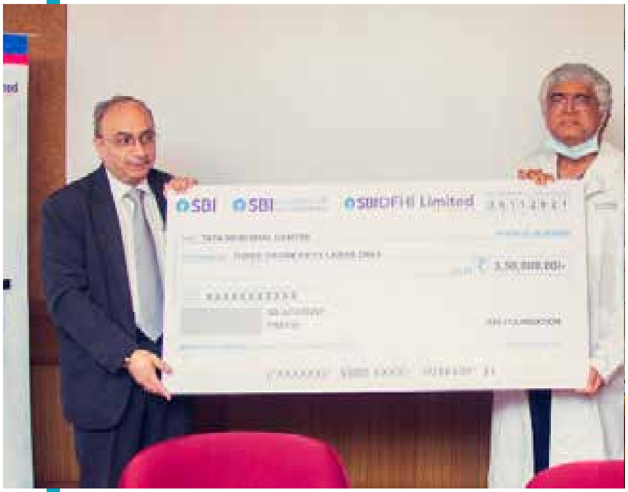

प्रोजेक्ट एनएटी, कैंसर रोगियों के लिए एक पहल का उद्घाटन माननीय श्री दिनेश खारा, अध्यक्ष, एसबीआई ने टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ साझेदारी में और एसबीआई डीएफएचआई के सहयोग से किया। यहां दाईं ओर डॉ. आर.ए. बडवे, निदेशक, टाटा मेमोरियल सेंटर, श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष, एसबीआई से चेक प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

सीएसआईआर सीसीएमबी के साथ साझेदारी में, एसबीआई फाउंडेशन ने जीनोमिक्स -निर्देशित महामारी रोकथाम के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष श्री दिनेश खारा ने सीएसआईआर सीसीएमबी के निदेशक डॉ विनय कुमार नंदीकूरी को नौ करोड़ चौरानवे लाख दस हजार रुपए का चेक सौंपा।

सामाजिक उद्यमिता उन विषयगत क्षेत्रों में से एक है जिस पर एसबीआई यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप काम करता है। इस वर्ष, विभिन्न उद्यम पिरुल - जो उत्तराखंड की महिलाओं के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने पर केंद्रित हैं, या ग्रामीण तमिलनाडु में स्थित मधुमक्खी पालन उद्यम जैसे कुछ नाम फैलोशिप के दौरान उभरे। यहां वाईएफ़आई साथियों की एक तस्वीर है जो अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहीं है।

दर्शन के अनुरूप आत्मनिर्भर (आत्म निर्भर) गांवों के निर्माण की दिशा में काम कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क (एमएसएसडब्ल्यू), चेन्नई द्वारा कार्यक्रम के प्रभाव का मूल्यांकन करवाया गया और व्यापक कार्यनीति, प्रभावी कार्यान्वयन, निवेश पर सामाजिक प्रतिलाभ (एसआरओआई) और कार्यक्रम की स्थिरता संबंधी पहलुओं की दृष्टि से उन्होंने इस कार्यक्रम को काफी उच्च दर्जा दिया है। कार्यक्रम को विभिन्न मंचों, मीडिया और अन्य लोगों से प्रशंसा और पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। देश के 16 राज्यों में एक प्रभावशाली उपस्थिति के साथ, ग्राम सेवा कार्यक्रम ने हाशिए के समुदायों के उत्थान के लिए एसबीआई फाउंडेशन की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जिससे ग्रामीण भारत के बैंक होने की एसबीआई की लंबे समय से चली आ रही विरासत को जारी रखा गया है।

एसबीआई संजीवनी- क्लिनिक ऑन व्हील्स: एसबीआई फाउंडेशन द्वारा वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान दक्षिण सिक्किम के ग्रामीण समुदायों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मोबाइल मेडिकल यूनिट 'एसबीआई संजीवनी- क्लिनिक ऑन व्हील्स' आरंभ की गई थी। इस परियोजना के कारण दूरस्थ गांवों में डोरस्टेप चिकित्सा सेवाएं प्रदान करके समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, कोविड -19 महामारी के कारण स्वास्थ्य देखभाल में वर्तमान संकट को ध्यान में रखते हुए, एसबीआई फाउंडेशन ने 250 दूरदराज के गांवों में 2 लाख से अधिक लाभार्थियों की अनुमानित पहुंच के साथ 10 राज्यों यथा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, तेलंगाना और उत्तराखंड में परियोजना को बढ़ाया है। परियोजना के लिए समुदायों का अच्छा प्रतिसाद मिला है और स्थानीय स्वास्थ्य विभाग भी इस पहल का समर्थन कर रहे हैं।

दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई):

2017 में स्थापित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उत्कृष्टता केंद्र मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण और मापने योग्य सुधार करने के लिए कौशल वृद्धि के माध्यम से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने पर काम करता है। सीओई ने 651 दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 27 विशेष ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एक सप्ताह की अवधि के) आयोजित किए, जिनमें से 24 कार्यक्रम 599 एसबीआई दिव्यांग कर्मचारियों के लिए रहे। तेलंगाना ग्रामीण बैंक एवं इंडियन

तेलंगाना में एसबीआई ग्राम सेवाकेंद्र की शुरुआत

एसबीआई के अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार खारा ने एसबीआई संजीवनी- क्लिनिक ऑन व्हील्स को एसबीआई, एसबीआई जनरल और एसबीआई फाउंडेशन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाई।

एसबीआई फाउंडेशन की अग्रणी पहल द सेंटर फॉर एक्सिलेंस फॉर पीडबल्यूडी (दिव्यांग व्यक्ति) ने देशभर के दिव्यांग कलाकारों और अदाकारों के एक समूह: 'द उड़ान इंटरटेनमेंट ग्रुप' के माध्यम से एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया।

ओवरसीज बैंक के 52 दिव्यांग अधिकारियों के लिए 5 दिनों की अवधि के तीन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक के दृष्टीबाधित 61 अधिकारियों के लिए 5 दिनों की अवधि के दो ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम का प्राथमिक ध्यान दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की वकालत करने, जागरूकता सृजित करने और दिव्यांगों की सुलभ जरूरतों को पूरा करने पर रहा। अभी तक, सीओई ने छह वेबिनार आयोजित किए हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 168 प्रतिभागियों ने भाग लिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 140 मानव संसाधन अधिकारियों के लिए 4 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। वित्त वर्ष 2022 में, सीओई ने विकलांगता के क्षेत्र पर ध्यान देते हुए 1.00 करोड़ रुपए की परियोजना लागत की "टैक्टोनिक ग्रांड चैलेंज फॉर एसिस्टिव टेक्नॉलजी स्टार्ट अप्स" परियोजना सहित 9.36 करोड़ रुपए की कुल मंजूरी के साथ 8 परियोजनाओं के लिए संस्वीकृति प्रदान की।

दिव्यांग लोगों के पुनर्वास उपचार (पीडबल्यूडी) - 7,000 पुनर्वास सत्रों, मस्तिष्क घाव की चोट (टीबीआई) के संकट के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ प्रत्यक्ष परामर्शन सत्रों एवं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से मस्तिष्क घाव और रीढ़ की हड्डी संबंधी चोटों से पीड़ित 2,000 दिव्यांगों के लिए पुनर्वास सेवाओं का समर्थन करने की एक पहल।

डॉ. एस आर चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग की नैदानिक सेवाओं का उन्नयन: एसबीआई फाउंडेशन ने बेंगलुरु की "डॉ एस आर चंद्रशेखर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग की नैदानिक सेवाओं का उन्नयन" परियोजना की सहायता करने के लिए बेंगलुरु स्पीच एंड हियरिंग ट्रस्ट के साथ भागीदारी की है, ताकि संस्थान बातचीत, श्रवण, भाषा और संप्रेषण संबंधी विकार वाले व्यक्तियों को नैदानिक सेवाएं प्रदान कर सके। इस परियोजना से बेंगलुरु शहरी क्षेत्र के आर्थिक रूप से पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों के 4700 से अधिक लाभार्थियों को लाभ होगा।

स्कूल फॉर पोटेंशियल एडवांसमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्फिडेंस (स्पार्क इंडिया) - एसबीआईएफ़ ने लखनऊ के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसपीएआरसी इंडिया के साथ भागीदारी की है। 20 प्राथमिक स्कूलों को दिव्यांग बच्चों (सीडब्ल्यूडी) के समावेशी स्कूलों के रूप में विकसित करना, क्षमता निर्माण करना, समर्थन करना और 2 साल की अवधि के लिए संबद्ध हितधारकों को संवेदनशील बनाना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है।

कार्यक्रम: सीओई ने ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी एवेरनेस डे (जीएएडी), अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस (आईडीपीडी) और विश्व ब्रेली दिवस मनाया।

शिक्षा कार्यक्रम

प्रारंभिक भाषा शिक्षण कार्यक्रम, लद्दाख के विद्यालयों एवं अंगनवाडियों का रूपांतरण, वेब आधारित साक्षरता परियोजना, खान अकादमी के साथ गणित शिक्षा, टोय बैंक, विद्यालय परिसरों के जरिए प्रभावी अभिशासन, मिनी विज्ञान केंद्रों की स्थापना, मिडल स्कूल ग्रेडों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अध्यापकों एवं शिक्षा हितधारकों का क्षमता निर्माण, न्यूरो डेवलपमेंट विकार वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा, नेशनल इंटेग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (एनआईईडीओ), भारत के किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य सुधार की दृष्टि से सुसंगत विद्यालय स्वास्थ्य प्रणाली के विकास हेतु टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस) को सहायता तथा 11 सरकारी विद्यालयों के नवोन्मेषन एवं छात्रों के लिए अनुकूल व व्यापक ज्ञानार्जन परिवेश उपलब्ध करने हेतु 'मॉडल स्कूल' पहल के लिए सहायता जैसी विभिन्न पहलों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु 22.53 करोड़ रुपए की तेरह परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई।

आजीविका और उद्यमिता

सामाजिक उद्यमों को इनक्यूबेशन सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक उद्यमों के लिए एसबीआई फाउंडेशन रिवॉल्विंग फंड, एकीकृत मछलीपालन संवर्धन, मेगा वाटरशेड निर्माण, 15 स्टार्ट-अप को वाडी कृषि एवं इनक्यूबेशन सहायता, बैंकिंग वित्तीय सेवा बीमा उद्योग (बीएफएसआई) कार्य भूमिकाओं में 5,000 युवाओं का प्रशिक्षण एवं सामाजिक रूप से बहिष्कृत और अपराधिक व तरुण न्याय प्रणाली आदि कलंकित लोगों को पुनः समेकित करने तथा पुनरावास करने के लिए टीआईएसएस प्रयास जैसी पहलों को सहायता प्रदान करने के लिए 13.60 करोड़ रुपए की वित्तीय लागत वाली आठ परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई।

महिला सशक्तिकरण

कौशल प्रशिक्षण, शिक्षा और सतत आजीविका के माध्यम से तस्करी और हिंसा से बचे लोगों का पुन: एकीकरण : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में प्रासंगिक प्रशिक्षण, शिक्षा और स्थायी आजीविका के अवसर प्रदान करके तस्करी और हिंसा से बचे लोगों को समाज में फिर से संगठित करने की एक पहल।

खेलों को बढ़ावा देना

अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट और कर्णम मल्लेश्वरी फाउंडेशन के साथ साझेदारी में 13 एथलीटों की सहायता के लिए 48.90 लाख रुपए की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

संवहनीयता और पर्यावरण

फलदार पेड़ लगाने, मेलघाट और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बीच एक महत्वपूर्ण बाघ कॉरिडोर बनाने, खांगचेंडज़ोंगा परिदृश्य में लाल पांडा प्रजातियों के संरक्षण के लिए सहायता तथा औरंगाबाद, महाराष्ट्र में अधिकतम पृथक्करण सुनिश्चित करने के लिए सूखा कचरा प्रबंधन हेतु नवोन्मेषी सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के लिए 6.84 करोड़ रुपए की पाँच परियोजनों के लिए संस्वीकृति प्रदान की गई।

प्रारंभिक भाषा शिक्षण कार्यक्रम (पीबीएसके) - अंबाला, हरियाणा के 474 सरकारी स्कूलों में लगभग ~ 16,000-18,000 बच्चों के भाषा सीखने के परिणामों में सुधार के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की क्षमताओं का निर्माण करने के लिए एक पहल।

पुरस्कार और प्रशंसा:

पुरस्कार का नाम	श्रेणी	संस्था/एजेंसी
सीएसआर फाउंडेशन ऑफ द ईयर-विजेता	बड़ा	सीएसआर बॉक्स
पर्यावरण - विजेता	छोटा	सीएसआर बॉक्स
अंगदान - विजेता	महत्वपूर्ण योगदान	टाइम्स ऑफ इंडिया
हेल्थ केयर (कोविड -19) के लिए जूरी मान्यता	हेल्थ केयर	इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

हमारे देश की दो-तिहाई आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के कारण, यह भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है। प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का हमारा बड़ा नेटवर्क एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है और इस परिदृश्य को पूरा करने की एक बड़ी क्षमता भी रखता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास बड़ी संख्या में खाते और दशकों की विश्वास-अर्जित सेवा परंपरा होने के कारण उन्हें विशिष्ट प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण ग्राहकों के साथ इन बैंकों की पहुँच होती है।

स्टेट बैंक ने 14 विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर कार्यरत 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रायोजित किया है। 31 मार्च 2022 तक 217 जिलों में फैले इन आरआरबी की कुल शाखा संख्या 4,725 रही।

एसबीआई के प्रायोजित आरआरबी सीबीएस प्लेटफॉर्म पर हैं और देश में संचालित किसी भी अन्य वाणिज्यिक बैंकों के समान बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। बैंकों ने सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को अपनाया है और अपने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों की लगातार बढ़ती मांगों को संभालने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।

वित्त वर्ष 2022 की व्यावसायिक मुख्य विशेषताएं:

बैंक द्वारा प्रायोजित 14 आरआरबी की कुल जमाराशियाँ और अग्रिम 31 मार्च 2022 को ₹1,13,502 करोड़ और ₹73,755 करोड़ थी, जो कि 31 मार्च 2021 को ₹1,05,628 करोड़ और ₹66,551 करोड़ थी ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, लगातार चुनौतीपूर्ण व्यापक आर्थिक वातावरण और कोविड महामारी के बावजूद, आरआरबी ने अपने व्यवसाय में सुधार किया, 31 मार्च 2022 तक जमाराशियों में 7.46% की वृद्धि हुई और अग्रिमों में 10.82% की वृद्धि हुई। पोर्टफोलियो में विविधता लाने की एक नियोजित कार्यनीति के रूप में आरआरबी द्वारा अपने आवास और गोल्ड लोन एक्सपोजर में क्रमशः 19.08% और 30.87% (वर्ष दर वर्ष) का विस्तार किया गया है।

₹1,214.05 करोड़ की पेंशन के लिए पर्याप्त प्रावधान करने के बावजूद सभी आरआरबी ने मिलकर वर्ष के दौरान 31 मार्च 2022 तक वर्ष 2021 के ₹1,004.28 करोड़ की तुलना में ₹1,659.53 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। आरआरबी अपने मुख्य बैंकिंग व्यवसाय से आय में सुधार, शुल्क आय प्रवाह को मजबूत करने और परिचालन लागत पर नियंत्रण बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

कोविड-19 महामारी के कारण चुनौतीपूर्ण आर्थिक स्थिति के बावजूद आरआरबी का संयुक्त सकल अलाभकारी आस्ति अनुपात 31 मार्च 2022 तक घटकर 4.64% हो गया है, जो 31 मार्च 2021 को 5.44% था। 31 मार्च 2021 के 2.16% के मुकाबले शुद्ध एनपीए 1.22% है।

वर्ष के दौरान प्रति कर्मचारी व्यवसाय में सुधार हुआ है। यह 31 मार्च 2021 को ₹10.09 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2022 को ₹10.76 करोड़ रहा।

वित्त वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

समीक्षाधीन वर्ष में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए, जिनमें से कुछ नीचे सूचीबद्ध हैं:

आस्ति प्रबंधन केंद्र (एएमएच) जो कि एक केंद्रीकृत ऋण संसाधन प्रणाली है, की शुरुआत के कारण 4,725 शाखा नेटवर्क वाले 14 आरआरबी के आने वाले वर्षों में अधिक कुशलता से काम करने की उम्मीद है।

नए जमाने के बैंकों से प्रतिस्पर्धा का सामना करने और डिजिटल उपस्थिति के लिए, हमारे सात आरआरबी ने वीडियो केवाईसी सुविधा के साथ डिजिटल खाता खोलने के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया है। यह सुविधा एसबीआई द्वारा प्रायोजित सभी 14 आरआरबी में लागू की जा रही है।

ट्रेजरी यील्ड/रिटर्न में सुधार के लिए, आरआरबी हेतु गैर-विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (पीएमएस) के लिए एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड (एसबीआईएफएमएल) की सेवाएँ लेने के लिए मंजूरी दी गई है। 12 आरआरबी ऑनबोर्ड हैं और शेष 2 आरआरबी प्रक्रिया में हैं।

09 आरआरबी में बीसी चैनल में डिजिटल खाता खोलने के लिए मोबाइल ऐप भी प्रस्तुत किया गया है और इसे सभी आरआरबी में लागू किया जाएगा।

सहयोगी:

क्र.	सहयोगी का नाम	निगमित देश	समूह की हिस्सेदारी (%)	
			वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00%	35.00
2	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00
3	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00
4	इलाकाई देहाती बैंक $$	भारत	35.00%	35.00
5	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक$$	भारत	35.00%	35.00
6	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00
7	मेघालय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00
8	मिजोरम ग्रामीण बैंक$$	भारत	35.00%	35.00
9	नागालैंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00
10	राजस्थान मरुधारा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00
11	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00
12	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00
13	उत्कल ग्रामीण बैंक$$	भारत	35.00%	35.00
14	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00%	35.00

$$ हमने 10.03.2022 को इन 4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (अर्थात i. इलाकाई देहाती बैंक, ii.झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, iii.मिजोरम ग्रामीण बैंक और iv.उत्कल ग्रामीण बैंक) में अपना पूर्ण अतिरिक्त आनुपातिक हिस्सा लगाया है, जिसे अब शेयर पूँजी खाता में रखा गया है। इसे अन्य हितधारकों यथा भारत सरकार और संबद्ध राज्य सरकार आनुपातिक हिस्सा डालने के बाद संबद्ध ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की शेयर पूँजी में हिसाब में लिया जाएगा।

VI. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण (एमडीए)

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (संशोधन) विनियम 2018 के अनुपालन के संदर्भ में नीचे दिए गए विवरणों के अनुपालन निम्नलिखित अनुपात में 25% से अधिक का परिवर्तन हुआ है :

(% में)	मार्च 21	मार्च 22	अंतर (बीपीएस)	% परिवर्तन
निवल लाभ मार्जिन	6.61	10.02	341	51.59
आरओई	9.94	13.92	398	40.04

निवल लाभ मार्जिन :

निवल लाभ में 55.19% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज की गई (वित्त वर्ष 2021 में 20,410 करोड़ रुपए के लाभ से वित्त वर्ष 2022 के दौरान 31,676 करोड़ रुपए के निवल लाभ), जबकि कुल आय (वित्त वर्ष 2021 के 3,08,647 करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2022 में 3,16,021 करोड़ रुपए) में केवल 2.39% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज की गई।

निवल मालियत पर प्रतिलाभ :

निवल लाभ में 55.19% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज की गई (वित्त वर्ष 2021 में 20,410 करोड़ रुपए के लाभ से वित्त वर्ष 2022 के दौरान 31,676 करोड़ रुपए के निवल लाभ), जबकि बैंक के निवल मालियत (वित्त वर्ष 2021 के 2,14,666 करोड़ रुपए से वित्त वर्ष 2022 में 2,40,502 करोड़ रुपए) में 12.04% की वर्षानुवर्ष वृद्धि हुई।

VII. उत्तरदायित्व वक्तव्य :

निदेश बोर्ड एतदद्वारा सूचित करता है कि :

i. वार्षिक लेखे तैयार करते समय लागू लेखमानकों का समुचित अनुपालन किया गया है और महत्वपूर्ण विचलाओं की स्थिति में समुचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ii. उन्होंने ऐसी लेखा नीतियों का चयन और निरंतर प्रयोग किया है और उचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय व प्राक्कलन किए हैं, ताकि 31 मार्च, 2022 तक अपने बैंक के मामलों की स्थिति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आपके बैंक के लाभ एवं हानि का एक सच्चा व उचित दृष्टिकोण दिया जा सके;

iii. उन्होंने आपके बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनका पता लगाने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv. उन्होंने वार्षिक लेखों को वर्तमान और भावी सतत अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किया है;

v. बैंक द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए गए हैं और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं;

vi. सभी प्रयोज्य क़ानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली तैयार की गई है तथा एसी प्रणाली पर्याप्त है एवं प्रभावी रूप से कार्य कर रही है।

VIII. आभार

वर्ष के दौरान श्री अनिल कुमार शर्मा को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 19 (च) के अंतर्गत 13 अप्रैल 2021 से श्री चंदन सिन्हा के स्थान पर बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया। श्री प्रफुल्ल छाजेड को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 19 (घ) के अंतर्गत 21 दिसंबर 2021 से बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया। अपना कार्यकाल समाप्त होने पर डॉ पुष्पेंद्र रॉय दिनांक 5 फरवरी, 2022 को बोर्ड से सेवानिवृत्त हुए। श्री संजय मल्होत्रा को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 19 (ङ) के अंतर्गत 16 फरवरी, 2021 से श्री देबशीष पांडा के स्थान पर बोर्ड के निदेशक के रूप में नामित किया गया।

निदेशक बोर्ड ने श्री चंदन सिन्हा, डॉ पुष्पेंद्र रॉय एवं श्री देबशीष पांडा द्वारा बोर्ड की चर्चाओं में दिए गए योगदानों के लिए उनकी सराहना की।

निदेशकों ने भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडीए और अन्य सरकारी एवं विनियामक एजेंसियों से प्राप्त मार्गदर्शन और सहयोग के लिए अपनी कृतज्ञता प्रकट की।

निदेशकों ने सभी मूल्यवान ग्राहकों, शेयरधारकों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों, स्टॉक एक्सचेंजों, रेटिंग एजेंसियों और अन्य हितधारकों को उनके संरक्षण एवं सहयोग के लिए धन्यवाद दिया तथा इस अवसर पर बैंक के कर्मचारियों की समर्पित एवं प्रतिबद्ध टीम के लिए अपना आभार व्यक्त किया।

केंद्रीय निदेशक बोर्ड के लिए
और उनकी ओर से

अध्यक्ष

दिनांक : 13 मई, 2022

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

अभिशासन कोड के प्रति बैंक का दृष्टिकोण

भारतीय स्टेट बैंक कॉरपोरेट अभिशासन के क्षेत्र में, अक्षरशः और भावना से सर्वोत्तम कार्यप्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक का मानना है कि अच्छा कॉरपोरेट अभिशासन, कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं का पालन करने से कहीं अधिक है। सुशासन, प्रभावी प्रबंधन और व्यापार के नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है, बैंक को उच्च स्तर की व्यावसायिक नैतिकता बनाए रखने और अपने सभी हितधारकों के लिए मूल्य को अनुकूलित करने में सक्षम बनाता है। संक्षेप में उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- शेयरधारक के मूल्य की रक्षा करना और बढ़ाना।
- ग्राहकों, कर्मचारियों और बड़े पैमाने पर समाज जैसे अन्य सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना।
- संप्रेषण में पारदर्शिता तथा अखंडता सुनिश्चित करने और सभी संबंधितों को पूर्ण, सटीक और स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराना।
- प्रदर्शन और ग्राहक सेवा के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए और सभी स्तरों पर उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए।
- दूसरों का अनुकरण करने के लिए उच्चतम मानक का कॉरपोरेट नेतृत्व प्रदान करना।

बैंक निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

- यह सुनिश्चित करना कि बैंक का निदेशक बोर्ड नियमित बैठकें करे, व्यवसाय एवं संचालन में प्रभावी नेतृत्व तथा अंतदृष्टि प्रदान करे और बैंक के निष्पादन की निगरानी करे।
- कार्यनीतिक नियंत्रण का एक ढांचा स्थापित करना और इसकी प्रभावकारिता की लगातार समीक्षा करना।
- नीति विकास, कार्यान्वयन और समीक्षा, निर्णय लेने, निगरानी, नियंत्रण और रिपोर्टिंग के लिए स्पष्ट रूप से प्रलेखित और पारदर्शी प्रबंधन प्रक्रियाओं की स्थापना।
- बोर्ड को यथावश्यक सभी प्रासंगिक सूचनाएं, सलाह और संसाधन उपलब्ध कराना, ताकि वह अपनी भूमिका का निर्वाह प्रभावी ढंग से कर सके।
- यह सुनिश्चित करना कि कार्यकारी प्रबंधन के सभी पहलुओं के प्रति अध्यक्ष उत्तरदायी हों तथा बैंक के निष्पादन और बोर्ड द्वारा निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के प्रति जवाबदेह हों। अध्यक्ष तथा निदेशक बोर्ड की भूमिका भारतीय स्टैट बैंक अधिनियम, 1955 तथा इसमें किए गए सभी संबंधित संशोधनों द्वारा भी निर्देशित होते हैं।
- यह सुनिश्चित करना कि भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों तथा बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी प्रयोज्य संविधियों, विनियमों और अन्य कार्यविधियों, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करने और यदि कोई विचलन हों, तो उनकी सूचना बोर्ड को देने के लिए किसी वरिष्ठ कार्यपालक को बोर्ड के प्रति उत्तरदायी बनाया जाए।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुसार बैंक ने कॉरपोरेट अभिशासन के प्रावधानों का अनुपालन किया है। केवल कुछ मामले अपवाद हैं, जहां इन विनियमों के प्रावधान भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों के अनुरूप नहीं हैं। कॉरपोरेट अभिशासन के इन प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट नीचे प्रस्तुत की गई है:

केंद्रीय बोर्ड : भूमिका एवं संरचना

भारतीय स्टेट बैंक का गठन वर्ष 1955 में संसद द्वारा पारित एक अधिनियम (भारतीय स्टेट अधिनियम ,1955) द्वारा हुआ। केंद्रीय निदेशक बोर्ड का गठन इस अधिनियम के अनुसार किया गया था।

बैंक का केंद्रीय बोर्ड एसबीआई अधिनियम और विनियम 1955 के प्रावधानों के अनुपालन में अपने कार्यों को पूरा करता है और उससे अपनी शक्तियां प्राप्त करता है। इसकी प्रमुख भूमिकाओं में अन्य बातों के अलावा ये शामिल हैं,

- बैंक के जोखिम प्रोफाइल की देखरेख करना,
- अपने व्यापार और नियंत्रण तंत्र की अखंडता की निगरानी करना,
- विशेषज्ञ प्रबंधन सुनिश्चित करना, और
- अपने हितधारकों के हितों को बढ़ाना।

केंद्रीय बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो एसबीआई अधिनियम की धारा 19(क) के तहत नियुक्त किए गए हैं; एसबीआई अधिनियम की धारा 19(ख) के तहत चार प्रबंध निदेशकों को भी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक होते हैं। 31 मार्च 2022 तक बोर्ड के आठ अन्य निदेशक थे जो प्रौद्योगिकी, लेखा, वित्त और अर्थशास्त्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रख्यात पेशेवर हैं। 31 मार्च 2022 तक केंद्रीय बोर्ड की संरचना इस प्रकार थी :

- धारा 19(क) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श पर एवं केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष,
- धारा 19(ख) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श पर एवं केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चार प्रबंध निदेशक,
- धारा 19(ग) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा चुने गए चार निदेशक,
- धारा 19(घ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित दो निदेशक,
- धारा 19(ङ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा नामित एक निदेशक,
- और धारा 19(च) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक की संस्तुति पर नामित एक निदेशक।

बोर्ड का गठन सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 17(1) में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप उस सीमा तक ही है कि वह एसबीआई अधिनियम, 1855 की धारा 19 में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करते हैं। निदेशकों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है।

गैर-कार्यपालक निदेशकों का संक्षिप्त परिचय अनुलग्नक-I में दिया गया है। विभिन्न बोर्डों / समिति यों में सभी निदेशकों द्वारा धारित निदेशक पदों/सदस्यताओं का विवरण अनुलग्नक-II में और बैंक में उनकी शेयरधारिता का विवरण अनुलग्नक-III में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकें

बैंक में केंद्रीय बोर्ड की एक वर्ष में कम से कम छह बैठकें होती हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की 13 बैठकें हुई थीं। बैठकों की तारीखें और निदेशकों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

2021-22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की तारीखें और उनमें निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 13

बैठकों की तारीखें : 22.04.2021, 21.05.2021, 21.06.2021, 14.07.2021, 04.08.2021,23.08.2021, 22.09.2021,25.10.2021, 03.11.2021, 08.12.2021, 12.01.2022, 05.02.2022, 23.03.2022

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष	13	13
श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, एमडी	13	13
श्री अश्वनी भाटिया, एमडी	13	13
श्री स्वामीनाथन जे, एमडी	13	13
श्री अश्विनी कुमार तिवारी, एमडी	13	13
श्री बी. वेणुगोपाल	13	13
डॉ. गणेश नटराजन	13	10
श्री केतन एस. विकमसी	13	12
श्री मृगांक एम. परांजपे	13	12
डॉ. पुष्पेंद्र राय (05.02.2022 तक)	12	12
श्री संजीव माहेश्वरी	13	13
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ (21.12.2021 से प्रभावी)	03	03
श्री देबाशीष पंडा (16.02.2022 तक)	12	05
श्री संजय मल्होत्रा (16.02.2022 से प्रभावी)	01	01
श्री चंदन सिन्हा (13.04.2021 तक)	00	00
श्री अनिल कुमार शर्मा (13.04.2021 से प्रभावी)	13	10

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति

केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का गठन भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 30 के अनुसार किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम (46 एवं 47) में प्रावधान है कि केंद्रीय बोर्ड के सामान्य अथवा विशेष निदेशों के अधीन केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति केंद्रीय बोर्ड की परिधि में आने वाले किसी भी मामले पर विचार कर सकती है। केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (च) के अंतर्गत नामित निदेशक अगर भारत में जिस स्थान पर बैठक आयोजित की जा रही हो, उस स्थान पर सामान्य रूप से निवास कर रहे अथवा उस समय वहाँ उपस्थित सभी या कोई अन्य निदेशक शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही, 'बैंकों में कॉरपोरेट अभिशासन- निदेशकों की नियुक्ति एवं बोर्ड की समिति यों का गठन' पर दिनांक 26 अप्रैल 2021 के आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड (एसीबी) की लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष का पद केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति (ईसीसीबी) का हिस्सा नहीं है। एसबीआई अधिनियम के अनुसार केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह आयोजित की जाती है। वर्ष 2021-22 के दौरान ईसीसीबी बैठकों में उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

2021-22 के दौरान ईसीसीबी बैठक में निदेशकों की उपस्थिति

कुल बैठकों की संख्या 52

क्रम	निदेशक	नामांकन/ चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
1	श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष	52	52
2	श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, एमडी	52	51
3	श्री अश्वनी भाटिया, एमडी	52	52
4	श्री स्वामीनाथन जे, एमडी	52	50
5	श्री अश्विनी कुमार तिवारी, एमडी	52	48
6	श्री बी. वेणुगोपाल	52	45
7	श्री मृगांक एम. परांजपे	52	41
8	श्री संजीव माहेश्वरी	52	26
9	श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ (21.12.2021 से प्रभावी)	14	12
10	श्री चंदन सिन्हा (13.04.2021 तक)	01	01
11	श्री अनिल कुमार शर्मा (13.04.2021 से प्रभावी)	51	33
निदेशक जो आमतौर बैठकों के स्थान के निवासी नहीं हैं, लेकिन उस दिन उस स्थान पर मौजूद थे जहां बैठक आयोजित की गई थी /वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया गया था :			
1	डॉ. गणेश नटराजन	-	37
2	डॉ. पुष्पेंद्र राय	-	32

अन्य बोर्ड स्तरीय समितियां :

एसबीआई अधिनियम और सामान्य विनियम, 1955 और सरकार/आरबीआई/सेबी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के संदर्भ में, केंद्रीय बोर्ड ने बोर्ड की अन्य नौ बोर्ड स्तरीय समितियां गठित की हैं। ये हैं- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति , बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति , बोर्ड की हितधारकों की संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति , बड़े मूल्य की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति , सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति , कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति , बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति , वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड समिति तथा आदतन चूककर्ताओं/ गैर-सहकारी उधारकर्ताओं की पहचान की समीक्षा हेतु समिति । ये समितियां लेखा परीक्षा और लेखा, जोखिम प्रबंधन, शेयरधारकों/ निवेशकों की शिकायतों का समाधान, धोखाधड़ी की समीक्षा और नियंत्रण, ग्राहक सेवा की समीक्षा और ग्राहक शिकायतों के निवारण, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारियां, ऋण और अग्रिमों की वसूली पर निगरानी, आदतन चूककर्ताओं/गैर-सहकारी उधारकर्ताओं की पहचान की समीक्षा और निदेशक के रूप में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की 'फिट और उचित' स्थिति का निर्धारण करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों में बोर्ड को प्रभावी पेशेवर सहायता प्रदान करती हैं। यद्यपि नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की बैठक वर्ष में एक बार होती है, अन्य समितियां केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित समीक्षाओं के कैलेंडर के अनुसार नीतिगत मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और/या डोमेन प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए आवधिक रूप से आमतौर पर तिमाही में एक बार बैठक करती हैं। समिति यों द्वारा बैंक के शीर्ष अधिकारियों की सेवाएं लेने के अलावा आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञों को भी बुलाया जाता है।

समिति यों की बैठकों में हुई चर्चाओं के बारे में संक्षिप्त रिपोर्ट एवं कार्यविवरण और कार्यवाहियों को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड (एसीबी) की लेखा परीक्षा समिति का गठन 27 जुलाई 1994 और आखिरी बार 23 मार्च 2022 को पुन: गठित किया गया था। एसीबी, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करती है और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और एलओडीआर संशोधन विनियम 2018 के प्रावधानों का इस प्रकार अनुपालन करती है कि वे आरबीआई के निदेशों/ दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

एसीबी के कार्य

क. एसीबी द्वारा बैंक में समस्त लेखा परीक्षा कार्य के संचालन की देखरेख करने के साथ-साथ निर्देश भी प्रदान किया जाता है। समस्त लेखा परीक्षा कार्य का तात्पर्य बैंक के भीतर आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य और निरीक्षण, परिचालन और गुणवत्ता नियंत्रण के अलावा सांविधिक/बाह्य लेखा परीक्षा, आरबीआई निरीक्षण के अनुपालन पर अनुवर्ती कार्रवाई से है। यह बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों की भी नियुक्ति करती है और समय-समय पर उनके प्रदर्शन की समीक्षा करती है।

ख. एसीबी द्वारा अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बैंक के वित्तीय, जोखिम प्रबंधन, लेखा परीक्षा नीतियों और लेखा नीतियों/प्रणालियों की समीक्षा की जाती है।

ग. एसीबी द्वारा बैंक में आंतरिक निरीक्षण/ लेखा परीक्षा योजना और कार्यों की समीक्षा के साथ ही प्रणाली, उसकी गुणवत्ता एवं अनुवर्तन की दृष्टि से समीक्षा करता है। वह विशेषतःनिम्नलिखित के अनुवर्तन पर ध्यान देता है:

- केवाईसी-एएमएल दिशानिर्देश;
- रखरखाव के प्रमुख क्षेत्र,
- सेबी का अनुपालन (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015

घ. यह बैंक के अनुपालन विभाग से रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी समीक्षा करती है।

ङ. एसीबी द्वारा बैंकिग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 के तहत आरबीआई के जोखिम आधारित पर्यवेक्षण में उठाए गए सभी मुद्दों और सांविधिक लेखापरीक्षकों और अन्य आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों की एलएफएआर पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। यह वार्षिक/त्रैमासिक वित्तीय खातों और रिपोर्टों को अंतिम रूप देने से पहले बाहरी लेखा परीक्षकों के साथ बातचीत करती है। लेखा परीक्षा समिति के एक औपचारिक 'लेखा परीक्षा चार्टर' या 'विचारार्थ विषय' को केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है और लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत की जाने वाली समीक्षाओं का एक कैलेंडर भी लागू है, जिसे समय समय पर अद्यतन किया जाता है।

2021-22 के दौरान संरचना एवं उपस्थिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में 31.03.2022 को पाँच गैर-कार्यपालक सदस्य हैं। एसीबी में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं तथा इसकी अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार इसके विधान तथा कोरम संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियों एवं कार्यविधियों तथा अन्य पहलुओं से जुड़े विभिन्न मामलों की समीक्षा के लिए वर्ष के दौरान बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की बारह बैठकें आयोजित की गईं।

2021-22 के दौरान आयोजित एसीबी बैठकों की तारीखें एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 12

बैठकों की तारीखें : 19.04.2021, 20.05.2021, 16.06.2021, 13.07.2021, 03.08.2021, 01.09.2021, 27.09.2021 02.11.2021, 01.12.2021, 17.01.2022, 04.02.2022, 11.03.2022

क्रम	निदेशक	नामांकन/ चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
1	श्री केतन एस विकमसी (समिति के अध्यक्ष)	12	11
2	श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, (20.05.2021 तक सदस्य)	02	02
3	श्री अश्वनी भाटिया, एमडी (20.05.2021 तक सदस्य)	02	01
4	श्री स्वामीनाथन जे, एमडी (वैकल्पिक सदस्य के रूप में)	-	01
5	श्री बी. वेणुगोपाल	12	12
6	श्री गणेश नटराजन (21.05.2021 से सदस्य)	10	06
7	श्री मृगांक एम. परांजपे	12	08
8	श्री संजीव माहेश्वरी	12	09
9	श्री देबाशीष पांडा (07.02.2021 तक सदस्य)	09	00
10	श्री चंदन सिन्हा (13.04.2021 तक सदस्य)	00	00
11	श्री अनिल कुमार शर्मा (13.04.2021 से 07.12.2021 तक सदस्य)	09	06

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

ऋण जोखिम, बाज़ार जोखिम और परिचालन जोखिम से संबंधित आंतरिक जोखिम प्रबंधन नीति और कार्यनीति की निगरानी के लिए 23 मार्च 2004 को बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) का गठन किया गया था। इस समिति का अंतिम पुनर्गठन 23 मार्च 2022 को किया गया था और इसमें आठ सदस्य हैं। गैर-कार्यपालक निदेशक इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। आरएमसीबी की बैठक एक साल में कम से कम चार बार, प्रत्येक तिमाही में एक बार होती है। 2021-22 में आरएमसीबी की सात बैठकें हुईं। 01 अप्रैल 2019 को प्रभावी सेबी (एलओडीआर) संशोधन विनियमों, 2018 के अनुसार 06.03.2019 को आयोजित केंद्रीय बोर्ड की बैठक में लेखा परीक्षा समिति की भूमिका एवं संदभ शर्तों की समीक्षा की गई।

2021-22 के दौरान आयोजित आरएमसीबी बैठकों की तारीख एवं निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 07

बैठकों की तारीखें : 17.06.2021, 06.07.2021, 14.09.2021, 26.10.2021, 20.12.2021, 08.02.2022, 28.03.2022

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
श्री मृगांक एम. परांजपे (समिति के अध्यक्ष)	06	06
श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी, एमडी (07.12.2021 तक सदस्य)	04	04
श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी, एमडी (वैकल्पिक सदस्य के रूप में)	-	01
श्री अश्वनी भाटिया, एमडी (08.12.2021 से सदस्य)	03	02
श्री स्वामीनाथन जे, एमडी	07	07
श्री बी वेणुगोपाल	07	07
डॉ. गणेश नटराजन (08.12.2021 से 22.03.2022 तक सदस्य नहीं)	05	03
श्री केतन एस विकमसी	07	06
डॉ. पुष्पेंद्र राय (05.02.2022 तक)	05	05
श्री संजीव माहेश्वरी	07	03
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ (23.03.2022 से सदस्य)	01	00

बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) सह ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 20 के अनुपालन में हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी) (जिसे पहले बोर्ड की शेयरधारकों/निवेशकों की शिकायत समिति के रूप में जाना जाता था (एसआईजीसीबी), तथा जिसका गठन 30 जनवरी 2001 को हुआ था) का गठन किया गया था, जो शेयरों के हस्तांतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, बॉन्ड/घोषित लाभांश आदि पर ब्याज प्राप्त न करने के संबंध में शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों की जांच करने के लिए बनाया गया था। बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का गठन 26 अगस्त 2004 को किया गया था, जिसका उद्देश्य बैंक द्वारा निरंतर प्रदान की जा रही ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में किए जा रहे सुधारों से अवगत कराना था। बोर्ड स्तरीय समिति यों को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से 11 जून 2020 को आरबीआई की साइट पर 'भारत में वाणिज्यिक बैंकों में अभिशासन' विषय पर प्रकाशित पर्चे में प्रस्तुत विचारों के अनुरूप केंद्रीय बोर्ड ने 25.06.2020 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) एवं ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) का विलय मंजूर किया तथा विलय हुई समिति को बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) सह ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) नाम दिया गया तथा यह 26.06.2020 से प्रभाव में आई। समिति का गठन अंतिम बार 23 मार्च 2022 को किया गया था तथा इसमें सात सदस्य हैं। इसकी अध्यक्षता गैर-कार्यपालक निदेशक द्वारा की जाती है। समिति की संरचना और एवं भूमिका सेबी विनियमों का पालन करती है। बोर्ड की हितधारक संबंध समिति (एसआरसी) एवं ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) ने वर्ष 2021-22 के दौरान चार बैठकें कीं।

एसआरसी सह सीएससीबी की आयोजिक बैठकों की तारीख एवं 2021-22 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या : 4

बैठकों की तारीख: 15.06.2021, 15.09.2021, 21.12.2021, 28.03.2022

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
डॉ. पुष्पेंद्र राय (05.02.2022 तक समिति के अध्यक्ष)	03	03
श्री बी वेणुगोपाल (23.03.2022 से समिति के अध्यक्ष)	04	04
श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी, एमडी	04	04
श्री स्वामीनाथन जे, एमडी	04	04
डॉ. गणेश नटराजन	04	00
श्री केतन एस विकमसी	04	02
श्री मृगांक एम परांजपे (07.12.2021 तक सदस्य)	02	01
श्री संजीव माहेश्वरी	04	04
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ (23.03.2022 से सदस्य)	01	01

शेयरधारकों से अब तक प्राप्त शिकायतों की संख्या (वर्ष के दौरान) :	259
शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुरूप हल नहीं की गई शिकायतों की संख्या :	शून्य
लंबित शिकायतों की संख्या (विचाराधीन शिकायतें) :	शून्य
अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम:	श्री शाम के (सहायक महाप्रबंधक, अनुपालन एवं कंपनी सचिव)

बड़ी राशियों की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति :

बड़ी राशियों की धोखाधड़ी की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति (एससीबीएमएफ) का गठन 29 मार्च 2004 को किया गया था। इस समिति का प्रमुख कार्य बड़ी राशि की धोखाघड़ी के मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना है। समीक्षा का उद्देश्य - प्रणालीगत खामियों (यदि कोई) तथा धोखाधड़ी के मामलों की सूचना में देरी के कारणों का पता लगाना, सीबीआई/पुलिस जांच कार्रवाई, वसूली स्थिती पर निगरानी रखना तथा स्टाफ की जिम्मेदारी शीघ्र तय करते हुए धोखाधड़ी की घटनाओं को दुबारा होने से रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशाली ढंग से समीक्षा करते हुए उपयुक्त निवारक उपाय सुनिश्चित करना है। समिति का अंतिम पुनर्गठन 23 मार्च 2022 को किया गया और इसमें छह सदस्य हैं और इसकी अध्यक्षता एक गैर-कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है। वर्ष 2021-22 में समिति की छ: बैठकें हुईं।

एससीबीएमएफ की आयोजिक बैठकों की तारीख एवं 2021-22 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या 6

बैठकों की तारीख : 14.05.2021, 29.06.2021, 17.08.2021, 28.09.2021, 28.12.2021, 30.03.2022

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
श्री केतन एस. विकमसी, समिति के अध्यक्ष (20.05.2021 तक समिति के अध्यक्ष एवं उसके बाद सदस्य)	06	04
डॉ. पुष्पेंद्र राय (21.05.2021 से 05.02.2022 तक समिति के अध्यक्ष)	05	05
श्री संजीव माहेश्वरी (22.03.2022 से समिति के अध्यक्ष)	06	04
श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी, एमडी	06	06
श्री स्वामीनाथन जे, एमडी	06	06
श्री बी वेणुगोपाल (23.03.2022 से सदस्य)	01	01
डॉ. गणेश नटराजन (07.12.2021 तक सदस्य)	04	03
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ (23.03.2022 से सदस्य)	01	01

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति

बैक की सूचना प्रौद्योगिकी पहल की प्रगति पर नज़र रखने के लिए बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 26 अगस्त 2004 को बोर्ड की प्रौद्योगिकी समिति का गठन किया। प्रौद्योगिकी समिति का नाम बदलकर 24 अक्तूबर 2011 से बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति किया गया है। समिति ने बैंक के प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समिति को निम्नलिखित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:

i. सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति और नीतिगत दस्तावेज़ों को मंज़ूरी देना, यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी कार्यनीतिक योजना प्रक्रिया लागू की है।

ii. यह सुनिश्चित करना कि सूचना प्रौद्योगिकी संगठनात्मक संरचना व्यापार मॉडल और इसकी दिशा का पूरक है।

iii. यह सुनिश्चित करना कि सूचना प्रौद्योगिकी निवेश जोखिमों और लाभ का संतुलन प्रस्तुत करते हैं तथा यह कि बजट स्वीकार्य हैं।

iv. सूचना प्रौद्योगिकी जोखिमों के प्रबंधन की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना और बैंक स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी के कुल वित्तपोषण की देखरेख करना और,

v. सूचना प्रौद्योगिकी प्रदर्शन माप और व्यवसाय के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के योगदान की समीक्षा (अर्थात वादा किया गया मूल्य प्रदान करना)।

इस समिति का अंतिम पुनर्गठन 23 मार्च 2022 को सात सदस्यों के साथ किया गया था और इसकी अध्यक्षता गैर-कार्यकारी निदेशक द्वारा की जाती है। वर्ष 2021-22 में समिति की छः बैठकें हुईं।

आईटीएससी की आयोजिक बैठकों की तारीख एवं 2021-22 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 6

बैठकों की तारीख: 28.04.2021, 22.06.2021, 13.08.2021, 06.09.2021, 30.11.2021, 15.02.2022

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
डॉ. गणेश नटराजन, (समिति के अध्यक्ष)	06	06
श्री स्वामीनाथन जे, एमडी	06	06
श्री अश्विनी कुमार तिवारी, एमडी	06	06
श्री बी वेणुगोपाल	06	05
श्री केतन एस विकमसी (23.03.2022 से सदस्य)	00	00
श्री मृगांक एम. परांजपे	06	05
डॉ पुष्पेंद्र राय (05.02.2022 तक सदस्य)	05	04
श्री संजीव माहेश्वरी (07.12.2021 तक सदस्य)	05	02
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ (23.03.2022 से सदस्य)	00	00

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के तहत बैंक द्वारा आरंभ किए गए कार्यकलापों की समीक्षा के लिए अच्छे कॉरपोरेट अभिशासन के उपाय के रूप में 24 सितंबर 2014 को कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी) का गठन किया गया था। इस समिति का अंतिम पुनर्गठन 23 मार्च 2022 को किया गया था तथा इसमें सात सदस्य हैं। सबसे वरिष्ठ प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष होते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की पाँच बैठकें हुईं।

सीएसआरसी की आयोजिक बैठकों की तारीख एवं 2021-22 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 05

बैठकों की तारीख: 15.04.2021, 31.08.2021, 09.11.2021, 18.01.2022, 07.03.2022

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी, एमडी (समिति के अध्यक्ष)	05	05
श्री अश्वनी भाटिया, एमडी	05	05
श्री बी वेणुगोपाल (08.12.2021 से 22.03.2022 तक सदस्य नहीं)	03	02
डॉ. गणेश नटराजन	05	03
श्री केतन एस विकमसी	05	04
श्री मृगांक एम परांजपे	05	04
डॉ पुष्पेंद्र राय (05.02.2022 तक)	04	04
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ (23.03.2022 से)	00	00

बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 02 अगस्त 2019 के अपने मास्टर निर्देश एपीपीटी.संख्या 9/29.67.001 तथा भारत सरकार ने अपने पत्र फा.संख्या एफ 16/19/2019-बीओ-I दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से बैंक को एकल नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति गठित (एनआरसी) करने का निर्देश दिया है एवं तदनुसार 25 अक्तूबर 2019 को एकल एनआरसी गठित की गई।

समिति का अंतिम पुनर्गठन 23 मार्च 2022 को किया गया था। समिति में पांच सदस्य हैं जिनमें गैर कार्यकारी निदेशक शामिल हैं। यह समिति शेयरधारकों द्वारा निदेशकों के रूप में चुनाव के लिए नामांकन दाखिल उम्मीदवारों के 'फिट एवं उपयुक्त' होने की सावधानीपूर्वक जांच करती है। इसके अलावा, एनआरसी द्वारा अन्य बातों के साथ साथ बोर्ड स्तरीय समिति यों एवं निदेशकों सहित बोर्ड के निष्पादन के मूल्यांकन हेतु मानदंड फ्रेमवर्क तैयार करती है। समिति कम से कम वर्ष में एक बार बैठक करती है। वर्ष 2021-22 में समिति की एक बैठक हुई।

एनआरसी की आयोजिक बैठकों की तारीख एवं 2021-22 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

आयोजित बैठकों की संख्या: 1

बैठकों की तारीख: 28.01.2022

निदेशक का नाम	नामांकन/चुनाव के बाद/पदधारिता के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में सहभागिता की
श्री बी वेणुगोपाल (समिति के अध्यक्ष)	01	01
डॉ पुष्पेंद्र राय (05.02.2022 तक सदस्य)	01	01
श्री मृगांक एम परांजपे	01	01
डॉ. गणेश नटराजन	01	01
श्री केतन एस विकमसी (08.12.2021 से 22.03.2022 तक सदस्य नहीं)	00	00
श्री संजीव माहेश्वरी (23.03.2022 से सदस्य)	01	00

वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड समिति

भारत सरकार के सुझावों के अनुसार, केंद्रीय बोर्ड द्वारा ऋण और अग्रिमों की वसूली पर निगरानी के लिए 20 दिसंबर 2012 को हुई बैठक में वसूली की निगरानी के लिए एक बोर्ड समिति का गठन किया गया था। समिति का अंतिम पुनर्गठन 23 मार्च 2022 को किया गया था, जिसमें दस सदस्य हैं जिनमें अध्यक्ष, चार प्रबंध निदेशक एवं पांच गैर-कार्यकारी निदेशक सहित भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक भी शामिल हैं। समिति ने वर्ष भर में चार बैठकें कीं तथा बैंक के एनपीए प्रबंधन और बड़े एनपीए खातों की समीक्षा की।

इरादतन चूककर्ता / सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं की पहचान हेतु समीक्षा समिति

आरबीआई के निर्देशानुसार केंद्रीय बोर्ड ने समिति का गठन किया था। प्रबंध निदेशक (जोखिम, अनुपालन एवं एसएआरजी) इसके अध्यक्ष होते हैं तथा पाँच गैर-कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य होते हैं।

इस समिति की भूमिका इरादतन चूककर्ता/ सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं की पहचान करने के लिए गठित समिति (एक ऐसी समिति जिसमें बैंक के उप प्रबंध निदेशक एवं वरिष्ठ कार्यपालक होते हैं तथा जो इरादतन चूककर्ता/ सहयोग न करने वाले उधारकर्ताओं के बयान की पड़ताल एवं बयान दर्ज करती है) के आदेश की समीक्षा करके आदेश को अंतिम समझे जाने की पुष्टि करती है।

वर्ष 2021-22 में समिति की सात बैठकें हुईं।

स्थानीय बोर्ड

एसबीआई अधिनियम और सामान्य विनियम 1955 के प्रावधानों के संदर्भ में, प्रत्येक केंद्र में जहां बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय (एलएचओ) है, स्थानीय बोर्ड/समितियां कार्यरत होती हैं। स्थानीय बोर्ड द्वारा केंद्रीय बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है एवं अन्य कार्यों तथा दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। 31 मार्च 2022 तक, दो एलएचओ के स्थानीय बोर्ड एवं शेष पंद्रह एलएचओ के स्थानीय बोर्ड की समितियां कार्यशील थीं। स्थानीय बोर्ड/ समिति यों की बैठकों के कार्यविवरण और कार्यवाही को केंद्रीय बोर्ड के समक्ष रखा जाता है।

बैठक शुल्क

भारत सरकार द्वारा समय समय पर पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है। बोर्ड/समिति यों की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-कार्यकारी निदेशकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। बोर्ड और/या इसकी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-कार्यकारी निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा अन्य कोई भुगतान नहीं किया जाता है। 25 अक्तूबर 2019 से केंद्रीय बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए 70,000 रुपए और अन्य बोर्ड स्तर की बैठकों में भाग लेने के लिए 30,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान भुगतान की गई बैठक शुल्क का विवरण अनुलग्नक IV के रूप में संलग्न है।

बैंक की सदाचार संहिता का अनुपालन

बैंक के केंद्रीय बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के निदेशकों ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। अध्यक्ष द्वारा इस्ताक्षरित इस आशय की घोषणा अनुलग्नक-V के रूप में संलग्न है। आचार संहिता को बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है।

वर्ष के दौरान कार्यकलाप

1. वर्ष के दौरान निदेशकों के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई थी। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ संगठन संरचना, बैंक के विभिन्न व्यवसाय समूहों तथा अनुषंगियों व सहयोगी कंपनियों का संक्षिप्त परिचय, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा, मानव संसाधन और प्रशिक्षण आदि शामिल थे।

2. बोर्ड का निष्पादन मूल्यांकन : बोर्ड के अभिशासन में लगातार सुधार करने के उद्देश्य से, आपके बैंक ने एक प्रतिष्ठित बाहरी परामर्श संगठन को नियुक्त किया था, जिसने निदेशकों, अध्यक्ष, बोर्ड स्तर की समिति यों और केंद्रीय बोर्ड के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए मापदंडों को निर्धारित करने में सहायता की थी और समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में भी सहायता की थी। मूल्यांकन के मापदंडों और समग्र प्रक्रिया को बोर्ड मूल्यांकन, 2017 पर सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और नए सेबी मार्गदर्शन नोट के प्रावधानों के अनुरूप किया गया था। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया वर्ष के दौरान पूरी कर ली गई थी।

   मूल्यांकन प्रक्रिया ने बैंक के अभिशासन मूल्यों में निदेशक मंडल के विश्वास, निदेशक मंडल के बीच मौजूद तालमेल और अध्यक्ष, बोर्ड और प्रबंधन के बीच सहयोग को मान्य किया।

3. अभिशासन के संदर्भ में बैंक के बोर्ड के समक्ष निरंतर प्रस्तुत हो रही विभिन्न मांगों तथा अभिशासन एवं अर्थव्यवस्था में हमारे बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए तथा बोर्ड सदस्यों एवं बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन को बैंकिंग उद्योग की ताजातरीन घटनाओं से अवगत कराने एवं आगे की कार्यनीति बनाने हेतु दिनांक 03 से 05 जनवरी 2022 तक भुवनेश्वर में एक कार्यनीतिक कार्यशाला 'स्ट्रेटजी रीट्रीट-विज़न 2027' का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का सबसे प्रमुख उद्देश्य बोर्ड सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन को विघटनकारी प्रौद्योगिकी का सामना करने एवं कोविड के बाद की चुनौतियों का सामना करने हेतु कार्यनीति पर चर्चा करने की सुविधा देना था। इस उतार-चढ़ाव भरे समय में तथा उद्योग/अर्थव्यवस्था में उभरते हुए नए चलन तथा बैंक पर प्रभाव के परिदृश्य में, एक प्रभावी कार्यनीति बहुत ही महत्व रखती है जिससे बैंक अपनी स्थिति को बनाए रखते हुए अग्रणी स्थान पर बना रह सके।

   तदनुसार, विभिन्न विषयों पर गहन चिंतनशील सत्र आयोजित किए गए जैसे प्रभावी संगठन बनाने हेतु मानव संसाधन चुनौतियां तथा अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने हेतु समर्थन जुटाना एवं उत्कृष्ट मानव संसाधन प्रथाएं अपनाना, बैंक में प्रशिक्षण को नई दिशा देना, सुदृढ़ कॉरपोरेट असेट बुक बनाना, राजकोषीय मजबूती को बढ़ाना एवं आस्तियों से आय एवं लाभप्रदता पर ध्यान केंद्रित करते हुए तुलन पत्र का इष्टतम उपयोग करना, ग्रामीण व्यवसाय प्राप्त करने हेतु कृषि एवं संबद्ध व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कार्यनीति एवं रोडमैप, प्रौद्योगिकी/फिनटेक का अधिकतम उपयोग करते हुए एमएसएमई सेग्मेंट पर ध्यान देना एवं एमएसएमई व्यवसाय को बढ़ाने हेतु कार्यनीति एवं दिशा, बैंक में बैंकिंग प्रौद्योगिकी की उत्कृष्ट तकनीक एवं एनालिटिक्स को बढ़ावा देना तथा बैंक में एनालिटिक्स अपनाने का रोडमैप, डिजिटल स्पेस में उभरती चुनौतियों का कार्यनीतिक उपाय, बैंक में जोखिम एवं अनुपालन संस्कृति में सुधार करना एवं बढ़ावा देना, सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग फुटप्रिंट में बढ़ोतरी की कार्यनीति, अनुषंगियों द्वारा मूल्य सृजन एवं सतत वृद्धि हेतु ग्राहक केंद्रित होना जैसे विषयों पर कार्यशाला आयोजित की गई। बोर्ड ने कार्यशाला के दौरान कुछ कार्यनीतियां बनाईं एवं व्यवसाय वृद्धि एवं प्रमुख वित्तीय मापदंड हेतु लक्ष्य निर्धारित किए तथा प्रत्येक वैयक्तिक व्यवसाय समूह को निगरानी योग्य कार्ययोजना एवं विशिष्ट लक्ष्य बनाने थे। विस्तृत कार्ययोजना एवं विशिष्ट टाइमलाइन तथा उसके बाद विभिन्न कार्यनीतिक पहल के कार्यान्वयन की स्थिति दर्शाते हुए प्रगति रिपोर्ट को आवधिक रूप से निदेशकों को प्रस्तुत करना होगा जिससे प्रगति की समीक्षा की जा सके।

   कार्यनीतिक कार्यशाला के दौरान टाटा सन्स के अध्यक्ष श्री एन चंद्रशेखरन ने 'चुनौतियों के समय में बडे संगठनों को आगे ले जाना' विषय पर प्रतिभागियों को संबोधित किया एवं प्रतिभागियों ने इसका लाभ उठाया।

4. कार्यनीतिक एवं वित्तीय महत्व के मामलों पर बोर्ड सदस्यों को अवगत कराने तथा अभिशासन और अर्थव्यवस्था में हमारे बैंक द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के संदर्भ में बैंकों के बोर्ड में तेजी से रखी जा रही विभिन्न मांगों को देखते हुए वर्ष के दौरान बोर्ड सदस्यों के समक्ष कई प्रस्तुतियां की गईं। इसमें विशेष रूप से कोविड-19 महामारी का वैश्विक एवं भारतीय अर्थव्यवस्था पर, वित्तीय क्षेत्र में, बैंकिंग उद्योग पर तथा विशेष रूप से एसबीआई पर इसके प्रभाव के संबंध में विभिन्न उद्योग विशेषज्ञों एवं बैंक के अपने विभागों ने अपनी प्रस्तुतियां दीं। कुछ प्रमुख प्रस्तुतियों का विवरण निम्नानुसार है:

   क. दिनांक 22.09.2021 को बैंक की ईसीसीबी बैठक में भविष्य की तैयारी में जीआईटीसी की पुनर्कल्पना पर प्रस्तुति दी।

   ख. दिनांक 25.10.2021 को केंद्रीय बोर्ड बैठक में कॉन्टेक्ट सेंटर में सुधार पर प्रस्तुति दी।

   ग. दिनांक 11.01.2022 को ईसीसीबी बैठक में ग्रीन मोबिलिटी - भारत में इलेक्ट्रिक वाहन रेटिंग के संदर्भ में भविष्य के वाहन पर प्रस्तुति दी।

5. कॉरपोरेट अभिशासन, क्रेडिट डिलीवरी, सूचना सुरक्षा आदि के विषयों की बेहतर समझ एवं अद्यतन रखने तथा उभरती हुई प्रमुख चुनौतियों, पर विषय विशेषज्ञों के साथ चर्चा करने की परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए समय समय पर निदेशकों के लिए परस्पर संवाद कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। पेशेवर निकायों जैसे आईडीआरबीटी/सीएएफआरएएल (आरबीआई द्वारा प्रायोजित)/ भारत सरकार द्वारा आयोजित सेमीनार/बैठकों में निदेशकों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, आरबीआई पुणे द्वारा 10.06.2021 को आयोजित वाणिज्यिक बैंकों हेतु कॉरपोरेट अभिशासन पर आयोजित कार्यक्रम में चार गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रतिनियुक्त किया गया, जबकि दो गैर-कार्यपालक ने 20.07.2021 को आयोजित ऐसे ही एक कार्यक्रम में सहभागिता की। बैंक द्वारा 22 सितंबर 2021 को बोर्ड सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन हेतु एक परिचर्चा का आयोजन किया गया जिसमें श्री एम. दामोदरन, पूर्व सेबी अध्यक्ष को आमंत्रित किया गया था। आईडीआरबीटी द्वारा 3 एवं 4 जून 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी साइबर सुरक्षा पर आयोजित कार्यक्रम में

एक कार्यपालक निदेशक ने सहभागिता की। कार्यक्रम का उद्देश्य बैंक की साइबर सुरक्षा कार्यनीति की योजना बनाने एवं कार्यान्वित करने में प्रबंधन का योगदान प्राप्त करना था। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रबंधन को बैंक की साइबर सुरक्षा कार्यनीति की योजना बनाने और निष्पादन में प्रभावी योगदान करने में सक्षम बनाना था।

कॉरपोरेट अभिशासन, जोखिम प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, लेखा परीक्षा आदि महत्वपूर्ण विषयों पर आयोजित बोर्ड बैठकों में अक्सर बाहरी विशेषज्ञों के सहयोग से प्रस्तुति दी जाती है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों को दिए गए वेतन एवं भत्ते (रुपए)

नाम	मूल वेतन	डीए	अन्य	कुल	टिप्पणी	अवधि
दिनेश कुमार खारा	2700000.00	742500.00		3442500.00		01.04.2021 से 31.03.2022
चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी	2558100.00	704139.00		3262239.00		01.04.2021 से 31.03.2022
अश्वनी भाटिया	2520600.00	695118.00		3215718.00		01.04.2021 से 31.03.2022
स्वामीनाथन जानकीरमन	2483400.00	683586.00	7150.00	3174136.00	भारत सरकार के पत्र दिनांक 10.06.2021 के अनुसार 28.01.2021 से 27.01.2022 तक 7150.00 रुपए का व्यक्तिगत भत्ता अदा किया गया	01.04.2021 से 31.03.2022
अश्विनी कुमार तिवारी	2483400.00	683586.00		3166986.00		01.04.2021 से 31.03.2022

वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थिति

बैंक की वार्षिक आमसभा आमतौर पर मुंबई में आयोजित की जाती है, जहाँ बैंक का कॉरपोरेट केंद्र स्थित है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अनुसार केवल एक कार्यसूची अर्थात पिछले 31 मार्च तक तैयार किए गए तुलन पत्र एवं लाभ-हानि खाते पर चर्चा करना और उसे अपनाना होता है। साथ ही निदेशक रिपोर्ट एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट वार्षिक महासभा में शेयरधारकों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 एवं भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 में पोस्टल बैलेट सुविधा का प्रावधान नहीं है।

बैंक की पिछली तीन वार्षिक महासभाओं का विवरण निम्नानुसार है-

i. वर्ष 2021-22 की वार्षिक आमसभा (एजीएम) का आयोजन 25 जून 2021 को दोपहर 3 बजे मुंबई में वीसी/ओएवीएम द्वारा किया गया तथा एमसीए एवं सेबी द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण दी गई छूट के अनुसार शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की गई। निम्नलिखित निदेशक बैठक में उपस्थित रहे- (i) श्री दिनेश कुमार खारा (ii) श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी (iii) श्री अश्वनी भाटिया (iv) श्री स्वामीनाथनजानकीरमन (v) श्री अश्विनी कुमार तिवारी (vii) डॉ. गणेश नटराजन (viii) डॉ. पुष्पेंद्र राय (ix) श्री संजीव माहेश्वरी (x) श्री अनिल कुमार शर्मा

ii. वर्ष 2019-20 की वार्षिक आमसभा (एजीएम) का आयोजन 14 जुलाई 2020 को प्रातः 11 बजे मुंबई में वीसी/ओएवीएम द्वारा किया गया तथा एमसीए एवं सेबी द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण दी गई छूट के अनुसार शेयरधारकों को ई-वोटिंग सुविधा प्रदान की गई।

iii. वर्ष 2018-19 की वार्षिक आमसभा का आयोजन 20 जून 2019 को दोपहर 3 बजे मुंबई में किया गया।

प्रकटीकरण

1. बैंक ने अपने प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनकी सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों आदि के साथ कोई भी ऐसा भौतिक रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं किया है, जो कि बड़े स्तर पर बैंक के हितों के साथ संभावित विवाद का कारण बने।

2. बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान शेयर बाजार, सेबी, आरबीआई या पूंजी बाज़ारों से संबंधित किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लागू नियमों और विनियमों का हमेशा पालन किया है। उनके द्वारा आरबीआई की सेक्रेटरियल लेखा परीक्षा रिपोर्ट में प्रकट जुर्माने के अलावा बैंक पर कोई दंड या जुर्माना नहीं लगाया गया है।

3. जनहित प्रकटीकरण एवं मुखबिर की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) पर भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 04.11.2011 के अनुसार हमारे बैंक में व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी लागू है। उक्त पॉलिसी की समय समय पर समीक्षा की जाती है। सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार बैंक की आचार संहिता या सदाचार संहिता के उल्लंघन या धोखाघड़ी पर प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए 'व्हिसल ब्लोअर' पॉलिसी होनी चाहिए। इस पॉलिसी को बैंक वेबसाइट www.sbi.co.in पर उपलब्ध कराया गया है। उक्त पॉलिसी के अनुसार किसी भी व्यक्ति को लेखा परीक्षा समिति के पास जाने का निषेध नहीं है।

4. संबंधित पार्टी लेनदेन के महत्व पर नीति तथा 'महत्वपूर्ण' सब्सिडियरी के निर्धारण की नीति बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in या bank.sbi पर https://bank.sbi/web/investor-relations/disclosure-under-regulation-46/ लिंक के तहत उपलब्ध है।

5. सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25(9) के अनुसार केंद्रीय बोर्ड ने 22.04.2021 एवं 12.01.2022 को आयोजित बैठक में सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 25(8) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों से प्राप्त घोषणा एवं पुष्टि को रिकॉर्ड में दर्ज किया है। साथ ही यह भी दर्ज किया है कि सभी स्वतंत्र निदेशक सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 16(1)(बी) के अंतर्गत सभी निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं तथा प्रबंधन से पूरी तरह अलग हैं।

6. सेबी (एलओडीआर), विनियम की अनुसूची ।। के भाग ई में निर्दिष्ट विवेकाधीन आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं : (i) बैंक में एक कार्यपालक अध्यक्ष होता है जिसे एसबीआई अधिनियम, 1955 की धारा

19(ए) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। (ii) बैंक द्वारा प्रत्येक तिमाही में अपने निवेशकों/विश्लेषकों हेतु वित्तीय निष्पादन प्रस्तुत किया जाता है तथा उसकी एक प्रति निवेशक सूचना हेतु स्टॉक एक्सचेंज में जमा की जाती है तथा बैंक की अधिकृत वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहती है। (iii) बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज में इस आशय की घोषणा दी हुई है कि बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय परिणाम (एकल एवं समेकित) बिना किसी संशोधित मत के जारी किए हैं। (iv) बैंक में एक अलग आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है जो आवधिक रूप से अपनी रिपोर्ट सीधे ही बैंक की लेखा परीक्षा समिति को प्रस्तुत करता है।

7. बैंक ने विनियम 17 से 27 एवं विनियम 46(2) के खंड (ख) से (झ) तक एवं अनुसूची V के पैरा सी , डी एवं ई में निर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन आवश्यकताओं का पालन उस सीमा तक किया है कि खंड की आवश्यकताएं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों या दिशानिर्देशों तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम का उल्लंघन नहीं करती हैं।

8. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक की प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग से स्थगित नहीं किया गया।

संचार का माध्यम

बैंक का दृढ़ विश्वास है कि सभी हितधारकों को हमारे कार्यकलापों और उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी तक पहुंच होनी चाहिए। वर्ष 2021-22 के बैंक के वार्षिक, छमाही और तिमाही परिणाम देश के अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए। परिणाम बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in या bank.sbi पर भी प्रदर्शित हुए। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की सॉफ्ट प्रतियां उन सभी शेयरधारकों को भेजी जाती हैं जिन्होंने अपना ई-मेल पता बैंक के साथ या डिपॉजिटरियों के साथ पंजीकृत किया है और वार्षिक रिपोर्ट जो इसका अनुरोध करते हैं, को भेजी जाती हैं। की भौतिक प्रतियां अन्य शेयरधारकों, बैंक की वेबसाइट पर बैंक के कार्यालयीन समाचारों के साथ-साथ बैंक की वार्षिक रिपोर्ट, छमाही और तिमाही परिणाम तथा बैंक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न उत्पादों को भी प्रदर्शित किया जाता है। प्रत्येक वर्ष वार्षिक और छमाही परिणामों की घोषणा के बाद उसी दिन पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा अपनी प्रस्तुति दी जाती है एवं मीडिया के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। इसके बाद एक अन्य बैठक रखी जाती है जिसमें कई निवेश विश्लेषकों/निवेशकों को आमंत्रित किया जाता है। इस बैठक में बैंक के निष्पादन पर विश्लेषकों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। तिमाही परिणामों की घोषणा के बाद प्रेस अधिसूचना जारी की जाती है तथा उसकी एक प्रति स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत की जाती है जिसके साथ निवेशकों/विश्लेषकों हेतु बैंक निष्पादन पर तैयार की गई प्रस्तुतीकरण की प्रति भी होती है।

साधारण शेयरधारक सूचना

शेयरधारकों की वार्षिक साधारण बैठक	:	दिनांक : 22.06.2022, समय दोपहर 3 बजे स्थान : स्टेट बैंक ऑडिटोरियम स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021 तथा वीसी/एओवीएम के माध्यम से।
वित्तीय कैलेण्डर	:	01.04.2021 से 31.03.2022
डिविडेंड भुगतान तिथि	:	10.06.2022
स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग	:	बीएसई लिमिटेड, मुंबई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज (एलएसई), सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बांड) पर सूचीबद्ध जीडीआरएस। एलएसई सहित सभी स्टॉक एक्सचेंजों को सूचीकरण फीस का भुगतान किया गया है।
स्टॉक कोड/सीयूएसआईपी	:	स्टॉक कोड 500112 (बीएसई), SBIN (NSE), CUSIP US 856552203 (LSE)
शेयर ट्रांसफर सिस्टम	:	सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के अनुसार 01 अप्रैल 2019 से प्रतिभूतियों का अंतरण केवल डिमैट रूप में किया जाएगा। साथ ही शेयर अंतरण के स्थान पर सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार आरटीए द्वारा पुष्टि पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें अंतरित शेयरों के सभी विवरण होंगे। तिमाही शेयर ट्रांसफर लेखा परीक्षा और शेयर कैपिटल लेखा परीक्षा का सामंजस्य नियमित रूप से एक स्वतंत्र कंपनी सेक्रेटरी द्वारा किया जाता है।
रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (वर्तमान)	:	मेसर्स अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड
यूनिट का पता	:	205-208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, E/7, झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055
फोन नंबर	:	011-42541234, 7290071335
ईमेल पता	:	sbi.igr@alankit.com
पत्राचार का पता	:	एसबीआई, शेयर्स एंड बॉण्ड्स विभाग, कॉरपोरेट केंद्र, 14वां तल, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, नरीमन प्वाइंट, मुंबई - 400 021.
टेलीफोन नंबर	:	(022) 2274 0841 to 2274 0848
फैक्स	:	(022) 2285 5348
ईमेल पता	:	investor.complaints@sbi.co.in / dgm.snb@sbi.co.in
पूरे संपर्क विवरण के साथ डिबेंचर ट्रस्टियों का नाम (रु में जारी केपिटल इंस्ट्रूमेंट्स)	:	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड, एशियन बिल्डिंग, भूतल, 17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट, मुंबई -400 001 फोन नंबर - 91-22-4080 7006 फैक्स नंबर : 91-22-6631 1776

ई-पहल: दिनांक 12 मई 2020 के सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79, बाद के दिनांक 15 जनवरी 2021 के सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 तथा 13 मई 2022 के सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 के अनुसार एलओडीआर के विनियम 36(1)(ख) एवं विनियम 58(1)(ख) और (ग) की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया जाएगा तथा इसलिए वार्षिक रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रिक मोड के माध्यम से उनके पंजीकृत मेल पर भेज दी जाएगी। इसके अलावा वार्षिक रिपोर्ट हमारी वेबसाइट https://bank.sbi/ web/investor-relations/annual-report से भी डाउनलोड की जा सकती है।

निवेशकों के लिए

निवेशकों की धारिता संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक में मुंबई में शेयर एंड बॉण्ड्स नाम से एक पूरा विभाग कार्यरत है। निवेशकों की शिकायतें, चाहे सीधे प्राप्त हुई हों या रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट के द्वारा, उन्हें तत्काल निपटाया जाता है एवं शीर्ष प्रबंधन स्तर पर इसकी निगरानी की जाती है।

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के विनियम 44(6) के अनुसार बैंक वार्षिक महासभा की कार्यवाही को एकतरफा सीधे वेबकास्ट किया जाता है। वेबकास्ट की सुविधा 22.06.2022 को दोपहर 2.30 बजे से उपलब्ध होगी तथा शेयरधारक कोविड 19 महामारी के कारण, सामाजिक दूरी का पालन करने एवं व्यक्ति के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के प्रतिबंधों के कारण इसे https://evoting.kfintech.com या https://bank. sbi द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। इसलिए बैंक ने वीसी/ओएसीएम द्वारा वार्षिक महासभा के आयोजन का निर्णय लिया है तथा शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान पूंजी वृद्धि

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोई इक्विटी कैपिटल नहीं बढ़ाई गई।

बकाया वैश्विक डिपॉजिटरी रसीदें (जीडीआर)

1996 में जीडीआर जारी करने के समय सरकार/आरबीआई द्वारा दो तरह की फंगबिलिटी की अनुमति नहीं दी गई थी, अर्थात जीडीआर धारक ने भारतीय कंपनी के अंतर्निहित इक्विटी शेयर प्राप्त करने की इच्छा जताई तो ऐसे जीडीआर को भारतीय कंपनी के शेयरों में परिवर्तित किया जाना था, लेकिन इसके विपरीत नहीं। बाद में, भारत सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एडीआर/जीडीआर की दो तरह की फंगिबिलिटी की अनुमति दी गई। बैंक ने बैंक के जीडीआर कार्यक्रम में दो तरह के फंगिबिलिटी की अनुमति दी है।

बैंक के पास 31 मार्च 2022 तक 10,360,574 जीडीआर थे जो 103,605,740 इक्विटी शेयर का प्रतिनिधित्व करते हैं।

दावारहित शेयर

शेयरधारकों की श्रेणी	शेयरधारकों की संख्या	बकाया शेयर
वर्ष के आरंभ में दावारहित उचंती खाते में पड़े बकाया शेयरों एवं शेयरधारकों की संख्या	981	2,36,860
जोड़ें - वर्ष के आरंभ में दावारहित उचंती खाते में पड़े बकाया शेयरों एवं पूर्व के एसबीबीजे शेयरधारकों की संख्या	141	16,842
योग	1,122	2,53,702
वर्ष के दौरान दावारहित उचंती खाते से शेयर अंतरण के लिए जारीकर्ता से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	8	2056
वर्ष के दौरान दावारहित उचंती खाते से जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए उनकी संख्या	8	2056
वर्ष के अंत में उचंती खाते में पड़े दावारहित बकाया शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	1,114	2,51,646

इन दावारहित शेयरों के वोटिंग अधिकार पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि इन शेयरों के वास्तविक स्वामी दावा प्रस्तुत नहीं कर देते।

लाभांश वितरण नीति

बैंक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित लाभांश वितरण नीति लागू है। इस नीति का विवरण बैंक की वेबसाइट में “Codes & Policies” टैब के तहत https://sbi.co.in/web/investor-relations/disclosure-underregulation-46 के अंतर्गत उपलब्ध है।

वित्त वर्ष 2021-22 में डेरिवेटिव लेनदेन पर गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक, इस समय, ब्याज दर एवं मुद्रा जोखिम से बचाव के लिए ओवर द काउंटर (टोटीसी) डेरिवेटिव्स में सौदे करता है। बैंक द्वारा एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर फ्यूचर्स, करेंसी फ्यूचर्स एवं करेंसी ऑप्शन्स का सौदा भी किया जाता है।

बैंक द्वारा रुपया ब्याज दर अदला-बदली (ओआईएस), विदेशी मुद्रा ब्याज दर अदला-बदली (आईआरएस), फॉरवर्ड रेट करार (एफआरए), कैप्स, फ्लोर्स एवं कॉलर्स के ब्याज दर डेरिवेटिव्स का काम किया जाता है। बैंक द्वारा किए जाने वाले करेंसी डेरिवेटिव्स व्यवसाय में मुद्रा अदला-बदली (सीआईआरएस/सीसीएस), यूएसडी/भारतीय रूपया ऑपशन्स एवं क्रॉस-करेंसी ऑपशन्स शामिल हैं। बैंक द्वारा आरबीआई की स्वीकृति के अनुरूप एनडीओ एवं एलडीएफ ट्रेड भी किया जाता है।

बैंक ग्राहकों को ये उत्पाद उनके निवेश की बचाव व्यवस्था के लिए दिए जाते हैं। इनका उपयोग बैंक बैलेंस शीट जोखिम को कम करने के लिए भी किया जाता है। जहां कहीं भी अवसर मिलता है वहां पर चुनिंदा तरीके से निर्धारित जोखिम सीमा में ट्रेडिंग/आर्बिटरेज कार्य भी किया जाता है।

बैंक द्वारा यूएसडी/आईएनआर ऑपशन बुक कार्य किया जाता है तथा प्रभावी रूप से ग्रीक लिमिट का प्रबंधन भी किया जाता है। बैंक द्वारा यूएसडी/आईएनआर स्वैप कीमत बनाने के लिए एमआईएफओआर बुक का भी उपयोग किया जाता है।

डेरिवेटिव लेनदेन में बाज़ार जोखिम होता है अर्थात, ब्याज दरों एवं/या विनिमय दरों के प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से बैंक को होने वाली संभावित हानि। डेरिवेटिव स्थिति में ऋण जोखिम भी निहित होता है अर्थात अगर प्रति-पक्षकार अपना दायित्व पूरा नहीं कर पाते हैं तो बैंक को होने वाली संभावित हानि। बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की 'डेरिवेटिव्स नीति' में जोखिम से निपटने के उपाय का उल्लेख किया गया है। नीति में बाज़ार जोखिम मानदंडों (ग्रीक लिमिट्स, हानि की सीमा, कट-लॉस ट्रिगर्स, ओपन पोजीशन लिमिट्स, वीएआर, संशोधित अवधि, पीवी01 आदि) का स्पष्ट उल्लेख किया गया है तथा उनका सख्ती से पालन किया जाता है। ऋण जोखिम नियंत्रित करने के लिए नीति में ग्राहक/प्रति-पक्षकार पात्रता (क्रेडिट रेटिंग, संबंध की अवधि, सीईएल सीमा की उपलब्धता, ग्राहक उपयुक्तता एवं अनुकूलता (सीएएस) परीक्षण आदि) नियत की गई है जिसका सख्ती से अनुपालन किया जाता है। दायित्वों को पूरा करने की उनकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्षकारों (काउंटरपार्टी) के लिए उपयुक्त सीमाएं निर्धारित

की जाती हैं। बैंक द्वारा कारपारेट एवं अंतर-बैंक दोनों डेरिवेटिव प्रतिपक्षकारों के साथ आईएसडीए करार निष्पादित किया जाता है।

प्रत्येक अंतर-बैंक प्रतिपक्षकार (काउंटरपार्टी) के लिए, जोखिम वर्टिकल द्वारा प्रतिपक्षकार निवेश सीमा नियत की जाती है। बैंक ने कुछ प्रतिपक्षकारों के साथ आईएसडीए मास्टर करार के अंतर्गत सीएसए निष्पादित किया है। सीएसए की शर्तों के अनुसार, 'बाज़ार भाव के भीतर' डेरिवेटिव स्थिति से उभरे ऋण जोखिम को सीमित करने के लिए कोलाटरल को स्वैप काउंटरपार्टियों के साथ अंतरित या पोस्ट किया जाता है।

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) द्वारा इन जोखिमों का प्रभावी प्रबंधन किया जाता है। बैंक के बाज़ार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) द्वारा डेरिवेटिव लेनदेन से जुड़े बाज़ार जोखिम की पहचान की जाती है, उपाय किया जाता है एवं निगरानी की जाती है। एमआरएमडी द्वारा इन जोखिमों के नियंत्रण एवं प्रबंधन में एएलसीओ की सहायता करता है तथा नियमित अंतराल पर पॉलिसी के दिशानिर्देशों के अनुपालन की रिपोर्ट बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को प्रस्तुत की जाती है।

डेरिवेटिव्स की एकाउंटिंग नीति को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार बनाया गया है, जिसका विवरण अनुसूची 17 : प्रमुख लेखा नीति (पीएपी) के तहत दिया गया है।

सेबी (एलओडीआर) (संशोधन) विनियम 2018 (सूचीकरण विनियम) के अंतर्गत प्रकटीकरण

1. बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने अपनी दिनांक 23.03.2022 को आयोजित बैठक में सेबी (एलओडीआर) में संशोधन के अनुरूप विभिन्न बोर्ड स्तर की समिति यों जैसे लेखा परीक्षा, हितधारकों के संबंध, जोखिम प्रबंधन तथा नामांकन एवं मानदेय समिति के संदर्भ/भूमिका/पुनर्गठन की शर्तों की समीक्षा की एवं अनुमोदित किया।

2. सूचीकरण विनियमों के विनियम 24ए के संदर्भ में 31.03.2022 को समाप्त वित्त वर्ष की एक सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट में संलग्न है।

3. सभी ऋण लिखतों हेतु प्राप्त क्रेडिट रेटिंग में कोई संशोधन नहीं है।

4. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने अधिमानी आबंटन (प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट) या पात्र संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से पूंजी नहीं जुटाई है। इसलिए, जुटाई गई निधियों के उपयोग में विचलन/अंतर का निरंक विवरण सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 32 (1) के अधीन स्टॉक बाज़ारों में प्रस्तुत किया जाएगा।

5. बैंक ने सूचीकरण विनियम के विनियम 34 और अनुसूची V के तहत प्रमाण पत्र प्राप्त किया है और बैंक के किसी भी निदेशक को किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा नियुक्ति से प्रतिबंधित या अयोग्य नहीं घोषित किया है। (प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न है)।

6. स्वतंत्र निदेशकों को प्रदान किए गए परिचय कार्यक्रमों के विवरण बैंक की वेबसाइट पर वेब लिंक https://sbi.co.in/portal/ web/corporate-governance/regulatory-disclosures पर "विनियामक प्रकटीकरण" टैब के अंतर्गत प्रकट किया गया है।

7. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान वर्तमान सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) को अनुसूची V के पैरा सी, सूचीकरण विनियम के खंड 10(के) के अनुसार भुगतान की गई कुल राशि 3,40,48,323.00 रुपए है।

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव

शेयर कीमत में उतार-चढ़ाव बीएसई सेंसेक्स, एनएसई निफ्टी को निम्नलिखित तालिकाओं में दिया गया है।

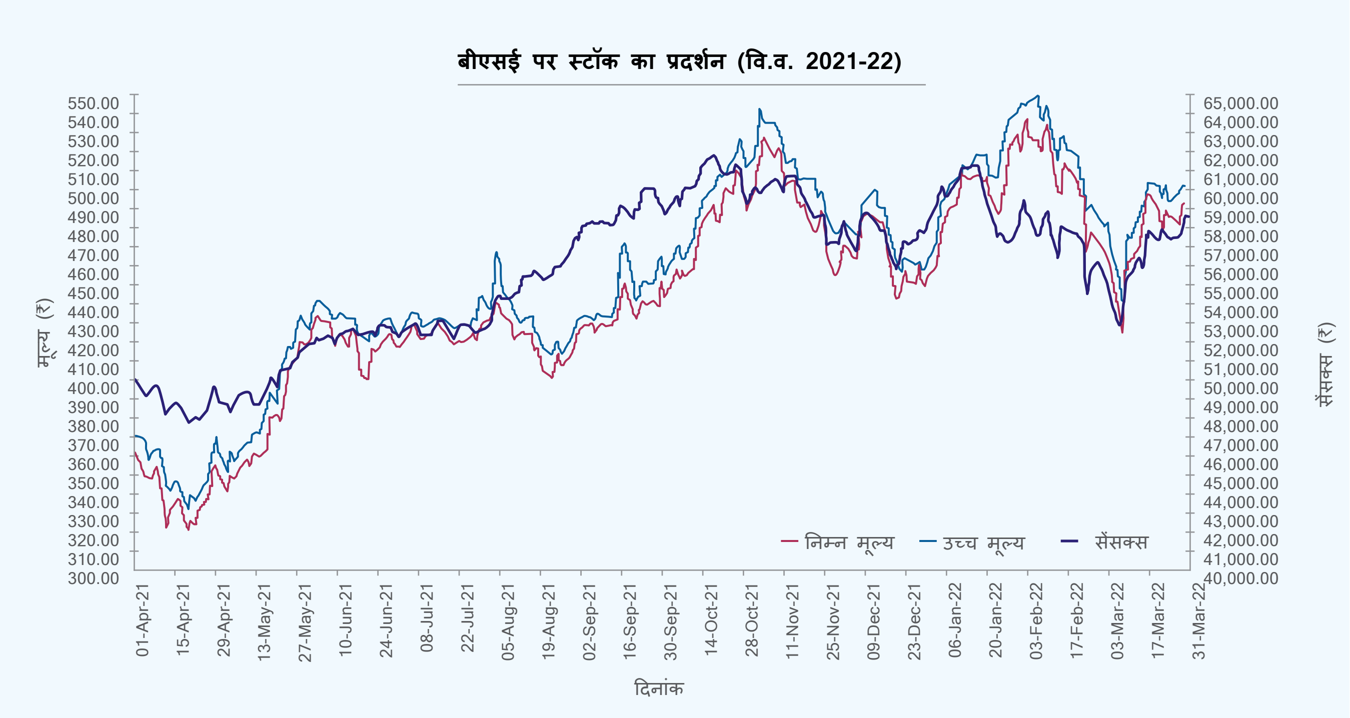

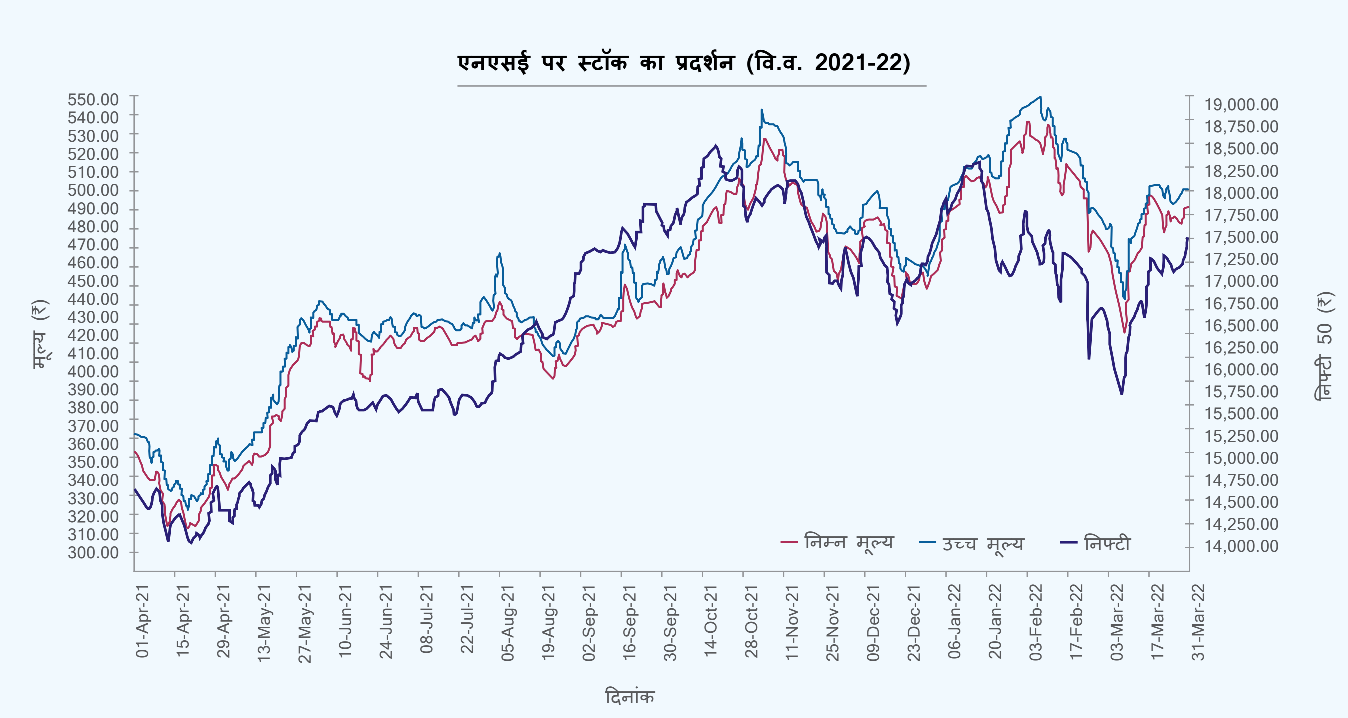

बाज़ार मूल्य आंकड़े

माह	बीएसई (₹)		एनएसई (₹)		एलएसई (जीडीआर) US$	
	उच्चतम	न्यूनतम	उच्चतम	न्यूनतम	उच्चतम	न्यूनतम
अप्रैल-21	370.55	328.80	370.65	328.85	50.40	43.25
मई-21	425.30	350.45	425.20	350.60	58.40	46.75
जून-21	439.65	412.80	439.65	412.90	59.70	55.40
जुलाई-21	441.75	420.40	441.55	420.40	60.00	56.30
अगस्त-21	457.05	406.95	456.95	406.70	61.50	54.90
सितंबर-21	463.65	428.95	463.70	429.10	63.80	58.40
अक्तूबर-21	519.15	451.75	519.15	451.65	70.00	60.80
नवंबर-21	530.45	460.60	530.45	460.55	71.10	60.80
दिसंबर-21	494.70	445.85	494.70	446.00	64.60	59.20
जनवरी-22	538.35	470.85	538.30	470.80	72.00	62.79
फरवरी-22	540.45	472.65	540.55	472.65	72.10	61.30
मार्च-22	501.75	440.20	501.90	440.30	66.30	56.70

नोट : उच्चतम एवं न्यूनतम मूल्य को शेयर के बंद भाव (क्लोसिंग प्राइस) से लिया गया है।
31.03.2022 को बुक मूल्य प्रति शेयर रुपए 269.48

31 मार्च 2022 को शेयरधारिता का विवरण

क्रम	विवरण	कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	56.92
2	अनिवासी (एफआईआई/ओसीबी/एनआरआई/सीडीआर)	11.31
3	म्यूचुअल फंड एवं यूटीआई	13.32
4	निजी कॉरपोरेट निकाय	0.79
5	बैंक/वित्तीय संस्थाएं/बीमा कंपनी आदि	11.21
6	अन्य (निवासी व्यक्तियों सहित)	6.45
योग		100.00

31 मार्च 2022 को 10 शीर्ष शेयरधारक

क्रम	नाम	कुल शेयरों का %
1	भारत के राष्ट्रपति	56.92
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	8.31
3	एसबीआई-ईटीएफ सेंसेक्स	2.58
4	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड - खाता एचडीएफसी टॉप 100 फंड	2.36
5	प्रुडेंशियल आईसीआईसीआई ट्रस्ट लिमिटेड - सेंसेक्स प्रुडेंशियल आईसीआईसीआई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड - सेक्यूरिटीज़	1.27
6	द बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन	1.16
7	निप्पन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड - खाता निप्पन इंडिया विज़न फंड	1.04
8	एनपीएस ट्रस्ट - खाता एचडीएफसी पेंशन मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड स्कीम टैक्स सेवर-टियर 2	1.02
9	कोटक टैक्स सेवर स्कीम	1.00
10	मिराई असेट टैक्स सेवर फंड	0.81

शेयरों को डीमैट करना एवं तरलता (लिक्विडिटी) : बैंक के इक्विटी शेयर की ट्रेडिंग अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की जाती है। 31 मार्च 2022 को कुल इक्विटी पूंजी के 99.23% अर्थात 8,85,56,52,242 शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में थे।

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयर %
एनएसडीएल	17,27,343	3,49,10,46,529	39.12
सीडीएसएल	12,12,970	5,36,46,05,713	60.11
भौतिक	42,059	6,89,59,292	0.77
कुल	**29,82,372**	**8,92,46,11,534**	**100.00**

31 मार्च 2022 को वितरण शेड्यूल (प्रत्येक 1 रुपए के अंकित मूल्य के)

शेयरों की श्रृंखला संख्या	कुल धारक	कुल धारकों का %	कुल धारिता ₹ में	कुल पूंजी का %
1-5000	29,72,369	99.66	48,77,60,990	5.47
5001-10000	5,106	0.17	3,77,07,698	0.42
10001-20000	2,122	0.07	3,07,01,620	0.34
20001-30000	664	0.02	1,69,74,084	0.19
30001-40000	259	0.01	94,00,741	0.11
40001-50000	187	0.01	88,64,240	0.10
50001-100000	450	0.02	3,40,45,312	0.38
100001- से ऊपर	1,215	0.04	8,29,91,56,849	92.99
कुल	**29,82,372**	**100.00**	**8,92,46,11,534**	**100.00**

अनुलग्नक I

31 मार्च 2022 को बोर्ड के गैर-कार्यकारी निदेशकों के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

श्री बी वेणुगोपाल

1959 में जन्मे श्री बी वेणुगोपाल को 26 जून 2020 से 25 जून 2023 तक की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(सी) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक नियुक्त किया गया है। आप भारतीय जीवन बीमा निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक हैं जिन्हें एलआईसी का 36 वर्षों का लंबा अनुभव है तथा उन्हें पूर्व के स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का भी 2 वर्षों का अनुभव है। केरल विश्वविद्यालय से कॉमर्स एंड कॉस्ट एकाउंटेंसी में स्नातक श्री वेणुगोपाल ने राष्ट्रीय बीमा अकादमी - पुणे, आईआईएम - अहमदाबाद एवं कोलकाता तथा आईएसबी से व्यवसाय कार्यनीति, परियोजना प्रबंधन, वित्त, विपणन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि में गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया है। साथ ही आपने आईएसबी-हैदराबाद, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मनीला एवं एफएएलआईए - जापान से भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एलआईसी के अपने कैरियर में आपने विपणन, प्रशासन एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहित संस्था के लगभग सभी क्षेत्रों में कार्य किया है। अन्य बातों के साथ आपने कार्यपालक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी), मुख्य (आईटी/बीपीआर), क्षेत्रीय प्रबंधक (ईएंडओएस), चेन्नई तथा मदुरै एवं कोयंबतूर प्रभागों के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के रूप में भी कार्य किया।

प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी संभालने से पहले आप एलआईसी के 8 अंचलों में से सबसे बड़े पश्चिम अंचल के अंचल प्रबंधक भी रहे जिसमें गोवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य आते हैं तथा एलआईसी की कुल प्रीमियम आय में इस अंचल का 25% योगदान रहता है। चूंकि एलआईसी अपने सभी सॉफ्टवेयर स्वयं विकसित करता है एवं उनका अनुरक्षण भी करता है, श्री वेणुगोपाल ने सूचना प्रौद्योगिकी का गहन अनुभव प्राप्त किया तथा इसके लिए वह आरंभ में प्रोग्रामर एवं सिस्टम एनालिस्ट रहे तथा बाद में सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख के रूप में 7 वर्षों तक कार्य किया। वह एलआईसी की उस टीम के प्रमुख रहे जिसने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण एवं एतिहासिक पहल आरंभ की जिसमें से कुछ प्रमुख हैं - एलआईसी कोर बिजनेस सॉल्यूशन (1995-97), एलआईसी की सर्वप्रथम मेट्रो एरिया नेटवर्किंग एवं आईवीआर सिस्टम्स (1998), कॉरपोरेट एक्टिव डाटा वेयरहाउस (2005), ऑनलाइन प्रीमियम कलेक्शन (2006), इंटाप्राइज़ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स (2007) एवं ऑनलाइन अंडरराइटिंग इंजिन एवं पॉलिसी की ऑनलाइन बिक्री (2012) आदि का गठन करना। सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख के अपने कार्यकाल के दौरान एलआईसी को भारत की सभी बीमा कंपनियों के बीच एक से अधिक बार बेस्ट यूज़र ऑफ आईटी का नासकॉम अवार्ड भी प्राप्त हुआ। वर्ष 2009 से श्री वेणुगोपाल ने भारत में विदेश के कई संस्थानों के निदेशक बोर्ड में एलआईसी का प्रतिनिधित्व किया है। वह भारतीय बीमा संस्थान एवं राष्ट्रीय बीमा अकादमी के गवर्निंग बोर्ड में भारतीय जीवन बीमा निगम भविष्य निधि एवं भारतीय जीवन बीमा निगम गोल्डन जुबिली फाउंडेशन के ट्रस्टी के रूप में शामिल रहे। वर्तमान में वह भारतीय स्टेट बैंक एवं नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्यरत हैं।

डॉ. गणेश नटराजन

डॉ. गणेश नटराजन को 26 जून 2020 से 25 जून 2023 तक की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(सी) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक नियुक्त किया गया है। डॉ. नटराजन 5F वर्ल्ड के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल स्किल्स एवं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का वैश्विक सलाहकार है। आप पुणे सिटी कनेक्ट एवं सोशल वेंचर्स भागीदार्स इंडिया के भी अध्यक्ष हैं। आपको एनआईटीआईई एवं आईआईटी बॉम्बे का प्रतिष्ठित एल्यूमनस अवार्ड भी मिल चुका है। उनके किए गए कार्यों पर 2 केस स्टडी लिखी गई हैं एवं उन्हें आईसीबी, आईआईएम बेंगलूरु एवं हावर्ड बिज़नेस स्कूल में पढ़ाया भी जाता है।

सीए श्री केतन एस. विकमसी

श्री केतन विकमसी को 26 जून 2020 से 25 जून 2023 तक की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(सी) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक नियुक्त किया गया है। श्री विकमसी, 1936 में स्थापित फर्म खीमजी कुंवरजी एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स के वरिष्ठ भागीदार हैं। आपके पास आईसीएआई द्वारा जारी आईएफआरएस का प्रमाणीकरण भी है; आईसीएआई का डिप्लोमा इन इंफॉरमेशन सिस्टम लेखा परीक्षा एवं आईडीआरबीटी, हैदराबाद द्वारा बोर्ड सदस्यों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा का प्रमाणीकरण भी है।

आपको बड़े बैंकों, निर्माण इकाईयों, निवेश बैंकों, बीमा कंपनियों एवं म्यूचुअल फंड के लेखापरीक्षण का 30 वर्ष का लंबा एवं गहन अनुभव है। आप आईसीएआई की विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों, उसकी शाखाओं एवं स्टडी सर्किल, आरबीआई, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) एवं विभिन्न अन्य संस्थानों द्वारा आयोजित विभिन्न सेमीनार, बैठकों, लेक्चर आदि में प्रमुख वक्ता/अध्यक्षता कर चुके हैं। आप विपासना रिसर्च इंस्टीट्यूट, इगतपुरी एवं मुंबई में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले हॉस्टल- श्री वी एल विद्यार्थीगृह एनजीओ के ट्रस्टी हैं। आप जंगलीजीव एवं प्रकृति प्रेमी हैं, जिन्हें पेशेवर फोटोग्राफी का शौक है तथा आपके घूमने एवं नए स्थानों पर जाने के शौक को पूरा करने हेतु आपने कई विदेश यात्राएं की हैं।

श्री मृगांक एम. परांजपे

श्री परांजपे को 26 जून 2020 से 25 जून 2023 तक की अवधि के लिए एसबीआई अधिनियम की धारा 19(सी) के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा निदेशक नियुक्त किया गया है। आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई से स्नातक हैं एवं भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त हैं। आपको बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स, असेट मैनेजमेंट एवं स्टॉक ब्रोकिंग में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का 30 वर्ष का अनुभव है। आप वर्तमान में एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। इससे पूर्व आप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे। उससे पहले आप भारत एवं सिंगापुर में ड्यूश बैंक में वरिष्ठ प्रबंधन के पदों पर रहे। इससे पूर्व आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, इंडिया इंफोलाइन, आईएनजी बेरिंग्स एवं सिटी बैंक में काम कर चुके हैं।

सीए श्री संजीव माहेश्वरी

श्री संजीव माहेश्वरी को 20 दिसंबर 2019 से एसबीआई अधिनियम की धारा 19(डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्षों के लिए निदेशक नामित किया गया है। श्री माहेश्वरी पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं और दिवालिया समाधान पेशेवर हैं तथा उन्हें लेखा परीक्षा, कराधान एवं प्रबंधन परामर्शक का 33 वर्षों का लंबा अनुभव है। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की केंद्रीय समिति के 09 वर्षों तक सदस्य रह चुके हैं और आईसीएआई के एकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड के 3 वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं जिस दौरान इंड एएस (भारतीय लेखा मानक) के निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपने आईसीएआई के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अधिकांश तकनीकी समिति यों को सेवाएं प्रदान की हैं। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित गुणवत्ता समीक्षा बोर्ड के सदस्य तथा साउथ एशिया फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स के सदस्य के रूप में आपने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं।

सीए श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़

सीए श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ को 21 दिसंबर 2021 से एसबीआई अधिनियम की धारा 19(डी) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा 3 वर्षों के लिए निदेशक नामित किया गया है। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फैलो एवं सक्रिय सदस्य हैं। आप वर्ष 2019-20 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रह चुके हैं। आप वर्तमान में पिछले 9 वर्षों से केंद्रीय परिषद के सदस्य हैं। आप आईसीएआई की विभिन्न समिति यों के अध्यक्ष एवं सदस्य रह चुके हैं जैसे कि एकाउंटिंग स्टैंडर्डस बोर्ड, सस्टेनिबिलिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्डस बोर्ड, प्रोफेशनल डेवलवमेंट कमेटी, एथिकल स्टैंडर्डस बोर्ड, वुमेन मेम्बर्स एम्पावरमेंट कमेटी, बोर्ड ऑफ स्टडीज़, कमेटी फॉर मेम्बर्स इन इंडस्ट्री आदि। आप आईसीएआई के पश्चिम भारत क्षेत्रीय परिषद (डब्लूआईआरसी) के सदस्य एवं वर्ष 2007-08 में इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। आप इंटरनेशल फेडरेशन ऑफ एकाउंटेंट्स द्वारा गठित एक्जिक्यूटिव कमेटी ऑफ वर्ल्ड कॉंग्रेस ऑफ एकाउंटेंट्स 2022 के ग्लोबल चेयरमेन भी हैं। वर्ल्ड कॉंग्रेस ऑफ एकाउंटेंट्स आईएफएसी का बहुत ही प्रतिष्ठित कार्यक्रम होता है। आप कॉन्फेडरेशन ऑफ एशियन एंड पेसिफिक एकाउंटेंट्स (सीएपीए) के उपाध्यक्ष भी हैं, जिसका मुख्यालय कुआलालम्पूर में है। आपने कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों जैसे एसएएफए, आईएफएसी एसएमपी समिति , सीए वर्ल्डवाइड, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग काउंसिल आदि में सेवाएं दी हैं। वर्तमान में श्री छाजेड़ मुम्बई स्कूल ऑफ एकॉनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी (मुंबई विश्वविद्यालय) के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य हैं, सीआईआई नेशनल कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग के सदस्य, आईसीएआई रजिस्टर्ड वेल्यूर्स ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक, आईएफएसी प्रोफेशनल एकाउंटेंसी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड एडवाइज़री ग्रुप (2021-23) न्यूयॉर्क के सदस्य हैं। इससे पहले आप एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ आईसीएआई, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), एक्सटेनशिबल बिज़नेस रिपोर्टिंग लेंग्वेज (एक्सबीआरएल) इंडिया एवं आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लिमिटेड के निदेशक बोर्ड में रह चुके हैं। आप सेबी के प्राथमिक बाज़ार सलाहकार समिति तथा आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैंकिंग एवं वित्तीय समिति के सदस्य भी रह चुके हैं।

श्री संजय मल्होत्रा, आईएएस

श्री संजय मल्होत्रा को 16 फरवरी 2022 से एसबीआई अधिनियम की धारा 19(ई) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अगले आदेश तक के लिए निदेशक नामित किया गया है। श्री मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव से पूर्व देश की एक अग्रणी इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय कंपनी आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे। आप भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग स्नातक हैं तथा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में स्नातकोत्तर हैं। अपने 31 वर्ष के उत्कृष्ट कैरियर में आपने विविध क्षेत्रों जैसे वित्त एवं कर, पावर, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में बेहतरीन नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया है।

श्री अनिल कुमार शर्मा

श्री अनिल कुमार शर्मा को 13 अप्रैल 2021 से एसबीआई अधिनियम की धारा 19(एफ) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अगले आदेश तक के लिए निदेशक नामित किया गया है।

श्री शर्मा वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं। कार्यपालक निदेशक का कार्यभार संभालने से पहले श्री शर्मा भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रवर्तन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर थे। आपने दोआबा कॉलेज जालंधर, पंजाब से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया तथा 1986 में आरबीआई में आने से पहले आप गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड एकॉनॉमिक्स, पुणे में सदस्य थे। आपके पास ट्रेज़री एवं जोखिम प्रबंधन का डिप्लोमा है तथा भारतीय बैंकर्स संघ के प्रमाणित सदस्य हैं। आपको बैंक में पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन एवं बैंकिंग, ग्रामीण ऋण एवं वित्तीय समावेशन क्षेत्र का बढ़िया अनुभव है। आपने आरबीआई के कृषि बैंकिंग कॉलेज, पुणे में संकाय सदस्य के रूप में भी कार्य किया है।

अनुलग्नक II

सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 26(1) के उचित अनुपालन में 31.03.2022 को सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और बैंकों/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों सहित लेखा परीक्षा/हितधारक समिति (यों) में धारित अध्यक्षता/सदस्यता का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	व्यवसाय एवं पता	बोर्ड में नियुक्ति/ सेवा समाप्ति की तारीख	सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों और बैंकों/अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशकों सहित लेखा परीक्षा/हितधारक समिति (यों) में धारित अध्यक्षता/सदस्यता
1.	श्री दिनेश कुमार खारा	अध्यक्ष	07.10.2020 / 06.10.2023	निदेशक (अध्यक्ष): 03 समिति सदस्य : 00
2.	श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी	प्रबंध निदेशक	20.01.2020 / 19.01.2023	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 01
3.	श्री अश्वनी भाटिया	प्रबंध निदेशक	24.08.2020 / 31.05.2022	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 00
4.	श्री स्वामीनाथन जे.	प्रबंध निदेशक	28.01.2021 / 27.01.2024	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 01
5.	श्री अश्विनी कुमार तिवारी	प्रबंध निदेशक	28.01.2021 / 27.01.2024	निदेशक: 03 समिति सदस्य: 05
6.	श्री बी. वेणुगोपाल	गैर-कार्यपालक निदेशक	26.06.2020 / 25.06.2023	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 03 समिति अध्यक्ष : 01
7.	डॉ. गणेश नटराजन	गैर-कार्यपालक निदेशक	26.06.2020 / 25.06.2023	निदेशक: 03 समिति सदस्य:06 समिति अध्यक्ष :01
8.	श्री केतन एस. विकमसी	गैर-कार्यपालक निदेशक	26.06.2020 / 25.06.2023	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 02 समिति अध्यक्ष :01
9.	श्री मृगांक एम. परांजपे	गैर-कार्यपालक निदेशक	26.06.2020 / 25.06.2023	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 01
10.	श्री संजीव माहेश्वरी	गैर-कार्यपालक निदेशक	20.12.2019 / 19.12.2022	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 02
11.	श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़	गैर-कार्यपालक निदेशक	21.12.2021 / 20.12.2024	निदेशक: 01 समिति सदस्य: 01
12.	श्री संजय मल्होत्रा	गैर-कार्यपालक निदेशक	16.02.2022 / अगले आदेश तक	निदेशक: 01 समिति सदस्य : 00
13.	श्री अनिल कुमार शर्मा	गैर-कार्यपालक निदेशक	13.04.2021 / अगले आदेश तक	निदेशक: 01 समिति सदस्य : 00

अनुलग्नक ।। ए

31.03.2022 को बैंक/अन्य कंपनियों के बोर्ड/बोर्ड स्तर की समिति यों में निदेशकों द्वारा धारित सदस्यता/अध्यक्षता की कुल संख्याः

1. श्री दिनेश कुमार खारा

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	अध्यक्ष	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - अध्यक्ष वसूली निगरानी की बोर्ड समिति - अध्यक्ष
2.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष	--
3.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	अध्यक्ष	--
4.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	अध्यक्ष	--
5.	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	अध्यक्ष	--
6.	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड	अध्यक्ष	--
7.	एसबीआई फाउंडेशन	अध्यक्ष	--
8.	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड	निदेशक	--
9.	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लिमिटेड	निदेशक	--
10.	भारतीय आयात-निर्यात बैंक	निदेशक	--
11.	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस	निदेशक	--

2. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - अध्यक्ष
2.	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	--
3.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड		बैंकएश्योरेंस समिति - अध्यक्ष

3. श्री अश्वनी भाटिया

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
2.	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड	निदेशक	--

4. श्री स्वामीनाथन जे.

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - अध्यक्ष

5. श्री अश्विनी कुमार तिवारी

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/ सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	प्रबंध निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति - सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य
2.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	निदेशक	लेखा परीक्षा समिति - सदस्य निवेश समिति - सदस्य जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य पॉलिसीधारक सुरक्षा समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य हितधारक संबंध समिति - सदस्य
3.	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड	निदेशक	नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य कार्यकारिणी समिति - अध्यक्ष
4.	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	निदेशक	निदेशकों की समिति - अध्यक्ष जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य सीएसआर समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य लेखा परीक्षा समिति - सदस्य सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति - सदस्य
5.	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड	निदेशक	शेयर आबंटन समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य आईपीओ समिति - सदस्य
6.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं लि.	निदेशक	जोखिम प्रबंधन समिति - अध्यक्ष पॉलिसीधारक संरक्षण समिति - अध्यक्ष निवेश समिति - अध्यक्ष नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य प्रौद्योगिकी समिति - सदस्य बैंकएश्योरेंस समिति - सदस्य लेखा परीक्षा समिति - सदस्य
7.	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
8.	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	निदेशक	नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य
9.	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	निदेशक	नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य लेखा परीक्षा समिति - सदस्य
10.	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज़ प्रा लिमिटेड	निदेशक	--
11.	एसबीआई कैप सेक्यूरिटीज़ लिमिटेड	निदेशक	--
12.	एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड	निदेशक	नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य
13.	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स प्रा लि	निदेशक	--
14.	एसबीआई फाउंडेशन	निदेशक	--

6. श्री बी. वेणुगोपाल

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - अध्यक्ष बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - अध्यक्ष कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य
2.	नैशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स)	निदेशक	पूंजी जुटाने वाली समिति - सदस्य
3.	एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड (एनईएमएल)	अध्यक्ष	लेखा परीक्षा समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य
4.	नेशनल कॉमॉडिटी क्लीयरिंग लिमिटेड (एनसीसीएल)	निदेशक	--

7. डॉ. गणेश नटराजन

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति - अध्यक्ष नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य
2.	ज़ेवा केपसोल प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
3.	एलएचआई डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
4.	ग्लोबल टेलेंट ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
5.	लाइटहाउस कॉम्यूनिटीज़ फाउंडेशन	निदेशक	--
6.	5F वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
7.	स्किल्स आल्फा लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
8.	कलज़ूम एडवाइज़र्स प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
9.	इन्फ्लेक्सियन अनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
10.	फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली	निदेशक	--
11.	हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यसूशन्स लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति - सदस्य हितधारक संबंध एवं शेयर आबंटन समिति - सदस्य
12.	कॉन्टिन्यूम ऑफ कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	--
13.	हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड	निदेशक	लेखापरीक्षा समिति - अध्यक्ष हितधारक संबंध समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य
14.	एशियन वेंचर फिलान्थ्रॉफी नेटवर्क लिमिटेड	निदेशक	मानव संसाधन समिति - सदस्य कार्यनीति समिति - सदस्य

8. श्री केतन एस. विकमसी

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति - अध्यक्ष बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की आईटी कार्यनीति समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य

9. श्री मृगांक एम. परांजपे

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - अध्यक्ष बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
2.	एनसीडीईएक्स ईमार्केट्स लिमिटेड (एनईएमएल) लिमिटेड	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	प्रौद्योगिकी परामर्श समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य
3.	राष्ट्रीय ई-मार्केट सर्विसेज़	निदेशक	--

10. श्री संजीव माहेश्वरी

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य नामांकन एवं मानदेय समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - अध्यक्ष बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य
2.	मुद्रा शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड	निदेशक	--
3.	ट्रस्ट एएमसी ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	निदेशक	बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति - सदस्य

11.श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़

	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य बोर्ड की हितधारक संबंध समिति सह ग्राहक सेवा समिति - सदस्य बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति - सदस्य बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति - सदस्य उच्च मूल्य की धोखाधड़ियों की निगरानी के लिए बोर्ड की विशेष समिति - सदस्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति - सदस्य इरादतन चूककर्ता/सहयोग न करने वाले लेनदारों की पहचान के लिए समीक्षा समिति - सदस्य
2.	इंटरकॉन्टिनेंटल फोरम ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड प्रोफेशनल्स	निदेशक	--

12. श्री संजय मल्होत्रा

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	बोर्ड की वसूली निगरानी समिति - सदस्य
2.	आरबीआई	निदेशक	--

13. श्री अनिल कुमार शर्मा

क्रम सं	कंपनी/संस्था/सोसायटी का नाम	अध्यक्ष/ निदेशक/सदस्य	समिति अध्यक्ष/सदस्य का नाम
1.	भारतीय स्टेट बैंक	निदेशक	केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति - सदस्य

(नोट : केंद्रीय बोर्ड की कार्यकारिणी समिति में वे सभी एवं अन्य निदेशक शामिल हैं जो सामान्यत: भारत में ऐसे किसी स्थान पर निवास करते हैं या उस समय उपस्थित रहते हैं जहां एसबीआई सामान्य विनियम के विनियम 46 के अंतर्गत ईसीसीबी की बैठक आयोजित की जाती है। इसी के साथ, 'बैंकों में कॉरपोरेट अभिशासन-निदेशकों की नियुक्ति एवं बोर्ड समिति यों का गठन' पर 26 अप्रैल 2021 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, एसीबी के अध्यक्ष का पद ईसीसीबी का भाग नहीं है।)

अनुलग्नक III

31.03.2022 को बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शेयरधारिता का विवरण

क्रम सं	निदेशक का नाम	शेयरों की संख्या
1.	श्री दिनेश कुमार खारा	3100
2.	श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी	500
3.	श्री अश्वनी भाटिया	1180
4.	श्री स्वामीनाथन जे.	500
5.	श्री अश्विनी कुमार तिवारी	310
6.	श्री बी वेणुगोपाल	5000
7.	डॉ. गणेश नटराजन	18218
8.	श्री केतन एस. विकमसी	5000
9.	श्री मृगांक एम. परांजपे	10000
10.	श्री संजीव माहेश्वरी	निरंक
11.	श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़	निरंक
12.	श्री संजय मल्होत्रा	40
13.	श्री अनिल कुमार शर्मा	800

अनुलग्नक IV

वर्ष 2021-22 के दौरान केंद्रीय बोर्ड एवं बोर्ड स्तरीय समिति यों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए निदेशकों को भुगतान की गई बैठक फीस का विवरण

क्रम सं.	निदेशक का नाम	केंद्रीय बोर्ड की बैठक(₹)	अन्य बोर्ड स्तरीय समिति यों की बैठकें (₹)	कुल (₹)
1.	श्री बी वेणुगोपाल	6,70,000	18,30,000	25,00,000
2.	डॉ. गणेश नटराजन	6,30,000	18,70,000	25,00,000
3.	श्री केतन एस. विकमसी	8,40,000	11,70,000	20,10,000
4.	श्री मृगांक एम. परांजपे	7,70,000	17,30,000	25,00,000
5.	डॉ. पुष्पेंद्र राय (05.02.2022 तक)	7,70,000	17,30,000	25,00,000
6.	श्री संजीव माहेश्वरी	9,10,000	15,90,000	25,00,000
7.	श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ (21.12.2021 से सदस्य)	2,10,000	4,20,000	6,30,000
8.	श्री चंदन सिन्हा (13.04.2021 तक सदस्य)	0	30,000	30,000

अनुलग्नक V

बैंक की आचार संहिता (2021-22) के अनुपालन की पुष्टि

मैं घोषणा करता हूं कि बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने वित्तीय वर्ष 2021-22 की बैंक की आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण - निवारण, प्रतिबंध एवं समाधान - वर्ष 2021-22 की स्थिति

वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतें	06
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	43
मामलों की कुल संख्या	49
वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	44
वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या	05

31 मार्च 2022 को बोर्ड का हिस्सा रहे निदेशकों के कौशल/विशेषज्ञता/दक्षता का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	नाम	अर्हता	कौशल/विशेषज्ञता/दक्षता
1	श्री दिनेश कुमार खारा अध्यक्ष	एम.कॉम, एमबीए	आप दिल्ली स्कूल ऑफ इक्नॉमिक्स से कॉमर्स में स्नातकोत्तर तथा फैक्लटी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, नई दिल्ली से एमबीए हैं। आपको खुदरा ऋण, एसएमई/कॉरपोरेट क्रेडिट, जमा संग्रहण, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन, शाखा प्रबंधन आदि सहित वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र का लंबा अनुभव है। आपने बैंक में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया जैसे प्रबंध निदेशक (वैश्विक बैंकिंग एवं अनुषंगियां), एमडी (सहयोगी एवं अनुषंगियां), एमडी एवं सीईओ (एसबीआई म्यूचुअल फंड्स) एवं मुख्य महाप्रबंधक-भोपाल मंडल। आप विदेश नियुक्ति पर एसबीआई-शिकागो में भी नियुक्त थे। प्रबंध निदेशक के रूप में आपने अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह, कॉरपोरेट बैंकिंग एवं ग्लोबल ट्रेज़री ऑपरेशन्स का नेतृत्व किया साथ ही बैंक की गैर-बैंकिंग सहयोगियों जैसे एसबीआई कार्ड्स, एसबीआईएमएफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस एवं एसबीआई जनरल इंश्योरेंस आदि का भी नेतृत्व किया। आपने सहयोगी बैंकों एवं भारतीय महिला बैंक के एसबीआई में विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा, आपने बैंक के जोखिम, सूचना प्रौद्योगिकी एवं अनुपालन क्षेत्रों का भी नेतृत्व किया।
2	श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी एमडी (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)	बीएससी (कृषि)	आपको कॉरपोरेट ऋण, रिटेल बैंकिंग एवं विकसित बाज़ार में बैंकिंग का गहन अनुभव है। एमडी का कार्यभार संभालने से पहले, श्री शेट्टी बैंक के उप प्रबंध निदेशक पद पर दबावग्रस्त आस्ति समाधान समूह के प्रमुख थे, जहां उन पर देशभर में विभिन्न क्षेत्रों जैसे उर्जा, इंफ्रा, ऑटो, टेलीकॉम आदि में बैंक के दबावग्रस्त असेट पोर्टफोलियो का समाधान करने का दायित्व था। आप बैंक की न्यूयॉर्क शाखा में सिंडिकेशन टीम के भी प्रमुख रहे हैं।
3	श्री अश्वनी भाटिया एमडी (कॉरपोरेट एवं वैश्विक बाज़ार)	बीएससी (भौतिकी एवं गणित), एमबीए	आपको स्टेट बैंक समूह में साढ़े तीन दशकों का लंबा अनुभव है। प्रबंध निदेशक के असाइनमेंट से पहले श्री भाटिया, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड के एमडी एवं सीईओ थे। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड से जुड़ने से पहले आप कॉरपोरेट केंद्र में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर थे जहां आपने बैंक की ऋण संरचना एवं प्रक्रियाओं में बदलाव करते हुए उसे और सशक्त बनाया। उनकी अन्य पदस्थापनाओं में प्रमुख हैं - मुख्य महाप्रबंधक - एसएमई, महाप्रबंधक (खुदरा परिचालन जहां कि आप हरियाणा, हिमाचल, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब एवं चंडीगढ़ के प्रमुख थे), साथ ही नेटवर्क बैंकिंग, क्रेडिट, निवेश बैंकिंग एवं असेट मैनेजमेंट का दायित्व भी बखूबी संभाला। आपने एक दशक से अधिक समय तक बैंक के ट्रेज़री ऑपरेशन में भी काम किया है जहां कि आप उप महाप्रबंधक (फॉरेक्स), उमप्र (ब्याज दरें), समप्र एवं चीफ डीलर (इक्विटी) रहे हैं। श्री भाटिया ने एसबीआई कैपिटल मार्केट्स के प्रेसिडेंट एवं मुख्य परिचालन अधिकारी का भी दायित्व संभाला है। आपने बैंक के जापान ऑपरेशन्स में टोक्यो में डीलर के रूप में भी काम किया है।
4	श्री स्वामीनाथन जे. एमडी (जोखिम, अनुपालन एवं एसएआरजी)	बी.कॉम, सीएआईआईबी, सर्टिफाइड एंटी मनी लॉन्डरिंग स्पेशलिस्ट (सीएएमएस) एवं सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट स्पेशलिस्ट (सीडीसीएस)	एसबीआई के अपने 33 वर्षों के लंबे कार्यकाल में, आपने वित्त, खुदरा एवं डिजिटल बैंकिंग तथा शाखा प्रबंधन के विभिन्न एसाइनमेंट संभाले हैं। आपने एसबीआई में डीएमडी (वित्त) एवं प्रमुख डिजिटल अधिकारी सहित विभिन्न पदों पर काम किया है। आपने बैंक की न्यूयॉर्क शाखा में व्यवसाय प्रमुख के रूप में भी काम किया है।
5.	श्री अश्विनी कुमार तिवारी एमडी (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियां)	बी.टेक (इलेक्ट्रिकल), सीएआईआईबी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर (सीएफपी), सर्टिफिकेट कोर्स इन मैनेजमेंट (एक्सएलआरआई)	आपको भारत में एवं विदेश में भी बैंकिंग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों रिटेल, एसएमई, लेनदेन बैंकिंग, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग के क्षेत्रों में तीन दशकों का बैंकिंग अनुभव है। प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्ति से पहले आप एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज़ लिमिटेड में एमडी एवं सीईओ के पद पर थे। आपने एसबीआई के यूएस ऑपरेशन्स में कंट्री हेड तथा पूर्वी एशिया के क्षेत्रीय प्रमुख के तौर पर जिम्मेदारी निभाई है।
6.	श्री बी. वेणुगोपाल गैर-कार्यपालक निदेशक	कॉमर्स एवं कॉस्ट एकाउंटेंसी में स्नातक	आपको बीमा, वित्त एवं लेखा, जोखिम प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी (सॉफ्टवेयर विकास), व्यवसाय कार्यनीति, परियोजना प्रबंधन, विपणन आदि के क्षेत्र में 38 वर्षों से अधिक का बृहद अनुभव है। आप भारतीय जीवन बीमा निगम के पूर्व प्रबंध निदेशक हैं जिन्हें एलआईसी का 36 वर्षों का लंबा अनुभव है तथा उन्हें पूर्व के स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर का भी 2 वर्षों का अनुभव है।
7.	डॉ. गणेश नटराजन गैर कार्यपालक निदेशक	इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एवं मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर, नॉलेज मैनेजमेंट में पीएचडी (आईआईटी बॉम्बे), एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम (हावर्ड बिज़नेस स्कूल, यूएसए)	आपको सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का गहन अनुभव है तथा आपने व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्गठन एवं प्रौद्योगिकी रूपांतरण में विशेषज्ञता हासिल की हुई है। डॉ. नटराजन 5F वर्ल्ड के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं, यह निवेश एवं डिजिटल स्किल्स एवं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का वैश्विक सलाहकार प्लेटफॉर्म है। आपको एनआईटीआईई एवं आईआईटी बॉम्बे का प्रतिष्ठित एल्यूमनस अवार्ड भी मिल चुका है। उनके किए गए कार्यों पर 2 केस स्टडी लिखी गई हैं एवं उन्हें आईआईएसबी, आईआईएम बेगलूरू एवं हावर्ड बिज़नेस स्कूल में पढ़ाया भी जाता है।

क्रम सं.	नाम	अर्हता	कौशल/विशेषज्ञता/दक्षता
8.	श्री केतन एस. विकमसी गैर कार्यपालक निदेशक	आईसीएआई से चार्टर्ड एकाउंटेंट	आप पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। आप इंडियन मर्चेंट चेम्बर्स की बैंकिंग, फाइनेंस एवं इंश्योरेंस कमेटी, बॉम्बे चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की कैपिटल मार्केट्स कमेटी तथा चेम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट्स की आरआरसी कमेटी के सदस्य हैं। आपको बड़े बैंकों, निर्माण इकाईयों, निवेश बैंकों, बीमा कंपनियों एवं म्यूचुअल फंड के लेखापरीक्षण का लंबा एवं गहन अनुभव है। आपको एश्योरेंस, लेखा परीक्षा, कराधान, सलाहकार सेवाएं, मूल्यांकन, सावधानी, निरीक्षण, जांच आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है।
9.	श्री मृगांक एम. परांजपे गैर कार्यपालक निदेशक	बी.टेक, आईआईटी बॉम्बे, पीजीडीएम (आईआईएम, अहमदाबाद)	आपको बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स, असेट मैनेजमेंट एवं स्टॉक ब्रोकिंग लेनदेन एवं रिटेल बैंकिंग, जोखिम प्रबंधन, प्रौद्योगिकी, डेरिवेटिव, नीतिगत निर्णय आदि में 30 वर्ष का अनुभव है। आप वर्तमान में एनसीडीईएक्स ई-मार्केट्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं। इससे पूर्व आप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी थे। उससे पहले आप भारत एवं सिंगापुर में ड्यूश बैंक में वरिष्ठ प्रबंधन के पदों पर रहे। इससे पूर्व आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, इंडिया इंफोलाइन, आईएनजी बेरिंग्स एवं सिटी बैंक में काम कर चुके हैं।
10.	श्री संजीव माहेश्वरी गैर कार्यपालक निदेशक	आईसीएआई से चार्टर्ड एकाउंटेंट	श्री माहेश्वरी पेशेवर चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं तथा उन्हें दिवालिया समाधान योजना में विशेषज्ञता के साथ लेखा परीक्षा, कराधान एवं प्रबंधन परामर्शन का लंबा अनुभव है। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की केंद्रीय समिति के 09 वर्षों तक सदस्य रह चुके हैं और एकाउंटिंग स्टैण्डर्डस बोर्ड ऑफ आईसीएआई के 3 वर्षों तक अध्यक्ष रहे हैं जिस दौरान इंड एएस के निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपने आईसीएआई के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अधिकांश तकनीकी समिति यों को सेवाएं प्रदान की हैं।
11.	श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़ गैर-कार्यपालक निदेशक	एफसीए, एलएलबी (जेन), सीपीए (ऑस्ट्रेलिया)	आप पेशे से चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। श्री छाजेड़ मुम्बई स्कूल ऑफ एकॉनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी (मुंबई विश्वविद्यालय) के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य हैं, सीआईआई नैशनल कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्लानिंग के सदस्य, आईसीएआई रजिस्टर्ड वेल्यूर्स ऑर्गेनाइजेशन के निदेशक, आईएफएसी प्रोफेशनल एकाउंटेंसी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड एडवाइज़री ग्रुप (2021-23) न्यूयॉर्क के सदस्य हैं। इससे पहले आप एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स ऑफ आईसीएआई, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए), एक्सटेनशिबल बिज़नेस रिपोर्टिंग लेंग्वेज (एक्सबीआरएल) इंडिया एवं आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज़ लिमिटेड के निदेशक बोर्ड में रह चुके हैं। आप सेबी के प्राथमिक बाज़ार सलाहकार समिति तथा आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैंकिंग एवं वित्तीय समिति के सदस्य भी रह चुके हैं।
12.	श्री संजय मल्होत्रा गैर-कार्यपालक निदेशक	बीटेक, आईआईटी कानपुर, मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी, प्रिंसटन विश्वविद्यालय (यूएसए)	श्री मल्होत्रा राजस्थान कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के सचिव से पूर्व देश की एक अग्रणी इंफ्रास्ट्रक्चर वित्तीय कंपनी आरईसी लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे। आप भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग स्नातक हैं तथा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में स्नातककोत्तर हैं। अपने 31 वर्षों से अधिक के उत्कृष्ट कैरियर में आपने विविध क्षेत्रों जैसे वित्त एवं कराधान, पावर, उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में बेहतरीन नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया है।
13.	श्री अनिल कुमार शर्मा गैर-कार्यपालक निदेशक	एमए (अर्थशास्त्र), डिप्लोमा इन ट्रेज़री एंड मैनेजमेंट, सीएआईआईबी	श्री शर्मा वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक हैं। कार्यपालक निदेशक का कार्यभार संभालने से पहले श्री शर्मा भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रवर्तन विभाग में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर थे। आपने अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया तथा आप गौखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड एकॉनॉमिक्स, पुणे के यूजीसी के फ़ेलो थे। आपके पास ट्रेज़री एवं जोखिम प्रबंधन का डिप्लोमा है तथा आप भारतीय बैंकर्स संघ के प्रमाणित सदस्य हैं। आपको बैंक में पर्यवेक्षण, मुद्रा प्रबंधन एवं बैंकिंग, ग्रामीण ऋण एवं वित्तीय समावेशन क्षेत्र का बढ़िया अनुभव है। आपने आरबीआई के कृषि बैंकिंग कॉलेज, पुणे में संकाय सदस्य के रूप में भी कार्य किया है।

नीचे दी गई तालिका में भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के अनुसार निदेशक बोर्ड द्वारा तय की गई प्रमुख विशेषताएं एवं कौशल मेट्रिक्स का विवरण दिया गया है जिसे निदेशक का चयन करते समय ध्यान में रखा जाए:

i) **उद्योग की जानकारी/ अनुभव :** उद्योग अनुभव, क्षेत्र की जानकारी, विस्तृत नीति निर्देश की जानकारी, सरकारी कानून/ कानूनी प्रक्रिया की समझ।

ii) **तकनीकी कौशल/ अनुभव :** लेखा, वित्त, विधि, विपणन अनुभव, सूचना प्रौद्योगिकी, जनसंपर्क, पूंजी आबंटन, कॉस्टिंग, बजट नियंत्रण, कार्यनीति विकास एवं कार्यान्वयन।

iii) **अभिशासन क्षमता :** पूर्व निदेशक अनुभव, वित्तीय साक्षरता, अनुपालन केंद्रित, अभिशासन के दृष्टिकोण से कार्यनीतिक सोच/प्लानिंग।

iv) **निदेशक के लिए आरबीआई एवं एसबीआई योग्यता :** निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेषज्ञता (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन एवं (v) व्यवसाय प्रबंधन। निम्नलिखित में से एक या अधिक क्षेत्रों की विशेष जानकारी या अनुभव, जैसे:– (i) कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, (iii) सहकारी क्षेत्र, (iv) अर्थशास्त्र, (v) वित्त, (vi) विधि, (vii) लघु उद्योग, (viii) अन्य कोई ऐसे क्षेत्र का विशेष ज्ञान या अनुभव, जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक के मतानुसार भारतीय स्टेट बैंक के लिए उपयोगी होगा। जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व, किसानों, कामगारों एवं कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व।

निदेशकगण	**विशेषताएं**			
	उद्योग की जानकारी/ अनुभव	**तकनीकी कौशल / अनुभव**	**अभिशासन क्षमता**	**निदेशक के लिए आरबीआई एवं एसबीओई योग्यता**
श्री दिनेश कुमार खारा	✓	✓	✓	✓
श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी	✓	✓	✓	✓
श्री अश्वनी भाटिया	✓	✓	✓	✓
श्री स्वामीनाथन जे.	✓	✓	✓	✓
श्री अश्विनी कुमार तिवारी	✓	✓	✓	✓
श्री बी. वेणुगोपाल	✓	✓	✓	✓
डॉ. गणेश नटराजन	✓	✓	✓	✓
श्री केतन एस. विकमसी	✓	✓	✓	✓
श्री मृगांक एम. परांजपे	✓	✓	✓	✓
श्री संजीव माहेश्वरी	✓	✓	✓	✓
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़	✓	✓	✓	✓
श्री संजय मल्होत्रा	✓	✓	✓	✓
श्री अनिल कुमार शर्मा	✓	✓	✓	✓

भौतिक सहायक कंपनियों का वार्षिक प्रकटीकरण

(रुपए करोड़ में)

	31.03.2022		31.03.2022		
	कुल आय	10% से अधिक	नेटवर्थ	10% से अधिक	समग्र
एसबीआई (समेकित)	4,06,973		3,05,588		
कुल आय/निवल मालियत का 10%	40,697		30,559		
भौतिक सूचीबद्ध सहायक कंपनी					
एसबीआई लाइफ	84,016	हाँ	11,621	नहीं	हाँ
भौतिक गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी					
	निरंक	-	निरंक	-	-

(रुपए करोड़ में)

	जीवन बीमा	31 मार्च 2022 को
1.	कुल आस्तियां	2,73,337
2.	वर्तमान वित्त वर्ष का शुद्ध लाभ	1,506
3.	प्रबंधनाधीन आस्तियां	2,67,409
4.	नए व्यवसाय प्रीमियम की राशि	25,457
5.	नए व्यवसाय प्रीमियम में वृद्धि	23%
6.	नया व्यावाय मार्जिन	25.90%
7.	मार्केट शेयर	22% (एनबीपी आधार पर निजी बाजार हिस्सेदारी)
8.	ऋणशोधन क्षमता अनुपात (सॉल्वेंसी रेशियो)	2.05

प्रबंधन टीम की शिक्षा एवं योग्यताएं

बैंक के केंद्रीय बोर्ड के निदेशकों की शैक्षिक योग्यताओं की जानकारी वार्षिक रिपोर्ट में कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में दी गई है। उप प्रबंध निदेशकों की शैक्षिक योग्यताओं की जानकारी नीचे दी जा रही है।

क्रम	शीर्षक	अधिकारी का नाम	योग्यताएं
1	श्री	आलोक कुमार चौधरी	बी.एससी (ऑनर्स), एम.ए
2	श्री	नटराजन सुंदर	एम.एससी (रसायन शास्त्र)
3	श्री	शास्त्री एस. वेंकटरमणा	बी.एससी.
4	श्री	रविंद्र पाण्डेय	एम.एससी
5	श्री	वी.एस.राधाकृष्णन	एम.कॉम, एमबीए
6	श्री	एस. सली	एम.एससी (एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स)
7	श्री	राणा आशुतोष कुमार सिंह	बी.एससी, पीजीडीएमपी
8	श्री	प्रबोध पारीख	एम.कॉम, एमबीए
9	श्री	श्रीनिवास एस राव	एम.एससी
10	श्रीमती	सलोनी नारायण	बी.ए (ऑनर्स)
11	श्री	संजय डी नायक	बी.एससी
12	श्री	सुब्रत बिस्वास	बी.एससी (भौतिकशास्त्र)
13	श्री	आर विश्वनाथन	एम.एससी (गणित)
14	श्री	पी. किशोर कुमार	बी.कॉम, पीजीडीएमपी
15	श्री	ओम प्रकाश मिश्रा	एम.ए. (अर्थशास्त्र)
16	श्री	बी. राघवेंद्र राव	एम.एससी (टेक) इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग
17	श्री	नितिन चुघ	बी.टेक, पीजीडीएम

सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए (सेबी (एलओडीआर) विनिमय, 2015 के विनियम 24ए के अनुसार, जो दिनांक 8 फरवरी 2019 के सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 के साथ पढ़ा जाए)

प्रति
सदस्यगण,
भारतीय स्टेट बैंक

हमने भारतीय स्टेट बैंक (जिसे कि इसके पश्चात 'बैंक' कहा गया है) पर लागू सांविधिक प्रावधानों और सुशासन व्यवहारों के उनके द्वारा अनुपालन की सचिवालयीन लेखा परीक्षा की है। सचिवालयीन लेखा परीक्षा इस ढंग से की गई है कि इससे हमें कॉरपोरेट व्यवहारों / सांविधिक अनुपालनों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए और उस पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला है।

बैंक की बहियों, कागज़ात, कार्यविवरण बही, फॉर्मों और दायर विवरणियों तथा बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर और सचिवालय लेखा परीक्षा के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में, बैंक द्वारा लेखा परीक्षा अवधि 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान यहां इसके नीचे दी गई सूची के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और यह भी रिपोर्ट करते हैं कि उचित बोर्ड कार्यप्रणालियों और अनुपालन तंत्र की यहां इसके पश्चात की गई रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं, ढंग और उसके अधीन व्यवस्था की गई है:

हमने बहियों, कागज़ात, कार्यविवरण बही, फॉर्मों और दायर की गई विवरणियों तथा बैंक द्वारा 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान रखे गए अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच पड़ताल की है:

i. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 ('अधिनियम') और उनके तहत बनाए गए भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 ('विनियम');

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और उनके तहत बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 एवं उनके तहत बनाए गए विनियम एवं उप-विधियां;

iv. विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों जहां तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों का संबंध है;

v. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित भारतीय विनियम और दिशानिर्देश के अंतर्गत निर्धारित :-

क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहण का पर्याप्त अर्जन) विनियम, 2011;

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार प्रतिबंध), विनियम, 2015;

ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षा) , विनियम, 2018;

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ एवं स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 #

ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूति जारी करना एवं सूचीकरण) विनियम, 2008

च. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम 1993; कंपनी अधिनियम के साथ पठित एवं ग्राहक के साथ व्यवहार संबंधी

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) अधिनियम, 2021 #

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम 2018 #

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स) विनियम 2018;

#विनियम या दिशानिर्देश, जैसा भी मामला हो समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं थे।

बैंकों के लिए विशेष रूप से लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों की सूची नीचे दी गई है:

vi. यथासंशोधित बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949 यथा संशोधित

vii. आरबीआई द्वारा समय समय पर जारी किए गए मास्टर निर्देश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश।

हमने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (सूचीकरण विनियम) के लिए लागू खण्ड के अनुपालन की जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन, निम्लिखित को छोड़कर, 01.09.2021 से सूचीकरण विनियम के विनियम 15(2) (ख) के परंतुक को छोड़ देने के कारण, लागू सीमा तक किया है:

क. सूचीकरण विनियमों के विनियम 17(1) के अनुसार बैंक के केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक की पर्याप्त संख्या नहीं थी। इसके अलावा केंद्रीय बोर्ड में कोई महिला निदेशक भी नहीं थी जबकि सूचीकरण विनियमों के विनियम 17(1) (ए) * की आवश्यकतानुसार एक स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए।

ख. सूचीकरण विनियमों के विनियम 18(1) के अनुसार 07 दिसंबर 2021 तक बैंक के केंद्रीय बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक की पर्याप्त संख्या नहीं थी। तथापि, ऊपर उल्लिखित विनियम* के अनुपालन में 31 मार्च 2022 को बैंक की लेखापारीक्षा समिति में चार (04) स्वतंत्र निदेशकों सहित कुल पांच (05) निदेशक हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि :

उपर्युक्त को देखते हुए, बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया जाता है। समीक्षाधीन

अवधि के दौरान हुई केंद्रीय निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन करते हुए किए गए थे।

केंद्रीय बोर्ड की बैठकों का कार्यक्रम तय करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी, एजेंडा और एजेंडे में विस्तृत टिप्पण को बैठकों के लिए पहले भेजा गया था और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और अधिक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रक्रिया मौजूद है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए और कार्यविवरण की समीक्षा करते हुए कोई असहमत विचार नहीं देखा गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू, कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि समीक्षा अवधि के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित कार्यों को किया है:

i. बैंक ने 13,974 करोड़ रुपए (तेरह हज़ार नौ सौ चौहत्तर करोड़ रुपए मात्र) के डिबेंचर के रूप में अतिरिक्त टियर-1 पूंजी के रूप में बासेल ।।। अनुरूप डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आबंटित एवं जारी किए हैं।

ii. बैंक ने ₹7,100 करोड़ (सात हजार एक सौ करोड़ रुपए मात्र) के अतिरिक्त टियर 1 बांड और ₹1,000 करोड़ के टियर 2 बॉन्ड (एक हजार करोड़ रुपए मात्र) को रिडीम/ कॉल विकल्प उपयोग किया है; कुल बॉन्ड रिडेम्पशन ₹8,100 करोड़ (आठ हजार और एक सौ करोड़ रुपए मात्र) रहा।

iii. बैंक ने यूएस प्रतिभूति अधिनियम, 1933 के विनियम 144ए/विनियमन-एस के तहत 5 वर्ष की परिपक्वता वाले 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर सीनियर असुरक्षित निश्चित दर के नोट जारी किए। उक्त बांड 26 जनवरी 2022 को बैंक की लंदन शाखा के माध्यम से जारी किए गए तथा वह ताइपई एक्सचेंज (टीपीएक्स), सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज एवं इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी पर सूचीबद्ध हैं।

iv. भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों एवं चयनित वित्तीय संस्थानों द्वारा धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग) निर्देशों, 2016 में उल्लिखित निर्देशों का पालन नहीं करने एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 19 के उप खण्ड (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के मामले में भारतीय रिज़र्व बैंक ने बड़े ऋणों के संबंध में (सीआरआईएलसी पोर्टल के माध्यम से) डाटा प्रस्तुत करते समय डाटा की सत्यता एवं शुद्धता पर ध्यान न देने पर अपने पत्र दिनांक 06 जुलाई 2021 एवं 18 अक्तूबर 2021 एवं 26 नवंबर 2021 द्वारा बैंक पर 2.5 करोड़ रुपए (2 करोड़ पचास लाख मात्र) का अर्थदण्ड लगाया।

कृते **भंडारी एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव

एस एन भंडारी
भागीदार
एफसीएस नं : 761 ; सी पी नं.: 366
मुंबई : 13 मई 2022
आईसीएसआई यूडीआईएन : F000761D000313491

इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो **अनुलग्नक 'ए'** के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न हिस्सा है।

अनुलग्नक ए

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2022 को सम-तिथि के साथ समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सचिवालयीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. सचिवालयीन रिकॉर्ड का रखरखाव बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर इन सचिवालयीन रिकॉर्ड पर अभिमत व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवालयीन रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित परिणाम प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। परीक्षा के आधार पर सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवालयीन रिकॉर्ड में सही तथ्य दिखें। हमारा विश्वास है कि हम जिन प्रथाओं एवं प्रकियाओं का पालन करते हैं वह हमारी राय को उचित आधार प्रदान करते हैं।

3. हमने बैंक के वित्तीय अभिलेखों और लेखा बही की शुद्धता एवं उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।

4. जहां भी आवश्यक है, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉरपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

6. सचिवालयीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो बैंक के भविष्य की व्यवहार्यता के लिए कोई आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता से संबंधित है , जिसके द्वारा प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते **भंडारी एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव

एस एन भंडारी
भागीदार
एफसीएस नं : 761 ; सी पी नं.: 366
मुंबई : 13 मई 2022
आईसीएसआई यूडीआईएन : F000761D000313491

निदेशकों के अयोग्य न होने का प्रमाणपत्र

(सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) के अनुसार)

सेवा में,
सदस्यगण
भारतीय स्टेट बैंक
स्टेट बैंक भवन
मैडम कामा रोड
मुंबई - 40002

हमने भारतीय स्टेट बैंक (जिसे कि आगे 'बैंक' कहा गया है) जिसका केंद्रीय कार्यालय स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021 में स्थित है, के निदेशकों से प्राप्त संबंधित रजिस्टरों, अभिलेखों, प्रपत्रों, विवरणियों और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे कि विनियमन 34(3) के अनुसार भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2015 के अनुसूची V पैरा सी उप खंड 10(i) के साथ पढ़े गए इस प्रमाण-पत्र को जारी करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया।

हमारे विचार से और हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार तथा आवश्यकतानुसार सत्यापन (www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) तथा बैंक एवं उसके अधिकारियों द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए नीचे उल्लिखित बैंक के केंद्रीय बोर्ड में शामिल निदेशकों में से किसी को भी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, या अन्य किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से रोकने के लिए या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्रम	निदेशक का नाम	डीआईएन	बैंक में नियुक्ति की तारीख
1	श्री दिनेश कुमार खारा	06737041	09/08/2016
2	श्री चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी	08335249	20/01/2020
3	श्री अश्वनी भाटिया	07423221	24/08/2020
4	श्री स्वामीनाथन जे	08516241	28/01/2021
5	श्री अश्विनी कुमार तिवारी	08797991	28/01/2021
6	श्री बी वेणुगोपाल	02638597	07/06/2018
7	डॉ गणेश जी नटराजन	00176393	26/06/2020
8	श्री केतन एस विकमसी	00282877	26/06/2020
9	श्री मृगांक एम परांजपे	02162026	26/06/2020
10	श्री संजीव माहेश्वरी	02431173	20/12/2019
11	श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़	03544734	21/12/2021
12	श्री संजय मल्होत्रा	00992744	16/02/2022
13	श्री अनिल कुमार शर्मा	08537123	13/04/2021

केंद्रीय बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/जारी रखने की पात्रता सुनिश्चित करना बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर अपनी राय व्यक्त करना है। यह प्रमाण-पत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही प्रबंधन द्वारा बैंक के मामलों का संचालन करने की दक्षता या प्रभावशीलता से संबंधित है।

कृते **भंडारी एंड एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव

एस एन भंडारी
भागीदार
एफसीएस नं : 761 ; सी पी नं.: 366
मुंबई : 13 मई 2022
आईसीएसआई यूडीआईएन : F000761D000313491

कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अंतर्गत कॉरपोरेट अभिशासन आवश्यकताओं के अनुपालन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

प्रति
सदस्य गण,
भारतीय स्टेट बैंक

1. यह प्रमाण पत्र 28 मार्च, 2022 को हमारे करार पत्र की शर्तों के अनुसार जारी किया गया है।

2. हम, मैसर्स खंडेलवाल जैन एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, भारतीय स्टेट बैंक ("बैंक") के संयुक्त सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि विनियम 17 से 27 और उप विनियम के खंड (i) [और (टी)] के खंड सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम") की अनुसूची V के विनियमन 46 और पैरा-सी, डी और ई ("सूचीकरण विनियम") के (2) और अनुसूची V के पैरा-सी, डी और ई के (2) में निर्धारित किया गया है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

3. बैंक का प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि बैंक सूचीकरण विनियमों में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करता है। इस उत्तरदायित्व में आंतरिक नियंत्रणों और प्रक्रियाओं का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव भी शामिल है ताकि सूचीकरण विनियमों में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

4. हमारी जिम्मेदारी कॉरपोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन की जांच करने तक ही सीमित है। यह न तो लेखा परीक्षा है और न ही बैंक के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

5. हमने बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन आवश्यकताओं के अनुपालन पर उचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक द्वारा रखे गए बही खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है।

6. जहां तक इस प्रमाण पत्र के उद्देश्य पर प्रयोज्य एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा उन विशेष प्रयोजनों जिनके लिए भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी किए गए आचार संहिता की नैतिक अपेक्षाओं का पालन करना हमारे लिए जरूरी है, के लिए रिपोर्टों अथवा प्रमाणपत्रों पर जारी मार्गदर्शक नोट के अनुसार हमने अपनी परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन के प्रमाणन पर जारी किए गए मार्गदर्शक नोट एवं लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आयोजित की है।

7. हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, वित्तीय ऐतिहासिक जानकारी की लेखापरीक्षा एवं समीक्षा करने वाली संस्थाओं के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तथा भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान द्वारा जारी किए गए अन्य आश्वासन एवं संबद्ध जुड़ावों से संबंधित प्रयोज्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

अभिमत

8. उपर्युक्त हमारी जांच एवं हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित को छोड़कर सूचीकरण विनियम के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 (2) के खंड (ख) से (झ) एवं अनुसूची V के पैरा ग एवं घ में निर्धारित किए गए अनुसार बैंक ने कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

    (क) बैंक के पास सूचीकरण विनियमों के विनियम 17 (1) के संदर्भ में अपने केंद्रीय बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी। इसके अलावा, केंद्रीय बोर्ड के पास एक महिला निदेशक और एक स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं थी जैसा कि सूचीकरण विनियमों के विनियमन 17 (1) के तहत अपेक्षित था।

    (ख) बैंक के पास सूचीकरण विनियमों के विनियम 18 (1) के तहत आवश्यकतानुसार 07 दिसंबर, 2021 तक अपनी लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी। तथापि उपर्युक्त विनियम के अनुपालन में 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, बैंक की लेखा परीक्षा समिति में चार स्वतंत्र निदेशकों सहित पांच निदेशक शामिल थे।

9. हम स्पष्ट करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

उपयोग पर प्रतिबंध

10. यह प्रमाण पत्र बैंक के सदस्यों को केवल कॉरपोरेट अभिशासन से संबंधित सूचीकरण विनियमों की आवश्यकताओं को समझने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से संबोधित और प्रदान किया जाता है, और इसका उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तदनुसार, हम किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए देखभाल के किसी भी दायित्व या किसी भी कर्तव्य को स्वीकार नहीं करते हैं या मानते हैं, जिसे यह प्रमाण पत्र दिखाया गया है या जिनके हाथों में यह लिखित रूप में हमारी पूर्व सहमति के बिना आ सकता है। इस प्रमाणपत्र की तिथि के बाद होने वाली किसी भी घटना या परिस्थितियों के लिए इस प्रमाणपत्र को अद्यतन करने के लिए हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है।

खंडेलवाल जैन एंड कंपनी के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 105049W

शैलेश शाह
भागीदार
सदस्यता संख्या::
UDIN 033632: 22033632AJEITX6259

स्थान: मुंबई
तिथि : 13 मई, 2022

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के बारे में :

बैंक की व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट वित्त वर्ष 2012-13 से वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 जिसे कि सेबी परिपत्र क्र. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/10/2015 दिनांक 04.11.2015 और 26 अक्तूबर 2019 की सेबी अधिसूचना क्र. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2019/45 के साथ पढ़ा जाता है, के अनुसार बीएसई एवं एनसीई में बाज़ार पूंजीकरण (प्रत्येक वित्त वर्ष में 31 मार्च तक गणना करते हुए) के आधार पर शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) शामिल करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार उन सूचीबद्ध कंपनियां जो कि सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्य फ्रेमवर्क के आधार पर संवहनीयता रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हैं, को अलग से बीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं है तथा वह अपने अंशधारकों को केवल बीआरआर तैयार करने के फ्रेमवर्क का विवरण दे सकते हैं तथा वह अपनी संवहनीयता रिपोर्ट में उन सिद्धांतों को जोड़ सकते हैं। बैंक की संवहनीयता रिपोर्ट जिसमें 31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट शामिल है, को बैंक की वेबसाइट https://www.sbi.co.in पर निवेशक संबंध लिंक के अंतर्गत रखा गया है। जो भी शेयरधारक इसकी हार्ड प्रति प्राप्त करने के इच्छुक हैं वह बैंक को लिख सकते हैं (ईमेल आईडी: dgm.csr@sbi.co.in एवं डाक का पता: उप महाप्रबंधक (सीएसआर और संवहनीयता), भारतीय स्टेट बैंक, 9वीं मंजिल, कॉरपोरेट केंद्र, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, मुंबई - 400021)

सामुदायिक शांति के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन को 2 करोड़ रुपए का दान

सशस्त्र बल फ्लैग दिवस निधि के लिए 10 करोड़ रुपए का दान

कोलकाता में गैर-सरकारी संगठन अंतरा द्वारा संचालित साइक्रिएटिक अस्पताल को दान

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च, 2022 को तुलन पत्र

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी एवं देयताएँ			
पूंजी	1	892,46,12	892,46,12
आरक्षित निधियाँ व अधिशेष	2	279195,59,89	252982,72,85
जमा राशियाँ	3	4051534,12,27	3681277,07,96
उधार राशियाँ	4	426043,37,98	417297,69,88
अन्य देयताएँ व प्रावधानीकरण	5	229931,84,28	181979,66,31
योग		**4987597,40,54**	**4534429,63,12**
आस्तियाँ			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और जमाराशियाँ	6	257859,20,71	213201,53,63
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	7	136693,11,40	129837,17,31
निवेश	8	1481445,46,98	1351705,20,51
अग्रिम	9	2733966,59,29	2449497,79,11
अचल आस्तियाँ	10	37708,15,83	38419,24,19
अन्य आस्तियाँ	11	339924,86,33	351768,68,37
योग		**4987597,40,54**	**4534429,63,12**
आकस्मिक देयताएँ	12	2007083,44,06	1706949,91,17
वसूली के लिए बिल	-	77730,12,34	56516,11,88
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं

श्री अश्विनी कुमार तिवारी
प्रबंध निदेशक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियां)

श्री स्वामीनाथन जे.
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, अनुपालन एवं एसएआरजी)

श्री अश्वनी भाटिया
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग एवं ग्लोबल मार्केट्स)

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

निदेशक:

श्री बी वेणुगोपाल
डॉ गणेश नटराजन
श्री मृगांक एम परांजपे
श्री केतन एस विकमसी
श्री संजीव माहेश्वरी
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2022

इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

शैलेश शाह
भागीदार स.क्र. 033632
फर्म पं. क्र. 105049W
UDIN:22033632AIXHQQ3021

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हेनील के पटेल
भागीदार स.क्र. 114103
फर्म पं. क्र. 109574W
UDIN:22114103AIXKLG7230

कृते उमामहेश्वर राव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एल श्यामा प्रसाद
भागीदार स.क्र. 028224
फर्म पं. क्र. 004453S
UDIN:22028224AIXHMB9621

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

अनुज ढींगरा
भागीदार स.क्र. 512535
फर्म पं. क्र. 000235N/N500089
UDIN:22512535AIXKXX2970

कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार

प्रवीण कुमार
भागीदार स.क्र. 088810
फर्म पं. क्र. 009571N/N500006
UDIN:22088810AIXJER5275

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

प्रेम बिहारी गुप्ता
भागीदार स.क्र. 080245
फर्म पं. क्र. 000425N
UDIN:22080245AIXKLC5297

कृते गुहा नंदी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

डॉ बी एस कुंडु
भागीदार स.क्र. 051221
फर्म पं. क्र. 302039E
UDIN:22051221AIXPYM6914

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एम आर जैन
भागीदार स.क्र. 050919
फर्म पं. क्र. 303002E
UDIN:22050919AIXHIH2828

कृते के सी मेहता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

चिराग बक्शी
भागीदार स.क्र. 047164
फर्म पं. क्र. 106237W
UDIN:22047164AIXKOQ4739

कृते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

अनिरुद्ध सेनगुप्ता
भागीदार स.क्र. 051371
फर्म पं. क्र. 311017E
UDIN:22051371AIXHWT8422

कृते सूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी नटराजन
भागीदार स.क्र. 223118
फर्म पं. क्र. 004283S
UDIN:22223118AIXKPX8986

कृते तलाती एंड तलाती एलएलपी
सनदी लेखाकार

आनंद शर्मा
भागीदार स. क्र. 129033
फर्म पं. क्र. 110758W/W100377
UDIN:22129033AIXMPT2135

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2022

अनुसूची

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी :		
5000,00,00,000 शेयर ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 शेयर ₹1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी :		
892,54,05,164 इक्विटी शेयर ₹ 1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,54,05,164 इक्विटी शेयर ₹ 1 प्रति शेयर)	892,54,05	892,54,05
अभिदत्त तथा संदत्त पूंजी :		
892,46,11,534 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,46,11,534 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर)	892,46,12	892,46,12
[उपर्युक्त में 10,36,05,740 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर शामिल है (पिछले वर्ष 10,97,28,170 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर) इन्हें 10,36,05,74 (पिछला वर्ष 10,97,28,17) वैश्विक रसीद के रूप में दर्शाया गया है]		
योग	**892,46,12**	**892,46,12**

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ व अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथ शेष	76065,22,66		69942,08,58	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	9502,79,42		6123,14,08	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			85568,02,08		**76065,22,66**
II.	**पूंजी आरक्षित निधियाँ**				
	अथ शेष	15221,82,99		13756,70,57	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	538,15,24		1465,12,42	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			15759,98,23		**15221,82,99**
III.	**शेयर प्रीमियम**				
	अथ शेष	79115,47,05		79115,47,05	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
			79115,47,05		**79115,47,05**

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
IV. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधियाँ				
अथ शेष	3048,07,72		1119,88,09	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4647,87,02		1928,19,63	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
		7695,94,74		**3048,07,72**
V. विदेशी मुद्रा रूपांतर आरक्षित				
अथ शेष	9072,39,67		9274,60,44	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	888,39,11		-	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		202,20,77	
		9960,78,78		**9072,39,67**
VI. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियाँ*				
अथ शेष	50483,22,45		44641,85,54	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	1352,89,36		5841,36,91	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-		-	
		51836,11,81		**50483,22,45**
VII. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ				
अथ शेष	23577,34,78		23762,66,57	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	199,48,07		185,31,79	
		23377,86,71		**23577,34,78**
VIII लाभ-हानि खाते का अधिशेष		**5881,40,49**		**(3600,84,47)**
योग		**279195,59,89**		**252982,72,85**

* नोट: राजस्व एवं अन्य आरक्षितियों में शामिल हैं

(i) एकीकरण एवं विकास निधि (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखी गई) के ₹5,00,00 हजार (पिछले वर्ष ₹5,00,00 हजार)

(ii) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष आरक्षित निधियाँ ₹15696,95,76 हजार (पिछले वर्ष ₹14528,51,76 हजार)

(iii) निवेश आरक्षित निधियाँ चालू वर्ष ₹ शून्य (पिछला वर्ष ₹ शून्य)

अनुसूची 3 - जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क. I. मांग जमाराशियाँ		
(i) बैंकों से	6551,52,93	5815,51,86
(ii) अन्य से	270172,30,80	280881,87,39
II. बचत बैंक जमाराशियाँ	1526856,80,29	1384583,88,91
III. सावधि जमाराशियाँ		
(i) बैंकों से	7909,81,63	5585,34,88
(ii) अन्य से	2240043,66,62	2004410,44,92
योग	**4051534,12,27**	**3681277,07,96**
ख. I. भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ	3920200,81,67	3570164,90,88
II. भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	131333,30,60	111112,17,08
योग	**4051534,12,27**	**3681277,07,96**

अनुसूची 4 - उधार-राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I. भारत में उधार-राशियाँ				
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक		24956,00,00		24956,00,00
(ii) अन्य बैंक		-		37,00,00
(iii) अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण		144073,34,11		154138,69,61
(iv) पूंजी लिखतें :				
क. नवोन्मेषी सतत ऋण लिखतें (आईपीडीआई)	36709,70,00		29835,70,00	
ख. गौण ऋण	35289,90,00		36289,90,00	
		71999,60,00		66125,60,00
योग		**241028,94,11**		**245257,29,61**
II. भारत के बाहर उधार-राशियाँ				
(i) भारत के बाहर उधार-राशियाँ तथा पुनर्वित्त		185014,43,87		169847,10,27
(ii) पूंजीगत लिखतें :				
नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई)		-		2193,30,00
योग		**185014,43,87**		**172040,40,27**
कुल योग		**426043,37,98**		**417297,69,88**
उपर्युक्त I व II में प्रतिभूत उधार-राशियाँ सम्मिलित हैं		178690,84,91		183941,81,71

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ व प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. संदेय बिल	33431,04,90	17685,38,79
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	2344,61,99	-
III. उपचित ब्याज	17704,33,21	15378,91,12
IV. आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	2,55,53	2,46,48
V. अन्य (प्रावधानों सहित)*	176449,28,65	148912,89,92
योग	**229931,84,28**	**181979,66,31**

* मानक आस्तियों के लिए ₹19972,60,99 हजार का विवेकशील प्रावधान शामिल है (पिछले वर्ष ₹15293,97,78 हजार)

अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट तथा स्वर्ण सहित)	21742,92,83	23403,41,73
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
(i) चालू खाते में	236116,27,88	189798,11,90
(i) अन्य खाते में	-	-
योग	**257859,20,71**	**213201,53,63**

अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ व मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
(क) चालू खातों में	-	40,80
(ख) अन्य जमा खातों में	-	-
(ii) मांग तथा अल्पकालीन सूचना पर प्राप्य राशि		
(क) बैंकों में	60953,22,08	47369,93,31
(ख) अन्य संस्थानों में	-	-
योग	**60953,22,08**	**47370,34,11**
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खातों में	61541,33,80	63326,17,58
(ii) अन्य जमा खातों में	2772,69,44	8311,59,05
(iii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	11425,86,08	10829,06,57
योग	**75739,89,32**	**82466,83,20**
कुल योग (I एवं II)	**136693,11,40**	**129837,17,31**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में निवेश :		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	1162182,63,96	1055288,64,35
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
(iii) शेयर	12424,39,66	7981,38,03
(iv) डिबेंचर और बांड	215804,42,59	208888,60,89
(v) अनुषंगियों तथा/अथवा संयुक्त उद्यमों में (इसमें सहयोगी सम्मिलित हैं)*	14012,38,80	13475,17,45
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिट इत्यादि)	23582,24,18	18640,33,06
योग	**1428006,09,19**	**1304274,13,78**
II. भारत के बाहर निवेश		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)	19728,93,24	17946,34,44
(ii) विदेश में स्थापित अनुषंगियाँ तथा/अथवा संयुक्त उद्यम	5028,44,04	4768,15,85
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)	28682,00,51	24716,56,44
योग	**53439,37,79**	**47431,06,73**
कुल योग (I एवं II)	**1481445,46,98**	**1351705,20,51**
III. भारत में निवेश :		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	1439648,85,34	1314424,07,05
(ii) घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	11642,76,15	10149,93,27
(iii) निवल निवेश (उपर्युक्त I के अनुसार)	1428006,09,19	1304274,13,78
IV. भारत के बाहर निवेश :		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	53537,57,21	47461,40,62
(ii) घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	98,19,42	30,33,89
(iii) निवल निवेश (उपर्युक्त II के अनुसार)	53439,37,79	47431,06,73
कुल योग (III एवं IV)	**1481445,46,98**	**1351705,20,51**

* शेयर आवेदन राशि सहित

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क. I. क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	167282,62,94	95035,10,23
II. कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	713526,87,72	676439,31,40
III. सावधि ऋण	1853157,08,63	1678023,37,48
योग	**2733966,59,29**	**2449497,79,11**

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
ख.	I.	मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम ₹130915,53,15 हजार शामिल है) (पिछले वर्ष ₹134277,32,43 हजार)	1874674,76,97	1760153,24,52
	II.	बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा संरक्षित	114697,57,23	96522,71,33
	III.	अप्रतिभूत	744594,25,09	592821,83,26
योग			**2733966,59,29**	**2449497,79,11**
ग	**I.**	**भारत में अग्रिम**		
		(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	658546,87,83	564570,85,92
		(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	167189,34,75	257241,31,86
		(iii) बैंक	1001,87,68	4618,77,18
		(iv) अन्य	1496980,59,45	1267713,73,45
योग			**2323718,69,71**	**2094144,68,41**
	II.	**भारत के बाहर अग्रिम**		
		(i) बैंकों से प्राप्य	119036,89,80	79713,82,13
		(ii) अन्य से प्राप्य		
		(क) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	35342,14,75	34993,56,29
		(ख) सिंडीकेट ऋण	182163,55,96	170243,57,62
		(ग) अन्य	73705,29,07	70402,14,66
योग			**410247,89,58**	**355353,10,70**
कुल योग (ग-I एवं ग-II)			**2733966,59,29**	**2449497,79,11**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I.	**परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसरों सहित)**				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/पुनर्मूल्यांकित पर	30362,68,76		30317,86,54	
	परिवर्धन:				
	- वर्ष के दौरान	107,12,39		80,86,88	
	- पुनर्मूल्यांकन हेतु	-		-	
	कटौतियाँ				
	- वर्ष के दौरान कटौतियाँ	1,16,82		25,51,07	
	- वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन	15,50,22		10,53,59	
	अद्यतन मूल्यह्रास				
	- लागत पर	1058,70,21		945,18,85	
	- पुनर्मूल्यांकन पर	1028,90,79		850,52,10	
			28365,53,11		**28566,97,81**

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
II. अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर तथा फिक्सचर सम्मिलित हैं)				
पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/ पुनर्मूल्यांकन पर	36131,54,03		33497,62,10	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2608,18,79		3359,77,85	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	567,89,53		725,85,92	
अद्यतन मूल्यह्रास	29069,87,58		26631,11,10	
		9101,95,71		**9500,42,93**
III. निर्माणाधीन आस्तियां (परिसर सहित)		**240,67,01**		**351,83,45**
कुल (I, II, एवं III)		**37708,15,83**		**38419,24,19**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	20540,95,39
II. उपचित ब्याज	33675,81,75	30034,46,90
III. अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती	22292,88,93	26023,99,26
IV. आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	6247,27,92	6559,27,43
V. लेखन सामग्री तथा स्टैम्प	18,28,40	80,41,65
VI. दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां	56,10	56,10
VII. अन्य *	277690,03,23	268529,01,64
कुल	**339924,86,33**	**351768,68,37**

(*नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी में जमा रखे गए ₹195618,29,52 हजार (पिछले वर्ष ₹184093,45,48 हजार) की जमाराशियाँ शामिल हैं।

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	85961,67,98	79083,37,30
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों/ जोखिम निधि के लिए देयता	1982,56,16	1508,40,25
III. बकाया वादा विनिमय संविदाओं के संबंध में देयता	1212393,31,12	1027974,90,38
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	166478,97,17	173090,50,78
(ख) भारत के बाहर	95194,96,23	72702,50,07
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	178718,66,77	148827,19,35
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है*	266353,28,63	203763,03,04
योग	**2007083,44,06**	**1706949,91,17**

* ₹ 259459,41,01 हजार के डेरिवेटिव (पिछले वर्ष ₹ 198094,76,48 हजार) शामिल हैं।

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

(000 को छोड़ दिया गया है)

		अनुसूची संख्या	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	**आय**			
	अर्जित ब्याज	13	275457,29,04	265150,63,38
	अन्य आय	14	40563,91,40	43496,37,47
योग			**316021,20,44**	**308647,00,85**
II.	**व्यय**			
	व्यय किया गया ब्याज	15	154749,70,43	154440,63,33
	परिचालन व्यय	16	93397,51,52	82652,22,35
	प्रावधान और आकस्मिक व्यय		36198,00,44	51143,68,23
योग			**284345,22,39**	**288236,53,91**
III.	**लाभ**			
	निवल लाभ वर्ष के लिए		31675,98,05	20410,46,94
	जोड़ें: आगे लाया गया लाभ/ (हानि)		(3600,84,46)	(10498,30,21)
योग			**28075,13,59**	**9912,16,73**
IV.	**विनियोजन**			
	सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरण		9502,79,42	6123,14,08
	पूंजी आरक्षित निधियों को अंतरण		538,15,24	1465,12,42
	निवेश उतार-चढ़ाव निधि में अंतरण		4647,87,02	1928,19,63
	राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों को अंतरित		1168,44,00	426,70,60
	चालू वर्ष के लिए लाभांश		6336,47,42	3569,84,46
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई शेष राशि		5881,40,49	(3600,84,46)
योग			**28075,13,59**	**9912,16,73**
V.	**प्रति शेयर मूल आय (प्रति शेयर 1 रुपए का अंकित मूल्य)**			
	मूल (₹)		35.49	22.87
	डाइल्यूटेड (₹)		35.49	22.87
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
	लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ और हानि लेखा का अभिन्न अंग हैं।

श्री अश्विनी कुमार तिवारी
प्रबंध निदेशक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियां)

श्री स्वामीनाथन जे.
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, अनुपालन एवं एसएआरजी)

श्री अश्वनी भाटिया
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग एवं ग्लोबल मार्केट्स)

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

निदेशक:

श्री बी वेणुगोपाल
डॉ गणेश नटराजन
श्री मृगांक एम परांजपे
श्री केतन एस विकमसी
श्री संजीव माहेश्वरी
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2022

इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

शैलेश शाह
भागीदार स.क्र. 033632
फर्म पं. क्र. 105049W
UDIN:22033632AIXHQQ3021

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हेनील के पटेल
भागीदार स.क्र. 114103
फर्म पं. क्र. 109574W
UDIN:22114103AIXKLG7230

कृते उमामहेश्वर राव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एल श्यामा प्रसाद
भागीदार स.क्र. 028224
फर्म पं. क्र. 004453S
UDIN:22028224AIXHMB9621

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

अनुज ढींगरा
भागीदार स.क्र. 512535
फर्म पं. क्र. 000235N/N500089
UDIN:22512535AIXKXX2970

कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार

प्रवीण कुमार
भागीदार स.क्र. 088810
फर्म पं. क्र. 009571N/N500006
UDIN:22088810AIXJER5275

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

प्रेम बिहारी गुप्ता
भागीदार स.क्र. 080245
फर्म पं. क्र. 000425N
UDIN:22080245AIXKLC5297

कृते गुहा नंदी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

डॉ बी एस कुंडु
भागीदार स.क्र. 051221
फर्म पं. क्र. 302039E
UDIN:22051221AIXPYM6914

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एम आर जैन
भागीदार स.क्र. 050919
फर्म पं. क्र. 303002E
UDIN:22050919AIXHIH2828

कृते के सी मेहता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

चिराग बक्शी
भागीदार स.क्र. 047164
फर्म पं. क्र. 106237W
UDIN:22047164AIXKOQ4739

कृते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

अनिरुद्ध सेनगुप्ता
भागीदार स.क्र. 051371
फर्म पं. क्र. 311017E
UDIN:22051371AIXHWT8422

कृते सूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी नटराजन
भागीदार स.क्र. 223118
फर्म पं. क्र. 004283S
UDIN:22223118AIXKPX8986

कृते तलाती एंड तलाती एलएलपी
सनदी लेखाकार

आनंद शर्मा
भागीदार स. क्र. 129033
फर्म पं. क्र. 110758W/W100377
UDIN:22129033AIXMPT2135

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2022

लाभ और हानि खाते में शामिल अनुसूचियां 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	171823,73,09	171429,13,89
II. निवेशों पर आय	84877,20,42	79808,09,01
III. भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य अंतर-बैंक निधियों के अधिशेष पर ब्याज	4377,91,06	4317,53,07
IV. अन्य	14378,44,47	9595,87,41
योग	**275457,29,04**	**265150,63,38**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	24565,21,06	23517,51,44
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) [1]	3485,08,43	6030,93,10
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(263,27,88)	-
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(16,86,60)	(28,58,17)
V. विनिमय लेनदेनों पर लाभ/ (हानि) (निवल)	3479,04,06	2409,63,79
VI. विदेश/भारत में अनुषंगियों/कंपनियों तथा/या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों इत्यादि के रूप में अर्जित आय	718,37,49	642,86,22
VII. विविध आय [2]	8596,34,84	10924,01,09
योग	**40563,91,40**	**43496,37,47**

[1] निवेशों की बिक्री पर (निवल) लाभ/(हानि) में ₹शून्य की विशेष मदें शामिल हैं।(पिछले वर्ष ₹ 1539,73,30 हजार)

[2] विविध आय में अपलिखित खातों में की गई ₹7781,69,59 हजार की वसूली शामिल है (पिछले वर्ष ₹10297,21,29 हजार)

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज	141247,47,11	142435,24,72
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	7779,35,70	6130,13,01
III. अन्य	5722,87,62	5875,25,60
योग	**154749,70,43**	**154440,63,33**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान[3]	57561,98,54	50936,00,01
II. भाड़ा, कर और लाइटिंग	5362,15,52	5253,17,14
III. मुद्रण और लेखन सामग्री	615,09,43	505,24,14
IV. विज्ञापन व प्रचार	316,15,73	238,41,25
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास	3248,58,59	3317,55,25
VI. निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	1,70,49	2,43,12
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस तथा व्यय सहित)	270,60,67	274,18,79
VIII. विधि प्रभार	241,38,60	215,25,31
IX. डाक व्यय, तार, टेलीफोन इत्यादि	507,66,87	301,86,59
X. मरम्मत और अनुरक्षण	1036,20,89	916,42,58
XI. बीमा	5239,81,42	4348,00,06
XII. अन्य व्यय	18996,14,77	16343,68,11
योग	**93397,51,52**	**82652,22,35**

[3] 11 नवंबर 2020 के द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के अंतर्गत कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान तथा पारिवारिक पेंशन में हुई वृद्धि के लिए ₹ 7418,39,00 हजार (पिछले वर्ष शून्य) को असाधारण मद के रूप में शामिल किया है।

अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. पृष्ठभूमि :

भारतीय स्टेट बैंक, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा सांविधिक निकाय है, जो व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े कॉरपोरेटों, सार्वजनिक निकायों एवं संस्थागत ग्राहकों को व्यापक श्रेणी के उत्पाद एवं सेवाएँ प्रदान करने में लगा है। बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 द्वारा शासित होता है।

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों अर्थात बैंक के वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उनकी प्रस्तुति में लागू किए जाने वाले विशिष्ट लेखा सिद्धांतों एवं लागू करने की विधियों को नीचे दिया गया है।

ख. तैयार करने का आधार :

बैंक की लेखांकन और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों, निर्देशों और दिशानिर्देशों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के वैधानिक दिशा-निर्देशों और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा सामान्य व्यवहारों के अनुरूप है।

विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में संबद्ध देश के सांविधिक प्रावधान एवं स्थानीय क़ानून ज्यादा विवेकपूर्ण होने पर उनका अनुपालन किया जाता है।

बैंक के वित्तीय विवरण स्थिरता और संचय की मौलिक लेखा मान्यताओं के साथ, अवधिगत लागत परिपाटी, कार्यशील संस्था अवधारणा, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, को ध्यान में रखते हुए लेखा की निरंतर प्रोद्भवन पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं।

यह वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

ग. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन-मंडल को उन प्राक्कलनों और धारणाओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें वित्तीय विवरणों की तारीख और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान रिपोर्ट की गई आय और व्यय के रूप में आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देनदारियों सहित) की कथित राशि में माना जाता है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में इस्तेमाल किया गया प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है।

वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

घ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. राजस्व निर्धारण :

1.1 जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, आय और व्यय की गणना सामान्यत: उपचय आधार पर की गई है।

1.2 ब्याज/छूट आय को लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित के लिए वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है:

(i) विदेशी कार्यालयों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक/ संबंधित देश विनियामकों (जिसे सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकरण कहा गया है) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निवेश सहित गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) से आय

(ii) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय को "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।

1.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में किए गए निवेश की बिक्री पर और अचल आस्तियों की बिक्री पर लाभ को, इस संबंध में लागू करों और सांविधिक रिजर्व में अंतरण हेतु अपेक्षित राशि को घटाकर 'कैपिटल रिजर्व' में विनियोजित किया जाता है।

परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी में निवेश के अधिग्रहण पर छूट यदि कोई हो, तो उसे निम्नानुसार गिना जाता है:

क. ब्याज वाली प्रतिभूतियों पर आय विक्रय और शोधन के समय हिसाब में लिया जाता है।

ख. शून्य कूपन वाली प्रतिभूतियों पर प्राप्त आय का समायोजन, सतत आय के आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए किया गया है।

1.4 जहां लाभांश प्राप्त करने का अधिकार तय है वहाँ लाभांश की गणना उपचित आधार पर की गयी है।

1.5 साख पत्र (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी), आस्थगित भुगतान गारंटी, सरकारी व्यवसाय, एटीएम इंटरचेंज शुल्क और "पुनर्गठित खाते पर अग्रिम शुल्क" पर कमीशन को इस अवधि के दौरान आनुपातिक रूप से अर्जित आधार पर हिसाब में लिया गया है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय को उनकी प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया गया है।

1.6 विशेष आवास ऋण योजना के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम (दिसंबर 2008 से जून 2009 तक) का परिशोधन 15 वर्षों की औसत ऋण अवधि में किया गया है।

1.7 बॉन्ड/ जमापत्र जारी करने के लिए अदा की गई गई दलाली, कमीशन को संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को अग्रिम रूप से प्रभारित किया गया है।

1.8 बैंक जब अपनी वित्तीय आस्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को बेचता है, तो वह इसे अपने खातों से हटा देता है और उन्हें निम्नानुसार हिसाब में लेता है :

I. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटाकर) से कम है, तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाता है।

II. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है, तो अतिरिक्त प्रावधान की राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

2. निवेश

निवेशों के वर्गीकरण एवं मूल्य निर्धारण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के नीचे दिए गए वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को हिसाब में लिया जाता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

2.1 वर्गीकरण :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "व्यवसाय के लिए धारित" (एचएफटी)। तुलनपत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों का वर्गीकरण भारत में और भारत के बाहर के निवेश के रूप में किया गया है।

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का पुनः वर्गीकरण (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii)अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, (iii) शेयर, (iv) बॉन्ड एवं डिबेंचर, (v) अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यम और (vi) अन्य के रूप में किया गया है। 'भारत के बाहर के निवेशों' को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यम और (iii) अन्य निवेश।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. जिन निवेशों को बैंक परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. जिन निवेशों को सिद्धांततः क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, उन्हें "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उसके पश्चात श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

v. जिन निवेशों को बाद में बेच देने के उद्देश्य से ही खरीदा और रखा जाता है, को छोड़कर अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे निवेशों को "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 मूल्यांकन :

i. सभी प्रतिभूतियों में लेन-देन एक निपटान तिथि पर दर्ज किए जाते हैं और लागत एचटीएम श्रेणी के तहत निवेश को छोड़कर भारित औसत लागत विधि पर निर्धारित की जाती है जो एफआईएफओ आधार (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट) पर आधारित हैं।

   क) अभिदानों पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है। निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को उसी के व्यय में शामिल कर लिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

   ख) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

ii. **परिपक्वता तक धारित श्रेणी के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन:**

   क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों को अधिग्रहण लागत पर लेखे में लिया गया है अभिग्रहण पर प्रदत्त कमीशन का परिशोधन नियत आय आधार पर परिपक्वता अवधि के लिए किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर आय" शीर्ष के अंतर्गत हिसाब में लिया गया है।

   (ख) अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में निवेश (देश और विदेश दोनों) को अवधिगत लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है। प्रत्येक निवेश के मामले में अस्थायी से इतर कमी की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है।

   (ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश को रखाव लागत (यानी बही मूल्य) आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

iii. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियों का मूल्यांकन:**

   एएफएस एवं एचएफटी श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से संबद्ध प्रत्येक समूह जैसे (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (iii) शेयर iv) बांड एवं ऋणपत्र v) अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम (vi) अन्य के लिए सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है।

iv. **निवेशों का अंतर-श्रेणी अंतरण होने पर मूल्यांकन की नीति :**

   क) एचटीएफ/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण, अंतरण की तिथि को अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई हो तो, उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

   ख) एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण अभिग्रहण मूल्य/बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण के तुरंत बाद इन प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामी मूल्यह्रास के लिए लाभ और हानि खाते में प्रावधान किया जाता है।

v. **प्रतिभूति रसीदों पर प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में मूल्यांकन:**

   क) एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री के माध्यम से प्राप्त सुरक्षा प्राप्तियों में निवेश को i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) ii) प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य, दोनों में जो भी कम हो, को हिसाब में लिया जाता

   ख) प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन गैर-एसएलआर लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों

में प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन संबंधित योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना ऐसे निवेशों के मूल्यन के लिए की गई है।

vi) ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

2.4 **निवेश (एनपीआई)**

i. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

(क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

(ख) इक्विटी शेयरों के मामले में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन ₹1/- प्रति कंपनी किया गया है, वहाँ ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

(ग) यदि एक ही उधारकर्ता/सुविधा द्वारा प्राप्त की गई किसी ऋण सुविधा को गैर-निष्पादित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो बैंक निवेश को गैर-निष्पादित निवेश के रूप में वर्गीकृत करता है। उपर्युक्त नियम आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा, जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) ऐसे डिबेंचरों/बांडों में निवेश जिसे अग्रिम माना गया है, पर भी अनर्जक निवेश के वही मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

ii. विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु वर्गीकरण एवं प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों, इनमें से जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

2.5 रेपो/रिवर्स रिपो लेनदेन के लिए लेखांकन :

बैंक चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक एवं बाजार भागीदारों के साथ रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन करता है। पुनर्खरीद लेनदेन प्रतिभूतियों को पुनर्खरीद करने के लिए एक समझौते के साथ प्रतिभूतियों को बेचकर उधार को दर्शाता है। प्रतिभूतियों की खरीद द्वारा उधार ली गई निधियाँ रिवर्स रेपो लेनदेन होते हैं।

(क) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ के लेनदेनों को संपार्श्विक उधार देने एवं उधार लेने के लेनदेन के रूप में हिसाब में लिया गया है।

(ख) बाजार रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों में बेची गई (खरीदी गई) एवं पुनः खरीदी गई (पुनः बेची गई) प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त विक्रय (क्रय) लेनदेन के रूप में हिसाब में लिया गया है और प्रतिभूतियों की ऐसी आवाजाही को रिपो/ रिवर्स रिपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि को प्रतिवर्तित किया गया है।

(ग) रेपो खाते में शेष को अनुसूची 4 (उधार) के तहत वर्गीकृत किया गया है।

(घ) रिवर्स रेपो खाते में 14 दिनों या उससे कम की मूल अवधि के साथ शेष राशि को अनुसूची 7 (कॉल और शॉर्ट नोटिस पर बैंकों और धन के साथ शेष) के तहत वर्गीकृत किया गया है। मूल परिपक्वता वाले रिवर्स रेपो को 14 दिनों से अधिक लेकिन 1 वर्ष तक के लिए अनुसूची 9 (अग्रिम) के तहत नकद क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर पुनर्भुगतान योग्य ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी रिवर्स रेपो को अनुसूची 9 (अग्रिम) के तहत सावधि ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्य रेपो लेनदेन उधार लेने की लागत एवं रेवर्स रेपो लेनदेनों पर आय को क्रमशः ब्याज व्यय एवं ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया गया है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान: :

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निदेशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण निम्नानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में किया गया है:

i. सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;

ii. ओवरड्राफ्ट या नकदी-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" ("आउट ऑफ आर्डर)" रहने अर्थात् बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाने या तुलनपत्र की तिथि तक लगातार 90 दिनों तक किसी भी राशि को जमा नहीं किए जाने अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त होने पर इन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहने पर उन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है;

iv. कृषि अग्रिमों के मामले में यदि (क) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल-मौसमों के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ख) दीर्घावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहते हैं, उन्हें अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

i. अवमानक: कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक है।

ii. संदिग्ध: कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक रही है।

iii. हानिप्रद: कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की पहचान की गई है, किंतु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते नहीं डाला गया है।

3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं :

अवमानक आस्तियाँ :	i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान ii. प्रारंभ से ही अप्रतिभूत ऋण जोखिमों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति की वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है) iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ एस्क्रो खाते आदि जैसे कुछ बचाव उपाय उपलब्ध हैं, से संबंधित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20%
संदिग्ध आस्तियां :	
-प्रतिभूत हिस्सा :	i. एक वर्ष तक - 25%
	i. एक से तीन वर्ष - 40%
	i. तीन वर्ष से अधिक - 100%
-अप्रतिभूत हिस्सा	100%
हानिप्रद आस्तियां :	100%.

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों इनमें से जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर हानियों के लिए किए गए प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्रचित/पुन: निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप संबंधित ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान के अलावा पुनर्रचना के पहले एवं बाद ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य के अंतर के लिए भी प्रावधान किया जाता है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी एवं छोड़ दिए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है, तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएँ और प्रावधान-अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दिए गए हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

3.10 बैंक निम्नलिखित आरबीआई परिपत्र के अनुसार पुनर्गठित विशिष्ट गैर-निष्पादित आस्तियों और आस्तियों पर अतिरिक्त प्रावधान भी करता है

3.11 अनर्जक आस्तियों में वसूली का समायोजन निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता गहै:

क. प्रभार, लागत, कमीशन आदि

ख. अप्राप्त ब्याज/ब्याज

ग. मूलधन

तथापि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के जरिए समझौता एवं समाधान/निपटान के मामलों में वसूलियों का समायोजन संबंधित समझौता/समाधान/निपटान की शर्तों के अनुसार किया जाता है। वाद दायर किए गए खातों में वसूली का समायोजन संबंधित न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4. अस्थिर प्रावधान एवं प्रतिचक्रीय (काउंटर साइक्लिकल) प्रावधान बफर :

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु अच्छे समय में प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर तथा अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग की नीति विद्यमान है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधान एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर की मात्रा का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है। प्रति चक्रीय प्रावधानों का प्रयोग केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है।

5. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा- नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। इस प्रावधान को तुलनपत्र की अनुसूची 5 के "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स:

6.1 बैंक विदेशी मुद्रा ऑप्शन, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर स्वैप और तुलनपत्र से बाहर/बैलेंस शीट से इतर आस्तियों और देनदारियों को हेज करने के लिए या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए डेरिवेटिव करार करता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए हेजिंग करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन

डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे हेजिंग लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

6.2 हेज संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को संचय के आधार पर दर्ज किया गया है। हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती, जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक समय के लिए अतिदेय रहती है, को लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता कुल प्राप्य राशियाँ" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य राशियाँ 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गई हो, तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंत खाता सकारात्मक एमटीएम" में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर (ओटी) विकल्पों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दी गई प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ, मूल्यह्रास और परिशोधन:

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन घटाकर किया गया है। पुनर्मूल्यांकन की तारीख को संचित मूल्यह्रास घटाने के बाद उचित मूल्य होने के कारण पूर्ण स्वामित्व वाले परिसरों का अंकन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व अदा की गई प्रोफेशनल फीस शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय/व्ययों को केवल तभी पूंजीकरण किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं। देशी कार्यालयों की अचल आस्तियों का मूल्यह्रास आस्तियों की उपयोगिता अवधि के आधार पर निम्नानुसार सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है:

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	उपयोगिता अवधि मूल्यह्रास
i.	कंप्यूटर	3 वर्ष
ii.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	3 वर्ष
iii.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	3 वर्ष
iv,	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/कैश डिपॉजिट मशीन/ क्वाइन डिस्पेंसर/क्वाइन वेंडिंग मशीन	5 वर्ष
v.	सर्वर	4 वर्ष
vi.	नेटवर्क उपकरण	5 वर्ष
vii.	अन्य प्रमुख अचल आस्तियां :	
	परिसर	60 वर्ष
	वाहन	5 वर्ष
	सुरक्षित जमा लॉकर	20 वर्ष
	फर्नीचर व फिक्सचर	10 वर्ष

7.3 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.4 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम था, उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.5 पट्टाकृत परिसरों से संबद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो, को पट्टा अवधि में (परिसर एवं बेमियादी पट्टे पर भूमि को छोड़कर) परिशोधित किया गया है और परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा आधार पर लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में हिसाब में लिया गया है।

7.6 विदेश स्थित कार्यालयों की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

7.7 बैंक प्रत्येक तीन वर्षों में पूर्ण स्वामित्व की अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन करता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्ति के मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों से अन्य राजस्व आरक्षिति को विनियोजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के समय यथामूल्यांकित आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि पर किया जाता है।

8. पट्टे :

ऊपर पैरा 3 में निर्धारित किए गए अनुसार आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड वित्तीय पट्टों पर भी लागू हैं।

9. आस्तियों के मूल्य में कमी:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव राशि की वसूली संदिग्ध है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों के मूल्य में आई कमी

की समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयुक्त आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति की रखाव राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है, तो अपसामान्यता का माप उस राशि के आधार पर किया जाता है, जो आस्ति की रखाव राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन :

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (हाजिर/ वायदा) दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम हाजिरी दर का प्रयोग करके दी गई है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया विदेशी मुद्रा हाजिर तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. उन विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम हाजिर दर पर पुनः मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. मौद्रिक मदों के निपटान से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को आरंभ से दर्ज की गई दरों से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की खुली स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन :

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों (ओ बी यू) को गैर-समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. गैर-समाकलित परिचालन:

i. गैर-समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. गैर-समाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित तिमाही की औसत अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर- राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है।

iv. विदेशी कार्यालयों की विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) तुलनपत्र की तिथि में उस देश पर लागू हाजिर दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित की गयी है।

ख. समाकलन परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों (हाजिरी/वादा) पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर (स्पॉट) दर पर रूपांतरित की गई हैं।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके दी गई है।

11. कर्मचारी हितलाभ :

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ:

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, जैसे अल्पावधि कर्मचारी हितलाभों की गैर-बट्टाकृत राशियों को कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान हिसाब में लिया गया है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजनाएं :

क. बैंक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। सभी पात्र कर्मचारी बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत ये हितलाभ प्राप्त करने के

हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है।

(i) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि होती है, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन रहती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

(ii) बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। यह हितलाभ नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है। बैंक एसबीआई पेंशन निधि नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियमों के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक आधार पर इस निधि में अतिरिक्त अंशदान करता है।

ग. नियत हितलाभ प्रदान करने संबंधी लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरंत शामिल कर दिया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है।

ii. नियत अंशदान योजना :

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और ऐसे नए कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10% राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन वार्षिक अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ :

क. बैंक का प्रत्येक पात्र कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा-रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरंत शामिल कर दिया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया जाता है।

12. खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुसार व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्ट खंड तथा भौगोलिक खंड को गौण रिपोर्टिंग खंड के रूप में मानता है।

13. आय पर कर :

बैंक द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर व्यय की कुल राशि आय कर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो 'आय पर कर का लेखांकन' से संबंधित है, के अनुसार किया जाता है और ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट हैं। आस्थगित कर-आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रनीत हानि के बीच के अवधिगत अंतर के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तारीख को लागू या बाद में लागू कर दरों और कर नियमों द्वारा मापा जाता है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है। क्या आस्थगित कर आस्तियों

की वसूली निश्चित है, इस बारे में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर उनको प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को हिसाब में लिया जाता है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। आस्थगित कर आस्तियों को गैर-आमेलित मूल्यह्रास और कर घाटा के रूप में तभी माना जाता है, जब यह निश्चित रूप से प्रमाण द्वारा समर्थित हो कि इस तरह की आस्थगित कर आस्ति को भविष्य के लाभ के रूप में वसूल किया जा सकता है।

14. प्रति शेयर आय:

14.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 “प्रति शेयर आय” के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय सूचित करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना ईक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य उस वर्ष के कर पश्चात निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

14.2 कम की हुई प्रति शेयर आय से वह संभावित कमी सूचित होती है, जो इक्विटी शेयरों को जारी करने हेतु प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने पर घटती है। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

15.1भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखा मानक 29 “प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ” के अनुरूप बैंक प्रावधान को तभी मानता है, जब उसमें पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व उत्पन्न हुआ हो और इससे देयता की पूर्ति करने के लिए आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों का संभावित बहिर्गमन हो तथा जब देयता की राशि का सही आकलन किया जा सके।

15.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है:

i. पिछले परिणाम से उद्भूत किसी संभावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किंतु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व की पूर्ति हेतु आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख. दायित्व की पूर्ति हेतु राशि का सही आकलन नहीं किया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का मूल्यांकन नियमित अंतरालों पर किया जाता है। केवल उन अपवादात्मक परिस्थितियों जहां, कोई सही आकलन नहीं किया जा सकता, को छोड़कर ऐसे दायित्व के केवल उस अंश के लिए प्रावधान किया जाता है, जिसके आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है।

15.3 बैंक के डेबिट कार्डधारकों को दिए जाने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

15.4 दुर्वह संविदाओं के लिए प्रावधान तभी किया जाता है, जब किसी संविदा से बैंक को प्राप्त होने वाले संभावित लाभ संविदा के अंतर्गत भावी देयताओं की पूर्ति के अपरिहार्य व्ययों से कम हो। प्रावधान राशि का निर्धारण संविदा को समाप्त करने के संभावित न्यूनतम व्यय के वर्तमान मूल्य एवं संविदा को जारी रखने के संभावित निवल व्यय पर किया जाता है। प्रावधान की राशि का निर्धारण करने से पूर्व बैंक संविदा से जुड़ी आस्तियों पर नुकसान को हिसाब में लेता है।

15.5 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

16. सर्राफा लेनदेन:

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातु बारों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर शुल्क के रूप में आय प्राप्त करता है। इस शुल्क की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक स्वर्ण जमा करने के लिए लेता है और इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा/अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वर्ण जमा, धातु ऋण अग्रिम तथा अंतिम स्वर्ण शेष को तुलन-पत्र की तिथि पर उपलब्ध बाजार दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

17. विशेष आरक्षित निधियां:

राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

18. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्ययों को शेयर प्रीमियम खाते को प्रभारित किया जाता है।

19. नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास का नकद एवं शेष, बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय धन शामिल है।

अनुसूची- 18- लेखा-टिप्पणियाँ

18.1 विनियामक पूंजी

क. विनियामक पूंजी की संरचना

बेसल II के अनुसार

क्र. सं.	मदें	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	लागू नहीं	
(ii)	टियर 1 पूंजी-अनुपात (%)	11.16%	11.19%
(iii)	टियर 2 पूंजी-अनुपात (%)	2.69%	2.63%
(iv)	कुल पूंजी-अनुपात- (%)	13.85%	13.82%

बेसल - III के अनुसार

(राशि ₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मदें	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
(i)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी	2,46,360.79	2,25,248.09
(ii)	अतिरिक्त इक्विटी टियर 1 पूंजी	36,709.70	31,928.94
(iii)	टियर 1 पूंजी (i+ii)	2,83,070.49	2,57,177.03
(iv)	टियर 2 पूंजी	59,721.52	51,715.70
(v)	कुल पूंजी (टियर 1+ टियर 2)	3,42,792.01	3,08,892.73
(vi)	कुल जोखिम भारित आस्तियाँ (आरडब्ल्यूए)	24,78,703.46	22,49,038.34
(vii)	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सामान्य इक्विटी टियर 1)	9.94%	10.02%
(viii)	टियर 1 पूंजी अनुपात (%) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी)	11.42%	11.44%
(ix)	टियर 2 पूंजी अनुपात (%) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी)	2.41%	2.30%
(x)	जोखिम भारित आस्तियों के प्रति पूंजी अनुपात(आरडब्ल्यूए) (%)(आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी)	13.83%	13.74%
(xi)	लीवरेज अनुपात	5.09%	5.12%
(xii)	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	56.92%	56.92%
(xiii)	वर्ष के दौरान उगाही गई प्रदत इक्विटी पूंजी की राशि	-	-
(xiv)	वर्ष के दौरान उगाही गई गैर-इक्विटी टियर-1 पूंजी की राशि: बेसल III अनुपालन बेमियादी ऋण लिखतें (पीडीआई):	13,974.00	6,500.00
(xv)	वर्ष के दौरान उगाही गई टियर-2 पूंजी की राशि: ऋण पूंजी लिखतें	-	20,931.00

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने 1 मार्च 2016 के परिपत्र सं. डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015-16 के माध्यम से बैंकों को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित, विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षित और आस्थगित कर आस्तियों को सीईटी-I पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना करने हेतु विवेकाधिकार दिया है। बैंक ने उपरोक्त गणना में इस विकल्प का उपयोग किया है।

ख. आरक्षित निधि से निकासी:

वर्ष के दौरान आरक्षित निधियों से लाभ व हानि खाते में कोई निकासी नहीं की गई।

ग. नवोन्मेषी बेमियादी ऋण लिखतें (आईपीडीआई)

जारी आईपीडीआई जो संमिश्र टियर-I पूंजी के लिए पात्र है तथा बकाया हैं उन आईपीडीआई का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i) विदेशी

(₹ करोड़ में)

विवरण	निर्गम तिथि	अवधि	राशि	31.03.2022 को ₹ के समतुल्य	31.03.2021 को ₹ के समतुल्य
एमटीएन कार्यक्रम 29वीं श्रृंखला के अंतर्गत जारी अतिरिक्त टियर 1 (एटी1) बॉण्ड	22.09.2016	बेमियादी अनाहूत (नॉन-काल) 5 वर्ष	300 मिलियन अमेरिकी डॉलर	निरंक	2,193.30

ii) देशीय:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	बॉण्डों का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि*	वार्षिक ब्याज की दर %
1.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी बॉण्ड 2017 अप्रतिभूत बेसल III एटी श्रृंखला IV	2,000.00	02.08.2017	8.15
2.	एसबीआई अपरिवर्तsनीय बेमियादी अप्रतिभूत बेसल III एटी1 बॉण्ड 2018	4,021.00	04.12.2018	9.56
3.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी अप्रतिभूत बेसल III एटी1 बॉण्ड 2018 श्रृंखला II	2,045.00	21.12.2018	9.37
4.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी अप्रतिभूत बेसल III एटी1 बॉण्ड 2018 श्रृंखला III	1,251.30	22.03.2019	9.45
5.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी अप्रतिभूत बेसल III एटी1 बॉण्ड 2019-20 श्रृंखला I	3,104.80	30.08.2019	8.75
6.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी अप्रतिभूत बेसल III एटी1 बॉण्ड 2019-20 श्रृंखला II	3,813.60	22.11.2019	8.50
7.	एसबीआई बेसल III-एटी1 बांड 2020-21 श्रृंखला I	4,000.00	09.09.2020	7.74
8.	एसबीआई अपरिवर्तनीय बेमियादी अप्रतिभूत बेसल III एटी1 बॉण्ड-- श्रृंखला II 2020	2,500.00	24.11.2020	7.73
9.	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत बेसल III-एटी1 बॉण्ड श्रृंखला I 2021	4,000.00	03.09.2021	7.72
10.	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत बेसल III-एटी1 बॉण्ड श्रृंखला II 2021	6,000.00	18.10.2021	7.72
11.	एसबीआई अपरिवर्तनीय अप्रतिभूत बेसल III-एटी1 बॉण्ड श्रृंखला III 2021	3,974.00	14.12.2021	7.55
कुल		**36,709.70**		

घ. गौण ऋण

बॉण्ड अप्रतिभूत, दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय एवं सम मूल्य पर मोचनीय पर होते हैं। बकाया गौण ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	बॉण्ड का स्वरूप	मूल राशि	निर्गम तिथि / मोचन की तिथि	वार्षिक ब्याज दर %	परिपक्वता अवधि (माह में)
1.	एसबीआई अपरिवर्तनीय (निजी स्थानक) बॉण्ड - 2013-14 (टियर II)	2,000.00	02.01.2014 02.01.2024	9.69	120
2.	पूर्ववर्ती एसबीएम टियर II बेसल III अनुपालक	500.00	17.12.2014 17.12.2024	8.55	120
3.	पूर्ववर्ती एसबीपी टियर II बेसल III अनुपालक (श्रृंखला I)	950.00	22.01.2015 22.01.2025	8.29	120
4.	पूर्ववर्ती एसबीबीजे टियर II बेसल III अनुपालक	200.00	20.03.2015 20.03.2025	8.30	120
5.	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल III अनुपालक (श्रृंखला XIV)	393.00	31.03.2015 31.03.2025	8.32	120
6.	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल III अनुपालक (श्रृंखला XV)	500.00	30.12.2015 30.12.2025	8.40	120
7.	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल-III - अनुपालक	300.00	31.12.2015 31.12.2025	8.40	120
8.	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल-III - अनुपालक	200.00	18.01.2016 18.01.2026	8.45	120
9.	पूर्ववर्ती एसबीएच टियर II बेसल-III - अनुपालक (श्रृंखला XVI)	200.00	08.02.2016 08.02.2026	8.45	120
10.	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत बेसल III - टियर II बॉण्ड 2018	4,115.90	02.11.2018 02.11.2028	8.90	120
11.	एसबीआई अपरिवर्तनीय, अप्रतिभूत बेसल III - टियर II बॉण्ड 2019-20	5,000.00	28.06.2019 28.06.2029	7.99	120
12.	एसबीआई यूएस बेसल III टियर II बॉण्ड 20-21 श्रृंखला I	8,931.00	21.08.2020 21.08.2035	6.80	180
13.	एसबीआई बेसल III टियर II बॉण्ड 20-21 श्रृंखला 2	7,000.00	21.09.2020 21.09.2030	6.24	120
14.	एसबीआई बेसल III टियर 2 बॉण्ड 20-21 श्रृंखला 3	5,000.00	26.10.2020 26.10.2030	5.83	120
योग		**35,289.90**			

18.2. आस्ति देयता प्रबंधन:

क. 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पद्धति

(₹ करोड़ में)

	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15 से 30 दिन	31 दिन से अधिक तथा 2 माह तक	2 माह से अधिक तथा 3 माह तक	3 माह से अधिक तथा 6 माह तक	6 माह से अधिक तथा 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक तथा 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक तथा 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमाएँ	65,464.24	79,811.62	49,407.77	66,029.77	74,518.20	62,378.97	1,69,876.16	9,51,227.96	8,88,676.97	4,42,764.54	12,01,377.92	40,51,534.12
	(61,000.40)	(81,740.96)	(37,397.22)	(60,992.50)	(67,323.35)	(52,966.63)	(1,47,492.87)	(8,84,125.18)	(7,95,452.18)	(3,81,382.99)	(11,11,402.81)	(36,81,277.08)
अग्रिम	35,455.14	17,489.88	21,462.78	45,328.82	57,802.93	59,606.96	1,53,396.53	2,20,131.63	9,63,157.51	3,58,491.91	8,01,642.50	27,33,966.59
	(44,156.96)	(13,618.48)	(16,535.47)	(37,631.95)	(44,757.21)	(35,877.97)	(1,17,416.16)	(1,98,447.37)	(8,70,870.70)	(3,19,249.93)	(7,50,935.58)	(24,49,497.79)
निवेश	324.55	1,146.46	4,577.73	3,851.73	9,930.25	21,605.55	58,778.27	96,380.18	3,88,944.97	2,54,458.06	6,41,447.72	14,81,445.47
	(-)	(723.63)	(16,260.31)	(6,012.07)	(9,495.37)	(28,297.98)	(51,810.86)	(99,275.54)	(3,31,272.42)	(2,25,496.00)	(5,83,061.03)	(13,51,705.21)
उधारियाँ	58.99	1,50,299.24	7,992.20	12,734.96	18,023.76	16,628.14	27,877.17	21,910.67	86,386.10	60,331.41	23,800.74	4,26,043.38
	(823.85)	(1,53,783.04)	(1,469.67)	(11,857.36)	(13,923.44)	(14,091.50)	(38,619.46)	(33,828.43)	(68,089.88)	(50,667.23)	(30,143.85)	(4,17,297.70)
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ#	10,959.11	7,939.73	12,880.42	25,295.77	31,319.50	32,758.84	60,542.17	58,350.82	1,29,602.34	80,642.55	63,806.67	5,14,097.92
	(20,756.79)	(4,673.29)	(6,896.79)	(15,877.37)	(18,425.06)	(21,565.40)	(42,269.41)	(52,925.55)	(1,21,257.36)	(78,665.89)	(61,116.20)	(4,44,429.10)
विदेशी मुद्रा देयताएँ $	30,609.40	9,560.59	9,743.65	17,542.84	22,526.37	26,932.35	43,668.69	56,277.39	70,303.27	46,238.82	21,258.68	3,54,662.04
		(8,346.94)	(2,687.12)	(16,523.04)	(20,318.23)	(21,034.39)	(45,402.52)	(63,708.64)	(57,863.70)	(39,598.84)	(14,511.65)	(3,17,950.91)

विदेशी मुद्रा आस्तियाँ, अग्रिमों तथा निवेशों को व्यक्त करती हैं।

$ विदेशी मुद्रा देयताएँ उधारियों तथा जमाओं को व्यक्त करती हैं।

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2021 के हैं)।

ख. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर):

i. एकल एलसीआर

- चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक को इस उद्देश्य के साथ शुरू किया गया है कि कोई बैंक भार-रहित उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्तर बनाए रखे है ताकि गंभीर तरलता दबाव परिदृश्य में 30 कैलेंडर दिन की समय अवधि के लिए बैंक की तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

$$\text{एचक्यूएलए} = \frac{\text{उच्च गुणवत्ता वाली तरल आस्तियों का स्टॉक}}{\text{अगले 30 कैलेंडर दिनों में कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह}}$$

- तरल आस्तियों में उच्च गुणवत्ता वाली वे आस्तियाँ होती हैं जिनका आसानी से नकदीकरण किया जा सकता है या किसी प्रकार के तनाव परिदृश्य में नकदी प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
- एचक्यूएलए स्टॉक में दो प्रकार की आस्तियाँ शामिल होती हैं अर्थात स्तर 1 तथा स्तर 2 आस्तियाँ। स्तर 1 आस्तियाँ 0% हेयरकट (मार्जिन) के साथ जबकि लेवल 2ए और लेवल 2बी आस्तियाँ क्रमशः 15% और 50% हेयरकट के साथ होती हैं।
- कुल शुद्ध नकदी बहिर्प्रवाह, अगले 30 कैलेंडर दिनों के लिए कुल अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह में से कुल नकदी अंतरप्रवाह को घटाकर प्राप्त राशि है।
- कुल अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाह की गणना विभिन्न श्रेणियों या प्रकार की देनदारियों और तुलनपत्र बाह्य प्रतिबद्धताओं की बकाया शेष राशि को उस दर से गुणा है, जिस पर उनका चले जाना या आहरित किया जाना अनुमानित होता है।

- कुल अपेक्षित नकदी अंतरप्रवाह की गणना संविदागत प्राप्यों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया अधिशेष को उस दर से गुणा करके किया जाता है, जिस पर उनका अंत:प्रवाह अनुमानित है, यह अनुमानित नकदी बहिर्प्रवाह की औसत 75% तक की सीमा तक होता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

(रुपए करोड़ में)

चलनिधि कवरेज अनुपात

		31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही		31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही		30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही		30 जून 2021 को समाप्त तिमाही		31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	
	एलसीआर घटक	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
	उच्च गुणवता वाली चल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)										
1	उच्च गुणवता वाली कुल चल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		11,26,684		12,04,678		12,18,824		11,62,073		11,65,122
	नकदी बहिर्वाह										
2	खुदरा जमाराशियां तथा लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियां, जिनमें से:										
(i)	स्थिर जमाराशियाँ	8,54,540	42,727	8,54,954	42,748	8,53,988	42,699	8,49,046	42,452	8,29,333	41,467
(ii)	कम स्थिर जमाराशियाँ	18,66,220	1,86,622	18,30,855	1,83,085	18,08,831	1,80,883	17,78,038	1,77,804	17,47,243	1,74,724
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन, जिनमें से:										
(i)	परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	0	0	0	0	0	0	0	0	781	195
(ii)	गैर-परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	10,33,929	6,30,544	9,78,700	5,95,527	9,65,937	5,90,798	9,42,797	5,61,775	8,83,699	5,41,738
(iii)	अप्रतिभूत उधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	प्रतिभूत थोक निधीयन	1,76,267	25	1,50,878	631	1,01,830	966	1,12,241	914	1,39,993	1,372
5	अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिसमें से										
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर तथा अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	4,01,193	4,01,193	3,41,852	3,41,852	2,51,345	2,51,345	2,12,326	2,12,326	1,52,989	1,52,989
(ii)	उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	साख एवं चलनिधि सुविधाएं	47,971	7,990	48,280	8,428	44,694	7,887	44,185	7,737	43,125	7,326
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	38,146	38,146	33,522	33,522	32,885	32,885	30,260	30,260	39,215	39,215
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	6,37,250	22,598	6,21,723	22,080	6,00,776	21,438	5,99,963	21,304	6,10,132	22,007
8	**कुल नकदी बहिर्वाह**	**50,55,515**	**13,29,845**	**48,60,765**	**12,27,873**	**46,60,286**	**11,28,902**	**45,68,854**	**10,54,572**	**44,46,513**	**9,81,034**
	नकदी अंतर्वाह										
9	प्रतिभूति ऋण (उदाहरणार्थ रिवर्स रेपो)	75,185	0	1,04,007	0	1,16,529	0	1,01,723	0	1,46,720	0
10	पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	5,04,133	4,77,011	4,29,257	4,07,358	3,40,078	3,14,257	3,07,393	2,81,125	2,36,691	2,11,019
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	44,252	36,201	50,861	43,821	60,045	52,093	51,715	44,892	41,962	35,399
12	**कुल नकदी अंतर्वाह**	6,23,571	5,13,212	5,84,125	4,51,179	5,16,653	3,66,350	4,60,832	3,26,017	4,25,373	2,46,418
13	**कुल एचक्यूएलए**		11,26,684		12,04,678		12,18,824		11,62,073		11,65,122
14	**कुल निवल नकदी बहिर्वाह**		8,16,633		7,76,695		7,62,552		7,28,555		7,34,616
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात(%)**		**137.97%**		**155.10%**		**159.83%**		**159.50%**		**158.60%**

आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2014-15/529 डीबीआर क्रमांक बीपी.बीसी.80/21.06.201/ 2014-15 दिनांक 31 मार्च, 2015 में दिए गए दिशानिर्देश अनुसार, औसत भारित और अभारित राशियों की गणना 1 जनवरी 2017 से साधारण दैनिक औसत तथा जनवरी-मार्च 2022 तिमाही के लिए 66 दिन डेटा बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए की गई है।

बैंक की एलसीआर तीन माह (वित्त वर्ष 21-22 की चौथी तिमाही) के दैनिक औसत के आधार पर 137.97% है, यह आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम 100% की सीमा से अधिक है। तिमाही के लिए औसत एचक्यूएलए ₹11,26,684 करोड़ था, जिसमें से स्तर-1 की आस्तियाँ कुल एचक्यूएलए का 95.14% हैं। स्तर-2ए आस्तियाँ कुल एचक्यूएलए का 4.23% तथा स्तर-2बी आस्तियाँ कुल एचक्यूएलए का 0.63% हैं। सरकारी प्रतिभूति कुल लेवल-1 आस्तियों का 95.68% हैं। तिमाही के दौरान, एचक्यूएलए का भारित स्तर मुख्य रूप से अतिरिक्त एसएलआर अधिशेष में कमी के कारण घटकर ₹ 77,994 करोड़ हो गया तथा भारित औसत निवल नकदी बहिर्प्रवाह की स्थिति बढ़कर ₹ 39,938 करोड़ हो गई। अंर्तप्रवाह तथा बहिर्प्रवाह की लगभग एक समान स्थिति के कारण डेरिवेटिव एक्सपोजर को महत्वपूर्ण नहीं माना गया। तिमाही के दौरान, अमेरिकी डॉलर के लिए एलसीआर (विदेशी मुद्रा की महत्वपूर्ण मात्रा जो बैंक के तुलन पत्र का 5% से अधिक है) 339.84% रहा।

बैंक में तरलता प्रबंधन की व्यवस्था आस्ति एवं देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति तथा विनियामक निर्धारण द्वारा सुनिश्चित की जाती है। देशी और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग ट्रेजरियाँ, आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अल्को) को रिपोर्ट करती हैं। बैंक के बोर्ड द्वारा अल्को को निधियन कार्यनीतियाँ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधीयन के स्रोत विवधिकृत हों तथा बैंक की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अल्को के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को आवधिक रूप में बोर्ड को रिपोर्ट किया जाता है। बैंक की तरलता आवश्यकताओं के निरंतर मूल्यांकन के लिए दैनिक/मासिक एलसीआर रिपोर्टिंग के अतिरिक्त बैंक दैनिक संरचनात्मक तरलता विवरण तैयार किया जाता है।

बैंक एसएलआर निवेशों के रूप में अनिवार्य आवश्यकता से अधिक एचक्यूएलए बनाए रखता रहा है। भली भांति विवधिकृत खुदरा जमाएँ कुल निधियन स्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास संभावित भावी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त तरलता कवर उपलब्ध है।

ii) **समेकित एलसीआर**

31 मार्च 2015 को जारी किए गए पूरक दिशानिर्देशों के माध्यम से आरबीआई ने 1 जनवरी 2016 से समेकित स्तर पर एलसीआर लागू करना निर्धारित किया है, तदनुसार, एलसीआर की गणना समूह स्तर पर की गई है।

एलसीआर समूह में शामिल की गई संस्थाएं हैं: भारतीय स्टेट बैंक और सात विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ: कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी मॉस्को, नेपाल एसबीआई बैंक लि., स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया) लिमिटेड, एसबीआई कनाडा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मॉरीशस) लि., बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया तथा एसबीआई(यूके) लि.

31 मार्च 2022 को जनवरी, फरवरी और मार्च 2021 तीन महीनों के औसत के आधार पर एसबीआई समूह का एलसीआर 138.29.% आता है, यह न्यूनतम सांविधिक आवश्यकता 100% से अधिक है।

समूह एसएलआर निवेशों के रूप में अनिवार्य आवश्यकता से अधिक एचक्यूएलए बनाए रखता रहा है। खुदरा जमा राशियाँ कुल निधियन स्रोतों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इसलिए ये भलीभाँति विविधिकृत हैं। प्रबंधन का विचार है कि बैंक के पास संभावित भावी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त तरलता कवर उपलब्ध है।

(₹ करोड़ में)

(रुपए करोड़ में)

समूह चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)

चलनिधि कवरेज अनुपात

भारतीय स्टेट बैंक समूह		31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही		31 दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही		30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही		30 जून 2021 को समाप्त तिमाही		31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही	
	जीएलसीआर घटक	कुल अभारित मूल्य (औसत)**	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)**	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)**	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)**	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)**	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)											
1	उच्च गुणवत्ता वाली कुल चल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)		11,32,828		12,10,622		12,24,707		11,68,393		11,71,796
नकदी बहिर्वाह											
2	खुदरा जमाराशियां तथा लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियां, जिनमें से:										
(i)	स्थिर जमाराशियाँ	8,63,104	43,155	8,63,351	43,168	8,62,161	43,108	8,57,321	42,866	8,37,619	41,881
(ii)	कम स्थिर जमाराशियाँ	18,77,488	1,87,749	18,42,354	1,84,235	18,20,108	1,82,011	17,89,453	1,78,945	17,58,476	1,75,848
3	अप्रतिभूत थोक निधीयन, जिनमें से:										
(i)	परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	213	53	197	49	167	42	182	46	920	230
(ii)	गैर-परिचालन जमाराशियाँ (सभी प्रतिपक्षकार)	10,36,748	6,32,558	9,81,606	5,97,336	9,69,609	5,93,180	9,45,679	5,63,525	8,86,157	5,43,301
(iii)	अप्रतिभूत उधार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	प्रतिभूत थोक निधीयन	1,76,737	156	1,51,134	663	1,02,032	971	1,12,528	943	1,40,383	1,428
5	अतिरिक्त आवश्यकताएँ, जिसमें से										
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर तथा अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	4,01,387	4,01,387	3,42,056	3,42,056	2,51,550	2,51,550	2,12,526	2,12,526	1,53,055	1,53,055
(ii)	उधार उत्पादों पर निधीयन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(iii)	साख एवं चलनिधि सुविधाएं	50,247	8,719	50,566	9,310	47,147	9,162	46,239	8,783	44,886	8,251
6	अन्य संविदागत निधीयन दायित्व	39,315	39,315	34,397	34,397	33,925	33,925	31,741	31,741	40,907	40,907
7	अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व	6,39,545	22,668	6,24,030	22,151	6,02,932	21,504	6,02,047	21,368	6,12,100	22,068
8	**कुल नकदी बहिर्वाह**	**50,84,784**	**13,35,760**	**48,89,692**	**12,33,364**	**46,89,631**	**11,35,454**	**45,97,715**	**10,60,743**	**44,74,505**	**9,86,968**
नकदी अंतर्वाह											
9	प्रतिभूति ऋण (उदाहरणार्थ रिवर्स रेपो)	75,185	0	1,04,007	0	1,16,529	0	1,01,723	0	1,46,720	0
10	पूर्णतः निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह	5,10,004	4,80,116	4,34,728	4,10,185	3,46,439	3,18,022	3,13,594	2,85,384	2,42,807	2,14,517
11	अन्य नकदी अंतर्वाह	44,508	36,457	51,154	44,115	60,338	52,386	52,015	45,192	42,301	35,739
12	**कुल नकदी अंतर्वाह**	6,29,697	5,16,572	5,89,889	4,54,299	5,23,306	3,70,407	4,67,333	3,30,576	4,31,828	2,50,255
13	**कुल एचक्यूएलए**		11,32,828		12,10,622		12,24,707		11,68,393		11,71,796
14	**कुल निवल नकदी बहिर्वाह**		8,19,188		7,79,065		7,65,046		7,30,167		7,36,713
15	**चलनिधि कवरेज अनुपात(%)**		**138.29%**		**155.39%**		**160.08%**		**160.02%**		**159.06%**

** ओवरसीज बैंकिंग अनुषंगियों के लिए 3 महीने के मासिक औसत डाटा और एसबीआई (एकल) के लिए दैनिक औसत माना जाता है।

ग. निवल स्थिर निधीयन अनुपात:

i. एकल निवल स्थिर निधीयन अनुपात:

निवल स्थिर निधीयन अनुपात (एनएसएफआर) दिशानिर्देश भविष्य के निधीयन तनाव के जोखिम को कम करने के लिए बैंकों को पर्याप्त रूप से स्थिर निधीयन स्रोतों के साथ अपनी गतिविधियों के निधीयन की आवश्यकता द्वारा दीर्घकालिक समय अवधि में निधीयन जोखिम में कमी सुनिश्चित करते हैं। एनएसएफआर को आवश्यक स्थिर निधीयन की राशि के सापेक्ष उपलब्ध स्थिर निधीयन की राशि के रूप में परिभाषित किया गया है।

$$\text{एनएसएफआर} = \frac{\text{उपलब्ध स्थिर निधीयन राशि (एएसएफ़)}}{\text{आवश्यक स्थिर निधीयन राशि (आरएसएफ़)}} \geq 100\%$$

<u>मात्रात्मक प्रकटीकरण:</u> निम्नलिखित तालिका में 31 मार्च 2022 (अर्थात तिमाही की समाप्ति पर दृष्टव्य) की स्थिति के अनुसार एसबीआई (एकल) के एनएसएफआर घटकों के अभारित और भारित मूल्य शामिल हैं।

(₹ करोड़ में)

निवल स्थिर निधीयन अनुपात
भारतीय स्टेट बैंक
31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही को एनएसएफ़आर प्रकटीकरण टेम्पलेट

		अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				भारित मूल्य
		परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1वर्ष	≥ 1वर्ष	
एएसएफ़ मद						
1	पूंजी: (2+3)	0	0	0	3,71,575	3,71,575
2	विनियामक पूंजी	0	0	0	3,71,575	3,71,575
3	अन्य पूंजी लिखतें	0	0	0	0	0
4	खुदरा जमाराशियां तथा लघु व्यवसाय ग्राहकों से प्राप्त जमाराशियां: (5+6)	13,32,707	4,96,720	4,73,677	4,41,566	25,12,075
5	स्थिर जमाराशियाँ	3,97,510	1,59,617	1,58,338	1,21,963	7,95,557
6	कम स्थिर जमाराशियाँ	9,35,197	3,37,103	3,15,339	3,19,603	17,16,518
7	थोक निधीयन: (8+9)	2,61,621	3,60,810	2,14,648	3,21,659	7,11,288
8	परिचालन जमाराशियाँ	0	0	0	0	0
9	अन्य थोक निधीयन	2,61,621	3,60,810	2,14,648	3,21,659	7,11,288
10	अन्य देयताएँ: (11+12)	8,61,507	1,09,566	40,700	19,090	0
11	एनएसएफ़आर डेरिवेटिव देयताएँ		0	0	0	
12	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी देयताएँ व इक्विटी	8,61,507	1,09,566	40,700	19,090	0
13	**कुल एएसएफ़ (1+4+7+10)**					**35,94,938**
आरएसएफ़ मदें						
14	कुल एनएसएफ़आर उच्च गुणवत्ता वाली चल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)					72,250
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में रखी गई जमाराशियाँ	22,644	51,632	0	3,270	38,773
16	निष्पादित ऋण व प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23)	6,233	6,12,568	3,14,457	7,37,707	9,39,730
17	स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण	0	482	0	0	48
18	गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण तथा वित्तीय संस्थानों को अप्रतिभूत निष्पादित ऋण	0	94,242	0	0	14,136
19	गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण निष्पादन, खुदरा व लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण निष्पादन, और सरकारों, केंद्रीय बैंकों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण, जिनमें से	0	5,17,844	3,14,457	3,56,751	6,48,039
20	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या समतुल्य जोखिम भार के साथ	0	0	0	3,56,751	2,31,888
21	आवासीय बंधक निष्पादन, जिनमें से:	0	0	0	2,58,020	1,67,713
22	क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या समतुल्य जोखिम भार के साथ	0	0	0	2,58,020	1,67,713
23	प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और एचक्यूएलए के रूप में पात्र नहीं हैं, एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित	6,233	0	0	1,22,936	1,09,794
24	अन्य आस्तियां: (पंक्ति 25 से 29 का योग)	9,75,856	89,197	2,666	11,02,847	19,58,772
25	स्वर्ण सहित, भौतिक व्यापारित माल	0				0
26	डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में प्रस्तुत आस्तियां और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट निधियों में योगदान		0	0	0	1,042
27	एनएसएफ़आर डेरिवेटिव आस्तियां		4,647	0	0	4,647
28	दर्ज मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं		1,814	1,454	928	4,196
29	उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई आस्तियां	9,75,856	82,736	1,212	11,01,919	19,48,887
30	तुलन-पत्र इतर मदें		6,93,866	0	0	25,393
31	**कुल आरएसएफ़ (14+15+16+24+30)**					**30,34,918**
32	**निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)**					**118.45%**

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं आरबीआई/2017-18/178, डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.106/21.04.098/2017-18 दिनांक 17 मई, 2018 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार तिमाही अंत के अनुवीक्षण को ऊपर टेम्पलेट में प्रस्तुत किया गया है।

वित्त वर्ष 2021-2022 की चौथी तिमाही की समाप्ति पर बैंक का एनएसएफआर 118.45% पर आता है जो 01 अक्तूबर, 2021 से प्रभावी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अंतर्गत 100% की न्यूनतम नियामक आवश्यकता से अधिक है। 31.03.2022 को उपलब्ध स्थिर निधीयन राशि (एएसएफ़) ₹35,94,938 करोड़ तथा 31.03.2022 को आवश्यक स्थिर निधीयन राशि (आरएसएफ़) ₹30,34,918 करोड़ थी। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार कुल एएसएफ़ तथा कुल एआरएफ़ के मूल्यों में वृद्धि हुई है। एएसएफ़ को एनएसएफआर के लिए महत्वपूर्ण समझे गई समयावधि, जो एक वर्ष तक होता है, में विश्वसनीय समझे गए पूंजी तथा देयताओं के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी विशेष संस्थान की आवश्यक स्थिर निधीयन (आरएसएफ़) राशि तरलता विशिष्टताओं तथा उस संस्थान द्वारा रखी गई अपशिष्ट परिपक्वताओं एवं तुलन पत्र बाह्य एक्सपोजर्स का प्रकार्य है।

बैंक में तरलता प्रबंधन की व्यवस्था आस्ति एवं देयता प्रबंधन (एएलएम) नीति तथा विनियामक निर्धारण द्वारा सुनिश्चित की जाती है। देशी और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग परिचालन इकाइयाँ तरलता की स्थिति आस्ति देयता प्रबंधन समिति (अल्को) को सूचित करती हैं। बैंक के बोर्ड द्वारा अल्को को निधियन कार्यनीतियाँ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निधीयन के स्रोत विवधिकृत हों तथा बैंक की परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप हों। अल्को के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों को बोर्ड को रिपोर्ट किया जाता है। मासिक एनएसएफ़आर रिपोर्टिंग के अतिरिक्त, बैंक की तरलता आवश्यकताओं के आकलन के लिए दैनिक आधार पर बैंक तरलता कवरेज अनुपात की गणना करता है तथा संरचनात्मक तरलता विवरण तैयार करता है। खुदरा जमा राशियाँ कुल निधियाँ स्रोत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जो भली भांति विवधिकृत है। प्रबंधन का विचार है कि भविष्य में संभावित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए बैंक के पास पर्याप्त तरलता उपलब्ध है।

ii. **समेकित निवल स्थिर निधीयन अनुपात**

आरबीआई के दिशानिर्देशों में दिसंबर 2021 तिमाही से एक समेकित स्तर पर एनएसएफआर के कार्यान्वयन को निर्धारित किया गया है और तदनुसार, एनएसएफआर की गणना समूह स्तर पर की गई है।

एनएसएफआर समूह में शामिल इकाइयां एसबीआई और सात विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ हैं। कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी मास्को, नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड, भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफोर्निया) लिमिटेड, एसबीआई कनाडा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (मॉरीशस) लिमिटेड, बैंक एसबीआई इंडोनेशिया और एसबीआई (यूके) लिमिटेड।

31 मार्च 2022 को एसबीआई समूह का एनएसएफ़आर 118.51% है, जो न्यूनतम विनियामक आवश्यकता 100% से अधिक है।

उपलब्ध स्थिर वित्त पोषण (एएसएफ) को एनएसएफआर के माध्यम से विचार की गई समय अवधि में विश्वसनीय होने की प्रत्याशा वाली पूंजी और देनदारियों के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक वर्ष तक हो सकता है। एक विशिष्ट समूह का आवश्यक स्थिर वित्तपोषण (आरएसएफ) तरलता विशेषताओं और उस समूह द्वारा आयोजित विभिन्न आस्तियों की अवशिष्ट परिपक्वताओं के साथ-साथ इसके तुलनपत्र इतर (ओबीएस) एक्सपोजर का एक कार्य है।

निवल स्थिर निधीयन अनुपात

भारतीय स्टेट बैंक समूह

	समाप्त तिमाही का विवरण	31 मार्च 2022				
	(रुपए करोड़ में)	अवशिष्ट परिपक्वता द्वारा अभारित मूल्य				भारित मूल्य
		परिपक्वता नहीं	< 6 माह	6 माह से < 1वर्ष	≥ 1वर्ष	
	एएसएफ़ मद					
1	**पूंजी: (2+3)**	**6,635**	**0**	**0**	**3,79,507**	**3,86,142**
2	*विनियामक पूंजी*	6,635	0	0	3,73,153	3,79,788
3	*अन्य पूंजी लिखतें*	0	0	0	6,354	6,354
4	**खुदरा जमाराशियां तथ कों से प्राप्त जमाराशियां: (5+6)**	**13,46,773**	**5,02,664**	**4,77,824**	**4,42,070**	**25,35,002**
5	*स्थिर जमाराशियाँ*	4,05,981	1,62,966	1,60,670	1,22,468	8,09,481
6	*कम स्थिर जमाराशियाँ*	9,40,792	3,39,697	3,17,154	3,19,603	17,25,521
7	**थोक निधीयन: (8+9)**	**2,62,924**	**3,63,436**	**2,16,679**	**3,21,659**	**7,14,269**
8	*खुदरा और लघु व्यवसाय ग्राहकों द्वारा प्रदान की गई एक वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता के साथ कम स्थिर गैर-परिपक्वता जमाराशियाँ और मीयादी जमाराशियाँ*	0	0	0	0	0
9	*अन्य थोक निधीयन*	2,62,924	3,63,436	2,16,679	3,21,659	7,14,269
10	**अन्य देयताएँ: (11+12)**	**8,62,915**	**1,13,639**	**40,700**	**19,370**	**0**
11	*एनएसएफ़आर डेरिवेटिव देयताएँ*	67	0	0	0	0
12	*उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई अन्य सभी देयताएँ व इक्विटी*	8,62,847	1,13,639	40,700	19,370	0
13	**कुल एएसएफ़ (1+4+7+10)**	**24,79,248**	**9,79,739**	**7,35,203**	**11,62,606**	**36,35,413**
	आरएसएफ मद					
14	कुल एनएसएफ़आर उच्च गुणवता वाली चल आस्तियाँ (एचक्यूएलए)	3,616	1,522	671	2,748	72,858
15	परिचालन उद्देश्यों के लिए अन्य वित्तीय संस्थानों में रखी गईं जमाराशियाँ	23,024	51,633	662	3,270	39,294
16	**निष्पादित ऋण व प्रतिभूतियां: (17+18+19+21+23)**	**6,233**	**6,17,584**	**3,16,722**	**7,64,940**	**9,64,637**
17	*स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण*	0	482	0	0	48
18	*गैर-स्तर 1 एचक्यूएलए द्वारा प्रतिभूत वित्तीय संस्थानों को निष्पादित ऋण तथा वित्तीय संस्थानों को अप्रतिभूत निष्पादित ऋण*	0	96,753	0	0	14,513
19	*गैर-वित्तीय कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण निष्पादन, खुदरा व लघु व्यवसाय ग्राहकों को ऋण निष्पादन, और सरकारों, केंद्रीय बैंकों एवं सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण, जिनमें से*	0	5,20,349	3,16,722	3,57,699	6,51,032
20	*क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या समतुल्य जोखिम भार के साथ*	0	0	0	3,57,645	2,32,469
21	*आवासीय बंधक निष्पादन, जिनमें से:*	0	0	0	2,81,748	1,87,078
22	*क्रेडिट जोखिम के लिए बेसल II मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत 35% से कम या समतुल्य जोखिम भार के साथ*	0	0	0	2,77,726	1,84,463
23	*प्रतिभूतियां जो चूक में नहीं हैं और एचक्यूएलए के रूप में पात्र नहीं हैं, एक्सचेंज-ट्रेडेड इक्विटी सहित*	6,233	0	0	1,25,492	1,11,966
24	**अन्य आस्तियां: (पंक्ति 25 से 29 का योग)**	**9,76,145**	**89,766**	**2,943**	**11,08,236**	**19,65,295**
25	*स्वर्ण सहित, भौतिक व्यापारित माल*	0	0	0	0	0
26	*डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए प्रारंभिक मार्जिन के रूप में प्रस्तुत आस्तियां और सीसीपी के डिफ़ॉल्ट निधियों में योगदान*	0	0	0	0	1,042
27	*एनएसएफ़आर डेरिवेटिव आस्तियां*	20	4,647	0	0	4,667
28	*दर्ज मार्जिन की कटौती से पूर्व एनएसएफआर डेरिवेटिव देयताएं*	1	1,814	1,454	928	4,196
29	*उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं की गई आस्तियां*	9,76,125	83,304	1,489	11,07,308	19,55,390
30	**तुलन-पत्र इतर मदें**	**0**	**6,95,109**	**0**	**0**	**25,601**
31	**कुल आरएसएफ़ (14+15+16+24+30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30,67,686**
32	**निवल स्थिर निधीयन अनुपात (%)**					**118.51%**

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं आरबीआई/2017-18/178, डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.106/21.04.098/2017-18 दिनांक 17 मई, 2018 में दिए गए दिशानिर्देशों, तिमाही अंत के अनुवीक्षण प्रस्तुत किया गए है।

18.3. निवेश

क. निवेश संविभाग की संरचना:

वर्तमान वित्त वर्ष

(करोड़ ₹ में)

निवेशों की संरचना	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				संपूर्ण बैंक
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर व बॉण्ड	अनुषंगियाँ एवं /या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	अनुषंगियाँ एवं /या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	कुल निवेश
परिपक्वता तक धारित												
सकल	8,33,382.82	-	8.00	33,741.28	6,205.26	1,490.06	8,74,827.42	794.14	5,028.44	133.94	5,956.52	8,80,783.94
घटाएँ: अलाभकारी निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान	-	-	8.00	-	2.87	-	10.87	-	-	-	-	10.87
निवल	**8,33,382.82**	**-**	**-**	**33741.28**	**6,202.39**	**1,490.06**	**8,74,816.55**	**794.14**	**5,028.44**	**133.94**	**5,956.52**	**8,80,773.07**
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	3,29,274.86	-	13,770.82	1,84,479.80	7,810.00	29,951.22	5,65,286.72	18,967.40	-	28,613.65	47,581.06	6,12,867.75
घटाएँ: मूल्यह्रास तथा एनपीआई हेतु प्रावधान	-	-	1,356.19	2,416.66	-	7,859.04	11,631.89	32.61	-	65.58	98.19	11,730.08
निवल	**3,29,274.86**	**-**	**12,414.63**	**1,82,063.14**	**7,810.00**	**22,092.19**	**5,53,654.81**	**18,934.79**	**-**	**28,548.07**	**47,482.86**	**6,01,137.67**
ट्रेडिंग के लिए धारित												
सकल	@-475.04	-	9.77	-	-	-	-465.27	-	-	-	-	-465.27
घटाएँ: मूल्यह्रास तथा एनपीआई हेतु प्रावधान	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निवल	**-475.04**	**-**	**9.77**	**-**	**-**	**-**	**-465.27**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-465.27**
कुल निवेश												
सकल	11,62,182.64	-	13,788.59	2,18,221.08	14,015.26	31,441.28	14,39,648.85	19,761.54	5,028.44	28,747.59	53,537.57	14,93,186.42
घटाएँ: अलाभकारी निवेशों (एनपीआई)* के लिए प्रावधान	-	-	1,197.31	879.00	-	-	2,076.31	-	-	56.34	56.34	2,132.65
घटाएँ: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	-	-	166.88	1,537.66	2.87	7,859.04	9,566.45	32.61	-	9.24	41.85	9,608.30
निवल	**11,62,182.64**	**-**	**12,424.40**	**2,15,804.42**	**14,012.39**	**23,582.24**	**14,28,006.09**	**19,728.93**	**5,028.44**	**28,682.01**	**53,439.38**	**14,81,445.47**

* इसमें एलआईसीआरए @ अधिविदव्य शामिल है।

पिछला वित्त वर्ष

(₹ करोड़ में)

निवेशों की संरचना	भारत में निवेश							भारत के बाहर निवेश				संपूर्ण बैंक
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	शेयर	डिबेंचर व बॉण्ड	अनुषंगियाँ एवं/ या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत में कुल निवेश	सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरणों सहित)	अनुषंगियाँ एवं/ या संयुक्त उद्यम	अन्य	भारत के बाहर कुल निवेश	कुल निवेश
परिपक्वता तक धारित												
सकल	7,62,084.20	-	8.00	33,209.70	5,668.04	929.11	8,01,899.06	643.79	4,768.16	133.93	5,545.88	8,07,444.93
घटाएँ: अलाभकारी निवेशों (एनपीआई) के लिए प्रावधान	-	-	8.00	-	2.87	-	10.87	-	-	-	-	10.87
निवल	**7,62,084.20**	**-**	**-**	**33,209.70**	**5,665.17**	**929.11**	**8,01,888.19**	**643.79**	**4,768.16**	**133.93**	**5,545.88**	**8,07,434.06**
बिक्री के लिए उपलब्ध												
सकल	2,93,106.80	-	9,531.98	1,79,762.47	7,810.00	22,046.33	5,12,257.58	17,316.05	-	24,599.48	41,915.53	5,54,173.11
घटाएँ: मूल्यह्रास तथा एनपीआई हेतु प्रावधान	-	-	1,717.70	4,083.56	-	4,335.10	10,136.37	13.50	-	16.84	30.34	10,166.71
निवल	**293,106.80**	**-**	**7,814.28**	**1,76,158.31**	**7,810.00**	**17,711.22**	**5,02,121.21**	**17,302.55**	**-**	**24,582.64**	**41,885.19**	**5,44,006.40**
ट्रेडिंग के लिए धारित												
सकल	97.89	-	169.54	-	-	-	267.43	-	-	-	-	267.43
घटाएँ: मूल्यह्रास तथा एनपीआई हेतु प्रावधान	0.25	-	2.44	-	-	-	2.69	-	-	-	-	2.69
निवल	**97.64**	**-**	**167.10**	**-**	**-**	**-**	**264.74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**264.74**
कुल निवेश												
सकल	10,55,288.89	-	9,709.52	2,12,972.17	13,478.04	22,975.44	13,14,424.06	17,959.84	4,768.16	24,733.41	47,461.41	13,61,885.47
घटाएँ: अलाभकारी निवेशों (एनपीआई)* के लिए प्रावधान	-	-	1,502.24	3,604.16	-	-	5,106.40	13.50	-	16.84	30.34	5,136.74
घटाएँ: मूल्यह्रास तथा एनपीआई के लिए प्रावधान	0.25	-	225.90	479.40	2.87	4,335.11	5,043.53	-	-	-	-	5,043.53
निवल	**10,55,288.64**	**-**	**7,981.38**	**2,08,888.61**	**13,475.17**	**18,640.33**	**13,04,274.13**	**17,946.34**	**4,768.16**	**24,716.57**	**47,431.07**	**13,51,705.20**

* (इसमें एलआईसीआरए शामिल है)

₹2,14,612.86 करोड़ की प्रतिभूतियों (पिछले वर्ष ₹ ₹2,00,812.86 करोड़) को मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल)/एनएससीसीएल/एमसीएक्स/एनएसईआईएल/ बीएसई के पास प्रतिभूति निपटान के लिए रखा गया।

i. वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित संस्थाओं में अतिरिक्त पूंजी लगाई:

- जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था) में ₹9.48 करोड़।
  (पूंजी लगाने के बाद भी एसबीआई की हिस्सेदारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है)
- बैंक एसबीआई इंडोनेशिया पीटी (विदेशी बैंक अनुषंगी) ₹341.26 करोड़
  (बैंक की हिस्सेदारी 99.00% से बढ़ कर 99.34% हो गई)

ii. वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफ़एस) की अधिसूचना डीओ. संख्या. 3/9/2020-आरआरबी दिनांक 21 फरवरी 2022 के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित ग्रामीण बैंक में अतिरिक्त पूंजी लगाई। पूंजी लगाने के बाद बैंक के हित (स्टेक) में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (₹0.46 करोड़),

मध्यांचल ग्रामीण बैंक (₹198.59 करोड़),

नागालैंड ग्रामीण बैंक (₹2.36 करोड़),

उत्तराखंड ग्रामीण बैंक (₹38.84 करोड़)

iii. बैंक ने 10.03.2022 को निम्नलिखित 4 ग्रामीण बैंकों में अपने हिस्से की अतिरिक्त पूंजी लगाई जिसे अब शेयर पूंजी जमा खाते में रखा गया है।

इलाकाई देहाती बैंक (₹34.92 करोड़),

झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक (₹1.59 करोड़),

मिज़ोरम ग्रामीण बैंक (₹11.82 करोड़),

उत्कल ग्रामीण बैंक (₹239.16 करोड़)

ख. निवेशों पर मूल्यह्रास तथा निवेश घटते-बढ़ते आरक्षित के लिए प्रावधानों में उतार चढ़ाव

i. निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए रखे गए प्रावधानों में उतार चढ़ाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) वर्ष के आरंभ में अधिशेष	9,198.25	9,580.95
ख) जोड़े : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	3,440.10	3,759.46
ग) घटाएँ : वर्ष के दौरान उपयोग किए गए प्रावधान	-	9.29
घ) घटा/(जमा): विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यांकन समायोजन	2.00	17.06
ङ) घटाएँ: वर्ष के दौरानअपलेखन/अतिरिक्त प्रावधान का प्रतिलेखन	1,815.13	4,149.93
च) वर्ष की समाप्ति पर अधिशेष	10,825.22	9,198.25

ii. घटते-बढ़ते आरक्षित में उतार चढ़ाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क) अथ शेष	3,048.08	1,119.88
जोड़े: वर्ष के दौरान अंतरित की गई राशि	4,647.87	1,928.20
घटाएँ: आहरण	--	--
अंतिम शेष	7,695.95	3,048.08
iii. एएफ़एस तथा एचएफ़टी/चालू श्रेणी में निवेश का अंतिम शेष	6,00,672.40	5,44,271.14
iv. एएफ़एस तथा एचएफ़टी/चालू श्रेणी में निवेश13 के अंतिम शेष के प्रतिशत के रुप में आईएफ़आर में अंतिम शेष	1.28%	0.56%

आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या: आरबीआई/2017-2018/147 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.102/21.04.048 दिनांक 2 अप्रैल, 2018 के अंतर्गत आरबीआई ने बैंकों को वर्ष 2018-19 से प्रभावी निवेश उतार-चढ़ाव रिजर्व (आईएफआर) बनाने के लिए दिशानिर्देश दिए, ताकि जहाँ संभव हो तीन वर्ष की अवधि के भीतर वे अपने एएफएस और एचएफटी पोर्टफोलियो से 2 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचा सकें, भविष्य में प्रतिफल में वृद्धि से बचने के लिए पर्याप्त आरक्षिती सृजित कर सकें। बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 तक निर्धारित स्तर पर निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षिति तैयार के लिए रोडमैप तैयार किया है।

ग. एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण

एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों की बिक्री एवं अंतरण के मूल्य वर्ष के प्रारम्भ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेश के बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है।

घ. गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉन-एसएलआर) निवेश पोर्टफोलियो

i. अलाभकारी नॉन एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथ शेष	5,229.52	8,995.80
वर्ष के दौरान बढ़ोतरी	185.95	446.39
वर्ष के दौरान घटोतरी	3,138.76	4,212.67
इति शेष	2,276.71	5,229.52
रखे गए कुल प्रावधान	**2,070.06**	**5,031.49**

ii गैर-सांविधिक तरलता अनुपात (नॉनएसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना:

बैंक के गैर-सांविधिक तरलता अनुपात पिछला (नॉन-एसएलआर) निवेशों की निर्गमकर्ता-संरचना निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	निर्गमकर्ता	राशि		निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) की सीमा (राशि)		"निम्न निवेश श्रेणी" वाली प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*		"बिना रेटिंग वाली" प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*		"असूचीगत" प्रतिभूतियों की सीमा (राशि)*	
		चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	49,804.97	67,194.64	33,542.80	49,960.71	-	-	-	-	-	-
ii	वित्तीय संस्थाएँ	1,41,044.49	1,28,609.88	82,006.85	99,053.50	345.07	2,753.21	-	-	70.00	70.00
iii	बैंक	21,850.25	17,146.96	12,503.45	8,084.82	2,173.31	3,294.33	23.62	23.62	23.62	23.62
iv	निजी कॉरपोरेट	68,269.59	46,428.01	29,575.24	23,395.02	589.73	817.77	207.93	-	707.93	-
v	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम**	19,043.70	18,246.20	-	-	-	-	-	-	-	-
vi	अन्य	30,990.78	28,970.89	2,638.17	2,223.99	5,072.38	2,845.99	17.31	33.03	-	6.65
vii	मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रावधान, एलआईसीआरए सहित	11,740.95	10,180.02	-	-	--	0.45	56.34	-	56.34	-
	योग	**3,19,262.83**	**2,96,416.56**	**1,60,266.51**	**1,82,718.04**	**8,180.49**	**9,710.85**	**192.52**	**56.65**	**745.21**	**100.27**

* इक्विटी, इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों, वेंचर कैपिटल, नियत आस्ति समर्थित प्रतिभूतियाँ, केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और एआरसीआईएल में किए गए निवेशों को इन श्रेणियों के अंतर्गत अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें रेटिंग/ सूची दिशा-निर्देशों से छूट मिली हुई है।

** अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेशों को विभिन्न वर्गों में अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदें नहीं आती हैं।

ड़. तरलता समायोजन सुविधा (एलएएफ) सहित रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य पर)

वर्ष के दौरान एलएएफ सहित रेपो और रिवर्स रेपो के अधीन विक्रय एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का विवरण निम्नानुसार है:

चालू वर्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि	31 मार्च 2022 को शेष राशि
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	30,025.27	2,73,518.11	1,62,561.94	1,68,483.03
ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	4,377.46	8,663.34	5,824.90	8,663.34
iii) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी गईं प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	44.03	1,89,095.58	1,00,304.84	60,888.22
ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
iii) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-

पिछला वर्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि	31 मार्च 2022 को शेष राशि
रेपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	26,187.27	2,17,557.59	81,383.31	1,76,756.95
ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	7,154.09	9,332.03	8,989.67	7,154.09
iii) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
रिवर्स रेपो के अधीन खरीदी प्रतिभूतियाँ				
i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	-	2,40,000.00	1,03,424.17	46,179.93
ii) कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	-	5,597.89	737.93	-
iii) कोई अन्य प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-

18.4. आस्ति गुणवत्ता

क. अग्रिमों तथा रखे गए प्रावधानों का वर्गीकरण

चालू वर्ष

(₹ करोड़ में)

	मानक अग्रिम	अवमानक अग्रिम	संदिग्ध अग्रिम	हानि अग्रिम	अनर्जक अग्रिम	कुल
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए						
ए. अथ शेष	24,13,004.26	19,590.89	81,767.26	25,030.87	1,26,389.02	25,39,393.28
ब. जोड़ेः वर्ष के दौराल बढ़ोतरी	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	25,021.23	3,18,664.51
स. घटाएं : वर्ष के दौरान कमी*	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	39,386.88	39,386.88
इतिशेष (अ+ब+स)	**27,06,647.54**	**15,453.17**	**68,592.40**	**27,977.80**	**1,12,023.37**	**28,18,670.91**

* सकल एनपीए में कमी का कारणः

(₹ करोड़ में)

	मानक अग्रिम	अवमानक अग्रिम	संदिग्ध अग्रिम	हानि अग्रिम	अनर्जक अग्रिम	कुल
i) अपग्रेडेशन	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	9,377.57	9,377.57
ii) वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	10,343.09	10,343.09
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	-	-
iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त बट्टे खाते	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	19,666.22	19,666.22
प्रावधान (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
धारित प्रावधानों का अथ शेष	15,293.98	5,758.39	58,598.43	25,030.87	89,387.69	104,681.67
जोड़ेः वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	14,142.96	18,821.58
घटाएंः अतिरिक्त प्रावधानों का प्रत्यावर्तन / अपलेखन	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	19,664.60	19,664.60
धारित प्रावधानों इति शेष	**19,972.61**	**4,486.76**	**51,401.48**	**27,977.80**	**83,866.05**	**103,838.65**
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
निवल एनपीए	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
अथ शेष		13,832.50	22,977.22	-	36,809.72	
जोड़े- वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (नया एनपीए)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	10,878.27	
घटाएं- वर्ष के दौरान कमी	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	19,722.28	
इति शेष		**10,966.41**	**16,999.30**	**-**	**27,965.71**	

निवल एनपीए की गणना के लिए रू. 191.61 करोड़ के प्रावधानों को घटाया गया है

पिछला वर्ष

(₹ करोड़ में)

	मानक अग्रिम	अवमानक अग्रिम	संदिग्ध अग्रिम	हानि अग्रिम	अनर्जक अग्रिम	कुल
सकल मानक अग्रिम एवं एनपीए						
ए. अथ शेष	22,73,752.92	35,834.91	88,616.13	24,640.81	1,49,091.85	24,22,844.77
ब. जोड़ेः वर्ष के दौराल बढ़ोतरी	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	28,563.45	1,67,814.80
स. घटाएं : वर्ष के दौरान कमी*	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	51,266.28	51,266.28
इतिशेष (अ+ब+स)	**24,13,004.26**	**19,590.89**	**81,767.26**	**25,030.87**	**1,26,389.02**	**25,39,393.28**
* सकल एनपीए में कमी का कारणः	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
i) अपग्रेडेशन	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	4,250.89	4,250.89
ii) वसूली (अपग्रेड किए गए खातों से की गई वसूली को छोड़कर)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	12,613.19	12,613.19
iii) तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टे खाते	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	-	-
iv) उपरोक्त (iii) के अतिरिक्त बट्टे खाते	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	34,402.20	34,402.20
प्रावधान (अस्थिर प्रावधानों को छोड़कर)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
धारित प्रावधानों का अथ शेष	11,544.24	7,889.78	64,498.35	24,640.81	97,028.94	1,08,573.18
जोड़ेः वर्ष के दौरान किए गए नए प्रावधान	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	27,269.95	31,019.69
घटाएंः अतिरिक्त प्रावधानों का प्रत्यावर्तन / अपलेखन	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	34,911.20	34,911.20
धारित प्रावधानों इति शेष	**15,293.98**	**5,758.39**	**58,598.43**	**25,030.87**	**89,387.69**	**1,04,681.67**
	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
निवल एनपीए	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]		
अथ शेष		27,945.13	24,117.78	-	51,871.30	
जोड़े- वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (नया एनपीए)	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	1,293.50	
घटाएं- वर्ष के दौरान कमी	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	16,355.08	
इति शेष		**13,832.50**	**22,977.22**	**-**	**36,809.72**	

निवल एनपीए की गणना के लिए रू. 191.61 करोड़ के प्रावधानों को घटाया गया है

अस्थिर प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथ शेष	193.75	193.75
जोड़े: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान निकासी की गई राशि	-	-
अस्थिर प्रावधानों का इति शेष	193.75	193.75

तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खाते और उनके संबंध में की गई वसूलियाँ:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों का अथशेष	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	-	-
घटाएँ : वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खातों से की गई वसूली	-	-
इतिशेष	-	-

आस्ति गुणता अनुपात:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सकल अग्रिम की तुलना में सकल एनपीए	3.97%	4.98%
निवल अग्रिम की तुलना में निवल एनपीए	1.02%	1.50%
एयूसीए सहित प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)	90.20%	87.75%
एयूसीए के बिना प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)	75.04%	70.88%

ख. खंडवार अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	खंड	चालू वर्ष			पिछला वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस खंड में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का %	कुल बकाया अग्रिम	सकल एनपीए	उस खंड में कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए का %
अ	**प्राथमिकता खंड**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	2,26,323.87	30,281.87	13.38	2,12,818.77	32,392.47	15.22
2	प्राथमिकता खंड में उधारी के लिए पात्र उद्योग	1,28,015.22	10,832.34	8.46	92,993.76	11,206.95	12.05
3	सेवाएँ	1,53,385.75	9,989.11	6.51	1,22,088.06	10,198.53	8.35
4	व्यक्तिक ऋण	1,87,896.41	2,158.71	1.15	1,71,541.16	2,352.84	1.37
	उप-योग (अ)	**6,95,621.25**	**53,262.03**	**7.66**	**5,99,441.75**	**56,150.79**	**9.37**
ब	**गैर-प्राथमिकता क्षेत्र**						
1	कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां	2,350.56	197.83	8.42	1,562.08	205.85	13.18
2	उद्योग	6,93,310.91	40,015.00	5.77	6,78,089.82	47,770.41	7.04
3	सेवाएँ	6,10,645.37	13,279.56	2.17	5,60,186.39	17,636.56	3.15
4	व्यक्तिक ऋण	8,16,742.82	5,268.95	0.65	7,00,113.23	4,625.41	0.66
	उप-योग (ब)	**21,23,049.66**	**58,761.34**	**2.77**	**19,39,951.52**	**70,238.23**	**3.62**
स	**कुल (अ+ब)**	**28,18,670.91**	**1,12,023.37**	**3.97**	**25,39,393.27**	**1,26,389.02**	**4.98**

ग. विदेश में आस्तियाँ, एनपीए तथा राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण		चालू वर्ष	पिछला
1	कुल आस्तियाँ	5,31,255.45	4,77,577.94
2	कुल एनपीए (सकल)	2,264.82	2,426.10
3	कुल राजस्व	9,279.41	9,918.98

घ. समाधान योजना तथा पुनर्संरचना:

i. भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर. सं. बीपी.बीसी. 45/21.04.048/2018-19 दिनांक 7 जून 2019 के अनुसार अग्रिमों की पुनर्संरचना

समाधान योजना तथा पुनर्संरचना की शर्तों के अंतर्गत आस्तियों का वर्गीकरण	चालू वित्त वर्ष		पिछला वित्त वर्ष	
	उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि (₹ करोड़ में)	उधारकर्ताओं की संख्या	बकाया राशि (₹ करोड़ में)
मानक	2,224	1,237	4,667	1,780
अवमानक	207	71	317	339
संदिग्ध	2,084	4,549	745	4097
कुल	**4,515**	**5,857**	**5,729**	**6,216**

ii. पुनर्संरचना प्रक्रिया के दौरान ऋण से इक्विटी में परिवर्तन के कारण शेयरों का अधिग्रहण:

पुनर्संरचना प्रक्रिया के दौरान ऋण से इक्विटी में परिवर्तन के माध्यम से इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण से पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र, परा बैंकिंग गतिविधियों तथा अंतरा समूह एक्सपोज़र के संबंध में निर्धारित विनियामक सीमा/प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं हुआ है।

iii. एमएसएमई पुनर्संरचना:

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर. सं. बीपी.बीसी. 18/21.04.048/2018-19 दिनांक 1 जनवरी, 2019 के अनुसार पुनर्संरचित एमएसएमई खातों का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पुनर्संरचित खातों की संख्या	96,464	93,573
समग्र बकाया (करोड़ ₹ में)	8,877.10	6,035.93

ड़. आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानी में विचलन:

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर. सं. बीपी.बीसी. 32/21.04.018/2018-19 दिनांक 1 अप्रैल, 2019, में दी गई शर्तों के अनुसार 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई की पयविक्षी प्रक्रिया के संबंध में आस्ति वर्गीकरण तथा एनपीए के लिए प्रावधान में विचलन पर प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।

च. आरबीआई के परिपत्र संख्या डीबीआर. एसटीआर.आरईसी. 51/21.04.048/ 2021-22 दिनांक 24 सितंबर 2021 के अनुसार ऋण खातों (एसएमए व एनपीए) के अंतरण का प्रकटन

i) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान अंतरित अनर्जक खातों का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :

क्र.	विवरण	एआरसी को	अनुमत अंतरिती	अन्य अंतरीतियों को
क.	खातों की संख्या	23	16	-
ख.	अंतरित ऋण की समग्र बकाया मूल राशि (करोड़ ₹ में)	3,239.91	497.88	-
ग.	अंतरित ऋण की भारित औसत अवशिष्ट अवधि (वर्ष)	1.14	-	-
घ.	अंतरित ऋण का निवल बही मूल्य (अंतरण के समय) (करोड़ ₹ में)	115.27	196.61	-
ड़.	समग्र प्रतिफल (करोड़ ₹ में)	1,119.14	271.30	-
च.	पिछले वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में अतिरिक्त प्रतिफल की वसूली (करोड़ ₹ में)	29.12	-	-

प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को एनपीए की बिक्री पर ₹ 429.92 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 246.67 करोड़) के अतिरिक्त प्रावधान को लाभ और हानि खाते में लेखा किया गया है।

प्रतिभूति रसीदों के लिए प्रावधान किया गया है तथा इसलिए 31.03.2022 को क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग विभिन्न श्रेणियों की प्रतिभूति रसीदों के लिए दी गई रेटिंग का बही मूल्य शून्य है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्रतिभूति रसीदों के लिए ₹ 7,859.04 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

ii) बैंक ने किसी विशेष उल्लेखित खाते तथा चूक न किए गए ऋण का अंतरण नहीं किया है।

iii) बैंक ने किसी तनावग्रस्त खाते का अधिग्रहण नहीं किया।

iv) बैंक ने ऋण जो चूक में नहीं हैं उनके ऋण एक्सपोजर के अंतर्गत प्रत्यक्ष समनुदेशन रूट के अंतर्गत एनबीएफ़सी/एचएफ़सी/एमएफ़आई से मानक आस्तियों की खरीद की। आरईएचबीयू ने केवल प्रत्याभूत आस्तियों (आवास ऋण) की खरीद की जबकि एसएमई तथा एबीयू ने प्रत्याभूत तथा अप्रत्याभूत दोनों प्रकार के ऋणों की खरीद की।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान समनुदेशन के माध्यम से अधिग्रहित चूक रहित ऋणों का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	खंड 3 में सूचीबद्ध ऋणदाताओं से	एआरसी से
i.	अधिग्रहण किए गए ऋण की समग्र राशि:		
	प्रत्याभूत ऋण	458.47	-
	अप्रत्याभूत ऋण	2,627.69	-
ii.	भारित औसत अवशिष्ट परिपक्वता (वर्षों में)	1.50	-
iii.	उद्भवी (बैंक) द्वारा भारित औसत धारण अवधि		-
	प्रत्याभूत ऋण	0.50 वर्ष	
	अप्रत्याभूत ऋण	0.25 वर्ष	
iv.	प्रवर्तक द्वारा लाभार्थी आर्थिक हितों का प्रतिधारण		-
	प्रत्याभूत ऋण	10.00%	
	अप्रत्याभूत ऋण	12.50%	
v.	मूर्त प्रतिभूति कवरेज	149.00% से 111.93%	-

अधिग्रहित किए गए ऋण रेट नहीं किए गए हैं क्योंकि ये कॉरपोरेट ऋण नहीं हैं।

छ. वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियाँ तथा किए गए प्रावधान:

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
रिपोर्ट की गई धोखाधड़ियों की संख्या	4192	5724
धोखाधड़ियों में शामिल राशि (करोड़ ₹ में)	7,100.65	10,085.92
इस प्रकार की धोखाधड़ियों के लिए किए गए प्रावधान की राशि	7,100.65	10,085.92
वर्षांत में 'अन्य आरक्षितियाँ' से डेबिट गैर-परिशोधित प्रावधानों की राशि (करोड़ ₹ में)	शून्य	शून्य

ज. कोविड-19 संबंधित तनाव का समाधान:

आरबीआई परिपत्र डीओआर. सं. बीवी.बीसी/3/21.04.048/2020-21 दिनांक 06 अगस्त, 2020 (समाधान फ्रेमवर्क 1.0) तथा डीओआर. एसटीआर.आरईसी.11/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई, 2021 (समाधान फ्रेमवर्क 2.0) के संदर्भ में 31 मार्च, 2022 को समाधान योजना का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

विवरण ऋणी का प्रकार	(क) समाधान योजना को लागू करने के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत किए गए खातों का कुल एक्सपोजर -पिछले छमाही की समाप्ति पर स्थिति	(ख) (क) में से कुल ऋण, जो छमाही में एनपीए हो गया	(ग) (क) में से छमाही में बट्टे खाते में डाली गई राशि	(घ) (क) में से छमाही में ऋणकर्ताओं द्वारा चुकाई गई राशि	(ड़) समाधान योजना को लागू करने के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत किए गए खातों का कुल एक्सपोजर -पिछली छमाही की समाप्ति पर स्थिति
व्यक्तिक ऋण	15,541	143	0.14	182	15,498
कॉरपोरेट व्यक्ति	17,354	1,650	0.14	2307	15,462
इनमें से, एमएसएमई	12,274	720	0.14	883	12,446
अन्य	-	-	-	-	-
कुल	32,895	1,793	0.28	2,624	30,960

* समाधान फ्रेमवर्क 1.0 के अंतर्गत सितंबर 2021 को समाप्त छमाही के दौरान लागू की गई पुर्नसंरचना शामिल है।

18.5 एक्सपोज़र (ऋण-जोखिम)

बैंक आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण प्रदान करता है।

क) स्थावर संपदा

(₹ करोड़ में)

विवरण			चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I	**प्रत्यक्ष एक्सपोजर**			
	i)	**आवासीय बंधक**		
		ऋणकर्ता के कब्जे में या कब्जे में आने वाली या किराए पर दी गई आवासीय संपत्ति के बंधक द्वारा पूरी तरह सुरक्षित ऋण।	4,59,838.80	4,06,179.32
		जिसमें से आवासीय इकाई खरीदने/निर्माण के लिए प्रति परिवार महानगरीय क्षेत्रों (जनसंख्या >= 10लाख) में 35 लाख रुपए (पिछला वर्ष 35 लाख रुपए) तथा अन्य केंद्रों पर 25 लाख रुपए (पिछला वर्ष 25 लाख रुपए) है।	2,07,916.65	2,09,028.90
	ii)	**वाणिज्यिक स्थावर संपदा**		
		वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर बंधक द्वारा प्रतिभूत (कार्यालय भवन, खुदरा क्षेत्र, बहु-उद्देशीय वाणिज्यिक परिसर, बहु-परिवार आवासीय भवन, बहु-किराएदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या माल गोदाम स्थान, होटल, भूमि अधिग्रहण, विकास और निर्माण इत्यादि) गैर- निधि आधारित सीमा भी इस एक्सपोजर में शामिल है।	68,351.76	56,343.00
	iii)	**बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत एक्सपोजर:**		
		क) आवासीय	-	-
		ख) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	-	-
II	**अप्रत्यक्ष एक्सपोजर**			
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) में निधि आधारित और गैर-निधि आधारित एक्सपोजर		96,802.79	1,13,704.91
	स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल एक्सपोजर		**6,24,993.35**	**5,76,227.23**

ख) पूंजी बाजार

(₹ करोड़ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्डो, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में किए गए ऐसे प्रत्यक्ष निवेश जिनकी राशि विशेष रूप से कॉरपोरेट-ऋण में निवेश नहीं की गई है।	14,566.26	7,112.65
2)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के प्रति अथवा शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉन्डो, परिवर्तनीय डिबेंचरों तथा इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में निवेश करने के लिए व्यक्तियों को बेजमानती आधार पर दिए गए अग्रिम	131.98	66.63
3)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम, जहाँ शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डो या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है।	-	-
4)	किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जिनके लिए शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचरों अथवा इक्विटी संबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति दी गई है, अर्थात जहाँ शेयरों/परिवर्तनशील बांडों/परिवर्तनशील डिबेंचरों/ इक्विटी संबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है।	0.38	-
5)	शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम तथा शेयर दलालों एवं बाजार-नियामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियाँ	1,569.15	725.23
6)	संसाधन वृद्धि की अपेक्षा से नई कंपनी की इक्विटी में प्रवर्तक (प्रमोटर) के हिस्से को पूरा करने के लिए कॉरपोरेटों को शेयरों/बॉन्डो/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के आधार पर अथवा बिना जमानत के संस्वीकृत किए गए ऋण।	-	-
7)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के प्रति कंपनियों को दिए गए पूरक ऋण।	-	-
8)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा किया गया हामीदारी कारोबार।	-	-
9)	शेयर दलालों को मार्जिन क्रय-विक्रय के लिए वित्तपोषण	-	-
10)	उद्यम-पूंजी निधियों से संबंधित एक्सपोजर (पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत दोनों)	4,325.98	3,463.62
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर	**20,593.75**	**11,368.13**

ग) जोखिम श्रेणीवार देशीय एक्सपोजर

भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशा-निदेशों के अनुसार, बैंक के देशवार एक्सपोजर का वर्गीकरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है।

(₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	निवल निधिकृत जोखिम		किया गया प्रावधान	
	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
नगण्य	1,782.72	5,586.26	निरंक	निरंक
बहुत कम	2,22,431.21	2,02,094.63	165.12	148.51
कम	27,346.84	16,539.05	निरंक	निरंक
मध्यम	29,467.82	9,767.77	निरंक	निरंक
अधिक	23,470.66	26,470.88	निरंक	निरंक
अत्यधिक	5,402.11	8,586.29	निरंक	निरंक
प्रतिबंधित	6,160.87	2,426.80	निरंक	निरंक
कुल	**3,16,062.23**	**2,71,471.68**	**165.12**	**148.51**

यूएसए को छोड़कर किसी भी अन्य देश में बैंक का देशगत जोखिम (निवल निधिकृत) कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है अत: यूएसए के लिए देशगत जोखिम का प्रावधान किया गया है।

घ) अप्रतिभूत अग्रिम

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
क)	बैंक के कुल अप्रतिभूत अग्रिम	7,44,594.25	5,92,821.83
i.	इनमें से अधिकार शेयर, लाइसेंस, प्राधिकार इत्यादि जैसी अमूर्त प्रतिभूतियों पर प्रभार के प्रति देय अग्रिम बकाया	निरंक	निरंक
ii.	इन अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य (उपर्युक्त (i) के अनुसार)	निरंक	निरंक

ङ) फ़ैक्टरिंग एक्सपोजर:

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार फ़ैक्टरिंग एक्सपोजर 20,136.45 करोड़ रुपए (पिछला वर्ष: ₹ 15,113.97 करोड़) है।

च) अंतरा-समूह एक्सपोजर:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	24,431.05	41,268.96
शीर्ष-20 अंतरा-समूह एक्सपोजर की कुल राशि	24,430.71	41,263.80
ऋणकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर की तुलना में अंतरा-समूह एक्सपोजर का प्रतिशत	0.54%	1.01%
अंतरा-समूह एक्सपोजर सीमा के उल्लंघन तथा उस पर कार्रवाई का विवरण	निरंक	निरंक

छ) अनहेड्ज विदेशी मुद्रा एक्सपोजर

- 31 मार्च 2022 के अनुसार ₹ 145.37 करोड़ की राशि (पिछला वर्ष ₹ 116.40 करोड़) मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए रखी गई है।
- मुद्रा उत्प्रेरित ऋण जोखिम के लिए आबंरित पूंजी ₹72.90 करोड़ (पिछला वर्ष ₹121.71 करोड़)।

ज) बैंक द्वारा एकल ऋणकर्ता तथा समूह ऋणकर्ता एक्सपोजर सीमा का उल्लंघन

बैंक ने आरबीआई द्वारा निर्धारित विवेकशील सीमाओं के भीतर ही एकल ऋणकर्ता तथा समूह ऋणकर्ता एक्सपोजर उठाया है।

18.5.1. जमा राशियों, अग्रिमों, जोखिमों एवं अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण (आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार गणना)

क. जमा राशियों का संकेंद्रण

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियाँ (करोड़ ₹ में)	1,61,936.62	1,36,577.00
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत	4.00%	3.71%

ख. अग्रिमों का संकेंद्रण

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं को कुल ऋण राशि (करोड़ ₹ में)	3,46,209.56	3,15,554.46
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस ऋणकर्ताओं के ऋण का प्रतिशत	12.28%	12.43%

ग. ऋण-जोखिमों का संकेंद्रण

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
शीर्ष बीस उधारकर्ताओं/ग्राहकों का कुल ऋण-जोखिम (करोड़ ₹ में)	4,99,542.80	4,35,690.45
बैंक के कुल ऋण-जोखिम में सबसे बड़े बीस उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के कुल ऋण-जोखिम का प्रतिशत	11.05%	10.63%

घ. अनर्जक आस्तियों का संकेंद्रण

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल सकल अनर्जक आस्तियों में से शीर्ष बीस सबसे बड़े अनर्जक आस्ति खातों का कुल ऋण-जोखिम (करोड़ ₹ में)	29,921.64	40,905.49
कुल सकल अनर्जक आस्तियों में शीर्ष बीस सबसे बड़े अनर्जक आस्ति खातों का प्रतिशत	27.26%	33.00%

18.6. डेरिवेटिव

क. वायदा दर करार (एफआरए)/ ब्याज दर स्वैप (आईआरएस)

(₹ करोड़ में)

क्र.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i)	स्वैप करारों की आनुमानिक मुलराशि#	5,14,809.90	2,75,128.10
ii)	करार के अधीन प्रतिपक्षों द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियाँ	2,537.80	4,095.38
iii)	स्वैप में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	453.97	Nil
iv)	स्वैप से उद्भूत ऋण-जोखिम का संकेंद्रण	महत्वपूर्ण नहीं	महत्वपूर्ण नहीं
v)	स्वैप -बही का उचित मूल्य	1,532.87	3,894.26

#बैंक के अपने विदेशी कार्यालयों के साथ किए गए आईआरएस/एफआरए की ₹ 37,265.38 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 39,189.96 करोड़) की कुल राशि शामिल नही है।

31 मार्च 2022 को वायदा दर करार तथा ब्याज दर स्वैप की प्रकृति और शर्तें नीचे दी गई हैं: एसआएफआर

(₹ करोड़ में)

लिखत	प्रकृति	संख्या	आनुमानिक मूलधन	आधार (बेचमार्क)	शर्तें
आईआरएस	हेजिंग	299	48,544.51	लिबोर	स्थिर प्राप्त बनाम अस्थिर भुगतान
आईआरएस	हेजिंग	1	193.27	लिबोर	स्थिर भुगतान बनाम अस्थिर प्राप्त
आईआरएस	हेजिंग	40	1,085.65	अन्य	स्थिर प्राप्त बनाम अस्थिर भुगतान
आईआरएस	हेजिंग	14	1,735.65	लिबोर	अस्थिर प्राप्त बनाम स्थिर भुगतान
आईआरएस	हेजिंग	3	3,074.66	सोफ़र	स्थिर प्राप्त बनाम अस्थिर भुगतान
आईआरएस	हेजिंग	2	1,515.85	सोफ़र	अस्थिर प्राप्त बनाम स्थिर भुगतान
आईआरएस	हेजिंग	117	48,405.19	लिबोर	अस्थिर भुगतान बनाम स्थिर प्राप्त
आईआरएस	हेजिंग	87	28,814.98	लिबोर	स्थिर भुगतान बनाम अस्थिर प्राप्त
आईआरएस	हेजिंग	33	20,577.66	लिबोर	अस्थिर भुगतान बनाम अस्थिर प्राप्त
आईआरएस	हेजिंग	3557	1,50,195.38	मिबोर	स्थिर भुगतान बनाम अस्थिर प्राप्त
आईआरएस	हेजिंग	4205	1,72,240.00	मिबोर	अस्थिर भुगतान बनाम स्थिर प्राप्त
आईआरएस	हेजिंग	3	795.82	अन्य	स्थिर भुगतान बनाम अस्थिर प्राप्त
आईआरएस	हेजिंग	12	13,630.58	अन्य	अस्थिर भुगतान बनाम स्थिर प्राप्त
आईआरएस	हेजिंग	24	16,192.98	लिबोर	स्थिर प्राप्त बनाम अस्थिर भुगतान
आईआरएस	हेजिंग	3	1,538.59	लिबोर	स्थिर प्राप्त बनाम स्थिर भुगतान
आईआरएस	हेजिंग	24	6,253.97	एसआएफ	स्थिर प्राप्त बनाम अस्थिर भुगतान
आईआरएस	हेजिंग	2	15.16	SOFR	अस्थिर प्राप्त बनाम स्थिर भुगतान
	कुल		**5,14,809.90**		

ख. बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	वर्ष के दौरान बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलराशि (लिखत-वार)		
	क) ब्याज दर फ्यूचर्स	निरंक	निरंक
	ख. भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूतियाँ	3988.26	6,400.38
2	31 मार्च, 2021 को बाजार(एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव की बकाया आनुमानिक मूलराशि (लिखत-वार)		
	क. ब्याज दर फ्यूचर्स	निरंक	निरंक
	ख. भारत सरकार की 10 वर्षीय प्रतिभूतियाँ	501	निरंक
3	बाजार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलराशि जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है। (लिखत-वार)	लागू नहीं	लागू नहीं
4	बाज़ार (एक्सचेंज) में क्रय-विक्रय किए गए ब्याज-दर डेरिवेटिव का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया है और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है। (लिखत-वार)	लागू नहीं	लागू नहीं

ग. डेरिवेटिव में जोखिम एक्सपोज़र

गुणात्मक जोखिम एक्सपोज़र

i. बैंक वर्तमान में ओवर द काउंटर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरिवेटिव तथा ब्याज दर फ्यूचर्स तथा एक्सचेंज में ट्रेड किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव का लेनदेन करता है। बैंक द्वारा लेनदेन किए जाने वाले ब्याज दर डेरिवेटिव में रुपया ब्याज दर स्वैप, विदेशी मुद्रा ब्याज दर स्वैप और वायदा दर करार, कैप, फ्लोर व कॉलर शामिल हैं। बैंक द्वारा लेनदेन किए जाने वाले मुद्रा डेरिवेटिव, मुद्रा स्वैप, रुपया डॉलर ऑप्शन्स और क्रॉस मुद्रा ऑप्शन्स शामिल हैं। बैंक के ग्राहकों को इन उत्पादों का स्वैप प्रस्ताव, उनके निवेशों को हेज करने के लिए किया जाता है और बैंक ऐसे जोखिमों से सुरक्षा के लिए डेरिवेटिव संविदाएं निष्पादित करता है। बैंक द्वारा डेरिवेटिव का प्रयोग क्रय-विक्रय के साथ-साथ तुलन-पत्र की मदों की हेजिंग हेतु भी किया जाता है। बैंक यूएसडी/ भारतीय रुपए में भी ऑप्शन्स की स्थिति रखता है जिसका प्रबंधन विविध प्रकार की हानि सीमा और ग्रीक सीमाओं के माध्यम से किया जाता है। बैंक आरबीआई द्वारा अनुमत गैर-सुपुर्दगीय ओपशंस तथा गैर-सुपुर्दगीय फॉरवर्ड में भी डील करता है।

ii. डेरिवेटिव लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल होता है, अर्थात ब्याज दरों/विनिमय दरों/इक्विटी के मूल्य में संभावित प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को हानि उठानी पड़ सकती है, साथ ही डेरिवेटिव लेनदेन में ऋण जोखिम भी शामिल है, अर्थात यदि प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्वों को पूरा नहीं किया जाता, तो बैंक को ऋण जोखिम के रूप में संभावित हानि उठानी पड़ सकती है। बैंकों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की "डेरिवेटिव नीति" में बाजार जोखिम मानदंड (ग्रीक सीमा, हानि सीमा, कट-लोस ट्रिगर, अवधि, संशोधित अवधि, पीवी01, आदि) निर्धारित किए गए हैं। इस नीति के अंतर्गत ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, बैंकिंग संबंध अवधि, सीमाएं ग्राहक उपयुक्तता तथा नीति की उपयुक्तता (सीएएस) आदि) भी निर्धारित किए गए हैं। इस नीति में निर्धारित मानदंडों पर खरे उतरने वाले प्रतिपक्षों से ही डेरिवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया जाता है। देयताओं को पूरा करने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्ष के लिए समुचित सीमा निर्धारित की जाती है और बैंक प्रत्येक प्रतिपक्ष के साथ आईएसडीए करार करता है।

iii. इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन की निगरानी बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) करती है। बैंक का ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) डेरिवेटिव लेनदेन से संबद्ध बाजार जोखिम की पहचान, मापन, निगरानी करता है तथा इन जोखिमों को नियंत्रित एवं प्रबंधित करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को नियमित अंतराल पर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।

iv. डेरिवेटिव के लिए लेखांकन-नीति भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसका ब्योरा वित्त वर्ष 2020-21 की महत्वपूर्ण लेखा नीति (एसएपी): अनुसूची-17 में दिया गया है।

v. ब्याज दर स्वैप का उपयोग मुख्यत: विदेश स्थित कार्यालयों में आस्ति और देयताओं की हेजिंग के लिए किया जाता है।

vi. अधिकांश स्वैप प्रथम श्रेणी के प्रतिपक्षी बैंकों के साथ किए गए हैं।

vii. डेरिवेटिव लेनदेन में स्वैप शामिल हैं जिन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया गया है। स्वैप को ट्रेडिंग या हेजिंग के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

viii. डेरिवेटिव सौदे केवल उन्हीं अंतर बैंक सहभागियों के साथ किए गए जिनके लिए प्रतिपक्षी एक्सपोजर सीमाएं स्वीकृत है। इसी प्रकार, डेरिवेटिव सौदे केवल उन कॉरपोरेट के साथ किए गए जिनके लिए क्रेडिट एक्सपोजर सीमा स्वीकृत की गई है। डेरिवेटिव लेनदेन के लिए संपार्श्विक आवश्यकताओं को, मामला दर मामला आधार पर क्रेडिट स्वीकृति शर्तों के हिस्से के रूप में रखा जाता है। बैंक कुछ मामलों में जोखिम शमन उपाय के रूप में लेनदेन को समाप्त करने का अधिकार रखता है। डेरिवेटिव लेनदेनों के लिए संपार्श्विक आवश्यकताएं मामला दर मामला आधार पर ऋण संस्वीकृति शर्तों के साथ निर्धारित की जाती हैं। ऐसी संपार्श्विक आवश्यकताओं को नेमी ऋण मूल्यांकन प्रक्रिया के आधार पर निर्धारित किया जाता है। कतिपय मामलों में जोखिम न्यूनीकरण उपाय के रूप में लेन-देनों को समाप्त करने का अधिकार बैंक के पास है।

मात्रात्मक जोखिम एक्सपोज़र:

(₹ करोड़ में)

मद	मुद्रा डेरिवेटिव		ब्याज दर डेरिवेटिव	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
(I) डेरिवेटिव				
(आनुमानिक मूल राशि)				
(क) हेजिंग के लिए	17,269.22	18,858.30@	54,974.80	54,869.19#
(ख) क्रय-विक्रय के लिए*	13,90,743.44	10,47,976.78	4,65,802.38	2,26,304.06
(II) मार्क्ड टू मार्केट स्थिति				
(क) आस्ति (+)	9,219.37	9,451.37	2,537.80	4,095.38
(ख) देयता (-)	9,254.89	7,574.61	2,347.92	2,926.20
(III) ऋण जोखिम	47,965.29	43,234.09	7,180.48	6,868.01
(IV) ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन (100*पीवी01) का संभाव्य प्रभाव				
(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर	17.63	0.25	1,513.11	309.95
(ख) क्रय-विक्रय डेरिवेटिव पर	871.86	538.16	401.07	0.70
(V) वर्ष के दौरान देखा गया अधिकतम एवं न्यूनतम 100*पीवी01				
क) हेजिंग पर -				
अधिकतम	23.39	22.09	1,572.46	1,526.75
न्यूनतम	15.97	8.83	1,109.15	1,112.88
(ख) क्रय-विक्रय पर -				
अधिकतम	938.43	5.47	512.07	1.67
न्यूनतम	516.20	0.85	23.91	0.70

@ बैंक के अपने विदेश स्थित कार्यालयों के साथ किए गए स्वैप की ₹ 2003.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹2,156.47 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया है।

बैंक के अपने कार्यालयों के साथ प्रविष्ट आइआरएस/एफआरए की ₹ 37265.38 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 39,189.96 करोड़) की कुल राशि को यहाँ नहीं दिखाया गया

* बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों से किए गए ₹ 403.87 करोड़ के मुद्रा डेरिवेटिव (पिछले वर्ष ₹ 2167.90) और ₹ 4,693.25 करोड़ के गैर-वितरणीय वायदा (पिछले वर्ष ₹ 296.13) शामिल नहीं हैं।

- 31 मार्च, 2022 तक ग्लोबल मार्केट्स यूनिट और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग समूह के बीच डेरिवेटिव की बकाया आनुमानिक राशि ₹ 44,366.06 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 43,810.46 करोड़) है और 31 मार्च 2022 तक भारतीय स्टेट बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के बीच किए गए डेरिवेटिव व्यापार की राशि ₹ 34,018.38 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 10,331.69 करोड़) है।
- ब्याज दर डेरिवेटिव की बकाया आनुमानिक राशि, जो बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं की गई है, किंतु जहाँ 31 मार्च 2022 तक विचाराधीन आस्ति/देयताओं, जिनका बाजार-बहीमूल्य के अनुसार अंकन नहीं किया गया है, की राशि ₹ 98,921.35 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 77,741.31 करोड़) है।

घ. ऋण चूक स्वैप

बैंक किसी ऋण चूक स्वैप में शामिल नहीं हुआ है।

18.7 प्रतिभूतिकरण से संबंधित प्रकटीकरण

बैंक ने किसी मानक आस्ति का प्रतिभूतिकरण नहीं किया है।

18.8. तुलन-पत्र बाहय प्रायोजित की गई विशेष प्रयोजन संस्थाएं (एसपीवी)

बैंक ने कोई तुलन पत्र बाहय विशेष प्रयोजन संस्था शुरू नहीं की।

18.9. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ़) को अंतरित की गई अदावी देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डीईए निधी को अंतरित राशियों का प्रारंभिक अधिशेष	3,636.41	3,387.65
जमा : वर्ष के दौरान डीईए निधि में अंतरित राशि	893.35	267.30
घटा: दावों की प्रतिपूर्ति के लिए डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति की गई राशि	15.89	18.54
डीईएएफ को अंतरित राशियों का इतिशेष	4,513.87	3,636.41

18.10 शिकायतों पर प्रकटन

क) बैंक द्वारा ग्राहकों एवं बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से प्राप्त शिकायतों तथा उनके निवारण की सार रूप में सूचना

क्र. सं	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बैंक को अपने ग्राहकों से प्राप्त शिकायतें			
1	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	1,46,280	1,76,057
2	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	34,52,782	31,31,509
3	वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतों की संख्या	34,16,850	31,61,286
	3.1 इनमें से बैंक द्वारा निरस्त शिकायतों की संख्या	93,618	1,20,191
4	वर्ष के अंत में विचाराधीन/ लंबित शिकायतों की संख्या	1,82,212	1,46,280
बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से प्राप्त बैंक द्वारा संधार्य शिकायतें			
5	बैंकिंग लोकपाल कार्यालय से प्राप्त बैंक द्वारा संधार्य शिकायतों की संख्या	45,693@	58,956@
	5.1 क्रम 5 में से, बैंक के पक्ष में लोकपाल द्वारा अधिनिर्णित शिकायतों की संख्या	35,297	54,680
	5.2 क्रम 5 में से, ऐसे शिकायतों की संख्या जिसका निपटान बैंकिंग लोकपाल कार्यालय द्वारा समझौते/मध्यस्थता/ सलाह से किया गया	8,664	12,024
	5.3 क्रम 5 में से, ऐसे शिकायतों की संख्या जिसका निपटान बैंकिंग लोकपाल द्वारा बैंक के विरुद्ध अधिनिर्णय देकर किया गया	1	6
6	निर्धारित अवधि में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या (अपील किए गए को छोड़कर)	0	0

वित्त वर्ष 2020-21 के अंत में लंबित शिकायतें जिनको वित्त वर्ष 2021-22 में आगे ले जाया गया, वे भी शामिल हैं।

नोट: संधार्य शिकायतों का आशय उन शिकायतों से है जो समन्वित बैंकिंग लोकपाल योजना 2021 (विगत में बैंकिंग लोकपाल योजना 2006) में विशेषकर उल्लिखित हैं तथा योजना के अधीन शामिल हैं।

ख) ग्राहकों से बैंक को प्राप्त होने वाली शिकायतों के पाँच प्रमुख आधार

शिकायतों के आधार, (अर्थात किस विषय से शिकायतें संबंधित हैं)	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	पिछले वर्ष के मुकाबले प्राप्त शिकायतों की संख्या में % वृद्धि/कमी	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	क्र 5, में कितनी शिकायतें 30 से अधिक दिनों से लंबित हैं
1	2	3	4	5	6
चालू वर्ष					
एटीएम/डेबिट कार्ड	64,100	18,83,728	4.38	65,097	30,313
आईएनबी/एमबी	43,015	13,43,568	135.42	97,236	67,738
लिया गया बैंक प्रभार	4,016	55,280	-11.53	3,766	3,410
खातों का परिचालन	3,459	24,529	-24.02	8,339	3,127
चेक बुक संबंधी	660	20,432	67.98	1,694	1,056
अन्य	31,030	1,25,245	-80.71	6,080	683
योग	**1,46,280**	**34,52,782**	**10.26**	**1,82,212**	**1,06,327**
पिछला वर्ष					
एटीएम/डेबिट कार्ड	1,14,230	18,04,653	-33.25	64,100	10,946
आईएनबी/एमबी	51,819	5,70,711	-9.50	43,015	22,620
लिया गया बैंक प्रभार	667	62,482	48.99	4,016	361
खातों का परिचालन	585	32,285	80.05	3,459	683
चेक बुक संबंधी	73	12,163	167.55	660	96
अन्य	8,683	6,49,215	54.64	31,030	350
योग	**1,76,057**	**31,31,509**	**-17.77**	**1,46,280**	**35,056**

18.11 आरबीआई द्वारा लगाए गए अर्थदंडों का प्रकटीकरण

क) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) तथा 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित अर्थदंड लगाया गया :-

i) बड़े ऋणों (क्रिसिल पोर्टल के माध्यम से) पर डाटा प्रस्तुत करते हुए डाटा शुद्धता एवं विश्वसनीयता के संबंध में सर्वोच्च सावधानी बरतना सुनिश्चित करने में असफलता के कारण आरबीआई ने 30 जून को समाप्त तिमाही के दौरान तहत ₹ 50 लाख (पचास लाख रूपए) का अर्थदंड लगाया।

ii) 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान 'भारतीय रिज़र्व बैंक (धोखाधड़ी वर्गीकरण एवं वाणिज्यिक बैंकों तथा चयनित वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्टिंग) दिशानिदेश 2016' में दिए गए दिशानिदेशों का अनुपालन न करने के लिए आरबीआई ने ₹ 1 करोड़ (एक करोड़ रुपए) का अर्थदंड लगाया।

iii) 30 सितंबर 2021 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 19 की उप धारा (2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए आरबीआई ने ₹ 1 करोड़ (एक करोड़ रुपए) अर्थदंड लगाया।

ख) भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 तथा सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2016 (एसजीएल की बाउंसिंग के लिए) के अंतर्गत उल्लंघन के लिए कोई अर्थ दंड नहीं लगाया गया है।

ग) रिवर्स रेपो लेनदेन में कोई चूक नहीं की गई है।

18.12. अन्य प्रकटन :

क) व्यवसाय अनुपात:

क्र. सं	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i.	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	6.27%	5.93%
ii.	कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	0.92%	0.97%
iii.	जमाओं की कीमत	3.83%	4.20%
iv.	निवल ब्याज मार्जिन	3.12%	3.04%
v.	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में प्रचालन लाभ		1.60%
vi.	आस्तियों पर प्रतिफल	0.67%	0.48%
vii.	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा व अग्रिम मिलकर) (करोड़ ₹ में)	25.74	23.73
viii.	प्रति कर्मचारी व्यवसाय (हज़ार ₹ में)	1292.72	828.35

ख) बैंक-बीमा (बैंकाश्योरेंस) व्यवसाय

बीमा बुकिंग, एजेंसी तथा बैंकाश्योरेंस व्यवसाय के संबंध में अर्जित फीस/दलाली

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	1,567.50	1,239.75
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कं. लि.	319.00	327.39
एनटीयूसी और मनु लाइफ फाइनांसियल लि.	1.27	0.83
टोकियो मरीन और एसीई	0.61	1.52
यूनिट ट्रस्ट और एलआईसी	0.01	0.22
एआईए सिंगापुर	0.04	0.06
आइएफएएसटी	0.43	0.17
अविवा	0.39	-
योग	**1,889.25**	**1,569.94**

ग) विपणन व वितरण:

मार्किटिंग तथा वितरण कार्य के लिए प्राप्त फीस/पारिश्रमिक (बैंक-बीमा व्यवसाय को छोड़कर) का विवरण इस प्रकार है :

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसबीआई म्यूचुअल फंड	741.84	451.40
एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस लिमिटेड	199.61	134.62
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (नेशनल पेंशन सिस्टम)	10.00	6.17
एसबीआई कैप सिक्युरिटीस लिमिटेड.	5.06	3.35
अन्य म्यूचुअल फंड	22.64	11.45
अन्य (पीएमएस, बॉण्डस कॉरपोरेट एफ़डी इत्यादि)	2.55	0.96
कुल	**981.70**	**607.95**

घ) **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणान्वयन प्रमाणपत्र (पीएसएलसी)**

वर्ष के दौरान बैंक ने निम्नलिखित पीएसएलसी की खरीदारी की है :-

(करोड़ ₹ में)

श्रेणी	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पीएसएलसी सूक्ष्म उद्यम	5,792.00	37,405.25
पीएसएलसी कृषि	10,192.00	14,883.50
पीएसएलसी सामान्य	58,361.75	10,050.00
पीएसएलसी लघु एवं सीमांत किसान	63,654.25	63,442.50
योग	**1,38,000.00**	**1,25,781.25**

31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बैंक ने किसी भी पीएसएलसी की बिक्री नहीं की है।

ङ) **प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ**

लाभ एवं हानि खाते में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दिखाए गए “प्रावधान एवं आकस्मिकताओं” का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ ₹ में)

लाभ एवं हानि खाते को डेबिट किए गए प्रावधान	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कर हेतु प्रावधान		
- चालू कर	11,427.30	10,760.88
- आस्थगित कर	318.57	(-)3,630.23
- आयकार का प्रतिलेखन/अतिरिक्त प्रावधान	-	-
निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	3,440.10	3,014.50
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान	14,142.96	27,269.95
पुनर्रचित आस्तियों के लिए प्रावधान	(-)56.11	(-) 25.60
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	4,677.04	3,789.78
अन्य प्रावधान	2,248.14	9,964.40
योग	**36,198.00**	**51,143.68**

च) **आईएफ़आरएस अभिरूपित भारतीय लेखा मानक (भा. एएस) का कार्यान्वयन**

आरबीआई ने अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.29/21.07.001/2018-19 दिनांक 22 मार्च 2019 के अंतर्गत आगामी सूचना तक बैंकों में एएस कार्यान्वयन स्थागित कर दिया है। तथापि प्रत्येक छमाही की समाप्ति पर बैंक प्रोफोर्म भा. एएस विवरण आरबीआई को प्रस्तुत करना होता है। तदनुसार, बैंक प्रत्येक छमाही की समाप्ति पर प्रोफोर्म भा. एएस विवरण तैयार करता है तथा बैंक में लेखा मानक (एएस) के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए प्रबंध निदेशक (तनावग्रस्त आस्तियाँ, जोखिम एवं अनुपालन) की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति के अनुमोदन के पश्चात आरबीआई को प्रस्तुत करता है।

छ) **डीआईसीजीएस बीमा प्रीमियम का भुगतान**

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
डीआईसीजीएस बीमा प्रीमियम का भुगतान	4,006.14	3,573.92
डीआईसीजीएस बीमा प्रीमियम भुगतान का बकाया	-	-

ज) **बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में बढ़ोतरी के कारण खर्च के परिशोधन पर प्रकटन**

11वें द्विपक्षीय समझौते तथा संयुक्त नोट दिनांक 11 नवंबर 2020 के अंतर्गत बैंक कर्मचारियों को देय पारिवारिक पेंशन में संशोधन के अनुसरण में बैंक ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि लेखा में ₹ 7,418.39 करोड़ की संपूर्ण अतिरिक्त देयता का प्रावधान किया है। इसे एक अपवादात्मक मद के रूप में प्रकट किया गया है।

पारिवारिक पेंशन योजना के संबंध में तुलन पत्र में कोई अपरिशोधित खर्च नहीं है।

18.13 लेखा मानकों के अनुसार आवश्यकताओं का प्रकटीकरण

क) "लेखांकन मानक - 5: अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

- वर्ष के दौरान, कोई सामग्री पूर्व अवधि आय/व्यय मद नहीं थे ।
- पिछले वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

ख) लेखा मानक - 15 "कर्मचारी हितलाभ"

i. नियत हितलाभ योजनाएँ

1. कर्मचारी पेंशन तथा ग्रेच्युटी योजना

नीचे दी गई तालिका, बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकक मूल्यांकन के अनुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना तथा ग्रेच्युटी की स्थिति को स्पष्ट करती है:-

(₹ करोड़ में)

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
आरंभिक नियत हितलाभ दायित्व	1,25,806.37	1,09,830.37	13,447.17	12,852.56
वर्तमान सेवा लागत	914.92	970.09	466.44	440.06
ब्याज लागत	8,680.64	7,501.41	917.10	879.12
विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	11,124.14	-	-	-
बीमांकिक (लाभ)/हानियाँ	9,789.06	15,822.32	42.20	1,185.34
प्रदत्त लाभ	(4,926.71)	(3,475.67)	(2,158.69)	(1,909.91)
बैंक द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(5,263.43)	(4,842.15)	-	-
31 मार्च 2022 को अंतिम नियत हितलाभ दायित्व	1,46,124.99	1,25,806.37	12,714.22	13,447.17
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2021 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	1,06,445.86	97,458.52	10,950.23	10,570.95
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	7,344.76	6,656.42	746.81	723.05
नियोक्ता द्वारा अंशदान	22,163.77	2,100.68	1,463.56	1,234.77
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	-	-	-	-
प्रदत्त हितलाभ	(4,926.71)	(3,475.67)	(2,158.69)	(1,909.91)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(436.95)	3,705.91	(76.85)	331.37
31 मार्च 2022 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	1,30,590.73	1,06,445.86	10,925.06	10,950.23
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2022 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,46,124.99	1,25,806.37	12,714.22	13,447.17
31 मार्च 2022 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	1,30,590.73	1,06,445.86	10,925.06	10,950.23
कमी/(अधिशेष)	15,534.26	19,360.51	1,789.16	2,496.94
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	15,534.26	19,360.51	1,789.16	2,496.94

विवरण	पेंशन योजना		ग्रेच्युटी योजना	
	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष
तुलन-पत्र में शामिल की गई राशि				
देयताएँ	1,46,124.99	1,25,806.37	12,714.22	13,447.17
आस्तियाँ	1,30,590.73	1,06,445.86	10,925.06	10,950.23
तुलनपत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	15,534.26	19,360.51	1,789.16	2,496.94
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत (निहित) इतिशेष	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता इतिशेष	-	-	-	-
कुल देयताएँ/(आस्तियाँ)	15,534.26	19,360.51	1,789.16	2,496.94
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत				
वर्तमान सेवा लागत	914.92	970.09	466.44	440.06
ब्याज लागत	8,680.64	7,501.41	917.10	879.12
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(7,344.76)	(6,656.42)	(746.81)	(723.05)
कर्मचारियों द्वारा अनुमानित अंशदान	-	-	-	-
लेखे में ली गई (परिशोधित) विगत सेवा लागत	-	-	-	-
लेखे में ली गई विगत सेवा लागत (निहित लाभ)	11,124.14	-	-	-
लेखे में शामिल की गई वर्ष के दौरान निवल बीमांकिक हानियाँ (लाभ)	10,226.01	12,116.41	119.05	853.97
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत	23,600.95	13,931.49	755.78	1,450.10
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और बीमांकिक प्रतिलाभ का समाधान				
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	7,344.76	6,656.42	746.81	723.05
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(436.95)	3,705.91	(76.85)	331.37
योजना आस्तियों पर बीमांकिक प्रतिलाभ	6,907.81	10,362.33	669.96	1,054.42
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेष व इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता/(आस्ति)	19,360.51	12,371.85	2,496.94	2,281.61
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	23,600.95	13,931.49	755.78	1,450.10
बैंक द्वारा सीधे प्रदत्त	(5,263.43)	(4,842.15)	-	-
अन्य प्रावधानों को डेबिट	-	-	-	-
आरक्षित निधियों में शामिल	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(22,163.77)	(2,100.68)	(1,463.56)	(1,234.77)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता/(आस्ति)	15,534.26	19,360.51	1,789.16	2,496.94

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार पेंशन निधि तथा ग्रेच्युटी निधि की योजना आस्तियां निम्नानुसार हैं :

आस्तियों की श्रेणी	पेंशन निधि	ग्रेच्युटी निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	19.72%	19.23%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	34.84%	37.02%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ एवं बैंक जमा	31.50%	30.46%
ईटीएफ़ तथा म्यूचुअल फंड	10.26%	10.23%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां	1.31%	1.42%
अन्य	2.37%	1.64%
योग	**100.00%**	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक आकलन

विवरण	पेंशन योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.35%	6.90%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.35%	6.90%
वेतन बढ़ोतरी दर	5.80%	5.60%
पेंशन बढ़ोतरी दर	1.60%	1.20%
पलायन दर	2.00%	2.00%
रोजगार के दौरान मृत्यु तालिका	आईएएलएम 2012-14 (अर्बन)	आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट
रोजगार के बाद मृत्यु तालिका	आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट	IALM (2006-08) अल्टीमेट

प्रमुख बीमांकिक आकलन

विवरण	ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.27%	6.82%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	7.27%	6.82%
वेतन बढ़ोतरी	5.80%	5.60%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु तालिका	आईएएलएम 2012-14 (अर्बन)	आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट

योजना में अधिशेष / कमी

ग्रेच्युटी योजना

(₹ करोड़ में)

तुलन-पत्र में ली गई राशि	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	12,872.60	12,189.05	12,852.56	13,447.17	12,714.22
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	9,140.76	10,326.00	10,570.95	10,950.23	10,925.06
अंतर	3,731.84	1,863.05	2,281.61	2,496.94	1,789.16
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	2,707.50	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	1,024.34	1,863.05	2,281.61	2,496.94	1,789.16

अनुभव समायोजन

(₹ करोड़ में)

तुलन - पत्र में ली गई राशि :	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
योजना देयता पर (लाभ)/ हानि	399.62	(212.11)	382.17	1,053.04	366.15
योजना आस्ति (हानि)/ लाभ	(25.96)	102.16	249.84	331.37	(76.85)

योजना में अधिशेष / कमी

पेंशन

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में ली गई राशि	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
वर्ष के अंत में देयता	87,786.56	95,362.15	1,09,830.37	1,25,806.37	1,46,124.99
वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	85,249.60	90,399.61	97,458.52	1,06,445.86	1,30,590.73
अंतर	2,536.96	4,962.54	12,371.85	19,360.51	15,534.26
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	-	-	-	-	-
लेखे में नहीं ली गई अस्थायी देयता	-	-	-	-	-
तुलन-पत्र में ली गई राशि	2,536.96	4,962.54	12,371.85	19,360.51	15,534.26

अनुभव समायोजन

(₹ करोड़ में)

तुलन पत्र में ली गई राशि	31-03-2018 को समाप्त वर्ष	31-03-2019 को समाप्त वर्ष	31-03-2020 को समाप्त वर्ष	31-03-2021 को समाप्त वर्ष	31-03-2022 को समाप्त वर्ष
योजना देयता पर (लाभ)/हानि	4,439.54	3,642.57	4,078.53	12,528.38	4,162.26
योजना आस्ति पर (हानि)/लाभ	(135.07)	109.65	1,550.28	3,705.91	(436.95)

अगले वर्ष के लिए पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि के लिए अनुमानित अंशदान क्रमश: ₹ 3150.25 तथा ₹ 1741.66 है।

चूंकि योजनागत आस्ति को सरकारी प्रतिभूतियों के उत्पादकता कर्व के आधार पर बाजार के लिए मार्क किया गया है, अनुमानित प्राप्तियों की गणना डिस्काउंट दर की गई है।

बीमांकिक मूल्यन में प्रतिफलित भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा रोजगार-बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति जैसे अन्य संगत कारणों को ध्यान में रखकर किया गया है। ये अनुमान बहुत लंबी अवधि के हैं तथा सीमित विगत अनुभव/ निकट भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में लगातार, उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है, लेखा-परीक्षकों ने इन्हें स्वीकार किया है।

पेंशन फंड को और अधिक मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि कुछ धारणाओं में धीरे-धीरे उर्ध्वमुखी संशोधन किया जाए। इसके अनुसार चालु वर्ष में धारणाओं को संशोधित किया गया है।

ii. कर्मचारी भविष्य निधि

बैंक के भविष्य निधि न्यास से हुई ब्याज की कमी के संबंध में नियतिवादी दृष्टिकोण के अनुसार संचालित बीमांकिक मूल्यांकन “निरंक” देयता दर्शाता है। अतः वित्तीय वर्ष 2021-22 में किसी भी तरह का प्रावधान नहीं किया गया है।

निम्नलिखित तालिका बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए या किया गया बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2021 को नियत हितलाभ दायित्व योजना की आरंभिक राशि	35,289.14	31,188.49
वर्तमान सेवा लागत	1,493.06	3,289.62
ब्याज लागत	2,917.84	2,563.49
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	1,958.76	2,562.41
बीमांकिक हानि / (लाभ)	150.44	63.43
प्रदत्त लाभ	(5,079.24)	(4,378.30)
31 मार्च 2022 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष	36,730.00	35,289.14
योजना आस्तियों में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2021 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	36,365.80	32,104.22
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	2,917.84	2,563.49
अंशदान	3,451.82	5,852.03
अनर्जक निवेशों की परिपक्वता पर हानि के लिए प्रावधान	-	(60.59)
प्रदत्त हितलाभ	(5,079.24)	(4,378.30)
योजना आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(23.37)	284.95
31 मार्च 2022 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	37,632.85	36,365.80
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2022 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	36,730.00	35,289.14
31 मार्च 2022 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य	37,632.85	36,365.80
कमी/(अधिशेष)	(902.85)	(1,076.66)
तुलन पत्र में शामिल न की गई निवल आस्ति	902.85	1,076.66
लाभ और हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	1,493.06	3,289.62
ब्याज लागत	2,917.84	2,563.49
योजना-आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(2,917.84)	(2,563.49)
ब्याज में आई कमी को वापस किया गया	-	-
अनुसूची 16 "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में शामिल की गई नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत।	1,493.06	3,289.62
तुलन-पत्र में शामिल की गई प्रारम्भिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2021 को प्रारम्भिक निवल देयता	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	1,493.06	3,289.62
नियोक्ता का अंशदान	(1,493.06)	(3,289.62)
तुलन-पत्र में शामिल की गई निवल देयता /(आस्ति)	-	-

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि की योजना आस्तियों के अंतर्गत निवेश निम्नानुसार हैं:

आस्तियों की श्रेणी	भविष्य निधि योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	32.74%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	29.31%
ऋण प्रतिभूतियाँ, पूंजी बाज़ार प्रतिभूतियाँ और बैंक जमा	30.35%
म्यूचुअल फंड	5.83%
अन्य	1.77%
योग	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक आकलन;

विवरण	भविष्य निधि	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.27%	6.82%
सुनिश्चित प्रतिलाभ	8.50%	8.50%
पलायन दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि दर	5.80%	5.60%
मृत्यु तालिका	आईएएलएम 2012-14 (अर्बन)	आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट

एसबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत देयता पर सुनिश्चित प्रतिलाभ दर लागू है, जो नीचे बताई गई दो दरों में से किसी से कम नहीं होगी :

(क) पूर्ववर्ती वर्ष (पूर्ववर्ती 31 मार्च को समाप्त) में बारह माह के लिए नई सावधि जमाओं के लिए बैंक द्वारा उद्धृत औसत मानक दर (एक चौथाई प्रतिशत ऊपर या नीचे समायोजित) से आधा प्रतिशत अधिक : या

(ख) तीन प्रतिशत वार्षिक, बशर्ते कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाए।

ii. नियत अंशदान योजना

01 अगस्त 2010 या उसके बाद बैंक की सेवा में आने वाले सभी श्रेणी के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए बैंक ने नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) लागू की है। इस योजना का प्रबंधन नई पेंशन योजना (एनपीएस) न्यास द्वारा पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में किया जाता है। एनपीएस के लिए, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लि. को केंद्रीय रिकार्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 1177.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 648.17 करोड़) का अंशदान किया।

iii. दीर्घावधि कर्मचारी- हितलाभ (अनिधिकृत देयताएँ) :

क) संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका में बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचयी क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों (अर्जित अवकाश) की स्थितियां दर्शायी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
परिभाषित हितलाभ दायित्व की वर्तमान राशि में बदलाव		
1 अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार परिभाषित प्रारंभिक हितलाभ दायित्व	8,182.24	7,533.04
वर्तमान सेवा लागत	456.87	311.06
ब्याज लागत	558.03	515.26
बीमांकिक हानियां/(लाभ)–वित्तीय अनुमान में परिवर्तन के कारण	2,567.32	1,221.15
प्रदत्त लाभ	(1,392.09)	(1,398.27)
31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार सुनिश्चित निवल देयता इतिशेष	10,372.37	8,182.24

(₹ करोड़ में)

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियाँ (अर्जित अवकाश)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
लाभ एवं हानि खाते में शामिल निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	456.87	311.06
ब्याज लागत	558.03	515.26
बीमांकिक (लाभ)/हानियां	2,567.32	1,221.15
अनुसूची 16 -"कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान" में शामिल परिभाषित हितलाभ योजनाओं की कुल लागत	3,582.22	2,047.47
तुलन-पत्र में अभिनिर्धारित प्रारंभिक एवं अंतिम निवल देयता / (आस्ति) का समाधान		
1 अप्रैल 2021 की स्थिति के अनुसार प्रारंभिक निवल देयता	8,182.24	7,533.04
उपरोक्तानुसार व्यय	3,582.22	2,047.47
नियोजक का अंशदान	-	-
नियोजक द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष लाभ	(1,392.09)	(1,398.27)
तुलन-पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	10,372.37	8,182.24

प्रमुख बीमांकिक अनुमान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.27%	6.82%
वेतन वृद्धि दर	5.80%	5.60%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु तालिका	आईएएलएम 2012-14 (अर्बन)	आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट

(ख) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभ

बैंक द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों के लिए ₹ 115.51 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष ₹ 32.29 करोड़) की राशि प्रदान की गई है और इसे लाभ और हानि खाते में "कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान" के तहत शामिल किया गया है।

प्रमुख बीमांकिक अनुमान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.27%	6.82%
वेतन वृद्धि दर	5.80%	5.60%
पलायन दर	2.00%	2.00%
मृत्यु तालिका	आईएएलएम 2012-14 (अर्बन)	आईएएलएम (2006-08) अल्टीमेट

ग) लेखा मानक - 17 "खंडवार सूचना"

1. खंड अभिनिर्धारण

I प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

बैंक के निम्नलिखित प्राथमिक खंड हैः-

- खजाना (ट्रेजरी)
- कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा एवं सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों के लिए अलग से आंकड़े संग्रहण व निकालने करने की व्यवस्था नहीं है। तथापि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक तथा प्रबंधकीय रिपोर्टिंग संरचना एवं प्राथमिक खंडों में निहित जोखिम व प्रतिलाभ के आधार पर निम्नलिखित के अनुसार उनकी गणना की गई है :-

i. **ट्रेजरी -**

ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय व डेरिवेटिव संविदाओं में ट्रेडिंग शामिल हैं। ट्रेजरी खंड की आय में मुख्य रूप से फीस तथा ट्रेडिंग परिचालनों से होने वाले लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज-आय शामिल होती है।

ii. **कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग-**

कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग खंड में कॉरपोरेट लेखा समूह, वाणिज्यिक लेखा समूह तथा तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह की ऋण गतिविधियाँ शामिल हैं। इनमें कॉरपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली ऋण व लेन-देन सेवाएँ तथा विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-ट्रेज़री परिचालन भी शामिल हैं।

iii. **खुदरा बैंकिंग-**

खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ आती हैं, जिसमें प्राथमिक रूप से इन शाखाओं से बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉरपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय व एटीएम भी शामिल हैं।

iv. **अन्य बैंकिंग व्यवसाय -**

उपर्युक्त (i) से (iii) के अंतर्गत वर्गीकृत न किए गए खंड इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं।

II. **द्वितीयक (भौगोलिक खंड)**

i) देशी परिचालन- भारत में परिचालन करने वाली शाखाएँ/कार्यालय

ii) विदेशी परिचालन- भारत के बाहर परिचालन करने वाली शाखाएँ/कार्यालय तथा भारत में परिचालन करने वाली समुद्र पारीय बैंकिंग इकाइयाँ।

III. **अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण**

खुदरा बैंकिंग खंड मुख्य संसाधन संग्रहण इकाई है। कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग तथा ट्रेजरी खंड खुदरा बैकिंग से निधि प्राप्त करते हैं। बाजार संबंधित निधि अंतरण मूल्य निर्धारण (एमआरएफटीपी) का पालन किया जाता है जिसके अंतर्गत निधियन केंद्र नामक एक पृथक इकाई सृजित की गई है। निधियन केंद्र व्यवसाय इकाइयों द्वारा जमा अथवा उधार के रूप में सृजित की जाने वाली निधियों का कल्पित क्रय करती है तथा आस्तियाँ सृजित करने वाली व्यवसाय इकाइयों को निधियों का कल्पित विक्रय करती है।

IV. **व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन**

सीधे कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं में किए गए खर्च को उसी अनुसार आबंटित किया गया है। सीधे-सीधे न जुड़े हुए खर्च को प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आंबटित किया गया है।

बैंक में कुछ ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ होती हैं जिन्हें किसी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता, उन्हें गैर-आबंटित श्रेणी में रखा गया है।

2. खंडवार सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	अन्य बैंकिंग परिचालन	योग
राजस्व (विशेष मदों से पूर्व) #	1,00,000.05	74,379.36	1,38,504.95	-	3,12,884.36
	(91,916.79)	(81,782.12)	(1,31,783.02)	(-)	(3,05,481.93)
गैर-आबंटित राजस्व					3,136.84
					(1,625.34)
कुल राजस्व #					3,16,021.20
					(3,07,107.27)
परिणाम (विशेष मदों से पूर्व)#	13,654.90	26,959.15	12,541.38	-	53,155.43
	(15,561.38)	(5,149.19)	(9,448.38)	(-)	(30,158.95)
जोड़ः विशेष मदें #					(-) 7,418.39
					(1,539.73)
परिणाम (विशेष मदों के पश्चात)#					45,737.04
					(31,698.68)
गैर-आबंटित आय (+) (-) - निवल#					(-) 2,315.19
					(-4,157.56)
कर पूर्व लाभ #					43,421.85
					(27,541.12)
कर #					11,745.87
					(7,130.65)
असाधारण लाभ #					निरंक
					निरंक
निवल लाभ #					31,675.98
					(20,410.47)
अन्य सूचना :					
खंड आस्तियाँ *	16,13,186.75	13,02,237.02	20,21,244.45	-	49,36,668.22
	(14,53,111.55)	(11,97,649.91)	(18,15,024.48)	(-)	(44,65,785.94)
गैर-आबंटित आस्तियाँ *					50,929.19
					(68,643.69)
कुल आस्तियाँ *					49,87,597.41
					(45,34,429.63)
खंड देयताएं *	14,68,058.66	12,74,940.11	18,48,288.43	-	45,91,287.20
	(13,26,432.08)	(11,68,462.70)	(16,82,902.21)	(-)	(41,77,796.99)
गैर-आबंटित देयताएँ*					1,16,222.15
					(1,02,757.46)
कुल देयताएँ *					47,07,509.35
					(42,80,554.45)

(कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष के हैं)

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

(₹ करोड़ में)

	देशीय		विदेशी		योग	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
राजस्व (विशेष मदों से पूर्व) #	3,06,741.79	2,97,188.29	9,279.41	9,918.98	3,16,021.20	3,07,107.27
निवल लाभ #	27,905.87	17,236.17	3,770.11	3,174.30	31,675.98	20,410.47
आस्तियाँ*	44,56,341.96	40,56,851.69	5,31,255.45	4,77,577.94	49,87,597.41	45,34,429.63
देयताएँ *	41,76,253.90	38,02,976.51	5,31,255.45	4,77,577.94	47,07,509.35	42,80,554.44

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

* 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार

घ. "लेखा मानक - 18 " संबंधित पक्ष प्रकटीकरण"

1. संबंधित पक्ष

क) अनुषंगियाँ

i. **विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ**

1. कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को
2. एसबीआई कनाडा बैंक
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
4. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड
5. एसबीआई (मॉरीशस) लि.
6. पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
7. नेपाल एसबीआई बैंक लि.
8. बैंक एसबीआई (बोत्सवाना) लिमिटेड (07.09.2021 तक)

ii. **देशीय गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ**

1. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
2. एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
3. एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड
4. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
5. एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
6. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
7. एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
8. एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड
9. एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड
10. एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड
11. एसबीआई एसजी-ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
12. एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
13. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
14. एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
15. एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन अधीन)
16. एसबीआई फाउंडेशन

iii. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्रा. लि.
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा, ब्राजील
3. नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड
4. एसबीआईकैप (यूके) लि. (परिसमापन अधीन)

ख) संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. सी-ऐज टेकनोलॉजीज़ लि.
2. जियो पेमेंट्स बैंक लि.
3. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.
4. एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज़ प्रा. लि.
5. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.
6. मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.
8. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.

ग) सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1 आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक
4. इलाकाई देहाती बैंक
5. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
6. मेघालय ग्रामीण बैंक
7. मिजोरम ग्रामीण बैंक
8. नागालैंड ग्रामीण बैंक
9. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
10. उत्कल ग्रामीण बैंक
11. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
12. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक
13. राजस्थान मरुधर ग्रामीण बैंक
14. तेलंगाना ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2. बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड
3. यस बैंक लिमिटेड
4. इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेज (इंडिया)प्रा. लि. (29.06.2021 से)
5. एसबीआई होम फ़ाइनेंस लि. (परिसमापन अधीन)

घ) बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष
2. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)
3. श्री अश्वनी भाटिया, प्रबंध निदेशक (कॉरपोरेट बैंकिंग एवं ग्लोबल मार्केट्स)
4. श्री स्वामीनाथन जानकीरमण, प्रबंध निदेशक (जोखिम, अनुपालन एवं सार्ग)
5. श्री अश्विनी कुमार तिवारी, प्रबंध निदेशक (अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियाँ)

2. वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए

लेखा मानक लेखा मानक (एएस) 18 के अनुच्छेद 9 के अंतर्गत "सरकार-नियंत्रित उद्यम" के संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है। इसके अतिरिक्त, लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों सहित बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेनदेनों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

3. लेनदेन एवं शेष राशियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं उनके संबंधी	योग
को बकाया		**31 मार्च 2022**			**31 मार्च 2021**	
उधार राशि	-	-	-	-	-	-
जमा राशि	833.02	-	833.02	1,351.05	-	1,351.05
अन्य देयताएँ	10.23	-	10.23	7.83	-	7.83
बैंकों में अधिशेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	0.12	-	0.12	-	-	-
अग्रिम	856.50	-	856.50	1,434.76	-	1,434.76
निवेश	10,614.81	-	10614.81	12,520.51	-	12,520.51
अन्य आस्तियाँ	224.63	-	224.63	150.79	-	150.79
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	-	-	-	2,935.10	-	2,935.10
अधिकतम बकाया		**वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान**			**वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान**	
उधार राशि	-	-	-	-	-	-
जमा राशि	1,351.05	-	1,351.05	1,541.27	-	1,541.27
अन्य देयताएँ	13.78	-	13.78	7.83	-	7.83
बैंकों में अधिशेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	636.41	-	636.41	-	-	-
अग्रिम	2,218.48	-	2218.48	17,763.35	-	17,763.35
निवेश	12,520.51	-	12,520.51	12,520.51	-	12,520.51
अन्य आस्तियाँ	372.58	-	372.58	150.79	-	150.79
गैर-निधि प्रतिबद्धता (एलसी/बीजी)	2,935.10	-	2,935.10	2,935.10	-	2,935.10
वर्ष के दौरान		**वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान**			**वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान**	
ब्याज आय	207.19	-	207.19	160.52	-	160.52
ब्याज खर्च	31.48	-	31.48	18.44	-	18.44
डिविडेंड से अर्जित आय	21.23	-	21.23	22.61	-	22.61
अन्य आय	1.50	-	1.50	1.00	-	1.00
अन्य खर्च	7.14	-	7.14	-	-	-
भूमि/भवन व अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)	-	-	-	-	-	-
प्रबंधन संविदाएँ	-	1.63	1.63	-	1.50	1.50

वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकार से महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं हुआ है।

ङ) लेखा-मानक - 19 "पट्टा"

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों का ब्योरा नीचे दिया गया है:

परिचालन पट्टे पर परिसरों में मुख्यतः कार्यालय परिसर और स्टाफ आवास शामिल हैं, इन पट्टों को नवीकृत करने का विकल्प बैंक के पास है :-

(i) गैर-निरस्तीकरण योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की देयता का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष तक	88.70	61.32
1 वर्ष से 5 वर्ष तक	55.02	109.10
5 वर्ष के पश्चात	5.32	10.57
योग	**149.04**	**180.99**

(ii) परिचालन पट्टों के संबंध में लाभ एवं हानि खाते में शामिल की गई राशि ₹ 3,892.94 करोड़ (₹ 3,360.58 करोड़)।

च) लेखा मानक -20 "प्रति शेयर उपार्जन"

बैंक, लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय रिपोर्ट करता है। प्रतिशेयर "मूलआय" की गणना, वर्ष के दौरान, कर पश्चात निवल आय को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर निकाली गई है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल तथा कम किए गए		
वर्ष के प्रारंभ में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
वर्ष के दौरान जारी इक्विटी शेयरों की संख्या	निरंक	निरंक
वर्ष के अंत तक बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
प्रति शेयर मूल आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
प्रति शेयर कम की गई आय की गणना के लिए प्रयुक्त भारित औसत शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
निवल लाभ/ (हानि) (₹ करोड़ में)	31,675.98	20,410.47
प्रति शेयर मूल आय (₹)	35.49	22.87
प्रति शेयर कम की गई आय (₹)	35.49	22.87
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	1.00	1.00

छ) लेखा मानक - 22 "आय पर कर का लेखांकन"

क. वर्तमान कर :-

बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते में ₹ 11,427.30 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 10,760.88 करोड़) वर्तमान कर के रूप में क्रेडिट किए हैं। भारत में वर्तमान कर की गणना, विदेशी अधिकार क्षेत्र में भुगतान किए गए कर के लिए उपयुक्त छूट प्राप्त कर लेने के बाद आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार की गई है।

ख. आस्थगित कर :-

बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि खाते से ₹ 318.57 करोड़ आस्थगित कर के रूप में डेबिट किए हैं। (पिछले वर्ष ₹ 3,630.23 करोड़ डेबिट किया गया)

बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए) ₹ 6,244.73 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीए ₹ 6,556.81 करोड़) रहीं, जिसमें 'अन्य देयताएं एवं प्रावधान' के अंतर्गत ₹ 2.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.46 करोड़) की डीटीएल तथा 'अन्य आस्तियाँ' के अंतर्गत ₹ 6247.29 करोड़ (पिछले वर्ष निवल डीटीए ₹ 6,559.27 करोड़) की 'आस्थगित कर आस्तियाँ' (डीटीए) शामिल है। डीटीए और डीटीएल की प्रमुख मदों का ब्योरा नीचे प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ (डीटीए)		
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	6,568.86	7,918.85
अग्रिमों के लिए प्रावधान	4,863.64	3,691.83
अन्य आस्तियों/अन्य देयताओं के लिए प्रावधान	3,650.06	3,115.57
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	982.69	759.10
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	269.66	199.52
विदेशी कार्यालयों से	409.56	275.67
योग	**16,744.47**	**15,960.54**
आस्थगित कर देयताएँ (डीटीएल)		
प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रोद्भूत किंतु देय नहीं	6,546.58	5,744.73
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii)के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	3,950.61	3,656.53
विदेशी कार्यालयों से	2.56	2.46
योग	**10,499.75**	**9,403.72**
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयताएँ)	**6,244.72**	**6,556.82**

वित्त वर्ष 2019-20 बैंक ने कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा लागू अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 15 बीएए के अंतर्गत अनुमत निचली कर दर के विकल्प को चुना है।

ज) लेखा मानक-27 "संयुक्त उद्यमों में हित की वित्तीय रिपोर्टिंग "

निवेशों में ₹ 107.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹97.66 करोड़) शामिल हैं जो संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों में बैंक के हिस्से को दर्शाता है:

क्र. सं.	कंपनी का नाम	राशि ₹ करोड़ में	देश	धारिता %
1	सी-ऐज टेक्नोलॉजीज़ लि.	4.90 (4.90)	भारत	49%
2	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि	18.57 (18.57)	भारत	45%
3	एसबीआई मैक्वैरी इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टीज़ प्रा. लि.	0.03 (0.03)	भारत	45%
4	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लि.	2.25 (2.25)	सिंगापुर	45%
5	मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.#	- (-)	बरमुडा	45%
6	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-मैनजमेंट कंपनी प्रा. लि.	2.30 (2.30)	भारत	50%
7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड-ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.	0.01 (0.01)	भारत	50%
8	जियो पेमेंट्स बैंक	79.08 (69.60)	भारत	30%
	कुल	**107.14** **(97.66)**		

मैक्वैरी एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट पीटीई लि. के माध्यम से अप्रत्यक्ष होल्डिंग के आधार पर कम्पनी ने निवेश पर 100% प्रावधान किया है।

(कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

लेखांकन मानक 27 की अपेक्षा के अनुरूप, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं व प्रतिबद्धताओं की कुल राशि निम्नानुसार दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूंजी और आरक्षितियाँ	236.69	227.35
जमा-राशियाँ	5.69	5.22
उधार-राशियाँ	7.48	2.92
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	48.20	55.51
योग	**298.06**	**291.00**
आस्तियाँ		
नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा-राशियाँ	1.82	2.15
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	143.16	132.12
निवेश	71.77	67.77
अग्रिम	-	-
अचल आस्तियाँ	14.97	18.76
अन्य आस्तियाँ	66.34	70.20
योग	**298.06**	**291.00**
पूँजी प्रतिबद्धताएँ	-	-
अन्य आकस्मिक देयताएँ	1.91	2.10
आय		
अर्जित ब्याज	7.41	7.98
अन्य आय	171.75	164.29
योग	**179.16**	**172.27**
व्यय		
व्यय किया गया ब्याज	0.11	0.04
परिचालन व्यय	148.60	153.99
प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ	12.62	13.16
योग	**161.33**	**167.19**
लाभ	**17.83**	**5.08**

झ) लेखा मानक -28 "आस्तियों की क्षति"

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की क्षति का कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की क्षति" लागू होती हो।

ट) लेखांकन मानक-29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ"

आकस्मिक देयताओं का विवरण

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है। बैंक को आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम स्वरूप बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। कुछ मामलों में कर निर्धारण अपीलें विचाराधीन हैं तथा बैंक उन विभिन्न मामलों में भी एक पक्ष है।
2	अंशतः प्रदत्त निवेशों/उद्यम निधि पर देयताएँ	यह मद, अंशतः प्रदत्त निवेशों के लिए अप्रदत्त शेष राशि की देयता को दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएँ भी शामिल हैं।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप के भाग के रूप में, भविष्य की किसी तारीख को पूर्व-निर्धारित दर पर मुद्रा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं करता है। वायदा मुद्रा विनिमय संविदाएँ, संविदागत दर पर निर्धारित तारीख को विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता होती है। कल्पित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में संतुलन साधने के लिए सामान्यतः बैंक अंतर-बैंक बाजार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसका परिणाम बड़ी संख्या में बकाया लेनदेन होता है, और इसलिए संविभाग की सकल कल्पित मूल राशि की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, जबकि निवल बाजार जोखिम बहुत कम होता है।
4	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ, स्वीकृतियाँ, परांकन तथा अन्य दायित्व	अपनी सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में बैंक, अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण तथा गारंटियाँ जारी करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण-अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यत: बैंक की ओर से अप्रतिसंहरणीय (जिसे वापस न लिया जा सके) आश्वासन होता है कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल रहता है तो बैंक उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	बैंक अपने लिए तथा ग्राहकों की ओर से अंतर-बैंक सहभागियों के साथ मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, विदेशी मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर स्वैप में शामिल होता है। मुद्रा स्वैप, पूर्व-निर्धारित दरों के आधार पर ब्याज/मूल राशि के माध्यम से एक मुद्रा से दूसरी मुद्रा में विनिमय का नकदी प्रवाहों के परिवर्तन की प्रतिबद्धता हैं। ब्याज दर स्वैप, ब्याज की स्थिर तथा अस्थिर दर नकदी प्रवाहों के विनिमय की प्रतिबद्धताएँ हैं। कल्पित राशियां, जो आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज की जाती हैं, संविदाओं के ब्याज अंश की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में प्रयोग की जाने वाली विशिष्ट राशियाँ हैं। आगे, इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया, बैंक द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि खाते के अंतर्गत बैंक की देयताएँ और अन्य विविध आकस्मिक देयताएँ भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/ न्यायालय के बाहर समझौते, अपीलों के निपटान, राशियों की मांग, संविदागत बाध्यताओं की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा माँग और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव

आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव को नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अधिशेष	3,429.98	628.62
वर्ष के दौरान जुड़ी राशि	438.42	2,981.22
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	7.40	68.45
वर्ष के दौरान उपयोग न की गई राशि की वापसी	196.82	111.41
इतिशेष	**3,664.18**	**3,429.98**

18.14 अतिरिक्त प्रकटन

क. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भुगतान

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को मूल राशि या ब्याज के विलम्बित भुगतान का कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया है।

ख. चुकौती आश्वासन पत्र

बैंक ने अपनी एक विदेशी अनुषंगी, बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया के लिए गवर्नर, बैंक ऑफ इन्डोनेशिया को चुकौती आश्वासन पत्र जारी किया है। एक विदेशी अनुषंगी, एसबीआई कनाडा बैंक के लिए वित्त मंत्री ओन्टारिओ को चुकौती आश्वासन पत्र दिया गया है। 31 मार्च 2022 के अनुसार रिपोर्ट में ₹ 1,894.81 करोड़ (25 करोड़ अमेरिकी डॉलर) (पिछले वर्ष ₹ 1827.75 करोड़) की समेकित राशि को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है।

ग. अंतर कार्यालय खाते

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और स्थानीय प्रधान कार्यालयों, कॉरपोरेट केंद्र तथा कॉरपोरेट केंद्र की संस्थापनाओं के बीच अंतर कार्यालय खातों का निरंतर आधार पर समाधान किया जा रहा है तथा चालू वर्ष के लाभ और हानि खाते की राशि पर इसका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

घ. काउंटर साइक्लिकल पूंजी बफर (सीसीपीबी)

“अस्थायी प्रावधानों काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर का उपयोग’ पर अपने परिपत्र संख्या डीबीआर. एसटीआर. आरईसी. 10/21.04.048/2021-22 दिनांक 05 मई 2021 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु 31 दिसंबर 2020 को बैंकों द्वारा रखे गए सीसीपीबी के 100% को उपयोग में लाने की अनुमति दी गई।

वर्ष के दौरान, बैंक ने एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधानों हेतु सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया।

ङ) दिवाला एवं दिवालियापन कोड (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले खातों पर प्रावधान :

दिवाला एवं दिवालियापन कोड (आईबीसी) के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले खातों पर प्रावधान के लिए आरबीआई के पत्रांक डीबीआर. सं. बीपी.15199/21.04.048/2016-17 तथा डीबीआर. सं. बीपी. 1906/21.04.048/ 2017-18 क्रमश: दिनांक 23 जून 2017 तथा 28 अगस्त 2017 के अनुसार बैंक ने 31 मार्च 2022 को कुल ₹ 4,740 करोड़ (कुल बकाया का 100%) (पिछले वर्ष ₹ 4,479 करोड़ {कुल बकाया का 100% }) का प्रावधान किया है।

च) 01 नवंबर, 2017 से प्रभावी 11वें द्वि-पक्षीय वेतन समझौते के तहत देय राशि ₹ 5,353.50 करोड़ को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने “अनुसूची 16: परिचालन व्यय” के तहत ‘कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान’ के रूप में लेखांकित किया है।

ज) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, उधारकर्ताओं पर कोविड-19 व्यवधानों के कारण वित्तीय तनाव और चुकौती दबावों को कम करने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च, 2021 के आदेश के माध्यम से निर्देश दिया कि मार्च 1, 2020 से 31 अगस्त, 2020 तक की अवधि के लिए ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज/ दंडात्मक ब्याज पर ब्याज की राशि प्रभारित नहीं की जाएगी और इस तरह के ब्याज को संबंधित उधारकर्ताओं को ऋण राशि की अगली किस्त में क्रेडिट/समायोजित करने के लिए वापस किया जाएगा। तदनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 830 करोड़ ब्याज आय वापस किया है।

झ) दुनिया भर में कोविड-19 संक्रमण फैलने के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता में वृद्धि हुई। ऐसी स्थिति में, बैंक ने चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया तथा निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन किया। बैंक की आस्तियों पर संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए अतिसक्रिय प्रावधान किए। बैंक का प्रबंधन बैंक की तरलता अथवा लाभकारिता पर किसी महत्त्वपूर्ण प्रभाव की आशंका नहीं रखता। उपर्युक्त आकलन के आधार पर, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कोविड-19 के लिए किए गए प्रावधान की विद्यमान राशि ₹ 6,183 करोड़ की राशि को पुनर्रचित आस्तियों के प्रति वृद्धिशील प्रावधान के लिए से आबंटित किया है।

ट) बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 7.10 प्रति शेयर @710% के लाभांश की घोषणा की है।

ठ) वर्तमान वर्ष वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए जहां भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुन समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है। जिन मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों/लेखा मानकों के संदर्भ में पहली बार प्रकटन किया गया है, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है ।

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष (वित्त वर्ष 21-22) ₹	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (वित्त वर्ष 20-21) ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ /(हानि)		43421,85,36	27541,11,61
समायोजन :			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		3248,58,58	3317,55,25
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/ हानि (निवल)		16,86,60	28,58,17
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ) / हानि (निवल)		263,27,88	-
अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों/ सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (लाभ)		-	(1539,73,30)
अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों/ सहयोगियों में किए गए निवेश की बिक्री पर हानि		12,92,61	-
अनर्जक आस्तियों और उचित मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान		14086,84,54	27244,35,02
मानक आस्तियों पर प्रावधान		4677,03,92	3789,78,38
अनर्जक निवेश पर प्रावधान		3440,09,87	3014,49,66
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान सहित अन्य प्रावधान		2248,14,81	9964,40,51
अनुषंगियों/ संयुक्त उद्यमों/ सहयोगियों में किए गए निवेश से आय		(718,37,49)	(642,86,22)
पूंजीगत लिखतों पर प्रदत्त ब्याज		5451,98,00	5782,51,98
		76149,24,68	**78500,21,06**
समायोजन :			
जमाराशियों में वृद्धि / (कमी)		370257,04,31	439656,34,53
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि / (कमी)		5064,98,09	92135,53,47
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में (वृद्धि) / कमी		(132646,14,69)	(305564,41,58)
अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(298555,64,72)	(151452,58,06)
अन्य देयताओं में वृद्धि / (कमी)		40375,27,17	16516,35,43
अन्य आस्तियों में (वृद्धि) / कमी		5583,06,80	(77531,38,47)
		66227,81,64	**92260,06,38**
कर वापसी / (प्रदत्त कर)		(7812,36,34)	(2394,52,46)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(क)**	**58415,45,30**	**89865,53,92**
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में निवेश की खरीद		(878,47,10)	(2234,97,50)
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में निवेश की बिक्री		★ 80,97,57	34,20,66
अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर लाभ		-	1539,73,30
अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (हानि)		★ (12,92,61)	-
अनुषंगियो / संयुक्त उद्यमों / सहयोगियों में किए गए निवेश से आय		718,37,49	642,86,23
अचल आस्तियों में (वृद्धि)		(2715,31,18)	(3440,64,73)
अचल आस्तियों में कमी		194,64,06	104,56,08
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ख)**	**(2612,71,77)**	**(3354,25,96)**

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष (वित्त वर्ष 21-22) ₹	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (वित्त वर्ष 20-21) ₹
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
पूंजीगत लिखतों का निर्गम		13974,00,00	27431,00,00
पूंजीगत लिखतों का मोचन		(10293,30,00)	(16847,83,80)
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज़		(5288,37,02)	(4950,52,99)
प्रदत्त लाभांश		(3569,84,46)	-
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त / (में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ग)**	**(5177,51,48)**	**5632,63,21**
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों का प्रभाव	**(घ)**	**888,39,12**	**(202,20,77)**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग+घ)		**51513,61,17**	**91941,70,40**
1 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य		**343038,70,94**	**251097,00,54**
31 मार्च को नकदी एवं नकदी समतुल्य		**394552,32,11**	**343038,70,94**
नोट: 'बैंक एसबीआई बोत्सवाना' का बैंकिंग लाइसेंस 30.06.2021 को सरेंडर किया गया है। अ-पंजीकरण के बाद इसका संचालन बंद कर दिया गया था और 80.98 करोड़ रुपए की पूंजी 12.93 करोड़ रुपए की हानि पर प्रत्यावर्तित की गई है।			
1. नकदी और नकदी समतुल्यों के घटकों की स्थिति:		**31.03.2022**	**31.03.2021**
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियां		257859,20,71	213201,53,63
बैंकों के पास जमाराशियां तथा मांग एवं अल्पसूचना पर प्राप्य राशि		136693,11,40	129837,17,31
		394552,32,11	**343038,70,94**
2. परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति से रिपोर्ट किया गया है।			

श्री अश्विनी कुमार तिवारी
प्रबंध निदेशक
(अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, प्रौद्योगिकी एवं अनुषंगियां)

श्री स्वामीनाथन जे.
प्रबंध निदेशक
(जोखिम, अनुपालन एवं सार्ग)

श्री अश्वनी भाटिया
प्रबंध निदेशक
(कॉरपोरेट बैंकिंग एवं ग्लोबल मार्केट्स)

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक
(रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग)

निदेशक:
श्री बी वेणुगोपाल
डॉ गणेश नटराजन
श्री मृगांक एम परांजपे
श्री केतन एस विकमसी
श्री संजीव माहेश्वरी
श्री प्रफुल्ल पी छाजेड़

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2022

इस दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

शैलेश शाह
भागीदार स.क्र. 033632
फर्म पं. क्र. 105049W

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हेनील के पटेल
भागीदार स.क्र. 114103
फर्म पं. क्र. 109574W

कृते उमामहेश्वर राव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एल श्यामा प्रसाद
भागीदार स.क्र. 028224
फर्म पं. क्र. 004453S

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

अनुज ढींगरा
भागीदार स.क्र. 512535
फर्म पं. क्र. 000235N/N500089

कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार

प्रवीण कुमार
भागीदार स.क्र. 088810
फर्म पं. क्र. 009571N/N500006

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

प्रेम बिहारी गुप्ता
भागीदार स.क्र. 080245
फर्म पं. क्र. 000425N

कृते गुहा नंदी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

डॉ बी एस कुंडु
भागीदार स.क्र. 051221
फर्म पं. क्र. 302039E

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एम आर जैन
भागीदार स.क्र. 050919
फर्म पं. क्र. 303002E

कृते के सी मेहता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

चिराग बक्शी
भागीदार स.क्र. 047164
फर्म पं. क्र. 106237W

कृते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

अनिरुद्ध सेनगुप्ता
भागीदार स.क्र. 051371
फर्म पं. क्र. 311017E

कृते सूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी नटराजन
भागीदार स.क्र. 223118
फर्म पं. क्र. 004283S

कृते तलाती एंड तलाती एलएलपी
सनदी लेखाकार

आनंद शर्मा
भागीदार स. क्र. 129033
फर्म पं. क्र. 110758W/W100377

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
भारत के राष्ट्रपति,

बैंक के एकल वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक ("बैंक") के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2022 के तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण एवं महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश तथा इसी तारीख को समाप्त वर्ष की निम्नलिखित की विवरणियों के साथ-साथ अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल है:

   i) केन्द्रीय कार्यालय, 17 स्थानीय प्रधान कार्यालय, विश्व बाजार इकाई, अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय समूह, कॉरपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), वाणिज्यिक ग्राहक समूह (केन्द्रीय), तनावग्रस्त आस्ति समाधान समूह (केन्द्रीय), केन्द्रीय लेखा कार्यालय और 20 शाखाओं की, जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;

   ii) 8,557 भारतीय शाखाएं, जिनकी लेखापरीक्षा संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षकों ने की है;

   iii) विदेश स्थित 34 शाखाएं जिनकी लेखा-परीक्षा संबंधित स्थानीय लेखा-परीक्षकों ने की।

   हमारे एवं अन्य लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षित शाखाओं का चयन बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है। तुलनपत्र, लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण में उन 15,977 भारतीय शाखाओं (अन्य लेखा इकाईयों सहित) की विवरणियां तथा वे जो लेखापरीक्षा के विषय नहीं थे, भी शामिल हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 17.62 प्रतिशत, जमाराशियों में 33.76 प्रतिशत, ब्याज आय में 28.94 प्रतिशत तथा ब्याज व्यय में 40.21 प्रतिशत है।

   हमारे अभिमत में तथा जहाँ तक हमें जानकारी है व हमें दी गई विवरणात्मक जानकारी के अनुसार, उपर्युक्त केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपेक्षित जानकारी बैंक द्वारा उसी ढंग से दी गई हैं जैसी उससे अपेक्षित है और यह भारत में सामान्यतया मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है और:

   क) तुलन पत्र, संबंधित नोटों के साथ पठित एक पूर्ण और निष्पक्ष तुलन पत्र है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं। इसे उचित रूप से तैयार गया है ताकि 31 मार्च, 2022 तक बैंक की स्थिति के बारे में एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदर्शित किया जा सके।

   ख) लाभ एवं हानि खाता, संबधित टिप्पणियों के साथ पठित, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ का सम्यक संतुलन दिखाता है; और

   ग) नकदी प्रवाह विवरण उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए एक सही और उचित विवरण प्रस्तुत करता है।

अभिमत का आधार

2. हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार पूरी की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों की और अधिक जानकारी हमारी रिपोर्ट के बैंक के एकल वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां भाग में दी गई है। हम आईसीएआई द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो समेकित वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और नैतिकता के कोड के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले

3. महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन मामलों का बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के परिप्रेक्ष्य में समग्र रूप से समाधान कर लिया गया है और इससे संबंधित जानकारी हमने अपने अभिमत में शामिल कर ली है और हमने इन मामलों पर कोई अलग अभिमत नहीं दिया है। हमने निम्नलिखित मामलों का निर्धारण अत्यंत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया है:

क्र. सं	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया
i.	अग्रिमों का वर्गीकरण, आय निर्धारण और अनर्जक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (संदर्भ: वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18 की टिप्पणी 18.4 के साथ पठित अनुसूची 9) अग्रिम में भुनाए व खरीदें गए बिल, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, मांग पर प्रस्तुत तथा मियादी ऋण। इन्हें आगे बैंक/ सरकारी गारंटी एवं प्रतिभूति रहित (बही ऋण के विरुद्ध ऋण सहित) प्रतिभूति और आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अग्रिमों में बैंक की कुल आस्तियों का हिस्सा 54.82% है। इन पर अन्य बातों के साथ साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी आय निर्धारण, आस्तियों वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड (आईआरएसी) तथा अन्य परिपत्र और निदेश लागू होते हैं विदेशी कार्यालयों के मामले को छोड़कर जहाँ अग्रिमों का वर्गीकरण और उनका प्रावधान स्थानीय विनियमों या आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, जो भी अधिक कठोर हो किया जाता है। इनमें अग्रिम वर्गीकरण, अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के संबंध में दिशानिर्देश दिए गए हैं। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखा नीति सं. 3 के अनुसार इन मानदंडों के आधार पर करता है। अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान में उचित तंत्र स्थापना भी शामिल है। बैंक अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों के खाते बैंक की अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) यानी कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में होनी चाहिए जिनसे अर्जक या अनर्जक अग्रिमों की पहचान होती हो। इसके अतिरिक्त, एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान राशि की गणना अन्य आईटी सिस्टम यानी सेन्ट्रलाइज़्ड क्रेडिट डेटा प्रोसेसिंग (सीसीडीपी) ऐप्लीकेशन के माध्यम से की जानी चाहिए। इन अग्रिमों का रखाव मूल्य (प्रावधान घटाकर) अलग-अलग या इकट्ठा देने में आईआरएसी मानदंडों का उचित रूप से पालन न होने पर कोई महत्वपूर्ण त्रुटि हो सकती है। लेनदेन की प्रकृति, नियामक अपेक्षाओं, वर्तमान व्यवसाय परिवेश, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में प्राक्कलन/विवेक प्रयोग और महत्ता को देखते हुए अग्रिमों और प्रावधानीकरण की लेखपरीक्षा काफी श्रमसाध्य कार्य है। इसके साथ साथ, केवल बैंक के वित्तीय विवरण इसके प्रयोक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इन पहलुओं को देखते हुए, हमने इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना है। साथ ही, हमारी लेखा परीक्षा आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और ऋण के प्रावधानों के संतुलन पर केंद्रित है।	हमारी कार्यविधि अग्रिमों का सत्यापन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी आईआरएसी मानदंडों और संबंधित परिपत्रों एवं निदेशों तथा बैंक की आंतरिक नीतियों एवं कार्यविधियों के संदर्भ में किया है जिसमें निम्नलिखित का भी सत्पापन किया गया: क. हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं के संबंध में आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, अर्जक और अनर्जक अग्रिम वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के लिए सिस्टम में दिए गए डेटा की यथार्थता; ख. बैंक की नीतियों और कार्यविधियों के अनुसार मॉनीटरिंग व्यवस्था की उपलब्धता और प्रभावकारिता जैसे आंतरिक लेखापरीक्षा, सिस्टम ऑडिट, क्रेडिट ऑडिट और दैनिक संगामी लेखापरीक्षा; ग. भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों/दिशानिर्देशों/न्यायिक घोषणाओं के अनुपालन के संबंध में नमूना आधार पर तनावग्रस्त अग्रिमों सहित अग्रिमों की जांच; घ. हमने एनपीए की ट्रैकिंग, पहचान और मुद्रांकन और उसके संबंध में प्रावधान करने के लिए सीबीएस में इनबिल्ट किए गए व्यावसायिक तर्कों/मापदंडों के संबंध में बाहरी आईटी प्रणाली लेखा परीक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्टों पर भी भरोसा किया है। ङ. हमने उपरोक्त आरबीआई परिपत्र/निर्देशों के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीसीडीपी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयारी सॉफ्टवेयर में प्रगति की मैपिंग का परीक्षण किया । च. हमने बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के निगरानी तंत्र के अनुसार आयोजित विभिन्न लेखा परीक्षाओं की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करने और विभिन्न लेखा परीक्षाओं के अनुपालन के लिए अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता की जांच की है। छ. हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं की सारभूत कार्यविधियों के पालन में हमने बड़े अग्रिमों/दबाव वाले अग्रिमों की जांच की है जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है। हमने बैंक प्रबंध मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा के आधार पर भी जांच की है। ज. हमने एनपीए की पहचान और आय के प्रतिवर्तन और प्रावधान के निर्माण की प्रक्रिया का मूल्यांकन और आकलन किया; झ. हमने इसमें अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की भी सहायता ली है जिनके साथ हमने इस विषय में विशेष रूप से पत्राचार/ संवाद भी किया।

क्र. सं	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया
ii.	निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान (अनुसूची 8 अनुसूची 18 के नोट 18.3 के वित्तीय विवरण के साथ पढ़ा जाए।) निवेश में बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति प्राप्ति और अन्य अनुमोदित प्रतिभूति में किया गया निवेश शामिल है। निवेशों का बैंक की कुल आस्तियों में 29.70% हिस्सा है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा निर्देशित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के इन निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, तदनुरूपी आय की मान्यता न दिए जाने और इसके विरुद्ध प्रावधान शामिल हैं। उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्त्रोतों जैसे कि एफआईएमएमडीए दरों, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों आदि से आंकड़ों/सूचनाओं का संग्रह शामिल है। मूल्यांकन, लेन-देन की मात्रा, हस्तगत निवेशों की मात्रा और विनियामक फोकस की डिग्री में शामिल निर्णय की जटिलताओं और सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित है।	भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और वास्तविक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल थी। विशेष रूप से: क. हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के बारे में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और इसे समझ लिया। ख. इन निवेशों का उचित मूल्य जानने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया गया; ग. हस्तगत निवेशों के चुनिंदा नमूने के लिए इनके ठीक होने और भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों का अनुपालन किए जाने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र में प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूति का मूल्यांकन फिर से करने संबंधी निदेशों के पालन की स्थिति की भी जांच की गई। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद ही किया गया है कि सभी श्रेणियों के निवेशों का (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में समावेश हो जाए; घ. एनपीआई और आय के तदनुरूपी रिवर्सल एवं प्रावधान राशि की गणना की प्रक्रिया की जांच और मूल्यांकन किया; ङ. सारभूत लेखापरीक्षा कार्यविधियों का पालन किया गया है जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार प्रावधान राशि और मूल्यह्रास के लिए भी प्रावधान राशि की अलग से फिर से गणना की जा सके। तदनुसार हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों के चुनिंदा नमूने एकत्रित किए और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार एनपीआई की गणना की जांच की तथा उन चुनिंदा नमूना एनपीआई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों के अनुसार किए गए प्रावधान की राशि की भी फिर से गणना की; च. निवेश ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के बीच निवेशों की मैपिंग की जांच की जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का कैसे अनुपालन किया गया है।

क्र. सं.	महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले	हमारी लेखापरीक्षा में मामले को कैसे संबोधित किया गया
iii.	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कतिपय मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है (अनुसूची 12 वित्तीय विवरणों के लिए अनुसूची 18 के नोट 18.12 (ई) के साथ पठित) प्रावधान के स्तर का आकलन करने के लिए उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने फैसले, पिछले अनुभव, और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों से सलाह द्वारा समर्थित है, जहां भी आवश्यक माना जाता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को काफी प्रभावित कर सकते हैं। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों और इसमें शामिल कानून के निर्णयों / व्याख्या के विश्लेषण पर केंद्रित थी।	हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि में शामिल हैः क. लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना ताकि हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं ख. मुकदमों/कर आकलनों की वर्तमान स्थिति को समझना ग. विभिन्न कर प्राधिकरणों/ न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेशों और / या संचार की जांच करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना; घ. इसमें प्रस्तुत आधारों के संदर्भ में विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन करना और हमारे आंतरिक कर विशेषज्ञों की राय सहित उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी / कर सलाह ङ. चर्चाओं के माध्यम से बैंक के विवादों के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय वस्तु के ब्यौरे का संग्रह, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित बहिर्वाह; और च. महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटीकरण का सत्यापन।

एकल वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य सूचना

4. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट शामिल है जिसे हमने इस रिपोर्ट के जारी करते समय प्राप्त किया था। अन्य सूचना में वार्षिक प्रतिवेदन में अनुलग्नकों सहित निदेशकों का प्रतिवेदन भी शामिल है, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन शामिल नहीं है, जिसे इस लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की आशा है।

   एकल वित्तीय विवरणों पर हमारी राय बेसल III प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी और स्तंभ 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है और हम उस पर आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं और व्यक्त नहीं करेंगे।

   केवल बैंक के वित्तीय विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर चिह्नित अन्य सूचना को पढ़ें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य सूचना केवल बैंक के वित्तीय विवरणों से वस्तुपरक रूप से असंगत है अथवा लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा प्राप्त की गई हमारी जानकारी वस्तुपरक रूप से त्रुटिपूर्ण प्रतीत होती है।

   यदि हमें इस लेखापरीक्षा की तिथि से पहले प्राप्त अन्य सूचना पर किए गए हमारे कार्य के आधार पर निष्कर्ष देना हो तो इस अन्य सूचना को वस्तुगत दृष्टि से त्रुटिपूर्ण कहा जा सकता है। हमसे अपेक्षित है कि हम इस तथ्य की सूचना दें। हमें इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं देनी है।

   यदि हम निदेशक रिपोर्ट पढ़ते हैं और यह निष्कर्ष देते हैं कि यह वस्तुगत रूप से त्रुटिपूर्ण है, तो हमसे अपेक्षा की जाती है कि इसकी सूचना अभिशासन को दें और प्रयोज्य कानूनों व विनियमों के अनुसार लागू कार्रवाई बताएं।

बैंक के एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और अभिशासन से जुड़ें सदस्यों के दायित्व

5. बैंक का निदेशक मंडल इन एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में जिम्मेदार है जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखांकन मानक, लागू सीमा तक, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र और दिशानिर्देश के उपबंध भी शामिल हैं। इस उत्तरदायित्व में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए उपर्युक्त अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार तथा धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव भी शामिल है; चयन और उपयुक्त लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग; निर्णय और अनुमान आकलन जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और त्रुटियों से मुक्त होते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी से हो या त्रुटियों के कारण।

   बैंक के एकल वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन का दायित्व है कि वह बैंक को एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का मूल्यांकन करे और जहाँ लागू हो, कार्यशील संस्था से संबंधित विषय प्रकट करते हुए, कार्यशील संस्था के स्वरूप के आधार पर लेखा तैयार करे, जब तक बैंक का परिसमापन या परिचालन समाप्त करने की मंडल प्रबंधन की मंशा नहीं हो, या ऐसा करने के सिवाय दूसरा कोई विकल्प उसके पास न हो।

   बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली पर नजर रखना निदेशक बोर्ड की

जिम्मेदारी भी है।

केवल बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा करने वाले लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

6. हमारा उद्देश्य इसका उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि बैंक के एकल वित्तीय विवरण, संपूर्ण रूप से, धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हों, और अपने अभिमत के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार आयोजित एक लेखापरीक्षा हमेशा एक भौतिक गलत बयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न होती है और उन्हें ठोस माना जाएगा यदि अलग या समग्र रूप से बैंक के एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके उपयोगकर्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव डालती है।

एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा के अनुसार हम लेखापरीक्षा के सभी स्तरों पर व्यावसायिक विवेक और व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। निम्नलिखित भी इसके दायरे में है:

- बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में निहित गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और समीक्षा करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा कार्यविधि डिजाइन करना और उसपर कार्रवाई करना और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो कि हमारे अभिमत का पर्याप्त तथा संगत आधार बने। धोखाधड़ी के कारण की गई गलत बयानी के पहचान न करने का जोखिम, त्रुटिवश की गई गलत बयानी से भारी हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की अधिकता भी हो सकती है।
- परिस्थितियों के अनुरूप लेखा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना।
- उपयोग में लाई गई लेखा नीतियों की युक्तिसंगतता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों और संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा कार्यशील बैंक आधार पर लेखा रखने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष के रूप में तथा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर, कि क्या ऐसी घटना या परिस्थिति के आधार पर कोई तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, जिससे कार्यशील बैंक के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर संशय होता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्विक अनिश्चितता पाई गई है तो हमें केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान देना अपेक्षित होगा या प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं हैं तो हमारे अभिमत को संशोधित करना अपेक्षित होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक के लेखापरीक्षा प्रमाण पर निर्भर हैं। हालांकि भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्था के रूप में नहीं भी बना रह सकता है।
- प्रकटीकरण सहित, बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति तथा विषयवस्तु एवं बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसका मूल्यांकन करना।

बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानी की मात्रा, अलग-अलग रूप से या समग्र रूप से जिससे कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णय लेने वाले जानकार उपयोगकर्ता संभवतः प्रभावित हो सकते हैं। (1) हमारी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाते समय और हमारे कार्य के परिणाम का मूल्यांकन करते समय तथा (2) वित्तीय विवरणों में पाई गई गलत बयानी का मूल्यांकन करते समय हम मात्रात्मक विषयवस्तु और गुणात्मक घटकों पर विचार करते हैं।

हम, अभिशासन से जुड़े सदस्यों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध क्षेत्र और उसकी अवधि, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते हैं।

हम, अभिशासन से जुड़े सदस्यों को एक विवरणी भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने अपनी स्वतंत्रता के बारे में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और उन्हें अपने संबंधों तथा अन्य मामलों की जानकारी दी गई है जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, वहां उससे संबंधित सावधानियों की भी जानकारी दी गई है।

अभिशासन के साथ जुड़े सदस्यों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों के लखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण मामलों का वर्णन करते है बशर्ते कि लागू कानून या विनियमों में इनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक नहीं लगाई गई हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले की सूचना न दी जाए क्योंकि उसके विपरीत नतीजे जनहित के लिए घातक साबित हो सकते है।

अन्य मामले

7. हमने एकल वित्तीय विवरण में शामिल 8,591 शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की है जिसमें 31 मार्च 2022 को समाप्त बैंक के कुल आस्तियों का 21,18,949 करोड़ और कुल राजस्व का 1,17,395 करोड़ रुपए शामिल है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा, शाखा के लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिसे हमें उपलब्ध कराया गया है और हमारे अभिमत में इन शाखाओं के संबंध में दी गई जानकारियां एवं प्रकटीकरण पूर्णतः उन शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

8. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पैरा 6 से 8 में दर्शाई गई लेखा परीक्षा की सीमाओं के अध्यधीन और जैसा कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 द्वारा अपेक्षित है, और इसमें अपेक्षित प्रकटीकरण की सीमाओं के अध्यधीन और जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि

क) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है;

ख) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं;

ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

घ) लाभ और हानि खाता 31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ की वास्तविक शेष राशि को दर्शाता है

9. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमारे अभिमत में, विधि द्वारा अपेक्षित खाते बैंक द्वारा रखी गई हैं, क्योंकि ऐसा उन खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और जिन शाखाओं में हम नहीं जा सके उन शाखाओं की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त विवरणियां हमें प्राप्त हुई हैं।

ख. तुलन-पत्र लाभ और हानि खाते और इस रिपोर्ट में सम्मिलित नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के अनुरूप हैं।

ग. हमारे अभिमत में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 29 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित कार्यालयों के खातों की रिपोर्टें हमें भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा ठीक से शामिल किया गया है; तथा

घ. हमारे अभिमत के अनुसार, तुलनपत्र, लाभ और हानि खाता तथा नकदी प्रवाह विवरण लागू लेखा मानकों के अनुरूप हैं कि ये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं।

10. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको में सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों एससीए की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए रिपोर्टिंग दायित्वों पर पत्र संख्या डीओएस. सं.6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च 2020 की आवश्यकता के अनुसार, इसे आरबीआई द्वारा 19 मई 2020 करे जारी संचार के साथ पढ़ें, हम उपरोक्त पत्र के पैरा 2 में निर्दिरूट मामलों पर निम्नानुसार रिपोर्ट करते है-

क. हमारी राय में, उपरोक्त भारतीय स्टेट बैंक के एकल वित्तीय विवरण आईसीएआई द्वारा जारी लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस हद तक कि वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं।

ख. वित्तीय लेन-देन या ऐसे मामलों पर कोई टिप्पणी या टिप्पणियां नहीं हैं जिनका बैंक के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ग. 31 मार्च, 2022 को निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर और निदेशक मंडल द्वारा अभिलिखित रूप में किसी भी निदेशक को 31 मार्च, 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 की उप-धारा (2) के संदर्भ में निदेशक नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

घ. खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी रिपोर्ट अनुबंध-क में दी गई है, इस रिपोर्ट में 31 मार्च, 2022 के रूप में एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक असंशोधित राय व्यक्त की गई है।

इस दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

शैलेश शाह
भागीदार स.क्र. 033632
फर्म पं. क्र. 105049W
UDIN:22033632AIXHQQ3021

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हेनील के पटेल
भागीदार स.क्र. 114103
फर्म पं. क्र. 109574W
UDIN:22114103AIXKLG7230

कृते उमामहेश्वर राव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एल श्यामा प्रसाद
भागीदार स.क्र. 028224
फर्म पं. क्र. 004453S
UDIN:22028224AIXHMB9621

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

अनुज ढींगरा
भागीदार स.क्र. 512535
फर्म पं. क्र. 000235N/N500089
UDIN:22512535AIXKXX2970

कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार

प्रवीण कुमार
भागीदार स.क्र. 088810
फर्म पं. क्र. 009571N/N500006
UDIN:22088810AIXJER5275

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

प्रेम बिहारी गुप्ता
भागीदार स.क्र. 080245
फर्म पं. क्र. 000425N
UDIN:22080245AIXKLC5297

कृते गुहा नंदी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

डॉ बी एस कुंडु
भागीदार स.क्र. 051221
फर्म पं. क्र. 302039E
UDIN:22051221AIXPYM6914

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एम आर जैन
भागीदार स.क्र. 050919
फर्म पं. क्र. 303002E
UDIN:22050919AIXHIH2828

कृते के सी मेहता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

चिराग बक्शी
भागीदार स.क्र. 047164
फर्म पं. क्र. 106237W
UDIN:22047164AIXKOQ4739

कृते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

अनिरुद्ध सेनगुप्ता
भागीदार स.क्र. 051371
फर्म पं. क्र. 311017E
UDIN:22051371AIXHWT8422

कृते सूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी नटराजन
भागीदार स.क्र. 223118
फर्म पं. क्र. 004283S
UDIN:22223118AIXKPX8986

कृते तलाती एंड तलाती एलएलपी
सनदी लेखाकार

आनंद शर्मा
भागीदार स. क्र. 129033
फर्म पं. क्र. 110758W/W100377
UDIN:22129033AIXMPT2135

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुबंध "ए"

(इस तिथि को हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 11(ई) में संदर्भित)

भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") पत्र डीओएस. एआरजी. संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 (यथा संशोधित) ("आरबीआई पत्राचार") द्वारा आवश्यक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट।

हमने 31 मार्च, 2022 तक भारतीय स्टेट बैंक ("बैंक") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षा किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के साथ संयोजन के रूप में है जिसमें बैंक की शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शामिल हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करता है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें बैंक की नीतियों का पालन, इसकी आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है, जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के तहत अपेक्षित है।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा पर मानक (एसए) के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होती है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और योजना का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हैं और बनाए रखे गए थे और क्या इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी परिचालन प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षा के फैसले पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों की सामग्री गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में उल्लिखित अपनी रिपोर्टों के संदर्भ में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखा परीक्षा अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है ।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विस्तार से, बैंक की आस्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सही और पर्याप्त प्रतिबिंबित करती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेन-देन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया जाता है, और यह कि बैंक की प्राप्तियां और व्यय केवल बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं। और (3) बैंक की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना जो वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें नियंत्रणों की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल है। त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण गलत बयानी हो सकती है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, शर्तों में परिवर्तन या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के अंश के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं।

अभिमत

हमारी राय में तथा हमारी जानकारी व हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार और नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, बैंक ने सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक और वित्तीय

नियंत्रण 31 मार्च 2022 तक तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे जो “आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए बैंक द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण पर आंतरिक नियंत्रण के लिए आंतरिक नियंत्रण के लिए मानदंड” पर आधारित हैं।

अन्य मामले

हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट जहां तक यह 730 शाखाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभावशीलता से संबंधित है, उन शाखाओं के संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों पर आधारित है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में संशोधन नहीं किया गया है ।

इस दिनांक को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

शैलेश शाह
भागीदार स.क्र. 033632
फर्म पं. क्र. 105049W
UDIN:22033632AIXHQQ3021

कृते शाह गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हेनील के पटेल
भागीदार स.क्र. 114103
फर्म पं. क्र. 109574W
UDIN:22114103AIXKLG7230

कृते उमामहेश्वर राव एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एल श्यामा प्रसाद
भागीदार स.क्र. 028224
फर्म पं. क्र. 004453S
UDIN:22028224AIXHMB9621

कृते एससीवी एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार

अनुज ढींगरा
भागीदार स.क्र. 512535
फर्म पं. क्र. 000235N/N500089
UDIN:22512535AIXKXX2970

कृते एएसए एंड एसोसिएट्स एलएलपी
सनदी लेखाकार

प्रवीण कुमार
भागीदार स.क्र. 088810
फर्म पं. क्र. 009571N/N500006
UDIN:22088810AIXJER5275

कृते प्रेम गुप्ता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

प्रेम बिहारी गुप्ता
भागीदार स.क्र. 080245
फर्म पं. क्र. 000425N
UDIN:22080245AIXKLC5297

कृते गुहा नंदी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

डॉ बी एस कुंडु
भागीदार स.क्र. 051221
फर्म पं. क्र. 302039E
UDIN:22051221AIXPYM6914

कृते एम सी भंडारी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

एम आर जैन
भागीदार स.क्र. 050919
फर्म पं. क्र. 303002E
UDIN:22050919AIXHIH2828

कृते के सी मेहता एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

चिराग बक्शी
भागीदार स.क्र. 047164
फर्म पं. क्र. 106237W
UDIN:22047164AIXKOQ4739

कृते वी सिंघी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार

अनिरुद्ध सेनगुप्ता
भागीदार स.क्र. 051371
फर्म पं. क्र. 311017E
UDIN:22051371AIXHWT8422

कृते सूरी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

वी नटराजन
भागीदार स.क्र. 223118
फर्म पं. क्र. 004283S
UDIN:22223118AIXKPX8986

कृते तलाती एंड तलाती एलएलपी
सनदी लेखाकार

आनंद शर्मा
भागीदार स. क्र. 129033
फर्म पं. क्र. 110758W/W100377
UDIN:22129033AIXMPT2135

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2022

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2022 को समेकित तुलन पत्र

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
पूंजी एवं देयताएँ			
पूंजी	1	892,46,12	892,46,12
आरक्षित निधियाँ व अधिशेष	2	304695,58,39	274669,09,88
अल्प मदों पर ब्याज	2ए	11207,42,28	9625,91,66
जमा राशियाँ	3	4087410,60,06	3715331,24,17
उधार राशियाँ	4	449159,78,36	433796,20,81
अन्य देयताएँ व प्रावधान	5	507517,67,73	411303,62,01
योग		**5360883,52,94**	**4845618,54,65**
आस्तियां			
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकद और जमाराशियाँ	6	258086,43,01	213498,61,59
बैंकों में जमा-राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	7	140818,69,16	134208,41,98
निवेश	8	1776489,89,88	1595100,26,64
अग्रिम	9	2794076,00,18	2500598,98,67
अचल आस्तियाँ	10	39510,03,05	40166,78,82
अन्य आस्तियाँ	11	351902,47,66	362045,46,95
योग		**5360883,52,94**	**4845618,54,65**
आकस्मिक देयताएँ	12	2007232,49,00	1714239,51,59
वसूली के लिए बिल		77783,05,62	56557,64,31
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं

श्री अश्विनी कुमार तिवारी
प्रबंध निदेशक
(आईबी, टी एवं एस)

श्री स्वामीनाथन जे.
प्रबंध निदेशक
(आर, सी एवं एसएआरजी)

श्री अश्वनी भाटिया
प्रबंध निदेशक
(सीबी एवं जीएम)

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक
(आर एवं डीबी)

इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पं.सं. 105049W

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

श्री शैलेश शाह
भागीदार
सदस्य संख्या 033632

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2022

अनुसूची

अनुसूची 1 - पूंजी

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
प्राधिकृत पूंजी :		
5000,00,00,000 शेयर ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 5000,00,00,000 शेयर ₹1 प्रति शेयर)	5000,00,00	5000,00,00
निर्गमित पूंजी :		
892,54,05,164 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,54,05,164 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर)	892,54,05	892,54,05
अभिदत्त तथा संदत्त पूंजी :		
892,46,11,534 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर (पिछला वर्ष 892,46,11,534 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर)	892,46,12	892,46,12
[उपर्युक्त में 10,36,05,740 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर शामिल है (पिछले वर्ष 10,97,28,170 इक्विटी शेयर ₹1 प्रति शेयर) इन्हें 10,36,05,74 (पिछला वर्ष 10,97,28,17) वैश्विक रसीद के रूप में व्यक्त किया गया है]		
योग	**892,46,12**	**892,46,12**

अनुसूची 2 - आरक्षित निधियाँ व अधिशेष

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I.	**सांविधिक आरक्षित निधियाँ**				
	अथ शेष	77170,11,43		70882,27,64	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	9769,02,69		6287,83,79	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	**86939,14,12**	-	**77170,11,43**
II.	**पूंजी आरक्षित निधियाँ**				
	अथ शेष	15231,66,59		13766,54,18	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	538,15,24		1465,12,41	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	**15769,81,83**	-	**15231,66,59**
III.	**शेयर प्रीमियम**				
	अथ शेष	79115,47,05		79115,47,05	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	**79115,47,05**	-	**79115,47,05**

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
IV. निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधियाँ				
अथ शेष	3048,07,72		1119,88,09	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4647,87,02		1928,19,63	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	**7695,94,74**	-	**3048,07,72**
V. विदेशी मुद्रा रूपांतर आरक्षित				
अथ शेष	10290,42,37		10224,02,47	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	966,26,66		268,60,67	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	**11256,69,03**	202,20,77	**10290,42,37**
VI. राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियाँ				
अथ शेष	57936,43,59		52481,96,28	
वर्ष के दौरान परिवर्धन #	2072,94,73		5499,71,21	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	136,12,42	**59873,25,90**	45,23,90	**57936,43,59**
VII. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियाँ				
अथ शेष	23577,34,78		23762,66,57	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-		-	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	199,48,07	**23377,86,71**	185,31,79	**23577,34,78**
VIII. समेकन पर पूंजी आरक्षित				
अथ शेष	203,02,24		176,58,27	
वर्ष के दौरान परिवर्धन	70,01,72		26,43,97	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	**273,03,96**	-	**203,02,24**
IX. लाभ-हानि खाते का अधिशेष		**20394,35,05**		**8096,54,11**
योग		**304695,58,39**		**274669,09,88**

शुद्ध समेकन समायोजन

अनुसूची 2ए- अल्प मदों पर ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
वर्ष के प्रारंभ में अल्प मदों पर ब्याज	9625,91,66	7943,82,20
बाद में वर्ष के दौरान वृद्धि/कमी	1581,50,62	1682,09,46
तुलन पत्र की तिथि पर अल्प मदों पर ब्याज	**11207,42,28**	**9625,91,66**

अनुसूची 3 - जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क.	**I.**	**मांग जमाराशियाँ**		
		(i) बैंकों से	6328,02,10	5469,19,61
		(ii) अन्य से	273403,37,96	283808,86,05
	II.	**बचत बैंक जमाराशियाँ**	1539980,57,43	1397501,44,70
	III.	**सावधि जमाराशियाँ**		
		(i) बैंकों से	8971,36,01	5492,77,67
		(ii) अन्य से	2258727,26,56	2023058,96,14
योग			**4087410,60,06**	**3715331,24,17**
ख.	**(i)**	**भारत में शाखाओं की जमाराशियाँ**	3917357,59,34	3567926,84,86
	(ii)	भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियाँ	170053,00,72	147404,39,31
योग			**4087410,60,06**	**3715331,24,17**

अनुसूची 4 - उधार राशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

			31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I.	**भारत में उधार-राशियाँ**					
	(i)	भारतीय रिज़र्व बैंक		24956,00,00		24956,00,00
	(ii)	अन्य बैंक		12601,43,98		10678,34,70
	(iii)	अन्य संस्थाएं एवं अभिकरण		152877,62,75		159271,91,86
	(iv)	पूंजी लिखत:				
		अ. नवोन्मेषी सतत ऋण लिखतें (आईपीडीआई)	36709,70,00		29835,70,00	
		ब. गौण ऋण	36529,90,00	73239,60,00	37629,90,00	67465,60,00
योग				**263674,66,73**		**262371,86,56**
II.	**भारत के बाहर उधार-राशियाँ**					
	(i)	भारत के बाहर उधार-राशियाँ तथा पुनर्वित		185320,49,83		169041,42,45
	(ii)	पूंजीगत लिखतें:				
		अ. नवोन्मेषी सतत ऋण लिखतें (आईपीडीआई)	-		2193,30,00	
		ब. गौण ऋण	164,61,80	164,61,80	189,61,80	2382,91,80
योग				**185485,11,63**		**171424,34,25**
कुल योग				**449159,78,36**		**433796,20,81**
उपर्युक्त I व II में प्रतिभूत उधार-राशियाँ सम्मिलित हैं।				188360,08,98		190279,61,10

अनुसूची 5 - अन्य देयताएँ व प्रावधान

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. संदेय बिल	33485,82,47	17728,51,70
II. अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	37,86,55	49,69,05
III. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	2344,61,99	1,23,54
IV. उपचित ब्याज	17990,61,59	15309,15,71
V. आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	5,68,86	3,70,81
VI. बीमा व्यवसाय में पॉलिसीधारकों से संबंधित देयतांए	264548,27,48	219027,87,65
VII. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	20592,09,08	16005,37,56
VIII. अन्य (प्रावधानों सहित)*	168512,69,71	143178,05,99
योग	**507517,67,73**	**411303,62,01**

अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी व जमाराशियाँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट तथा स्वर्ण सहित)	21967,22,06	23691,32,43
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ		
(i) चालू खाते में	236119,20,95	189807,29,16
(ii) अन्य खातों में	-	-
योग	**258086,43,01**	**213498,61,59**

अनुसूची 7 - बैंकों में जमाराशियाँ व मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में		
(i) बैंकों में जमाराशियाँ		
(क) चालू खातों में	1064,57,10	1067,90,06
(ख) अन्य जमा खातों में	3727,11,66	3160,05,92
(ii) मांग तथा अल्पकालीन सूचना पर प्राप्य राशि		
(क) बैंकों में	60938,22,08	47369,93,31
(ख) अन्य संस्थानों में	-	-
योग	**65729,90,84**	**51597,89,29**
II. भारत के बाहर		
(i) चालू खातों में	62547,03,12	64287,31,27
(ii) अन्य जमा खातों में	3579,70,45	8587,68,13
(iii) मांग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	8962,04,75	9735,53,29
योग	**75088,78,32**	**82610,52,69**
कुल योग (I एवं II)	**140818,69,16**	**134208,41,98**

अनुसूची 8 - निवेश

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. भारत में निवेश :		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	1261071,12,87	1139960,41,91
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	35365,93,17	27743,27,21
(iii) शेयर	90652,83,35	68972,62,29
(iv) डिबेंचर व बॉन्ड	269609,83,27	253967,00,87
(v) सहयोगी एवं अनुषंगियां # $	14603,34,61	13209,01,04
(vi) अन्य (म्यूचुअल फंड की यूनिट, इत्यादि)	47875,58,26	40219,16,31
योग	**1719178,65,53**	**1544071,49,63**
II. भारत के बाहर निवेश :		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं)	24165,67,65	21697,01,67
(ii) सहयोगी #	158,80,87	145,62,73
(iii) अन्य निवेश (शेयर, डिबेंचर इत्यादि)	32986,75,83	29186,12,61
योग	**57311,24,35**	**51028,77,01**
कुल योग (I एवं II)	**1776489,89,88**	**1595100,26,64**
III. भारत में निवेश :		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	1731051,89,01	1554398,52,92
(ii) घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	11873,23,48	10327,03,29
निवल निवेश (उपर्युक्त I के अनुसार)	**1719178,65,53**	**1544071,49,63**
IV. भारत के बाहर निवेश :		
(i) निवेशों का सकल मूल्य	57458,70,66	51070,30,95
(ii) घटाएं: कुल प्रावधान/मूल्यह्रास	147,46,31	41,53,94
निवल निवेश (उपर्युक्त II के अनुसार)	**57311,24,35**	**51028,77,01**
कुल योग (III एवं IV)	**1776489,89,88**	**1595100,26,64**
# सहयोगियों में निवेश (भारत में और भारत के बाहर)		
सहयोगियों में इक्विटी निवेश	10215,12,19	9669,58,12
जोड़ें : सहयोगियों के अधिग्रहण पर गुडविल	25,91,12	-
घटाएं : सहयोगियों के अधिग्रहण पर पूंजी रिज़र्व	981,48,87	981,48,87
घटाएं : कमी के लिए प्रावधान	-	-
सहयोगियों के निवेश में लागत	**9259,54,44**	**8688,09,25**
जोड़ें : अधिग्रहण के बाद लाभ/ (हानि) और सहयोगियों के रिज़र्व (इक्विटी विधि)	5498,61,05	4662,54,53
योग	**14758,15,49**	**13350,63,78**

$ शेयर आवेदन राशि सहित

अनुसूची 9 - अग्रिम

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
क. (i) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	168552,97,29	96263,84,05
(ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिसंदेय ऋण	740936,12,49	697691,68,91
(iii) सावधि ऋण	1884586,90,40	1706643,45,71
योग	**2794076,00,18**	**2500598,98,67**

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
ख. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (इसमें बही ऋणों पर अग्रिम शामिल है) ` 130915,53,15 हजार (पिछला वर्ष ₹ 134277,32,43 हजार)	1901776,92,33	1784402,74,29
(ii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा संरक्षित	114844,70,33	96691,34,81
(iii) अप्रतिभूत	777454,37,52	619504,89,57
योग	**2794076,00,18**	**2500598,98,67**
ग. (I) भारत में अग्रिम		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	658546,87,83	564570,85,92
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र	167199,40,75	257246,23,86
(iii) बैंक	1536,43,37	4833,33,50
(iv) अन्य	1519580,51,83	1285608,47,38
योग	**2346863,23,78**	**2112258,90,66**
(II) भारत के बाहर अग्रिम		
(i) बैंकों से प्राप्य	119514,35,15	80143,34,26
(ii) अन्य से प्राप्य		
(अ) क्रय किए गए और बट्टाकृत बिल	35345,80,07	35004,71,22
(ब) सिंडीकेट ऋण	196311,75,75	184413,38,38
(स) अन्य	96040,85,43	88778,64,15
योग	**447212,76,40**	**388340,08,01**
कुल योग (ग-I एवं ग-II)	**2794076,00,18**	**2500598,98,67**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
I. परिसर (पुनर्मूल्यांकित परिसरों सहित)				
पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/ पुनर्मूल्यांकन पर	31130,03,43		31094,35,54	
परिवर्धन:				
- वर्ष के दौरान	226,53,68		81,64,96	
- पुनर्मूल्यांकन हेतु	-		-	
कटौतियाँ:				
- वर्ष के दौरान	4,46,02		35,43,48	
- पुनर्मूल्यांकन हेतु	15,50,22		10,53,59	
अद्यतन मूल्यह्रास				
- लागत पर	1168,76,60		1043,45,83	
- पुनर्मूल्यांकन पर	1028,90,79	29138,93,48	850,52,10	29236,05,50
I अ. निर्माणाधीन परिसर		252,96,55		351,83,45

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹		31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹	
II.	**अन्य अचल आस्तियां (इसमें फर्नीचर तथा फिक्सचर सम्मिलित हैं)**				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/ पुनर्मूल्यांकन पर	38991,32,27		36021,19,34	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	2952,36,16		3753,83,35	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	741,50,60		783,70,42	
	अद्यतन मूल्यह्रास	31339,27,63	9862,90,20	28686,49,53	10304,82,74
IIअ.	**पट्टा आस्ति**				
	पिछले वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत/ पुनर्मूल्यांकन पर	288,85,63		240,38,84	
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	126,36,17		74,34,19	
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	17,27,78		25,87,40	
	अद्यतन मूल्यह्रास (प्रावधानों सहित)	170,27,88		131,13,19	
		227,66,14		**157,72,44**	
	घटाएँ : पट्टा समायोजन खाता	-	227,66,14	-	157,72,44
योग	**(I, Iअ,II एवं IIअ)**		**39482,46,37**		**40050,44,13**
III.	**निर्माणाधीन आस्तियां (पट्टा आस्ति सहित) निवल प्रावधान**		27,56,68		116,34,69
योग	**(I, Iअ, II, IIआ एवं III)**		**39510,03,05**		**40166,78,82**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल)	-	20540,95,39
II.	अंतर-बैंक समायोजन (निवल)	-	-
III.	उपचित ब्याज	37043,85,65	32770,84,89
IV.	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती	22650,12,52	26435,38,67
V.	आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	6745,22,82	7244,80,47
VI.	लेखन सामग्री तथा स्टैम्प	59,06,04	89,60,16
VII.	दावों के निपटान से प्राप्त की गई गैर-बैंकिंग आस्तियां	11,52,34	10,49,60
VIII.	नाबार्ड/ सिडबी/ एनएचबी के पास रखी गई जमा राशियां	195618,29,52	184093,45,48
IX.	समेकन पर गुडविल	1550,02,47	1549,99,41
X.	अन्य	88224,36,30	89309,92,88
योग		**351902,47,66**	**362045,46,95**

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएँ

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. बैंक के विरुध्द दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है	86519,11,42	79862,51,29
II. अंशत: प्रदत्त निवेशों/ जोखिम निधि के लिए देयता	2773,96,99	2617,80,58
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के बाबत देयता	1213429,79,26	1029404,66,06
IV. ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियाँ		
(क) भारत में	166528,97,91	173297,71,34
(ख) भारत के बाहर	95727,54,21	72991,10,08
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन तथा अन्य दायित्व	171892,93,33	149014,00,66
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	270360,15,88	207051,71,58
योग #	**2007232,49,00**	**1714239,51,59**

₹ 1,91,46 हजार (पिछले वर्ष ₹ 2,09,62 हजार) संयुक्त उद्यमों की आकस्मिक देयता में हिस्सेदारी से संबंधित है

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2022 को समेकित लाभ हानि खाता

(000 को छोड़ दिया गया है)

	अनुसूची संख्या	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. आय			
अर्जित ब्याज	13	289972,68,60	278115,47,67
अन्य आय	14	117000,40,37	107222,41,38
योग		**406973,08,97**	**385337,89,05**
II. व्यय			
व्यय किया गया ब्याज	15	156194,34,41	156010,16,71
परिचालन व्यय	16	174363,42,58	150429,59,53
प्रावधान और आकस्मिक व्यय		40059,14,84	54618,40,87
योग		**370616,91,83**	**361058,17,11**
III. लाभ			
निवल लाभ वर्ष के लिए (सहयोगियों के लाभ में अंश के समायोजन एवं अल्पमदों पर ब्याज से पूर्व)		36356,17,14	24279,71,94
जोड़ें: सहयोगियों के लाभ /(हानि) में हिस्सा		827,01,33	(391,90,45)
घटाएँ: अल्प मदों पर ब्याज		1809,30,49	1482,35,73
समूह का निवल लाभ		35373,87,98	22405,45,76
आगे लाया गया लाभ/(हानि)		8096,54,12	(1361,74,25)
योग		**43470,42,10**	**21043,71,51**
IV. विनियोजन			
सांविधिक आरक्षित निधियों को अंतरण		9769,02,69	6287,83,79
पूंजी आरक्षित निधियों को अंतरण		538,15,24	1465,12,42
निवेश उतार-चढ़ाव निधि में अंतरण		4647,87,02	1928,19,63
राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों को अंतरित		1783,68,04	(307,48,07)
चालू वर्ष के लिए लाभांश		6336,47,42	3569,84,46
लाभांश पर कर		86,64	3,65,16
तुलन पत्र में आगे ले जाई गई शेष राशि		20394,35,05	8096,54,12
योग		**43470,42,10**	**21043,71,51**
V. प्रति शेयर मूल आय (प्रति शेयर 1 रुपए का अंकित मूल्य)			
मूल (₹ में)		39.64	25.11
डायल्यूटेड (₹ में)		39.64	25.11
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	17		
लेखा टिप्पणियाँ	18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियाँ लाभ और हानि लेखा का अभिन्न अंग हैं।

श्री अश्विनी कुमार तिवारी
प्रबंध निदेशक
(आईबी, टी एवं एस)

श्री स्वामीनाथन जे
प्रबंध निदेशक
(आर, सी एवं एसएआरजी)

श्री अश्वनी भाटिया
प्रबंध निदेशक
(सीबी एवं जीएम)

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक
(आर एवं डीबी)

इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पं.सं. 105049W

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

श्री शैलेश शाह
भागीदार
सदस्य संख्या 033632 संख्या

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2022

अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) ₹
I. अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	177474,83,13	176780,18,56
II. निवेशों पर आय	93477,89,84	87130,62,06
III. भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य अंतर-बैंक निधियों के अधिशेष पर ब्याज	4608,34,99	4541,42,58
IV. अन्य	14411,60,64	9663,24,47
योग	**289972,68,60**	**278115,47,67**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. कमीशन, विनिमय और दलाली	24549,32,06	23566,55,62
II. निवेशों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल) #	6375,64,61	7504,45,40
III. निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(445,73,69)	(5,15,48)
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ/ (हानि) (निवल)	(16,40,47)	(28,33,64)
V. विनिमय लेनदेनों पर लाभ/ (हानि) (निवल)	3530,17,97	2457,74,75
VI. विदेश/भारत में सहयोगियों से लाभांश	3,19,50	3,19,50
VII. क्रेडिट कार्ड सदस्यता/सेवा शुल्क	5269,67,80	3915,36,49
VIII. बीमा प्रीमियम आय (निवल)	62188,03,44	53162,60,19
IX. बट्टे खाते में की गई वसूली	8286,78,94	10700,37,34
X. विविध आय	7259,70,21	5945,61,21
योग	**117000,40,37**	**107222,41,38**

#निवेशों पर बिक्री पर निवल लाभ/(हानि) असाधारण मदों सहित शून्य (पिछला वर्ष ₹ 1367,27,26 हजार)

अनुसूची 15 - व्यय किया गया ब्याज

(000 को छोड़ दिया गया है)

	31.03.2022 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I. जमाराशियों पर ब्याज	141765,28,30	143060,44,62
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर बैंक उधार राशियों पर ब्याज	7751,72,68	6237,20,49
III. अन्य	6677,33,43	6712,51,60
योग	**156194,34,41**	**156010,16,71**

अनुसूची 16 - परिचालन व्यय

(000 को छोड़ दिया गया है)

		31.03.2022 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) ₹	31.03.2021 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) ₹
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान #	61445,12,63	54330,82,58
II.	भाड़ा, कर और लाइटिंग	5707,73,68	5557,13,72
III.	मुद्रण और लेखन सामग्री	709,90,76	581,72,43
IV.	विज्ञापन व प्रचार	2693,92,63	2458,63,07
V.	(क) अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास (पट्टा आस्तियों को छोड़कर)	3652,67,77	3673,42,72
	(ख) पट्टा आस्तियों पर मूल्यह्रास	38,59,23	37,63,64
VI.	निदेशकों के शुल्क, भत्ते और व्यय	12,82,78	13,26,40
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों की फीस तथा व्यय सहित)	283,56,85	285,25,22
VIII.	विधि प्रभार	448,57,06	401,91,78
IX.	डाक व्यय, तार, टेलीफोन इत्यादि	710,44,57	492,69,84
X.	मरम्मत और अनुरक्षण	1219,04,35	1116,49,53
XI.	बीमा	4799,96,54	4272,88,91
XII.	क्रेडिट कार्ड परिचालन से जुड़े अन्य परिचालन व्यय	2945,50,71	1503,01,93
XIII.	बीमा परिचालन व्यवसाय से जुड़े अन्य व्यय	69706,73,54	58397,01,70
XIV.	अन्य व्यय	19988,79,48	17307,66,06
योग		**174363,42,58**	**150429,59,53**

11 नवंबर 2020 के द्विपक्षीय समझौते और संयुक्त नोट के अंतर्गत कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान तथा पारिवारिक पेंशन में हुई वृद्धि के लिए ₹ 7418,39,00 हजार (पिछले वर्ष शून्य) को असाधारण मद के रूप में शामिल किया है।

अनुसूची 17-
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

क. पृष्ठभूमि :

भारतीय स्टेट बैंक ('एसबीआई' या 'बैंक'), बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा सांविधिक निकाय है, जो व्यक्तियों, वाणिज्यिक उद्यमों, बड़े कॉरपोरेट, सार्वजनिक निकायों एवं संस्थागत ग्राहकों को विभिन्न उत्पाद एवं सेवाएँ प्रदान करता है। यह बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 द्वारा शासित होता है।

भारतीय स्टेट बैंक समूह ('एसबीआई समूह' या 'समूह') में एसबीआई, 27 अनुषंगियाँ, 8 संयुक्त उद्यम और 18 सहयोगी शामिल हैं।

एसबीआइ समूह की महत्वपूर्ण लेखा नीतियां अर्थात एसबीआइ के समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार तथा प्रस्तुत करने में लागू किए जाने वाले विशिष्ट लेखा सिद्धांत एवं विधियां नीचे दी जा रही हैं।

ख. तैयार करने का आधार :

एसबीआइ समूह की लेखा और रिपोर्टिंग नीतियां भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों, निर्देशों और दिशानिर्देशों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के वैधानिक दिशा-निर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996, कंपनी अधिनियम 2013, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित लेखा पद्धतियां शामिल हैं।

विदेशी इकाईओं के मामले में, विदेशी संस्थाओं पर सामान्यता स्वीकृत लेखा सिध्दांतों का पालन किया जाता है।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरण को परंपरागत लागत परिपाटी तरीके से तैयार किया जाता है जिसमें लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के मौलिक लेखा आकलन, स्थिरता एवं उपचय (जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो) को ध्यान में रखा जाता है।

ये समेकित वित्तीय विवरण आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के तहत निर्धारित आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किए गए हैं।

ग. प्राक्कलनों का प्रयोग:

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन-मंडल, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आस्तियों और देयताओं (आकस्मिक देयताओं सहित) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में इस्तेमाल किया गया प्राक्कलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत है। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं।

घ. समेकन का आधार:

1. एसबीआइ समूह के समेकित वित्तीय विवरण में निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

   क. भारतीय स्टेट बैंक (मूल कंपनी) के वित्तीय विवरण।

   ख. अनुषंगियों की आस्ति/देयता/आय/व्यय का मूल कंपनी की इन्हीं मदों से अक्षरश: समेकन किया गया है। आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 21 "समेकित वित्तीय विवरण" के अनुसार असमरूप लेखा नीतियों के लिए, जहां आवश्यक है वहां, सभी अंतः समूह महत्वपूर्ण बकाया लेनदेन के कारण अप्राप्त लाभ एवं समायोजन को हटाना।

   ग. संयुक्त उद्यम निकायों की आस्ति/देयता/आय/व्यय के समानुपातिक भाग का समेकन आसीएआई द्वारा जारी "संयुक्त उद्यमों में हितों पर वित्तीय सूचना" के एसएस 27 के अनुसार किया गया है।

   घ. 'सहयोगियों' में किए गए निवेश का लेखांकन आसीएआई द्वारा जारी 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश हेतु लेखांकन' के लेखा मानक 23 की "इक्विटी पद्धति" के अनुसार किया गया है।

2. अनुषंगी कंपनियों में समूह के निवेश की लागत तथा अनुषंगियों की इक्विटी में समूह के अंश के बीच के अंतर को वित्तीय विवरणों में साख/पूंजी आरक्षित निधि के रूप में दिखाया गया है।

3. समेकित अनुषंगियों की निवल आस्तियों में अल्पांश हित निम्नवत हैं:

   क. जिस तिथि को अनुषंगी के इक्विटी शेयरों में निवेश किया गया है उस तिथि को अल्पांश शेयरधारकों के कारण इक्विटी की राशि और,

   ख. मूल कंपनी और अनुषंगी के बीच संबंध स्थापित होने की तिथि से आय आरक्षितियों/ हानि (इक्विटी) में अल्पांश शेयर का उतार-चढ़ाव।

ङ. महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ:

1. आय निर्धारण :

1.1 आय और व्यय की उपचय आधार पर (जहाँ अन्यथा न कहा गया हो) गणना की जाती है।

1.2 ब्याज/छूट आय को लाभ और हानि खाते में निम्नलिखित के लिए वसूली आधार पर हिसाब में लिया गया है :

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक/विदेश स्थित कार्यालयों के मामलों में संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार निवेश सहित अलाभकारी आस्तियों से आय

(ख) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय जिसे "ट्रेडिंग" नाम दिया गया है।

1.3 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी

के निवेशों की बिक्री तथा बैंक द्वारा धारित अचल आस्तियों की बिक्री पर होने वाले लाभ को, प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित निधि में अंतरित की जाने वाली निवल राशि घटाने के बाद आरक्षित पूंजी खाते में विनियोजित किया जाता है।

परिपक्वता तक धारित श्रेणी के निवेशों अधिग्रहण पर छूट को निम्नानुसार हिसाब में लिया जाता है:

क. ब्याज युक्त प्रतिभूतियों पर इसे बिक्री/मोचन के समय हिसाब में लिया जाता है।

ख. शून्य कूपन वाली प्रतिभूतियों पर इसे सतत आय आधार पर प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है।

1.4 लाभांश को प्राप्त करने का अधिकार लागू होने पर लाभांश आय को हिसाब में लिया जाता है।

1.5 इस अवधि में साख-पत्र/बैंक गारंटी, आस्थगित भुगतान गारंटियों, सरकारी व्यवसाय, एटीएम इंटरचेंज शुल्क और 'पुनर्संरचित खाते पर अग्रिम शुल्क' पर कमीशन को उपचय आधार पर आनुपातिक रूप से हिसाब में लिया गया है। अन्य सभी कमीशन और शुल्क आय को उनकी प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया गया है।

1.6 विशेष आवास ऋण योजना के अंतर्गत प्रदत्त एकबारगी बीमा प्रीमियम (दिसंबर 2008 से जून 2009 तक) का परिशोधन 15 वर्षों की औसत ऋण अवधि में किया गया है।

1.7 बॉन्ड/जमापत्र जारी करने के लिए अदा की गई दलाली, कमीशन आदि को संबंधित बॉन्ड एवं जमापत्र की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है एवं इन्हें जारी करने पर हुए खर्च को अग्रिम रूप से लिया जाता है।

1.8 जब बैंक अपनी वित्तीय आस्तियों की बिक्री प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निमाण कंपनी को करता है, तो वह इन आस्तियों को अपने खातों से हटा देता है और उन्हें निम्नानुसार हिसाब में लेता है :

i. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य (बही मूल्य से प्रावधानों को घटाकर) से कम है, तो इस कमी को उस वर्ष के लाभ एवं हानि खाते को नामे किया जाता है।

ii. यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है, तो अतिरिक्त प्रावधान की राशि को उसके प्राप्त होने वाले वर्ष में ही वापस कर लिया जाता है।

1.9 निर्गम-प्रबंधन और परामर्श शुल्क, समूह के मर्चेंट बैंकिंग व्यवसाय के मामले में ग्राहक से हुए करार के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। शुल्क आय को तभी हिसाब में लिया जाता है जबकि करार में उल्लिखित लक्ष्य पूरा/निष्पादित कर दिया जाता है।

1.9.1 सुपुर्द नियत-कार्य के पूरा होने के बाद प्राइवेट प्लेसमेंट फीस को हिसाब में लिया जाता है।

1.9.2 शेयर दलाली कार्यकलाप से संबंधित दलाली आय को लेनदेन करने की तिथि पर शामिल किया गया है और उसमें स्टांप शुल्क एवं लेनदेन संबंधी व्यय शामिल है तथा योजना के लिए दी गई प्रोत्साहन राशियां शामिल नहीं है।

1.9.3 पब्लिक इश्यू से संबंधित कमीशन को पब्लिक इश्यू आबंटन पूरा होने पर/मध्यस्थ से सूचना प्राप्त होने के बाद हिसाब में लिया जाता है।

1.9.4. पब्लिक इश्यू/ म्यूचुअल फंड/ अन्य प्रतिभूतियों से संबंधित ब्रोकरेज को ग्राहकों/बिचौलियों से राशि और सूचना प्राप्त होने के बाद हिसाब में लिया जाता है।

1.9.5. निक्षेपागार आय - वार्षिक अनुरक्षण प्रभार को उपचय आधार पर तथा लेनदेन प्रभार को लेनदेन की संव्यवहार तिथि को हिसाब में लिया जाता है।

1.10. समूह के आस्ति प्रबंधन व्यवसाय के मामले में, प्रबंधन शुल्क को संबंधित योजनाओं में सहमत विशिष्ट दरों पर हिसाब में लिया जाता है तथा इसकी गणना प्रत्येक योजना की निवल आस्ति के दैनिक औसत आधार पर की जाती है। (अंतर योजना निवेश, जहां कंपनी द्वारा संबंधित योजना में किए गए निवेश एवं बैंकों में जमा राशि को छोड़कर) और यह सेबी (म्युचुअल-फंड) विनियम, 1996 द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप है।

1.10.1.पोर्टफोलियो परामर्श सेवाओं, पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं और वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) से प्राप्त प्रबंधन शुल्क को करार के शर्तों के अनुसार, उपचय आधार पर शामिल किया गया है।

1.10.2. प्रतिस्थापन अधिकार के अंतर्गत कंपनी द्वारा अभिगृहीत योजनाओं के अंतरित निवेशों की वसूली को प्राप्ति आधार पर हिसाब में लिया गया है। निधिक गारंटी योजनाओं से होने वाली वसूली को प्राप्ति के वर्ष के आय के रूप में माना गया है।

1.10.3. निर्धारित दरों से अधिक योजना व्ययों और नई फंड पेशकश से संबंधित व्ययों को सेबी (म्युचुअल-फंड) विनियम, 1996 की अपेक्षाओं के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में उसी वर्ष में शामिल किया गया है, जिसमें वे वहन किए गए।

1.10.4. असीमित अवधि वाली इक्विटी सम्बद्ध कर बचत योजनाओं और सुव्यवस्थित निवेश (एस आई पी) से संबंधित निवेशों पर दी गई दलाली तथा/अथवा प्रोत्साहन राशि को 36 महीनों की अवधि के दौरान और अन्य योजनाओं के मामले में क्लॉ-बैक अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है। सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में, दलाली की राशि को योजनाओं की अवधि के दौरान परिशोधित किया गया है।

1.11. समूह के क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के मामले में सदस्यता सेवाओं के प्रावधान से अर्जित आय को सदस्यता अवधि में आय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें अपेक्षित रिवर्सल / रद्दीकरण के विचार के उचित मूल्य पर 12 महीने शामिल होते हैं।

1.11.1 अन्य सेवा राजस्व में कार्ड धारकों को प्रदान की जाने वाली मूल्यवर्धित सेवाएं शामिल हैं।

अन्य सेवा राजस्व को उसी अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित लेनदेन होते हैं या सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

1.11.2. इंटरचेंज शुल्क अधिग्रहणकर्ताओं से एकत्र किए जाते हैं और नेटवर्क भागीदारों द्वारा जारीकर्ताओं को भुगतान किया जाता है ताकि सेवाओं को प्रदान करने के लिए किए गए लागत के हिस्से के लिए जारीकर्ताओं को प्रतिपूर्ति की जा सके, जो अधिग्रहणकर्ताओं और व्यापारियों सहित सिस्टम में सभी प्रतिभागियों को लाभान्वित करते हैं। इंटरचेंज आय से राजस्व को तब पहचाना जाता है जब संबंधित लेनदेन होता है, या सेवा प्रदान की जाती है।

1.11.3. कुल अनिर्धारित प्राप्तियों को, जिन्हें पूर्ण एवं सही सूचना के अभाव में ग्राहकों के खातों में जमा या समायोजित नहीं किया जा सका, तुलनपत्र में देयता के रूप में समझा गया है। 6 महीने से अधिक और 3 वर्ष तक की अनुमानित अज्ञात प्राप्तियों को बट्टे खाते में डाले गए ग्राहकों की ओर तुलन पत्र की तारीख पर आय के रूप में वापस लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त, 3 वर्षों से अधिक की समाधान नहीं हुई अनिर्धारित प्राप्तियों को भी तुलनपत्र की तिथि को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है। तीन वर्षों से अधिक की अवधि वाले चेक की देयता को आय के रूप में प्रतिलेखन किया गया है।

1.11.4. अन्य सभी आय/सेवा शुल्क संबंधित लेनदेन के समय दर्ज किए गए हैं।

1.12 समूह के फैक्टरिंग व्यवसाय के मामले में फैक्टरिंग प्रभार, कंपनी द्वारा निर्धारित लागू दरों पर ऋणों के फैक्टरिंग पर अर्जित किए जाते हैं। प्रसंस्करण शुल्क को आय के रूप में केवल तभी मान्यता दी जाती है जब दस्तावेजों के निष्पादन के बाद इसकी प्राप्ति की उचित निश्चितता हो। सुविधा निरंतरता शुल्क (एफसीएफ) की गणना की जाती है और सभी सक्रिय मानक खातों पर पूरे अगले वित्तीय वर्ष के लिए मई के महीने में प्रभारित किया जाता है। 01 मई की तारीख को एफसीएफ के संचय की तारीख के रूप में माना जाता है।

1.13 समूह जीवन बीमा व्यवसाय के मामले में, पॉलिसी धारकों से देय होने पर, असंबद्ध व्यवसाय प्रीमियम (सेवाकर को घटाने के बाद) को आय के रूप में लिया जाता है। संबद्ध व्यवसाय के मामले में, प्रीमियम आय का निर्धारण उससे जुड़ी यूनिट के आबंटन के समय किया जाता है। परिपर्ती बीमा उत्पादों (वीआईपी) के मामले में प्रीमियम आय को उस तारीख से आय के रूप में लिया जाता है, जिस तारीख से पॉलिसी मूल्य जमा किया जाता है। कालातीत पॉलिसियों को जब तक पुन: प्रवर्तित नहीं किया जाता, तब तक ऐसी पॉलिसियों के वसूल न किए गए प्रीमियम को हिसाब में नहीं लिया जाता है।

1.13.1. टॉप-अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम के रूप मे समझा गया है।

1.13.2. संबद्ध निधियों से आय जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, पॉलिसी प्रबंधन प्रभार, मृत्यु प्रभार आदि शामिल हैं: पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूल किए गए हैं और वसूली होने पर शामिल किए गए हैं।

1.13.3. इक्विटी प्रतिभूतियों, म्युचुअल फंडों की इकाइयों, इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआईटी) के संबंध में प्राप्त लाभ और हानि की गणना शुद्ध बिक्री आय और उनकी लागत के बीच के अंतर के रूप में की जाती है। ऋण प्रतिभूतियों के संबंध में, प्राप्त लाभ और हानियों की गणना शुद्ध बिक्री आय या मोचन आय और भारित औसत परिशोधित लागत के बीच के अंतर के रूप में की जाती है। इक्विटी शेयरों के संबंध में लागत, म्यूचुअल फंड इक्विटी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट्स) और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स ट्रस्ट (आरईआईटी) की इकाइयों की गणना भारित औसत विधि का उपयोग करके की जाती है।

1.13.4. प्रतिभूतियाँ उधार देने और लेने की योजना के तहत इक्विटी शेयर उधार देने पर प्राप्त शुल्क को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उधार देने की अवधि के दौरान आय के रूप में माना जाता है।

1.13.5. पुनर्बीमा पर दिए गए प्रीमियम को पुन: बीमा संधि या पुन: बीमाकर्ता के साथ सैद्धांतिक व्यवस्था की शर्तों के अनुसार गिना जाता है।

1.13.6. दिए गए लाभ :

- जहां प्रयोज्य हो, दावा-व्यय में पॉलिसी लाभ एवं दावा निपटान व्यय शामिल होते हैं।
- मृत्यु और अनुवृद्धि से संबंधित दावों की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें हिसाब में लिया जाता है। अवधि के अंत की सूचनाओं पर ऐसे दावों की गणना के लिए विचार किया जाता है।
- परिपक्वता से संबंधित दावों को पॉलिसी की परिपक्वता तिथि को हिसाब में लिया जाता है।
- उत्तरजीविता और वार्षिकी लाभों की गणना उस समय की जाती है, जब से देय होते हैं।
- अभ्यर्पणों एवं आहरण को सूचित किए जाने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों में व्यपगत पॉलिसियों पर देय राशि सम्मिलित होती है और इसे देय होने पर हिसाब में लिया जाता है। अभ्यर्पणों, आहरण और पॉलिसी व्यपगत होने पर प्रकटीकरण वसूली योग्य प्रभारों को घटाकर किया जाता है।

- ➢ न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत विवादित दावों का उनके द्वारा निराकरण करने पर प्रबंधन के विवेकानुसार इन दावों के संबंध में उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार करके निपटान करने के लिए प्रावधान किया गया है।
- ➢ पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल की जाने वाली राशियों को संबंधित दावों की अवधि के लिए हिसाब में लिया जाता है और उन्हें दावों से घटाया जाता है।

1.13.7. कमीशन जैसे अधिग्रहण खर्च, चिकित्सा शुल्क आदि ऐसे खर्च हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकृत बीमा संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित होते हैं और व्यय के समय ही इनका भुगतान कर दिया जाता है।

1.13.8. बीमा पॉलिसियों के लिए देयता: सभी जीवन बीमा पॉलिसियों के बीमांकिक देयता की गणना बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार नियुक्त बीमा आकलनकर्ता द्वारा और समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा जारी नियमों और विनियमों और परिपत्रों और भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी प्रासंगिक मार्गदर्शन नोट्स और / या बीमांकिक अभ्यास मानकों (एपीएस) के अनुसार की गई है।

1.13.9. भविष्य के विनियोजन के लिए धनराशि

गैर-संबद्ध व्यवसाय के संबंध के लिए, भविष्य के विनियोजन खाते के लिए निधियों में शेष राशि निधियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका आबंटन या तो भाग लेने वाले पॉलिसीधारकों के लिए या शेयरधारकों के लिए किया गया है जो तुलन पत्र की तारीख में निर्धारित नहीं किया गया है। निधि में और उससे हस्तांतरण कंपनी के पॉलिसीधारकों के निधि में उत्पन्न होने वाली प्रत्येक लेखांकन अवधि में व्यय और विनियोग पर आय की अधिक या कमी को दर्शाता है। भागीदार पॉलिसियों के संबंध में पॉलिसीधारक को किसी भी आबंटन से आवश्यक अनुपात में शेयरधारकों के हस्तांतरण में वृद्धि होगी।

यूनिट-लिंक्ड निधियों में भविष्य के विनियोजन के लिए उपलब्ध निधि, अधिशेष का प्रतिनिधित्व करता है जो कि व्यपगत पॉलिसी से उत्पन्न हुआ है, जिन्हें पुनर्जीवित करने की संभावना नहीं है। इस सरप्लस को पॉलिसीधारकों के फंड में तब तक रखना आवश्यक है जब तक कि पॉलिसीधारक अपनी पॉलिसी को पुनर्जीवित नहीं कर सकते।

1.14 समूह साधारण बीमा व्यवसाय के मामले में स्वीकृत पुनर्बीमा (माल एवं सेवा कर घटाने के बाद) सहित प्रीमियम को जोखिम प्रारंभ होने की तिथि से बही में दर्ज किया जाता है। यदि प्रीमियम को किस्तों में वसूल किया जाता है, तो देय किस्त की सीमा तक की राशि को किस्त की देय तिथि पर दर्ज किया जाता है। प्रत्यक्ष व्यवसाय और स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्राप्त प्रीमियम (पुनर्नियोजन प्रीमियम सहित) की सेवा कर घटाने के बाद 1/365 पद्धति के अनुसार सकल आधार पर संविदा अवधि या जोखिम अवधि, जो भी उपयुक्त हो, में आय के रूप में दिखाया गया है। लेबी अवधि की मोटर बीमा पॉलिसियों के मामले में, आईआरडीएआई द्वारा प्रीमियम को वार्षिक आधार पर मान्यता दो जाती हैं। प्रीमियम में कोई भी पुनरीक्षण होने पर वह जोखिम की बकाया अवधि या संविदा अवधि हेतु वही मान्य रहती है। पॉलिसियों के रद्द होने से प्रीमियम आय में होने वाले समायोजनों को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह रद्द की गई है।

1.14.1. बंद किए गए पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन को उस अविध में आय के रूप में दिखाया गया है जिस अवधि में पुनर्बीमा जोखिम बंद की गई है। पुनर्बीमा संधियों के अंतर्गत लाभ कमीशन, जहां कहीं लागू हो, को लाभ के अंतिम निर्धारण वाले वर्ष में आय के रूप में दिखाया गया है, जिस प्रकार पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित किया गया है और उसे बंद की गई पुनर्बीमा पर प्राप्त कमीशन के साथ रखा गया है।

पुनर्बीमा संधियों के तहत स्लाइडिंग स्केल कमीशन, जहां भी लागू हो, को पुनर्बीमा संधि शर्तों के अनुसार आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा कि पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा पुष्टि की गई है और पुनर्बीमा पर कमीशन के साथ संयुक्त है।

1.14.2. बंद की गई आनुपातिक पुनर्बीमा पॉलिसी के संबंध में, बंद की गई पुनर्बीमा पॉलिसी की लागत, संविदा अवधि या जोखिम की अवधि पर जोखिम के प्रारंभ पर आरंभ होती है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा लागत को देय होने के समय दिखाया गया है। गैर-आनुपातिक पुनर्बीमा पुनर्बीमा की शत्रों के अनुसार की गई है। अन्य कोई अनुवर्ती संशोधन होने पर, प्रीमियमों को वापस या निरस्त करने को उस अवधि में दिखाया गया है जिसमें वह देय होता है।

1.14.3. पुनर्बीमा प्राप्य स्वीकृतियों को बीमाकर्ताओं से वापस प्राप्य लाभ के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

1.14.4. अधिग्रहण लागत जैसे कमीशन, पॉलिसी निर्गम व्यय आदि ऐसी लागत हैं जो मुख्य रूप से नए एवं नवीकरण व्यवसाय संविदाओं के अधिग्रहण से संबंधित हैं और उस अवधि में व्यय की गई है जिस अवधि के लिए वह हुई हैं। अधिग्रहण लागत निर्धारण मुख्यतया लागत और बीमा संविदाओं के निष्पादन (अर्थात जोखिम की शुरूआत) के आधार पर किया जाता है। अधिग्रहण लागत के रूप में निर्धारण के लिए प्राथमिक परीक्षण लागत और बीमा अनुबंधों के निष्पादन (यानी जोखिम की शुरुआत) के बीच अनिवार्य संबंध है। लंबी अवधि की मोटर बीमा पॉलिसियों के मामले में कमीशन **आईआरडीएआई** द्वारा अनिवार्य के रूप में वर्ष के लिए आवंटित प्रीमियम पर लागू दरों पर खर्च किया जाता है।

1.14.5. अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम जो जोखिम की शुरुआत से पहले प्राप्त प्रीमियम का होता है, उसे वित्तीय विवरणों में 'अन्य देनदारियों और प्रावधान' शीर्षक के तहत अलग से दिखाया जाता है और जोखिम शुरू होने की तारीख को आय के रूप में दर्ज किया जाता है।

अनपेक्षित जोखिम के लिए रिजर्व, लिखित शुद्ध प्रीमियम का वह हिस्सा है (यानी, पुनर्बीमा का प्रीमियम शुद्ध) जो अनुबंध अवधि के आधार पर या जोखिम अवधि के आधार पर सफल लेखा अवधि के लिए जिम्मेदार है और आवंटित किया जाना है, जो भी उपयुक्त हो। आईआरडीएआई के द्वारा इस तरह के रिज़र्व की गणना 1/365 आधार के तहत आनुपातिक आधार पर की जाती है, जो परिपत्र संख्या आईआरडीए / एफएंडए / सीआईआर / सीपीएम / 056/ 03/ 2016 दिनांक 4 अप्रैल 2016 के अनुसार न्यूनतम आरक्षित आवश्यकताओं के अधीन है।

1.14.6. यदि लेखा अवधि के अंत में असमाप्त जोखिमों के संबंध में अपेक्षित शुद्ध दावा लागतों की अंतिम राशि (बीमा आकलनकर्ता द्वारा परिकलित और प्रमाणित), संबंधित व्यय और रखरखाव लागत (दावा प्रबंधन से संबंधित) संबंधित प्रीमियम के योग से अधिक है तो उसे बाद की लेखा अवधि के लिए असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित निधि के रूप में प्रीमियम की कमी के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रीमियम की कमी की गणना वार्षिक आधार पर और कंपनी स्तर पर की जाती है।

1.14.7. नुकसान की सूचना मिलने पर दावा माना जाता है। दावे को नुकसान होने की सूचना प्राप्त होने पर उपलब्ध सूचना और विगत अनुभव के आधार पर प्रबंधन द्वारा यथा अनुमानित देय दावा राशि के लिए प्रावधान करके हिसाब लगाया जाता है। इस तरह के प्रावधान की समीक्षा/संशोधन जरूरी होने पर अतिरिक्त जानकारी के आधार पर की जाती है। पुनर्बीमा और सह-बीमा व्यवस्था की शर्तों के तहत पुन: बीमाकर्ताओं/सह-बीमाकर्ताओं से प्राप्त/प्राप्य राशियों को क्रमशः दावे की मान्यता के साथ मान्यता दी जाती है। तुलन पत्र की तिथि पर देय बकाया दावों का प्रावधान प्रबंधन द्वारा अनुमानित पुनर्बीमा, बचाव मूल्य और अन्य वसूलियों का निवल है। भुगतान किए गए दावे (बीमाधारक द्वारा बनाए गए बचाव के मूल्य और दावों पर भुगतान किए गए ब्याज, यदि कोई हो, सहित वसूलियों का निवल) भुगतान के लिए अनुमोदित होने पर लाभ और हानि खाते से शुल्क लिया जाता है। जहां कंपनी द्वारा निस्तारण का अधिग्रहण किया जाता है, ऐसे बिक्री के समय बचाव की बिक्री से वसूली को मान्यता दी जाती है।

1.14.8. लेखा वर्ष के अंत से पहले दावे देयताओं के संबंध में हो सकने वाले प्रावधान, लेकिन जो कि:

- अभी तक रिपोर्ट या दावा नहीं किया गया (आईबीएनआर) या

- पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं की गई अर्थात संभावित दावा राशि (आईबीएनईआर) का उचित अनुमान लगाने के लिए अपर्याप्त जानकारी के साथ रिपोर्ट की गई।

इंस्टिट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए बीमांकिक अभ्यास मानकों और मार्गदर्शन नोट्स और आईआरडीएआई के नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार बीमांकिक सिद्धांतों के आधार पर नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित राशि के अनुसार प्रावधान किया गया है।

1.15 समूह अभिरक्षा और निधि लेखा सेवाओं के मामले में आय (माल और सेवा कर घटाकर) को तभी मान्यता दी जाती है जब इसका विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सके और यह संभावना हो कि आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे। अभिरक्षा शुल्क, निधि लेखा शुल्क और संदर्भ शुल्क को करार की शर्तों के अनुसार उपचय के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

1.16 समूह के पेंशन निधि व्यवसाय के मामले में प्रबंधन शुल्क को संबंधित योजनाओं के साथ सहमत विशिष्ट दरों पर मान्यता दी जाती है, जो प्रत्येक योजना की दैनिक बकाया परिसंपत्तियों पर लागू होती है और यह पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप है। प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) बिजनेस यानी खाता खोलने की फीस और योगदान प्रसंस्करण शुल्क से कमीशन आय को ग्राहकों से प्राप्त योगदान और स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के सृजन के आधार पर मान्यता दी जाती है। कंपनी लाभ और हानि खाते में माल और सेवा कर का शुद्ध राजस्व प्रस्तुत करती है।

1.17 समूह ट्रस्टीशिप व्यवसाय के मामले में, म्यूचुअल फंड ट्रस्टीशिप फीस का निर्धारण संबंधित योजनाओं के लिए सहमत गई विशिष्ट दरों पर किया गया है और प्रत्येक योजना की औसत दैनिक आस्तियों के आधार पर लागू की गई है (अंतर योजना निवेश, स्थायी जमाराशियों में निवेश, आस्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा किए गए निवेश और आस्थगित राजस्व व्यय, जहां कहीं लागू हो, को छोड़कर), तथा सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के अंतर्गत निर्दिष्ट की गई सीमाओं के अनुरूप है।

1.17.1. कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप स्वीकृति शुल्क को ट्रस्टीशिप असाइनमेंट की स्वीकृति या निष्पादन, जो भी पहले हो, पर मान्यता दी जाती है। कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप सेवा प्रभार को ग्राहकों के साथ किए गए ट्रस्टीशिप अनुबंधों/समझौते की शर्तों के आधार पर मान्यता दी जाती है।

1.17.2. ऑनलाइन ''वसीयत'' सेवाओं से प्राप्त आय का निर्धारण तब किया जाता है जब शुल्क प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसलिए ऐसे आय निर्धारणों की निश्चितता ऐसे अधिकार प्राप्त होने हो जाती है।

1.18 समूह के मर्चेंट एक्वायरिंग बिजनेस के मामले में आय की गणना को छूट, जीएसटी और अन्य लागू करों को छोड़कर प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल के आधार पर मापा जाता है और सेवाओं के प्रदर्शन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

1.18.1. पीओएस लगाने से होने वाले राजस्व को या तो सेवा प्रदान करने की अवधि के दौरान या अनुबंधों में निर्दिष्ट दरों और शर्तों के अनुसार अवधि के दौरान संसाधित किए गए लेनदेन की संख्या के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। व्यापारी द्वारा अनुबंध शर्तों के आधार पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर), मासिक किराए और प्रतिबद्धता शुल्क के लिए भुगतान किया जाता है और इसे परिचालन से हुई आय माना जाता है।

1.18.2. रखरखाव परिनियोजन अनुबंध के कारण प्राप्त आय जो उपचित नहीं की जा सकी को आस्थगित आय के रूप में रखा जाता है तथा राजस्व मान्यता मानदंड पूरे होने तक देनदारियों में शामिल किया जाता है। वह उपचित आय जिसका बिल नहीं हुआ है, उन्हें संविदा की शर्तों के अनुसार किए गए कार्य पर मान्यताप्राप्त राजस्व के रूप में गिना जाता है लेकिन बाद की अवधि में इसका बिल होता है।

1.18.3. राजस्व को उस हद तक मान्यता दी जाती है, जहां तक यह संभव है कि आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे, और राजस्व को विश्वस्त रूप से मापा जा सकता है।

2. निवेश :

निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन पर आरबीआई के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को हिसाब में निम्नानुसार लिया जाता है:

2.1 वर्गीकरण :

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात् "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)", "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" और "व्यवसाय के लिए धारित" (एचएफटी)।

तुलनपत्र में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों का वर्गीकरण भारत में और भारत के बाहर के निवेश के रूप में किया गया है।

- प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेशों का पुनः वर्गीकरण (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, (iii) शेयर, (iv) बॉन्ड एवं डिबेंचर, (v) अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यम और (vi) अन्य के रूप में किया गया है। 'भारत के बाहर के निवेशों' को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ, (ii) विदेश स्थित अनुषंगियाँ एवं संयुक्त उद्यम और (iii) अन्य निवेश।

2.2 वर्गीकरण का आधार :

i. बैंक जिन निवेशों को परिपक्वता तक रखना चाहता है, उन्हें "परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ii. जिन निवेशों को सिद्धांततः क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर पुनर्विक्रय हेतु रखा गया है, उन्हें "व्यवसाय के लिए रखे गए (एचएफटी)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iii. जिन निवेशों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

iv. किसी निवेश को इसके क्रय के समय "परिपक्वता तक धारित", "विक्रय के लिए उपलब्ध" या "व्यवसाय के लिए रखे गए" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उसके पश्चात श्रेणियों में परिवर्तन विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप किया गया है।

v. जिन निवेशों को बाद में विक्रय के उद्देश्य से ही खरीदा और रखा जाता है, उनको छोड़कर अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों में किए गए निवेशों को परिपक्वता तक धारित निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे निवेशों को "विक्रय के लिए उपलब्ध (एएफएस)" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 मूल्यांकन:

i. सभी प्रतिभूतियों के लेनदेन को निपटान की तिथि पर दर्ज किया जाता है। एसबीआई द्वारा एचएफटी एवं एएफएस श्रेणी के अंतर्गत निवेश लागत का निर्धारण समूह इकाईयों द्वारा भारित औसत लागत पद्धति द्वारा किया जाता है तथा 'परिपक्वता तक धारित' निवेश को 'पहले आओ पहले जाओ' आधार पर निर्धारित किया जाता है अन्य समूह इकाईयों द्वारा इसे भारित औसत लागत पद्धति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

(क) सब्सक्रिप्शन पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया जाता है। निवेश के अधिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन, प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) आदि को उसी समय के व्यय में शामिल कर लिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है।

(ख) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय माना गया है और इन्हें लागत/विक्रय-प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है।

ii. 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के रूप में वर्गीकृत निवेशों का मूल्यांकन:

क) "परिपक्वता तक धारित" श्रेणी के निवेशों की गणना अधिग्रहण लागत में की जाती है। अधिग्रहण पर प्रदत्त कमीशन, अगर

कोई, का परिशोधन नियत आय आधार पर परिपक्वता अवधि के लिए किया गया है। ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को "निवेश पर आय" शीर्ष के अंतर्गत हिसाब में लिया गया है।

(ख) प्रत्येक निवेश के मामले में अस्थायी से इतर कमी की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रावधान किया गया है।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में निवेश को आईसीएआई के एएस 23 के अनुसार इक्विटी लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है।

iii. विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए धारित श्रेणियाँ:

विक्रय हेतु उपलब्ध (एएफएस) एवं व्यवसाय के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणियों के तहत रखे गए निवेशों को विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार पुनर्मूल्यन किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से संबद्ध प्रत्येक समूह (जैसे (i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ (iii) शेयर iv) बॉन्ड एवं ऋणपत्र v) अनुषंगी एवं संयुक्त उद्यम (vi) अन्य) के लिए सिर्फ निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है।

iv. निवेशों का अंतर-श्रेणी अंतर होने पर मूल्यांकन नीति:

क) जब एचटीएफ/एएफएस श्रेणी से एचटीएम श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण किया जाता है तो उसे अंतरण की तिथि को अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के न्यूनतम मूल्य पर किया जाता है। ऐसे अंतरण पर मूल्यह्रास, यदि कोई होने पर, उसके लिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है।

ख) एचटीएम श्रेणी से एएफएस श्रेणी में प्रतिभूतियों का अंतरण अभिग्रहण मूल्य/बही मूल्य पर किया जाता है। अंतरण के तुरंत बाद इन प्रतिभूतियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और परिणामी मूल्यह्रास के लिए लाभ और हानि खाते में प्रावधान किया जाता है।

v. प्रतिभूति रसीदों पर प्रतिभूतिकरण कंपनी(एससी) /आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को अनर्जक आस्तियां (वित्तीय आस्तियां) बेचे जाने के मामले में मूल्यांकन:

क) प्रतिभूति रसीद में निवेश को एससी/आरसी को एनपीए बिक्री के आधार पर प्राप्त किया जाता है, तथा इसे i) वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य (बही मूल्य में से प्रावधान घटाकर) ii) प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य, दोनों में जो भी कम हो, को हिसाब में लिया जाता है।

ख) प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन गैर-एसएलआर लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। तदनुसार, जिन मामलों में प्रतिभूतिकरण कंपनी/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन संबंधित योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त निवल आस्ति मूल्य की गणना ऐसे निवेशों के मूल्यन के लिए की गई है।

vi) ट्रेजरी बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत आधार पर किया गया है।

2.4 निवेश (एनपीआई)

i. घरेलू कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के आधार पर निवेश को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है:

(क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया है।

(ख) इक्विटी शेयरों के मामले में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण किसी कंपनी के शेयरों का मूल्यांकन ₹1/- प्रति कंपनी किया गया है, वहाँ ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक निवेश माना जाएगा।

(ग) यदि इकाई द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक-बही में अनर्जक आस्ति हो गई हो, तो ऐसी स्थिति में उसी इकाई/जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में निवेश को अनर्जक निवेश माना जाएगा। उपर्युक्त नियम आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन अधिमानी शेयरों पर भी लागू होगा, जहाँ नियत लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।

(घ) ऐसे डिबेंचरों/ बॉन्डों में निवेश, जिसे अग्रिम माना गया है, पर भी अनर्जक निवेश के वही एनपीआई मानदंड लागू होंगे जो निवेश पर लागू होते हैं।

ii. विदेश स्थित कार्यालयों के मामले में अनर्जक निवेश हेतु वर्गीकरण एवं प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों, इनमें से जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

2.5 रेपो/रिवर्स रेपो लेनदेन के लिए लेखांकन:

बैंक, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक एवं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ पुनर्खरीद / प्रतिवर्ती पुनर्खरीद लेनदेन करता है। पुनर्खरीद लेनदेन का अर्थ है लेन-देन प्रतिभूतियों को पुनर्खरीद करने के समझौते के साथ प्रतिभूतियों को बेचकर उधार लेना। दूसरी तरफ, रिवर्स रेपो लेनदेन का अर्थ है प्रतिभूतियों को खरीद कर धनराशि उधार देना।

(क) चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ के लेनदेनों को संपार्श्विक उधार देने एवं उधार लेने के लेनदेन के रूप में हिसाब में लिया गया है।

(ख) मार्केट रेपो एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों में बेची गई (खरीदी गई) एवं पुनः खरीदी गई (पुनः बेची गई) प्रतिभूतियों को सामान्य एकमुश्त विक्रय (क्रय) लेनदेन के रूप में हिसाब में लिया गया है और प्रतिभूतियों की ऐसी आवाजही को रेपो/रिवर्स रेपो खातों एवं दुतरफा प्रविष्टियों का उपयोग करके दर्शाया गया है। इन प्रविष्टियों को परिपक्वता की तिथि पर रिवर्स कर दिया जाता है।

(ग) रेपो खाते की शेष राशि को अनुसूची - 4 (उधार-राशियाँ) के तहत वर्गीकृत किया गया है ।

(घ) रिवर्स रेपो खाते में 14 दिनों या उससे कम की मूल अवधि के साथ अनुसूची 7 (बैंकों के पास बकाया तथा मांग तथा अल्प सूचना पर प्राय राशि) के तहत वर्गीकृत किया गया है। 14 दिनों से अधिक लेकिन 1 वर्ष तक की मूल परिपक्वता वाले रिवर्स रेपो को अनुसूची 9 (अग्रिम) के तहत नकद क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और मांग पर चुकाने योग्य ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अन्य सभी रिवर्स रेपो को अनुसूची 9 (अग्रिम) के तहत सावधि ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

(ङ) भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा अन्य के पास रेपो लेनदेन की उधार लेने की लागत एवं रिवर्स रेपो लेनदेनों पर आय को क्रमशः ब्याज व्यय एवं ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया गया है।

2.6 जीवन और सामान्य बीमा सहायक कंपनियों के मामले में, निवेश की गणना, बीमा अधिनियम 1938, आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 और आईआरडीए (वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति और बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) विनियम, 2002, की निवेश नीति, आईआरडीएआई द्वारा समय-समय पर जारी कंपनी और विभिन्न अन्य परिपत्र / अधिसूचनाएं के अनुसार किया जाता है।

(i) गैर-संबद्ध बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन :

➢ सरकारी प्रतिभूतियों एवं मनी मार्केट सहित सभी ऋण प्रतिभूतियों का अवधिगत लागत के आधार पर प्रीमियम के परिशोधन के अध्यधीन उल्लेख किया गया है।

➢ सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया गया है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई (बीएसई) पर बाजार बंद होने के समय उपचय आखिरी मूल्य में से निचले मूल्य को शामिल किया जाता है। अगर एनएसई बाज़ार बंद मूल्य उपलब्ध नहीं हे तो, द्वितीयक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड (बीएसई) का मूल्य लिया जाता है।

➢ असूचीबद्ध इक्टिटी प्रतिभूतियों, इक्टिटी संबंधित लिखतों और अधिमानी शेयरों का आकलन अवधिगत लागत आधार पर किया जाता है।

➢ प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने (एसएलबी) के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन यथा उल्लिखित इक्विटी शेयरों की मूल्यांकन पद्धति के अनुसार किया जाता है।

➢ आईआरडीएआई द्वारा यथा निर्दिष्ट 'इक्विटी' के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-I (बेसल-III अनुपालक) बेमियादी बॉन्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।

➢ म्यूचुअल फंड यूनिटों में निवेश का जीवन बीमा में पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर और साधारण बीमा में तुलनपत्र की तारीख को मूल्यांकन किया जाता है।

➢ वैकल्पिक निवेश निधियों में निवेश का मूल्यांकन नवीनतम उपलब्ध एनएवी के आधार किया जाता है।

➢ आरईआईटी/इनविट यूनिट में निवेश का बाजार मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है (अंतिम उद्धृत मूल्य 30 दिनों के बाद का नहीं होना चाहिए)। बाजार मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राथमिक एक्सचेंज यानी एनएसई पर समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। अगर एनएसई बंद भाव किसी प्रतिभूति के लिए उपलब्ध नहीं है, तो मूल्यांकन के लिए बीएसई बंद भाव का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पिछले 30 दिनों के लिए बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, यूनिटों का मूल्यांकन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित इकाइयों के नवीनतम एनएवी (6 महीने से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार किया जाता है।

शेयरधारकों के निवेशों और गैर-संबद्ध पॉलिसी धारकों के निवेशों के संबंध में सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों, एआईएफ एवं आरईआईटी/इनविट की यूनिट के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण होने वाले वसूल नहीं हुए लाभ या हानियों को तुलनपत्र में क्रमश: "आय और अन्य आरक्षितियां (अनुसूची 2)" में और "बीमा व्यवसाय में पॉलिसी धारकों से संबंधित देयताएं (अनुसूची 5)" में शामिल किए गए हैं।

(ii) संबद्ध व्यवसाय से संबंधित निवेश का मूल्यांकन:

➢ एक वर्ष से अधिक की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग इन्फोर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड (क्रिसिल) से प्राप्त मूल्यों पर किया जाता है। एक वर्ष या उससे कम की शेष परिपक्वता अवधि वाली सरकारी और अन्य ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन परिपक्वता आय के आधार पर किया जाता है तथा जहां पर आय की गणना क्रिसिल द्वारा प्रतिभूति को अल्पावधि वर्गीकृत करने के दिन पर उपलब्ध कराए गए बाज़ार मूल्य पर किया जाता है। अगर प्रतिभूति को उसकी अल्पावधि समय के दौरान खरीदा गया है तो उसका मूल्यांकन परिपक्वता पर आय पद्धति

का प्रयोग कर परिशोधित लागत पर किया जाता है। ऑप्शन विकल्प वाली प्रतिभूतियों के मामले में, इस प्रयोजन हेतु सबसे पहली कॉल ऑप्शन/पुट ऑप्शन वाली तारीख को परिपक्वता तारीख माना जाएगा। मनी मार्केट प्रतिभूतियों का परंपरागत लागत पर मूल्यांकन किया जाता है बशर्ते कि प्रीमियम का परिशोधन या आय पर छूट की वृद्धि परिपक्तवता आधार पर आय से हो।

- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का तुलनपत्र की तारीख को उचित मूल्य पर आकलन किया जाता है। उचित मूल्य का निर्धारण करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, मुंबई (बीएसई) पर बाजार बंद होने के समय उपचय आखिरी मूल्य में से निचले मूल्य को शामिल किया जाता है। अगर एनएसई बाज़ार बंद मूल्य उपलब्ध नहीं हे तो, द्वितीयक एक्सचेंज अर्थात बीएसई लिमिटेड (बीएसई) का मूल्य लिया जाता है।
- असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों, इक्विटी संबद्ध लिखत एवं अधिमानी शेयर को परंपरागत लागत आधार पर मापा जाता है।
- प्रतिभूति उधार देने और उधार लेने के मामले में, उधार दिए गए इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन नीति के अनुसार किया जाता है जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है।
- आईआरडीए द्वारा यथा निर्दिष्ट `इक्विटी' के तहत वर्गीकृत अतिरिक्त टियर-I (बेसल-III अनुपालक) बेमियादी बॉन्ड का मूल्यांकन क्रिसिल से प्राप्त मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- म्यूचुअल फंड यूनिटों में किए गए निवेशों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है।।
- आरईआईटी/इनविट की इकाइयों में निवेश का बाजार मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है (अंतिम उद्धृत मूल्य 30 दिनों के बाद का नहीं होना चाहिए)। बाजार मूल्य का निर्धारण करने के उद्देश्य से, प्राथमिक एक्सचेंज यानी एनएसई पर समापन मूल्य पर विचार किया जाता है। अगर एनएसई बंद भाव किसी सिक्योरिटी के लिए उपलब्ध नहीं है, तो मूल्यांकन के लिए बीएसई बंद भाव का इस्तेमाल किया जाता है। जहां पिछले 30 दिनों के लिए बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, यूनिटों का मूल्यांकन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित इकाइयों के नवीनतम एनएवी (6 महीने से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार किया जाता है।
- उचित मूल्य में परिवर्तनों के कारण होने वाले वसूल नहीं हुए लाभों या हानियों को लाभ एवं हानि खाते में दिखाया जाता है।

3. ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान: :

3.1 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों/निदेशों के आधार पर ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण निम्नानुसार अर्जक और अनर्जक के रूप में किया गया है:

i. अगर ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है; तो सावधि ऋण को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

ii. ओवरड्राफ्ट या नकदी-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता "असंगत" ("आउट ऑफ आर्डर)" रहने अर्थात् बकाया शेष राशि लगातार 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से अधिक हो जाने या तुलनपत्र की तिथि तक लगातार 90 दिनों तक किसी भी राशि को जमा नहीं किए जाने अथवा ये जमाराशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त होने पर इन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है;

iii. क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहने पर उन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है;

iv. कृषि अग्रिमों के मामले में यदि (क) अल्पावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज दो फसल-मौसमों के लिए अतिदेय रहते हैं एवं (ख) दीर्घावधि फसलों के लिए जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल मौसम के लिए अतिदेय रहते हैं, उन्हें अनर्जक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अवमानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है:

i. अवमानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक है।

ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक रही है।

iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि की पहचान की गई है, किंतु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते नहीं डाला गया है।

3.3 विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान किए गए हैं और ये निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन हैं:

अवमानक आस्तियाँ :	i. कुल बकाया पर 15% का सामान्य प्रावधान ii. प्रारंभ से ही अप्रतिभूत ऋण जोखिमों के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति की वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है) iii. इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिम खातों, जहाँ निलंब खाते आदि जैसे कुछ बचाव उपाय उपलब्ध हैं, से संबंधित प्रतिभूति-रहित ऋण जोखिम - 20 %

संदिग्ध आस्तियां : - प्रतिभूत हिस्सा	एक वर्ष तक - 25% एक से तीन वर्ष - 40% तीन वर्ष से अधिक- 100%
अप्रतिभूत हिस्सा	100%
हानिप्रद आस्तियां :	100%

3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में, ऋण एवं अग्रिमों का वर्गीकरण एवं अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान, स्थानीय विनियमों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों इनमें से जो अधिक सख्त हों, के अनुसार किया गया है।

3.5 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर हानियों के लिए किए गए प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है।

3.6 पुनर्रचित/पुन: निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप संबंधित ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान के अलावा पुनर्रचना के पहले एवं बाद ऋण/अग्रिम के उचित मूल्य के अंतर के लिए भी प्रावधान किया जाता है। उपरोक्त मामलों में अंकित मूल्य में कमी एवं छोड़ दिए गए ब्याज के लिए यदि कोई अतिरिक्त प्रावधान किया जाता है, तो वह राशि अग्रिम से घटा दी जाती है।

3.7 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है।

3.8 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण वसूल किए गए वर्ष में आय के रूप में किया गया है।

3.9 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त मानक आस्तियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के “अन्य देयताएँ और प्रावधान- अन्य” शीर्ष के अंतर्गत दिए गए हैं एवं निवल अनर्जक आस्तियों का निर्णय करने के लिए इनको संज्ञान में नहीं लिया जाता है।

3.10 बैंक द्वारा विशिष्ट गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों और परिसंपत्तियों पर अतिरिक्त प्रावधान भी किया जाता है।

3.11 अनर्जक आस्तियों में वसूली का समायोजन निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है:

क. प्रभार, लागत, कमीशन आदि

ख. अप्राप्त ब्याज/ब्याज

ग. मूलधन

तथापि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के जरिए समझौता एवं समाधान/निपटान के मामलों में वसूलियों का समायोजन संबंधित समझौता/समाधान/निपटान की शर्तों के अनुसार किया जाता है। वाद दायर किए गए खातों में वसूली का समायोजन संबंधित न्यायालयों के निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

4. अस्थिर प्रावधान एवं प्रतिचक्रीय (काउंटर साइक्लिकल) प्रावधान बफर :

बैंक में अग्रिमों, निवेश तथा सामान्य प्रयोजनों हेतु अच्छे समय में प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर तथा अस्थायी प्रावधानों के सृजन एवं उपयोग की नीति विद्यमान है। सृजन किए जाने वाले इन अस्थायी प्रावधान एवं प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर की मात्रा का निर्धारण वित्त वर्ष के अंत में किया जाता है। प्रतिचक्रीय प्रावधानों का प्रयोग केवल नीति में निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों में, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति से किया जाता है।

5. बैंकिंग इकाईयों के लिए देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान:

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधानों के अतिरिक्त पृथक देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम श्रेणियों यथा - नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है तथा यह प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं होता है, तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं रखा जाता है। इस प्रावधान को तुलनपत्र की अनुसूची 5 के “अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य” शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

6. डेरीवेटिव्स:

6.1 विदेशी मुद्रा ऑप्शन, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा स्वैप, पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर स्वैप और तुलनपत्र से बाहर/बैलेंस शीट से इतर परिसंपत्तियों और देनदारियों को हेज करने के लिए या व्यापारिक उद्देश्यों के लिए बैंक द्वारा डेरिवेटिव करार किया जाता है। तुलनपत्र की आस्तियों और देयताओं के लिए हेजिंग करने के प्रयोजन से निष्पादित की जाने वाली विनिमय संविदाएं इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मदों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे हेजिंग लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार हिसाब में लिया जाता है।

6.2 हेज के रूप में वर्गीकृत डेरिवेटिव कॉन्ट्रेक्ट्स को संचय के आधार पर दर्ज किया गया है। हेज कॉन्ट्रेक्ट्स की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती, जब तक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएं बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित न की गई हों।

6.3 उपर्युक्त के सिवाय, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएं उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई है। बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। डेरीवेटिव संविदाओं के अंतर्गत प्राप्य राशि, जो 90 दिनों से अधिक समय के लिए अतिदेय रहती है, को लाभ और हानि खाते से

"उचंती खाता - क्रिस्टलाइज्ड रिसीवेबल्स" में प्रतिवर्तित किया गया है। ऐसे मामलों में जहां डेरिवेटिव संविदाएं भविष्य में और अधिक निपटान के अवसर प्रदान करती हैं और यदि ये डेरिवेटिव संविदा के अतिदेय प्राप्य राशियाँ 90 दिनों से अधिक समय तक अदत्त रहने के कारण समाप्त न हो गई हो, तो भावी आगमों से संबंधित सकारात्मक एमटीएम को भी लाभ और हानि खाते से "उचंती खाता - पॉजिटिव एमटीएम" में प्रतिवर्तित किया जाता है।

6.4 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम को ऑप्शन अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है। विक्रय किए गए ऑप्शनों पर प्राप्त प्रीमियम और क्रय किए गए ऑप्शनों पर संदत्त प्रीमियम की शेष राशि का फॉरेक्स ओवर द काउंटर (ओटीसी) ऑप्शनों के लिए बाजार मूल्य पर परिकलन करके बही में शामिल किया गया है।

6.5 सौदों के उद्देश्य से एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स में क्रय-विक्रय किए जाने वाले डेरीवेटिवों में किए गए निवेश को बाजार द्वारा दी गई प्रचलित बाजार दरों के अनुसार मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ तथा हानि को लाभ और हानि खाते में दर्शाया गया है।

7. अचल आस्तियाँ, मूल्यह्रास और परिशोधन:

7.1 अचल आस्तियों का अंकन लागत में से संचित मूल्यह्रास/परिशोधन घटाकर किया गया है। पुनर्मूल्यांकन की तारीख को संचित मूल्यह्रास घटाने के बाद उचित मूल्य होने के कारण पूर्ण स्वामित्व वाले परिसरों का अंकन पुनर्मूल्यांकित राशि पर किया गया है।

7.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागतें और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व अदा की गई प्रोफेशनल फीस शामिल है। उपयोग की गई आस्तियों पर वहन किए गए अनुवर्ती व्यय/व्ययों को केवल तभी पूंजीकरण किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को या इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं। देशी कार्यालयों की अचल आस्तियों का मूल्यह्रास आस्तियों की उपयोगिता अवधि के आधार पर निम्नानुसार सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है:

क्र. सं.	अचल आस्तियों का विवरण	उपयोगिता अवधि
1	कंप्यूटर	3 वर्ष
2	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग है	3 वर्ष
3	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर का अभिन्न अंग नहीं है और सॉफ्टवेयर विकसित करने का खर्च	3 वर्ष
4	ऑटोमेटेड टैलर मशीन/कैश डिपॉजिट मशीन/ क्वाइन डिस्पेंसर/क्वाइन वेंडिंग मशीन	5 वर्ष
5	सर्वर	4 वर्ष
6	नेटवर्क उपकरण	5 वर्ष
7	अन्य प्रमुख अचल आस्तियां :	
	परिसर	60 वर्ष
	वाहन	5 वर्ष
	सुरक्षित जमा लॉकर	20 वर्ष
	फर्नीचर व फिक्सचर	10 वर्ष

7.3 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास वर्ष में आस्ति का उपयोग करने के दिनों के अनुपात के आधार पर प्रभारित किया गया है।

7.4 आस्तियाँ जिनमें से प्रत्येक का मूल्य ₹1000/- से कम था, उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

7.5 पट्टाकृत परिसरों से संबद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो तो, को पट्टा अवधि में (परिसर एवं बेमियादी पट्टे पर भूमि को छोड़कर) परिशोधित किया गया है और परिचालन पट्टे पर ली गई आस्तियों के लिए किए गए पट्टा भुगतानों को पट्टे की अवधि में सीधी रेखा आधार पर लाभ एवं हानि खाते में व्यय के रूप में हिसाब में लिया गया है।

7.6 विदेश स्थित कार्यालयों की अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है।

7.7 बैंक प्रत्येक तीन वर्षों में पूर्ण स्वामित्व की अचल आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन करता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण आस्ति के निवल बही मूल्य में वृद्धि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षित खाते में जमा किया जाता है। इन्हें लाभ और हानि खाते में नहीं दिखाया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्ति के मूल्यह्रास को लाभ एवं हानि खाते को प्रभारित किया जाता है और पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों से अन्य राजस्व आरक्षिति को विनियोजित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित आस्तियों पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यांकन के समय यथामूल्यांकित आस्तियों की शेष उपयोगी अवधि पर किया जाता है।

8. पट्टे :

ऊपर पैरा 3 में निर्धारित किए गए अनुसार आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंड वित्तीय पट्टों पर भी लागू हैं।

9. आस्तियों के मूल्य में कमी:

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की उचित राशि की वसूली होना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों के मूल्य में आई कमी की समीक्षा की जाती है। धारित और प्रयुक्त आस्तियों की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति की उचित राशि की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है, तो अपसामान्यता का माप उस राशि के आधार पर किया जाता है, जो आस्ति की उचित राशि और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर होता है।

10. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव:

10.1 विदेशी मुद्रा लेनदेन :

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को प्रारंभिक निर्धारण पर सूचित मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है तथा इसके लिए लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि का प्रयोग किया जाता है।

ii. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा अधिसूचित अंतिम (फॉरवर्ड/स्पॉट) दरों का प्रयोग करके रिपोर्ट की जाती है।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके रिपोर्ट की जाती है।

iv. विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना एफईडीएआई की अंतिम स्पॉट रेट का प्रयोग करके रिपोर्ट की जाती है।

v. व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया विदेशी मुद्रा स्पॉट एवं फॉरवर्ड संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

vi. वह विदेशी मुद्रा फॉरवर्ड संविदाएं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, को क्लोज़िंग स्पॉट दर पर पुनः मूल्यांकन किया जाता है। ऐसी फॉरवर्ड एक्सचेंज संविदा के प्रारंभ से उत्पन्न प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।

vii. आरंभ में दर्ज की गई दरों से भिन्न दरों पर मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न विनिमय अंतर राशियों को उसी अवधि की आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसमें ये अंतर उत्पन्न हुआ है।

viii. मुद्रा वायदा व्यापार में विदेशी मुद्रा दरों की खुली स्थिति में हुए परिवर्तनों के कारण हुए लाभ/हानि को विदेशी मुद्रा समाशोधन गृह से प्रतिदिन निर्धारित किया जाता है और इस लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।

10.2 विदेशी परिचालन :

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और ओवरसीज़ बैंकिंग इकाइयों (ओबीयू) को गैर-समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. गैर-समाकलित परिचालन:

i. गैर समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक और गैर-मौद्रिक दोनों विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।

ii. गैर समाकलित विदेशी परिचालनों की आय एवं व्यय को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित तिमाही की औसत अंतिम दर पर परिवर्तित किया गया है।

iii. निवेश का निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर- राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षिति में किया गया है।

iv. विदेशी कार्यालयों की विदेशी मुद्रा में आस्तियां और देयताएं (विदेश स्थित कार्यालयों की स्थानीय मुद्रा के अलावा) तुलनपत्र की तिथि उस देश पर लागू हाजिर दर का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा में परिवर्तित किया गया है।

ख. समाकलन परिचालन:

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन को प्रारंभिक निर्धारण पर सूचित मुद्रा में रिकॉर्ड किया जाता है तथा इसके लिए लेनदेन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि का प्रयोग किया जाता है।

ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को एफईडीएआई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों (हाजिरी/वादा) पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है। आकस्मिक देयताएं हाजिर (स्पॉट) दर पर रूपांतरित की गई हैं।

iii. विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित मुद्रा विनिमय दरों का प्रयोग करके रिपोर्ट की जाती है।

11. कर्मचारी हितलाभ :

11.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ :

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, जिसको कि कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, ऐसे अल्पावधि कर्मचारी हितलाभों की गैर-बट्टाकृत राशियों को कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है।

11.2 दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ:

i. नियत हितलाभ योजनाएं :

क. भारतीय स्टेट बैंक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है। सभी पात्र कर्मचारी बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत ये हितलाभ

प्राप्त करने के हकदार हैं। बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है। इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास को प्रेषित कर दिया जाता है तथा इसे लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है। बैंक इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है। यदि कोई कमी हो, तो बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उसका प्रावधान किया जाता है।

एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड भविष्य निधि में योगदान करती है। भविष्य निधि का संचालन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। योजनाओं के अधीन संदत्त या संदेय अभिदाय उस अवधि के दौरान लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, वैधानिक दर के अनुसार ब्याज देयता की तुलना में अंशदान पर देय ब्याज पर देय ब्याज की कमी को मान्यता देने के लिए एक स्वतंत्र लेखा द्वारा वार्षिक आधार पर बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है।

ख. बैंक, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है। बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है। यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति या नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने या नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूल वेतन के समतुल्य राशि होती है, जो सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अध्यधीन रहती है। यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है। बैंक इस राशि का आवधिक अंशदान, वार्षिक स्वतंत्र बाह्य बीमांकिक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है।

ग. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है। यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और यह भुगतान कर्मचारियों को नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है। यह हितलाभ नियमों के अनुसार विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है। बैंक एसबीआई पेंशन निधि नियमों के अनुसार पेंशन निधि में वेतन के 10% का मासिक अंशदान करता है। पेंशन-देयता की गणना वार्षिक स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यन के आधार पर की जाती है और बैंक आवश्यक होने पर पेंशन विनियमों के अंतर्गत हितलाभों के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए आवधिक आधार पर इस निधि में अतिरिक्त अंशदान करता है।

घ. नियत हितलाभ प्रदान करने संबंधी लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर बीमांकिक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। बीमांकिक लाभ/हानि को लाभ और हानि में तुरंत शामिल कर दिया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है।

ii. **नियत अंशदान योजना :**

बैंक ने 01 अगस्त 2010 को या उसके बाद बैंक में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना लागू की है, जो एक नियत अंशदान योजना है और ऐसे नए कर्मचारी बैंक की वर्तमान पेंशन योजना के सदस्य बनने के पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत आने वाले कर्मचारी, अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की 10% राशि को अंशदान के रूप में जमा करेंगे और इतनी ही राशि बैंक अपनी ओर से देगा। संबंधित कर्मचारी की पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने तक इन अंशदानों को बैंक में जमा रखा जाएगा एवं इस जमा पर किसी चालू भविष्य निधि खाते के समकक्ष ब्याज दिया जाएगा। बैंक इन वार्षिक अंशदानों एवं इन पर दिए जाने वाले ब्याज को संबंधित वर्ष के खर्च के रूप में परिगणित करता है। स्थायी सेवानिवृति खाता संख्या की प्राप्ति पर समेकित अंशदान राशि को एनपीएस न्यास में अंतरित कर दिया जाता है।

iii. **अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ :**

क. बैंक का प्रत्येक पात्र कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा-रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है। इस प्रकार के दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत के लिए निधि बैंक द्वारा आंतरिक स्रोत से उपलब्ध कराई जाती है।

ख. अन्य दीर्घावधि हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को बीमांकिक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया जाता है। पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि में तुरंत शामिल कर दिया जाता है और उन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है।

11.3 विदेश स्थित कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के कर्मचारी हितों को संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों/विनियमों के अनुसार मूल्यांकित एवं लेखांकित किया जाता है।

12. खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुसार व्यवसाय खंड को प्राथमिक रिपोर्ट खंड तथा भौगोलिक खंड को द्वितीयक रिपोर्टिंग खंड के रूप में मानता है।

13. आय पर कर :

बैंक द्वारा भुगतान की गई वर्तमान कर तथा आस्थगित कर व्यय की कुल राशि आयकर व्यय होता है। चालू वर्ष के कर तथा आस्थगित कर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 तथा लेखा मानक 22, जो 'आय पर कर का लेखांकन' से संबंधित है, के अनुसार किया जाता है और ऐसा करते समय विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा संबंधित देशों के कर नियमों के अनुसार भुगतान किए गए कर को भी शामिल किया जाता है। आस्थगित कर समायोजनों में वर्ष के दौरान आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में हुए परिवर्तन भी समाविष्ट हैं। आस्थगित कर-आस्तियों और देयताओं का आकलन वर्तमान वर्ष की कर योग्य आय और लेखा आय तथा अग्रनीत हानि के बीच के अवधिगत अंतर के प्रभाव पर विचार करते हुए किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तारीख को लागू या बाद में लागू कर दरों और कर नियमों द्वारा मापा जाता है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है। क्या आस्थगित कर आस्तियों की वसूली निश्चित है, इस बारे में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर उनको प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को हिसाब में लिया जाता है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। अग्रानीत आस्थगित कर आस्तियों को गैर-आमेलित मूल्यह्रास और कर घाटा के रूप में तभी माना जाता है, जब यह निश्चित रूप से प्रमाण द्वारा समर्थित हो कि इस तरह की आस्थगित कर संपत्ति को भविष्य के लाभ के रूप में वसूल किया जा सकता है।

समेकित वित्तीय विवरण् में, आयकर व्यय बैंक एवं उसकी अनुपंगियों / संयुक्त उद्यमों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में उनके लागू कानूनों के अनुसार प्रदर्शित होने वाले कर व्यय की कुल राशि है।

14. प्रति शेयर आय:

14.1 बैंक आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक - 20 "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय सूचित करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना इक्विटी शेयरधारकों को प्राप्य उस वर्ष के कर पश्चात निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

14.2 कम की हुई प्रति शेयर आय से वह संभावित कमी सूचित होती है, जो इक्विटी शेयरों को जारी करने हेतु प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने पर घटती है। कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना वाले इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है।

15. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:

15.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी लेखा मानक 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ" के अनुरूप बैंक प्रावधान को तभी मानता है, जब उसमें पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व उत्पन्न हुआ हो और इससे देयता की पूर्ति करने के लिए आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों का संभावित बहिर्गमन हो तथा जब देयता की राशि का सही आकलन किया जा सके।

15.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का समावेश नहीं किया गया है:

i. पिछले परिणामों से उत्पन्न किसी संभावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा

ii. किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उत्पन्न हुआ है, किंतु उसे संज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि :-

क. यह संभव नहीं है कि दायित्व की पूर्ति हेतु आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा

ख. दायित्व की पूर्ति हेतु राशि का सही आकलन नहीं किया जा सकता।

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है। इन दायित्वों का मूल्यांकन नियमित अंतरालों पर किया जाता है। केवल उन अपवादात्मक परिस्थितियों जहां, कोई सही आकलन नहीं किया जा सकता, को छोड़कर ऐसे दायित्व के केवल उस अंश के लिए प्रावधान किया जाता है, जिसके आर्थिक लाभों से जुड़े संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना है।

15.3 बैंक के डेबिट कार्डधारकों को दिए जाने वाले रिवार्ड प्वाइंट्स के लिए प्रावधान बीमांकिक के आकलन के अनुसार किया जा रहा है।

15.4 जब किसी संविदा से बैंक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले अपेक्षित लाभ, उस संविदा के अधीन भावी दायित्वों को पूरा करने की अपरिहार्य लागत से कम होते हैं तो अवधिक संविदाओं के लिए उपबंध मान्य होते हैं। प्रावधान राशि का निर्धारण संविदा को समाप्त करने के संभावित न्यूनतम व्यय के वर्तमान मूल्य एवं संविदा को जारी रखने के संभावित निवल व्यय पर किया जाता है। प्रावधान की राशि का निर्धारण करने से पूर्व बैंक द्वारा संविदा से जुड़ी आस्तियों पर नुकसान को हिसाब में लिया जाता है।

15.5 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है।

16. सर्राफा लेनदेन:

बैंक अपने ग्राहकों को बेचने के लिए परेषण आधार पर बहुमूल्य धातुओं की छड़ों समेत सर्राफा का आयात करता है। ये आयात सामान्यता दुतरफा आधार पर होते हैं और ग्राहकों के लिए इनकी कीमत आपूर्तिकर्ता द्वारा मांगी गई कीमत के आधार पर तय होती है। बैंक इस तरह के सर्राफा लेनदेन पर शुल्क के रूप में आय प्राप्त करता है। इस शुल्क की गणना कमीशन आय के अंतर्गत होती है। बैंक द्वारा स्वर्ण जमा किया जाता है और इस पर उधार भी देता है, जिसे जमा/अग्रिम (जो भी हो) माना जाता है। इसमें भुगतान किए गए/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। स्वर्ण जमा, धातु ऋण अग्रिम तथा अंतिम स्वर्ण शेष को तुलन-पत्र की तिथि पर उपलब्ध बाजार दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है।

17. विशेष आरक्षित निधियां:

राजस्व एवं अन्य आरक्षित निधियों में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (i) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि भी शामिल है। बैंक के निदेशक मंडल ने एक संकल्प पारित कर इस आरक्षित निधि के सृजन के लिए अनुमोदन किया है और यह भी पुष्टि की है कि उसका इस विशेष आरक्षित निधि से आहरण करने की कोई मंशा नहीं है।

18. शेयर निर्गम व्यय :

शेयर निर्गम व्यय हेतु शेयर प्रीमियम खाते को प्रभारित किया जाता है।

19. नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के पास का नकद एवं शेष, बैंकों में शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय धन शामिल है।

अनुसूची 18 लेखा टिप्पणियां :

1. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए शामिल की गई अनुषंगियां/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों की सूची:

समेकित वित्तीय विविरण तैयार करने में जिन 14 ग्रामीण बैंको सहित 27 अनुषंगियों 8 संयुक्त उद्यमों एवं 18 सहयोगियो, वर्ष के दौरान विलय / निकास की संबंधित तिथियों से / तक (जो मुख्य संस्था भारतीय स्टेट बैंक के साथ समूह बनाते हैं) शामिल हैं, का विविरण निम्नानुसार है-

ए) अनुषंगियां:

क्रमांक	सहायक का नाम	निगमन देश	समूह की हिस्सेदारी (%)	
			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
2)	एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
3)	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
4)	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
5)	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लिमिटेड	सिंगापुर	100.00	100.00
6)	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	72.17	72.17
7)	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	भारत	86.18	86.18
8)	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
9)	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	100.00	100.00
10)	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्रा. लिमिटेड@	भारत	74.00	74.00
11)	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	92.52	92.58
12)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	55.48	55.50
13)	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	69.96	70.00
14)	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड	भारत	69.20	69.39
15)	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्रा. लिमिटेड @	भारत	65.00	65.00
16)	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड @	भारत	62.59	62.88
17)	एसबीआई फंड मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड @	मारीशस	62.59	62.88
18)	वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी, मास्को @	रूस	60.00	60.00
19)	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड (07.09.2021 तक)	बोत्सवाना	100.00	100.00
20)	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	100.00	100.00
21)	भारतीय स्टेट बैंक (कैलीफोर्निया)	अमेरिका	100.00	100.00
22)	भारतीय स्टेट बैंक (यूके) लिमिटेड	यूके	100.00	100.00
23)	भारतीय स्टेट बैंक सर्विको लिमिटाडा	ब्राज़ील	100.00	100.00
24)	एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड	मॉरीशस	96.60	96.60
25)	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	99.34	99.00
26)	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल	55.00	55.00
27)	नेपाल एसबीआई मर्चेंट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	55.00	55.00

@ उन कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है जो शेयरधारकों के समझौते के अनुसार संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं हैं. हालाँकि, इन्हें सहायक कंपनियों के रूप में एएस 21 “समेकित वित्तीय विवरण” के अनुसार समेकित किया जाता है क्योंकि इन कंपनियों में एसबीआई की हिस्सेदारी 50% से अधिक है.

बी) संयुक्त उद्यम:

क्रमांक	संयुक्त उद्यम का नाम	निगमन - देश	समूह की हिस्सेदारी (%)	
			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1)	सी - एज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	भारत	49.00	49.00
2)	एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड	भारत	45.00	45.00
3)	एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लिमिटेड	भारत	45.00	45.00
4)	मैक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई. लिमिटेड	सिंगापुर	45.00	45.00
5)	मैक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लिमिटेड	बरमुडा	45.00	45.00
6)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड	भारत	50.00	50.00
7)	ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड	भारत	50.00	50.00
8)	जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	भारत	30.00	30.00

सी) सहयोगी:

क्रमांक	सहयोगी का नाम	इसके निगमन का देश	समूह की हिस्सेदारी (%)	
			वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1)	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	35.00	35.00
2)	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
3)	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
4)	एलाक्वाई देहाती बैंक	भारत	35.00	35.00
5)	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
6)	मेघालय ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
7)	मिजोरम ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
8)	नागालैंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
9)	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
10)	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
11)	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
12)	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
13)	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
14)	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	35.00	35.00
15)	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड	भारत	20.05	20.05
16)	येस बैंक लिमिटेड	भारत	30.00	30.04
17)	बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड	भूटान	20.00	20.00
18)	इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	भारत	19.70	-

क) अनुमोदित कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) के तहत विकल्पों का प्रयोग करने के अनुसरण में, निम्नलिखित समूह संस्थाओं ने अपने पात्र कर्मचारियों को इक्विटी शेयर जारी किए हैं: -

i) एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 10 प्रत्येक के 26,47,033 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। नतीजतन, एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड में एसबीआई की हिस्सेदारी 69.39% से घटकर 69.20% हो गई है।

ii) एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 10 प्रत्येक के 2,99,654 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। नतीजतन, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एसबीआई की हिस्सेदारी 55.50 % से घटकर 55.48% हो गई है।

iii) एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 1 प्रत्येक के 23,80,464 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। नतीजतन, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड में एसबीआई समूह की हिस्सेदारी 62.88% से घटकर 62.59% हो गई है। नतीजतन, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड और एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड में एसबीआई ग्रुप की हिस्सेदारी क्रमशः 62.88% और 92.58% से घटकर 62.59% और 92.52% हो गई है।

iv) एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने मार्च 31,2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 10 प्रत्येक के 1,16,720 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं। नतीजतन, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एसबीआई की हिस्सेदारी 70.00% से घटकर 69.96% हो गई है।

v) येस बैंक लिमिटेड ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 2 प्रत्येक के 47,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं।

b) डीएफएस अधिसूचना के अनुसार डीओ. सं. 3/9/2020-आरआरबी दिनांक 21 फरवरी, 2022 के अनुसार, एसबीआई ने निम्नलिखित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में अपने हिस्से की अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया है। पूंजी निवेश के बाद एसबीआई की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

₹ करोड़ में

क्रमांक	आरआरबी का नाम	एसबीआई द्वारा निवेश की गई राशि
i.	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	0.46
ii.	एलाक्वाई देहाती बैंक	34.92
iii.	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	1.59
iv.	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	198.59
v.	मिजोरम ग्रामीण बैंक	11.82
vi.	नागालैंड ग्रामीण बैंक	2.36
vii.	उत्कल ग्रामीण बैंक	239.16
viii.	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	38.84
	कुल	**527.74**

एसबीआई द्वारा एलाक्वाई देहाती बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, मिजोरम ग्रामीण बैंक और उत्कल ग्रामीण बैंक में निवेश की गई अतिरिक्त पूंजी राशि अब शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट के तहत रखी गई हैं।

ग) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, एसबीआई ने निम्नलिखित में अतिरिक्त पूंजी निवेश किया है:

i) संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड में ₹ 9.48 करोड़ का निवेश। पूंजी निवेश के बाद एसबीआई की हिस्सेदारी में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

ii) एक अनुषंगी कंपनी, पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया, में ₹ 341.26 करोड़ का निवेश। नतीजतन, अनुषंगी में एसबीआई की हिस्सेदारी 99.00% से बढ़कर 99.34% हो गई है।

घ) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड एवं अनुषंगी ने येस बैंक लिमिटेड, के 94,01,256 इक्विटी शेयर बेचे हैं जिसमें ₹ 0.69 करोड़ का लाभ हुआ है। नतीजतन, येस बैंक लिमिटेड में समूह की हिस्सेदारी 30.04% से घटकर 30.00% हो गई है।

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए पिछले वर्ष में, एसबीआई और उसकी सहायक कंपनी ने फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर के माध्यम से एक सहयोगी येस बैंक लिमिटेड के इक्विटी शेयरों में ₹ 3,176 करोड़ का निवेश किया था। इसके बाद, एसबीआई की सहायक कंपनी ने येस बैंक लिमिटेड के शेयरों का एक निश्चित हिस्सा बेच दिया है । 31 मार्च, 2021 को समूह की हिस्सेदारी घटकर 30.04% हो गई, जो 31 मार्च, 2020 को 48.21% थी।

ङ) बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड, एसबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने 30 जून, 2021 को स्थानीय नियामक के अनुमोदन से अपना बैंकिंग लाइसेंस सरेंडर कर दिया है। कंपनी को 07 सितंबर, 2021 को कंपनी और बौद्धिक संपदा प्राधिकरण, बोत्सवाना से भी अपंजीकृत कर दिया गया है।

च) एसबीआईकैप (सिंगापुर) लिमिटेड और एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के वित्तीय विवरण गैर-कार्यशील संस्था आधार पर शामिल किए गए है। हालांकि, लेखा आधार को गैर-कार्यशील संस्था आधार पर से वित्तीय विवरण पर कोई भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता है। विवरण इस प्रकार है:-

i) एसबीआईकैप (सिंगापुर) लिमिटेड, एसबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी, ने सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ('एमएएस') द्वारा जारी अपने पूंजी बाजार सेवा लाइसेंस (सीएमएसएल) को सरेंडर करने के लिए आवेदन किया था। एमएएस ने 04 मई, 2021 को एक ईमेल के माध्यम से ईमेल की तारीख से कैपिटल मार्केट सर्विस लाइसेंस को रद्द करने की मंजूरी दी। 31 दिसंबर, 2021 को निदेशक मंडल ने कंपनी को बंद करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और इस तरह के समापन के उद्देश्य के लिए लिक्विडेटर नियुक्त किया।

ii) एसबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने 11 जनवरी, 2022 को हुई अपनी बोर्ड बैठक में "स्वैच्छिक परिसमापन" के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। अनुषंगी ने एक लिक्विडेटर नियुक्त किया है तथा यह दिवालियापन और शोधन संहिता 2016 के तहत परिसमापन की प्रक्रिया में है।

2022 को समाप्त वर्ष के लिए उपरोक्त अनुषंगियों की कुल संपत्ति, कुल आय और कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि) निम्नानुसार है: -

₹ करोड़ में

विवरण	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लिमिटेड	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
कुल आस्ति	59.88	3.89
कुल आय	0.89	0.09
कर के बाद शुद्ध लाभ / (हानि)	(1.69)	(7.86)

छ) एसबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड ने इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी) में ₹ 55.00 करोड़ का निवेश करके 19.70% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी को एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड द्वारा एक सहयोगी के रूप में माना जाता है।

ज) एसबीआई की अनुषंगी, एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। तदनुसार, अनुषंगी का नाम बदलकर “एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड” कर दिया गया है।

झ) एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड, एक सहयोगी जिसमें समूह की 26% हिस्सेदारी है, परिसमापन के अधीन है और इसलिए, लेखा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समेकन के लिए विचार नहीं किया जा रहा है।

त्र) चूंकि एसबीआई फाउंडेशन एक गैर-लाभकारी कंपनी है [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7(2) के तहत निगमित], एसबीआई फाउंडेशन को लेखा मानक 21 के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में समेकन के लिए विचार नहीं किया जा रहा है।

1.2 समूह के वित्तीय वर्ष 2021-22 के समेकित वित्तीय विवरणों में एक अनुषंगी (एसबीआई कनाडा बैंक) और एक सहयोगी (बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड) के गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण शामिल हैं, जिसके परिणाम महत्वपूर्ण नहीं हैं।

2. लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण

2.1 लेखा मानक 5 - “अवधि के लिए शुद्ध लाभ या हानि, पूर्व अवधि की मदें और लेखा नीतियों में परिवर्तन”

- वर्ष के दौरान, महत्वपूर्ण पूर्व अवधि आय/व्यय के मद नहीं थे।
- 2021-2022 के दौरान अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में पिछले वित्तीय वर्ष 2020-2021 की तुलना में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

2.2 लेखा मानक- 15 “कर्मचारी हित लाभ”:

2.2.1 नियत हितलाभ योजनाएं

2.2.1.1 कर्मचारी पेंशन योजनाएँ और उपदान योजनाएँ

निम्नलिखित तालिका एएस 15 (संशोधित 2005) के तहत आवश्यक नियत हित लाभ पेंशन योजनाओं और उपदान योजना की स्थिति निर्धारित करती है:

₹ करोड़ में

विवरण	पेंशन योजनाएं		उपदान योजनाएं	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2021 को आरंभिक नियत हितलाभ दायित्व	**1,25,806.37**	**1,09,830.37**	**13,727.65**	**13,090.13**
वर्तमान सेवा लागत	914.92	970.09	499.18	469.35
ब्याज लागत	8,680.64	7,501.41	933.40	893.87
पिछली सेवा लागत (निहित लाभ)	11,124.14	-	8.35	-
बीमांकिक हानियां /(लाभ)	9,789.06	15,822.32	46.35	1,195.02
भुगतान किया गया लाभ	(4,926.71)	(3,475.67)	(2,179.92)	(1,920.72)
एसबीआई द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान	(5,263.43)	(4,842.15)	-	-
31 मार्च 2022 को अंतिम नियत हित लाभ दायित्व	**1,46,124.99**	**1,25,806.37**	**13,035.01**	**13,727.65**

₹ करोड़ में

विवरण	पेंशन योजनाएं		उपदान योजनाएं	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
योजना आस्तियों में परिवर्तन				
1 अप्रैल 2021 को योजनागत आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	**1,06,445.86**	**97,458.52**	**11,210.84**	**10,775.10**
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	7,344.76	6,656.42	762.11	735.81
नियोक्ता द्वारा अंशदान	22,163.77	2,100.68	1,504.26	1,277.03
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान	-	-	-	-
भुगतान किया गया लाभ	(4,926.71)	(3,475.67)	(2,179.92)	(1,920.72)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ / (हानि)	(436.95)	3,705.91	(74.83)	343.62
31 मार्च 2022 को योजनागत आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य	**1,30,590.73**	**1,06,445.86**	**11,222.46**	**11,210.84**
दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान				
31 मार्च 2022 को निधिगत दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1,46,124.99**	**1,25,806.37**	**13,035.01**	**13,727.65**
31 मार्च 2022 पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	1,30,590.73	106,445.86	11,222.46	11,210.84
घाटा/(अधिशेष)	15,534.26	19,360.51	1,812.55	2,516.81
गैर-मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत (निहित) समापन शेष	-	-	-	-
गैर-मान्यता प्राप्त संक्रमणकालीन देयता समापन शेष	-	-	-	-
शुद्ध देयता /(संपत्ति)	**15,534.26**	**19,360.51**	**1,812.55**	**2,516.81**
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि				
देयताएं	1,46,124.99	1,25,806.37	13,035.01	13,727.65
आस्तियों	1,30,590.73	1,06,445.86	11,222.46	11,210.84
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता/(आस्ति)	15,534.26	19,360.51	1,812.55	2,516.81
गैर-मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत (निहित) समापन शेष	-	-	-	-
गैर-मान्यता प्राप्त संक्रमणकालीन देयता समापन शेष	-	-	-	-
निवल देयता/(आस्ति)	**15,534.26**	**19,360.51**	**1,812.55**	**2,516.81**
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त शुद्ध लागत				
वर्तमान सेवा लागत	914.92	970.09	499.18	469.35
ब्याज लागत	8,680.64	7,501.41	933.40	893.87
योजनागत आस्ति पर संभावित लाभ	(7,344.76)	(6,656.42)	(762.11)	(735.81)
कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित योगदान	-	-	-	-
पिछली सेवा लागत (परिशोधन) मान्यता प्राप्त	-	-	-	-
पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) मान्यता प्राप्त	11,124.14	-	8.35	-
वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक हानियां / (लाभ)	10,226.01	12,116.41	121.18	851.40
अनुसूची 16 में शामिल नियत हित लाभयोजनाओं की कुल लागत "कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान"	**23,600.95**	**13,931.49**	**800.00**	**1,478.81**
प्रत्याशित प्रतिलाभ और योजनागत आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ का मिलान				
योजनागत आस्तियों पर संभावित लाभ	7,344.76	6,656.42	762.11	735.81
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(436.95)	3,705.91	(74.83)	343.62
योजनागत आस्तियों पर वास्तविक लाभ	**6,907.81**	**10,362.33**	**687.28**	**1,079.43**

₹ करोड़ में

विवरण	पेंशन योजनाएं		उपदान योजनाएं	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
तुलन पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेष व इतिशेष का समाधान				
1 अप्रैल 2021 के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता/(आस्ति)	**19,360.51**	**12,371.85**	**2,516.81**	**2,315.03**
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	23,600.95	13,931.49	800.00	1,478.81
एसबीआई द्वारा सीधे भुगतान किया गया	(5,263.43)	(4,842.15)	-	-
अन्य प्रावधान के लिए नामे डाला गया	-	-	-	-
आरक्षित निधियों में शामिल	-	-	-	-
नियोक्ता का अंशदान	(22,163.77)	(2,100.68)	(1,504.26)	(1,277.03)
तुलन पत्र में शामिल की गई निवल देयता/(आस्ति)	**15,534.26**	**19,360.51**	**1,812.55**	**2,516.81**

31 मार्च, 2022 को उपदान निधि और पेंशन निधि की योजनागत आस्ति के तहत किए गए निवेश इस प्रकार हैं:

आस्ति की श्रेणी	पेंशन निधि	उपदान निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार प्रतिभूति	19.72%	18.72%
राज्य सरकार प्रतिभूति	34.84%	36.04%
ऋण प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियां और बैंक जमा	31.50%	29.65%
ईटीएफ और म्यूचुअल फंड	10.26%	9.96%
बीमाकर्ता प्रबंधित निधि	1.31%	4.03%
अन्य	2.37%	1.60%
कुल	**100.00%**	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक आकलन:

विवरण	पेंशन योजनाएं	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.35%	6.90%
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर	7.35%	6.90%
वेतन वृद्धि दर	5.80%	5.60%
पेंशन वृद्धि दर	1.60%	1.20%
पलायन दर	2.00%	2.00%

विवरण	उपदान योजनाएं	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.27%	6.82%
योजना आस्ति पर प्रत्याशित प्रतिलाभ दर	7.27%	6.82%
वेतन वृद्धि दर	5.80%	5.60%
पलायन दर	2.00%	2.00%

अगले वर्ष के लिए पेंशन और उपदान निधि में अपेक्षित योगदान क्रमशः ₹3,150.25 करोड़ और ₹1,783.97 करोड़ है।

एसबीआई के मामले में, योजना आस्तियों को सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त प्रतिलाभ के आधार पर विपणन करने हेतु चिन्हित किया गया है, अपेक्षित दर को बट्टा दर के समान रखा गया है।

भविष्य के वेतन वृद्धि के अनुमान, बीमांकिक मूल्यांकन में शामिल, मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और रोजगार बाजार में आपूर्ति और मांग जैसे अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। इस तरह के अनुमान बहुत लंबी अवधि के हैं और सीमित अतीत के अनुभव /तत्काल भविष्य पर आधारित नहीं हैं। अनुभवजन्य साक्ष्य यह भी बताते हैं कि बहुत लंबी अवधि में, लगातार उच्च वेतन वृद्धि दर संभव नहीं है। उक्त अनुमानों और आकलन पर लेखापरीक्षकों ने विश्वास किया है।

पेंशन फंड को और मजबूत करने की दृष्टि से, कुछ अनुमानों को ऊपर की ओर संशोधित करने का निर्णय लिया गया।

2.2.1.2 कर्मचारी भविष्य निधि

भविष्य निधि ट्रस्ट में ब्याज की कमी के संबंध में किया गया बीमांकिक मूल्यांकन “शून्य” देयता दर्शाता है, इसलिए वित्त वर्ष 2021-22 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

निम्नलिखित तालिका स्वतंत्र बीमांककों द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार भविष्य निधि की स्थिति को निर्धारित करती है:

₹ करोड़ में

विवरण	भविष्य निधि	
	वर्तमान वर्ष	**पिछला वर्ष**
नियत हित लाभदायित्व का वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2021 को आरंभिक नियत हित लाभदायित्व	**35,946.22**	**31,744.55**
वर्तमान सेवा लागत	1,527.66	3,320.40
ब्याज लागत	2,976.21	2,610.99
कर्मचारी अंशदान (वीपीएफ सहित)	2,037.09	2,636.54
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	150.44	51.85
भुगतान किया गया लाभ	(5,130.09)	(4,418.11)
31 मार्च 2022 को समाप्त नियत हित लाभदायित्व	**37,507.53**	**35,946.22**
योजना आस्ति में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2021 को योजनागत आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य	**37,036.39**	**32,648.72**
योजनागत आस्ति पर संभावित लाभ	2,976.21	2,610.99
योगदान	3,564.74	5,956.94
अनर्जक निवेश की परिपक्वता पर हानि का प्रावधान	-	(60.59)
भुगतान किया गया लाभ	(5,130.09)	(4,418.11)
योजनागत आस्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(20.42)	298.44
31 मार्च 2022 तक योजनागत परिसंपत्तियों का अंतिम उचित मूल्य	**38,426.83**	**37,036.39**
दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजनागत आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2022 को वित्तपोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	37,507.53	35,946.22
31 मार्च 2022 पर योजनागत आस्तियों का उचित मूल्य	38,426.83	37,036.39
घाटा/(अधिशेष)	(919.30)	(1,090.17)
तुलन पत्र में निवल आस्ति की पहचान नहीं की गई	**919.30**	**1,090.17**
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त शुद्ध लागत		
वर्तमान सेवा लागत	1,527.66	3,320.40
ब्याज लागत	2,976.21	2,610.99
योजनागत आस्ति पर संभावित लाभ	(2,976.21)	(2,610.99)
प्रतिवर्ती ब्याज की कमी	-	(11.58)
अनुसूची 16 में शामिल नियत हित लाभयोजनाओं की कुल लागत "कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान"	**1,527.66**	**3,308.82**
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता / (आस्ति) आरंभ और बंद करने का समाधान		
1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक निवल देयताएं	-	-
उपरोक्तानुसार व्यय	1,527.66	3,308.82
नियोक्ता का अंशदान	(1,527.66)	(3,308.82)
तुलन पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	**-**	**-**

31 मार्च, 2022 तक भविष्य निधि की योजनागत आस्ति के तहत निवेश इस प्रकार हैं:

आस्ति की श्रेणी	भविष्य निधि
	योजना आस्ति का %
केंद्र सरकार प्रतिभूति	32.61%
राज्य सरकार प्रतिभूति	29.23%
ऋण प्रतिभूतियां, मुद्रा बाजार प्रतिभूतियां और बैंक जमा	30.46%
ईटीएफ और म्यूचुअल फंड	5.71%
अन्य	1.99%
कुल	**100.00%**

प्रमुख बीमांकिक आकलन

विवरण	भविष्य निधि	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	7.27%	6.82%
गारंटीकृत प्रतिभा	8.50%	8.50%
पलायन दर	2.00%	2.00%
वेतन वृद्धि	5.80%	5.60%

i) एसबीआई कर्मचारी भविष्य निधि के तहत देयता पर गारंटीकृत प्रतिभा लागू है जो नीचे दिए गए बिंदुओं से कम नहीं हो सकता है:

(a) पूर्ववर्ती वर्ष में बारह महीनों के लिए निर्धारित नई जमाराशियों के लिए एसबीआई द्वारा उद्धृत औसत मानक दर (एक चौथाई प्रतिशत से ऊपर या नीचे समायोजित) से एक आधा प्रतिशत (मार्च के पूर्ववर्ती 31वें दिन समाप्त); या

(b) प्रति वर्ष तीन प्रतिशत, कार्यकारी समिति के अनुमोदन के अधीन।

ii) किसी ट्रस्ट द्वारा प्रशासित एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के भविष्य निधि के नियमों के अनुसार यदि न्यासी बोर्ड, निवेश पर कम प्रतिफल या किसी अन्य कारण से सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के पैरा 60 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के लिए घोषित दर पर ब्याज का भुगतान करने में असमर्थ है, तो उस कमी को कंपनी द्वारा पूरा किया जाएगा।

2.2.2 नियत योगदान योजनाएं

2.2.2.1 कर्मचारी भविष्य निधि

समूह द्वारा भविष्य निधि योजना हेतु ₹ 56.65 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 47.48 करोड़) की राशि का अंशदान दिया गया है (नोट 2.2.1.2 में शामिल संस्थाओं को छोड़कर) और इसे लाभ और हानि खाता में "कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

2.2.2.2 नियत अंशदान पेंशन योजना

एसबीआई की एक नियत अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) है जो 1 अगस्त 2010 को या उसके बाद एसबीआई में शामिल होने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए लागू है। इस योजना का प्रबंधन पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के तत्वावधान में एनपीएस ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड को एनपीएस के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एसबीआई ने ₹1,177.54 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 648.17 करोड़) का अंशदान दिया है ।

2.2.2.3 नियत अंशदान योजनाओं के लिए समूह (एसबीआई को छोड़कर) द्वारा निम्नलिखित राशि प्रदान की जाती है:

₹ करोड़ में

क्रमांक	दीर्घकालिक कर्मचारियों के लाभ	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	पीएफ अधिनियम के तहत कर्मचारी पेंशन योजना	35.53	32.54
2	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली	7.92	6.94
3	अन्य	10.40	10.05
कुल		**53.85**	**49.53**

2.2.3 दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ (अनिधिक दायित्व):

2.2.3.1 संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (अर्जित अवकाश)

निम्नलिखित तालिका स्वतंत्र बीमांककों द्वारा बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (अर्जित अवकाश) की स्थिति निर्धारित करती है:

₹ करोड़ में

विवरण	संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (अर्जित अवकाश)	
	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
नियत हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
1 अप्रैल 2021 को आरंभ नियत हितलाभ दायित्व	**8,190.54**	**7,542.58**
वर्तमान सेवा लागत	458.48	312.76
ब्याज लागत	558.32	515.59
बीमांकिक हानियां/(लाभ)	2,571.66	1,225.34
भुगतान किया गया लाभ	(1,397.91)	(1,405.73)
31 मार्च 2022 को समाप्त नियत हितलाभ दायित्व	**10,381.09**	**8,190.54**
लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त शुद्ध लागत		
वर्तमान सेवा लागत	458.48	312.76
ब्याज लागत	558.32	515.59
बीमांकिक (लाभ)/हानि	2,571.66	1,225.34
अनुसूची 16 में शामिल नियत हितलाभ योजनाओं की कुल लागत "कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान"	**3,588.46**	**2,053.69**
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निवल देयता/(आस्ति) के आरंभिक अधिशेस व इतिशेस का समाधान		
1 अप्रैल 2021 को आरंभ निवल देयता	**8,190.54**	**7,542.58**
उपरोक्तानुसार व्यय	3,588.46	2,053.69
नियोक्ता का अंशदान	-	-
नियोक्ता द्वारा सीधे भुगतान किया गया लाभ	(1,397.91)	(1,405.73)
तुलन पत्र में शामिल निवल देयता/(आस्ति)	**10,381.09**	**8,190.54**

प्रमुख बीमांकिक धारणाएँ:

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टाकृत दर	7.27%	6.82%
वेतन वृद्धि	5.80%	5.60%
पलायन दर	2.00%	2.00%

संचित क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति (अर्जित अवकाश) (उपरोक्त तालिका में शामिल संस्थाओं को छोड़कर)

समूह द्वारा सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण सहित अर्जित अवकाश (नकदीकरण) के लिए ₹ 32.19 करोड़ की राशि (पिछले वर्ष ₹ 52.64 करोड़) प्रदान की गई है (उपरोक्त तालिका में शामिल संस्थाओं को छोड़कर) और इसे लाभ एवं हानि खाते में "कर्मचारियों के लिए भुगतान और प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

2.2.3.2 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

समूह द्वारा अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों जैसे अवकाश यात्रा व गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण / लाभ), रजत जयंती / दीर्घ अवधि सेवा सम्मान, अधिवर्षिता पर पुर्नवास व्यय एवं सेवानिवृत्ति सम्मान के लिए ₹ 114.39 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 39.58 करोड़) की राशि प्रदान की गई है और इसे लाभ और हानि खाते में "कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान" शीर्ष के तहत शामिल किया गया है।

2.2.4 ऊपर सूचीबद्ध कर्मचारी लाभ भारत में स्थित समूह के कर्मचारियों के संबंध में हैं। विदेशी परिचालन के कर्मचारी उपरोक्त योजनाओं में शामिल नहीं हैं।

2.3 लेखा मानक- 17 "खंड रिपोर्टिंग":

2.3.1 खंड अभिनिर्धारण

ए) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

समूह के प्राथमिक खंड निम्नलिखित हैं :

- खजाना (ट्रेज़री)
- कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- बीमा व्यवसाय
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

समूह की वर्तमान लेखा और सूचना प्रणाली में उपरोक्त खंडों के संबंध में अलग से डेटा कैप्चर करने और प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं है। हालाँकि, वर्तमान आंतरिक, संगठनात्मक और प्रबंधकीय रिपोर्टिंग संरचना और उनके जोखिम और रिटर्न की प्रकृति के आधार पर, प्राथमिक खंडों के आंकड़ों की गणना निम्नानुसार की गई है:

क) **ट्रेजरी:** ट्रेजरी खंड में संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय व डेरिवेटिव्स संविदाओं में व्यापार शामिल है। ट्रेजरी खंड की आय में मुख्य रूप से फीस तथा ट्रेडिंग परिचालनों से होने वाले लाभ या हानि तथा निवेश पोर्टफोलियो की ब्याज आय शामिल होती है।

ख) **कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग:** कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग खंड में कॉरपोरेट खाता समूह, वाणिज्यिक ग्राहक समूह और दबावग्रस्त आस्ति समाधान समूह के ऋण कार्यक्रम शामिल हैं। इनमें कॉरपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेनदेन सेवाएं प्रदान करना शामिल है और इसके अलावा विदेश स्थित कार्यालयों के गैर-ट्रेजरी परिचालन शामिल हैं।

ग) **खुदरा बैंकिंग:** खुदरा बैंकिंग खंड में खुदरा शाखाएँ आती हैं, जिसमें मुख्य रूप से व्यक्तिगत बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं, जिसमें इन शाखाओं के साथ बैंकिंग संबंध रखने वाले कॉरपोरेट ग्राहकों को उधार गतिविधियाँ शामिल हैं। इस खंड में एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी शामिल हैं।

घ) **बीमा व्यवसाय -** बीमा व्यवसाय खंड में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के परिणाम शामिल हैं।

ङ) **अन्य बैंकिंग व्यवसाय-** उपरोक्त (क) से (घ) के तहत वर्गीकृत नहीं किए गए खंड को इस प्राथमिक खंड के तहत वर्गीकृत किया गया है। इस खंड में समूह के एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अलावा सभी गैर-बैंकिंग अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों के परिचालन शामिल हैं।

बी) द्वितीयक (भौगोलिक खंड):

क) **घरेलू परिचालन -** भारत में परिचालित शाखाएं/कार्यालय, अनुषंगियां और संयुक्त उद्यम।

ख) **विदेशी परिचालन -** भारत के बाहर परिचालित शाखाएं/कार्यालय, तथा भारत में परिचालन करने वाली अपतटीय (ऑफशोर) बैंकिंग इकाइयां ।

अंतर-खंड अंतरण का मूल्य निर्धारण

खुदरा बैंकिंग खंड प्राथमिक संसाधन जुटाने वाली इकाई है। कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग और ट्रेजरी खंड, खुदरा बैंकिंग से निधि प्राप्त करते हैं। बाजार से संबंधित फंड ट्रांसफर प्राइसिंग (एमआरएफटीपी) का अनुसरण किया जाता है जिसके तहत फंडिंग सेंटर नामक एक अलग इकाई बनाई गई है। फ़ंडिंग सेंटर द्वारा जमा और उधारी के रूप में उगाही गई निधियों को काल्पनिक रूप से खरीदा जाता है और संपत्ति सृजन में लगी व्यावसायिक इकाइयों को कल्पित रूप से बेचता है।

डी) आय, व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

कॉरपोरेट / थोक और खुदरा बैंकिंग परिचालन खंड से संबंधित कॉरपोरेट केंद्र संस्थापनाओं पर किए गए खर्च को उसी अनुसार आवंटित किया जाता है। जो व्यय सीधे संबंधित नहीं हैं वह प्रत्येक खंड में कर्मचारियों की संख्या /प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय के अनुपात के आधार पर आवंटित किए जाते हैं ।

समूह के पास कुछ सामान्य आस्ति और देयताएं हैं, जिन्हें किसी भी खंड में शामिल नहीं किया जा सकता है, और उन्हें गैर-आवंटित श्रेणी में रखा गया है।

2.3.2 खंड सूचना

भाग क: प्राथमिक (व्यवसाय) खंड:

₹ करोड़ में

व्यवसाय खंड	ट्रेज़री	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	कुल
आय (विशेष मदों से पहले)	99,649.80	75,675.43	1,38,896.25	76,586.87	16,726.04	4,07,534.39
	(91,032.50)	(83,073.07)	(132,094.86)	(64,569.16)	(14,647.06)	(3,85,416.65)
गैर-आवंटित आय						3,155.89
						(1,651.31)
घटाएं: अंतर - खंड आय						3,717.19
						(3,097.34)
कुल आय						4,06,973.09
						(3,83,970.62)
परिणाम (विशेष मदों से पहले)	13,055.52	27,037.39	12,333.19	1,904.29	5,022.31	59,352.70
	(14,393.01)	(5,273.34)	(9,511.41)	(2,337.97)	(3,952.10)	(35,467.83)
जोड़ें: विशेष मदें						(-)7,418.39
						(1,367.27)
परिणाम (विशेष मदों के बाद)						51,934.31
						(36,835.10)
गैर-आवंटित आय (+) / व्यय (-) निवल						(-) 2,195.68
						(-4,039.14)
कर पूर्व लाभ/(हानि)						49,738.63
						(32,795.96)
कर						13,382.46
						(8,516.25)
असाधारण लाभ						0.00
						(0.00)
सहयोगियों के लाभ में हिस्सेदारी से पहले निवल लाभ/(हानि) और अल्पांश हित						36,356.17
						(24,279.71)
जोड़ें: सहयोगियों के लाभ में हिस्सा						827.01
						(-391.90)
घटाएं : अल्पसंख्यक हित						1,809.30
						(1,482.36)
समूह के लिए निवल लाभ/(हानि)						35,373.88
						(22,405.45)
अन्य सूचना:						
खंड आस्तियां	16,11,406.25	13,26,995.56	20,27,135.23	2,85,210.54	58,894.25	53,09,641.83
	(14,52,023.37)	(12,21,624.66)	(18,19,067.05)	(2,37,323.29)	(46,307.46)	(47,76,345.83)
गैर-आवंटित आस्तियां						51,241.70
						(69,272.72)
कुल आस्तियां						53,60,883.53
						(48,45,618.55)
खंड देयताएं	14,56,533.68	12,93,294.16	18,65,708.05	2,70,570.71	41,562.93	49,27,669.53
	(13,15,938.88)	(11,85,545.78)	(16,99,537.03)	(2,24,101.85)	(32,314.42)	(44,57,437.96)

व्यवसाय खंड	ट्रेज़री	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग	खुदरा बैंकिंग	बीमा व्यवसाय	अन्य बैंकिंग परिचालन	कुल
गैर-आवंटित देयताएं						1,27,625.95
						(1,12,619.03)
कुल देयताएं						50,55,295.48
						(45,70,056.99)

(i) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं

(ii) आय/व्यय पूरे वर्ष के लिए हैं। आस्ति/देयताएं 31 मार्च, 2022 तक हैं।

भाग ख: द्वितीयक (भौगोलिक) खंड

₹ करोड़ में

	घरेलू		विदेश		कुल	
	चालू वर्ष	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**	**चालू वर्ष**	**पिछला वर्ष**
आय (विशेष मदों से पहले) #	3,95,564.85	3,72,005.60	11,408.24	11,965.02	4,06,973.09	3,83,970.62
निवल लाभ #	31,153.99	18,935.93	4,219.89	3,469.52	35,373.88	22,405.45
आस्तियां *	47,74,622.21	43,16,869.48	5,86,261.32	5,28,749.07	53,60,883.53	48,45,618.55
देयताएं*	44,77,321.28	40,48,986.49	5,77,974.20	5,21,070.50	50,55,295.48	45,70,056.99

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए।

* 31 मार्च, 2022 तक।

2.4 लेखा मानक-18 " संबंधित पक्षों का प्रकटन":

2.4.1 समूह से संबंधित पक्ष:

क) संयुक्त उद्यम:

1. सी - एज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
2. एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लिमिटेड
3. एसबीआई मैक्वेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लिमिटेड
4. मैक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई. लिमिटेड
5. मैक्वेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लिमिटेड
6. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लिमिटेड
7. ओमान इंडिया ज्वाइंट इंवेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्रा. लिमिटेड
8. जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड

ख) सहयोगी:

i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक
3. छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक

4. एलाक्वाई देहाती बैंक
5. मध्यांचल ग्रामीण बैंक
6. मेघालय ग्रामीण बैंक
7. मिजोरम ग्रामीण बैंक
8. नागालैंड ग्रामीण बैंक
9. सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
10. उत्कल ग्रामीण बैंक
11. उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
12. झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक
13. राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
14. तेलंगाना ग्रामीण बैंक

ii) अन्य

1. भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
2. बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड
3. येस बैंक लिमिटेड
4. इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (29.06.2021 से)
5. एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड (परिसमापन के तहत)

ग) एसबीआई के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

1. श्री दिनेश कुमार खारा, अध्यक्ष
2. श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, प्रबंध निदेशक
3. श्री अश्वनी भाटिया, प्रबंध निदेशक
4. श्री स्वामीनाथन जानकीरमन, प्रबंध निदेशक
5. श्री अश्विनी कुमार तिवारी, प्रबंध निदेशक

2.4.2 वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों के साथ लेनदेन किए गए:

लेखा मानक (एएस) 18 के पैराग्राफ 9 के अनुसार "राज्य नियंत्रित उद्यम" के संबंधित पक्ष के संबंध में किसी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, एएस 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों तथा प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के रिश्तेदारों सहित बैंकर-ग्राहक संबंधों की प्रकृति वाले लेनदेनों का खुलासा नहीं किया गया है।

2.4.3 लेन-देन और शेष राशियां:

₹ करोड़ में

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कर्मी और उनके रिश्तेदार	कुल	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कर्मी और उनके रिश्तेदार	कुल
बकाया		**31 मार्च 2022**			**31 मार्च 2021**	
उधारी	-	-	-	-	-	-
जमा	834.90	-	834.90	1,352.84	-	1,352.84
अन्य देयताएं	11.66	-	11.66	8.27	-	8.27
बैंकों के पास बकाया तथा मांग एवं अल्प सूचना पर शेष राशि	0.39	-	0.39	-	-	-
अग्रिम	856.50	-	856.50	1,434.76	-	1,434.76

विवरण	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कर्मी और उनके रिश्तेदार	कुल	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कर्मी और उनके रिश्तेदार	कुल
निवेश	10,667.36	-	10,667.36	12,814.54	-	12,814.54
अन्य आस्तियां	307.17	-	307.17	188.39	-	188.39
गैर-निधि प्रतिबद्धताएं (एलसी/बीजी)	-	-	-	2,935.10	-	2,935.10
अधिकतम बकाया	**वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान**			**वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान**		
उधारी	-	-	-	-	-	-
जमा	1,352.93	-	1,352.93	1,543.06	-	1,543.06
अन्य देयताएं	14.60	-	14.60	8.27	-	8.27
बैंकों के पास बकाया तथा मांग एवं अल्प सूचना पर शेष राशि	636.41	-	636.41	-	-	-
अग्रिम	2,218.52	-	2,218.52	17,763.35	-	17,763.35
निवेश	12,817.93	-	12,817.93	14,551.41	-	14,551.41
अन्य आस्तियां	487.67	-	487.67	188.39	-	188.39
गैर-निधि प्रतिबद्धताएं (एलसी/बीजी)	2,935.10	-	2,935.10	2,935.10	-	2,935.10
वर्ष के दौरान	**वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान**			**वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान**		
ब्याज आय	213.01	-	213.01	167.94	-	167.94
ब्याज व्यय	31.48	-	31.48	18.58	-	18.58
लाभांश के माध्यम से अर्जित आय	21.90	-	21.90	23.29	-	23.29
अन्य आय	6.18	-	6.18	78.51	-	78.51
अन्य व्यय	24.16	-	24.16	2.44	-	2.44
भूमि/भवन और अन्य संपत्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि)	(0.83)	-	(0.83)	4.04	-	4.04
प्रबंधन अनुबंध	-	1.63	1.63	37.94	1.50	39.44

वर्ष के दौरान कोई भौतिक महत्वपूर्ण पक्षकार लेनदेन नहीं है।

2.5 लेखा मानक-19 "पट्टे":

2.5.1 वित्तीय पट्टे

01 अप्रैल 2001 को या उसके बाद वित्तीय पट्टे पर ली गई आस्तियां:

वित्तीय पट्टों का विवरण नीचे दिया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
कुल न्यूनतम पट्टा भुगतान बकाया		
एक वर्ष से कम	66.04	51.02
1 से 5 वर्ष	140.00	105.91
5 वर्ष और उससे अधिक	56.83	31.14
कुल	**262.87**	**188.07**
देय ब्याज लागत		

विवरण	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
एक वर्ष से कम	11.61	8.30
1 से 5 वर्ष	20.83	15.96
5 वर्ष और उससे अधिक	11.75	11.52
कुल	**44.19**	**35.78**
देय न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य		
एक वर्ष से कम	54.43	42.72
1 से 5 वर्ष	119.17	89.95
5 वर्ष और उससे अधिक	45.08	19.62
कुल	**218.68**	**152.29**

2.5.2 परिचालन पट्टा

परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसरों की जानकारी नीचे दी गई है:

परिचालन पट्टों में मुख्य रूप से कार्यालय परिसर और कर्मचारी आवास शामिल हैं, जो समूह इकाईयों के विकल्प पर नवीकरण योग्य हैं।

गैर-रद्द करने योग्य परिचालन पट्टे पर लिए गए परिसर की देयता नीचे दी गई है:

₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार
1 वर्ष से बाद में नहीं	172.58	121.98
1 वर्ष बाद में और 5 वर्ष से बाद में नहीं	279.17	203.77
5 वर्ष से बाद में	183.89	33.55
कुल	**635.64**	**359.30**

इस वर्ष हेतु लाभ एवं हानि खाते में ली गई पट्टा भुगतान राशि ₹ 4,134.88 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 4,847.29 करोड़) है।

2.6 लेखा मानक -20 "प्रति शेयर आय":

बैंक लेखांकन मानक 20 - "प्रति शेयर आय" के अनुसार प्रति इक्विटी शेयर पर मूल और कम की गई आय की रिपोर्ट करता है। प्रति शेयर "मूल आय" की गणना, वर्ष के दौरान, कर-पश्चात निवल (अल्पांश के अलावा) आय की समेकित निवल लाभ/(हानि) को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल तथा कम किए गए		
वर्ष की शुरुआत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या	निरंळ	निरंळ
वर्ष के अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
प्रति शेयर मूल आय की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय की गणना में उपयोग किए गए शेयरों की भारित औसत संख्या	892,46,11,534	892,46,11,534
समूह के लिए निवल लाभ/(हानि) (₹ करोड़ में)	35,373.88	22,405.45
प्रति शेयर मूल कमाई (₹)	39.64	25.11
प्रति शेयर डाइल्यूटेड आय (₹)	39.64	25.11
प्रति शेयर सांकेतिक मूल्य (₹)	1.00	1.00

2.7 लेखा मानक - 22 "आय पर कर का लेखांकन":

i) बैंक ने वर्ष के दौरान लाभ और हानि खाते से ₹ 520.09 करोड़ आस्तगित कर के रूप में जमा किए हैं (पिछले वर्ष ₹ 3,748.99 करोड़ नामे किया गया)।

ii) आस्थगित कर आस्तियों और देनदारियों की प्रमुख मदों का विवरण नीचे दिया गया है:

₹ करोड़ में

विवरण	31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियां		
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	6,619.13	7,975.13
अग्रिम के लिए प्रावधान	5,093.33	4,125.04
अन्य आस्तियों/अन्य देयताओं के लिए प्रावधान	3,650.06	3,115.56
संचित हानियों पर	37.38	36.80
विदेशी मुद्रा परिवर्तन आरक्षित निधि पर	982.69	759.10
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	305.20	230.35
एसबीआई के एफओ से संबंधित डीटीए	409.56	275.67
अन्य	189.94	171.79
कुल	**17,287.29**	**16,689.44**
आस्थगित कर देयताएं		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	41.80	38.30
प्रतिभूतियों पर अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	6,546.58	5,744.73
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष आरक्षित निधि	3,950.60	3,656.53
एसबीआई के एफओ से संबंधित डीटीएल	2.56	2.46
अन्य	6.21	6.33
कुल	**10,547.75**	**9,448.35**
निवल आस्थगित कर आस्तियां /(देयताएं	**6,739.54**	**7,241.09**

iii) एसबीआई ने वित्तीय वर्ष 2019-20 से कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा पेश किए गए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115BAA के तहत अनुमत न्यूनतम कर दर के विकल्प का प्रयोग किया है।

2.8 लेखा मानक - 28 "आस्तियों की क्षति":

प्रबंधन की राय में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की क्षति का कोई ऐसा मामला नहीं आया है जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की क्षति" लागू होती हो।

2.9 लेखा मानक - 29 "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां"

➢ **लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए प्रावधान और आकस्मिकताओं का विवरण:**

प्रावधानों का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है

करोड़ में

क्रम सं.	लाभ और हानि खाते में व्यय शीर्ष के तहत दर्शाए गए "प्रावधानों और आकस्मिकताओं" का विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क	कराधान के लिए प्रावधान		
	- वर्तमान कर	12,859.32	12,278.08
	- आस्थगित कर	520.09	(3,748.99)
	- (प्रतिलेखन)/आयकर का अतिरिक्त प्रावधान	3.05	(12.84)
ख	अनर्जक आस्तियों पर प्रावधान	15,902.01	29,758.90
ग	पुनर्रचित आस्तियों पर प्रावधान	(56.11)	(26.25)
घ	मानक आस्तियों पर प्रावधान	4,581.82	3,601.32
ङ.	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	3,471.78	2,820.99
च	अन्य प्रावधान	2,777.19	9,947.20
	कुल	**40,059.15**	**54,618.41**

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े क्रेडिट दर्शाते हैं)

➢ **अस्थायी प्रावधान:**

₹ करोड़ में

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क	अधि शेष	193.75	193.75
ख	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
ग	वर्ष के दौरान आहरण	-	-
घ	**इति शेष**	**193.75**	**193.75**

➢ **आकस्मिक देनदारियों का विवरण (एएस-29):**

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	समूह के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में स्वीकृत नहीं हैं	व्यवसाय की सामा प्रक्रिया में समूह घटक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष होता हैं। यह अपेक्षा नहीं करता है कि इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप समूह की वित्तीय स्थितियां, परिचालन परिणाम या नकदी प्रवाह पर बहुत अधिक प्रतिकूल पड़ेगा। कुछ मामलों में कर निर्धारण अपील विचाराधीन हैं तथा समूह उन विभिन्न मामलों में भी एक पक्ष है।
2	आंशिक प्रदत्त निवेशों/उद्यम निधि पर देयताएं	यह मद आंशिक रूप से चुकता निवेशों के लिए चुकता न की गई शेष राशि की देयता को दर्शाती है। इसमें जोखिम पूंजी निधियों हेतु अनाहरित प्रतिबद्धताएं भी शामिल हैं।
3	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएं	समूह अपने सामान्य व्यावसायिक कार्यकलाप के भाग के रूप में, भविष्य की किसी तारीख को पूर्व-निर्धारित दर पर मुद्रा परिवर्तन के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाएं करता है। वायदा मुद्रा विनिमय संविदाएं, संविदागत दर पर निर्धारित तारीख को विदेशी मुद्रा खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्धता होती है। कल्पित राशि को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया जाता है। अपने ग्राहकों के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में संतुलन साधने के लिए सामान्यत: बैंक अंतर-बैंक बाज़ार में प्रतिसंतुलन लेनदेन करता है। इसका परिणाम बडी संख्या में बकाया लेनदेन होता है, और इसलिए संविभाग की सकल कल्पित मूल राशि की मात्रा भी बहुत बढ़ जाती है, जबकि निवल बाज़ार जोखिम बहुत कम होता है।
4	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां, स्वीकृतियां, परांकन तथा अन्य दायित्व	अपनी सामान्य वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यकलापों के एक भाग के रूप में समूह, अपने ग्राहकों की ओर से दस्तावेजी क्रेडिट और गारंटी जारी करता है। दस्तावेजी ऋण से समूह के ग्राहकों की साख बढ़ती है। गारंटियां आम तौर पर अपरिवर्तनीय आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है तो बैंक उनका भुगतान करेगा।
5	अन्य मदें जिनके लिए समूह आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है	समूह अपने स्वयं के खाते में और ग्राहकों के लिए अंतर-बैंक प्रतिभागियों के साथ मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा स्वैप और ब्याज दर स्वैप में प्रवेश करता है। मुद्रा अदला-बदली, पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा में ब्याज/मूलधन के रूप में नकदी प्रवाह को दूसरी मुद्रा में विनिमय करने की प्रतिबद्धता है। ब्याज दर स्वैप, ब्याज की स्थिर और अस्थिर दर नकदी प्रवाहों का विनिमय करने की प्रतिबद्धता है। आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज की गई काल्पनिक राशियां, आमतौर पर अनुबंधों के ब्याज घटक की गणना के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग की जाने वाली राशि होती हैं। इसमें संविदाओं की ऐसी अनुमानित राशि भी शामिल है जो पूंजी खाते में डाली जानी है और जिसका प्रावधान नहीं किया गया है, बैंक द्वारा सहयोगियों एवं अनुषंगियों की ओर से जारी चुकौती आश्वासन पत्र, जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि खाते के तहत एसबीआई की देयताएं और अन्य विविध आकस्मिक देयताएं भी शामिल हैं।

उपर्युक्त आकस्मिक देयताएं यथास्थिति, अदालत/मध्येस्थता/अदालत के बाहर समझौते, अपीलों के निपटान, राशि की मांग, संविदात्मक बाध्यताओं की शर्तों, संबंधित पक्षों द्वारा मांग एवं हस्तांतरण करने का दायित्व, जैसा भी मामला हो, पर आधारित है।

➢ आकस्मिक देनदारियों के खिलाफ प्रावधानों में उतार-चढ़ाव:

आकस्मिक देयताओं के प्रति प्रावधानों में उतार-चढ़ाव नीचे दिया गया है:

₹ करोड़ में

क्रम	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
क	अधि शेष	3,435.01	633.72
ख	वर्ष के दौरान परिवर्धन	438.44	2,981.19
ग	वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	7.43	68.47
घ	वर्ष के दौरान अप्रयुक्त राशि की वापसी	196.85	111.43
ड.	**इतिशेष**	**3,669.17**	**3,435.01**

3. समूह संस्थाओं के बीच अंतर-बैंक/कंपनी की शेष राशि का समाधान निरंतर आधार पर किया जा रहा है। चालू वर्ष के लाभ-हानि खाते पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

4. आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.बीपी.बीसी.संख्या 32/21.04.018/2018-19 दिनांक 01 अप्रैल 2019 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई की पर्यवेक्षी प्रक्रिया के संबंध में एसबीआई द्वारा एनपीए के लिए आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान में विचलन पर प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

5. **प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर (सीसीपीबी)**

‘अस्थायी प्रावधानों/प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर के उपयोग’ पर आरबीआई ने परिपत्त संख्या डीओआर.एसटीआर.आरईसी.10/21.04.048/2021-22 दिनांक 5 मई, 2021 के माध्यम से बैंक के निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के लिए विशिष्ट प्रावधान करने हेतु 31 दिसंबर, 2020 को बैंकों द्वारा रखे गए सीसीपीबी के 100 प्रतिशत को उपयोग में लाने की की अनुमति दी गई है।

वर्ष के दौरान, एसबीआई ने एनपीए के लिए विशिष्ट प्रावधान करने के लिए सीसीपीबी का उपयोग नहीं किया है।

6. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, अनुसूची 16 “परिचालन व्यय” के तहत ‘कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान’ में 11वीं द्विपक्षीय वेतन समझौते एवं संयुक्त नोट दिनांक 11 नवंबर, 2020 के तहत शामिल किए गए एसबीआई के कर्मचारियों को देय पारिवारिक पेंशन में संशोधन के अनुसार ₹ 7,418.39 करोड़ की संपूर्ण अतिरिक्त देयता शामिल है।

पारिवारिक पेंशन योजना के कारण तुलन-पत्र में कोई परिशोधित व्यय नहीं है।

7. दुनिया भर में कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में गिरावट आई और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता आई। इस स्थिति में, एसबीआई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है और निरंतर आधार पर स्थिति का मूल्यांकन कर रहा है और बैंक की आस्तियों पर संभावित दबाव की चुनौतियों के खिलाफ सक्रिय रूप से प्रावधान उपलब्ध करा रहा है। बैंक का प्रबंधन बैंक की तरलता या लाभप्रदता पर किसी महत्वपूर्ण प्रभाव की उम्मीद नहीं कर रहा है। उपरोक्त आकलन के आधार पर, 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही के दौरान, मौजूदा कोविड प्रावधान हेतु रखे गए ₹ 6,183 करोड़ का उपयोग पुनर्गठित परिसंपत्तियों के विरुद्ध अतिरिक्त प्रावधानों के लिए किया गया है।

8. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, एसबीआई ने अनुसूची 16 “परिचालन व्यय” के तहत ‘कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान’ के रूप में 1 नवंबर, 2017 से प्रभावी 11वें द्वि-पक्षीय वेतन निपटान हेतु किए गए ₹ 5,353.50 करोड़ के प्रावधान को हिसाब में ले लिया है।

9. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान, उधारकर्ताओं पर कोविड-19 व्यवधानों के कारण होने वाले वित्तीय तनाव को कम करने और चुकौती दबावों को कम करने के लिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 23 मार्च, 2021 के आदेश के माध्यम से निर्देश दिया कि मार्च 1,2020 से अगस्त 31,2020 तक की मोरेटोरियम अवधि के लिए ब्याज/चक्रवृद्धि ब्याज/दंडात्मक ब्याज पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा और इस तरह के ब्याज को संबंधित उधारकर्ताओं को ऋण राशि की अगली किस्त में क्रेडिट/समायोजित करने के लिए वापस किया जाएगा। तदनुसार, एसबीआई ने 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ब्याज आय में ₹ 830 करोड़ की वापसी की थी।

10. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, लागू जीवन बीमा पॉलिसियों के संबंध में देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन, चालू जीवन बीमा पॉलिसियां, वह जीवन बीमा पॉलिसियां जिनका प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन देयता 31 मार्च, 2022 तक मौजूद है, दावे किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए (आईबीएनआर) और किए गए दावे लेकिन पर्याप्त रिपोर्ट नहीं (आईबीएनईआर) है, उनके मामले में प्राधिकरण की सहमति से भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (“आईआरडीएआई” / “प्राधिकरण”) और भारत के बीमांकक संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के आधार पर नियुक्त बीमांकक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

11. जीवन बीमा और सामान्य बीमा अनुषंगियों के निवेशों को भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अपनाई गई लेखा नीति के अनुसार दोहराने की बजाय आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुसार हिसाब में लिया गया है। बीमा सहायक कंपनियों का निवेश 31 मार्च, 2022 तक कुल निवेश का लगभग 15.33% (पिछले वर्ष 14.13%) है।

12. एसबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 7.10 प्रति शेयर @ 710% का लाभांश घोषित किया है (पिछले वर्ष ₹ 4 प्रति शेयर @ 400%)।

13. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीबीओडी सं.बीपी.बीसी.42/21.01.02/2007-08 के अनुसार, मोचनीय अधिमानी शेयरों (यदि कोई हो) को देयताओं और उन पर देय कूपन को ब्याज के रूप में माना जाता है।

14. वर्तमान आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार, समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण पर विचार किया गया है। तदनुसार, मूल कंपनी और उसकी अनुषंगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई अतिरिक्त सांविधिक सूचना जो समेकित वित्तीय विवरणों की दृष्टि से सही एवं उचित नहीं है और इसी प्रकार ऐसी मदों से संबंधित सूचना जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, आसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक परिभाषा की दृष्टि से समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट नहीं की गई है।

15. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण की पुष्टि करने के लिए, जहां आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है। जिन मामलों में आरबीआई के दिशा-निर्देशों/लेखा मानकों के संदर्भ में पहली बार प्रकट किया गया है, वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों का उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री अश्विनी कुमार तिवारी
प्रबंध निदेशक
(आईबी, टी एवं एस)

श्री स्वामीनाथन जे.
प्रबंध निदेशक
(आर, सी एवं एसएआरजी)

श्री अश्वनी भाटिया
प्रबंध निदेशक
(सीबी एवं जीएम)

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक
(आर एवं डीबी)

इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पं.सं. 105049W

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

श्री शैलेश शाह
भागीदार
सदस्य संख्या 033632

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2022

भारतीय स्टेट बैंक

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष ₹	31.03.2021 को समाप्त वर्ष ₹
परिचालन कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व निवल लाभ /(हानि) (अनुषंगियों के लाभ के हिस्से एवं अल्प मदों पर ब्याज सहित)		48756,34,30	30921,70,78
समायोजन :			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास		3691,27,00	3711,06,36
अचल आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि (निवल)		16,40,47	28,33,64
निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर (लाभ)/हानि (निवल)		445,73,69	5,15,48
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (लाभ)		(9,74,32)	(1577,84,31)
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर हानि		-	254,41,31
अनर्जक आस्तियों और उचित मूल्य में आई कमी के लिए प्रावधान		15845,89,97	29732,65,29
मानक आस्तियों पर प्रावधान		4581,81,42	3601,32,26
अनर्जक निवेश पर प्रावधान		3471,78,80	2820,98,83
आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान सहित अन्य प्रावधान		2777,18,33	9947,19,49
सहयोगियों के लाभ में हिस्सेदारी		(827,01,33)	391,90,45
सहयोगियों से प्राप्त लाभांश		(3,19,50)	(3,19,50)
पूंजीगत लिखतों पर प्रदत्त ब्याज		5587,88,74	5900,31,21
		84334,37,57	**85734,01,29**
समायोजन :`			
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी)		372079,35,89	441170,61,63
पूंजीगत लिखतों के अलावा उधार राशियों में वृद्धि/(कमी)		11807,87,55	90438,85,18
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में किए गए निवेशों को छोड़कर अन्य निवेशों में (वृद्धि)/कमी		(183899,64,02)	(368800,15,43)
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी		(309322,91,48)	(156020,45,83)
अन्य देयताओ में वृद्धि/(कमी)		86464,26,64	67465,50,14
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी		5255,82,79	(66249,94,63)
		66719,14,94	**93738,42,35**
कर वापसी/(प्रदत्त कर)		(9024,30,30)	(3819,49,34)
परिचालन कार्यकलाप से उत्पन्न/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(क)**	**57694,84,64**	**89918,93,01**
निवेश कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में शेयरों की खरीद		(582,76,40)	(3176,94,16)
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में शेयरों की बिक्री		2,22,96	1942,10,97
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर लाभ		9,74,32	1577,84,31
अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों में किए गए निवेशों की बिक्री पर (हानि)		-	(254,41,31)
सहयोगियों से प्राप्त लाभांश		3,19,50	3,19,50
अचल आस्तियों में (वृद्धि)		(3305,26,01)	(3909,82,50)
अचल आस्तियों में कमी		254,34,31	81,80,47
निवेश कार्यकलाप से उत्पन्न/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ख)**	**(3618,51,32)**	**(3736,22,72)**
वित्तपोषण कार्यकलाप से नकदी प्रवाह			

(000 को छोड़ दिया गया है)

विवरण		31.03.2022 को समाप्त वर्ष ₹	31.03.2021 को समाप्त वर्ष ₹
शेयर प्रीमियम सहित इक्विटी शेयर के निर्गम से प्राप्त राशि (निवल शेयर जारी करने से संबंधित व्यय)		-	-
पूंजीगत लिखतों का निर्गम		14074,00,00	27431,00,00
पूंजीगत लिखतों का मोचन		(10518,30,00)	(16897,66,40)
पूंजीगत लिखतों पर ब्याज़		(5411,00,89)	(5069,10,88)
प्रदत्त लाभांश		(3569,84,46)	-
अनुषंगियो/संयुक्त उद्यमों द्वारा प्रदत्त लाभांश		(,86,64)	(3,65,16)
अल्प मदों पर ब्याज में वृद्धि /(कमी)		1581,50,62	1682,09,46
वित्तपोषण कार्यकलाप से प्राप्त/(में प्रयुक्त) निवल नकदी	**(ग)**	**(3844,51,37)**	**7142,67,02**
अंतरण आरक्षित निधियों पर विनिमय परिवर्तनों का प्रभाव	**(घ)**	**966,26,65**	**66,39,90**
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग+घ)		**51198,08,60**	**93391,77,21**
1 अप्रैल को नकदी एवं नकदी समतुल्य		**347707,03,57**	**254315,26,36**
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्य		**398905,12,17**	**347707,03,57**
नोट:			
1 नकदी और नकदी समतुल्यों के घटकों की स्थिति :		**31.03.2022**	**31.03.2021**
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियां		258086,43,01	213498,61,59
बैंकों के पास जमाराशियां तथा मांग एवं अल्पसूचना पर प्राप्य राशि		140818,69,16	134208,41,98
योग		**398905,12,17**	**347707,03,57**

1 परिचालन गतिविधियों से प्राप्त नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष पद्धति से रिपोर्ट किया गया है।

श्री अश्विनी कुमार तिवारी
प्रबंध निदेशक
(आईबी, टी एवं एस)

श्री स्वामीनाथन जे.
प्रबंध निदेशक
(आर, सी एवं एसएआरजी)

श्री अश्वनी भाटिया
प्रबंध निदेशक
(सीबी एवं जीएम)

श्री चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी
प्रबंध निदेशक
(आर एवं डीबी)

इसी तिथि को हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते खंडेलवाल जैन एंड कंपनी
सनदी लेखाकर
फर्म पं. सं. 105049W

श्री दिनेश कुमार खारा
अध्यक्ष

श्री शैलेश शाह
भागीदार
सदस्य संख्या 033632

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति
निदेशक मंडल,
भारतीय स्टेट बैंक,
स्टेट बैंक भवन,
मैडम कामा रोड,
मुंबई।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने भारतीय स्टेट बैंक ("बैंक") के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण और समेकित वित्तीय विवरणों के नोट शामिल हैं, जिसमें महत्वपूर्ण लेखा नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारियों का सारांश शामिल है:

   क. बैंक के लेखा परीक्षित एकल वित्तीय विवरण जो हमारे सहित सभी चौदह सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है;

   ख. अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 26 अनुषंगियों, 8 संयुक्त उद्यम और 17 सहयोगियों (14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण; और (अनुलग्नक ए में सूचीबद्ध)

   ग. 1 अनुषंगी और 1 सहयोगी (अनुलग्नक क में सूचीबद्ध) के गैर-लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण।

   उपरोक्त इकाइयों को बैंक 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है।

   हमारे अभिमत में तथा हमें उपलब्ध जानकारी के आधार पर एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, और अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों व सहयोगियों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर हमारे विचार के आधार पर, अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत सहायक कंपनियों की अन्य वित्तीय जानकारी, उपर्युक्त समेकित वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप हैं और जो:

   क) 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार समूह की स्थिति की समेकित तुलन-पत्र के मामले में सही और उचित दृष्टिकोण;

   (ख) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि खाते के मामले में लाभ का सही संतुलन; और

   ग) उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण के मामले में सही और उचित दृष्टिकोण।

अभिमत आधार

2. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा आयोजित की। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम आईसीएआई द्वारा जारी किए गए आचार संहिता के अनुसार अनुरूप के साथ जो समेकित वित्तीय विवरणों के हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और नैतिकता के कोड के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए ऑडिट साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

3. प्रमुख लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में लिया गया है और हम इन मामलों पर एक अलग अभिमत प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को हमारी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले बैंक के प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है:

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>प्रमुख लेखा परीक्षा मामले</th><th>लेखापरीक्षा में इस मामले का समाधान कैसे किया गया है</th></tr>
<tr><td colspan="3">बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले:</td></tr>
<tr><td>i</td><td>अग्रिमों का वर्गीकरण, आय निर्धारण और अनर्जक अग्रिमों की पहचान और उनके लिए प्रावधान

अग्रिम में बिल की खरीद और डिस्काउंट, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट ऋण मांग पर प्रस्तुत तथा मियादी ऋण। इन्हें आगे बैंक/ सरकारी गारंटी एवं प्रतिभूति रहित (बही ऋण के विरुद्ध ऋण सहित) प्रतिभूति और आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

अग्रिमों में बैंक की कुल आस्तियों का हिस्सा 54.82% है। इन पर अन्य बातों के साथ साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी आय निर्धारण, आस्तियों का वर्गीकरण और प्रावधान मानदंड (आईआरएसी) तथा अन्य परिपत्र और निदेश लागू होते हैं विदेशी कार्यालयों के मामले को छोड़कर, जहाँ अग्रिमों का वर्गीकरण और उनका प्रावधान स्थानीय विनियमों या आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है, जो भी अधिक कठोर हो। इनमें अग्रिम वर्गीकरण, अर्जक और अनर्जक अग्रिमों के संबंध में दिशानिर्देश दिए गए हैं। बैंक इन अग्रिमों का वर्गीकरण अपनी लेखा नीति सं. 3 के अनुसार इन मानदंडों के आधार पर करता है।

अर्जक और अनर्जक अग्रिमों की पहचान की उचित व्यवस्था की स्थापना भी शामिल है। बैंक अग्रिमों से संबंधित सभी लेनदेनों के खाते बैंक की अपनी सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (आईटी सिस्टम) यानी कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) में होनी चाहिए जिनसे अर्जक या अनर्जक अग्रिमों की पहचान होती हो। इसके अतिरिक्त, एनपीए वर्गीकरण और प्रावधान राशि की गणना अन्य आईटी सिस्टम यानी सेन्ट्रलाइज़्ड क्रेडिट डेटा प्रोसेसिंग (सीसीडीपी) ऐप्लीकेशन के माध्यम से की जानी चाहिए।

इन अग्रिमों का रखाव मूल्य (प्रावधान घटाकर) अलग-अलग या इकट्ठा देने में आईआरएसी मानदंडों का उचित रूप से पालन न होने पर कोई महत्वपूर्ण त्रुटि हो सकती है।

लेनदेन की प्रकृति, नियामक अपेक्षाओं, वर्तमान व्यवसाय परिवेश, प्रतिभूतियों के मूल्यांकन में प्राक्कलन/विवेक प्रयोग और महत्ता को देखते हुए अग्रिमों और प्रावधानीकरण की लेखपरीक्षा काफी श्रमसाध्य कार्य है। इसके साथ साथ, केवल बैंक के वित्तीय विवरण इसके प्रयोक्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इन पहलुओं को देखते हुए, हमने इसे एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला माना है।

साथ ही, हमारी लेखा परीक्षा आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और ऋण के प्रावधानों के संतुलन पर केंद्रित है।</td><td>हमारी कार्यविधि अग्रिमों का सत्यापन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी आईआरएसी मानदंडों और संबंधित परिपत्रों एवं निदेशों तथा बैंक की आंतरिक नीतियों एवं कार्यविधियों के संदर्भ में किया है जिसमें निम्नलिखित का भी सत्पायन किया गया:

क. हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं के संबंध में आईआरएसी मानदंडों के अनुसार आय निर्धारण, अर्जक और अनर्जक अग्रिम वर्गीकरण तथा प्रावधान करने के लिए सिस्टम में दिए गए डेटा की यथार्थता;

ख. बैंक की नीतियों और कार्यविधियों के अनुसार मॉनीटरिंग व्यवस्था की उपलब्धता और प्रभावकारिता जैसे आंतरिक लेखापरीक्षा, सिस्टम ऑडिट, क्रेडिट ऑडिट और दैनिक संगामी लेखापरीक्षा;

ग. भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर परिपत्रों/दिशानिर्देशों/न्यायिक घोषणाओं के अनुपालन के संबंध में नमूना आधार पर तनावग्रस्त अग्रिमों सहित अग्रिमों की जांच;

घ. हमने एनपीए की ट्रैकिंग, पहचान और मुद्रांकन और उसके संबंध में प्रावधान करने के लिए सीबीएस में इनबिल्ट किए गए व्यावसायिक तर्कों/मापदंडों के संबंध में बाहरी आईटी प्रणाली लेखा परीक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्टों पर भी भरोसा किया है।

ङ. हमने उपरोक्त आरबीआई परिपत्र/निर्देशों के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सीसीडीपी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयारी सॉफ्टवेयर में प्रगति की मैपिंग का परीक्षण किया ।

च. हमने बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के निगरानी तंत्र के अनुसार आयोजित विभिन्न लेखा परीक्षाओं की प्रकृति, समय और सीमा निर्धारित करने और विभिन्न लेखा परीक्षाओं के अनुपालन के लिए अग्रिमों पर विभिन्न आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता की जांच की है।

छ. हमें लेखापरीक्षा के लिए सौंपी गई शाखाओं की सारभूत कार्यविधियों के पालन में हमने बड़े अग्रिमों/दबाव वाले अग्रिमों की जांच की है जबकि अन्य अग्रिमों की नमूना आधार पर जांच की गई है। हमने बैंक प्रबंध मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं की मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा के आधार पर भी जांच की है।

ज. हमने एनपीए की पहचान और आय के प्रतिवर्तन और प्रावधान के निर्माण की प्रक्रिया का मूल्यांकन और आकलन किया;

झ. हमने इसमें अन्य सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की भी सहायता ली है जिनके साथ हमने इस विषय में विशेष रूप से पत्राचार/ संवाद भी किया।</td></tr>
</table>

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में इस मामले का समाधान कैसे किया गया है
ii	**निवेशों का वर्गीकरण और मूल्यांकन, अनर्जक निवेशों की पहचान और उनके लिए प्रावधान** निवेश में बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूति, बॉण्ड, डिबेंचर, शेयर, प्रतिभूति प्राप्ति और अन्य अनुमोदित प्रतिभूति में किया गया निवेश शामिल है। निवेशों का बैंक की कुल आय में 29.70% हिस्सा है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों और निर्देशों द्वारा निर्देशित होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के इन निदेशों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेशों का मूल्यांकन, निवेशों का वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान, तदनुरूपी आय की मान्यता न दिए जाने और इसके विरुद्ध प्रावधान शामिल हैं। उपर्युक्त प्रतिभूतियों की प्रत्येक श्रेणी (प्रकार) का मूल्यांकन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और निर्देशों में निर्धारित विधि के अनुसार किया जाना है जिसमें विभिन्न स्त्रोतों जैसे कि एफआईएमएमडीए दरें, बीएसई/एनएसई पर उद्धृत दरें, गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के वित्तीय विवरणों आदि से आंकड़ों/सूचनाओं का संग्रह शामिल है। मूल्यांकन, लेन-देन की मात्रा, हस्तगत निवेशों की मात्रा और विनियामक फोकस की डिग्री में शामिल निर्णय की जटिलताओं और सीमा को ध्यान में रखते हुए, इसे एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया गया है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा निवेश के मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर-निष्पादित निवेशों की पहचान और निवेश से संबंधित प्रावधान पर केंद्रित है।	भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्रों/निर्देशों के संदर्भ में निवेश के प्रति हमारे लेखा परीक्षा दृष्टिकोण में मूल्यांकन, वर्गीकरण, गैर निष्पादित निवेशों (एनपीआई) की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान/मूल्यह्रास के संबंध में आंतरिक नियंत्रणों और वास्तविक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की समझ शामिल थी। विशेष रूप से: क. हमने मूल्यांकन, वर्गीकरण, एनपीआई की पहचान, निवेश से संबंधित प्रावधान / मूल्यह्रास के बारे में प्रासंगिक आरबीआई दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया और इसे समझ लिया। ख. इन निवेशों का उचित मूल्य जानने के लिए विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का आकलन और मूल्यांकन किया गया; ग. हस्तगत निवेशों के चुनिंदा नमूने के लिए इनके ठीक होने और भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों का अनुपालन किए जाने तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र में प्रत्येक श्रेणी की प्रतिभूति का मूल्यांकन फिर से करने संबंधी निदेशों के पालन की स्थिति की भी जांच की गई। नमूनों का चयन यह सुनिश्चित करने के बाद ही किया गया है कि सभी श्रेणियों के निवेशों का (प्रतिभूति की प्रकृति के आधार पर) नमूने में समावेश हो जाए; घ. एनपीआई और आय के तदनुरूपी रिवर्सल एवं प्रावधान राशि की गणना की प्रक्रिया की जांच और मूल्यांकन किया; ङ. सारभूत लेखापरीक्षा कार्यविधियों का पालन किया गया है जिससे भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्रों और निदेशों के अनुसार प्रावधान राशि और मूल्यह्रास के लिए भी प्रावधान राशि की अलग से फिर से गणना की जा सके। तदनुसार हमने प्रत्येक श्रेणी के निवेशों के चुनिंदा नमूने एकत्रित किए और भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के अनुसार एनपीआई की गणना की जांच की तथा उन चुनिंदा नमूना एनपीआई के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्रों के अनुसार किए गए प्रावधान की राशि की भी फिर से गणना की; च. निवेश ऐप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के बीच निवेशों की मैपिंग की जांच की जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर परिपत्र के अनुसार प्रस्तुति और प्रकटीकरण की अपेक्षाओं का कैसे अनुपालन किया गया है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में इस मामले का समाधान कैसे किया गया है
iii	**प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों सहित कतिपय मुकदमों के संबंध में प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों का आकलन, अन्य पक्षों द्वारा दायर किए गए विभिन्न दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है** प्रावधान के स्तर का आकलन करने के लिए उच्च स्तर के निर्णय की आवश्यकता होती है। बैंक का मूल्यांकन मामले के तथ्यों, उनके अपने फैसले, पिछले अनुभव, और कानूनी और स्वतंत्र कर सलाहकारों से सलाह द्वारा समर्थित है, जहां भी आवश्यक माना जाता है। तदनुसार, अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम बैंक के रिपोर्ट किए गए लाभ और तुलन पत्र में प्रस्तुत मामलों की स्थिति को काफी प्रभावित कर सकते हैं। हमने इन मामलों के परिणाम से संबंधित अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त क्षेत्र को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में निर्धारित किया, जिसके लिए कानून की व्याख्या में निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है। तदनुसार, हमारी लेखा परीक्षा विचाराधीन विषय वस्तु के तथ्यों और इसमें शामिल कानून के निर्णयों / व्याख्या के विश्लेषण पर केंद्रित थी।	हमारी लेखापरीक्षा कार्यविधि में शामिल हैः क. लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना ताकि हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं ख. मुकदमों/कर आकलनों की वर्तमान स्थिति को समझना ग. विभिन्न कर प्राधिकरणों/ न्यायिक मंचों से प्राप्त हाल के आदेशों और / या संचार की जांच करना और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना; घ. इसमें प्रस्तुत आधारों के संदर्भ में विचाराधीन विषय वस्तु की योग्यता का मूल्यांकन करना और हमारे आंतरिक कर विशेषज्ञों की राय सहित उपलब्ध स्वतंत्र कानूनी / कर सलाह ङ. चर्चाओं के माध्यम से बैंक के विवादों के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय वस्तु के ब्यौरे का संग्रह, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित बहिर्वाह; और च. महत्वपूर्ण मुकदमों और कराधान मामलों से संबंधित प्रकटीकरण का सत्यापन।
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किए गए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले:		
iv	**सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों और नियंत्रण (आईटी नियंत्रण):** सभी बीमा कंपनियां दैनिक संसाधित लेनदेन की भारी संख्या के कारण प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर हैं। कंपनी की वित्तीय प्रक्रियाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वचालित प्रक्रियाओं के साथ आईटी सिस्टम पर अत्याधिक निर्भर है जो लेनदेन दर्ज करता है, मूल्यांकन और रिकॉर्डिंग पर नियंत्रण करता है। इस प्रकार, आईटी नियंत्रण वातावरण में गैप के कारण इसमें एक जोखिम मौजूद है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग गलत हो सकते हैं। कंपनी अपनी समग्र वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कई प्रणालियों का उपयोग करती है। हमने आईटी सिस्टम के महत्वपूर्ण उपयोग और आईटी आर्किटेक्चर के पैमाने और जटिलता के कारण प्रमुख ऑडिट मामलों के रूप में “आईटी सिस्टम और नियंत्रण” की पहचान की है।	मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं: • वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग पर प्रभाव डालने वाली आईटी प्रणालियों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण का नमूना परीक्षण। • नमूना परीक्षण द्वारा वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग रिकॉर्ड के संबंध में कुछ प्रमुख नियंत्रणों की प्रभावशीलता के लिए आईटी सिस्टम प्रक्रियाओं का मूल्यांकन किया; और • हमारा ऑडिट दृष्टिकोण स्वचालित नियंत्रणों पर निर्भर करता है और इसलिए प्रक्रियाओं को आईटी सिस्टम पर नियंत्रण, कर्तव्यों के अलगाव, इंटरफ़ेस और सिस्टम एप्लिकेशन नियंत्रणों को प्रमुख वित्तीय लेखांकन और रिपोर्टिंग सिस्टम पर परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। • स्वतंत्र सूचना प्रणाली लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा की, जिसने कंपनी द्वारा अपनाए गए विभिन्न सिस्टम नियंत्रण उपायों की पुष्टि की है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में इस मामले का समाधान कैसे किया गया है
v	**निवेशों का मूल्यनिर्धारण: -** कंपनी के निवेश पोर्टफोलियो में पॉलिसीधारकों के निवेश (पारंपरिक और यूनिट लिंक पॉलिसी धारक) और शेयरधारकों का निवेश शामिल हैं। कंपनी का कुल निवेश पोर्टफोलियो (यानी प्रबंधन के तहत आस्ति (एयूएम) कंपनी की कुल संपत्ति के 99.7 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 ("निवेश विनियमन"), आईआरडीएआई (वित्तीय विवरण विनियमन की तैयारी), 2002 ("वित्तीय विवरण विनियम"), कंपनी की निवेश नीति और प्रासंगिक भारतीय जीएएपी के अनुसार निवेश किए जाते हैं और इनका मूल्यनिर्धारण किया जाता है। इन मूल्यांकन विधियों ने अवलोकन योग्य ब्याज दर, सूचकांक स्तर, क्रेडिट स्प्रेड, इक्विटी की कीमतें, काउंटर पार्टी क्रेडिट गुणवत्ता, और इसी बाजार अस्थिरता के स्तर आदि सहित कई अवलोकन योग्य बाजार आदानों (इनपुट) का उपयोग किया। उद्धृत निवेश का पोर्टफोलियो कंपनी के एयूएम का 35.4 प्रतिशत है और निवेश का पोर्टफोलियो जिसका मूल्यनिर्धारण मुख्य रूप से अवलोकन योग्य इनपुट का उपयोग करके किया गया है, कंपनी के एयूएम का 62.8 प्रतिशत है। हम इन निवेशों को पर्याप्त गलत विवरण के उच्च जोखिम पर नहीं मानते हैं, या निर्णय के एक महत्वपूर्ण स्तर के अधीन होने के लिए नहीं मानते हैं क्योंकि उनमें तरल, कोटेड निवेश शामिल हैं। हालांकि, संपूर्ण रूप में एकल वित्तीय विवरणों के संदर्भ में उनकी भौतिकता के कारण, उन्हें उन क्षेत्रों में से एक माना जाता है जिनका हमारी समग्र रणनीति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। सूची से इतर निवेश का पोर्टफोलियो कंपनी के एयूएम का 1.3 प्रतिशत है। सूची से इतर निवेश के मूल्यांकन में मूल्यांकन में इनपुट की निगरानी और उपयुक्त मूल्यांकन पद्धति का निर्धारण करने में आगे के निर्णय के आधार पर निर्णय शामिल होता है जहां बाहरी मूल्य निर्धारण स्रोत या तो आसानी से उपलब्ध नहीं होते हैं या अविश्वसनीय होते हैं। इन निवेशों के मूल्यांकन को उन क्षेत्रों में से एक माना जाता था जिनके लिए महत्वपूर्ण लेखा परीक्षक ध्यान देने की आवश्यकता होती थी और वित्तीय विवरणों में निवेश के कुल मूल्य की भौतिकता के कारण वित्तीय विवरणों में महत्व के मामलों में से एक था।	प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं: • हमने आईआरडीएआई निवेश विनियमों, वित्तीय विवरण विनियमन, कंपनी की आंतरिक निवेश और मूल्यांकन नीति के संदर्भ में मूल्य निर्धारण पद्धतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया। • प्रक्रिया का मूल्यांकन किया और प्रमुख नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया, जिसमें कंपनी की समीक्षा और प्रमुख प्राधिकरण और डेटा इनपुट नियंत्रण सहित मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमानों और मान्यताओं का अनुमोदन शामिल है। • उचित मूल्य एक सक्रिय बाजार में उद्धृत बाजार की कीमतों से सबसे अच्छा साबित होता है। जहां उद्धृत बाजार की कीमतें उपलब्ध नहीं हैं, समान उत्पादों के उद्धृत मूल्यों या अवलोकन योग्य बाजार आधारित इनपुट के साथ मूल्यांकन मॉडल का उपयोग उचित मूल्य का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। अनुमानित उचित मूल्य की गणना एक खास समय में एक विशिष्ट बिंदु पर बाजार की स्थितियों पर आधारित है और भविष्य के मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं कर सकती है। • उद्धृत निवेशों के लिए, मूल्यांकन एक सक्रिय बाजार में स्वतंत्र मूल्य स्रोतों / बाजार कीमतों के अनुसार किया गया। • सूची से इतर निवेशों के लिए, हमने इस तरह के मूल्यांकन के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए मूल्य निर्धारण के संदर्भ में दर्ज मूल्यांकन की उपयुक्तता को निर्धारित करने के लिए मूल्यनिर्धारण मूल्यांकन और परिणामी निष्कर्षों का गंभीर रूप से मूल्यांकन किया।

क्र. सं.	प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखापरीक्षा में इस मामले का समाधान कैसे किया गया है
vi	**आकस्मिक देयताएं और मुकदमे:-** कंपनी के पास विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों और विभिन्न मंचों पर मुकदमे के मामले लंबित हैं। इसमें ऐसे मुकदमे के मामलों के अंतिम परिणाम को निर्धारित करने के लिए लागू लेखा मानकों के अनुसार निर्णय शामिल हैं। प्रबंधन ने आवश्यकतानुसार अपने विशेषज्ञों की मदद से दायित्व के अनुरूप संबंधित निर्णय दिए हैं कि क्या एक अस्थायी देयता के लिए एक अनंतिम प्रकटीकरण देने की आवश्यकता है। इसलिए हमने अनिश्चितता और संभावित भौतिक प्रभाव के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया।	मुख्य लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं:- • हमने मुकदमे के मामलों से संबंधित विभिन्न नियामक पत्राचार और संबंधित दस्तावेजों को पढ़ा और विभिन्न स्थितियों के रूप में कानूनी स्थिति की हमारी समझ के साथ उनकी पुष्टि की। • हमने विवाद की स्थिरता की समीक्षा करने के लिए अपनी टीम की राय सहित स्वतंत्र कानूनी वकील से प्रबंधन द्वारा मांगी गई कानूनी राय प्राप्त की। हमने कंपनी की आंतरिक कानूनी टीम के साथ महत्वपूर्ण मुकदमों के संबंध में स्थिति और संभावित जोखिम पर चर्चा की और प्रत्येक मुकदमे के संभावित परिणाम और संभावित जोखिम के परिमाण पर प्रबंधन के विचारों सहित विभिन्न मुकदमों की प्रगति के बारे में विवरण प्राप्त किया। • तथ्यों और परिस्थितियों का आकलन करने और संभावित जोखिमों की पहचान करने और खुद को संतुष्ट करने के लिए विभिन्न मुकदमों की समीक्षा की गई थी कि यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या कुछ मामलों में जहां राशि का विश्वसनीय रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इस तरह के दायित्व का प्रकटीकरण कंपनी द्वारा एक आकस्मिक देयता के रूप में किया जाता है।
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रमुख लेखा परीक्षा मामले:		
vii	**अनिश्चित कर स्थितियों का मूल्यांकन:** कंपनी के पास विवाद के तहत मामलों सहित अनिश्चित कर लंबित होने की स्थिति है जिसमें इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है।	प्रमुख लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं: हमने कर विवादों की निगरानी के लिए कंपनी की प्रक्रियाओं और नियंत्रणों का मूल्यांकन किया। कर संबंधी मुकदमे के जोखिम मूल्यांकन के लिए प्रबंधन की अंतर्निहित मान्यताओं को चुनौती देने के फैसले और ऐसे मामलों में उनकी धारणा का आकलन करने के लिए कर प्रावधान और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में के संबंध में हमने आंतरिक कर विशेषज्ञ से जोखिम निर्धारण कराया। उन्होंने इन अनिश्चित कर पदों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में कानूनी प्राथमिकता और अन्य फैसलों पर भी विचार किया।

समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा अन्य सूचना

4. बैंक का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट (लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और उन पर हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है), जिसे इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करते समय प्राप्त किया जाएगा, और बैंक के निदेशकों का प्रतिवेदन जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक शामिल हैं, यदि कोई हो, उन पर, जो इस लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय बेसल III प्रकटीकरण के तहत अन्य जानकारी और स्तंभ 3 प्रकटीकरण को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं और न ही करेंगे।

समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी ऊपर पहचानी गई अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों या ऑडिट में प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हम बैंक की निदेशक की रिपोर्ट को पढ़ते हैं, जिसमें वार्षिक रिपोर्ट में अनुलग्नक, यदि कोई हों, तो उस पर, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें एक भौतिक गलत प्रकटीकरण है, तो हमें अभिशासन के प्रभारित लोगों को मामले की सूचना देनी होती है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के साथ प्रभारित लोगों की जिम्मेदारियां

5 बैंक का निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में जिम्मेदार है जो लेखांकन मानक 21-"समेकित वित्तीय विवरण", लेखांकन मानक 23- "समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगियों में निवेश के लिए लेखांकन" और लेखांकन मानक 27 - के अनुसार समूह की समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन और समेकित नकदी प्रवाह का एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी संयुक्त उद्यम में हितों की रिपोर्टिंग और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम,

1955 और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों और अन्य लेखांकन सिद्धांतों को भारत में आम तौर पर स्वीकार किया जाता है। इस उत्तरदायित्व में बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के प्रावधानों और बैंक की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए लागू कानूनों के अनुसार और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; चयन और उपयुक्त लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग; निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, संबंधित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे जो एक सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और सामग्री की गलत प्रकटीकरण से मुक्त होते हैं, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण।

समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने में, समूह निकायों के संबंधित निदेशक मंडल संबंधित समूह इकाई को एक सतत संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है। जैसा कि लागू होता है, सतत संस्था से संबंधित मामलों का प्रकटीकरण करता है और लेखांकन के चल रहे मामलों के आधार का उपयोग करता है जब तक कि प्रबंधन या तो समूह संस्थाओं को समाप्त करने या संचालन को रोकने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

समूह निकायों के निदेशक मंडल भी संबंधित समूह इकाई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

6. हमारा उद्देश्य यह है कि बैंक के समेकित वित्तीय विवरण, संपूर्ण रूप में धोखाधड़ी या त्रुटिवश किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हों, इसका उचित आश्वासन प्राप्त करना और हमारे अभिमत के साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। उचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन माना जाता है मगर यह गारंटी नहीं देता कि सांविधिक लेखा परीक्षा के आधार पर की गई लेखापरीक्षा में पाई गई गलत बयानी का दोष निकल पाएगा। गलत बयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न होती है और उन्हें ठोस माना जाएगा यदि अलग या समग्र रूप से इन बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर इनके यूसर्स द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर प्रभाव डालती है।

एसए के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा के अनुसार हम लेखापरीक्षा के सभी स्तरों पर व्यावसायिक विवेक और व्यावसायिक संशय बनाए रखते हैं। निम्नलिखित भी इसके दायरे में है:

- समेकित वित्तीय विवरणों में निहित गलत बयानी के जोखिमों की पहचान और समीक्षा करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के अनुरूप लेखापरीक्षा कार्यविधि डिजाइन करना और उस पर कार्रवाई करना और लेखापरीक्षा प्रमाण प्राप्त करना जो कि हमारे अभिमत का पर्याप्त तथा संगत आधार बने। धोखाधड़ी के कारण की गई गलत बयानी की पहचान न करने का जोखिम, त्रुटिवश की गई गलत बयानी से भारी हो सकता है क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, इरादतन भूल-चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की भरमार भी हो सकती है।

- उपयोग में लाई गई लेखा नीतियों की युक्तिसंगतता तथा प्रबंध मंडल द्वारा किए गए लेखा प्राक्कलनों और संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता का मूल्यांकन करना।

- प्रबंध मंडल द्वारा कार्यशील बैंक आधार पर लेखा रखने की उपयुक्तता पर निष्कर्ष के रूप में तथा प्राप्त लेखापरीक्षा प्रमाण के आधार पर कि क्या ऐसी घटना या परिस्थिति के आधार पर कोई तात्विक अनिश्चितता विद्यमान है, जिससे कार्यशील समूह की संस्था के रूप में जारी रहने की बैंक की क्षमता पर संशय होता हो। यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्विक अनिश्चितता पाई गई है तो हमें केवल बैंक के वित्तीय विवरणों में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान देना अपेक्षित होगा या प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं हैं तो हमारे अभिमत को संशोधित करना अपेक्षित होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक के लेखापरीक्षा प्रमाण पर निर्भर हैं। हालांकि भविष्य की घटनाओं या परिस्थितियों के कारण बैंक कार्यशील संस्था नहीं भी बना रह सकता है।

- प्रकटीकरण सहित, समूह की संस्था के समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति तथा विषयवस्तु तथा बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेनों तथा घटनाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया गया है, इसका मूल्यांकन करना।

- समूह और उसके सहयोगियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं और जिनकी वित्तीय जानकारी हमने ऑडिट की है। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षाओं के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी रहते हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार बने हुए हैं।

बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों में गलत बयानी की मात्रा, अलग-अलग रूप से या समग्र रूप से जिससे कि इन वित्तीय विवरणों के आधार पर आर्थिक निर्णय लेनेवाले जानकार यूजर संभवतः प्रभावित हो सकता है। (i) हमारी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की योजना बनाते समय और हमारे कार्य के परिणाम का मूल्याकन करते समय तथा (ii) वित्तीय विवरणों में पाई गई गलत बयानी का मूल्यांकन करते समय हम मात्रात्मक विषयवस्तु और गुणात्मक घटकों पर विचार करते हैं।

हम, गवर्नेंस से जुड़े लोगों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा का योजनाबद्ध क्षेत्र और उसकी अवधि, लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम और लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते है।

हम, गवर्नेंस से जुड़े लोगों को एक विवरणी प्रस्तुत करते हैं जिसमें हमारे द्वारा स्वतंत्रता संबंधी नैतिक अपेक्षाओं के अनुपालन करते हुए लेखापरीक्षा की गई है और उन्हें संबंधों तथा अन्य मामलों की जानकारी दें जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले हैं और जहां लागू हो, वहां उससे संबंधित सावधानियों की भी जानकारी दें।

गवर्नेंस से जुड़ें लोगों को जिन मामलों की जानकारी दी जाए उनमें से हम चालू अवधि के बैंक के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कि दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मामलों के रूप में शामिल करें इसलिए ये मामले महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले हैं। हम लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन महत्वपूर्ण मामलों का वर्णन करते है बशर्ते कि लागू कानून या विनियमों में इनके सार्वजनिक प्रकटीकरण पर रोक नहीं लगाई गई हो या अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में हम निर्णय लेते हैं कि हमारी रिपोर्ट में इस मामले की सूचना न दी जाए क्योंकि उसके विपरीत नतीजे जनहित के लिए घातक साबित हो सकते है।

अन्य मामले

7 इन समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं:

क) हमने बैंक के एकल वित्तीय विवरणों में शामिल 8,591 शाखाओं के वित्तीय विवरणों / जानकारी का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी 31 मार्च, 2022 को 21,18,949 करोड़ रुपएं की कुल आस्तियां और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 1,17,395 करोड़ रुपए के कुल राजस्व को दर्शाती हैं, जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में माना जाता है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं की लेखा परीक्षा उन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और हमारी राय में जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है;

(ख) हमने 26 अनुषंगियों, 8 संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों का लेखा-जोखा नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च 2022 तक कुल 3,92,35732 करोड़ रूपए की आस्तियों तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कुल 95,147.53 करोड़ रूपए का राजस्व दर्शाते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में समूह के निवल लाभ का हिस्सा भी शामिल है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 822.88 करोड़ रुपए के शुद्ध लाभ में समूह का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है, 17 सहयोगियों के संबंध में, जिनके वित्तीय विवरणों का हमारे द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है। इन वित्तीय विवरणों का ऑडिट अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, और जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनियों से संबंधित है, हमारी रिपोर्ट, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और सहयोगियों, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है

(ग) हमने 1 अनुषंगी और 1 सहयोगी जिनके वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2022 तक 8,305.05 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति को दर्शाया गया और कुल राजस्व 238.47 करोड़ रुपए है, के वित्तीय विवरणों का ऑडिट नहीं किया है। समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कुल शुद्ध लाभ में समूह का हिस्सा 13.18 करोड़ रुपए भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना जाता है। 1 सहयोगी के संबंध में, जिसका वित्तीय विवरण / वित्तीय जानकारी हमारे द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है। ये वित्तीय विवरण अप्रकाशित हैं और हमें प्रबंधन और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, जहां तक यह इन सहायक और सहयोगी के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, और हमारी रिपोर्ट उपर्युक्त सहायक कंपनियों और सहयोगी से संबंधित है, जहां तक कि पूरी तरह से इस तरह के अप्रकाशित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय उपर्युक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है, जो किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में है।

8 समूह की सहायक कंपनियों एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लेखा परीक्षकों ने सूचित किया है कि लागू जीवन पॉलिसियों के लिए देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन और किए गए लेकिन रिपोर्ट नहीं किए गए दावों (आईबीएनआर) और दावों के संबंध में देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन लेकिन पर्याप्त नहीं बताया गया (आईबीएनईआर) कंपनी के नियुक्त बीमा आकलन कर्ता ("नियुक्त बीमा आकलन कर्ता") की जिम्मेदारी है। लागू जीवन पॉलिसियों के लिए और उन पॉलिसियों के लिए इन देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन 31 मार्च, 2022 को देयता मौजूद है, को नियुक्त बीमा आकलन कर्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और उनकी राय में, इस तरह के मूल्यांकन के लिए धारणाएं भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण ("आईआरडीएआई" / "प्राधिकरण") और भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा सहमति से जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार हैं। लेखा परीक्षकों ने इस संबंध में नियुक्त बीमा आकलन कर्ता के प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है ताकि लागू जीवन नीतियों के लिए देनदारियों के मूल्यांकन पर हमारी राय बनाई जा सके और उन नीतियों के लिए जिनके संबंध में प्रीमियम बंद कर दिया गया है लेकिन कंपनी के वित्तीय विवरणों में देयता मौजूद है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

9. समेकित तुलनपत्र और समेकित लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के अनुसार तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त पैराग्राफ 5 से 8 की सीमाओं का अतिक्रमण न करते हुए एवं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की अपेक्षाओं के अनुरूप एवं तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटीकरणों की सीमाओं के अंतर्गत रहते हुए हम निम्नानुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि:

क. हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार आवश्यक था, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है:

ख. हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं; तथा

ग. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

10 इसके साथ ही हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमारी राय में, बैंक द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित खातों को तब तक रखा गया है जहां तक यह उन खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियों उन शाखाओं से प्राप्त हुए हैं जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया हैं;

ख) समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकदी प्रवाह विवरण का संज्ञान इस रिपोर्ट में लिया गया है, जो खाते के साथ और उन शाखाओं से प्राप्त विवरणियों के साथ मेल खाते है जिनका हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है;

ग) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 और भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के उपबंधों के अनुसार बैंक के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखा कार्यालयों के खातों की रिपोर्ट हमें भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से संज्ञान में लिया गया है; और

घ) हमारी राय में, समेकित तुलन पत्र, समेकित लाभ और हानि खाता और समेकित नकद प्रवाह विवरण लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं, इस हद तक कि वे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों के साथ असंगत नहीं हैं।

11. जैसा कि पत्र संख्या डीओएस. एआरजी. संख्या 6270/08.91.001/2019-20 दिनांक 17 मार्च, 2020 द्वारा अपेक्षित है कि "सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) की नियुक्ति - वित्त वर्ष 2019-20 से एससीए के लिए दायित्वों की रिपोर्टिंग" पर, आरबीआई द्वारा जारी 19 मई, 2020 के बाद के पत्र के साथ पढ़ा गया, हम उपरोक्त पत्र के पैरा ग्राफ 2 में निर्दिष्ट मामलों पर नीचे के रूप में आगे की रिपोर्ट करते हैं:

क) वित्तीय लेन-देन या ऐसे मामलों पर कोई विचार या टिप्पणियां नहीं हैं जिनका बैंक के कार्यकलाप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

ख) 31 मार्च, 2022 को बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर लिए गए बैंक के निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों और भारत में निगमित इसकी सहायक, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, भारत में निगमित समूह कंपनियों के निदेशकों में से कोई भी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए 31 मार्च 2022तक अयोग्य नहीं है।

ग) खातों के रख-रखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित अर्हताएं, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं हैं।

घ) आईसीएआई द्वारा जारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शिका के पैरा 1.14 के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में आरबीआई द्वारा शुरू की गई रिपोर्टिंग आवश्यकता केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के एकल वित्तीय विवरणों पर लागू होगी न कि पीएसबी के समेकित वित्तीय विवरणों पर। तदनुसार, 31 मार्च, 2022 को समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है।

खंडेलवाल जैन एंड कंपनी.
सनदी लेखाकार
आईसीएआई फर्म पंजीकरण संख्या 105049W

शैलेश शाह
भागीदार
सदस्यता सं. 033632
UDIN: 22033632AIXHXY1851

स्थान - मुंबई
तिथि - 13 मई, 2022

अनुलग्नक क: 31 मार्च 2022 को समेकित इकाइयों की सूची

क्र. सं.	सहायक का नाम	क्र. सं.	सहायक का नाम
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड.	15	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेस लि.
2	एसबीआईकैप सिक्योरिटीज लिमिटेड	16	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड
3	एसबीआईकैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	17	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड
4	एसबीआईकैप वेंचर्स लिमिटेड	18	वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी, मास्को
5	एसबीआईकैप (सिंगापुर) लिमिटेड	19	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड
6	एसबीआई डीएफएचआई लि.	20	एसबीआई कनाडा बैंक
7	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लि.	21	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफ़ोर्निया)
8	एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	22	भारतीय स्टेट बैंक (यूके) लिमिटेड
9	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	23	भारतीय स्टेट बैंक सर्विकोस लिमिटाडा
10	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	24	एसबीआई (मॉरीशस) लिमिटेड
11	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	25	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया
12	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	26	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड
13	एसबीआई जेनरल इंश्योरंस कंपनी लि.	27	नेपाल एसबीआई मर्चेंट बैंकिंग लिमिटेड
14	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड		

क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम	क्र. सं.	संयुक्त उद्यम का नाम
1	सी - एज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	5	मेक्वायरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी लि.
2	एसबीआई मेक्वायरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रा. लि.	6	ओमान इंडिया ज्वाइंट इनवेस्टमेंट फंड - मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3	एसबीआई मेक्वायरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्रा. लि.	7	ओमान इंडिया ज्वाइंट इनवेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
4	मेक्वायरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लिमिटेड।	8	जियो पेमेंट बैंक लि.

क्र. सं.	सहयोगियों के नाम	क्र. सं.	सहयोगियों के नाम
1	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	10	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक
2	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	11	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक
3	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	12	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
4	इसाकाई देहाती बैंक	13	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक
5	मेघालय ग्रामीण बैंक	14	तेलंगाना ग्रामीण बैंक
6	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	15	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
7	मिजोरम ग्रामीण बैंक	16	येस बैंक लिमिटेड
8	नागालैंड ग्रामीण बैंक	17	बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड
9	उत्कल ग्रामीण बैंक	18	इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेस (इंडिया) प्राइवेट लि (29 जून, 2021 से)

पिलर 3 प्रकटीकरण (समेकित) 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

डीएफ़-1: लागू करने का कार्यक्षेत्र

"भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है, जिस पर बासेल III मानदंड लागू होते हैं। इस समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों, निर्देशों और दिशानिर्देशों, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 के वैधानिक दिशानिर्देशों, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1996, कंपनी अधिनियम 2013, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक और भारत में प्रचलित लेखा सामान्य व्यवहार शामिल हैं।"

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

क) समूह के उन निकायों की सूची, जिन्हें 31.03.2022 को समाप्त अवधि के लिए समेकन हेतु विचार किया गया है

निम्नलिखित अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों को शामिल कर एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	क्या इकाई समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण	यदि केवल एक कार्यक्षेत्र के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
2	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
3	एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
4	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
5	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड	सिंगापुर	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
6	एसबीआई डीएफ़एचआई लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
7	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
8	एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
9	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
10	एसबीआई- ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
11	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
12	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	क्या इकाई समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण	यदि केवल एक कार्यक्षेत्र के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें
13	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड	मॉरिशस	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
14	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
15	भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफ़ोर्निया)	यूएसए	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
16	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
17	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	रूस	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
18	एसबीआई (मॉरिशस) लिमिटेड	मॉरिशस	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
19	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
20	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
21	नेपाल एसबीआई मर्चेंट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
22	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	बोत्सवाना	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
23	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राज़ील	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
24	भारतीय स्टेट बैंक (यूके) लिमिटेड	यूके	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	लागू नहीं	लागू नहीं
25	एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं है	लागू नहीं	गैर-वितीय अनुषंगी: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
26	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
27	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	क्या इकाई समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण	यदि केवल एक कार्यक्षेत्र के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें
28	सी-एज टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
29	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
30	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
31	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पीटीई लिमिटेड	सिंगापुर	हाँ	एएस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
32	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	बरमूडा	हाँ	एएस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
33	ओमान इंडिया जॉइंट इनवेस्टमेंट फंड-मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
34	ओमान इंडिया जॉइंट इनवेस्टमेंट फंड - ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
35	जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम: नियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
36	आंध्रप्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
37	अरूणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
38	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	क्या इकाई समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण	यदि केवल एक कार्यक्षेत्र के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें
39	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
40	मेघालय ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
41	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
42	मिजोरम ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
43	नागालैंड ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
44	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
45	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
46	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
47	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
48	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
49	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	क्या इकाई समेकन के लेखांकन कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर के कारण	यदि केवल एक कार्यक्षेत्र के आधार पर समेकन किया गया है तो उसके कारण दें
50	द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
51	यस बैंक लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
52	बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड	भूटान	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं
53	इन्वेस्टेक कैपिटल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार समेकित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी: विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में नहीं

ख. 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार समूह की उन इकाइयों की सूची, जिन्हें लेखांकन और विनियामक दोनों कार्यक्षेत्र के तहत समेकन के लिए विचार नहीं किया गया है

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	इकाई के पूंजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों को विनियामक द्वारा मान्यता	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
1	एसबीआई फाउंडेशन	भारत	कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलाभकारी कंपनी	107.07	99.72%	विनियामक पूंजी से कटौती	107.18
2	एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड	भारत	परिसमापन के तहत	लागू नहीं	26.00%	जोखिम भारित	लागू नहीं

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

ग. 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार विनियामक समेकन में शामिल समूह इकाइयों की सूची

समेकन के विनियामक कार्यक्षेत्र के तहत शामिल समूह इकाइयों की सूची निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है) $	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	टिप्पणियां
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	मर्चेंट बैंकिंग और सलाहकारी सेवाएँ	2,380.73	2,458.09	
2	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज़ लिमिटेड	भारत	सिक्युरिटीज़ ब्रोकिंग एवं इसकी सहायक सेवाएँ तथा वित्तीय उत्पादों का अन्य पक्ष को वितरण	800.69	1,856.94	
3	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप गतिविधियाँ	150.80	153.16	
4	एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड	भारत	वेंचर कैपिटल फंड के लिए आस्ति प्रबंधन कंपनी	137.71	149.21	
5	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड	सिंगापुर	व्यवसाय एवं प्रबंधन परामर्श सेवाएँ	59.46	59.88	04.05.2021 को मर्चेंट बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया गया। (परिसमापन प्रक्रिया के तहत)
6	एसबीआई डीएफ़एचआई लिमिटेड	भारत	सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथमिक विक्रेता	1,297.05	12,677.90	
7	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए ट्रस्टीशिप सेवाएँ	39.53	39.65	
8	एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लिमिटेड	भारत	फैक्टरिंग सेवाएँ	374.48	1,199.68	
9	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	उन्हें आवंटित एनपीएस ट्रस्ट की आस्तियों का प्रबंधन और एनपीएस ग्राहकों के ऑनबोर्डिंग के लिए पीओपी के रूप में कार्य करना	96.09	101.12	
10	एसबीआई पेमेंट्स सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	कैशलेस/डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने वाले मर्चेंट अक्वाइरिंग बिजनेस से संबंधित भुगतान समाधान	1,456.50	1,977.72	
11	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए आस्ति प्रबंधन सेवाएँ	3,395.43	3,524.72	
12	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) लिमिटेड	मॉरिशस	निवेश प्रबंधन सेवाएँ	2.42	4.20	

क्र. सं.	इकाई का नाम	देश, जहां निगमन हुआ	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है) $	कुल तुलन पत्र आस्तियां (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	टिप्पणियां
13	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस लिमिटेड	भारत	क्रेडिट कार्ड व्यवसाय	7,299.38	34,239.38	
14	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज़ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	अभिरक्षा एवं निधि लेखा सेवाएँ	363.03	930.15	
15	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफ़ोर्निया)	यूएसए	बैंकिंग सेवाएँ	1,154.10	7,465.21	
16	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	बैंकिंग सेवाएँ	1,005.80	8,305.05	
17	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	रूस	बैंकिंग सेवाएँ	215.91	506.21	
18	एसबीआई (मॉरिशस) लिमिटेड	मॉरिशस	बैंकिंग सेवाएँ	1,159.82	8,164.75	
19	पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	इंडोनेशिया	बैंकिंग सेवाएँ	1,134.73	2,964.29	
20	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल	बैंकिंग सेवाएँ	1,043.71	9,774.59	
21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	यूके	बैंकिंग सेवाएँ	2,482.62	17,729.18	
22	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	बोत्सवाना	बैंकिंग सेवाएँ	-	-	30.06.2021 को बैंकिंग लाइसेंस अभ्यर्पण और 07.09.2021 को कंपनी को अपंजीकृत कर दिया गया।
23	स्टेट बैंक ऑफ सर्विकोस लिमिटाडा, ब्राज़ील	ब्राज़ील	प्रतिनिधि कार्यालय सेवाएँ	2.23	2.29	
24	नेपाल एसबीआई मर्चेंट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	मर्चेंट बैंकिंग और सलाहकार सेवाएँ	17.29	18.38	

$ इक्विटी पूंजी, आरक्षित और अधिशेष शामिल हैं

घरेलू इकाईयों के मामले में आईजीएएपी के अनुसार और विदेशी इकाईयों के मामले में संबंधित स्थानीय विनियमों के अनुसार

(घ) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि जो विनियामक समेकन कार्यक्षेत्र में शामिल नहीं हैं, अर्थात् जो घटा दी गई है:

अनुषंगियों का नाम/ उस देश का नाम, जहाँ निगमन हुआ है	इकाई का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूँजी की कमी
निरंक				

(ङ) बीमा इकाईयों में बैंक के कुल हितों की सकल राशि (अर्थात वर्तमान बही मूल्य), जो जोखिम भारित हैं:

(रुपए करोड़ में)

बीमा इकाईयों का नाम/ उस देश का नाम, जहाँ निगमन हुआ है	अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाज़ार भाव	अतिरिक्त प्रावधान (एलआईसीआरए + आईआरएसी + आईओएस + आरसीएच)	पूँजी प्रभार	आरडबल्यूए	इकाई की मुख्य गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि विधिक इकाई के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल इक्विटी में बैंक की धारिता का %	जोखिम भार पद्धति का उपयोग बनाम पूर्ण कटौती पद्धति का उपयोग का नियामक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.46	99.93	78.52	-	15.90	198.76	बीमा	2,112.62	0.07%	किसी भी विधि के साथ नगण्य प्रभाव
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	0.45	68.07	60.39	0.02	12.22	152.80	बीमा	490.89	0.09%	किसी भी विधि के साथ नगण्य प्रभाव
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.62	100.34	80.74	-	16.35	204.37	बीमा	1,437.31	0.11%	किसी भी विधि के साथ नगण्य प्रभाव
न्यू इंडिया एश्योरेंस कं लिमिटेड	4.32	345.28	96.33	96.33	-	-	बीमा	824.00	0.52%	कोई प्रभाव नहीं चूंकि पूर्णतः उपलब्ध कराया गया है

(च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण में कोई प्रतिबंध अथवा बाधाएं:

विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध
एसबीआई कैलिफोर्निया	विनियमों के अनुसार, मूल बैंक को पूंजी अंतरित करने का एकमात्र माध्यम लाभांश का भुगतान अथवा शेयरों की वापसी-खरीद अथवा पूंजी का प्रत्यावर्तन है।
एसबीआई कनाडा	मूल बैंक को किसी भी प्रकार की पूंजी (इक्विटी अथवा ऋण) अंतरित करने से पहले नियामक (ओएसएफआई) की पूर्व अनुमति।

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध
एसबीआई मॉरिशस लिमिटेड	मूल बैंक सहित शेयरधारकों को किए जाने वाले भुगतान से बैंक की पूंजी कम करने पर विनियामक प्रतिबंध हैं। पूंजी में कोई भी कमी या तो लाभांश के भुगतान के माध्यम से अथवा बैंकिंग अधिनियम व मॉरिशस के कंपनी अधिनियम में बताए गए माध्यम से की जा सकती है। भुगतान की जाने वाली राशि एसबीआईएमएल द्वारा विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त पूंजी और तरलता अनुपात बनाए रखने के अधीन है। क) कोई भी बैंक जब तक मॉरिशस में बताई गई पूंजी के अनुसार भुगतान की राशि अथवा कम से कम 400 मिलियन रुपयों या बराबर की नियत पूंजी की राशि नहीं रखता और रखना जारी नहीं रखता, तब तक केंद्रीय बैंक उसे लाइसेंस नहीं देगा अथवा बैंक बैंकिंग लाइसेंस नहीं रख सकता। ख) प्रत्येक बैंक मॉरिशस में कम से कम 10 प्रतिशत की पूंजी, अथवा उस बैंक की जोखिम आस्तियों एवं अन्य प्रकार के जोखिमों के मामले में केन्द्रीय बैंक द्वारा निर्धारित उच्चतर अनुपात में पूंजी बनाए रखेगा।
बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	बुक II बैंक के साथ-साथ विदेशी मुद्रा बैंक के रूप में काम करने में सक्षम होने के लिए बैंक न्यूनतम नियामक पूंजी रखता है। हालांकि, पर्याप्त लाभ अर्जित करने के बाद मूल बैंक को लाभांश के रूप में धन के अंतरण की अनुमति है।
नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल के कानूनों के तहत, कंपनी की परिसंपत्तियां और देनदारियां विशिष्ट और गैर-हस्तांतरणीय होती हैं। इसलिए, बैंकिंग समूह के भीतर निधियों अथवा विनियामक पूंजी का अंतरण संभव नहीं है।
कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को (सीआईबीएल)	बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध अथवा बाधाएं नहीं हैं।
भारतीय स्टेट बैंक (यूके) लिमिटेड	विनियामक न्यूनतम आवश्यकता से अधिक पूंजी का भुगतान एसबीआई यूके बोर्ड और पीआरए के अनुमोदन के साथ मूल बैंक (लाभांश अथवा कम की गई पूंजी के माध्यम से) को वापस किया जा सकता है। यह एसबीआई यूके लिमिटेड की अनुमानित वृद्धि योजनाओं और इसकी पूंजी आवश्यकताओं पर आधारित होगा।

नोट: बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड 07 सितंबर 2021 से अपंजीकृत है।

गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध
एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड	विनियमों के अनुसार, मूल बैंक को पूंजी अंतरित करने का एकमात्र तरीका बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 49 के अनुसार लाभांश का भुगतान करना है।
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	• विनियमों के अनुसार, मूल बैंक को पूंजी अंतरित करने का एकमात्र तरीका बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 49 के अनुसार लाभांश का भुगतान करना है। • 31 मार्च 2022 के दिन कंपनी का सॉल्वेंसी अनुपात 1.85 है। • सॉल्वेंसी की विनियामक आवश्यकता 1.5 है और बोर्ड ने कंपनी द्वारा न्यूनतम सॉल्वेंसी अनुपात 1.7 को हमेशा बनाए रखना अनिवार्य किया है।
एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस लिमिटेड	कंपनी अधिनियम, सेबी और आरबीआई के प्रावधानों के अनुसार, एसबीआई कार्ड शेयरों की वापसी-खरीद के माध्यम से ही एसबीआई को शेयर पूंजी वापस कर सकता है।
एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड	• एसबीआईएफ़एमएल कंपनी अधिनियम, सेबी विनियमों और अन्य लागू विनियमों के पालन के अधीन वापसी-खरीद के माध्यम से पूंजी का हस्तांतरण कर सकता है। कंपनी यह भी सुनिश्चित करती है कि बोर्ड/ समिति के सभी संकल्पों के लिए, जैसा भी मामला हो, अमुंडी के कम से कम एक सहयोगी निदेशक का अनुमोदन प्राप्त किया जाए। • इसके अलावा, कंपनी अधिनियम के अनुसार, जहां कहीं भी बोर्ड/शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, कंपनी उसका अनुपालन करेगी।

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	एसबीआईकैप से मूल एसबीआई को पूंजी का हस्तांतरण, निम्नानुसार के अधीन होगा: 1. (क) सेबी मर्चेंट बैंकर्स विनियम 1992 के अनुसार, एक श्रेणी I के मर्चेंट बैंकर की न्यूनतम 5 करोड़ रुपए की निवल मालियत होना आवश्यक है। इसके अलावा, यदि निधियों के हस्तांतरण से नियंत्रण में बदलाव होता है तो सेबी से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। 1. (ख) सेबी (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 के अनुसार, एक अनुसंधान विश्लेषक जो एक निगमित निकाय है, के पास 25 लाख रुपए की निवल मालियत होना आवश्यक है। इसके अलावा, यदि निधियों के हस्तांतरण से नियंत्रण में बदलाव होता है तो सेबी से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। 2. एसबीआईकैप के एओए के अनुच्छेद 60 में प्रावधान है कि इन अनुच्छेदों में निहित किसी तथ्य के बावजूद, अधिनियम के सभी लागू प्रावधानों या किसी अन्य कानून के अधीन रहते हुए, कंपनी अपने स्वयं के शेयरों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को खरीद सकती है। 3. एसबीआईकैप में न्यूनतम क्षमता मूल्यांकन रेटिंग (सीएआर) को 15.00 बनाए रखने की एक आंतरिक जोखिम नीति है 4. उपर्युक्त सभी एसबीआईकैप बोर्ड के अनुमोदन के अधीन होंगे।
एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लिमिटेड	नियमों के अनुसार, मूल बैंक को पूंजी अंतरित करने का एकमात्र तरीका लाभांश या वापसी-खरीद शेयरों का भुगतान करना है। मूल बैंक सहित शेयरधारकों को किए जाने वाले भुगतान से बैंक की पूंजी कम करने पर विनियामक प्रतिबंध हैं। पूंजी में कोई भी कमी या तो लाभांश के भुगतान के माध्यम से अथवा बैंकिंग अधिनियम व कंपनी अधिनियम में बताए गए माध्यम से की जा सकती है। भुगतान की जाने वाली राशि विनियामक आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त पूंजी और तरलता अनुपात बनाए रखने के अधीन है। क. एक कंपनी एनबीएफसी-फैक्टर्स लाइसेंस नहीं रख सकती है, यदि वह निवल स्वाधिकृत निधि के रूप में भुगतान की गई राशि को बनाए नहीं रखती और बनाए रखना जारी नहीं रखती है। ख. प्रत्येक एनबीएफसी तुलन पत्र पर अपनी कुल जोखिम भारित आस्तियों (टियर I और टियर II पूंजी, टियर I पूंजी 10% से कम नहीं होनी चाहिए) का कम से कम 15% की पूंजी, अथवा केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित उच्च अनुपात, और तुलनपत्रेतर मदों के जोखिम समायोजित मूल्य को बनाए रखेगा। ग. एनबीएफसी-फैक्टर्स के रूप में पंजीकृत प्रत्येक कंपनी फैक्टरिंग विनियम अधिनियम 2011 के अनुसार न्यूनतम 5 करोड़ रुपए की निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ) बनाए रखेगी। घ. कंपनी अधिनियम में शेयरों की वापसी-खरीद या लाभांश के रूप में वितरण के माध्यम से पूंजी के अंतरण के लिए भी कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। कंपनी के संस्था के अंतर्नियम (एओए) में निधि या विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई विशिष्ट प्रतिबंध नहीं है। विनियामक न्यूनतम आवश्यकता से अधिक पूंजी का भुगतान बोर्ड और नियामक के अनुमोदन के साथ मूल बैंक (लाभांश अथवा कम की गई पूंजी के माध्यम से) को वापस किया जा सकता है। यह अनुमानित वृद्धि योजनाओं और इसकी पूंजी आवश्यकताओं पर आधारित होगा।
एसबीआई-एसजी ग्लोबल सेक्यूरिटीज़ सर्विसेस लिमिटेड	पूंजी का अंतरण सेबी द्वारा निर्धारित 500 मिलियन रुपए के न्यूनतम विनियामक निवल मालियत के संधारण के अधीन होगा। इसके अतिरिक्त, कंपनी को बोर्ड के अनुसार परिचालन जोखिम, जिसकी गणना बेसल II के मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार की जाती है, के लिए 200 मिलियन रुपए (31.03.2022 की स्थिति के अनुसार) की पूंजी पर प्रभार बनाए रखने की आवश्यकता है। अंतरण नए शेयरों के इश्यू (अधिकारों के आधार पर अथवा अनुवर्ती प्लेसमेंट के रूप में में जारी किए गए शेयरों के अलावा), विकल्प या वारंट का निर्माण, शेयरों के नए वर्गों का निर्माण, वापसी-खरीद/मोचन/पुनर्खरीद, विभाजन, संपरिवर्तनीय ऋण जारी कर, बोनस, ग्रहणाधिकार या ऋण-भार अथवा इक्विटी में संपरिवर्तन को शामिल करने वाले ऋण पुन:संरचना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो पक्षों के लिए और/अथवा इक्विटी शेयरधारकों के रूप में उनके अधिकारों और कंपनी द्वारा लाभांश की घोषणा के लिए गैर-विलयनीय होगा।

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध
एसबीआई डीएफ़एचआई लिमिटेड	कंपनी लाभांश/ शेयरों की वापसी-खरीद के माध्यम से मूल कंपनी को अधिशेष /पूंजी अंतरित कर सकती है। लाभांश के भुगतान के संबंध में एकल प्राइमरी डीलरों (एसपीडी) को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश निम्नानुसार हैं- 1. एसपीडी के शेयरधारिता स्वरूप/पूंजी संरचना में किसी भी बदलाव के लिए आरबीआई के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। 2. एसपीडी को निरंतर आधार पर न्यूनतम 15 प्रतिशत सीआरएआर बनाए रखने की आवश्यकता है। 3. लाभांश वितरण की घोषणा करते समय एसपीडी निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे: अ. एसपीडी ने सांविधिक भंडारों को लाभ के अंतरण संबंधी विनियमों और प्रतिभूतियों के प्रावधान और मूल्यांकन आदि से संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन किया होगा। आ. पिछली चार तिमाहियों में से किसी में भी 15 प्रतिशत के विनियामक न्यूनतम से कम सीआरएआर वाले एसपीडी किसी भी लाभांश की घोषणा नहीं करेंगे। इ. पिछले वर्ष की सभी चार तिमाहियों के दौरान 15 प्रतिशत के नियामक न्यूनतम के बराबर या उससे अधिक, लेकिन चार तिमाहियों में से किसी एक में भी 20 प्रतिशत से कम सीआरएआर वाले एसपीडी के लिए, लाभांश भुगतान अनुपात (डीपीआर) 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ई. पिछले वर्ष की सभी चार तिमाहियों के दौरान 20 प्रतिशत या उससे अधिक की दर से सीआरएआर वाले एसपीडी के लिए, डीपीआर 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। उ. डीपीआर की गणना एक वर्ष में देय लाभांश (लाभांश कर को छोड़कर) से वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ के लिए के प्रतिशत के रूप में की जाएगी। ऊ. प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के लाभ में से देय होगा। यदि प्रासंगिक अवधि के लिए लाभ में कोई असाधारण आय शामिल है, तो लाभ-भुगतान अनुपात की गणना विवेकपूर्ण लाभ-भुगतान अनुपात सीमा के अनुपालन के लिए ऐसी असाधारण मदों को छोड़कर की जाएगी। ऋ. उस वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण जिसके लिए एसपीडी लाभांश की घोषणा कर रहा है, सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी अर्हता से मुक्त होगा, जिसका उस वर्ष के दौरान लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव के लिए किसी भी अर्हता के मामले में, डीपीआर की गणना करते समय शुद्ध लाभ को उपयुक्त रूप से नीचे की ओर समायोजित किया जाएगा।
एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	पीएफआरडीए/कंपनी अधिनियम, 2013 में लाभांश के माध्यम से मूल बैंक को पूंजी के हस्तांतरण अथवा मूल बैंक को शेयर की वापसी-खरीद अथवा पूंजी प्रत्यावर्तन के लिए कोई विनियामक प्रतिबंध नहीं हैं। एकमात्र मानदंड यह है कि कंपनी को 50 करोड़ रुपए के न्यूनतम निवल मालियत को बनाए रखना चाहिए और पेंशन फंड के न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए अर्थात विनियम 8 (डी) प्रायोजक के पास पिछले पांच वित्तीय वर्षों में से कम से कम तीन में कर पश्चात लाभ होना चाहिए। इसके अलावा पिछले पांच वर्षों में कोई नकदी हानि नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, विनियम जे के अनुसार, किसी वित्तीय वर्ष में पेंशन निधि के प्रायोजक के प्रबंधन, स्वामित्व, शेयरधारिता स्वरूप या नियंत्रण में एक प्रतिशत से अधिक लेकिन प्रायोजक या पेंशन फंड की चुकता पूंजी के पांच प्रतिशत से कम का परिवर्तन होने पर, इसकी सूचना, ऐसे परिवर्तन की घटना के पंद्रह दिनों के भीतर प्राधिकरण को दी जाएगी। बशर्ते कि किसी भी वित्तीय वर्ष में प्रायोजक या पेंशन निधि की चुकता पूंजी में पांच प्रतिशत या उससे अधिक में कोई परिवर्तन प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। पूंजी का भुगतान बोर्ड और शेयरधारकों के अनुमोदन और पीएफआरडीए विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को पूरा करने के साथ मूल बैंक को किया जा सकता है।
जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, एसबीआई द्वारा आयोजित जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के शेयरों में कोई लॉक-इन नहीं है।
एसबीआई पेमेंट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम करार के अनुसार निधियों अथवा विनियामक पूंजी के अंतरण पर कोई प्रतिबंध या बाधाएं नहीं हैं। निधियों का अंतरण एसबीआई पेमेंट बोर्ड और जेवी भागीदारों के अनुमोदन के अधीन है।

डीएफ़- 2 - पूंजी पर्याप्तता

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) वर्तमान और भविष्य की गतिविधियों का समर्थन करने के लिए अपनी पूंजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन के लिए बैंक के दृष्टिकोण की संक्षिप्त चर्चा

- बैंक और इसकी बैंकिंग सहायक कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक के नए पूंजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएएफ) दिशानिर्देशों के अनुरूप वार्षिक आधार पर आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) अपनाती हैं। इस आईसीएएपी में पूंजी योजना प्रक्रिया का विवरण दिया जाता है और निम्नलिखित जोखिमों के मापन, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूंजी आवश्यकता तथा तनाव परीक्षण को कवर करते हुए मूल्यांकन किया जाता है:

  - ➢ ऋण जोखिम
  - ➢ परिचालन जोखिम
  - ➢ चलनिधि जोखिम
  - ➢ अनुपालन जोखिम
  - ➢ पेंशन निधि दायित्व जोखिम
  - ➢ प्रतिष्ठा जोखिम
  - ➢ ऋण जोखिम न्यूनीकरण से शेष जोखिम
  - ➢ प्रतिभा जोखिम
  - ➢ उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य जोखिम
  - ➢ बाजार जोखिम
  - ➢ ऋण संकेंद्रण जोखिम
  - ➢ बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम
  - ➢ देश जोखिम
  - ➢ कार्यनीतिक जोखिम
  - ➢ मॉडल जोखिम
  - ➢ संक्रामक जोखिम
  - ➢ साइबर जोखिम
  - ➢ अंडरराइटिंग जोखिम

- भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में अनुमानित निवेश तथा भारतीय स्टेट बैंक एवं इसकी सहायक कंपनियों (घरेलू/विदेशी) के अग्रिमों में वृद्धि पर विचार करते हुए 3 से 5 वर्षों की मध्यम अवधि में पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) में कमी या बढ़ोत्तरी पर प्रतिवर्ष अथवा आवश्यकतानुसार संवेदनशीलता विश्लेषण किया जाता है। यह विश्लेषण एसबीआई और एसबीआई समूह के लिए अलग-अलग किया जाता है।
- 3 से 5 वर्षों की मध्यम अवधि में बैंक तथा समग्र समूह के सीआरएआर विनियामक सीएआर से काफी अधिक रहने का अनुमान है। तथापि, पर्याप्त पूंजी बनाए रखने के लिए, बैंक के पास इक्विटी के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अधीनस्थ ऋण, स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस), मोचनीय गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस), मोचनीय संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस), स्थायी ऋण लिखत (पीडीआई) और स्थायी गैर-संचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) को बढ़ाकर अपने पूंजीगत संसाधनों को बढ़ाने के विकल्प हैं।
- विदेशी अनुषंगियों के लिए कार्यनीतिक पूंजी योजना में आस्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी निर्धारण तथा विभिन्न स्थानीय विनियामक आवश्यकताओं एवं विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक पूंजी का आकलन शामिल है। आस्तियों के बढ़े हुए स्तर का समर्थन करने तथा पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) को बनाए रखने के लिए सीईटी 1/एटी 1/ टियर 2 पूंजी जुटाने के लिए एकल अनुषंगी की क्षमता के बारे में संतुष्ट हो जाने के बाद मूल बैंक द्वारा संवृद्धि योजना को अनुमोदित किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं:

- मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो → रु 2,45,004.33 करोड़
- प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र → शून्य

....

कुल रुपए 2,45,004.33 करोड़

(ग) बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं

- मानक अवधि दृष्टिकोण;
  - ब्याज दर जोखिम → रु 14,552.67 करोड़
  - विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम (स्वर्ण सहित) → रु 902.64 करोड़
  - इक्विटी जोखिम → रु 10,194.22 करोड़

....

कुल रुपए 25,649.53 करोड़

(घ)	परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं • बुनियादी संकेतक दृष्टिकोण • मानक दृष्टिकोण (यदि लागू हो))	→ रु 21,077.98 करोड़ लागू नहीं .... **कुल रुपए 21,077.98 करोड़**

(ङ) सामान्य इक्विटी टियर 1, टियर 1 तथा कुल पूंजी अनुपात

- शीर्ष समेकित समूह के लिए; तथा
- महत्वपूर्ण बैंक अनुषंगियों के लिए (फ्रेमवर्क लागू करने के तरीके के आधार पर एकल अथवा उप-समेकित)

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार पूंजी पर्याप्तता अनुपात

	सीईटी 1 (%)	टियर 1 (%)	कुल (%)
एसबीआई समूह	10.26	11.68	14.03
भारतीय स्टेट बैंक	9.94	11.42	13.83
एसबीआई (मॉरिशस) लिमिटेड	18.64	18.64	19.64
भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	13.44	13.44	15.06
भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफ़ोर्निया)	14.51	14.51	15.70
वाणिज्यिक इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	35.21	35.21	35.21
बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	67.74	67.74	68.68
नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	13.30	13.30	16.39
एसबीआई (यूके) लिमिटेड	16.86	16.86	17.15

डीएफ़- 3: ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

सामान्य प्रकटीकरण

अ. गुणात्मक प्रकटीकरण

- **पिछले बकाया और ह्रासित आस्तियों की परिभाषाएं (लेखांकन उद्देश्यों के लिए)**

अनर्जक आस्तियां

जब कोई आस्ति बैंक के लिए आय अर्जन बंद कर देती है, तो वह अनर्जक आस्ति बन जाती है। 31 मार्च 2006 से, उस आस्ति को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाता है, जो

(i) सावधि ऋण के मामले में ब्याज और/या यदि मूल राशि की किस्त 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है।

(ii) ओवरड्राफ्ट/ नकदी ऋण (ओडी/सीसी) खाता यदि 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अनियमित रहता है।

(iii) खरीदे और भुनाए गए बिलों के मामले में यदि बिल 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है।

(iv) अन्य खातों के मामले में यदि प्राप्त होने वाली कोई भी राशि 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है।

(v) अल्प अवधि फसलों के लिए दिए गए ऋण को तब एनपीए माना जाता है जब मूल राशि या ब्याज की किस्त दो फसली मौसमों तक अतिदेय रहती है तथा दीर्घ अवधि फसलों के लिए दिए गए ऋण को तब एनपीए माना जाता है जब मूल राशि की किस्त या ब्याज एक फसली मौसम के लिए अतिदेय रहता है।

(vi) किसी खाते को तब एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा जब किसी तिमाही के दौरान लगाए गए ब्याज का भुगतान तिमाही समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूरी तरह से न किया गया हो।

(vii) प्रतिभूतिकरण पर 1 फरवरी, 2006 के आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में, यदि चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक तक बकाया हो।

(viii) डेरिवेटिव लेनदेन के मामले में, डेरिवेटिव संविदा के बाजार मूल्य में सकारात्मक चिह्न वाले अतिदेय प्राप्य राशियां, यदि निर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए अप्रदत्त हैं।

'अनियमित' स्थिति

यदि किसी खाते में बकाया राशि लगातार संस्वीकृत/आहरण सीमा से अधिक रहती है, तो उस खाते को 'अनियमित' माना जाता है।

ऐसे मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बकाया शेष राशि संस्वीकृत/आहरण सीमा शक्ति से कम है, लेकिन बैंक के तुलन-पत्र की तारीख तक लगातार 90 दिनों तक कोई क्रेडिट प्राप्त नहीं होता है, अथवा इसी अवधि के दौरान खाते में डेबिट किए गए ब्याज को कवर करने के लिए क्रेडिट पर्याप्त नहीं होते हैं, ऐसे खातों को 'अनियमित' माना जाता है।

'अतिदेय''

किसी भी ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय किसी भी राशि की चुकौती यदि बैंक द्वारा निर्धारित देय तिथि पर नहीं की जाती है तो उसे 'अतिदेय' माना जाता है।

दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान

दबाव की प्रारंभिक पहचान और रिपोर्टिंग:

निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार चूक* होने की स्थिति में विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) के रूप में दबावग्रस्त आस्तियों को वर्गीकृत करके ऋण खातों में प्रारंभिक दबाव की पहचान:

एसएमए उप श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार- मूलधन अथवा ब्याज भुगतान अथवा अन्य कोई राशि इस अवधि के दौरान पूर्ण अथवा आंशिक रूप से अतिदेय हो
एसएमए -0	1-30 दिन
एसएमए -1	31-60 दिन
एसएमए -2	61-90 दिन

* चूक का अर्थ है, जब पूरी राशि या उसका कोई भाग अथवा ऋण की किस्त बकाया एवं देय हो गई हो तथा ऋणकर्ता अथवा कॉरपोरेट ऋणकर्ता द्वारा उसकी चुकौती न की गई हो। नकदी ऋण जैसी परिक्रामी ऋण सुविधाओं के मामले में उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना चूक का अर्थ यह भी होगा कि बकाया शेष राशि 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, लगातार से अधिक बनी रहती है।

- **बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा**

बैंक में एक एकीकृत ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति है, जिसकी समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है। वर्ष-दर-वर्ष, इस संबंध में नई उभरती अवधारणाओं और वास्तविक अनुभव के आधार पर नीति और कार्यप्रणालियों में सुधार किया जाता रहा है। नीति तथा कार्यप्रणालियों को बेसल-II और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित दृष्टिकोण के अनुरूप ढाला गया है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के तहत एक्सपोज़र में ऋण जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, मापन, निगरानी और नियंत्रण शामिल हैं।

ऋण जोखिम की पहचान और मूल्यांकन की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं:

(i) व्यापक रूप से वित्तीय, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा प्रबंधन जोखिमों में वर्गीकृत विभिन्न जोखिमों को ध्यान में रखते हुए प्रतिपक्ष जोखिम का आकलन करने के लिए ऋण जोखिम मूल्यांकन (सीआरए) मॉडलों/स्कोरिंग मॉडलों को विकसित व परिष्कृत करना, इनमें से प्रत्येक जोखिम को अलग-अलग स्कोर दिया जाता है।

(ii) समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों के लिए सामान्य दृष्टिकोण पर परामर्श जारी करना, बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों में पोर्टफोलियो को संभालने के लिए विशिष्ट नीतिगत सुझाव देना व मात्रात्मक एक्सपोज़र मानदंड निर्धारित करने के लिए औद्योगिक शोध करना।

ऋण जोखिम के मापन में ऋण जोखिम घटकों जैसे चूक की संभावना (पीडी), चूक से हुई हानि (एलजीडी) तथा चूक पर एक्सपोज़र (ईएडी) की गणना शामिल है।

ऋण जोखिम की निगरानी और नियंत्रण में एकल ऋणकर्ता, समूह ऋणकर्ता तथा उद्योगों जैसे आयामों में एक अच्छा विविध पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक्सपोज़र सीमाएं निर्धारित करना शामिल है। बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिमों के संकेन्द्रण से बचने के लिए, एकल कंपनियों, समूह कंपनियों, बैंकों, व्यक्तिगत ऋणकर्ताओं, गैर-कॉरपोरेट संस्थाओं, पूंजी बाजार, भू-संपत्ति, संवेदनशील वस्तुओं आदि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में विवेकपूर्ण जोखिम मानदंडों पर आंतरिक दिशानिर्देश विद्यमान हैं। जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने के लिए छमाही अंतराल पर क्रेडिट जोखिम तनाव परीक्षण आयोजित किए जाते हैं।

बैंक में एक ऋण नीति विद्यमान है, जिसका उद्देश्य लचीलेपन और नवोन्मेष के लिए पर्याप्त संभावना रखते हुए ऋण की मूल बातों, मूल्यांकन कौशल, प्रलेखन मानकों तथा संस्थागत चिंताओं एवं कार्यनीतियों के बारे में जागरूकता के संबंध में एकसमान दृष्टिकोण विकसित कर पोर्टफोलियो स्तर पर आस्तियों की समग्र गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं जैसे मूल्यांकन, मूल्य निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकार, प्रलेखन, रिपोर्टिंग एवं निगरानी, ऋण सुविधाओं की समीक्षा व नवीनीकरण, समस्या ऋणों का प्रबंधन, ऋण निगरानी इत्यादि के संबंध में बैंक की प्रक्रियाएं और नियंत्रण विद्यमान हैं। बैंक की एक ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली भी है जिसका उद्देश्य 20 करोड़ रुपए और उससे अधिक राशि के एक्सपोज़र वाले ऋण पोर्टफोलियो की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना है। ऋण लेखापरीक्षा में विभिन्न स्तरों पर लिए गए ऋण संस्वीकृति निर्णयों की लेखा परीक्षा शामिल है। ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली के एक भाग के रूप में पूर्व-स्वीकृति प्रक्रिया और संस्वीकृति पश्चात स्थिति, दोनों की जांच की जाती है। ऋण लेखापरीक्षा में पहचाने गए जोखिमों की भी जांच की जाती है और जोखिम न्यूनीकरण के उपाय सुझाए जाते हैं।

डीएफ़- 3: 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार मात्रात्मक प्रकटीकरण

(बीमा संस्थाओं, संयुक्त उद्यमों और गैर-वित्तीय संस्थाओं को बाहर रखा गया)

सामान्य प्रकटीकरण:				रुपए करोड़ में
मात्रात्मक प्रकटीकरण		**निधि आधारित**	**गैर-निधि आधारित**	**कुल**
बी.	कुल सकल ऋण जोखिम एक्सपोज़र	2879141.43	534011.40	3413152.83
सी.	एक्सपोज़र का भौगोलिक संवितरण: निधि आधारित/ गैर-निधि आधारित			
	विदेश में	448646.97	84801.33	533448.30
	देश में	2430494.46	449210.07	2879704.53
डी.	उद्योग प्रकार एक्सपोज़र संवितरण निधि आधारित / गैर-निधि आधारित अलग-अलग		कृपया तालिका “ए” देखें	
ई.	आस्तियों का अवशिष्ट संविदात्मक परिपक्वता ब्रेकडाउन		कृपया तालिका “बी” देखें	
एफ़.	एनपीए की राशि (सकल) अर्थात (i से v) का योग			112785.09
	i. अवमानक			15520.48
	ii. संदिग्ध 1			16203.22
	iii. संदिग्ध 2			25512.60
	iv. संदिग्ध 3			27485.35
	v. हानि			28063.44
जी.	निवल एनपीए			28002.85
एच.	एनपीए अनुपात			
	i) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए			3.92%
	ii) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए			1.00%
आई.	एनपीए (सकल) में कमी/वृद्धि			
	i) प्रारंभिक शेष			128168.54
	ii) वृद्धि			26812.87
	iii) कमी			42196.32
	iv) अंतिम शेष			112785.09
जे.	एनपीए हेतु प्रावधानों में कमी/वृद्धि			
	i) प्रारंभिक शेष			91049.44
	ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			15937.70
	(iii) अपलेखन/अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			22204.90
	iv) अंतिम शेष			84782.24
के.	अनर्जक निवेशों की राशि			2465.22
एल.	अनर्जक निवेशों के लिए किए गए प्रावधान की राशि			1708.13
एम.	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों वृद्धि/कमी			
	प्रारंभिक शेष			9198.25
	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			3330.11
	अपलेखन			1510.04
	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			193.09
	अंतिम शेष			10825.23
एन.	प्रमुख उद्योग या प्रतिपक्ष प्रकार के अनुसार			
	एनपीए की राशि और यदि उपलब्ध हो, पिछले देय ऋण, अलग से प्रावधान किए गए			54118.03
	निर्दिष्ट व सामान्य प्रावधान; तथा			-
	वर्तमान अवधि के दौरान विशिष्ट प्रावधान और अपलेखन			-
ओ.	महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों द्वारा विशिष्ट और सामान्य प्रावधानों सहित अलग से प्रदान किए गए पिछले देय ऋणों और एनपीए की राशि			-
	प्रावधान			-

तालिका- ए: डीएफ़-3 (घ) 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार उद्योग-प्रकार के एक्सपोज़र का संवितरण

(रुपए करोड़ में)

कोड	उद्योग	निधि आधारित [शेष राशियाँ]			गैर-निधि आधारित (शेष राशियाँ)
		मानक	एनपीए	कुल	
1	कोयला	11521.40	210.14	11731.54	7817.45
2	खनन	8418.71	107.37	8526.07	3195.88
3	लोहा और इस्पात	54777.25	2326.85	57104.10	49105.33
4	धातु उत्पाद	30723.31	771.10	31494.41	13797.42
5	सभी इंजीनियरिंग	40564.09	4397.25	44961.34	63931.65
5.1	इनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	4682.94	97.17	4780.11	7158.75
6	बिजली	6646.95	0.04	6646.99	0.00
7	सूती वस्त्र	24692.24	1362.86	26055.11	1896.49
8	जूट वस्त्र	1142.84	45.40	1188.23	37.07
9	अन्य वस्त्र	13384.93	989.60	14374.53	3304.46
10	चीनी	6824.09	367.02	7191.11	957.49
11	चाय	1196.09	58.84	1254.93	27.92
12	खाद्य प्रसंस्करण	52881.45	4723.70	57605.14	3044.05
13	वनस्पति तेल और वनस्पति	5213.18	537.80	5750.97	3412.37
14	तम्बाकू/तम्बाकू उत्पाद	160.62	15.04	175.66	117.46
15	कागज/कागज उत्पाद	5486.49	383.25	5869.74	1220.58
16	रबड़/रबड़ उत्पाद	9970.24	848.72	10818.96	2182.12
17	रसायन/रंग/पेंट आदि	94543.70	2510.15	97053.85	80921.50
17.1	इनमें से उर्वरक	17982.66	680.30	18662.96	14142.84
17.2	इनमें से पेट्रोकेमिकल्स	49477.18	139.44	49616.62	53166.26
17.3	इनमें से दवा व फार्मा	13597.57	411.63	14009.20	2174.93
18	सीमेंट	8789.66	683.18	9472.84	4495.74
19	चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	3196.74	295.87	3492.62	422.43
20	रत्न और आभूषण	11684.33	1613.02	13297.35	290.91
21	विनिर्माण	43212.50	1353.17	44565.68	17742.86
22	पेट्रोलियम	49193.63	308.52	49502.15	33461.29
23	ऑटोमोबाइल व ट्रक	17687.44	979.77	18667.20	7147.44
24	कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर	7450.64	9.18	7459.82	1692.82
25	आधारभूत ढांचा	373165.53	28407.24	401572.78	85085.73
25.1	इनमें से बिजली	190495.03	8549.60	199344.63	32594.85
25.2	इनमें से दूरसंचार	34464.21	5912.44	40376.65	6232.15
25.3	इनमें से सड़क और बंदरगाह	82345.63	7650.59	89996.22	20481.15
26	अन्य उद्योग	275979.41	30197.88	306177.29	71749.19
27	एनबीएफ़सी व ट्रेडिंग	422772.07	14124.56	436896.63	41789.83
28	अवशिष्ट अग्रिम	1185076.81	15157.56	1200234.37	31163.95
	कुल	**2766356.34**	**112785.09**	**2879141.43**	**534011.40**

तालिका- बी डीएफ-3 (ई) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) 31.03.2022* की स्थिति के अनुसार आस्तियों की शेष संविदागत परिपक्वता का विवरण

(रुपए करोड़ में)

	अंतःप्रवाह	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन से 2 माह तक	2 माह से अधिक और 3 माह तक	3 माह से अधिक और 6 माह तक	6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
1	नकदी	21894.41	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21897.59
2	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष	66224.07	3496.34	2240.07	3098.86	3537.13	3026.15	7627.70	39876.22	38882.96	19088.19	49019.69	236117.38
3	अन्य बैंकों के पास जमा शेष	68400.65	64189.91	436.74	600.99	2267.66	1248.41	2424.84	516.39	3271.24	432.80	1769.08	145558.71
4	निवेश	11482.17	1278.44	4737.51	4264.39	11101.44	22297.91	60584.05	99191.45	395338.02	257357.78	643264.40	1510897.56
5	अग्रिम	37546.30	21809.59	25772.59	51529.69	64134.94	64373.76	160767.00	226595.31	976129.00	367143.81	808095.08	2803897.07
6	अचल आस्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.00	72.04	348.69	23.18	38511.46	38955.75
7	अन्य आस्तियां	13411.43	36196.26	38966.68	23873.87	20889.75	16983.11	27062.06	39739.43	20011.86	32545.14	74874.83	344554.42
	कुल	218959.03	126973.72	72153.59	83367.80	101930.92	107929.72	258465.65	405990.84	1433981.77	676590.90	1615534.54	5101878.48

* टिप्पणियां:

i) बीमा संस्थाएं, गैर-वित्तीय संस्थाएं, संयुक्त उद्यमों, विशेष प्रयोजन माध्यम तथा अंतःसमूह समायोजन को शामिल नहीं किया गया है।

ii) निवेशों में अनर्जक निवेश शामिल हैं और अग्रिमों में अनर्जक अग्रिम शामिल हैं।

iii) 23 मार्च, 2016 के आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर बकेटिंग संरचना को संशोधित किया गया है।

डीएफ़- 4: ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

- उपयोग की गई क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के नाम, साथ ही किसी भी परिवर्तन का कारण

  (क) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने घरेलू और विदेशी एक्सपोज़र की रेटिंग के उद्देश्य से क्रमश: केयर, क्रिसिल, इक्रा, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च तथा इन्फोमेरिक्स (घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) और फिच, मूडीज और एसएंडपी (अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां) की पहचान अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में की है, जिनकी रेटिंग का उपयोग जोखिम-भारित आस्तियों और पूंजीगत प्रभार की गणना के उद्देश्य से किया जाता है।

- एक्सपोज़र के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेंसी का उपयोग किया जाता है

  (i) एक वर्ष या उससे कम की संविदात्मक परिपक्वता वाले एक्सपोज़र (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट तथा अन्य परिक्रामी ऋण को छोड़कर) के लिए, अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई अल्पकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाता है।

  (ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और अन्य परिक्रामी क्रेडिट (अवधि चाहे कुछ भी हो) तथा 1 वर्ष से अधिक अवधि के सावधिक ऋण एक्सपोज़र के लिए, दीर्घकालिक रेटिंग का उपयोग किया जाता है।

- **पब्लिक इश्यू रेटिंग को बैंकिंग बही में तुलनीय आस्तियों के रूप में अंतरित करने हेतु उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का विवरण**

  बैंक के बाह्य रेटिंग संरचना के प्रमुख पहलू इस प्रकार हैं:

  - क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विशेष रूप से बैंक के दीर्घावधि तथा लघु अवधि एक्सपोज़र को दी गई दीर्घकालिक और अल्पकालिक रेटिंग को बैंक द्वारा प्रत्येक मामले में विशिष्ट रेटिंग के रूप में माना जाता है।
  - विदेशी सरकारी और विदेशी बैंक एक्सपोज़र, उन्हें दी गई जारीकर्ता रेटिंग के आधार पर जोखिम-भारित होते हैं।
  - बैंक सुनिश्चित करता है कि सुविधा/ऋणकर्ता की बाह्य रेटिंग की समीक्षा विगत 15 महीनों में कम से कम एक बार ईसीएआई द्वारा की गई है और उपयोग करने की तिथि को यह मान्य है।
  - जब एक इकाई को विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा विविध जारीकर्ता रेटिंग दी जाती है, इस संदर्भ में, जहां दो रेटिंग होती हैं वहाँ निम्नतर रेटिंग और जहां तीन या अधिक रेटिंग दी होती हैं, वहाँ दूसरी सबसे कम रेटिंग का उपयोग निर्धारित सुविधा के लिए किया जाता है।

  दीर्घावधि इश्यू विशिष्ट रेटिंग (बैंक के स्वयं के एक्सपोज़र या उसी ऋणकर्ता-ग्राहक/प्रतिपक्ष द्वारा जारी अन्य ऋण के लिए) अथवा जारीकर्ता (ऋणकर्ता-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग का उपयोग उसी ऋणकर्ता-ग्राहक/प्रतिपक्ष के अन्य गैर-रेटेड एक्सपोज़र के लिए निम्नलिखित मामलों में किया जाता है:

  - यदि इश्यू विशिष्ट रेटिंग या जारीकर्ता रेटिंग गैर-रेटेड एक्सपोज़र के बराबर या उससे अधिक जोखिम भार के अनुरूप है, तो उस प्रतिपक्ष के किसी भी अन्य गैर-रेटेड एक्सपोज़र को वही जोखिम भार दिया जाएगा, यदि एक्सपोज़र सभी प्रकार से रेटेड एक्सपोज़र के सममात्रा में या उससे कम है।
  - ऐसे मामलों में जहां ऋणकर्ता-ग्राहक/प्रतिपक्ष ने ऋण जारी किया है (जो बैंक से लिया गया ऋण नहीं है), तो यदि बैंक का एक्सपोज़र सभी प्रकार से विशिष्ट रूप से रेटेड ऋण के समान या उससे अधिक है तथा बैंक के गैर-रेटेड एक्सपोज़र की परिपक्वता रेटेड ऋण की परिपक्वता के बाद की नहीं है तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के गैर-रेटेड एक्सपोज़र पर लागू होती है।

31.03.2022 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(करोड़ रुपए में)

(ख) एक्सपोज़र राशियों के लिए जोखिम न्यूनीकरण के बाद मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत, प्रत्येक जोखिम बकेट में समूह की बकाया राशि (रेटेड और गैर-रेटेड) के साथ-साथ घटाई गई राशियाँ		राशि
	100% से कम जोखिम भार	22,76,943.77
	100% जोखिम भार	8,48,873.23
	100% से अधिक जोखिम भार	2,87,335.83
	कटौती	0.00
	कुल	**34,13,152.83**

डीएफ़- 5: ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

- **तुलन पत्र में शामिल तथा शामिल न की गई निवलीकरण नीतियां व प्रक्रियाएं तथा बैंक इनका किस सीमा तक उपयोग करता है**

  तुलन पत्र की निवलीकरण मदें केवल ऐसे ऋणों/अग्रिमों तक सीमित हैं, जिनके संबंध में बैंक के पास विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार उपलब्ध है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है:

  जहां बैंक,

  अ. यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि प्रतिपक्ष के दिवालिया हो जाने पर या दिवालिया न होने पर भी प्रत्येक प्रासंगिक क्षेत्राधिकार में लागू करने योग्य निवलीकरण या ऑफसेटिंग समझौते का एक सुस्थापित कानूनी आधार उपलब्ध है;

  आ. किसी भी किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों को निवलीकरण समझौते के अंतर्गत निर्धारित कर सकता है; तथा

  इ. निवलीकरण के आधार पर संबंधित एक्सपोज़र की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, बैंक ऋणों/अग्रिमों तथा जमाराशियों के निवल एक्सपोज़र को अपने पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए आधार के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋणो/अग्रिमों को एक्सपोज़र तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना जाता है।

- **संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नीतियाँ एवं प्रक्रियां**

  बैंक में एक एकीकृत ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन नीति विद्‌यमान है, जिसकी समीक्षा वार्षिक आधार पर की जाती है। इस नीति का भाग बी ऋण जोखिम न्यूनीकरण तथा संपार्श्विक प्रबंधन से संबंधित है, जो पूंजी गणना के लिए उपयोग में लाए जाने वाले ऋण जोखिम न्यूनीकरण के प्रति बैंक के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है।

  इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण का वर्गीकरण तथा आकलन इस तरह से करना है कि विनियामक पूंजी समायोजन किया जा सके।

  i. ऋण जोखिम न्यूनीकरणों का वर्गीकरण

  ii. स्वीकार्य ऋण जोखिम-न्यूनीकरण

  iii. ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए आवश्यक प्रलेखीकरण एवं विधिक प्रक्रियाएँ

  iv. संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन

  v. मार्जिन एवं संतुलन आवश्यकताएँ

  vi. बाह्य रेटिंग

  vii. संपाश्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा

  viii. बीमा

  ix. ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी

  x. सामान्य दिशानिदेश

  बैंक द्वारा ली गई प्रमुख प्रकार की प्रतिभूतियों का विवरण

  मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत समान्यतः निम्नलिखित प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में माना जाता है:

  नकदी या नकदी के समान (बैंक जमा/राष्ट्रीय बचत पत्र/ किसान विकास पत्र/ एलआईसी पॉलिसी, इत्यादि)

  स्वर्ण

  केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों

  अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए बीबीबी- अथवा बेहतर/PR3/P3/F3/A3 रेट की गई ऋण प्रतिभूतियाँ

- **मुख्य प्रकार के गारंटर पक्षकार और उनकी ऋण पात्रता**

  भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटर के रूप में स्वीकार करता है:

- सरकार, सरकारी संस्थाएँ [बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (बीआईएस), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), यूरोपीय सेंट्रल बैंक एवं यूरोपीय समुदाय के साथ-साथ बहुपक्षीय विकास बैंक, निर्यात ऋण एवं गारंटी निगम (ईसीजीसी) और सूक्ष्म व लघु उदयमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)], सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई), बैंक तथा प्राथमिक डीलर जिनका जोखिम भार प्रतिपक्षकार से कम हो।
- एए या बेहतर की बाह्य रेटिंग वाले अन्य गारंटर। यदि गारंटर मूल कंपनी, संबद्ध या सहायक कंपनी है, तो बैंक द्वारा गारंटीकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए उनका जोखिम भार ऋणकर्ता से कम होना चाहिए। गारंटर की रेटिंग एक इकाई की रेटिंग के रूप में होनी चाहिए. जिसमें इकाई की सभी देनदारियों तथा प्रतिबद्धताएँ (गारंटियों सहित) शामिल हों।

  जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर (बाजार या क्रेडिट) जोखिम संकेंद्रण के बारे में जानकारी:

  बैंक के पास विभिन्न प्रकार के संपार्श्विकों से प्रतिभूतिकृत आस्तियों का एक विस्तृत पोर्टफोलियो है, जैसे: -

- ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ
- सरकारों तथा अच्छी रेटिंग कंपनियों द्वारा दी गई गारंटियाँ,
- प्रतिपक्षकार की अचल आस्तियां तथा चालू आस्तियां

31.03.2022 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(करोड़ रुपए में)

(ख)	अलग से प्रकट किए गए प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल एक्सपोज़र (जहां लागू हो, तुलन पत्र अथवा तुलन पत्र इतर में शामिल ऋण जोखिम घटाने के बाद) जिसे निर्धारित कटौती लागू करने के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया गया है।	1,90,182.34
(ग)	अलग से प्रकट किए गए प्रत्येक पोर्टफोलियो के लिए कुल एक्सपोज़र (जहां लागू हो, तुलन पत्र अथवा तुलन पत्र इतर में शामिल ऋण जोखिम घटाने के बाद) जिसे गारंटी/क्रेडिट डेरिवेटिव द्वारा सुरक्षित किया जाता है (जहाँ विशेष रूप से आरबीआई द्वारा अनुमति दी गई है)।	1,14,851.76

डीएफ़- 6: प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र: मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण		
(क)	गुणात्मक प्रकटीकरण प्रतिभूतिकरण के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण आवश्यकता जिसमें यह चर्चा शामिल है:	
	प्रतिभूतिकरण गतिविधि के संबंध में बैंक के उद्देश्य, जिसमें इन गतिविधियों से बैंक द्वारा अंतर्निहित प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र के ऋण जोखिम को अन्य संस्थाओं को अंतरित करना भी शामिल हैं।	शून्य
	प्रतिभूतिकृत आस्तियों में अंतर्निहित अन्य जोखिमों का स्वरूप (उदाहरण के लिए चलनिधि जोखिम)	लागू नहीं है
	प्रतिभूतिकरण प्रक्रिया में बैंक द्वारा निभाई गई विभिन्न भूमिकाएँ (उदाहरण के लिए: प्रवर्तक, निवेशक, सेवा प्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, चलनिधि प्रदाता, स्वैप प्रदाता@, संरक्षण प्रदाता#) तथा प्रत्येक में बैंक की भागीदारी की सीमा @ यदि विनियामक नियमों के अधीन अनुमति हो तो अंतर्निहित आस्तियों की ब्याज दर/मुद्रा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किसी ब्याज दर स्वैप अथवा मुद्रा स्वैप के रूप में धारित सीमा में प्रतिभूतिकरण संरचना में किसी बैंक द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। # यदि विनियामक नियमों के अनुसार अनुमति हो तो बैंक गारंटी, ऋण डेरिवेटिव्स अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य उत्पाद के माध्यम से किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।	लागू नहीं है
	प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के ऋण तथा बाजार जोखिम में परिवर्तन की मॉनिटरिंग के लिए प्रक्रियाओं का विवरण (उदाहरण के लिए, अंतर्निहित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव प्रतिभूति एक्सपोज़र को कैसे प्रभावित करता है, जैसाकि एनसीएएफ पर 1 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16.1 में परिभाषित किया गया है)।	लागू नहीं है
	प्रतिभूतिकरण एक्सपोजर्स के माध्यम से बने जोखिमों के न्यूनीकरण के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण के उपयोग को नियंत्रित करने के लिए बैंक की नीति का विवरण;	लागू नहीं है
(ख)	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के लिए बैंक की लेखा नीतियों का सारांश, जिसमें शामिल हैं:	
	क्या लेनदेनों को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है;	लागू नहीं है

गुणात्मक प्रकटीकरण		
	बनाए रखी गई या खरीदी गई स्थिति के मूल्यांकन हेतु लागू की गई पद्धतियाँ व प्रमुख पूर्वानुमान (इनपुट सहित);	लागू नहीं है
	पिछली अवधि से पद्धतियों तथा प्रमुख अवधारणाओं में परिवर्तन व उन परिवर्तनों का प्रभाव;	लागू नहीं है
	उन व्यवस्थाओं के लिए जिनके लिए बैंक को जिन प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है, उनके लिए तुलनपत्र में देनदारियों को पहचानने की नीतियाँ।	लागू नहीं है
(ग)	बैंकिंग बही में, प्रतिभूतिकरण के लिए उपयोग किए गए ईसीएआई के नाम तथा प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के प्रकार जिनके लिए प्रत्येक एजेंसी का उपयोग किया गया है।	लागू नहीं है
मात्रात्मक प्रकटीकरण: बैंकिंग बही		
(घ)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र की कुल राशि	शून्य
(ङ)	वर्तमान अवधि के दौरान बैंक द्वारा लेखे में शामिल की गई प्रतिभूतिकृत हानियों, एक्सपोज़र के प्रकार (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण इत्यादि का अंतर्निहित प्रतिभूति सहित विस्तृत विवरण) वर्गीकृत किया गया है।)	शून्य
(च)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकरण के लिए संभावित आस्तियों की राशि	शून्य
(छ)	(एफ़) में से, प्रतिभूतिकरण से पहले एक वर्ष के भीतर प्रवर्तित आस्तियों की राशि।	लागू नहीं है
(ज)	प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र की कुल राशि (एक्सपोज़र प्रकार के अनुसार) तथा उस एक्सपोज़र प्रकार के अनुसार बिक्री पर लाभ या हानि जिसे लेखे में शामिल नहीं किया गया है।	शून्य
(झ)	निम्नलिखित की कुल राशि:	
	तुलन पत्र में बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र का उसके प्रकार के अनुसार विवरण तथा	शून्य
	तुलन पत्र में शामिल न किया गया प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र का उसके प्रकार के अनुसार	शून्य
(त्र)	बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र और उससे संबंधित पूंजी खर्च की कुल राशि, एक्सपोज़र के अनुसार अलग-अलग तथा आगे विनियामक द्वारा अलग-अलग जोखिम के लिए निर्धारित भार बैंड के अनुरूप अलग-अलग जोखिम भार का उल्लेख	शून्य
	पूरी तरह से टियर 1 पूंजी से घटाए गए एक्सपोज़र, कुल पूंजी से घटाए गए ऋण बढ़ाने वाले आई/ओ तथा कुल पूंजी से घटाए गए अन्य एक्सपोज़र हैं (एक्सपोज़र प्रकार के अनुसार)	शून्य
मात्रात्मक प्रकटीकरण: ट्रेडिंग बही		
(ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र की कुल राशि जिसके लिए बैंक ने कुछ एक्सपोज़र यथावत बनाए रखा है तथा जिसका आकलन बाजार जोखिम पद्धति दृष्टिकोण के अनुसार किया गया है, एक्सपोज़र प्रकार के अनुसार विवरण	शून्य
(ठ)	निम्नलिखित की कुल राशि:	
	तुलन पत्र में यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र का विवरण, एक्सपोज़र प्रकार के अनुसार; तथा	शून्य
	तुलन पत्र में शामिल न किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र का विवरण; एक्सपोज़र प्रकार के अनुसार	शून्य
(ड)	निम्नलिखित के लिए यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र की कुल राशि:	शून्य
	विशिष्ट जोखिम के लिए संपूर्ण व्यापक जोखिम उपाय के अधीन बनाए रखा गया या खरीदा गया प्रतिभूतिकृत एक्सपोज़र, तथा	शून्य
	अलग-अलग जोखिम भार श्रेणियों में विभाजित विशिष्ट जोखिम के लिए प्रतिभूतिकरण संरचना के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र।	शून्य
(ढ)	निम्नलिखित की कुल राशि:	
	विभिन्न जोखिम भार श्रेणियों में विभाजित प्रतिभूतिकरण संरचना के अधीन, प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के लिए पूंजी आवश्यकताएँ।	शून्य
	पूरी तरह से टियर 1 पूंजी से घटाए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र, कुल पूंजी से घटाए गए ऋण संवर्धन वाले आई/ओ तथा कुल पूंजी से घटाए गए अन्य एक्सपोज़र (एक्सपोज़र प्रकार अनुसार)	शून्य

डीएफ़- 7: ट्रेडिंग बही में बाजार जोखिम

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

क) गुणात्मक प्रकटीकरण:

(1) बैंक बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता की गणना करने के लिए मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) का अनुसरण करता है।

(2) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित अभिशासन संरचना के अनुसार बैंक के जोखिम प्रबंधन विभाग के अंतर्गत बाज़ार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) कार्य कर रहा है।

(3) एमआरएमडी ट्रेजरी परिचालनों से जुड़े बाजार जोखिम की पहचान, उनके आकलन, निगरानी तथा रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है।

(4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित, सुपरिभाषित बाजार जोखिम प्रबंधन मानकों सहित निम्नलिखित नीतियां लागू की हैं:

क) बाजार जोखिम प्रबंधन नीति

ख) बाजार जोखिम सीमाएं

ग) निवेश नीति

घ) ट्रेडिंग नीति

ङ) बाजार जोखिम के लिए दबाव जांच नीति

(5) जोखिम निगरानी एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है तथा इसमें जोखिम की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है तथा बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति व बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किया जाता है।

(6) जोखिम प्रबंधन तथा उसकी रिपोर्टिंग वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप आशोधित अवधि, पीवी01, ऑप्शन ग्रीक, अधिकतम अनुमत एक्सपोज़र, जोखिम मूल्य सीमा, संकेंद्रण जोखिम सीमा, निम्न व ऊपरी प्रबंधन कार्रवाई ट्रिगर जैसे मापदंडों पर आधारित हैं।

(7) बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा खुली स्थिति सीमा (दैनिक/एकदिवसीय), हानि रोध सीमा, सकल अंतराल सीमा (एजीएल), एकल अंतराल सीमा (आईजीएल) की निगरानी की जाती है और यदि कोई अपवाद हो, तो इसकी सूचना बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को दी जाती है।

(8) जोखिम पर मूल्य (वीएआर) की गणना दैनिक आधार पर की जाती है। वीएआर संख्या की बैक-टेस्टिंग प्रतिदिन की जाती है। मूल्य जोखिम के पूरक के रूप में त्रैमासिक अंतराल पर दबाव परीक्षण किया जाता है। इसके परिणाम बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किए जाते हैं।

(9) विदेश स्थित संबंधित कार्यालय स्थानीय विनियामक और भारतीय रिजर्व बैंक की शर्तों के अनुसार अपने निवेश पोर्टफोलियो के जोखिम की निगरानी करते हैं। एकल निवेश के लिए हानि रोध सीमा तथा कतिपय पोर्टफोलियो के लिए एक्सपोज़र सीमा निर्धारित की गई है।

(10) बैंक ने बाजार जोखिम हेतु पूंजी प्रभार की गणना के लिए उन्नत दृष्टिकोण पद्धति अर्थात आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण पद्धति अपनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आशय पत्र (एलओआई) प्रस्तुत किया है।

ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

बाजार जोखिम पर पूंजी प्रभार

बैंक मानकीकृत माप पद्धति के अंतर्गत बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार को निम्नानुसार बनाए रखता है।

(करोड़ रुपए में)

	31.03.2022
ब्याज दर जोखिम (डेरिवेटिव सहित)	14,552.67
इक्विटी स्थिति जोखिम	10,194.22
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम	902.64
कुल	**25,649.53**

डीएफ़- 8: परिचालन जोखिम

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना और संगठन

- भारतीय स्टेट बैंक में परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग, बैंक की एकीकृत जोखिम अभिशासन संरचना के अंतर्गत संबंधित मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करता है। भारतीय स्टेट बैंक में, मुख्य जोखिम अधिकारी बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को रिपोर्ट करते हैं।
- समूह की अन्य इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों को संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के समग्र नियंत्रण में उनके व्यवसाय मॉडल तथा विनियामकों की आवश्यकताओं अनुसार निपटाया जा रहा है।

ख) भारतीय स्टेट बैंक में परिचालन जोखिम पर नियंत्रण एवं न्यूनीकरण नीतियां

देशीय बैंकिंग संस्थाएं (एसबीआई)

एसबीआई में निम्नलिखित नीतियां, रूपरेखा दस्तावेज़ और मैनुअल लागू हैं:

नीतियाँ और रूपरेखा दस्तावेज़

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति में, व्यवस्थित और अतिसक्रिय पहचान, आकलन, मापन, निगरानी, न्यूनीकरण तथा परिचालन जोखिमों की रिपोर्टिंग के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र शामिल है।
- लॉस डेटा प्रबंधन नीति;
- बाह्य लॉस डेटा प्रबंधन नीति;
- सूचना सुरक्षा नीति और मानक;
- आईटी नीति;
- साइबर सुरक्षा नीति
- समूह साइबर सुरक्षा नीति
- व्यवसाय निरंतरता एवं परिचालन आघात-सहनीयता (बीसीएंडओआर) नीति;
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) नीति;
- अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानक तथा धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद वित्तपोषण निवारक उपायों संबंधी नीति;
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति;
- बैंक की आउटसोर्सिंग नीति;
- बीमा पर नीति;

नियम पुस्तिका (मैनुअल)

- परिचालन जोखिम प्रबंधन मैनुअल
- लॉस डेटा प्रबंधन मैनुअल
- व्यापार निरंतरता और परिचालन आघात-सहनीयता (बीसीएंडओआर) मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) योजना
- बाह्य लॉस डेटा मैनुअल

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

गैर-बैंकिंग संस्थाओं के लिए उनके व्यवसायिक मॉडल से संबंधित तथा विदेश स्थित बैंकिंग अनुषंगियों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां व मैनुअल विद्यमान हैं। कुछ विद्यमान नीतियां इस प्रकार हैं- आपदा प्रबंधन योजना/व्यापार निरंतरता योजना, घटना रिपोर्टिंग तंत्र, नियर मिस इवेंट रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोर्सिंग नीति इत्यादि।

ग) रणनीतियाँ और प्रक्रियाएँ

देशीय बैंकिंग संस्थाएं (एसबीआई)

- जोखिम संस्कृति और परिचालन जोखिम प्रबंधन को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) के अलावा बैंक में विभिन्न स्तरों पर जोखिम प्रबंधन समितियां जैसे मंडलों में आरएमसीएओ, आरएमसीसी तथा व्यवसाय एवं सहायता समूहों (आरएमसी-आर एंड डीबी, आरएमसी-आईबीजी, आरएमसी-जीएमयू, आरएमसी-सीएजी, आरएमसी-सीसीजी, आरएमसी-एसएआरजी और आरएमसी-आईटी) में आरएमसी स्थापित की गई हैं।
- बेसल परिभाषित 8 बिजनेस लाइन और 7 लॉस इवेंट टाइप अनुसार परिचालन जोखिमों के कारण आंतरिक और बाह्य हानि का एक व्यापक डेटाबेस बनाने की प्रक्रिया मौजूद है। इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए नियर मिस इवेंट तथा बाह्य हानि को भी कैप्चर किया जाता है।
- जोखिम तथा नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) वर्तमान नियंत्रणों में यदि कोई कमी हो तो उनकी पहचान के लिए कार्यशाला-आधारित एक अति-सक्रिय अभ्यास कार्य है। इसमें जोखिम न्यूनीकरण के लिए सिस्टम और नियंत्रण में सुधार के लिए सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं। आरसीएसए से स्टाफ सदस्यों में जोखिम के प्रति जागरूकता पैदा करने में भी सहायता मिलती है। आरसीएसए अभ्यास वार्षिक आधार पर बैंक शाखाओं, सीपीसी और कार्यालयों में किया जाता है। बैंक उत्पादों /प्रक्रियाओं के लिए थीम आधारित आरसीएसए भी आयोजित करता है। वित्त वर्ष 22 के दौरान, बैंक ने 16 थीम-आधारित आरसीएसए अभ्यास आयोजित किए हैं और 44 उत्पादों/प्रक्रियाओं के लॉन्च/समीक्षा के समय आरसीएसए अभ्यास (साइन ऑफ) आयोजित किए गए, जोखिम न्यूनीकरण योजनाएँ बनाई गईं तथा उच्च एवं महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए कार्यान्वयित की गईं। आरसीएसए अभ्यास के दौरान, बैंक प्रणाली एवं नियंत्रण में अधिक सुधार के लिए प्राप्त सुझावों पर व्यवसाय धारकों द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन किया जाता है।
- आरंभिक एवं निगरानी प्रणाली से सभी व्यवसाय एवं सहायता समूह में प्रमुख प्रमुख संकेतक (केआई) की पहचान की गई है। आरएमसी, ओआरएमसी और आरएमसीबी द्वारा तिमाही अंतराल पर केआई की निगरानी की जा रही है। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान गहन अनुवर्ती कार्रवाई के लिए 10 शीर्ष केआई की पहचान की गई है।
- बेसल-II दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित परिचालन जोखिम की मात्रा निर्धारित करने और उसकी निगरानी के लिए आंतरिक प्रणालियों का विकास किया गया है।

अन्य

देशीय बैंकिंग संस्थाओं में परिचालन जोखिमों को नियंत्रित करने और उनके न्यूनीकरण के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

- "अनुदेश पुस्तिका" (सामान्य अनुदेशों पर मैनुअल, ऋण और अग्रिमों पर मैनुअल) जारी की है हैं, जिनमें विभिन्न बैंकिंग लेनदेनों की प्रक्रियाओं के लिए विस्तृत प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश दिए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में आशोधन तथा नियमित रूप से ई-परिपत्रों/मास्टर परिपत्रों के माध्यम से उन्हें अद्यतन किया जा रहा है। दिशानिदेशों तथा अनुदेशों को ई-परिपत्रों, ई-लर्निंग पाठ, प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रचारित किया जाता है।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुनः निर्धारण (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित अद्यतन नियमावली तथा परिचालन अनुदेश।
- वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, जिसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय तथा गैर-वित्तीय लेनदेनों के लिए विभिन्न स्तर के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का विवरण दिया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण- बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और स्टेट बैंक ज्ञानार्जन एवं विकास संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन मॉड्यूल के एक भाग के रूप में परिचालन जोखिम पर जानकारी को शामिल किया गया है।
- बीमा पर बैंक की नीति के अनुसार धोखाधड़ी को छोड़कर अधिकांश संभावित परिचालन जोखिमों के लिए बीमा कवर प्राप्त किया जाता है।
- आंतरिक लेखा परीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता तथा प्रभावशीलता की जांच एवं मूल्यांकन तथा कतिपय नियंत्रण प्रक्रियाओं की कार्यशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे विधिक तथा विनियामक आवश्यकताओं, आचार संहिताओं एवं नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं।
- किसी आपदा के बाद व्यवसाय निरंतरता महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रक्रियाओं की बहाली और पुनर्प्राप्ति के लिए एक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति तथा मैनुअल बैंक में मौजूद हैं।
- अवकाश नीति का सख्ती से अनुपालन।
- जिन शाखाओं में आरसीएसए प्रस्तावित नहीं है, वहाँ आरसीएसए-संक्षिप्त का संचालन।

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयों में प्रणालियों व प्रक्रियाओं तथा रिपोर्टिंग के माध्यम से पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

घ) **जोखिम रिपोर्टिंग एवं मापन प्रणालियों का दायरा व स्वरूप**

- समूह की सभी इकाइयों में धोखाधड़ी के संबंध में रिपोर्टों को शीघ्र प्रस्तुत करने की एक प्रणाली विद्यमान है।
- समूह की सभी इकाइयों में निवारक सतर्कता और व्हिसल ब्लोइंग की एक व्यापक प्रणाली स्थापित है।
- सभी शाखाओं के आरसीएसए/आरसीएसए-संक्षिप्त अभ्यास से सामने आए महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए परिदृश्य विश्लेषण तथा लॉस डेटा/एनएमई विश्लेषण के संबंध में नियमित अंतराल पर शीर्ष प्रबंधन को सूचित किया जाता है और निरंतर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
- 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन जोखिम हेतु विगत 3 वर्षों की औसत सकल आय के 15% के पूंजीगत भार के साथ मौलिक संकेतक दृष्टिकोण पद्धति लागू की गई है, बीमा कंपनियों को छोड़ दिया गया है।

डीएफ़- 9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

1. गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

आंतरिक एवं बाह्य कारकों के कारण बैंक की ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ाव से निवल ब्याज आय तथा आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ब्याज दर जोखिम कहा जाता है। आंतरिक कारकों में बैंक की आस्ति एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, वर्तमान ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋण एवं निवेशन की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल हैं। बाह्य कारकों में सामान्य आर्थिक स्थितियों आती हैं। बैंक पर बढ़ती या घटती ब्याज दरों का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि तुलनपत्र आस्ति संवेदनशील है या देयता संवेदनशील। बैंक अपने तुलनपत्र में शामिल तथा तुलनपत्र-इतर एक्सपोज़र पर बदलती ब्याज दरों से जुड़े अंतर्निहित जोखिमों की पहचान अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों दृष्टिकोणों से करता है।

1.1 संरचना और संगठन

आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तुलनपत्र जोखिमों की लगातार पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की एएलएम नीति के माध्यम से इन जोखिमों के कुशल प्रबंधन हेतु मानकों को निर्धारित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियों और प्रक्रियाओं को विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, एएलसीओ समय-समय पर जोखिम और प्रतिलाभों, निधियों एवं विनियोजन, बैंक के ऋण व जमाराशियों पर ब्याज दर निर्धारण तथा निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी व नियंत्रण करती है। निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) एएलएम 2 प्रणाली के कार्यान्वयन को देखती है तथा समय-समय पर इसके कामकाज की समीक्षा करती है और दिशानिर्देश देती है। यह, ब्याज दर जोखिम प्रबंधन के लिए एएलसीओ द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा करता है।

1.2 जोखिम रिपोर्टिंग और मापन प्रणालियों का क्षेत्र तथा स्वरूप

भारतीय रिजर्व बैंक ने पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (आईआरएस-टीजीए) के अंतर्गत ब्याज दर संवेदनशीलता के विवरण के माध्यम से मासिक अंतराल पर ब्याज दर जोखिम की निगरानी निर्धारित की है। तदनुसार, एएलसीओ मासिक आधार पर आईआरएस-टीजीए की समीक्षा करती है और जोखिम पर आय (ईएआर) की मॉनिटरिंग करती है। आस्तियों व देयताओं पर ब्याज दर में समानांतर परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में परिवर्तन का आकलन करती है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक की आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य पर अवधि अंतर विश्लेषण के अंतर्गत ब्याज दर संवेदनशीलता के माध्यम से ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान करने का भी निर्देश दिया है। बैंकयह विश्लेषण मासिक आधार पर करता है। इक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर में बदलाव का प्रभाव बाज़ार ब्याज दर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आस्ति व देयताओं के मूल्य में परिवर्तन को पहचानकर आईआरएस-डीजीए के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाती है। इक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) तथा आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 2% समानांतर परिवर्तन का अनुमान है।

जोखिम पर अर्जन (ईएआर): ब्याज दरों में परिवर्तन का तुरंत प्रभाव बैंक की निवल ब्याज आय (एनआईआई) में परिवर्तन से अर्जन पर पड़ता है। जोखिम पर अर्जन, लघु अवधि में (एक वर्ष में प्रभाव) एनआईआई पर ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव की गणना के लिए उपयोगी है। जोखिम पर अनर्जन गणना में बैंकिंग बही तथा ट्रेडिंग बही दोनों शामिल हैं।

इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई): ब्याज दरों में परिवर्तन का दीर्घकालिक प्रभाव बैंक की देयताओं एवं तुलन पत्र बाह्य स्थितियों के आर्थिक मूल्य में परिवर्तन के माध्यम बैंक के इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) या निवल मालियत पर पड़ता है। यद्यपि मूल्य में इन परिवर्तनों का प्रभाव आय पर नहीं पड़ता, फिर भी इनका प्रभाव बैंक की पूंजी की स्थिति पर पड़ता है।

बैंक अपने घरेलू तथा विदेश में परिचालन के लिए आईआरआरबीबी को प्रबंधित करने के ढाँचे के हिस्से के रूप में एमवीई दृष्टिकोण का उपयोग करता है। एमवीई के प्रभाव का आकलन संपूर्ण बैंक तथा बैंकिंग बही पर अलग से किया जाता है। आईआरआरबीबी की प्रभावी ढंग से मॉनिटरिंग करने के लिए, एएलएम नीति में संपूर्ण बैंक तथा बैंकिंग बही के लिए भिन्न-भिन्न एमवीई सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

1.3 जोखिम हेजिंग तथा न्यूनीकरण नीतियां

बैंक में, हेजिंग लेनदेन करने के लिए एक नीति विद्यमान है। अंतर्निहित तथा तात्कालिक बाज़ार परिस्थितियों के आधार पर बैंक निर्धारित आस्तियों तथा देयताओं के लिए हेजिंग लेनदेन करता है। ब्याज दर स्वैप, ओआईएस, फॉरवर्ड दर करार तथा क्रॉस मुद्रा स्वैप जैसी डेरिवेटिव लिखतों को बैंक द्वारा हेजिंग तकनीक के रूप में प्रयोग किया जाता है।

2. मात्रात्मक प्रकटीकरण

2.1 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, यील्ड वक्र में समानांतर परिवर्तन को मानते हुए, ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण एनआईआई पर अनुमानित प्रभाव निम्नलिखित तालिका में बताया गया है):

जोखिम पर अर्जन (ईएआर)

(रुपए करोड़ में)

	निवल ब्याज दर पर प्रभाव
निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर आस्तियों एवं देयता दोनों पर ब्याज दर में 100 बीपीएस के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव	7,424.02
निवल ब्याज आय (एनआईआई) पर आस्तियों एवं देयता दोनों पर ब्याज दर में 200 बीपीएस के समानांतर परिवर्तन का प्रभाव	14,848.04

2.2 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, यील्ड वक्र में समानांतर परिवर्तन को मानते हुए, ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण एमवीई पर अनुमानित प्रभाव निम्नलिखित टेबल में बताया गया है):

इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई)

(रुपए करोड़ में)

	एमवीई पर प्रभाव
इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई)- बैंकिंग बही पर आस्ति एवं देयता दोनों पर ब्याज दर में 100 बीपीएस समानांतर परिवर्तन का प्रभाव	20,773.16
इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई)- बैंकिंग बही पर आस्ति एवं देयता दोनों पर ब्याज दर में 200 बीपीएस समानांतर परिवर्तन का प्रभाव	41,546.32

डीएफ़-10: काउंटरपार्टी ऋण जोखिम से संबंधित एक्सपोज़र के लिए सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा घरेलू बैंकों, विदेशी बैंकों, विकास वित्तीय संस्थानों, प्राथमिक डीलरों, लघु वित्त बैंकों तथा पेमेंट बैंकों के लिए काउंटरपार्टी एक्सपोज़र की सीमा राशि निर्धारित करने के लिए स्कोरिंग मॉडल का उपयोग किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग, बैंक की सभी व्यावसाय इकाइयों अर्थात सीएजी, सीसीजी, आरएंडडीबी, ग्लोबल मार्केट तथा आईबीजी को एक्सपोज़र सीमा का आवंटन करता है, इस एक्सपोज़र सीमा का आवंटन इन इकाइयों द्वारा अपनी विभिन्न परिचालन इकाइयों के बीच किया जाता है।

संपार्श्विक प्रतिभूतियों का वर्गीकरण तथा पहचान

बैंक आंतरिक संस्वीकृति तथा/अथवा विनिमायक पूंजीगत छूट प्रयोजनों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की स्वीकृति, पहचान तथा मूल्य निर्धारण केवल तभी करता है जब निम्नलिखित शर्तें पूरी कर ली गई हों:

- सभी प्रासंगिक अधिकारी क्षेत्रों में प्रतिभूति की प्रवर्तनीयता तथा प्रभावकारिता विधिक रूप से सुनिश्चित हो।
- ऋण और संपार्श्विक दस्तावेजों के संबंध में सभी संविदात्मक एवं सांविधिक आवश्यकताएं पूरी कर ली गई हों।
- बैंक ने संबंधित संपार्श्विक के लिए विधिक प्रभार (प्रथम विधिक ऋण-प्रभार के अतिरिक्त द्वितीयक/गौण या सममात्रा ऋण प्रभार भी) प्राप्त कर लिया हो।
- इस विधिक प्रणाली के अंतर्गत संपार्श्विक प्रतिभूति को गिरवी रखा जाता है या अंतरित किईया जाता है, काउंटर पार्टी या अन्य पक्ष द्वारा चूक करने, दिवालिया हो जाने की स्थिति में उस प्रणाली में प्रतिभूति के समय पर परिसमापन करने या कब्जे में लेने का अधिकार बैंक को हो।
- संपार्श्विक प्रतिभूति के समय पर परिसमापन हेतु बैंक में स्पष्ट व सुदृढ़ कार्यविधि उपलब्ध है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काउंटर पार्टी द्वारा की गई चूक को घोषित करने तथा संपार्श्विक प्रतिभूति के परिसमापन के लिए विधिक शर्तें पूरी की गई हैं तथा संपार्श्विक प्रतिभूति का परिसमापन तत्काल किया जा सकता है।

आंतरिक रेटिंग आधारित (आईआरबी) पूंजी पात्रता की गणना के लिए संपार्श्विक द्वारा आरबीआई, आईआरबी दिशानिर्देशों में दिए गए सभी परिचालन मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है।

किसी लेनदेन के नकदी प्रवाह से पूर्व डेरिवेटिव्स लेनदेन की काउंटर पार्टी की चूक से उत्पन्न जोखिम को काउंटर पार्टी जोखिम कहा जाता है। इस जोखिम के न्यूनीकरण के लिए डेरिवेटिव्स लेनदेन केवल उन्हीं पार्टियों के साथ किए जाते हैं जिन्हें ऋण सीमाएं अनुमोदित की गई हैं। बैंक

के लिए काउंटर पार्टी सीमा का आकलन अनेक वित्तीय मानदंडों जैसे निवल मालियत, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, रेटिंग इत्यादि को ध्यान में रखकर आंतरिक मॉडलों का उपयोग करके किया जाता है। कॉर्पोरेटों की डेरिवेटिव्स सीमा का आकलन तथा संस्वीकृति का संयोजन नियमित ऋण सीमा के हिस्से के रूप में किया जाता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(रुपए करोड़ में)

आनुमानिक एवं चालू ऋण एक्सपोज़र का संवितरण	अनुमानिक	वर्तमान ऋण एक्सपोज़र	राशि के अंतर्गत वर्तमान ऋण पद्धति (सीईएम)
ए) ब्याज दर स्वैप	449379.42	2389.06	6514.86
बी) क्रॉस मुद्रा स्वैप	67169.89	498.09	1683.45
सी) मुद्रा ऑप्शन्स	85719.09	966.57	8484.05
डी) विदेशी मुद्रा संविदाएँ	1063804.12	6779.84	32442.73
ई) मुद्रा फ्यूचर्स	-	-	-
एफ़) फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट्स	-	-	-
जी) अन्य (कृपया उत्पाद का नाम बताएं) - एनडीएफ	160758.96	1120.13	4335.30
कुल	**1826890.26**	**11753.69**	**53460.40**
क्रेडिट डेरिवेटिव्स लेन-देन	शून्य		

डीएफ़-11: पूंजी संरचना

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

(रुपए करोड़ में)

31 मार्च, 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का प्रयोग किया जा रहा है

	कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी: लिखतें एवं आरक्षित निधियाँ		संदर्भ सं. (डीएफ़-12: चरण 2 के संबंध में)
1	सीधे जारी की गई अर्हता कॉमन शेयर पूंजी तथा संबंधित स्टॉक्स अधिशेष (शेयर लाभांश)	80007.93	A1 + B3
2	यथावत रखा गया अर्जन	170887.83	B1 + B2 + B7 + B8 + B9 (#)
3	अन्य कुल संचित आय (तथा अन्य आरक्षितियाँ)	18960.96	B5 * 75% + B6 * 45%
4	सीईटी 1 से कटौती के अधीन सीधे जारी पूंजी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी कॉमन शेयर पूंजी तथा तीसरे पक्ष द्वारा प्रतिधारित (सीईटी 1 समूह में अनुमत राशि)	1783.10	
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी	271639.82	
सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	747.37	
8	साख (संबंधित कर देयता के पश्चात)	1550.02	D
9	अमूर्त (संबंधित कर देयता के पश्चात)	21.31	
10	आस्थगित कर आस्तियां	37.38	
11	नकदी-प्रवाह हेज रिजर्व	0.00	
12	संभावित हानियों के लिए प्रावधानों की कमी	0.00	
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ	0.00	
14	उचित मूल्य की देयताओं पर स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि	0.00	
15	नियत-लाभ पेंशन फंड निवल आस्तियाँ	0.00	

(रुपए करोड़ में)

31 मार्च, 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का प्रयोग किया जा रहा है

			संदर्भ सं. (डीएफ़-12: चरण 2 के संबंध में)
16	अपने शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में पहले से कम नहीं किया गया हो तो)	176.77	
17	कॉमन इक्विटी में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग	150.50	
18	उन बैंकिंग, वित्त तथा बीमा संस्थाओं की कॉमन पूंजी में निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य के क्षेत्र के बाहर हैं तथा जहां पात्र अधिविक्रय को घटाने के बाद जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है (10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	
19	बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश जो नियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं, पात्र शॉर्ट पोजीशन घटाकर (10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	
20	बंधक सर्विसिंग अधिकार (10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	
21	अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता घटाने के बाद 10% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	
22	15% की प्रारम्भिक सीमा से अधिक राशि	0.00	
23	इसमें से: वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक में महत्त्वपूर्ण निवेश	0.00	
24	इसमें से: बंधक सर्विसिंग अधिकार	0.00	
25	इसमें से: अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियाँ	0.00	
26	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (26ए+26बी+26सी+26डी)	1331.49	
26ए	इसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	1319.68	
26बी	इसमें से: असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	11.81	
26सी	इसमें से: बैंक के साथ समेकित न की गई, आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं कि इक्विटी पूंजी में कमी	0.00	
26डी	इसमें से: अपरिशोधित पेंशन निधि व्यय	0.00	
27	कटौतियों को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 1 तथा टियर 2 के कारण कॉमन टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन	0.00	
28	कॉमन टियर 1 इक्विटी में कुल विनियामक समायोजन	4014.84	
29	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी 1)	267624.98	
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : लिखतें			
30	सीधे जारी किए गए अर्हता अतिरिक्त टियर 1 लिखते तथा संबंधित स्टॉक आधिक्य (शेयर लाभांश) (31+32)	36709.70	
31	इसमें से: लागू लेखा मानकों के अंतर्गत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमियादी गैर-संचयी अधिमान शेयर)	0.00	
32	इसमें से: लागू लेखा मानकों के अंतर्गत देयता के रूप में वर्गीकृत (बेमियादी ऋण लिखते)	36709.70	
33	अतिरिक्त टियर 1 में से कम करने के लिए सीधे जारी की गई पूंजी लिखतें	0.00	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा अतिरिक्त टियर 1 लिखत (तथा सीईटी लिखितें पंक्ति 5 में शामिल नहीं की गई हैं) (राशि समूह एटी 1 में अनुमत)	334.33	
35	इसमें से: अनुषंगियों द्वारा जारी लिखतें जो कम होने वाली हैं	0.00	
36	विनियामक समायोजन से पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	37044.03	

(रुपए करोड़ में)

31 मार्च, 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का प्रयोग किया जा रहा है

			संदर्भ सं. (डीएफ़-12: चरण 2 के संबंध में)
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: विनियामक समायोजन			
37	अपनी अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में निवेश	0.00	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखतों में पारस्परिक प्रति-धारणाएँ	0.00	
39	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर की बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय पोजीशन को घटाने के बाद जहाँ जारी की गई कॉमन शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं है (राशि 10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	
40	विनियामक समेकन क्षेत्र से बाहर की बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय स्थिति को छोड़कर)	0.00	
41	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (41ए+41बी)	0.00	
41ए	इसमें से: असमेकित बीमा अनुषंगियों कि अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	0.00	
41बी	इसमें से: बैंक के साथ समेकित न की गई आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	0.00	
42	कटौतियों को कवर करने के लिए अपर्याप्त टियर 2 के कारण कॉमन टियर 1 पर लागू किए गए विनियामक समायोजन	0.00	
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के प्रति कुल विनियामक समायोजन	0.00	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)	37044.03	
45	टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44)	304669.01	
टियर 2 पूंजी: लिखतें तथा प्रावधान			
46	सीधे जारी अर्हक टियर 2 लिखतें तथा संबंधित स्टॉक आधिक्य	32062.70	
47	टियर 2 से कम की जाने वाली, धे जारी पूंजीगत लिखतें	381.60	
48	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा धारित टियर 2 लिखतें (तथा सीईटी 1 व एटी 1 लिखते जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं की गई हैं) (टियर 2 समूह में अनुमत राशि)	777.57	
49	इनमें से : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखते, जो कम होने वाली हैं।	0.00	
50	प्रावधान	28260.11	
51	विनियमन समायोजन से पूर्व टियर2 पूंजी	61481.98	
टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन			
52	अपनी टियर 2 लिखतों में निवेश	61.80	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक क्रॉस-होल्डिंग	98.89	
54	विनियामक समेकन के क्षेत्र से बाहर की बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय पोजीशन को घटाने के बाद जहाँ जारी की गई कॉमन शेयर पूंजी के 10% से अधिक नहीं है (राशि 10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	0.00	
55	विनियामक समेकन क्षेत्र से बाहर की बैंकिंग, वित्तीय तथा बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश (पात्र अधिविक्रय स्थिति को छोड़कर)	14.16	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (56ए+56बी)	0.00	
56ए	इनमें से : असमेकित बीमा अनुषंगियों कि अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में निवेश	0.00	
56बी	इनमें से: बैंक के साथ समेकित न की गई आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में निवेश	0.00	

(रुपए करोड़ में)

31 मार्च, 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का प्रयोग किया जा रहा है

			संदर्भ सं. (डीएफ़-12: चरण 2 के संबंध में)
57	टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन	174.85	
58	टियर 2 पूंजी (टी2)	61307.13	
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)	365976.14	
60	कुल ऋण भारित आस्तियां (60ए + 60बी + 60सी)	2608922.99	
60ए	इनमें से: कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियाँ	2024829.15	
60बी	इनमें से: कुल बाज़ार जोखिम भारित आस्तियाँ	320619.09	
60सी	इनमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियाँ	263474.75	
पूंजी अनुपात एवं बफर्स			
61	कॉमन इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.26	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	11.68	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	14.03	
64	संस्था विशिष्ट बफर आवश्यकता (जोखिम भारित परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त न्यूनतम सीईटी1 आवश्यकता तथा पूंजी संरक्षण तथा काउंटर साइक्लिकल बफर आवश्यकताएँ तथा जी-एसआईबी बफर आवश्यकता)	7.98	
65	इनमें से: पूंजी संरक्षण बफर आवश्यकता	2.50	
66	इनमें से: बैंक विशिष्ट काउंटर चक्रीय बफर आवश्यकता	0.00	
67	इनमें से: डी-एसआईबी बफर आवश्यकता	0.60	
68	बफ़र्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध कॉमन इक्विटी टियर1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	4.76	
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से भिन्न हो)			
69	राष्ट्रीय कॉमन इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो)	5.50	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो)	7.00	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III न्यूनतम से भिन्न हो)	9.00	
कटौती के लिए प्रारंभिक सीमा से कम राशियाँ (जोखिम भार से पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर-महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
73	अन्य वित्तीय संस्थाओं के कॉमन स्टॉक महत्वपूर्ण निवेश	562.67	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00	
75	स्थायी अंतर के कारण आस्थगित कर आस्तियाँ (संबंधित कर देयता घटाकर)	0.00	
टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमा			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार एक्सपोज़र को टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने से पहले)	28260.11	
77	मानकीकृत दृष्टिकोण पद्धति के आधार पर टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने की उच्चतम सीमा	25310.36	
78	आंतरिक रेटिंग-आधारित दृष्टिकोण पद्धति के अनुसार एक्सपोज़र को टियर 2 में शामिल किए जाने के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने से पहले)	0.00	
79	आंतरिक रेटिंग-आधारित दृष्टिकोण पद्धति के आधार पर टियर 2 में प्रावधानों को शामिल करने की उच्चतम सीमा	0.00	
फेज़आउट व्यवस्था के अधीन पूंजी लिखतें (केवल 31 मार्च, 2017 तथा 31 मार्च, 2022 के बीच लागू)			
80	फ़ेज़आउट व्यवस्था के अधीन सीईटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा	0.00	

(रुपए करोड़ में)

31 मार्च, 2017 से बेसल III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट का प्रयोग किया जा रहा है

			संदर्भ सं. (डीएफ़-12: चरण 2 के संबंध में)
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन तथा परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक राशि)	0.00	
82	फ़ेज़आउट व्यवस्था के अधीन एटी 1 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा	10%	
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन तथा परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक राशि)	0.00	
84	फ़ेज़आउट व्यवस्था के अधीन टी 2 लिखतों की वर्तमान उच्चतम सीमा	10%	
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गई राशि (मोचन तथा परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा से अधिक राशि)		

टेम्पलेट के नोट

टेम्पलेट की पंक्ति संख्या	**विवरण**	(रुपए करोड़ में)
10	संचित हानियों सहित संबद्ध आस्थगित कर आस्तियाँ	37.38
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचित हानियों संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता को घटाकर	0.00
	कुल जो पंक्ति 10 में दर्शाया गया है	37.38
19	यदि बीमा अनुषंगियों में निवेश को पूरी तरह से पूंजी से नहीं घटाया गया है तथा उसके स्थान पट कटौती के लिए 10% प्रारंभिक सीमा अंतर्गत गणना में शामिल है तो उसके कारण बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि	0.00
	इनमें से : कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	इनमें से: अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	इनमें से: टियर 2 पूंजी में वृद्धि	0.00
26बी	यदि गैर-समेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश को नहीं घटाया गया है तथा इसलिए, जोखिम भारित है:	0.00
	(i) कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	0.00
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	28260.11
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुन्र्मूल्यन आरक्षितियाँ	0.00
	पंक्ति 50 का कुल योग	28260.11

बी7: आय तथा अन्य आरक्षितियाँ, एकीकरण एवं विकास निधि (5 करोड़ रुपए) घटाकर है।

डीएफ़-12: पूंजी घटक-समाधान संबंधी अपेक्षाएँ

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

(रुपए करोड़ में)

पूंजी घटक-समाधान संबंधी अपेक्षाएँ चरण 1		वित्तीय विवरण में तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे में तुलन पत्र
		रिपोर्टिंग की तारीख को	रिपोर्टिंग की तारीख को
क.	**पूंजी और देयताएं**		
i	प्रदत्त पूंजी	892.46	892.46
	आरक्षितियाँ एवं अधिशेष	304695.59	292336.68
	अल्प मदों पर ब्याज	11207.42	5124.63
	कुल पूंजी	316795.47	298353.77
ii	**जमा**	4087410.60	4088218.56
	इनमें से: बैंको में जमा राशियाँ	15299.38	15299.38
	इनमें से: ग्राहकों की जमा राशियाँ	4072111.22	4072919.18
	इनमें से: अन्य जमा राशियाँ (कृपया स्पष्ट करें)	-	-
iii	**उधार राशियाँ**	449159.78	449377.30
	इनमें से: आरबीआई से	24956.00	24956.00
	इनमें से: बैंको से	157462.64	157462.64
	इनमें से: अन्य संस्थाओं व एजेंसियों से	193336.92	193554.44
	इनमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-
	इनमें से: पूंजी लिखतें	73404.22	73404.22
iv.	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	507517.68	236510.19
	कुल	5360883.53	5072459.82
ख.	**आस्तियाँ**		
i	नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष	258086.43	258014.98
	बैंकों के पास जमा तथा अल्प अवधि में मांग पर प्राप्य राशियाँ	140818.69	137475.84
ii	**निवेश**	1776489.90	1499357.42
	इनमें से: सरकारी प्रतिभूतियाँ	1285236.81	1197913.42
	इनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	35636.87	270.94
	इनमें से: शेयर	90831.58	12616.55
	इनमें से: डिबेंचर और बांड	302009.09	248577.02
	इनमें से: अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम/ सहयोगी संस्थाएँ	14762.15	10730.36
	इनमें से: अन्य (कमर्शियल पेपर, म्युचुअल फंड इत्यादि)	48013.40	29249.13
iii	**ऋण एवं अग्रिम**	2794076.00	2793712.53
	इनमें से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	121050.79	121050.79
	इनमें से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	2673025.21	2672661.74
iv	**अचल आस्तियाँ**	39510.03	38689.97
v	अन्य आस्तियाँ	350352.46	343659.06
	इनमें से: साख	-	-
	इनमें से: अन्य अमूर्त आस्तियाँ (एमएसआर को छोड़कर)	-	-
	इनमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	6745.23	6727.74
vi	समेकन पर साख	1550.02	1550.02
vii	लाभ-हानि खाते में डेबिट शेष	-	-
	कुल आस्तियाँ	**5360883.53**	**5072459.82**

(रुपए करोड़ में)

	पूंजी घटक-समाधान संबंधी अपेक्षाएँ चरण 2	वित्तीय विवरण में तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे में तुलन पत्र	संदर्भ संख्या
		रिपोर्टिंग की तारीख को	रिपोर्टिंग की तारीख को	
ए	**पूंजी एवं देयताएँ**			
i	प्रदत्त पूंजी	892.46	892.46	ए
	इनमें से: सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	892.46	892.46	ए1
	इनमें से: एटी1 के लिए पात्र राशि	-	-	ए2
	आरक्षितियाँ एवं अधिशेष	304695.59	292336.68	बी
	इनमें से: सांविधिक आरक्षितियाँ	86939.14	86939.10	बी1
	इनमें से: पूंजी आरक्षितियाँ	16042.86	16029.31	बी2
	इनमें से: शेयर लाभांश	79115.47	79115.47	बी3
	इनमें से: निवेश आरक्षितियाँ	-	-	बी4
	इनमें से: निवेश पुनर्मूल्यन आरक्षितियाँ	7695.95	7695.95	
	इनमें से: विदेशी मुद्रा लेनदेन आरक्षितियाँ	11256.69	11254.56	बी5
	इनमें से: अचल आस्तियों पर पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियाँ	23377.87	23377.87	बी6
	इनमें से: राजस्व व अन्य आरक्षितियाँ	44176.30	38648.66	बी7
	इनमें से: आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत आरक्षितियाँ	15696.96	15696.96	बी8
	इनमें से: लाभ–हानि खाते में बकाया	20394.35	13578.80	बी9
	अल्प मदों पर ब्याज	11207.42	5124.63	
	कुल पूंजी	**316795.47**	**298353.77**	
ii	**जमाराशियाँ**	4087410.60	4088218.56	
	इनमें से: बैंको में जमाराशियाँ	15299.38	15299.38	
	इनमें से: ग्राहकों की जमाराशियाँ	4072111.22	4072919.18	
	इनमें से: अन्य जमा राशियाँ (कृपया स्पष्ट करें)	-	-	
iii	**उधार राशियाँ**	449159.78	449377.30	
	इनमें से: आरबीआई से	24956.00	24956.00	
	इनमें से: बैंको से	157462.64	157462.64	
	इनमें से: अन्य संस्थाओं व एजेंसियों से	193336.92	193554.44	
	इनमें से: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-	
	इनमें से: पूंजी लिखतें	73404.22	73404.22	
iv	**अन्य देयताएं और प्रावधान**	507517.68	236510.19	
	इनमें से: साख से संबंधी डीटीएल	-		
	इनमें से: अमूर्त आस्तियों से संबंधित डीटीएल	-		
	कुल	**5360883.53**	**5072459.82**	
बी	**आस्तियाँ**			
i	**नकदी व भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष**	**258086.43**	**258014.98**	
	बैंकों के पास जमा तथा अल्प अवधि में मांग पर प्राप्य राशियाँ	**140818.69**	**137475.84**	

(रुपए करोड़ में)

	पूंजी घटक-समाधान संबंधी अपेक्षाएँ चरण 2	वित्तीय विवरण में तुलन पत्र	समेकन के विनियामक दायरे में तुलन पत्र	संदर्भ संख्या
		रिपोर्टिंग की तारीख को	रिपोर्टिंग की तारीख को	
ii	**निवेश**	1776489.90	1499357.42	
	इनमें से: सरकारी प्रतिभूतियाँ	1285236.81	1197913.42	
	इनमें से: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	35636.87	270.94	
	इनमें से: शेयर	90831.58	12616.55	
	इनमें से: डिबेंचर व बॉन्ड	302009.09	248577.02	
	इनमें से: अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम/ सहयोगी संस्थाएँ	14762.15	10730.36	
	इनमें से: अन्य (कमर्शियल पेपर, म्यूचुअल फंड इत्यादि)	48013.40	29249.13	
iii	**ऋण एवं अग्रिम**	**2794076.00**	**2793712.53**	
	इनमें से: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	121050.79	121050.79	
	इनमें से: ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	2673025.21	2672661.74	
iv	**अचल आस्तियां**	**39510.03**	**38689.97**	
v	**अन्य आस्तियां**	**350352.46**	**343659.06**	
	जिनमें से: साख	-	-	
	इनमें से: अन्य अमूर्त आस्तियाँ (एमएसआर को छोड़कर)	-	-	
	इनमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	6745.23	6727.74	सी
vi	**समेकन पर साख**	**1550.02**	**1550.02**	**डी**
vii	**लाभ-हानि खाते में डेबिट शेष**	**-**	**-**	
	कुल आस्तियां	**5360883.53**	**5072459.82**	

चरण 3

(रुपए करोड़ में)

	कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1): लिखतें तथा आरक्षितियाँ	बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए विनियामक पूंजी घटक	संदर्भ सं. (डीएफ़-12: चरण 2 के संबंध में
1	सीधे जारी अर्हक कॉमन शेयर (तथा गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी तथा संबंधित स्टॉक अधिशेष	80007.93	ए1 +बी3
2	प्रतिधारित आय	170887.83	बी1 + बी2 + बी7 + बी8 + बी9 (#)
3	संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियाँ)	18960.96	बी5 * 75% + बी6 * 45%
4	सीईटी1 से कटौती कर सीधे जारी पूंजी (केवल गैर-स्टॉक कंपनियों पर लागू)	0.00	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष द्वारा धारित कॉमन शेयर पूंजी (समूह सीईटी1 में अनुमत राशि)	1783.10	
6	विनियामक समायोजन से पूर्व कॉमन इक्विटी टियर 1 पूंजी	271639.82	
7	विवेकशील मूल्यांकन समायोजन	747.37	
8	साख (संबंधित कर देयता को घटाकर)	1550.02	डी

बी7: आय तथा अन्य आरक्षितियाँ, एकीकरण एवं विकास निधि (5 करोड़ रुपए) घटाकर है।

डीएफ़ 13: विनियामक पूंजी लिखतों की मुख्य विशेषताएं

डीएफ़ 14: विनियामक पूंजी लिखतों के पूर्ण नियम और शर्तें

यह प्रकटीकरण अर्थात डीएफ 13 तथा डीएफ 14 बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in/portal/web/corpore-governance/basel-iii-disclosures पर अपलोड कर दिए गए हैं।

डीएफ़ 15 - पारिश्रमिक के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताएं

लागू नहीं, क्योंकि यह प्रकटीकरण निजी क्षेत्र तथा भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों को करना होता है।

डीएफ -16: 31.03.2022 की स्थित के अनुसार इक्विटी बैंकिंग बही स्थिति के संबंध में प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण		
1	इक्विटी जोखिम के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण में निम्नलिखित शामिल हैं:	
	• ऐसी धारिताएँ जिनमें पूंजीगत लाभ होने की संभवना है तथा संबद्ध एवं कार्यनीतिक कारणों सहित अन्य उद्देश्यों के अंतर्गत ली गई होल्डिंग्स के बीच अंतर;	एचटीएम श्रेणी के सभी इक्विटी निवेश सहायक कंपनियों, अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों(आरआरबी) में किए जाते हैं। यह कार्यनीतिक स्वरूप के होते है।
	• बैंकिंग बही में इक्विटी होल्डिंग के मूल्यांकन और लेखांकन से संबंधित महत्त्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा। इसमें लेखांकन के लिए प्रयोग में लाई गई तकनीकों तथा मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाली प्रथाओं तथा उनमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भी शामिल हैं।	एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत रखी गई प्रतिभूतियों को लेखाविधि तथा मूल्यांकन नीति को बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की अनुसूची 17 के अंतर्गत दिया गया है।
मात्रात्मक प्रकटीकरण		
1	तुलनपत्र में प्रकट किए गए निवेशों के मूल्य तथा उनके उचित मूल्य; उद्धृत प्रतिभूतियों के लिए, जनता को उद्धृत मूल्यों की तुलना जहाँ उचित मूल्य काफी भिन्न है	रु. 797.14 करोड़
2	निवेश के प्रकार तथा उसकी प्रकृति, इसमें वह राशि भी शामिल है जिसे इस रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है:	

विवरण	प्रकार		बही मूल्य (करोड़ में)
सार्वजनिक रूप से ट्रेड किए जाने वाले	अनुषंगियाँ	एचटीएम	2638.63
	सहयोगी	एएफएस	7810.00
	अन्य	एचटीएम	127.00
निजी रूप से धारित	सहयोगी संस्थाएँ, अनुषंगियाँ, संयुक्त उद्यम और अन्य	एचटीएम	8599.14

3	संदर्भित अवधि के दौरान बिक्री एवं परिसमापन से प्राप्त संचयी लाभ (हानियाँ)	0.62 करोड़
4	कुल अप्राप्त लाभ (हानियाँ)13	58.49 करोड़ रुपए (अप्राप्त हानि)
5	कुल अप्रकट पुनर्मुल्यन लाभ (हानियाँ)14	रु. 1427.98 करोड़ (एमटीएम लाभ)
6	टियर 1 तथा/अथवा टियर 2 पूंजी में शामिल उपर्युक्त कोई राशि	38.93 करोड़ रुपए
7	बैंक की पद्धति के अनुसार इक्विटी समूहन द्वारा विखंडित पूंजी, समग्र राशियाँ, एवं उन पर निवेशों का प्रकार, जो किसी पर्यवेक्षी अंतरण या विनियमक पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित ग्रांडफादरिंग प्रावधानों के अधीन होते हैं।	निरंक

13 तुलनपत्र में शामिल किन्तु लाभ-हानि खाते में शामिल न किया गया अप्राप्त लाभ(हानियाँ)

14 तुलनपत्र अथवा लाभ-हानि खाते में शामिल न किया गया अप्राप्त लाभ(हानियाँ)

डीएफ़-17: लेखांकन आस्तियां बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र की तुलना का सारांश

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

	मद	रुपए (मिलियन में)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	53608835.30
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा या वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जो लेखांकन के उद्देश्यों से समेकित किया जाता हैं, लेकिन नियामक समेकन के दायरे से बाहर है।	-2884237.10
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुसार तुलनपत्र में शामिल की गई काल्पनिक आस्तियों के लिए समायोजन, किंतु इन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र माप में शामिल नहीं किया जाता है।	-
4	डेरिवेटिव्स वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	544728.80
5	प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेनदेन के लिए समायोजन (अर्थात रेपो तथा इसी प्रकार के प्रत्याभूत ऋण)	24780.70
6	तुलन-पत्र से इतर मदों के लिए समायोजन (अर्थात तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र की समतुल्य राशियों का अंतरण)	5366291.80
7	अन्य समायोजन	-45775.11
8	**लीवरेज अनुपात एक्सपोज़र (स्टेट बैंक समूह)**	**56614624.40**

डीएफ़-18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

	मद	रुपए (मिलियन में)
	तुलन पत्र एक्सपोज़र पर	
1	तुलन पत्र मदें (डेरिवेटिव्स तथा एसएफ़टी को छोडकर परंतु समपार्श्विक सहित)	50724598.20
2	(बेसल III, टियर 1 पूंजी निर्धारण के लिए घटाई गई राशियाँ)	-45775.11
3	कुल तुलन पत्र एक्स्पोज़र (डेरिवेटिव्स तथा एसएफ़टी को छोड़कर) (पंक्ति 1 व 2 का योग)	50678823.10
	डेरिवेटिव एक्सपोज़र	
4	सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से संबंधित प्रतिस्थापन लागत (अर्थात पात्र नकद अंतर मार्जिन घटाकर)	117402.50
5	सभी डेरिवेटिव लेनदेनों से संबंधित पीएफ़ई के लिए ऍड-ऑन राशियाँ	427326.30
6	डेरिवेटिव संपार्श्विक के लिए सकल प्रावधान, जहाँ परिचालन लेखा ढांचे के अनुसार तुलन पत्र आस्तियों से घटाया गया हो	0
7	(डेरिवेटिव लेनदेन प्रदान नकद अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों की कटौती)	0
8	(क्लाइंट-क्लियर्ड ट्रेड एक्सपोज़र का छूट प्राप्त भाग)	0
9	लिखित ऋण डेरिवेटिव की समायोजित प्रभावी काल्पनिक राशि	0
10	(लिखित ऋण डेरिवेटिव की समायोजित प्रभावी काल्पनिक ऑफसेट तथा एड-ऑन कटौतियाँ)	0
11	**कुल डेरिवेटिव्स एक्सपोज़र (पंक्ति 4 से 10 का योग)**	**544728.80**
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोज़र	
12	सकल एसएफ़टी आस्तियाँ (नेटिंग को शामिल किए बिना), बिक्री लेखांकन लेनदेन को समायोजित कर लेने के बाद	24780.70
13	(सकल एसएफ़टी आस्तियों के देय नकद एवं प्राप्य नकद की निवल राशि)	0
14	एसटीएफ़ आस्तियों के सीसीआर एक्सपोज़र	0
15	एजेंट लेन-देन एक्सपोज़र	0
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन एक्सपोज़र (पंक्ति 12 से 15 का योग)**	**24780.70**
	अन्य तुलन पत्र बाह्य एक्स्पोज़र	
17	सकल काल्पनिक राशि पर तुलन पत्र बाह्य एक्सपोज़र	12277457.60
18	(ऋण के बराबर राशियों में बदलने के लिए समायोजन)	-6911165.80
19	**तुलन पत्र बाह्य मदें (पंक्ति 17 तथा 18 का योग)**	**5366291.80**
	पूंजी एवं कुल एक्सपोज़र	
20	टियर 1 पूंजी	3046690.12
21	**कुल एक्सपोज़र (पंक्ति 3,11,16 तथा 19 का योग)**	**56614624.40**
	लीवरेज अनुपात	
22	**बेसल III लीवरेज अनुपात (%) (स्टेट बैंक समूह)**	**5.38%**

डीएफ़-जीआर: समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण	
समूह की संस्थाओं के संबंध में* **[विदेश स्थित बैंकिंग सस्थाएँ तथा गैर-बैंकिंग संस्थाएँ]**	
निम्नलिखित पर सामान्य विवरण	
कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाएँ	समूह की सभी संस्थाओ में श्रेष्ठ कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाएँ अपनाई गई हैं।
प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएँ	समूह की सभी संस्थाएँ प्रकटीकरण की सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करती हैं।
समूह के भीतर लेनदेन के संबंध में स्वतंत्र कार्य की नीति	वाणिज्यिक शर्तों तथा प्रतिभूतियों के लिए प्रावधान दोनों मामलों में स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जाने वाले सभी लेनदेन स्वतंत्र आधार पर किए जाते हैं।
मार्केटिंग, ब्रांडिंग तथा एसबीआई के प्रति चिह्न का साझा उपयोग	समूह की किसी भी संस्था ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस तरह से उपयोग नहीं किया है, जिससे जनता में यह संकेत जाए कि साझा विपणन, ब्रांडिंग में उन्हें एसबीआई का निहित समर्थन प्राप्त है।
वित्तीय सहायता का विवरण,# यदि कोई हो	समूह किसी भी संस्था ने समूह की किसी अन्य संस्था को/से वित्तीय सहायता प्रदान/प्राप्त नहीं की है।
समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह जोखिम प्रबंधन नीति के सभी बातों का समूह की सभी संस्थाओं द्वारा दृढ़ता से पालन किया जाता है।

समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेनों को को मोटे तौर पर 'वित्तीय सहायता' के रूप में माना जाता है #:

क) समूह की एक इकाई से दूसरी इकाई में पूंजी या आय का अनुचित अंतरण;

ख) समूह की संस्थाओं से स्वतन्त्रता की जिस नीति का पालन करना होता है उस नीति का उल्लंघन;

ग) समूह के भीतर हर संस्था की चुकौती क्षमता, तरलता, तथा लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव;

घ) पूंजी के संबंध में या अन्य विनियामक आवश्यकताओं का पालन न करना;

ङ) क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉज' को लागू न करना जिससे किसी संबंधित संस्था द्वारा की गई चूक (चाहे वित्तीय या अन्य) को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।

- शामिल की गई संस्थाएँ::

बैंकिंग - विदेश में	गैर-बैंकिंग
भारतीय स्टेट बैंक (कनाडा)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
भारतीय स्टेट बैंक (कैलिफ़ोर्निया)	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड
एसबीआई (मॉरिशस) लिमिटेड	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड
कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके)	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्रा. लि.

31 मार्च, 2022 को वैश्विक प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (जी-एसआईबी) के निर्धारित संकेतकों पर प्रकटीकरण को "कॉरपोरेट गवर्नेंस" लिंक के अंतर्गत बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in पर अलग से प्रकट किया गया है।

हरित पहल

प्रिय शेयरधारक,

कॉरपोरेट अभिशासन में हरित पहल

सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार, जिन शेयरधारकों के ईमेल पते हमारे पास उपलब्ध हैं, हम उन शेयरधारकों को वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेज रहे हैं।

आपका बैंक आपको इस हरित पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, जिससे बैंक इलेक्ट्रॉनिक रूप अथवा ईमेल के माध्यम से आपके साथ संवाद कर सके। इससे न केवल पर्यावरण की रक्षा होगी बल्कि संवाद बेहतर होगा तथा सूचनाएं भेजने में होने वाली देरी तथा हानि से बचा जा सकेगा। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आपकी होल्डिंग डीमेट रूप में है तो अपने डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपनी ईमेल आईडी को अद्यतन करके हमारी इस पहल में हमारे साथ जुड़ें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारक कृपया अपनी अद्यतन जानकारी/परिवर्तन को sbi.igr@alankit.com पर ईमेल भेजकर रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट (आरटीए) मैसर्स अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड को दें।

इसके अलावा, आप में से अधिकांश के पास अपने बैंक के शेयर डीमैट रूप में होते हैं तथापि आप में से कुछ के पास अभी भी शेयर भौतिक रूप में हैं। दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी करते हुए सेबी ने भौतिक रूप से रखी गई प्रतिभूतियों के अंतरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। भौतिक रूप में रखे गए आपके शेयरों को बड़ी आसानी से डीमैट रूप में बदला जा सकता है। शेयरों को डीमैटिरियलाइज़ करने के निम्नलिखित लाभ हैं:

- प्रतिभूतियों का तत्काल अंतरण
- कागज़ के रूप में प्रतिभूति रखने से जुड़े जोखिमों जैसे चोरी, आग से क्षति, कागज़ का फट जाना, नकली/जाली प्रतिभूतियों आदि से छुटकारा।
- डीपी के पास दर्ज पते में परिवर्तन मात्र से उन सभी कंपनियों में आपके पते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिवर्तन हो जाता है, जिनकी प्रतिभूतियों में आपने निवेश किया है।
- सभी कंपनियों के साथ अलग-अलग पत्राचार करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- प्रतिभूतियों का प्रेषण डीपी द्वारा किया जाता है, जिससे कंपनियों के साथ पत्राचार की आवश्यकता ही नहीं रहती ।
- इक्विटी, डेब्ट लिखतों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए होल्डिंग निवेश को एक ही खाते में रखा जा सकता है।
- बोनस, स्पलिट/इकट्ठा करने/विलय इत्यादि के मामले में शेयर अपने आप खाते में जमा हो जाते हैं।

यदि आपके पास शेयर भौतिक रूप से उपलब्ध हैं तो, कृपया डीमैट खाता खोलने के लिए अपनी पसंद के किसी डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) (जैसे एसबीआई कैप सिक्यूरिटी लिमिटेड, टॉल फ्री नंबर - 1800223345 ईमेल- helpdesk@sbicapsec.com से संपर्क करें। डीमैट अनुरोध फॉर्म (डीआरएफ) भरें तथा अपने शेयरों को डीमैटिरिलाइज करने के लिए अपनी डीपी को संबंधित शेयर प्रमाणपत्र सौंप दें।

यदि आपको लाभांश भौतिक रूप (जैसे चेक) से प्राप्त हो रहा है तो आपसे अनुरोध है कि लाभांश इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए कृपया मामले के अनुसार अपने बैंक खाते का विवरण डीपी/आरटीए को दे/अद्यतन करा लें।

हमें विश्वास है कि आप अपने बैंक द्वारा शुरू की गई 'हरित पहल' की सराहना करेंगे तथा आशा करते हैं कि आप इस प्रयास में उत्साहपूर्वक भाग लेंगे।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि, भारतीय स्टेट बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2010 द्वारा शामिल तथा 15.09.2010 से प्रभावी भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 38ए के अनुसार, यदि स्टेट बैंक द्वारा घोषित लाभांश को लाभांश की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के अंदर शेयरधारक को भुगतान नहीं किया गया है या किसी पात्र शेयरधारक द्वारा उसका दावा न किया गया हो तो लाभांश की राशि को 'अप्रदत्त लाभांश खाता' नामक एक विशेष खाते में अंतरित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, उपर्युक्त संशोधन से पहले की अवधि की सारी अप्रदत्त लाभांश राशि को पहले ही उक्त 'अप्रदत्त लाभांश खाते' में अंतरित कर दिया गया है। स्टेट बैंक के अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित की गई कोई भी राशि उपर्युक्त अनुसार अंतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए अप्रदत्त रहती है या उस पर कोई दावा नहीं किया जाता है तो बैंक द्वारा उस राशि को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के अंतर्गत स्थापित 'निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष' में अंतरित कर दिया जाएगा तथा उसके बाद उसका उपयोग उक्त धारा में विनिर्दिष्ट तरीके से विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किया जाएगा। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि उन्हें देय किसी भी लाभांश का दावा बिना किसी देरी के कर लिया गया है।

SBI

एसबीआई के सभी शेयरधारकों से अपील

भौतिक रूप में एसबीआई के इक्विटी शेयर धारण करने वाले सभी शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि नीचे दिए गए विवरण को अद्यतन करने के लिए पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसे निम्नलिखित पते पर हमारे आरटीए को प्रेषित करें: मे. अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड (एएएल), 205-208, अनारकली कॉम्प्लैक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110055. फोन नं.: 7290071335, ईमेल: sbi.igr@alankit.com.

फॉर्म आईएसआर - 1

(सेबी के दिनांक 03 नवंबर 2021 के परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/एमआईआरएसडी_आरटीएएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 के माध्यम से आरटीए द्वारा निवेशक के सेवा अनुरोध को संसाधित करने तथा पैन, केवाईसी विवरण एवं नामांकन प्रस्तुत करने के मानदंडों के लिए सामान्य और सरलीकृत मानदंडों पर परिचालित)

पैन, केवाईसी विवरण पंजीकृत करने तथा तथा उनमें संशोधन/ अद्यतन के लिए अनुरोध

[सूचीबद्ध कंपनियों की भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियां (शेयर/ डिबेंचर/ बॉन्ड आदि के लिए]

दिनांक:____ /____ /_______

ए. मैं/ हम आपसे निम्नलिखित पंजीकृत/ संशोधित/ अद्यतन करने का अनुरोध करता हूं/ करती हूं/ करते हैं। (प्रासंगिक बक्से पर ✓ चिन्ह लगाएं)

☐ पैन	☐ डाक पता
☐ बैंक विवरण	☐ ईमेल पता
☐ हस्ताक्षर	☐ मोबाइल नंबर
☐ डीमैट खाता विवरण	

बी. प्रतिभूति विवरण:

जारीकर्ता कंपनी का नाम	भारतीय स्टेट बैंक	फोलियो संख्या:
प्रमाण पत्र(त्रों) के अनुसार प्रतिभूति धारक(कों) का (के) नाम	1. 2. 3.	
प्रतिभूतियों की संख्या तथा अंकित मूल्य	संख्या :	अंकित मूल्य:
प्रतिभूतियों की विशिष्ट (डिस्टिंक्टिव) संख्या	से	तक

सी. मैं/ हम नीचे दी गई सारणी के अनुसार दस्तावेज़ प्रस्तुत करता हूँ/करती हूँ/ करते हैं। (प्रासंगिक पर ✓ चिहन लगाएं, अनुदेशों का संदर्भ लें):

	✓	दस्तावेज़/ सूचना/ विवरण	अनुदेश / टिप्पणी
1	(सभी) संयुक्त धारक(कों) का पैन		
		पैन क्या यह वैध है (आधार से जोड़ा गया है): ☐ हां ☐ नही	☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ पीएएन तभी वैध होगा यदि उसे 31 मार्च, 2022* तक आधार से जोड़ दिया गया हो।

	✓	**दस्तावेज़/ सूचना/ विवरण**	**अनुदेश / टिप्पणी**
2		दस्तावेज़/ सूचना/ विवरण	☐☐☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐☐☐ कृपया डिपॉजिटरी भागीदार द्वारा उपलब्ध कराई गई आपके डीमैट खाते की क्लाइंट मास्टर सूची (सीएमएल) दें।
3		प्रथम धारक का पता साक्ष्य	निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज़ उपलब्ध करवाएं, पते में कोई परिवर्तन हो तो ही। • आपके डीमैट खाते की क्लाइंट मास्टर सूची (सीएमएल), जो निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) प्रतिभागी द्वारा उपलब्ध करवाया गया हो। • वैध पासपोर्ट/ राशन कार्ड/ आवास का पंजीकृत लीज अथवा बिक्री करार/ ड्राईविंग लाईसेंस/ फ्लैट मेनटेनेंस बिल • टेलीफोन बिल (केवल लैंडलाइन), बिजली का बिल अथवा गैस बिल जैसे उपयोगिता बिल - जो तीन माह से अधिक पुराना न हो • पहचान कार्ड/ निम्नलिखत में से किसी के द्वारा जारी पते के साथ दस्तावेज़ः केंद्र/ राज्य सरकार तथा उसके विभाग, सांविधिक/ विनियामक प्रधिकारी, सार्वजनिक उपक्रम, अनुसूचित व्यवसायिक बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान। • एफआईआई/ सब खाते के लिए, एफआईआई/ सब खातों द्वारा अभिरक्षकों (जो विधिवत रूप से नोटरीकृत तथा/ अथवा एपोस्टिल अथवा कोंसुलेराइज हो) को दिया गया मुख्तारनामा, जिसमें पंजीकृत पता उल्लिखित हो, लिया जाए। • पति/ पत्नी के नाम पर पता
4		बैंक विवरण	बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या तथा आईएफएस कोड आदि विवरण के साथ बैंक का स्टेटमेंट अथवा चेक पन्नी उपलब्ध करवाएं। वैकल्पिक रूप से सीएमएल में उपलब्ध बैंक विवरण का फोलियो में अद्यतन किया जाएगा।
5		ईमेल पता	____________________ वैकल्पिक रूप से सीएमएल में उपलब्ध ईमेल पते का फोलियो में अद्यतन किया जाएगा।
6		मोबाइल नंबर	____________________ वैकल्पिक रूप से सीएमएल में उपलब्ध मोबाइल नंबर का फोलियो में अद्यतन किया जाएगा।
7		हस्ताक्षर का नमूना	• सेबी परिपत्र एसईबीआई/ एचओ/एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडीआरटीएएमबी/ पी/ परि./2021/655 दिनाकं 3 नवंबर, 2021 में फार्म आईएसआर- 2 के अनुसार धारक(कों) के हस्ताक्षर का बैंकर अनुप्रमाणन उपलब्ध करवाएं तथा • निरस्त (कैंसिल) किया गया मूल चेक
8		नामांकन**	• नामांकन उपलब्ध करवानाः कृपया विधिवत रूप से भरा नामांकन फार्म (एसएच-13) अथवा सेबी परिपत्र एसईबीआई/ एचओ/एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडीआरटीएएमबी/ पी/ परि./2021/655 दिनाकं 3 नवंबर, 2021 में फार्म आईएसआर-3 के अनुसार नामांकन छोड़ने के विकल्प की घोषणा प्रस्तुत करें। • मौजूदा नामांकन में परिवर्तनः कृपया एसईबीआई/ एचओ/एमआईआरएसडी/ एमआईआरएसडीआरटीएएमबी/ पी/ परि./2021/655 में दिए गए फार्म एसएच-14 का उपयोग करें। • मौजूदा नामांकन निरस्त करनाः कृपया एसएच-14 तथा फार्म आईएसआर -3 का उपयोग करें।

* अथवा सीबीडीटी द्वारा निर्धारितानुसार कोई दिनांक

**धारक(कों) को प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी के लिए नामांकन (फॉर्म एसएच-13 अथवा एसएच-14) / 'नामांकन छोड़ने के विकल्प की घोषणा' (फॉर्म आईएसआर-3) प्रस्तुत करने होंगे।

आरटीए को दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का माध्यम

कृपया निम्नलिखित में से किसी एक माध्यम का उपयोग करें;

1. व्यक्तिगत रूप से सत्यापन (आईपीवी): आरटीए के प्राधिकृत व्यक्ति को मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत करके, जो दस्तावेज़(ज़ों) की प्रति(यां) अपने पास रखेंगे।
2. हार्ड प्रति में: प्रासंगिक दस्तावेज़ की स्व-अनुप्रमाणित प्रतिलिपि(यां), दिनांक के साथ, प्रस्तुत करके
3. आरटीए के पास पहले से पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से, दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियों पर ई-साइन के साथ
4. दस्तावेज़ों की स्कैन की गई प्रतियों पर ई-साइन के साथ आरटीए के सेवा पोर्टल पर, यदि आरटीए ऐसी सुविधा उपलब्ध करवा रहा हो तो।

नोटः

- सूचीबद्ध कंपनियों में भौतिक प्रतिभूतियों के धारकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे पीएएन, पूरा केवाईसी विवरण (पता साक्ष्य, बैंक विवरण, ईमेल पता, मोबाइल नंबर) तथा नामांकन (सभी पात्र फोलियो के लिए) प्रस्तुत करें।
- यह प्राप्त होने अथवा बैंक विवरण के अद्यतन पर, आरटीए स्वतः ही धारक की उस सारी राशि का इलेक्ट्रानिक भुगतान कर देगा जो अदावी/ विफल रही थी.
- पीएएन, केवाईसी विवरण तथा नामित का विवरण प्राप्त होने के पश्चात सात कार्य दिवस के भीतर आरटीए द्वारा फोलियो में इसका अद्यतन कर दिया जाएगा। फिर भी, नामांकन का निरस्तीकरण उस दिनांक से प्रभावी होगा जब इसकी सूचना कंपनी/ आरटीए को प्राप्त हुई थी।
- पीएएन, केवाईसी विवरण तथा नामांकन पंजीकृत/ अद्यतन/ परिवर्तन करने के लिए आरटीए शपथपत्र अथवा अनुप्रमाणन/ नोटरीकरण अथवा क्षतिपूर्ति पर ज़ोर नहीं देगा।
- सभी फार्म यथा आईएसआर-1, आईएसआर-2, आईएसआई-3, एसएच-13, एसएच-14 को लिंक https:// bank.sbi/web/investor-relations/share-holder-bond-holder-information के माध्यम से बैंक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्राधिकरण: मैं/हम आपको (आरटीए को) उपरोक्त पीएएन तथा केवाईसी विवरण मेरे/हमारे फोलियो -----------------, --------------- में अद्यतन करने के लिए प्राधिकृत करता हूं/ करती हूं/ करते हैं, जिसमें मैं/ हम धारक हैं (जो लागू नहीं उसे काट दें)

घोषणा: ऊपर उल्लिखित सभी तथ्य सत्य एवं सही हैं।

	धारक 1	**धारक 2**	**धारक 3**
हस्ताक्षर	✓	✓	✓
नाम	✓	✓	✓
पूरा डाक पता	✓		
पिन	✓ ☐☐☐☐☐☐		

हमारे शेयरधारकों के ध्यानाकर्षण के लिए -

- सेबी ने अनिवार्य किया है कि भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों का अंतरण/विक्रय तब तक संसाधित नहीं किया जाएगा जब तक कि उन्हें डिपॉजिटरी के पास डीमैट रूप में नहीं रखा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि शेयरधारक भौतिक रूप में रखे गए शेयरों को अंतरित/बेच नहीं पाएंगे। ऐसे शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे जोखिम से बचने के साथ-साथ डीमैटरियलाइजेशन के विविध लाभों को प्राप्त करने के लिए अपने शेयरों को जल्द से जल्द डीमैटरियलाइज़ करें।
- कृपया यह भी नोट करें कि बैंक द्वारा 22.11.2014 को किए गए स्टॉक स्पिलिट के अनुसार संबंधित भौतिक शेयरधारकों को तथा अप्रैल 2017 में एसबीआई के साथ सहयोगी बैंकों के विलय पर इनके भौतिक शेयरधारकों को 1 रुपए का अंकित मूल्य का शेयर प्रमाणपत्र भेजा गया था। यह डीमैटरियलाइजेशन के लिए आवश्यक/मान्य है। यदि एक रुपए का अंकित मूल्य शेयर प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है, तो कृपया बैंक के आरटीए से संपर्क करें।
- सेबी द्वारा निर्धारित बैंक के आरटीए के साथ कृपया अपना पैन, केवाईसी (ईमेल, मोबाइल नंबर व बैंक खाते सहित) और नामांकन विवरण को अपडेट करें, ताकि आपकी शेयरधारिता पर रोक के बचाव के साथ-साथ निर्बाध संचार एवं लाभांश प्रेषित किया जा सके। डीमैट शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे इसे अपने डीपी के साथ अपडेट करें।
- जैसा कि आप जानते होंगे कि ऐसा लाभांश, जिसपर सात वर्षों तक दावा नहीं किया जाता है, उसे आईईपीएफ़ में अंतरित कर दिया जाता है। इसलिए, कृपया वित्तीय वर्ष 2015-16 से आगे की अवधि के लिए बैंक के आरटीए को दावा भेजकर अपने लाभांश की मांग करें, यदि भुगतान नहीं किया गया है, (नोट: भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है)। इससे पहले की अवधि के लिए, इसे आईईपीएफ से दावा किया जा सकता है, क्योंकि उस अवधि के दावा न किए गए लाभांश आईईपीएफ में अंतरित कर दिए गए हैं।

वार्षिक महासभा के स्थल तक पहुँचने का मार्ग

स्थलः "एसबीआई सभागार", स्टेट बैंक भवन,
मैडम कामा रोड, नरीमन पॉइंट,
मुंबई-400021 (महाराष्ट्र)
चर्चगेट स्टेशन से दूरी: 0.95 किमी
छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन से दूरी: 2.20 किमी

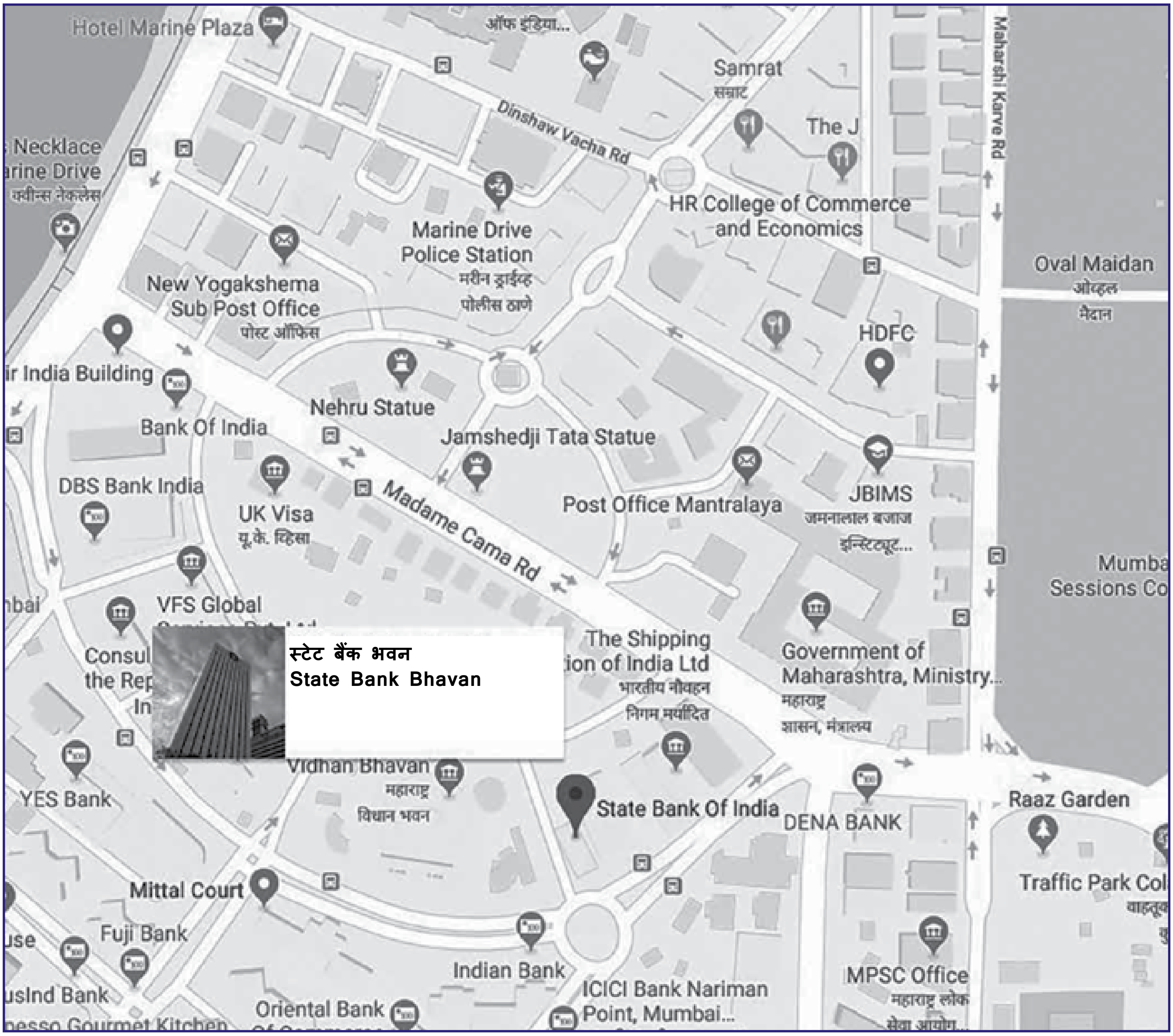

SBI
yono SBI
पूर्व स्वीकृत पर्सनल लोन
सिर्फ 4 क्लिक्स में
योनो के ज़रिए
तत्काल क्रेडिट
शाखा में जाने की
कोई ज़रूरत नहीं
पात्रता की जांच अभी करें:
अधिक जानकारी के लिए कॉल करें
1800 1234 या bank.sbi पर जाएं

SBI

हर भारतीय का बैंक

वर्ष प्रगतिशील भारत के

आज़ादी का
अमृत महोत्सव

हर भारतीय का बैंक

स्टेट बकैं भवन, कॉरपोरेट केन्द्र, मैडम कामा रोड,
मुंबई, महाराष्ट्र - 400021, भारत

bank.sbi

Scan QR Code to view
Annual Report 2022 online